राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 6] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या: 16

मंगलवार,

22 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई एवं आभार

माननीय अध्यक्ष को जन्म दिवस की बधाई

अनेक माननीय सदस्य: बधाई हो, बधाई हो। जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

श्री अध्यक्ष: मीठा नमस्ते। आज सबके गले थोड़े मीठे हैं इसलिए मीठा नमस्ते। नमस्कार। प्रश्न काल, श्री फूलसिंह मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज का दिन आपके लिए प्रफुल्लित होने का दिन है और हमारे लिए प्रसन्नता का दिन है। आज विश्व जल दिवस भी है और ऐसे दिवस पर आप जैसे महान व्यक्ति का जन्मदिवस, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहूंगा कि आपके चेहरे का नूर बरकरार रहे। आपका 62वां जन्मदिवस आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। पूरे सदन की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व जल दिवस पर जल है तो कल है और आप हैं तो कल है। आपके बिना भी कल नहीं है हमारा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जन्मदिन की बहुत ही बधाई देना चाहता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहो, आपकी दीर्घायु हो। हम सब पर ऐसी ठंडी नजर से, ऐसी कृपा बनाए रखें। कभी–कभी आपको गुस्सा आता है, वह भी हम परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि आप छोड़ देना आज।

श्री अध्यक्ष: आज बिलकुल गुस्सा नहीं करूंगा। मुस्कुराहट के साथ सदन का संचालन करूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बहुत मेहरबानी।

श्री अध्यक्ष: इसलिए प्रश्नकाल समाप्त हो जाए उसके बाद जल दिवस के बारे में भी अपने कुछ कमेंट्स करूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आज इस दिन के शुभ अवसर पर बधाई देते-देते कहां कानून व्यवस्था बीच में आ गयी। नियम और प्रक्रियाओं के तहत आएं। अध्यक्ष महोदय, सरकार स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। (व्यवधान) यह कहां स्कोर कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बोलने की अनुमति दी है फिर आप क्यों माहौल खराब करना चाह रहे हो, जान बूझकर? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज प्रदेश के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है हमारा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कानून व्यवस्था के बारे में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल के बाद आपको ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन नहीं हो, यह प्रश्नकाल है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट आप ...(व्यवधान) गम्भीर मामला है, उस गम्भीर मामले को सुनना नहीं चाहते।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह प्रश्नकाल है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नियम और प्रक्रियाओं के तहत स्थगन प्रस्ताव आया है। स्थगन प्रस्ताव पर आपकी व्यवस्था ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव आपके विचारार्थ है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): गम्भीर मामला सुनना नहीं

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था जिस तरह से चौपट हुई है मेरे खुद ...(व्यवधान) चाचाजी की गाड़ी...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न काल हो जाए उसके बाद ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): स्थगन प्रस्ताव आपके विचारार्थ है, स्थगन के प्रस्ताव पर अपनी व्यवस्था देकर चाहे डिस्कशन करा लें, ...(व्यवधान) सरकार स्टेटमेंट देने को तैयार है। (व्यवधान) नियम और प्रक्रियाओं में...

श्री गोरधन (धोद): अध्यक्ष महोदय, यह जन्मदिन की मुबारकबाद देकर अपनी बात कहना चाहते हैं, यह गलत है। (व्यवधान) यह जन्म दिन की मुबाकरबाद देने के बाद अपनी बात करते हैं, यह सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): साढ़े सात बजे ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह प्रश्नकाल है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल के बाद आपको समय दूंगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को आप समझाएं, पहले प्रश्नकाल होने दें, उसके बाद। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: नेता प्रतिपक्ष गलत कर रहे हैं, यह आपको जन्म दिन की शुभकामना दे रहे हैं और उसके बाद बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं यह गलत है ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो बैठो ना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): जन्म दिन का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप तो अपना ओरिजिनल स्वाभाविक रूप बतलाओ...(व्यवधान) जन्म दिन की मुबारक पर यह सब गड़बड़ हो रही है...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बैठ नहीं सकते ...(व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आप बैठ जाइये, आप ही सर्वेसर्वा नहीं हो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बैठ नहीं सकते आराम से।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आप सुन लो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारा नेता बोल रहा है, अध्यक्षीय व्यवस्था आ रही है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): नेता बोल रहा है तो, प्रश्नकाल है ...(व्यवधान) पहले प्रश्नकाल होगा उसके बाद....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ ...(व्यवधान) बैठ जाओ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पहले प्रश्नकाल होगा उसके बाद ...(व्यवधान) यह प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल है, हमारा हनन नहीं हो सकता ...(व्यवधान) प्रश्नकाल के बाद।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल हो जाए उसके बाद स्थगन पर यह बोल सकते हैं ...(व्यवधान) आपकी सदाशयता का दुरुपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान के अन्दर कानून व्यवस्था चौपट हुई है। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): पहले प्रश्नकाल होगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 50 की ओर दिलाना चाहता हूं ...(व्यवधान) नियमों के उपबंधों के आधीन रहते हुए...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लोक महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा ...(व्यवधान) सदन की कार्यवाही....

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): गृह मंत्री खुद यह कह रहे

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

हैं ...(व्यवधान) मैं खुद आनंदपाल ...(व्यवधान) इसी वजह से राजस्थान के अन्दर कानून व्यवस्था बिलकुल चौपट हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): प्रस्ताव पर अध्यक्ष की सम्मति से किया जा सकेगा ...(व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): प्रश्नकाल में पहले प्रश्न होगा, उसके बाद दूसरी बात होगी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप व्यवस्था दे देंगे नियम 50 पर आपके...(व्यवधान) विचारार्थ है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): पहले प्रश्नकाल होगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कानून व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा फर्माएं, स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के तहत आपके विचारार्थ है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। फूलसिंह मीणा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री खुद ...(व्यवधान) विपक्ष बोलता है तो संसदीय कार्य मंत्री को नहीं उठना चाहिए ...(व्यवधान) ऐसी परम्परा मत डालिए आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मैं आपको समय दूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने निवेदन किया, गृह मंत्री जी आए उस समय ...(व्यवधान)

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): बधाई तो दे दूं, मैं अध्यक्षजी को बधाई तो दे दूं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था चाहते हैं हम ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरा समय दूंगा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): बधाई तो दे दूं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं...

श्री अध्यक्ष: आज के इस शुभ दिन के वातावरण में आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बार प्रश्नकाल हो जाए, यह व्यवस्था है अपने यहां की। बैठो...(व्यवधान)

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको जन्म दिन की बहुत-बहुत, ढेर सारी शुभकामना। आप हजारों साल जीएं और हमारे को आशीर्वाद देते रहें। प्रश्नकाल 328 ...(व्यवधान) सारी, प्रश्न संख्या 328.

श्री अध्यक्ष: अब चालू हो गया।

तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर ग्रामीण में पेयजल समस्या का समाधान

328. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की बड़ी पंचायत व आसपास के गांवों में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): माननीय अध्यक्षजी, अभी सदन में जब आप आए और सभी ने आपको जन्म दिन की शुभकामनाएं दीं। इसी के साथ विश्व जल दिवस के सम्बन्ध में भी आज...

श्री अध्यक्ष: पहला प्रश्न ही जल से है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): संजोग से पानी के ऊपर ही पहला प्रश्न है। विश्व जल दिवस के ऊपर आपने अभियान की आज शुरूआत की, हस्ताक्षर अभियान, पूरे विश्व के अन्दर जल दिवस मनाया जा रहा है उसमें आपने हम सब माननीय सदस्यों के लिए प्रतिज्ञा लेने की भी बात की।

श्री अध्यक्ष: अब आप प्रश्न का जवाब दो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह प्रतिज्ञा हम सब लोगों ने ली है कि हम कैसे जल को बचाएं, तो यह सारे ही माननीय सदस्य, हम सब मिलकर....

श्री अध्यक्ष: माननीय जलदाय मंत्रीजी .....

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): प्रतिज्ञा तो ले रहे हैं, साथ-साथ हमारे उदयपुर ग्रामीण से आए हुए...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, वह सब प्रश्नकाल के बाद ले लेंगे। अभी प्रश्न का जवाब दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जी हां। ग्राम पंचायत बड़ी के अन्तर्गत कुल 6 ग्राम उपली बड़ी, बड़ी हवालाकलां, हवाला खुर्द, लई का गुडा एवं लीयो का गुडा आते हैं। ये समस्त ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। इन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु एवं संतोषप्रद है।

विभागीय मापदण्ड के अनुसार 1500 की आबादी तक के ग्राम हैण्डपम्प योजना से तथा 1500 से 4000 तक की आबादी के ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना से लाभान्वित किये जाते हैं।

उक्त वर्णित ग्रामों में ग्राम बड़ी की आबादी 2712 व्यक्ति होने के कारण इस ग्राम हेतु पम्प एवं टैंक जल योजना स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपने प्रश्न का उत्तर दिया तो बड़ी के गांवों का दिया है, बड़ी के आस-पास के भी मैंने पूछे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदया से प्रश्न पूछा था कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की बड़ी पंचायत, आस-पास के गांवों में पीने के पानी की समस्या का प्रयास किया जा रहा है, यदि हां तो क्या, नहीं तो क्यों ? जवाब में माननीय मंत्री महोदया ने सिर्फ बड़ी पंचायत के गांवों की समस्या के बारे में बताया। वह भी संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि मंत्री महोदया ने ग्राम पंचायत बड़ी के ही गांवों को लिया है, बड़ी पंचायत के आस पास के गांवों को नहीं लिया। केवल बड़ी गांव को ही लिया। जिसकी आबादी 2712 बतायी है, उसमें आपने पम्प एवं टैंक स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन बतायी है जबकि इस योजना में हवालाकलां की जनसंख्या 2011 में 1256 थी और हवाला खुर्द में 1240 की जनसंख्या थी। इस गांव में आज हैण्ड पम्प सूख गये हैं। मात्र एक पनघट के भरोसे ही यह चल रहा है, जिसके लाइट बिल के लिए माननीय प्रभारी मंत्री ने पंचायत को कहा था कि पनघट का बिल पंचायत भरेगी। मगर पंचायत ने यह बिल नहीं भरा और गांव वाले चंदा इकट्ठा करके बिल जमा कराने की योजना बना रहे हैं। नहीं तो ये कनेक्शन कटने के कगार पर हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच वर्षों में कितने ही नये मकान बन गये हैं, नयी जनसंख्या में भी पांच वर्ष में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही मंत्री महोदय को

(श्री फूलसिंह मीणा)

मैं पूछना चाहता हूं कि आज की तारीख में बड़ी ऐसा क्षेत्र है जिसमें 12 महीने हरियाली होती है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। इसमें कई उद्योगपतियों के फार्म हाउस हैं। शहर से ध्वनि, वायु प्रदूषण से हर व्यक्ति परेशान होकर बड़ी क्षेत्र में आकर बसने की इच्छा रखते हैं। लोग यहां आकर निवास करने लग गये हैं। जनसंख्या भी 5 वर्ष में बढ़ गयी है, 1500 की जनसंख्या को पार कर चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आज कि दो-तीन महीने पहले पत्रिका में हवाला गांव की महिलाओं का दूर से माथे पर मटका व चरू, पानी लाते हुए प्रमुखता से फोटो प्रकाशित किया गया था। ऐसा ही नजारा इस क्षेत्र में आये दिन देखने को मिलता है। समय-समय पर मीडिया भी ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे, अख़बार पढ़ रहे हैं ये तो। (व्यवधान)

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अख़बार नहीं पढ़ रहा हूं। हकीकत बता रहा हूं, प्रतिपक्ष के माननीय सचेतक महोदय, वहां की समस्या है। आपने पांच साल में कुछ नहीं किया। वर्षों तक आपने राज किया। हमारे मंत्री महोदय पर हमारे को विश्वास है। क्योंकि आप वहां से सांसद रहे हैं। इनको बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछो, फूलजी, सवाल पूछो।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मंत्री महोदय को मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस गांव में पानी नहीं होने की वजह से अनेक व्यक्ति पाइप लाइन के, जो बड़ी हास्पिटल के अन्दर पाइप है, उसमें अवैध कनेक्शन लेकर, हास्पिटल में भी पानी बराबर नहीं आ पा रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछ लीजिये। मैं जवाब दिलवाता हूं।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैं मंत्री महोदय को यही पूछना चाहता हूं कि आबादी क्षेत्र, जो 2011 में साढ़े बारह सौ की आबादी थी, 1500 में आपने यह कहा था कि यह योजना बनाने जा रहे हैं। (व्यवधान) तो उसमें यह आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। मंत्री महोदय के समझ में आ गया। मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो उन्होंने सवाल पूछा था उस सवाल का बराबर उनको जवाब नहीं मिला। लेकिन उनका सवाल ही केवल बड़ी पंचायत और आस पास, आस पास के गांवों को अगर वे डिफाइन कर देते कि इन-इन गांवों की, तो मैं सबकी बता देती। अगर आपकी अनुमति हो तो इनके पूरे विधान सभा क्षेत्र के 141 गांव हैं, मैं 141 गांवों की ही स्थिति बता सकती हूं। वह भी बड़ी पंचायत के आसपास हो जायेगा। लेकिन सदन का समय व्यर्थ होगा। मैं उनको पूरी कापी दे दूंगी 141 गांव जो हैं, उन 141 गांवों की ही जनसंख्या और उसमें हमने क्या स्कीम लगा रखी है, वह सब दे देंगे।

जहां तक सवाल है कि इनकी बड़ी पंचायत के गांव, जिसकी जनसंख्या, क्योंकि हम 2011 के सेंसस से चलते हैं, इसलिये 2011 में 2712, उपली बड़ी 903, लियो का गुडा 767, लई का गुडा 558, हाथी दड़ा 1048, पालड़ी 1011, कटरा 729, फेरनियों का गुडा 951, लोयेरा 2387, चिकलवास 1839 है। बड़ी पंचायत, लोयेरा और चिकलवास, ये सब जो बड़े गांव हैं उनकी, माननीय अध्यक्षजी, जो हमारी डिपार्टमेंट की योजना है उसमें मैंने, उत्तर में दिया है, 1500 से 4000 तक की आबादी में पी. एण्ड टी. स्कीम करते हैं। जिसमें हम एक टंकी बनाते हैं, एक ट्यूबवैल देते हैं और लाइट का कनेक्शन करके उस टंकी में पानी भरते हैं। चारों तरफ उसके टूटियां रहती हैं। लोग आकर वहां से पानी ले लें।

माननीय सदस्य का जो कहना है कि मुझे तालाब से पानी मिलना चाहिये। तालाब से पानी का एक पाइप डला है जो कि बड़ी का टी.बी. हास्पिटल है। हम लोग फिर से सर्वे करवा रहे हैं कि जो अनधिकृत कनेक्शंस उस लाइन के अन्दर हुए हैं, उनको हटा करके अलग से एक रीजनल स्कीम बनाएंगे। बड़ी तालाब में क्योंकि पानी है, उसी पानी से, सरफेस वाटर से बड़ी को हम लोग जोड़ देंगे। क्योंकि वहां पर ट्यूबवैल्स के अन्दर पानी सूख चुका है। यह बात सही है। लेकिन यह प्रक्रियाधीन है, जैसे ही यह कम्पलीट होता है, पी. एण्ड टी. स्कीम हम इनको देंगे। पी. एण्ड टी. स्कीम के माध्यम से हम बड़ी के अन्दर पानी पहुंचाने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो। बहुत शार्ट में पूछिये। भाषण नहीं। (व्यवधान) शोर्ट में पूछिये आप।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): बस शोर्ट में ही पूछ रहा हूं।

मैं यह कहना चाहता था कि माननीय मंत्री महोदय ने जनसंख्या

(श्री फूलसिंह मीणा)

2011 की बनाई है तो वह दो गांव इस प्रक्रिया में आने वाले हैं। क्योंकि इसमें भी पांच साल गुजर चुके हैं तो इस योजना के साथ में उन गांवों को भी जोड़ने की मंशा रखते हैं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हम जनसंख्या के आधार पर ही जोड़ पायेंगे। अगर वह जनसंख्या होगी, क्योंकि ये पेरीफेरी एरियाज के गांव हैं। पेरीफेरी एरियाज में यू.आई.टी. का एरिया आता है। यू.आई.टी. को डिपोजिट वर्क के अन्दर पैसा देकर इस काम को करवाना है। यू.आई.टी. ही सभी सैंक्शंस देती है ग्राम पंचायतों के अन्दर। सारे पावर्स सीज कर रखे हैं और सब कुछ वे ही देते हैं तो उन्हीं को करना है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इनसे कहा है कि सहभागी योजना के अन्दर डिपार्टमेंट के द्वारा भी हम लोग इसको पी. एण्ड टी. स्कीम में करेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह उदयपुर ग्रामीण का सवाल है। आप इसके अन्दर क्या पूछना चाहते हैं?

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): उदयपुर से जुड़ा हुआ ही है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया ना? इसी से सम्बन्धित, उदयपुर ग्रामीण से सम्बन्धित हो तो आप कीजिये, बाकी नहीं। इधर-उधर नहीं। प्रतापलाल भील से भी कहता हूं कि उनकी कांस्टीट्यूएंसी का नहीं है, विराजो। नैक्स्ट, श्री अशोक।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): नहीं, नहीं। उदयपुर ग्रामीण से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: हां, उदयपुर ग्रामीण से पूछो।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): उदयपुर ग्रामीण को देवास योजना से पानी दिया जा रहा है। लेकिन देवास योजना जब बनी थी माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के टाइम पर, उस समय वल्लभनगर और मावली को पानी देने की बात थी। यह उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर को देने लग गये तो हमारे पानी का क्या हो रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। दुबारा पानी मांग लिया फिर इन्होंने।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अध्यक्ष महोदय, वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है देवास से पानी देने के सन्दर्भ में, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र, पूरा उदयपुर जिला, उसके लिये आपने पूर्व में मुझे लिखित में दिया है, उसको हम लोग दिखवा रहे हैं। किस तरीके से देवास की जब योजना बनी थी तो उस योजना के अन्दर अगर यह पानी का, सभी का उसमें समाहित किया है कि हम पूरे उदयपुर ग्रामीण को इससे पानी देंगे तो इस योजना को हम रिवाइव करेंगे। इसमें क्या हम और एडिशन करेंगे, वह एडिशन करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रताप लाल भील। उदयपुर ग्रामीण से इधर-उधर मत जाना।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): वड़ी तालाब से है। वड़ी तालाब, इसी में मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ग्राम पंचायत है।

श्री अध्यक्ष: बड़ी तालाब, उसका पूछना है।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): नहीं, नहीं। उसी से जुड़ा हुआ है।

लोयेरा थूर और बड़गांव भी बड़ी के अटैचमेंट में है तो आप इनकी भी योजना बनाने की इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, लोयेरा पंचायत जो है उसकी जनसंख्या 2387 है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उदयपुर ग्रामीण का है। नहीं, नहीं। इधर-उधर नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यहीं पर पी. एण्ड टी. स्कीम है, उसके अन्दर कर सकेंगे। लोयरा में, जहां तक मैं समझती हूं, पी. एण्ड टी. स्कीम आलरेडी है। अगर उसमें आग्मेंट करना होगा तो आग्मेंट करने के लिये भी हम लोग विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट, श्री अशोक। श्री अशोक, एब्सेंट।

श्रीमती गीता वर्मा।

सिकराय में गारंटी अवधि की सड़कें

330. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल कितनी सड़कों के डामरीकरण पर कितनी राशि व्यय की गयी? व्यय राशि का सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती गीता वर्मा)

(2) उक्त निर्माणशुदा सड़कों व डामरीकरण सड़कों की गारंटी अवधि क्या है तथा कितनी सड़कें वर्तमान में गारंटी अवधि में आती हैं?

(3) क्या सरकार पापड़दा से मुंडधिस्या वाया श्यालावास, भगलाव से अलूदा, मुंडधिस्या स्कूल से नांगलचांपा वाया श्यालावास जेल तक सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्ष 2014-2015 में कुल 36 कार्यों में से आर.आई.डी.एफ.-20 (नान पेचेबल) योजनान्तर्गत कुल 7 कार्य 12.19 किलोमीटर लम्बाई में राशि रुपये 219.59 लाख के स्वीकृत किये गये। स्वीकृत 7 कार्यों की 11.74 किलोमीटर लम्बाई में पूर्ण कर रुपये 218.17 लाख व्यय किये गये हैं। टी.एफ.सी. योजनान्तर्गत एक कार्य 3.8 किलोमीटर लम्बाई में राशि रुपये 38.00 लाख के स्वीकृत किया गया। स्वीकृत एक कार्य की 3.80 किलोमीटर लम्बाई में पूर्ण कर रुपये 31.99 लाख व्यय किये गये हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कुल 23 कार्य 62.97 किलोमीटर लम्बाई में राशि रुपये 2114.81 लाख के स्वीकृत किये गये। स्वीकृत 23 कार्यों को 58.30 किलोमीटर लम्बाई में पूर्ण कर राशि रुपये 1823.02 लाख व्यय किये गये, आर.आर.एस.एम.पी. योजनान्तर्गत कुल 5 कार्य 5.95 किलोमीटर लम्बाई में राशि रुपये 248.50 लाख के स्वीकृत किये गये, स्वीकृत 5 कार्यों को 5.95 किलोमीटर लम्बाई में पूर्ण कर राशि रुपये 204.32 लाख व्यय किये गये। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में सभी उक्त 36 सड़कें, कुल लम्बाई 79.79 किलोमीटर गारण्टी अवधि में आती हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

36 सड़कों के अतिरिक्त 84 सड़कें, जिनकी लम्बाई 210.16 किलोमीटर की गारण्टी अवधि में आती हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) पापड़दा से मुंडधिस्या वाया श्यालावास सड़क मिसिंग लिंक है, जिसकी लम्बाई 6.00 किलोमीटर तथा अनुमानित निर्माण लागत राशि रुपये 240.00 लाख है। भगलाव (भगलाई) से आलूदा सड़क मिसिंग लिंक है, जिसकी लम्बाई 8.00 किलोमीटर तथा अनुमानित निर्माण लागत राशि रुपये 342.00 लाख है।

मुंडधिस्या स्कूल से नांगलचांपा होते हुए श्यालावास जेल तक सड़क

(श्री युनुस खान)

मिसिंग लिंक है, जिसकी लम्बाई 4.50 किलोमीटर तथा अनुमानित निर्माण लागत राशि रुपये 200.00 लाख है।

उक्त तीनों सड़कों की कुल अनुमानित निर्माण लागत राशि रुपये 782.00 लाख है। वर्तमान में इसकी कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं है। भविष्य में इसका निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: गीताजी, पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि पापड़दा से मुंडधिस्या वाया श्यालावास की दूरी जो इन्होंने बताई है छह किलोमीटर, अगर यह छह किलोमीटर की सड़क बन जाती है तो वहां के लोगों को, जो रहने वाले हैं, उनकी चूंकि, तहसील-नांगल-राजावतान पड़ती है, उनको घूम कर 32 किलोमीटर जाना पड़ता है तो उनको इतना नहीं घूमना पड़ेगा और करीब 15 किलोमीटर की ही दूरी रह जाएगी।

भगलाई से आलूदा की दूरी करीब आज आठ किलोमीटर की है तो उसमें भी उन्हें 27 से 30 किलोमीटर दूरी का फेर लगाना पड़ता है और उनकी खास तौर से समय की और ईंधन की भी बचत होगी इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदयजी से कहना चाहूंगी कि अगर आप यह दोनों सड़कें किसी भी योजना के तहत बना देंगे तो उनको इतना लम्बा फेर नहीं लगाना पड़ेगा। बारिश के दिनों में उनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि खास तौर से जो इमरजेंसी केसेज होते हैं उन इमरजेंसी केसेज को ले जाने में, उनको दौसा हास्पिटल लेकर जाना पड़ता है तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खास तौर से डिलीवरी केसेज जो होते हैं, कभी-कभी तो वह सड़कें इतनी खराब हैं कि रास्ते में ही हो जाती है। इसलिए इन सब मौके की नजाकत को आप समझते हो और वहां की जनता की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आप इन सड़कों को देखें और किसी भी तरीके से आप, हो सकता है तो इन सड़कों को जोड़ें क्योंकि मैंने पिछली बार भी कटौती प्रस्ताव में अपनी यह बात रखी थी लेकिन आपने शायद इस पर गौर नहीं किया इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप किसी भी तरीके से इन सड़कों को जोड़ें और वहां की जनता को राहत पहुंचाइए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिकराय से आने वाली माननीय सदस्या ने जिन सड़कों का जिक्र किया है, विशेष रूप से पापड़दा से मुंडधिस्या, वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सड़कें जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ मिसिंग लिंक्स हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। इनकी अगर इतनी प्रयोरिटी थी, पहले थोड़ा प्रसंज्ञान में आ जाता तो अभी हमने इनकी कुछ मिसिंग लिंक्स निकाली हैं, उस दौरान प्राथमिकता के आधार पर इनको निकाल देते। चूंकि, अब उनके टेंडर हो गये, सब हो गये तो मेरा इतना ही कहना है, आज के विषय पर कि नांगल राजावास को मुंडधिस्या से लिंक करने के लिए इन्होंने छह किलोमीटर सड़क की मांग की है। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2016-2017 के बजट में जो प्रावधान किये हैं, उसमें प्राथमिकता के आधार पर इस सड़क को लेने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा करेंगी? दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय मंत्री महोदयजी, मेरी भगलाई से आलूदा वाली सड़क है आठ किलोमीटर की, आप उस आठ किलोमीटर की सड़क को भी देखिए और उसको भी आप जैसे भी लेना चाहें, किसी भी योजना में लीजिए। खास तौर से वहां के लोगों को क्योंकि आलूदा की तहसील नांगल-राजावतान है, काश्तकार लोग हैं और उनको तहसील में जाना पड़ता है इसलिए आप उसको भी किसी भी योजना के तहत लीजिए और उसे जोड़िए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नांगलचांपा व श्यालावास तक की सड़क का भी सिकराय से आने वाली माननीय सदस्य ने जिक्र किया। यह मैंने नक्शा भी देखा है, इसमें इस नक्शे के अनुसार आपके साथ बैठकर और आपकी आवश्यकता को देखते हुए, वहां की स्थानीय जनता की सुविधा को देखते हुए, लोक हित में कोई न कोई अच्छा निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक। आप थोड़ा लेट हो गये थे, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं।

बूंदी जिले में विकास अधिकारियों के रिक्त पद

329. **श्री अशोक** (हिण्डौली): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अशोक)

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की पंचायत समितियों में विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी पंचायत समिति में कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों पर विकास अधिकारी पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) जी हां। बूंदी जिले की 2 पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पंचायत समिति	कब से रिक्त हैं
1.	हिण्डौली	20.06.2015
2.	नैनवां	26.06.2015

उक्त के अतिरिक्त पंचायत समिति, बूंदी में विभागीय आदेश क्रमांक 1786, दिनांक 20.10.2014 से श्रीमती अभिलाषा शुक्ला का पदस्थापन किया गया है परन्तु श्रीमती शुक्ला द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने से पद दिनांक 22.10.2014 से रिक्त है।

(2) जी हां। विभाग में राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के 54 अधिकारी वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनका पदस्थापन जून माह में प्रशिक्षण उपरांत विभिन्न पंचायत समितियों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 30 पद कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भरे जाने हैं, जिसके लिए समय-समय पर कार्मिक विभाग को पदस्थापन हेतु लिखा जाता रहा है। उपरोक्तानुसार अधिकारी उपलब्ध होते ही विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने का प्रयास किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

श्री अशोक (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने विकास अधिकारी लगाया और जवाब दिया कि विकास अधिकारी ने ज्वाइन नहीं किया तो या तो आप यह बताना चाहते हैं कि आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके मंत्रालय की सुन नहीं रहे हैं और वहां पर विकास का काम ठप पड़ा हुआ है, या तो आपका नियंत्रण उनके ऊपर से हट गया है?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बैठो, जवाब दूं?

श्री अशोक (हिण्डौली): हां। दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बैठो न आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि श्रीमती अभिलाषा शुक्ला, जिनके 20.10.14 को आदेश किये थे उसने कार्यग्रहण नहीं किया है, हमने कार्मिक विभाग को, उसके सस्पैंशन की कार्यवाही कर दी है और हमने 16 की कार्यवाही भी चालू कर दी है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री अशोक (हिण्डौली): बूंदी जिले में 5 पंचायत समिति हैं और 5 में से केवल 2 पंचायत समिति में विकास अधिकारी नहीं हैं, 3 पंचायत समिति में हैं और दोनों पंचायत समिति मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती हैं। एक विधान सभा क्षेत्र ही कांग्रेस पार्टी का है, बाकी दोनों विधान सभा क्षेत्र आपकी रूलिंग पार्टी की हैं तो क्या एक विकास अधिकारी भी इन दो पंचायतों में से नहीं मिल सकता उनको? आप लगातार पिछले डेढ़ साल का रिकार्ड देखिए। दोनों पंचायत समितियां खाली पड़ी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। और बोलना है? विराजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 82 विकास अधिकारियों के पद खाली हैं। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान ग्रामीण सेवा के अधिकारी, आर.आर.डी.एस. आ गये हैं और जून महीने में आपके विकास अधिकारी की पोस्ट भर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया। फिर, भंवरसिंहजी, आप क्या करेंगे? यह तो बूंदी का है। नहीं, बिलकुल नहीं। नैक्स्ट प्रश्न- श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में देवनारायण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

331. **श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में संचालित देवनारायण योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

में कितनी राशि किस-किस जिले में किस-किस कार्य के लिए व्यय की गयी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत जिला अलवर के बानसूर में उक्त अवधि में कितनी राशि का व्यय किस-किस कार्य के लिए किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बानसूर में देवनारायण योजना में सबसे कम राशि व्यय की गयी है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बानसूर में देवनारायण योजना में कार्य स्वीकृत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी) : (1) देवनारायण योजनान्तर्गत किये गये कार्यों एवं व्यय का जिलेवार विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत बानसूर में उक्त अवधि में नवीन कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं किन्तु बानसूर में छात्रावास भवन का निर्माण 96.00 लाख रुपये की लागत से, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण 178.73 लाख रुपये की लागत से तथा सैनिक विश्राम गृह का निर्माण 30.00 लाख रुपये की लागत से पूर्व में ही करवाए जा चुके हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पैकेज में अनुमोदित सभी कार्य स्वीकृत कराये जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न-नम्बर एक।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयजी ने छात्रावास, सैकिण्ड प्रश्न का जो उत्तर दिया है कि छात्रावास भवन निर्माण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्माण, सैनिक विश्राम गृह निर्माण, यह तीनों काम तो हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हो चुके, वहां पर आई.टी.आई. कालेज भी शुरू हो गया था, छात्रावास भी शुरू हो गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि दो वर्षों में कोई एक भी कार्य स्वीकृत हुआ हो तो वह बतायें, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

अनेक माननीय सदस्य: Shame, shame.

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि 2011 में, जब मूल योजना शुरू हुई थी 2008 में तो उस समय केवल पांच जिलों की 13 तहसीलें इसमें थीं, अब सम्पूर्ण राजस्थान में इसका क्षेत्र बढ़ गया है, क्षेत्रफल बढ़ा है पूरा। यह बात सही है कि केवल अलवर में नहीं, आज भी यह सब देखने के बाद भी सात जिले ऐसे हैं जिनमें हम कई चीज देवनारायण योजना की, कुछ योजनाओं को प्रारम्भ नहीं कर पाए। हमारे लिए प्राथमिकता हम तय करेंगे। आपके यहां कुछ चीज मिली है और जहां नहीं मिली है, वह भी जाए और इस बार के पूरे आंकड़े अगर निकालकर देखें तो 2008-2009 से फरवरी, 2016 तक कुल 526.75 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। जिसमें से 301.83 करोड़ रुपये दिसम्बर, 2013 से 2016 के बीच में खर्च हुए हैं। जो सदस्य हमारे अभी Shame, shame कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पांच साल के आपके कालखंड में जो खर्चा हुआ है, दो साल का केवल भारतीय जनता पार्टी शासन का जो इस समय आया है, उसमें 301.83 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं चरणबद्ध तरीके से, मैंने उन सबकी सूची लगायी है और बाकी मैंने सबकी सूचना आपको दी है जिलेवार कि किस-किस जिले में कब-कब हुए हैं, कहां-कहां हुआ है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-दो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया तीसरे का वह तो देखिए। मैंने पूछा-क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बानसूर में देवनारायण योजना की सबसे कम राशि व्यय में की गयी है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें तो उसका छोटा सा उत्तर दिया- 'जी, नहीं।' खतम हो गया, कोई पता ही नहीं है शायद मेरे हिसाब से।

मैं पूछना चाह रही हूं कि आपके 2014-15 में कौन से कार्य हुए हैं कि देवनारायण योजना विधान सभा क्षेत्र में जीरो नम्बर पर है। अभी तो हुआ ही नहीं, आपकी जो लिस्ट है, उसमें देख लीजिये 2014-15 में, आपने सब में शून्य, शून्य लिख रखा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा राजनीतिक द्वेषता के कारण हो रहा है कि एक भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ? देवनारायण गुरुकुल

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

योजना के अन्तर्गत अलवर जिले में कौन-कौन से विद्यालयों को स्वीकृति दी गयी? पूर्ववर्ती सरकार ने तो दी लेकिन अभी जो इसमें आवेदन आए, उनको निरस्त कर दिया गया। जांच के नाम पर निरस्त कर दिया, क्यों कर दिया गया? फिर कर क्या रहे हैं? 2014 वाले बजट में 500 करोड़ की घोषणा की, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 500 करोड़ कहां गया? 2014-15 का कहां पर हुआ है? आपने गिना दिया और यह लिस्ट लग रही है, लेकिन इसमें लास्ट में तो सब में शून्य, शून्य लिखा हुआ है। यह क्यों हुआ है? राजस्थान की भी बता दें कौन-कौनसी जगह हुआ, कहां पर हुआ है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांति रखिए, डिस्टर्ब नहीं करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): और कौन-कौन से कार्य कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप इसमें देखिए प्राथमिक विद्यालय, हैण्डपम्प, स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, महिलाओं हेतु डेयरी, आंगनबाड़ी, पूर्व सैनिकों का विश्राम गृह इतने सारे इसमें काम हैं, करीब 17-18 काम हैं। बालिका महाविद्यालय, यह कहां है? एक भी काम क्यों नहीं हुआ 2014-15 में, अध्यक्ष महोदय, आप बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एनेक्सचर-1, मैंने जो लगाया है, उसमें आया है कि 2013-14 में आवासीय विद्यालय के ऊपर 164.88 लाख रुपये अलवर में और कुल मिलाकर 2014-15 में 3 करोड़ 37 लाख रुपये और 2013-14 में 1 करोड़ 64 लाख रुपये कुल 5.02 करोड़ रुपये 2013-14 से 2014-15, इन दो सालों में अलवर जिले में खर्च हुए हैं। यह योजना केवल बानसूर के लिए नहीं है, सम्पूर्ण राजस्थान के लिए है। इसलिए बानसूर में हमने कुछ चीजें दी हैं और पूरे राजस्थान में जहां पांच जातियां, जिनके लिये इस योजना को देने की बात कही थी वह व्यवस्थित तरीके से कहीं न कहीं कुछ चीजों को दें, उसको लेने की बात करते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शेखावाटी का नाम है क्या कहीं? शेखावाटी का नाम भी है क्या? झुन्झुनूं, चूरू, सीकर का है क्या नाम? दिखाओ न। झुन्झुनूं, चूरू और सीकर का नाम भी नहीं है। है क्या? है क्या चूरू का नाम?

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी बैठिये, वह जवाब दे रहे हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जहां तक इन्होंने गुरुकुल योजना का कहा है, गुरुकुल योजना के ऊपर 500 विद्यार्थियों को प्रवेश देने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये, माननीय सचेतक महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप जरा शांति रखकर सुन तो लो। गुरुकुल योजना की चर्चा बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने की है। योजना की शुरुआत 2011 में थी। 500 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष प्रवेश देने की बात थी। हमने पिछले वर्ष में 800, करीब 300 अतिरिक्त लेकर जिसमें विधवा, परित्यक्ता और बी.पी.एल. महिला, इसलिए 800 विद्यार्थियों को हमने प्रवेश दिया, जो पहले 500 की संख्या थी। विशेष रूप से पिछले साल में 800 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया। इसमें 2011 में जो कुल खर्च हुआ है, वह 70 लाख रुपये है और 446 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं गुरुकुल योजना में। 2012-13 में 3.73 करोड़ रुपये व्यय, 1,086 विद्यार्थी इसमें लाभान्वित हुए, 2013-14 में 8.21 करोड़ रुपये व्यय, इससे 1756 विद्यार्थी लाभान्वित हुए, 2014-15 में 8.65 करोड़ रुपये व्यय, 1873 विद्यार्थी लाभान्वित हुए, 2015-16 में, मार्च, 2015 तक पूरा आने के बाद प्रावधान 9 करोड़ का किया है और इसमें व्यय, 6.62 करोड़ रुपये हो चुका है। मार्च तक आने के बाद पूरी राशि व्यय होने का अनुमान है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, क्या केवल पूर्ववर्ती सरकार के ही कार्य गिनाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह। नो-नो, अब अंकित नहीं हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: जोगारामजी, आप बैठिये। श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्ष में देवनारायण योजना में कितना बजट दिया गया, कितना खर्चा हुआ? इसके

(श्रीमती अलका सिंह)

साथ ही हमारी सरकार ने दो वर्षों में कितना बजट दिया और उसमें से कितना बजट खर्च किया गया?

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने प्रश्न किया कि 2008-09 में योजना शुरू की गयी थी और उसके बाद 2011-12 में 200 करोड़ का एक पैकेज पिछली सरकार ने दिया था। हमारे आने के बाद दिसम्बर में जो बजट आया, उसमें 500 करोड़ का पांच साल का पैकेज दिया। कुल जो खर्चा हुआ, उसकी मैंने चर्चा की 2008-09 से, फरवरी 2016 तक 526.75 करोड़, जिसमें भी 2008-09 में 20 करोड़ रुपये पिछली जो आपकी सरकार थी, उस समय खर्च हो गया था और केवल दिसम्बर, 2013 से फरवरी, 2016 तक 301.83 करोड़, अब इस गणित में तो मैं कमजोर हूं, मेरे प्रतिपक्ष के एक सदस्य मजबूत हैं, वह देख लें कि पांच साल में आपने कितना खर्चा किया और दो साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना किया?

श्री अध्यक्ष: गणित में मजबूत होने की कोशिश कीजिए, कमजोर नहीं। श्री प्रद्युम्न सिंह, पूरक प्रश्न।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने खर्चा नहीं किया। मेरा तो बड़ा साधारण-सा सवाल है, आपका 2014-15 का बजट कितना था इस योजना के अन्तर्गत और 2014-15 में आपने कुल कितना पैसा खर्च किया, यह बता दें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अलग-अलग स्कीम का, मैं केवल इतना कह सकता हूं 500 करोड़ का पैकेज पूरा पांच साल के लिये है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 2014-15 का आपका बजट एलोकेशन कितना था? 2014-15 में आपने कितना खर्च किया और कितना पैसा बचा है? आप तो 2014-15 का बजट बता दीजिये, बजट एलोकेशन कितना था आपका?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2014-15 में प्रावधान था 129.95 करोड़ का और जो व्यय हुआ है वह 120.79 करोड़ है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री मानसिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चौपड़ा कमेटी की सिफारिश के आधार पर शुरूआत में 13 पंचायतों को बढ़ाकर पूरा राजस्थान दायरा किया, उसमें माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एस.बी.सी. बहुल लगभग 54 विधान सभा क्षेत्रों की क्या कोई चरणबद्ध तरीके से विकास की योजना सरकार ने बनायी है? यदि बनायी है तो वह क्या है? नहीं है तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, सभी पंचायतों के बारे में ऐसी कोई चरणबद्ध योजना अभी नहीं है। लेकिन चाहते हैं कि एक बार पूरा जब 2011-12 में सम्पूर्ण राजस्थान में किया, उससे पहले की तहसीलों में जो हुआ है, एक बार जहां-जहां जिनकी आवश्यकता पहले है, जिन-जिन स्कीम्स को हम देते हैं तो पहले उन जगहों पर दे दें जहां कोई भी चीज नहीं दी, इसको प्राथमिकता में देने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री जगदीश नारायण।

जमवारामगढ़ में नवीन गैस एजेन्सी खोलने की योजना

332. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गैस एजेंसी लगाने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित है? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में एक ही गैस एजेंसी संचालित है? यदि हां, तो कब से एवं उसके कितने उपभोक्ता वर्तमान में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में तहसील मुख्यालय जमवारामगढ, उप तहसील आंधी, ग्राम पंचायत नायला में वर्तमान में एक भी गैस एजेंसी संचालित नहीं है? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में घरेलू गैस सिलेण्डर की आपूर्ति किस प्रकार की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जनहित में उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त कस्बों में नई गैस एजेंसियां खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1)

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई गैस एजेन्सी के लिए वर्तमान में प्रचलित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में दो गैस एजेन्सी संचालित हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं	एजेन्सी का नाम	कम्पनी	शुरू होने की दिनांक	ग्राहक संख्या
1.	भानपुर गैस सर्विस, भानपुर कलां	आई.ओ.सी.	27.10.2001	13200
2.	राघव जानकी जीवन इण्डेन ग्रामीण, आंधी	आई.ओ.सी.	25.07.2012	5465

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उप तहसील आंधी में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि. की राघव जानकी जीवन इण्डेन ग्रामीण वितरक, आंधी संचालित है। साथ ही उक्त ग्रामों में आमेर, बस्सी, कानोता एवं दौसा की समीपस्थ गैस एजेन्सियों से गैस आपूर्ति की जाती है।

(4) भारत सरकार के पत्र पर राज्य सरकार ने सभी जिलों से नई सम्भावित गैस एजेन्सियों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। हालांकि पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई गैस एजेन्सी के विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करने पर फिलहाल रोक लगा रखी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के दिये जवाब के अनुसार भारत सरकार के पत्र पर राज्य सरकार द्वारा कब-कब गैस एजेन्सी हेतु प्रस्ताव मांगे गये और क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड कार्यालय जमवारामगढ़, नायला, टोडामीणा, रायसर और चावंडिया में नई गैस एजेन्सियां खोलने के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाने का विचार रखती है? अगर भिजवाना चाहते हैं तो कब तक भिजवा दिए जाएंगे? मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 दिसम्बर, 2015 को केन्द्र सरकार द्वारा एक पत्र आया कि जहां-जहां गैस एजेंसियों की आवश्यकता है उनकी सभी जिला कलक्टर महोदयों से रिपोर्ट मांग ली जाए। हमने 09.02.2016 को सभी जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारी को, उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि आप अपने जिले में ऐसे स्थानों पर नई गैस एजेंसी खोलने जाने के प्रस्ताव विभाग को शीघ्र भिजवाएं, सुनिश्चित करें जहां गैस एजेंसी स्थापित किया जाना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद हमने दो रिमाइन्डर सभी जिला कलक्टर को भेजे हैं, जैसे ही रिपोर्ट, राजस्थान भर के सभी गैस एजेंसीज की आवश्यकता होगी, सब्मिट करके भेज दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जनम दिन पर बहुत-बहुत बधाई और मैं माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट हूं इसलिए इनको भी बहुत-बहुत बधाई।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो गैस एजेंसियां हैं, उनके संचालन के लिए, उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए नियम बने हुए हैं लेकिन ये गैस एजेंसियां नियमों की पालना नहीं करती हैं और नतीजा यह होता है कि जनता को, उपभोक्ताओं को परेशानी होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सीकर में कुछ दिन पहले गैस एजेंसियों के नियमों के पालना नहीं करने पर उनको रोक दिया गया था, रोक दिया गया और उसके तीन दिन बाद में यहां से किसने आदेश किये, मौखिक किये, लिखित किये, वापस वो गैस एजेंसियां वैसे ही चल रही हैं। और जो नियम था कि आबादी एरिया में इतनी दूरी पर उनका गोदाम नहीं होना चाहिए था, वो नियम यथावत् हैं, उनकी पालना नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी आपका विभाग उन गैस एजेंसियों पर जान-बूझकर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इसका कारण स्पष्ट करें कि आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं और कब तक कार्यवाही करेंगे? सदन को बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो जमवारामगढ़ से सम्बन्धित है लेकिन मैं आपको, सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे यहां पर गैस एजेंसियों के विरुद्ध हम कार्यवाही भी करते हैं और जांच भी करते हैं। मैं जयपुर जिले की बता सकता हूं, सीकर की आपने अभी बतायी है। जयपुर शहर में दो साल में 59 अनियमितता पायी गयीं जिनमें 35 का निस्तारण किया गया, 24 अभी विचाराधीन हैं। जयपुर ग्रामीण में 23 अनियमितता पायी गयीं, 9 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया, 14 विचाराधीन हैं।

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और भी अगर किसी गैस एजेंसी की अनियमितता की शिकायत करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी जांच करायेंगे और उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे और ई.सी. एक्ट में भी कार्यवाही करने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बंद करने के बाद में वापस वितरण चालू कर दिया, उसका क्या कारण है? तीन ही दिन में वापस चालू कर दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय डोटासरा साहब, आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलाओ।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आ गया जितना जवाब उनको देना था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां दिया है?

श्री अध्यक्ष: नहीं। श्री निर्मल कुमावत। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां से फोन करके कह दिया, वापस काम चालू करा दो।

श्री अध्यक्ष: आप चाहो जैसा जवाब नहीं आयेगा, बैठो आप। श्री निर्मल कुमावत।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से अब जानकारी दी है। अगर इस तरह की कोई जानकारी मेरे को दोगे तो निश्चित रूप से कार्यवाही कराऊंगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि प्रश्न के प्रथम खण्ड में आपने जो जवाब दिया है मानदण्ड पूरा करने के बाद, सरकार की पूरी प्रक्रिया होने के बाद, गैस एजेंसी खुलने के बाद, अलाट होने के बाद जमीन के वाद-विवाद की वजह से कोई एजेंसी नहीं खुल पाती है, दो-दो, तीन-तीन साल हो जाते हैं। उसके बाद राजस्थान सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप है या अगली दुबारा लॉटरी निकले या किसी का नया आवेदन हो, उसकी क्या प्रक्रिया है? सैंक्शन होने के बाद दो-दो साल तक अगर एजेंसी नहीं खुले।

श्री अध्यक्ष: बैठो।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मेरे फुलेरा और किशनगढ़-रेनवाल का एक ही मुद्दा है, जमीन के विवाद की वजह से नहीं खुली, दो-दो, तीन-तीन साल से सैंक्शन है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): इसमें सरकार अपनी क्या भूमिका निभा सकती है? यह मुझे आगे की प्रक्रिया बताएं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गैस एजेंसी अलाटमेंट करना पैट्रोलियम मंत्रालय का काम है। उसके बाद लाइसेंस आथोरिटी, उसकी जांच करना, उसकी मानीटरिंग करने का कार्य रसद विभाग का है लेकिन माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर बारह ऐसे प्रकरण हैं जिनमें हमको छूट देने का प्रावधान है। हमने नौ के अन्दर एक साल की छूट दी है, किसी तरह से भूमि रूपान्तरण नहीं हुआ, तो नियमों में एक साल छूट दी है। और तीन ऐसे प्रकरण हैं जो कि ईको जोन में हैं, रूपान्तरण हो नहीं सकता, उनके लिए हमने मना किया है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री संदीप शर्मा। नहीं, बैठिये। नहीं, नहीं, हो गया। (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): आगे की प्रक्रिया हो न। एजेंसी कब खुलेगी, यह बता दें आप आगे की प्रक्रिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप चाहोगे जैसा जवाब नहीं आयेगा, बैठो। श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि कितने घरेलू कनेक्शनों पर गैस

(श्री संदीप शर्मा)

एजेंसी देने का प्रावधान है तथा नई गैस एजेंसी खोलने के लिए सरकार ने कोई समिति गठित की है? यदि हां, तो इसमें कितने सदस्य हैं तथा किस स्तर के सदस्य हैं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं बताता हूं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): एक सैकिण्ड, साहब।

क्या राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाइप लाइन द्वारा उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने का कोई विचार रखती है? यदि हां, तो अभी तक इसमें क्या प्रगति हुई?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जानना चाहा, मैं कह रहा हूं कि गैस एजेंसी खोलना केन्द्र सरकार का कार्य क्षेत्र है। हमें केन्द्र सरकार ने पत्र लिखा कि जहां-जहां गैस एजेंसी की आवश्यकता है वहां पर जानकारी उपलब्ध कराएं। मैंने सभी जिला कलक्टरों को और जिला रसद अधिकारियों को पूरे राजस्थान में जहां-जहां गैस एजेंसी खुलने के मापदण्ड हैं, वहां की जानकारी चाही है।

उसके बावजूद गैस एजेंसी चयन का आधार जो पूछ रहे हैं, नई गैस एजेंसी स्वीकार करने हेतु उस स्थान, उस जगह पर विक्रय सम्भावना के आधार पर चिह्नित किया जाता है जो कि नई गैस एजेंसी के संचालन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना सके। विक्रय सम्भावना विभिन्न कारकों, जैसे जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, स्थान की आर्थिक समृद्धि एवं निकटता, गैस एजेंसी की दूरी के आधार पर मापा जाता है।

दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि गैस सप्लाई पाइप लाइन से, इसकी हम कोई समीक्षात्मक बात रखेंगे, अभी कोई विचार नहीं है, अगर आवश्यकता हुई तो हम अपनी कमेटी बनाकर के उस पर विचार करने की बात रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रमेश।

प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन पर व्यय राशि

333. **श्री रमेश** (सपोटरा):- क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रमेश)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में कितने कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने केन्द्र स्वयं के भवन में एवं कितने किराये के भवनों में संचालित हैं एवं प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के अतिरिक्त क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?

(3) उक्त केन्द्रों के संचालन पर प्रति माह कितना व्यय किया जा रहा है? गत एक वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त केन्द्रों पर प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है? यदि हां, तो किस-किस विशेषज्ञ को किस-किस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए एवं इन पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कितने व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार प्राप्त किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (1) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता निजी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न योजनान्तर्गत वर्तमान में 266 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। संचालित कौशल विकास केन्द्रों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कौशल विकास केन्द्रों को स्थापित करने का दायित्व पूर्णतया प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का है। वर्तमान में निगम कौशल प्रशिक्षण विकास केन्द्र की स्थापना हेतु स्वयं का अथवा कोई सरकारी भवन उपलब्ध नहीं कराता है। निगम द्वारा राज्य निधि से पोषित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के आवासीय श्रेणी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं को आवास एवं भोजन की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाती है। केन्द्रीय निधि द्वारा पोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में प्रशिक्षुओं को आवासीय प्रशिक्षण के दौरान नि:शुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था तथा गैर आवासीय प्रशिक्षण में प्रति दिन घर से आने-जाने का किराया दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों को नि:शुल्क यूनिफार्म, एक बारीय यात्रा किराया, जिसमें प्रथम नियोजन स्थान तक का किराया भी शामिल है तथा प्रशिक्षण सामग्री, पुस्तकें नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

(3) कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन पर प्रति माह व्यय स्वयं प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा ही किया जाता है। प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को केन्द्रों के संचालन हेतु निगम द्वारा संचालित योजनानुसार निर्धारित दर पर विभिन्न चरणों में भुगतान किया जाता है।

निगम द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण प्रदाताओं को निम्नानुसार भुगतान किया जाता है:-

1. रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP): इस योजना के अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) में प्रशिक्षण हेतु 23 रुपये प्रति युवा प्रति घंटा एवं अन्य सभी सेवा क्षेत्रों (Service Sector) में रुपये 20 प्रति युवा प्रति घंटा देय है। इसके अतिरिक्त 120 रुपये आवासीय सुविधा हेतु प्रति युवा प्रति दिन देय है।
2. नियमित कौशल प्रशिक्षण योजना (RSTP): इस योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के युवाओं हेतु 14 रुपये प्रति युवा प्रति घंटा एवं विशेष योग्यजन हेतु 30 रुपये प्रति युवा प्रति घंटा देय है। इसके अतिरिक्त 120 रुपये आवासीय सुविधा हेतु प्रति युवा प्रति दिन देय है।
3. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY): केन्द्र निधि द्वारा पोषित इस योजना में तीन महीने के कोर्स हेतु 13,669 रुपये प्रति युवा, इसके अतिरिक्त 17,000 रुपये प्रति युवा आने-जाने का किराया, नि:शुल्क आवास, वेश भूषा, पदस्थापन समर्थन इत्यादि मद हेतु भुगतान देय है।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आपके प्रश्न का वो दे रहे हैं, ठीक दे रहे हैं, आप सुनिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): 4. कौशल विकास पहल योजना (SDIS): शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित इस योजना के अन्तर्गत श्रेणी 'ए' में 30 रुपये प्रति युवा प्रति घंटा तथा श्रेणी 'बी' में 25 रुपये प्रति युवा प्रति घंटा की दर से देय है।

गत एक वर्ष का ELSTP व RSTP योजना का व्यय-विवरण परिशिष्ट 'ब-1' पर संलग्न है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों को अनुमोदित लक्ष्य की 25 प्रतिशत राशि अग्रिम दी जाती है। उक्त राशि का आबंटन जिलेवार नहीं

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों को किये गये अग्रिम भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'ब-2' पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, शांत रहें। पूरा जवाब दे रहे हैं। पूरक प्रश्न के लिए कोई सामग्री नहीं छोड़ेंगे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): (4) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम का कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदाता संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण हेतु शिक्षक/विशेषज्ञ के चयन एवं उनके वेतन का पूर्ण दायित्व प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का है। निगम द्वारा प्रशिक्षण हेतु पृथक से कोई विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। निगम द्वारा प्रशिक्षकों एवं विशेषज्ञों के लिये पृथक से भुगतान नहीं किया जाता है।

(5) निगम की नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) योजनान्तर्गत प्रशिक्षण पश्चात युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यकम (RSTP) योजनान्तर्गत 13.12.2013 से 31.01.2016 तक स्वरोजगार के अवसर प्राप्त युवाओं का विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के कौशल को देखकर अब सदन में पूरक प्रश्न पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी वह साहस कर रहे हैं कुछ प्रश्न करने की तो करने दीजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 2 वर्ष में जो इन्होंने रोजगार देने की बात कही है, वह भी संख्या 1406 दी हुई है। एक तो मंत्रीजी यह बतायें कि इनका ईपीएफ और ईएसआई का कितना पैसा काटा गया? कितने लोगों का, साथ में? इन संस्थाओं को चुनने के क्या मापदंड हैं? प्रतिदिन कितने घंटे प्रशिक्षण दिया जाता है और कितने लोगों को अब तक प्रशिक्षण दिया गया? जो आपने

(श्री रमेश)

रोजगार देने की बात कही है 1406, उस पर आपने अभी तक व्यय किया है 59.38 करोड़ रुपये, आप कह रहे हैं कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो यह भी बतायें कि आप कैसे देंगे और इनके निरीक्षण की क्या व्यवस्था है आपके पास में? इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है मेरा।

श्री अध्यक्ष: बड़ा लम्बा कर दिया आपने।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, यह क्वेश्चन नहीं है। आपने बहुत ढिंढोरे पीटे थे कि हम विकास कौशल केन्द्र की स्थापना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: शांत, शांत। कृपया शांत रहें ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): राजस्थान सरकार क्या कर रही है विकास कौशल केन्द्र ...(व्यवधान) इस बारे में बतायें मंत्रीजी मुझे और कितने लोगों का ईपीएफ और ईएसआई का पैसा काटा गया है, यह बतायें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो यह पूछा गया है कि ईपीएफ और ईएसआई इसमें कितने लोगों का पैसा कटा है? इस 2 साल में 1.12.2013 से 10.12.2015 तक 4 लाख 74 हजार 514 लोगों का जीपीएफ और ईएसआई कटा है। इसका मतलब यह है कि 4 लाख 74 हजार 514 नौजवान कहीं न कहीं नौकरी में लगे हैं। इसका मतलब यह है।

श्री रमेश (सपोटरा): रोजगार 1406 लोगों का बताया है मंत्रीजी ...(व्यवधान) 1406 लोगों का बताया है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): मैं सारी बात बता दूंगा, सारी बात ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, जवाब मिल गया ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इससे अच्छा जवाब नहीं मिल सकता। बैठ जाइये ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): प्रतिदिन 4 से 8 घंटे प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया हुआ है। नम्बर दो, रोजगार के अलग-अलग हैं। हमारे यहां बहुत सी स्कीमें हैं। इसमें ईएलएसटीपी है, एसडीआई है, आरएसटीपी है, डीडीजीकेवाई है, यह सारी अलग-अलग हैं। किसी में 25 रुपये घंटा है तो किसी में 20 रुपये घंटा है। जैसे डीडीजीकेवाई है, इसके अन्दर आने-

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

जाने के लिए किराया देते हैं। जैसे हमारी ईएलएसटीपी और आरएसएलडीसी की स्कीमें हैं, इसके अन्दर हमारे हॉस्टल की भी व्यवस्था है। अलग-अलग स्कीम में अलग-अलग मापदंड तय किये हुए हैं। उसके हिसाब से जितने घंटे कोई प्रशिक्षण देता है, उसके हिसाब से उसको पेमेंट होता है।

अब रहा रोजगार का सवाल, आप लोग माननीय मुख्यमंत्रीजी ने 15 लाख रोजगार देने का, रोजगार लायक बनाने का वादा किया है, उसकी स्थिति से ज्यादा चिंतित रहते हो। उसके सम्बन्ध में मैं आपको बता देता हूं कि आज तक 80 हजार लोगों को गवर्नमेंट सैक्टर की जाब दे चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेने लायक क्या बनाया है? जिसके दो हाथ और दो पैर दिये हैं, वह सारे रोजगार लेने वाले हैं। आपने कहा था कि हम रोजगार नौकरी में दे देंगे। नौकरी बताओ ना मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप सुनो तो सही, सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 15 लाख नौकरियों में से कितनी नौकरी दीं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 15 लाख नौकरी देने की बात हुई थी और सरे आम ढिंढोरा पीटा था कि 15 लाख व्यक्तियों को नौकरी देंगे ...(व्यवधान) लायक क्या होता है? लायक क्या बनाओगे?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): एक मिनट, सुनिये आप ...(व्यवधान) एक मिनट, सुनिये ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): लायक क्या, हाथ-पैर हैं उनके ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): सुनिये, अध्यक्ष महोदय, 2003 से 2008 तक हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारा पहले राज था, आरमोल की स्थापना की और आपने उस आरमोल को बंद कर दिया और 5 साल तक एक कौड़ी नहीं दी। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री जी ने आरमोल को ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मैं यह सवाल का जवाब पूछ रहा हूं कि ...(व्यवधान) ईपीएफ काटा है, वह कितने लोगों को, 2

(श्री रमेश)

साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है उस सवाल का जवाब दो ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): अब सुन तो लो ...(व्यवधान) आप सुनो ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब तो मंत्रीजी देना ही नहीं चाहते ...(व्यवधान) इन्होंने कहा कि 4 लाख 74 हजार ...(व्यवधान) सवाल का जवाब तो दें ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): हम आज तक 4 लाख 25 हजार नौजवानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। 1 लाख 29 हजार 348 को सैल्फ एम्पाल्यमेंट हम दे चुके हैं। कुल मिलाकर ...(व्यवधान) 6 लाख 15 हजार 361 लोगों को अब तक रोजगार करने लायक हमने बना दिया है ...(व्यवधान) केवल 6 लाख 15 हजार 361 को ट्रेनिंग के अलावा आप सबने सुना है कि राजस्थान स्किल डवलपमेंट में इस बार गोल्डन ट्राफी लेकर आया है ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, हम जो चाह रहे हैं उसका जवाब दिलवायें ...(व्यवधान) इन 2 वर्ष में 2013 के बाद में कितने लोगों को रोजगार दिया ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): डीडीजीकेवाई में राजस्थान बना है ...(व्यवधान) हमें दिया है ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): सवाल का जवाब तो दिया नहीं और पता नहीं कौनसी कहानी गा रहे हैं ...(व्यवधान) गंगानगर की गा रहे हैं कि कहां की गा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): यह रोजगार के ही सारे अवसर हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते ...(व्यवधान) देखिये, आईटीआई, एंटरप्रिन्योरशिप, उसके अन्दर देश में सबसे श्रेष्ठ आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई को प्राइज मिला है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 15 लाख रोजगार का क्या हुआ ...(व्यवधान) 15 लाख रोजगार का क्या हुआ? बात तो यह है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): 15 लाख का बता रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): आप सुनो तो सही, वही तो बता रहे हैं। 15 लाख का हिसाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उसके बाद धोखा क्यों दिया? युवा रोते रहेंगे रोडों पर ...(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): 15 लाख का हिसाब दे रहे हैं। वही तो बता रहे हैं। आप सुनें ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): लाइफ बना दी, क्या लाइफ बना दी? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): 6 लाख 15 हजार 361 लोगों को रोजगार करने लायक बना दिया हमने और 80 हजार को हमने गवर्नमेंट जाब दे दी है ...(व्यवधान) 4 लाख 25 हजार को ट्रेनिंग दे दी है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): लायक बनाया है, वह फिर कुए में गिरें, खड्डे में गिरें या कहीं भी जायें ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके मार्फत मंत्रीजी से यह भी पूछा था कि कौशल विकास केन्द्रों के कितने निरीक्षण इन 2 सालों में किये हैं। निरीक्षण ही नहीं बताये कि हमारे निरीक्षण कितने हुए हैं ...(व्यवधान) ऑडिटिंग की क्या व्यवस्था है, इसकी गुणवत्ता सही है कि नहीं है? विकास केन्द्रों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मंत्रीजी ने यह भी नहीं बताया कि ...(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): आप सुनो तो सही ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): स्किल डवलपमेंट में आपने क्या स्थिति पैदा की ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का ...(व्यवधान) जवाब नहीं दे पा रहे हो आप। आप गंगानगर की या हनुमानगढ़ की कौनसी कहानी पढ़ रहे हो ...(व्यवधान) सवाल का जवाब दो हमें ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): हमने अपने 2 साल के समय में 6 लाख 15 हजार 361 स्किल्ड डवलपमेंट के अन्दर रोजगार करने लायक बना दिया है हमारे नौजवानों को और 80 हजार को हमने गवर्नमेंट जाब दे दी है ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ये तालियां बजाने से क्या होगा ...(व्यवधान) कितने लोगों को रोजगार दिया ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): इनका जवाब सुनिये पहले ...(व्यवधान) आदरणीय रमेशजी, बैठिये, पहले मंत्रीजी का जवाब सुनिये। पूरा जवाब आ जाने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य मोहनलालजी गुप्ता दोनों हाथों से तालियां बजा रहे हैं, यह अनुमति किसने दी? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): डोटासरा जी, आपको नहीं बोलने ...(व्यवधान) डोटासरा जी, आप विराजिये ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य दोनों हाथों से तालियां बजा रहे हैं, यह अनुमति किसने दी? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप मंत्रीजी का जवाब सुनिये, मंत्रीजी का जवाब सुनिये पहले ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 12 बज गये हैं। अब 12 बज गये हैं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी-ऐसी हिस्ट्री हमारे पास हैं जो अनपढ़ बच्चे थे, आज 50-50 हजार रुपया कमाने लग गये हैं ...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने आपसे कहा था कि प्रश्नकाल के बाद आपको मौका दूंगा, आप कहिए।

शून्य काल

राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं सरकार से कि जिस तरीके से राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, मेरे चाचाजी की गाड़ी, दिनांक 27 फरवरी को लूणकरणसर से बीकानेर आ रहे थे। मैं निवेदन कर दूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे दूं, उसके बाद आप बोलेंगे कि पहले बोलेंगे?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पहले, पहले, पहले। ... (व्यवधान) अभी बस एक मिनट में बोल दूंगा।

श्री अध्यक्ष: या नहीं बोलना चाहते? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहले व्यवस्था फरमाएं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने ही अलाउ किया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 27 फरवरी को लूणकरणसर से बीकानेर आ रहे थे। गैंगवार का ऐसा पूरे राजस्थान में जाल फैला रखा है और उन्होंने रिवाल्वर दिखाकर फोर्च्यूनर गाड़ी छीन ली। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने पहले भी विधान सभा में यह बात रखी और वह कनपटी पर रिवाल्वर दिखाकर गाड़ी लेकर चले गए, 27 फरवरी को माननीय अध्यक्ष महोदय। कल जो घटना हुई नागौर के अन्दर वह बेरीकेडिंग तोड़ते हुए आए, पूरा गैंगवार, पूरे राजस्थान में अपना जाल फैला रखा है। राजस्थान में कानून व्यवस्था बिलकुल चौपट हो गयी है और वे तीन-तीन, चार-चार बेरीकेडिंग तोड़ते हुए, नागौर के अन्दर एक पुलिसवाला भी शहीद हुआ है उन्होंने उनका पीछा किया। एक हास्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए उसका इलाज चल रहा है और जयपुर के अन्दर आने के बाद उसको पकड़ा गया, गाड़ी वहां नागौर के अन्दर पकड़ी गयी, वही गाड़ी जो वो मेरे चाचाजी से छीनकर ले गए थे। ऐसे गैंगवार राजस्थान के अन्दर पनप रहे हैं, पीछे विधान सभा में बार-बार यह प्रकरण चला। राजस्थान के गृह मंत्री खुद यह कह रहे हैं कि मैं आनंदपाल हूं तो इससे फेल बात और क्या होगी? मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि आज राजस्थान में गृह मंत्री बिलकुल जीरो है और कानून व्यवस्था पर बिलकुल उनका अंकुश नहीं।

तो मैं मान्यवर आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसके बारे में सरकार वक्तव्य दे और राजस्थान के अन्दर गैंगवार की घटनाएं, आनंदपाल भाग गया, आज सात महीने से ऊपर लग गया, उसका कहीं कोई सुराग नहीं। आनंदपाल यहीं राजस्थान में है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी गैंगवार के बाकी सदस्य यहीं राजस्थान के अन्दर हैं और पुलिस बिलकुल कुछ नहीं कर रही। (व्यवधान) पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है। मैं निवेदन

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

करना चाह रहा हूं कि सरकार का अंकुश पुलिस प्रशासन पर बिलकुल भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। आपके दो मिनट हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं गृह मंत्रीजी से, इस बारे में आप जवाब दें। सरकार को जवाब देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: आपको जवाब दिलवाएंगे, आप विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज कोई सुरक्षित नहीं प्रदेश के अन्दर, आम आदमी अपने आपको सुरक्षित नहीं कर रहा माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपको जवाब दिलवाऊंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे।

श्री अध्यक्ष: प्रद्युम्न सिंहजी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो सिर्फ इतना उस वक्त कहना चाहता था कि दो मिनट में अपनी बात कह लेते नेता प्रतिपक्ष लेकिन शोर मचाकर उनकी बात को दबा दिया गया। आपने जो आदेश दिया कि जीरो आवर में, प्रश्नकाल समाप्त होते ही मैं देऊंगा। आपने बोलने की इजाजत दे दी, इतनी ही बात थी, कोई और बात नहीं थी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। (व्यवधान) आप रेस्पोंड करेंगे? बैठो आप, प्रतिपक्ष के नेता ने पूरा रख दिया है। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बात को सदन में रखा, ऐसा लगता है कि पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। अगर पुलिस कर ही नहीं रही तो यह शंकर जो 2005 से वांटेड है जिस पर अभी मेरे पास जो सूची है उसमें 7 मुकदमे इस पर हैं। 2005 का 61/05 थाना रींगस का है, 2006 का राणोली का है, 2007 का लाडनूं नागौर का है, 2014 का बीछवाल, बीकानेर का है, 2011 का गंगाशहर, बीकानेर का है, 2014 का गांधीनगर, जयपुर का है और 2016 का थाना सीकर का है। एक नामी अपराधी को पकड़ लिया उसकी शाबासी तो देने वाला इस सदन में पुलिस को कोई उपलब्ध है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): काहे की शाबासी ले रहे हो? 200 किलोमीटर यहां से वह दूर चला गया, अपराधी भाग करके, इसके लिए शाबासी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): धैर्य से सुनो।

श्री रमेश (सपोटरा): एक आदमी हमारा मरवा दिया और शाबासी दे रहे हो कि एक आदमी पकड़ लिया, यह क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता को जब बोलने का मौका दिया तो शांति से सबको कहा है कि सब सुनें। देखिए, यहां आप चाहो जैसा जवाब नहीं आएगा। सरकार अपने हिसाब से जवाब देगी और यदि किसी को यह गलतफहमी हो तो यह सही नहीं है, ठीक नहीं है तो दूसरे तरीके हैं। आपके हिसाब से जवाब नहीं आएगा। प्रतिपक्ष के नेता ने समय मांगा, मैंने दिया और गृह मंत्रीजी उसका रेस्पोंड करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जितना आपने शांति से इनको सुना उतना ही आप गृह मंत्रीजी को सुनिए, बीच में कोई खड़ा नहीं होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो कुछ भी कर सका आपके सामने रख रहा हूं, जहां कहीं भी चूक हुई है उसको आपके सामने रख रहा हूं। कल की घटना को मैं विस्तृत रूप से आपके सम्मुख रख रहा हूं। मैं सोचता हूं इसके बाद ही आप निर्णय करना कि वास्तव में पुलिस ने कोई एक्शन किया कि नहीं किया। उसमें कोई कमी रही है तो उसके बारे में आप चर्चा करें मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आप में से प्रत्येक के प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में हूं। मैं इसमें इतना कमजोर नहीं हूं कि आपकी आवाज से डरकर बैठ जाऊंगा क्योंकि मैंने डरकर बैठना जिंदगी में सीखा ही नहीं कभी। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं।

कल 21 तारीख को हमारी एसओजी को इस बात की सूचना थी और एसओजी की सूचना के आधार पर यह लगा कि यह कुख्यात अपराधी अपने साथियों के साथ जयपुर में घुसा है इसलिए जयपुर में विभिन्न स्थानों पर हमारी पुलिस को चौकस किया कि यह जयपुर में कहीं भी कोई वारदात कर सकता है और इस कारण से मानसरोवर में जो थड़ी मार्केट है वहां हमारी पुलिस ने इसको देखा और वहीं इसको दबोच लिया। इसके साथ एक गाड़ी और थी जिस गाड़ी में कुछ लोग और थे। उससे जब पूछताछ की तो उसने कहा कि मेरे और तीन साथी हैं, उन तीन साथियों का भी अपनी तरफ से नाम बताया, एक तो गोल्डी, निवासी आगरा, एक हरेन्द्र यादव, निवासी ग्वालियर, एक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रोहित उर्फ फौजी, निवासी हरियाणा, ये तीन लोग और हैं, ये फोर्च्यूनर वाहन में सवार होकर अपराध करने की नीयत से आये थे। पूछताछ में अपराधी ने बताया कि फोर्च्युनर में उनके पास एके 47, तीन पिस्टल और काफी मात्रा में कारतूस है। यह जब शंकर से पूछा तो पुलिस को जानकारी मिली। उसी के साथ पुलिस ने नाकाबंदी के लिए डीजी ने सारा आदेश दिया कि इस प्रकार का अपराधी जो फोर्च्युनर में निकला है उसको आप नाकाबंदी करके रोकने का प्रयत्न करें और उसी नाकाबंदी में ही यह जो घटनाक्रम हुआ है उसमें हमारा एक कांस्टेबल मौत का शिकार हुआ है वह उसी घटनाक्रम का ही एक पार्ट था।

मैं सोचता हूं कि 21.3.16 को 3 बजकर 23 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था द्वारा निर्देश दिए गये सफेद रंग की फोर्च्युन गाड़ी, आरजे 14 यूसी 2107 और उसके तीन व्यक्तियों के पास एके-47 जैसे हथियार हैं, जो कहीं भी जा सकते हैं, ए श्रेणी की नाकाबंदी करें। उक्त पर सम्पूर्ण जिले में नाकाबंदी कराई गयी। थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली नागौर मय जाब्ता हथियार सहित बीकानेर रोड, डीडवाना बाईपास पर नाकाबंदी कर रहे थे। लगभग 6.30 पीएम पर एक सफेद रंग की फोर्च्यूनर गाड़ी आरजे 14 यूसी 6325, आगे पीछे प्लेट के ऊपर लाल रंग की धारी लगी हुई थी। गाड़ी के काले शीशे होने पर, डीडवाना बाईपास की तरफ से आ रही थी, थानाधिकारी, कोतवाली, नागौर ने रोकने का इशारा किया तो वाहन चालक गाड़ी को थोड़ी धीमी कर अचानक वाहन को तेज गति से बीकानेर की तरफ लेकर भागे। थानाधिकारी, कोतवाली नागौर मय जाब्ता के पीछा करने लगे एवं कंट्रोल रूम नागौर को भी थानाधिकारी, श्रीबालाजी पर सख्त नाकाबंदी करने, उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के लिए बताया। थानाधिकारी, कोतवाली नागौर गाड़ी का पीछा करते-करते गोगलाव गांव में घुसने तक गाड़ी नजर आ रही थी। उसके बाद गाड़ी का फासला अधिक हो गया। बालाजी तक पीछा किया मगर कोई पता नहीं चला। बालाजी थाने के वायरलैस आपरेटर ने बताया कि गाड़ी छीला गांव में सवंडी पीपासर की तरफ जा रही है। तब नागौर से यह जो हमारी क्यूआर टीम होती है, को भी बालाजी की तरफ रवाना किया। नागौर से रवाना होकर अलाय के पास क्यूआरटी पहुंची तो क्यूआरटी की गाड़ी के सामने बालाजी, नागौर की तरफ उक्त फोर्च्यूनर गाड़ी आती हुई नजर आयी। पुलिस की गाड़ी को देखकर फोर्च्युनर गाड़ी अलाय गांव के अन्दर से होते कालड़ी की तरफ निकल गयी। क्यूआरटी उस गाड़ी का पीछा करते हुए गुढा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भगवानदास चौराहा, थाना पांचोड़ी पहुंची तो वहां से उक्त गाड़ी पांचोड़ी की तरफ चली गयी। इसी दरम्यिान क्यूआरटी और फोर्च्युनर गाड़ी में काफी फासला हो गया। ज्यों ही क्यूआर टीम फलौदी, नागौर हाईवे रोड पर पहुंची तो उक्त गाड़ी पांचोड़ी से नागौर की तरफ आती हुई नजर आयी। उक्त क्यूआर टीम ने पुन: पीछा करना शुरू किया। ग्रामीणों द्वारा रोड पर नाकाबंदी कर पत्थर डाले। उन पत्थरों के ऊपर से फोर्च्युनर गाड़ी तेज गति से आने के कारण कारडी चौराहे पर गुढा भगवानदास बस स्टैण्ड के बीच सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, उसके फोर्च्युनर गाड़ी ने टक्कर मारी। उसी समय सामने से एक ट्रक आ गया। उसकी लाइट पड़ने से फोर्च्युनर गाड़ी क्यूआरटी की नजर से ओझल हो गयी।

उक्त गाड़ी में बैठे बदमाशों ने थोड़ी आगे रोड छोड़कर गाड़ी को साइड पर दबाकर खड़ी कर दी। अज्ञात बदमाशों द्वारा अपनी पोजिशन लेकर क्यूआरटी की गाड़ी ज्यों ही उक्त बदमाशों की गाड़ी की थोड़ी दूरी पर पहुंची तब बदमाशों ने क्यूआरटी टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। क्यूआरटी टीम के गाड़ी के ड्राइवर के पास वाली अगली सीट पर बैठे श्री हरेन्द्र, कांस्टेबल 1700 के पैर में गोली लगी तथा ड्राइवर के पीछे की सीट पर श्री खुमाराम, कांस्टेबल 1594 के गुप्तांग और पैर पर गोली लगी। इस प्रकार बदमाशों ने 30 से 35 फायर किये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आप बैठिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बैठिए। (व्यवधान) डोटासरा जो भी शब्द बोले, उसको एक्सपंज कर दिया जाय। यह क्या बात कर रहे हैं? मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत गम्भीर सवाल उठाया है और यहां हम सब इसलिए बैठे हैं कि कोई पाइंट स्कोर करें? कोई पाइंट स्कोर करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। मेरे से सहमत होंगे प्रद्युम्न सिंहजी। इस बहस से ऐसा रास्ता मिले, पुलिस को भी कोई गाइडेंस मिले, गृह मंत्रीजी को भी कोई सुझाव मिले, ऐसी बहस मैं यहां कराना चाह रहा था। इसमें बीच में कोई नहीं उठेगा, बाकी मैं बहस बंद कर दूंगा। यह नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं आपको, नहीं हो सकता। नो, बैठिए आप। माननीय गृह मंत्रीजी। एक रास्ता मिले हमको। (व्यवधान) सब सुन रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता, आपके इस विधायक को तो कंट्रोल कीजिए। (व्यवधान) शांति। कोई रास्ता निकले, गम्भीर समस्या है यह।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): बदमाशों ने 30 से 35 फायर किये। क्यूआरटी टीम द्वारा भी 19 राउण्ड फायर कर अपने बचाव में बदमाशों पर फायर किये। हरेन्द्र कांस्टेबल 1700 ने फायर किया। क्यूआरटी टीम ने जानकारी नहीं दी क्योंकि वह जैर इलाज भर्ती है, उसने कितने फायर किये। क्यूआरटी टीम के हरेन्द्र कांस्टेबल 1700 और खुमाराम कांस्टेबल 1594 के गम्भीर चोट होने से क्यूआरटी टीम द्वारा सम्भाला। इसी दौरान बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। संभवतः फायरिंग के दौरान किसी बदमाश के भी गोली लगी, ऐसा कुछ ग्रामीण बताते हैं, पूरी जानकारी नहीं है।

थानाधिकारी सदर मय अपनी टीम के मौके पर पहुंचे तो क्यूआरटी के घायल जवानों को इलाज हेतु नागौर सरकारी अस्पताल लेकर आये। बाद में प्राथमिक उपचार के तुरन्त बाद जोधपुर रैफर करने का थानाधिकारी सदर द्वारा वास्ते इलाज हेतु जोधपुर भेजे गये। दौराने इलाज श्री खुमाराम, कांस्टेबल 1594 का मथुरादास माथुर अस्पताल में स्वर्गवास हो गया। श्री हरेन्द्र, कांस्टेबल अभी भी इलाज में है।

क्यूआरटी टीम द्वारा घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को देने पर पुलिस अधीक्षक, नागौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नागौर, पुलिस उप अधीक्षक, नागौर, पुलिस उप अधीक्षक, कुचामन, पुलिस लाइन, नागौर का जाप्ता थानाधिकारी पांचोड़ी, मुण्डावा, खींवसर आदि मौके पर पहुंचे। अजमेर रेंज, बीकानेर रेंज, जोधपुर रेंज, जयपुर रेंज के द्वारा बदमाशों हेतु नाकाबंदी करायी गयी। पुलिस अधीक्षक, बीकानेर भी मय जाप्ता के मौके पर पहुंचे। मौके पर उपस्थित जाप्ता की अलग-अलग टीमें गठित कर सर्च आपरेशन शुरू किया।

फोर्च्युनर गाड़ी नम्बर जेआर-14यूसी 6325 की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में एम्यूनिशन कारतूस 306, 315 और .384, 7.62 एमएम छोटे कारतूस एवं एक धारदार चाकू, थोड़ी अफीम की पुड़िया, 7 मोबाइल फोन, खाने-पीने का सामान तथा पहनने के कपड़े बैगों में, बिस्तर में मिले थे।

प्रारम्भिक जांच करने पर कुछ दिन पूर्व उक्त फोर्च्युनर गाड़ी बीकानेर से लूटी हुई ज्ञात हुई जिसका मुकदमा दर्ज है जो आप कह रहे थे। हमने दोनों के इंजन नम्बर और इनका नम्बर निकाला है। यह एफआईआर नम्बर 4716, 27.2.16 थाना जामसर, बीकानेर, इसमें दोनों के जो नम्बर हैं, इंजन नम्बर वही हैं, केवल चैसिस नम्बर में पहले का जो 4 है वह उसमें नहीं है, बाकी सारा का सारा चैसिस नम्बर है। इसका मतलब यह वही गाड़ी है जो 27.2 को

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चोरी हुई थी। इसी गाड़ी का इन्होंने उपयोग किया है यह इससे प्रमाणित होता है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): चोरी नहीं, लूटकर ले गये हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): लूटकर ले गये हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं गाड़ी 27 फरवरी को लूणकरणसर से बीकानेर, मेरे रीयल चाचाजी उस गाड़ी के अन्दर थे। उन्होंने कनपटी पर रिवाल्वर दिखाया, आगे एक स्कोर्पियो गाड़ी आयी, उन्होंने गाड़ी को रोका तो मेरे चाचाजी ने देखा कि जान-पहचान की कोई गाड़ी है, रुकवा रहे हैं। जैसे ही गाड़ी पीछे रुकी उसमें से तीन-चार जने उतरे और उन्होंने रिवाल्वर दिखायी। मेरे चाचाजी ने गाड़ी छोड़ दी। उन्होंने कहा आप गाड़ी ले जाओ। ये गाड़ी ले गये। एक मिनट के बाद आईजी रेंज, बीकानेर को हमने टेलीफोन कर दिया था, मैं यहां जयपुर था। मेरे भाई ने टेलीफोन कर दिया, आईजी हनुमानगढ़ से आ रहे थे। एसपी को तुरन्त टेलीफोन कर दिया। उससे 10 किलोमीटर आगे मेरी खुद की दूसरी गाड़ी, क्योंकि आगे पैट्रोल पम्प है हमारा, उस पर वह गाड़ी जा रही थी वही गाड़ी, उसने गाड़ी को देखा कि अपने वाली गाड़ी जा रही है। वह जब आगे 10 किलोमीटर गया तो मेरे चाचाजी रोड पर खड़े थे, उन्होंने कहा गाड़ी तो अभी जा रही थी। ये 10 किलोमीटर पहले जामसर से खारा पड़ता है और खारा के पास वह गाड़ी उस ड्राइवर ने देखी। एक मिनट बाद में हमने टेलीफोन कर दिया, नाकाबंदी हुई। वह गाड़ी कहां गयी? आप उस टाइम में गाड़ी पकड़ लेते। उसी गाड़ी से इन्होंने 20 दिन तक वारदात की है।

कहां पुलिस? एक मिनट के बाद टेलीफोन कर दिया। यह गाड़ी बेरिकेडिंग तोड़कर गयी है। तब उन्होंने पीछे लगाया। बेरिकेडिंग कर दी एक मिनट बाद में। आईजी से मैंने बात की, उस टाइम मैंने कोई 20 दफे बात की होगी, उन्होंने कहा कि हमने बेरिकेडिंग कर दी। वहां कोई बेरिकेडिंग नहीं थी। हमारी गाड़ी आ रही थी, इसी बेरिकेडिंग पर रुकवायी नहीं गाड़ी। 10 किलोमीटर उसी एरिया के अन्दर गाड़ी है, पूरे रेंज को एसपी और आईजी को टेलीफोन कर दिया। वे पीछे ही आ रहे थे आईजी और उसके बाद में गाड़ी नहीं पकड़ी गयी। इससे बड़ी नेग्लीजेंसी क्या होगी माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी। रास्ता मिला है, जवाब दे रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह बात सच है जो आप घटना कह रहे हो मैं उसको आगे पढ़ रहा था।

प्रारम्भिक जांच करने पर कुछ दिन पूर्व उक्त फोर्च्युनर गाड़ी बीकानेर से लूटी हुई ज्ञात हुई थी। मैं इसको नकार नहीं रहा हूं। जो आपने बात कही कि मैंने सूचना दे दी उसके बाद भी पुलिस उसको तुरन्त पकड़ने में सफल नहीं हुई। मैं इसको छुपा नहीं रहा हूं। इसकी पूरी जांच की और निश्चित रूप से सूचना मिलने के बाद भी हम उसको कहीं रोक नहीं पाये। तो कहीं न कहीं हमारी कमी दिखती है इसमें कोई दोराय नहीं, मैं उसको छुपाना नहीं चाहता हूं। जहां भी कहीं लेकुना रहा उसके बारे में प्रयत्न करेंगे, उससे भी मैं नकार नहीं रहा हूं।

मैं यह कह रहा हूं, जो घटना कल हुई उस घटना को लेकर पुलिस नाकाबंदी में ही यह सारा का सारा गैंग का राज खुला है, तीन लोग उसमें थे उसकी जानकारी मिली है। यह बात सही है कि वे पैदल चलकर भाग गये और उनके पास हथियार थे, जिस ढंग से उन्होंने फायरिंग की, पुलिस के पास उतने अच्छे हथियार भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी 19 राउण्ड फायर उनके ऊपर किया, लेकिन उसके बाद अंधेरे का फायदा लेकर तीनों व्यक्ति निकल गये। इसमें कोई दोराय नहीं, इसको छुपाने की कोई चीज नहीं है, इसमें कमी है तो है जो सबके सामने है, मैं उसको छुपाकर नहीं रख सकता।

रहा सवाल कि जिस बात को लेकर कहते हो कि इस गैंग को पकड़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रयत्न नहीं किया, रोजाना इसी काम में लगे हुए हैं और उसी कारण से आपने देखा होगा इस आनन्दपाल की घटना जबसे घटी है तबसे लेकर हम लोगों ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। वह इनके टेलीफोनिक टैप से किया, जिसके आधार पर भी यह आया कि इसकी लोकेशन यहां आ रही है। तो हमने एक्शन करने का प्रयत्न किया और आप देखो कि इस सारे घटनाक्रम में अब तक हमने शक्तिसिंह, जो कमाण्डो था उसको गिरफ्तार किया, निर्मल सिंह को किया, महेन्द्र सिंह को किया, केसर सिंह को किया, धर्मेन्द्र चौधरी को किया, उदयसिंह को किया और सूरज गुर्जर, यही उसका सरगना था जिसने हथियार पहुंचाने में सबसे बड़ा, उसको पकड़ा है।

उसके अलावा भी, ऐसा नहीं है कि हमारी टीम कोई प्रयत्न नहीं कर रही, सफलता कितनी मिली, यह सफलता ही मिली है। आनन्दपाल सिंह के फरार होने के बाद उसके गिरोह के गिरफ्तार अपराधियों के नाम 1. पवन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सिंह, 2. सोनू, 3. योगेन्द्र, 4. अनुराग चौधरी, 5. मदन यादव, 6. जितेन्द्र मण्डल, 7. धर्माराम, 8. जयेन्द्र सिंह, 9. जितेन्द्र सिंह, 10. श्रवण दास, 11. विक्रम सिंह, 12. वैभव खोड़िया हैं। अर्थात् निरन्तर इस केस के पीछे हम लोग, एसओजी लगी हुई है, बराबर इस टीम का पीछा कर रही है और इसी कारण से आपको लगा होगा कि इतने लोगों को हम पकड़ने में सफल हुए।

अब इसको आप किसी भी रूप में लें। पुलिस फोर्स जो आपकी और मेरी है, जितना प्रयत्न वो कर सकती है उतना प्रयत्न वो कर रही है पर केवल उसको मोरली डाउन करके ही आप कुछ अर्जित नहीं कर पाओगे। अगर किसी व्यक्ति विशेष की, किसी की कमी रही है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, उसकी जांच हो सकती है, उसके परिणाम तक पहुंचा जा सकता है लेकिन यह कहकर कि पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस बिलकुल बेकार है तो अगर हम राजस्थान से सारी पुलिस को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दें और फिर आप इस राजस्थान का नक्शा देखना चाहते हो, अगर आपके मन की वो इच्छा हो तो उसकी भी पूर्ति कर दें।

मैं इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, आज आप में से हर आदमी चाहता है कि पुलिस की मदद की हमें जरूरत है, आज हर व्यक्ति चाहता है कि पुलिस की हमारे चौकी खुलनी चाहिए, पुलिस का थाना लगना चाहिए। ठीक है, कहीं कमी-खामी रह गयी तो उस कमी-खामी का निदान आप और मैं दोनों मिलकर कर सकते हैं पर बार-बार इन घटनाओं को इस ढंग से उठाकर पुलिस को मोरली डाउन मत करो। इतना काम जो उन्होंने किया है उसके लिए भी कभी तो धन्यवाद के शब्द कह दिया करो ताकि वो कम से कम मरने के लिए जाएं। जो आदमी उस नाकाबंदी में मरा है वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो किसी का भाई है। वो पुलिस की नौकरी करने के लिए गया है..... (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। इस मुठभेड़ में जवान खुमाराम मर गया, उसकी मृत्यु हो गयी, उसके बारे में तो एक शब्द भी नहीं बोला आपने। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं केवल जोर से बोल देने से आप यह सोचते हो कि कोई मेरी बात दबा सकते हो तो मैं आपको 21 को ही चुनौती देता हूं कि अकेला भी एक घंटे, दो घंटे, चार घंटे तक मुकाबला हो सकता है। क्या बात करते हो आप? सच्चे मन से, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): आपके लंग्स मजबूत हैं, यही जवाब है क्या आपके पास में? बताइये। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री का जवाब है क्या यह? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): पूरे मन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया है.... (व्यवधान)

श्री अशोक (हिण्डौली): गृह मंत्री महोदय, चैलेंज करने से कुछ नहीं होगा, इन अपराधियों को पकड़ना पड़ेगा और आप जो कह रहे हो कि मैं डर कर बैठने वाला नहीं हूं तो आपने एक यात्रा चालू की थी उस यात्रा का..... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी को यह बात शोभा नहीं देती, क्या चैलेंज कर रहे हो? हमें किस बात का चैलेंज दे रहे हो? यहां किसी को क्या चैलेंज दे रहे हो? (व्यवधान) आप हमें चैलेंज दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री अशोक (हिण्डौली): पुलिस की नाकामियों और लापरवाही करने वाले और अपराधियों को बचाने का मत करो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी, यह आपको शोभा नहीं देता। आप हमें चैलेंज कर रहे हो, आप उन अपराधियों को चैलेंज करो जो नाक के नीचे अपराध कर रहे हैं, उनको चैलेंज करो। (व्यवधान) हमें चैलेंज मत करो आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): .... अगर पुलिस ने काम नहीं किया होता तो यह कैसे होता। (व्यवधान) मैं सोचता हूं कि केवल जोर से बोलने से काम नहीं चलेगा, बात को सुनना और समझना पड़ेगा। अगर गलती रही है तो सुधारने का.... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको भी नहीं बोलना चाहिए जोर से। आप धमका रहे हो, आप हमें धमका रहे हो। अपराधियों को पकड़ नहीं रहे हो और हमें धमका रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप सारे खड़े हो जाएं तो भी आप मुझे नहीं बिठा सकते हो, भगवान ने मुझे इतना दिया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमें धमका रहे हैं। अपराधियों को पकड़ नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): .... समझना चाहते हो या केवल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

खड़े रहकर हो-हल्ला करना चाहते हो और पुलिस का मोरल गिराना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं। आपके इधर भी उकसाने वाली भाषा है, भाषण भी होते हैं, चुनौतियां भी होती हैं और आज गुलाबजी अगर थोड़ा जोर से बोल लिये, इसका मतलब नहीं कि आप उनकी बात को सुनना पसन्द नहीं करो।

माननीय गृह मंत्रीजी, अपना वक्तव्य पूरा कीजिये, आप खड़े होइये। वक्तव्य पूरा होने दो, वक्तव्य पूरा होने दो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण में जब से आनन्दपाल की फरारी हुई है, फरारी के लिए भी जो कमेटी बनी हुई है उसकी 31 तारीख को रिपोर्ट आने वाली है। उस रिपोर्ट के बाद हम देखेंगे कि हमारे लैप्सेज कहां-कहां थे और उस लैप्सेज में कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही तो कार्यवाही करूंगा। अगर हमारी यह मन्शा नहीं होती तो हम कोई न्यायिक जांच में डाल देते और न्यायिक जांच में डालते तो राजस्थान का मेरा और आपको 38 साल का अनुभव होगा कि न्यायिक जांच में आज दिन तक कोई परिणाम नहीं निकला। 5-5 साल तक जज बिठाकर के केवल रिपोर्ट बनाते रहते हैं और एक पुलिंदा देकर चले जाते हैं। मैंने अधिकारी को इसीलिए लगाया ताकि इसके बारे मे गलती कहां रही, रही तो है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि आनन्दपाल ऐसे कैसे फरार हो गया। उस हाई सिक्योरिटी जेल में जब से हमने डाला, जो घटना बीकानेर जेल की हुई और उसके बाद इनको निकालकर हाई सिक्योरिटी जेल में लाये, उसके बाद में उनकी तड़पन बढ़ रही थी।

लेकिन हमारा भी तो वहां कोई न कोई भाई काम करता है, किसी न किसी का मन इतना कमजोर हो जाता है और उसके कारण उसने उसके साथ एक तरह से अपने सम्बन्धों को जोड़कर उसका जो फायदा उठाया और यह इसकी बात नहीं है, इसके पहले भी तीन बार पेशी पर जा चुका था। लेकिन लगातार कुछ टीम को बार-बार उसमें लगाने के कारण से, मैं जो आंकड़ा पेश करूंगा तो वास्तव में जब कभी भी उसकी चालानी गार्ड होती थी, कुछ लोग ऐसे थे जो उसकी चालानी गार्ड में हर बार जाते थे और उसके कारण से ही यह लेकुना रहा जिसके कारण से वो भागा है। जिन लोगों ने उसको भगाने में मदद की उनमें से अधिकांश लोगों को गिरफ्तार कर लिया लेकिन जो उसके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

साथ तीन लोग और थे उनको नहीं पकड़ पाये। इसको आपके सामने स्वीकार करने में मैं कोई शर्म महसूस नहीं करता हूं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि भागने वाला कितना भागेगा, आखिर उसे एक न एक दिन तो आना पड़ेगा। यह भी आठ साल के बाद हाथ लगा है शंकर। तो आखिर आना तो पड़ा न कहीं न कहीं।

तो मैं सोचता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आनन्दपाल और आनन्दपाल की इस गैंग को निश्चित रूप से जब तक नेस्तनाबूद नहीं करूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, इसके बारे में आपको बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलेंगे कुछ? नहीं, क्या बोलेंगे इस बारे में?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इसी पर एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ लीजियेगा, मैं जवाब दूंगा। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं पूछूंगा, अन्यथा नहीं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: मेरी अनुमति है लेकिन उकसाने वाली भाषा नहीं बोलेंगे आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं उकसाने वाली भाषा बोलता हूं?

श्री अध्यक्ष: कभी-कभी बोल लेते हैं, मानव स्वभाव है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कभी नहीं। जी नहीं, कभी नहीं। जब तक ये मुझे उकसाये नहीं, मैं कभी नहीं बोलता।

श्री अध्यक्ष: अच्छा मान लिया कि कभी नहीं। कभी-कभी तो हैं लेकिन कभी नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला निवेदन तो गृह मंत्रीजी से यह है, मैं मानता हूं कि सच कहते हैं सदन के अन्दर और मन से कहते हैं लेकिन कृपा करके क्रोध मत किया करें, महाराज। आप क्रोध में मत आया करिये।

श्री अध्यक्ष: ये महाराज नहीं हैं, गृह मंत्री हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पुराना गृह मंत्री वर्तमान गृह मंत्री से कह रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अगर महाराज होते तो यहां होते, वहां नहीं होते।

श्री अध्यक्ष: आप महाराज ही बने रहना चाहते हो क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इनको इसी में आनन्द आ रहा है कि ये जल्दी से जल्दी महाराज बन जाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): महाराज तो बनूंगा, कपड़े नहीं खोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: महाराज, विराजो। आपने यही तो कहा कि महाराज यहां होते। महाराज, विराजे रहिये। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी के उत्तर से दो बात स्पष्ट हुई। एक तो स्वयं स्वीकार किया कि हमारी पुलिस के पास इतने अच्छे हथियार नहीं थे, यह आपने खुद ने माना है। नागौर में जब दोनों तरफ से गोली चली तो हमारी पुलिस के पास बेहतर हथियार नहीं थे और आपने खुद ने स्वीकार किया है। दूसरी बात, यह निकलकर आयी कि जब यहां से भागा और नागौर कोतवाली के लोगों ने पीछा किया, जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा। उनके पास फार्च्युनर गाड़ी थी, लेटेस्ट गाड़ी थी और आपके पुलिस के वाहन कमजोर थे जो पीछा नहीं कर पाये। यह बात निकलकर आती है, यह कन्क्लूजन है। नागौर कोतवाली ने जो पीछा किया और अगर उनके पास बढ़िया गाड़ियां होतीं तो शायद, शायद कह रहा हूं, उनको वो एप्रिहेंड कर लेते, पकड़ लेते। तो इसके बारे में आप विचार करें कि आपकी पुलिस के आधुनिक हथियार आप खरीद सकें। भारत सरकार ने जो आपको पैसा दिया, आपने जो आर्डर प्लेस किये हुए हैं, अभी तक आपको वो हथियार नहीं मिले हैं श्रीमान्। आपने जो आर्म्स एण्ड एम्यूनिशन फैक्ट्रीज को आर्डर्स दिये हुए हैं, आज दिन तक आपको पूरे हथियार, पूरे हथियार कह रहा हूं, पार्शियल आ सकते हैं, पर पूरे हथियार आपको आज दिन तक नहीं मिले हैं तो इसके बारे में आप ध्यान रखें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने क्यों नहीं दिये पहले? इससे पहले पांच साल तक आपका भी राज रहा है।

श्री अध्यक्ष: कृपलानी साहब, बैठिये। श्रीचन्दजी, बैठिये। आपने सुझाव दे दिये न?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, मेरी बात है अभी। मैं अभी पूरी बात पर आया नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने बहुत अच्छे सुझाव दे दिये हैं। मैं सहमत हूं आपसे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, नहीं, इसमें एक मुद्दा जुड़ा हुआ है। जो आपको पुलिस रि-आर्गेनाइजेशन के तहत पैसा मिला, जिसमें कि आपको पुलिस की मोबिलिटी के लिए वाहन खरीदने थे, वो वाहन आपके यहीं पुलिस हैड-क्वार्टर में रख लेते हैं और जिले में पुलिस को खटारा गाड़ियां दी जाती हैं यूज करने के बाद। इसके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा श्रीमान्। असली जड़ यह है। अगर नागौर पुलिस के पास बढ़िया गाड़ियां होती तो उसको उसी दिन एप्रिहेंड कर लेते, यह गैंग उसी दिन खत्म हो जाता। यह मेरा आपसे कहना है माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: यह तो गुलाबजी, गृह मंत्रीजी, अच्छे सुझाव हैं। इस पर जवाब क्या देना है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मुझे यह स्वीकार करने में कोई...

श्री अध्यक्ष: ये तो अच्छे सुझाव हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इनके सुझाव को आप और मैं, दोनों ही इस बात को जानते हैं कि वास्तव में हमारे हथियार और साधन जितने अच्छे होने चाहिए, सब प्रयत्न करने के बाद भी...

श्री अध्यक्ष: ये अच्छे सुझाव हैं। आप ग्रहण कर लीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...इतना अच्छा नहीं है। प्रयत्न करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: क्योंकि ये चर्चा आ गयी। मैं सवेरे से मैं...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये आप। नहीं, बैठिये आप।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो। बैठिये आप। नहीं, एक मिनट भी नहीं। बैठिये आप।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपको। बैठो। आप बैठो। आप बैठो। नो, नो, नो, नो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं। अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः ×××

श्री अध्यक्षः नहीं, ऐसा आप बार-बार कहकर, आप यहां अनुशासनहीनता नहीं चला सकते। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। क्या मतलब है आपका? (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः ×××

श्री अध्यक्षः बैठ जाइये। बैठ जाइये, मैं कह रहा हूं। एक शब्द अंकित नहीं होगा। बैठ जाइये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः ×××

श्री अध्यक्षः यह बहस अच्छी एंड हो गयी। ठीक तरह से एंड हो गयी। आपने इनिशिएट किया। आपने जवाब दिया। आपने इन्टरवीन किया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः ×××

श्री अध्यक्षः मनोज का एक शब्द भी अंकित नहीं हो। नो, कोई कानूनी बात नहीं। मैं आपको एक मिनट नहीं दूंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः ×××

श्री अध्यक्षः हां, हां, नहीं दूंगा। जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। (व्यवधान) इनका एक शब्द नोट करने की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः ×××

श्री अध्यक्षः इनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाइये। फिर मुझे सख्त होना पड़ेगा। आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, आप बैठ जाइये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः ×××

श्री अध्यक्षः नेता बीएसपी, अपने सदस्य को कंट्रोल कीजिये। इनको कंट्रोल कीजिये। (व्यवधान) कंट्रोल कीजिये इनको।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः ×××

श्री अध्यक्षः नहीं बोलने दूंगा। अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)ः ×××

श्री अध्यक्षः नेता प्रतिपक्ष, क्या इस व्यवहार को मैं बर्दाश्त करूं? नहीं, क्या मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त करूं? मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। यह विधान सभा कुछ नियमों से चलती है। विधान सभा में इस तरह दादागीरी नहीं चलेगी। (व्यवधान) बैठ जाइये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। नहीं मुझे सख्त होना पड़ेगा। बैठ जाइये।

आज सवेरे से अच्छा वातावरण बनाना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि आज सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। सबके मुंह में मिठास रहनी चाहिए। मेरे मुंह में भी मिठास रहे और आप सबने जो मुझे बधाई दी है, आपकी सब शुभकामनाओं के लिए मैं अन्तर्मन से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं आज, यह मैं निवेदन कर रहा हूं। इसके साथ ही मेरे जन्म दिन के अलावा...आप बैठो, एक मिनट, आप बैठो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): गृह मंत्रीजी ने हमें जो जवाब दिया, उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने पूरी कहानी कही। नागौर से 300 किलोमीटर गाड़ी आती है जयपुर और बीच में थाने हैं और गाड़ी पकड़ी नहीं जाती है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठो। बैठो आप। आप बैठो। आप कृपया बैठिये। (व्यवधान) आपने वाक आउट करने का तय कर लिया है तो आप वाक आउट कीजिये। (व्यवधान) मुझे मालूम है कि आपने वाक आउट करने का तय कर लिया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आपने वाक आउट करने का तय कर लिया है। आप कीजिये। (व्यवधान) इनका अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: इन्होंने तय कर लिया है कि ये वाक आउट करेंगे। (व्यवधान) आप वाक आउट कीजिये। (व्यवधान) ये वाक आउट करेंगे। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

ये वाक आउट करना चाहते थे, इन्होंने तय कर लिया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। मैंने भी सारी बहस सुनी और मैंने प्रतिपक्ष के नेता को इनिशिएट करने के लिए कहा। आज प्रतिपक्ष के नेता, सब इनकी बात मानने के बाद, जिस तरह से वाक आउट कर रहे हैं, यह निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं आपके इस व्यवहार की। पूरा मौका देने के बाद... पधारिये आप। जाने दीजिये इनको। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

अन्तरराष्ट्रीय जल दिवस पर जल संरक्षण का आह्वान

श्री अध्यक्ष: मेरे जन्मदिन के अलावा आज अन्तरराष्ट्रीय जल दिवस भी है। जल है तो कल है। इसलिए मैं आप सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि हर स्तर पर जल संरक्षण का संकल्प लें। लोगों को जल की बचत करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही प्रदेश में चल रहे मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी भूमिका निभायें। आज की जल बचत, कल का भविष्य तय करेगी। बोर्ड पर लिखी जाने वाली लाइनें हैं। जल की बूंद-बूंद बचाएं, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सजाएं। यह आज एक संदेश है देश का, जो हमने दे दिया।

अब आज जीरो आवर में बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, अन्तरराष्ट्रीय जल दिवस पर एक बात बोलना चाहती हूं...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। अभी नहीं। नहीं नहीं, अभी आप बैठिये। अभी बैठिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। आप बैठिये। अभी बैठिये।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, अभी बैठिये। बिल्कुल नहीं, आप बैठिये। अच्छी बात है तो मैं ले लूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी व्यवस्था के बाद सुन लूंगा। मेरी व्यवस्था के बाद सुन लूंगा आपको। आप बैठिये। हर कोई मेरी अच्छी बात है, मैं बोलूंगा, यह करूंगा। नो, नो। बैठिये आप, अंजूजी। नहीं, एक लाइन भी नहीं। अंकित नहीं हो इनका। (व्यवधान) नहीं दूंगा, मैंने कहा न, नहीं दूंगा। (व्यवधान) यह व्यवस्था है। यहां हर कोई बीच में खड़ा हो जाए। (व्यवधान)

अब मैं व्यवस्थाएं दे रहा हूं। अब वापस हाउस प्रोपर फोरम में भी आ गया, प्रोपर आर्डर में भी आ गया। कुछ हमारे माननीय सदस्यों की नाराजगी थी, वह भी उन्होंने प्रकट कर दी प्रतिपक्ष के नेता के नेतृत्व में और अब हाउस आर्डर में चलेगा। मैं यह चाहता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में गोचर एवं अन्य किस्म की भूमियों में से रास्ता निकालने को लेकर हो रहे विवादों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से इन्दिरा गांधी नहर की सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शाखा के टेल एंड के किसानों को निर्धारित मात्रा में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से राज्य में औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लिये गये दवाइयों के सैम्पल अमानक पाये जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में गरीब व बीपीएल परिवारों को सस्ता अनाज वितरण में हो रही भारी परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य में बढ़ती गैंगवार व निरन्तर बढ़ रहे अपराधों से जनता की रक्षा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इस पर अभी बहुत लम्बी-चौड़ी बहस हो गयी है।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के बुहाणा में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से सीकर जिले में किसानों के ट्यूबवैल खराब हो जाने पर रिपेयर करने एवं पेयजल के लिए निजी भूमि पर ट्यूबवैल खोदने की अनुमति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से खेतड़ी में न्यायिक भवन निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला नागौर में 21 मार्च को बदमाशों से हुई मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त सिपाही को शहीद का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में। केवल दो मिनट आप इसी पर बोलेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

बाकी चर्चा बहुत हो चुकी है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप आये तो भी शहीद के बारे में आप बोल लीजिये।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री पूरणमल सैनी एवं श्री हनुमान बेनीवाल को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले को अकालग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के नगरपालिका क्षेत्र गुलाबपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में अनुबन्ध पर कार्यरत विद्यार्थी मित्रों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगोद में दायीं मुख्य नहर से गांवों में पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रताप लाल भील, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की उप तहसील सायरा को तहसील में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) डा. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में शिवकर कुडला लिग्नाइट परियोजना के अन्तर्गत अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के 120 बेघर गाड़िया लुहार परिवारों को बसाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से जिला अलवर की हनुमान सर्किल से बगड़ तिराहे तक की सड़क को चार लेन की बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बूंदी के राजकीय चिकित्सालय के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज लास्ट दिन है और इसके बाद चार-पांच दिन की छुट्टियां हैं, माननीय सदस्य भी जाएंगे और मांग पर चर्चा भी होनी है। इसलिए प्रक्रिया के नियम 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, सबकी राय है? प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को शून्यकाल में बोलने हेतु 49 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री कैलाश वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू के रीको एरिया में चल रही अवैध टायर फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से बारां जिले के किशनगंज-

(श्री अध्यक्ष)

शाहबाद की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से अलवर जिले में गैर खातेदारी भूमि के किसानों को खातेदारी अधिकार दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से आबू पर्वत नगरपालिका व ओरिया पंचायत (आबू पर्वत) में आवासीय पट्टे दिलवाने के सम्बन्ध में।

हां, अंजूजी, आप एक मिनट बोलना चाहती थीं, मैंने आपको कहा था इसके बाद बोल लेना।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रही थी कि आज अन्तरराष्ट्रीय जल दिवस है तो सबसे पहले आपको बर्थ-डे की शुभकामनाएं और आपका मुंह कड़वा किया उसके लिए भी सारी। मैं यह कहना चाह रही हूं कि जब हम लाबी में जाते हैं और सभी माननीय सदस्य, अभी जल बचाने में 29 तारीख को इस पर चर्चा भी होगी, सब अपने-अपने क्षेत्रों की बात भी करेंगे। आज अन्तरराष्ट्रीय जल दिवस है और नीचे हम सब साइन करके आए हैं और सब कुछ न कुछ लिखकर के आए हैं। लेकिन जब हम लाबी में जाते हैं तो वहां पानी की आधा-आधा लीटर की बोतल है उसमें से दो घूँट पीकर के माननीय सदस्य इधर-उधर रख देते हैं फिर वो डस्ट-बिन में जाती है और फिर नाली में जाती है, बस यही बात मैं कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष: चलिए, आपने ध्यान खींच लिया है। श्री श्रवण कुमार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बुहाणा (सूरजगढ़) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र सात वर्ष पूर्व हरिजन क्षेत्र था और काफी वर्षों से लोगों की भावना थी, सुंदर लालजी जब वहां एमएलए हुआ करते थे तब भी ये भावना थी कि वहां कालेज खुले। बुहाणा क्षेत्र रूरल में है, पंचायत समिति है, एमजेएम कोर्ट है, एईएन आफिस है, एसडीएम कोर्ट है, तहसील है, डीएसपी आफिस है, सब आफिस हैं लेकिन वो पंचायत समिति के क्षेत्र में पंचायत है। तो बार-बार, पहले कांग्रेस के टाइम पर भी मैंने निवेदन किया था और अब भी

(श्री श्रवण कुमार)

दो साल से निवेदन कर रहा हूं कि वहां एक कालेज बन जाए। रूरल क्षेत्र है, हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र है और पूर्व में एससी का क्षेत्र रहा है इसलिए वहां एक कालेज की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए मैं हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वहां एक कालेज खोलने की घोषणा करें। कांग्रेस सरकार तो नहीं कर पाई लेकिन आप उदार दिल हैं, सेठ भी हो और सेठों के द्वारा आशा भी रखते हैं। हम और सेठ जो होते हैं वो कुछ देते हैं हमेशा ही और पहले भी सेठों की कालेज होती थी। अब आप कालेज तो नहीं खोल सकते, लेकिन आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हो, मंत्री हो, एक कालेज की घोषणा करें। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं। आप खड़े होकर के करो ना, मैं तो यही कहूंगा, ज्यादा इसमें भाषण की बात नहीं है। इसकी अति आवश्यकता है। पूरे 200 गांव हैं और वहां कोई भी साधन नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): ऐसा है माननीय सदस्य, आपके यहां वर्तमान में सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 27 महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित हैं। जिनमें से बुहाणा उपखण्ड क्षेत्र में 19 और बुहाणा उपखण्ड मुख्यालय पर 6 महाविद्यालय संचालित हैं और राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी है उसकी दूरी आपके बुहाणा से 26 किलोमीटर है। हमारी मंशा तो है कि वहां हम कालेज खोलें पर इस बार के बजट में तो घोषणा हो गयी, अगली बार देखेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 किलोमीटर है और एक गरीब आदमी 26 किलोमीटर जा सकता है क्या? आप ही बता दो, आप गरीबों के प्रति उदार दिल रहे हो, हरिजन क्षेत्र रहा है, उसके पास में 200 गांव हैं और ये कह रहे हैं 26 किलोमीटर दूर है। खेतड़ी में प्राइवेट कालेज हैं जहां पांच हजार रुपये प्रतिमाह की फीस लगती है। एक गरीब आदमी दे सकता है क्या?

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। आप मिल लेना। आप मिलकर के बात कर लीजिएगा ज्यादा उपयुक्त रहेगा। विधान सभा में आपने ध्यान खींच लिया है आप विराजें। श्री डोटासरा।

सीकर में किसानों के खराब ट्यूबवैल की मरम्मत एवं पेयजल के लिए निजी भूमि पर ट्यूबवैल खोदने की अनुमति पर रोक

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सीकर जिले में नवम्बर 2011 से जिस प्रकार ट्यूबवैल खोदने के ऊपर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार ने रोक लगाई थी। उसके बाद में एक कमेटी भी बनाई थी जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कि जहां आवश्यकता होगी वहां पर ट्यूबवैल खोदने की सेंक्शन दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका ट्यूबवैल खराब हो जाता है, एक पाइप की आवश्यकता पड़ जाती है, एक पाइप और लगाना होता है। लोग खेतों में ढाणियां बना-बना करके बीस-बीस, तीस-तीस, चालीस-चालीस साल से रहने लग गये हैं और अगर मशीन लाकर के उस ट्यूबवैल की रिपेयर करना चाहते हैं तो उन किसानों की मशीन जब्त कर दी जाती है। अगर वहां पानी कम पड़ गया, सूख गया, एग्रीकल्चर लायक नहीं रहा तो ढाणी बनाकर के जो किसान रह रहा है उसको पीने के पानी की आवश्यकता होती है। उसको सिंगल फेज के ट्यूबवैल की भी अनुमति नहीं मिल रही है।

माननीय जलदाय मंत्रीजी हमारे जिले में गयी थीं, अध्यक्ष महोदय, हमने मांग रखी थी जिला कलक्टर ने जब व्यवस्था देनी चाही। मंत्रीजी ने पूछा था जिला कलक्टर से तो उनका जवाब था कि अगर हम सेंक्शन देने लग गये तो ये लाइन लग जाएगी।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं हमारे जिला कलक्टर ने आज तक एक भी आवेदन का प्राइवेट वालों का, किसानों का कोई निस्तारण नहीं किया है। 26.6.2015 को आपके प्रमुख शासन सचिव, पीएचईडी को, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव को, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को, सचिव मुख्य मंत्रीजी को, सबको चिट्ठियां लिख दीं कि ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, आप मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन सरकार कोई मार्गदर्शन नहीं दे रही है। आज किसान अगर अपनी ट्यूबवैल की रिपेयर करने के लिए मशीन बुलाता है तो सीकर जिले में किसानों की मशीनों को जब्त किया जा रहा है। ढाणी में बैठा है, घर बनाकर के बीस-बीस, तीस-तीस साल से, एग्रीकल्चर के ट्यूबवैल में पानी सूख गया तो उसको पानी पीने के लिए अगर उसने सिंगल फेज के ट्यूबवैल की इजाजत चाही तो इजाजत नहीं मिल रही है। भयंकर पेयजल की समस्या का आक्रोश जनता में है। माननीय मंत्री महोदय, कह रहे हैं कि कलक्टर को करनी होगी। कलक्टर को करनी होगी लेकिन कलक्टर नहीं कर रहा है।

इसीलिए सदन के माध्यम से मंत्री महोदय, राजस्व मंत्रीजी भी हैं, ऊर्जा मंत्रीजी भी हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी सरकार संसदीय कार्य मंत्रीजी,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मुख्य मंत्रीजी इसमें इन्टरवीन करें और एक व्यवस्था करें। जिला कलक्टर सीकर को ये निर्देश दें कि किस प्रकार से किसानों की यह जो समस्या है पुनर्निर्माण की, रिपेयर या सिंगल फेज के ट्यूबवैल जो निजी भूमि में पीने के लिए खोदना चाहते हैं। एक को भी आप परमिशन नहीं दे रहे हो, क्या किसान प्यासा मरेगा? उसको पानी पिलाने का काम नहीं है? सवा दो साल में एक भी आवेदन का निस्तारण माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर सीकर ने नहीं किया है। हमारे किसान आक्रोशित हैं, कहीं ये नहीं हो जाएं मंत्री महोदय कि आप देखते रहें और किसान सड़कों पर आ जाए, धरना प्रदर्शन करना पड़े। कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का पानी तो आप सीकर को नहीं पिला रहे हो और सिंगल फेज के ट्यूबवैल के जरिए अगर किसान अपने खेत में स्थापित करके पीने का पानी चाहता है उसकी भी आपकी सरकार अनुमति नहीं दे रही है। जिला कलक्टर कुंडली मारे बैठे हैं, उन आवेदनों के ऊपर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं जिला कलक्टर को यह सरकार निर्देशित करे कि जो ट्यूबवैल खराब हो रहे हैं उनका पुनर्निर्माण करने की स्वीकृति दें। जिनका पानी सूख गया है उनको गहरा करने की अनुमति दें और जिनके यहां पीने का पानी नहीं है वहां निजी भूमि के ऊपर किसान को सिंगल फेज के ट्यूबवैल खोदने की अनुमति मिलनी चाहिए। अगर यह नहीं मिलेगी, अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर नहीं देंगे मुझे पता है। ये केवल बातों में और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला माननीय मंत्री महोदय यह कतई नहीं है कि किसान को पानी नहीं मिलना चाहिए। किसान का ट्यूबवैल पहले से चल रहा है अगर वह सूख गया है तो एक पाइप और उसको गहरा करना है तो उसके लिए मशीन वह लाएगा और उसकी मशीनें जब्त हो रही हैं। किसान भयंकर परेशानी में है, पीने का पानी मिल नहीं रहा है, उनकी खेती सूख रही है। इसलिए आप कुछ इसमें कीजिए और सरकार की तरफ से जिला कलक्टर को निर्देशित कीजिए कि जो आवेदन किसानों के आते हैं, मैरिट में उस कमेटी में ले जाकर के शीघ्र फैसला करें जिससे सीकर के किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोण्ड कर रही हैं, मंत्री महोदया?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, आप ही के कमरे में जब आपके जन्म दिन पर हम लोग गुलदस्ता

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

दे रहे थे तो हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि आज मैं बिलकुल गर्म नहीं होऊंगा। आज मैं लड्डू खा रहा हूं यहां, बिलकुल भी सदन में जोर से नहीं चिल्लाऊंगा। लेकिन इन्होंने रूल्स तो तोड़ दिया है जो इन्होंने कहा था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आवाज बंद करके सदन में भूल जाऊं।

(12.49 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): किसान की आवाज को जितनी बुलंदी से आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है। हम सब जानते हैं और जो बात आपको कहनी है आपको शायद कहीं रिकार्ड करानी है वो रिकार्ड आपने करा दी, लेकिन सवाल इस चीज का है कि इस बात से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं माननीय उपाध्यक्षजी, कि 243 जो हमारे टोटल ब्लाक्स हैं उनमें 172 ब्लाक्स डार्क जोन, 25 केवल सुरक्षित हैं और ऐसी स्थिति में जो पीने के पानी की समस्या है, जो ग्राउंड वाटर से हम पानी को ले रहे हैं उसी पानी को बिना रिचार्ज किये हम लोग बराबर पानी का दोहन करते जा रहे हैं और यही कारण है कि आज इस तरीके की भयावह स्थिति आ गयी है कि आपको यहां सदन में यह बोलना पड़ा। पहले तो हम आराम से ट्यूबवैल कर लेते थे। खुद की मशीन लाते थे। पानी ले लेते थे, लेकिन जब डार्क जोन हो गया तो डार्क जोन होने के बाद में यह कोर्ट के आदेश से कमेटीज बनी हैं और जो कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनी है, आप बारम्बार कह रहे हैं कि जिला कलक्टर को यह निर्देश दें, जिला कलक्टर अकेला नहीं है, उस कमेटी में मैम्बर्स हैं और वो मैम्बर सारे मिलकर और किसी भी एप्लीकेशन का निस्तारण करते हैं।

जहां तक सवाल है निजी ट्यूबवैल्स, निजी हम लोग अपना कुआं खुदवाना चाहें तो परमीशन के लिए हम लोगों को कलक्टर की कमेटी के पास जाना होता है। वहां पर हाईड्रोलोजिस्ट भी है उसमें। हाईड्रोलोजिस्ट उस चीज को चैक कर लेता है कि पानी है या नहीं जमीन में। अगर पानी जमीन में नहीं होगा तो उसकी परमीशन देने से उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा और परमीशन अगर हमने वहां पर दे दी तो आस-पास के सारे वैल सूख जाएंगे।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यही कारण है कि वो लोग बड़ा सोच-समझकर के इसकी परमीशन देते हैं, निस्तारण करते हैं।

लेकिन जहां तक सवाल है आपने कहा कि उसे रिपेयर करने के नाम पर अगर उसे और गहरा करना है, हाईड्रोलाजिस्ट की पोजिटिव रिपोर्ट आती है तो उस पर विचार किया जायेगा। ऐसा मैं अपनी तरफ से भी और हम लोग इस पर पूरे राजस्थान में अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है जहां पर निजी ट्यूबवैल्स हैं, लेकिन उन निजी ट्यूबवैल्स में वहां अगर हाईड्रोलाजिस्ट की रिपोर्ट पोजिटिव आती है तो ऐसी स्थिति में बराबर से कलक्टर महोदय इस पर विचार करें। उनकी कमेटी इस पर विचार करे। इसके बारे में हम लोग भी अपनी तरफ से बात करेंगे उनसे। गवर्नमेंट लेवल पर बात करेंगे कि इसमें उन्हें राहत दी जाए, लेकिन वो सिर्फ पीने का पानी होना चाहिए। यह नहीं किसान यह सोचे कि चूंकि अब मेरा ट्यूबवैल गहरा हो गया, अब इसमें बहुत अच्छा पानी आ गया तो अब इससे मैं खेती भी करूं, तो यह खेती का नहीं होगा। उनको बाउंडेड करना होगा कि यह सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर है और हुआ तो कोई फ्लो मीटर वहां पर लगा दिया जाए जिससे कि यह हो जाए कि यह सिर्फ पीने के पानी के लिए उपयोग में लिया जाए।

आज चूंकि वर्ल्ड वाटर डे है, आज विश्व जल दिवस है आप सब लोगों ने हस्ताक्षर करके इस बात में आपने भी अपनी प्रतिज्ञा ली है और यह कहा है कि हम पानी को बचायेंगे, हम पानी को व्यर्थ नहीं बहायेंगे। तो इन सारी चीजों को देखना है।

पीने के पानी के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए लेकिन और पानी का कोई यूज है तो उसके लिए हम सबको भी आगे आकर कहना चाहिए कि ये सारी चीजें नहीं, पहले पीने का पानी उसके बाद में और कुछ। धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक की भी परमीशन नहीं दी इसलिए मैंने निवेदन किया है। एक ट्यूबवैल की भी नहीं दी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप जानकारी में लाये हैं तो बातचीत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

खेतड़ी में न्यायिक भवन के निर्माण में विलम्ब

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को स्थगित करते हुए मुझे जो आपने समय दिया, इसके

(श्री पूरणमल सैनी)

लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आपके माध्यम से कानून मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में न्यायिक भवन नाले के अन्दर बने हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब 2010 में अतिवृष्टि हुई उस समय उन न्यायिक भवनों में, चूंकि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की नगरपालिका की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसमें पठार है, नाले हैं और पहाड़ी है तो पूरे पहाड़ का पानी न्यायिक भवनों के अन्दर से गुजरता है। जब 2010 में अतिवृष्टि हुई, उस समय न्यायिक भवन के सारे डाक्युमेंट्स, सारे फैसले, सारे कागज पानी के बहाव से धूमिल हो गये। फ़ैसले पढ़ने-लिखने में नहीं आये। उसके बाद माननीय न्यायालय के हमारे न्यायाधीशों और वहां के एडवोकेट एसोसिएशन बार ने जब माननीय उच्च न्यायालय को लिखकर दिया तो उन्होंने अनुमति दे दी। उसके बाद न्यायिक भवनों के काम करने वाले लोगों ने, वहां के एडवोकेट एसोसिएशन ने भूमि का चिन्हीकरण कर लिया। हमारे उपखंड कार्यालय भवन परिसर में ही भूमि का चिन्हीकरण करके न्यायिक भवनों के नाम से अलाटमेंट करवा लिया और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हो गया। पूंजी का अलाटमेंट हो गया, लेकिन कार्यादेश के लिए और उसके कांट्रेक्ट के लिए पड़ी है।

पिछले सत्र में भी मैंने न्यायिक भवन के निर्माण का मामला उठाया था। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की जनता के फैसले और सही सुनवाई, सही जगह बैठकर हमारे माननीय न्यायाधीश कर सकें और हमारे एडवोकेट साहबान वहां विराज सकें इसके लिए मेरा निवेदन है। माननीय कानून मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि खेतड़ी में न्यायिक भवनों के कार्यालयों के निर्माण हेतु जो भी प्रक्रिया करनी है वो अविलम्ब पूरी करते हुए न्यायिक भवन कार्यालयों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने खेतड़ी में न्यायिक भवन के निर्माण के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बात उठायी है उसके बारे में मेरा संक्षिप्त निवेदन यह है कि निश्चित तौर पर जो वर्तमान भवन संचालित है वो पहाड़ी की तलहटी में है और यह बात भी सही है कि उस भवन के अन्दर बीच में जब अतिवृष्टि हुई थी 2010 में तब पानी घुस गया था। उसी के लिए राज्य सरकार उपयुक्त जमीन भी आबंटित कर चुकी है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन बार अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से। पहला प्रस्ताव प्राप्त हुआ 9.9.2014 को उन्होंने कहा कि यह जो भवन है, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, खेतड़ी, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, खेतड़ी इसके लिए बीस लाख रुपये की आवश्यकता है और उसके बाद 7.1.2015 को इन्होंने पुनः लिख दिया कि अब ये 304 लाख की जरूरत है और उसके बाद तीसरा पत्र उनका फिर आ गया 11.6.2015 को कि 684 लाख की जरूरत है। वित्त विभाग ने उनसे पूछा है कि यह जो कोस्ट बढ़ी है इसके पीछे क्या कारण हैं, आप बताएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने पचास करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य, आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस राशि में से कुछ राशि बची हुई है और इसके अन्दर जब क्लेरीफिकेशन हमारे पास आ जाएगा कि यह 684 लाख की जरूरत है या 304 लाख की जरूरत है, इसका स्पष्टीकरण पूछने के लिए हमने पुनः रजिस्ट्रार जनरल महोदय को लिखा है। वह आने पर निश्चित तौर पर इसमें वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा कर इसके निर्माण कार्य को प्रारम्भ करेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कब तक?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उसमें बताया है कि राशि कभी कितनी आ रही है, कभी कितनी आ रही है। वहां तीन प्रकार के न्यायाधीशों के कार्यालय हैं और उनमें पूरा सदन इस बात को जानता है कि हर बार बीएसआर की दरें जब बढ़ती हैं तो फिर रेटों में अमेण्ड होना स्वाभाविक है। मैं आपके माध्यम से पुनः मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो भी वाजिब हो, तकनीकी दृष्टि से वहां जांच करवाकर और वास्तव में उन भवनों के लिए जो वास्तविक लागत आए, उनको कब तक माननीय मंत्री महोदय, स्टार्ट करवा देंगे? यह मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यायिक भवन के निर्माण के लिए हमें माननीय उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त होते हैं। हमने उच्च न्यायालय को पुनः लिखा है कि वास्तविक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रूप से कितनी राशि की आवश्यकता है। दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर केन्द्र सरकार का अंश भी मिलता है इसके भवन के निर्माण में और राज्य सरकार का भी मिलता है। हमें उसको भी मैच अप करके उसकी स्वीकृति भी प्राप्त करनी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूं कि इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय से स्पष्ट निर्देश हम लेंगे और उसके बाद केन्द्र सरकार से जो इस भवन निर्माण के लिए अंश आयेगा और राज्य अंश होगा उसको मिलाकर इस भवन निर्माण के लिए आवश्यक, पचास करोड़ की जो पिछले साल की स्वीकृति हमने दी थी उसमें बचत है उसमें से बनाने की बात करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

नागौर में मुठभेड़ में मृत सिपाही को शहीद का दर्जा

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो विषय है उस पर सदन में पहले करीब-करीब आधे से ज्यादा विषय पर चर्चा हो गयी। नेता, प्रतिपक्ष ने यह मामला उठाया था और गृह मंत्रीजी का जवाब भी उसके ऊपर आ गया।

आज हम सबके लिए बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। चाहे कोई सा भी गैंग हो, पुलिस जिस हिसाब से बता रही है कि कल के जो व्यक्ति थे जिन्होंने नागौर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में नाकाबंदी तोड़ी और पुलिस पर ए.के.47 जैसे अत्याधुनिक हथियार से हमला किया मोर्चाबंदी करके। उसमें दो पुलिस के जवान घायल हो गये और दो राह चलते हुए लालाराम और ओमाराम जो मोटरसाइकिल पर रोड क्रोस कर रहे थे, उनके टक्कर मारी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब हम स्कूल-कालेज में पढ़ा करते थे, गैंगवार की घटनाओं का जिक्र जब आता था तो यह मानते थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में गैंगवार होता है। अब तो अगर देश में गैंगवार की चर्चा कहीं पर हो तो राजस्थान का नाम निश्चित रूप से आता है और हमारे इलाके नागौर, सीकर, झुंझनूं, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर यहां गैंगवार की घटनाएं बढ़ी हैं। उपाध्यक्ष

(13.00 बजे)

महोदय, हम गृह मंत्रीजी पर आरोप नहीं लगाना चाहते, निश्चित रूप से गृह मंत्रीजी इस गैंगवार को खतम करने के लिये प्रयास कर रहे होंगे लेकिन गृह मंत्री महोदय, प्रयास करने से कुछ भी नहीं होगा, एक के बाद एक जवान

(श्री हनुमान बेनीवाल)

शहीद होता जायेगा, एक के बाद एक जान चली जायेगी, उनकी भरपाई कौन करेगा? आप खुद चंद रुपये उन पुलिस वालों को दे दोगे, घायलों का इलाज करा दोगे। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो पुलिस का जवान अगर अपराधियों से लड़ता हुआ, शिकारियों से लड़ता हुआ शहीद होता है, मेरे इलाके की दो तीन घटनाओं का जिक्र करूंगा। किस बहादुरी के साथ कल दोनों जवान लड़े थे, उनके पास कोई बहुत अच्छी गाड़ी भी नहीं थी। यह बता रहे हैं कि एक के पास एके 47 राइफल थी और दूसरे के पास तो एसएलआर जैसा हथियार था। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी बहादुरी से उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। हमारे नेता प्रतिपक्ष के चाचा जी की गाड़ी थी, जिसको वह लूट कर ले गये थे उस गाड़ी को पंक्चर कर दिया, अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी छोड़ कर वह बदमाश भाग गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा भी एक सवाल पिछली विधान सभा में लगा था। हमारे एक उमाराम शहीद हुआ था, शिकारियों ने उसे मार दिया। पुलिस ने नौखा पांचू थाने में 302 में मुकदमा दर्ज किया गृह मंत्री महोदय और आईजी एसपी वहां गये, उस दाह संस्कार में मैं भी गया। उन्होंने कहा कि 302 में मामला दर्ज हो गया और आपको पैकेज भी दे देंगे। हमारा पुलिस का जो वैलफेयर फंड है इससे भी पैसा दे देंगे और मुलजिम को 302 में गिरफ्तार किया। गृह मंत्री महोदय, उसके तीन महीने बाद जब चालान किया तब आपने 302 की धारा हटाकर 304 में चालान कर दिया, 29 तारीख को मेरा सवाल फिर इस बात के लिये लगा हुआ है। आपके सामने हम कोई बात लाते हैं आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। हमारी बात तो पूरी सुना करें। हो सकता है कि हम कोई आपके काम की बात कह रहे हैं, हो सकता है कि पुलिस व्यवस्था में कहीं कोई खामी होगी...

श्री उपाध्यक्ष: आपका यह स्थगन शहीद के दर्जे देने के सम्बन्ध में है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट दीजिए, मैं शहीद के दर्जे पर ही आ रहा हूं। गृह मंत्री महोदय, उमाराम को भी शहीद के दर्जे की मांग थी जो पुलिस कांस्टेबल था, लड़ते हुए शहीद हो गया। उसमें 302 की धारा को 304 में बदल दिया। बीकानेर नौखा में बहुत बड़ा आंदोलन चला था, मैं भी गया था और हमें आश्वस्त किया था कि 302 में हम वापस बात करेंगे और

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आईजी, एसपी का दोष है कि पहले उन्होंने 302 में दर्ज किया, जब उमाराम का दाह संस्कार हुआ था तब वह वहां लोग आये थे और फिर उसको 304 में कन्वर्ट कर दिया, कौन लोग दोषी थे? (व्यवधान) यह पांचू थाने की है, उमाराम इससे पहले शहीद हुआ था, खुमाराम से पहले मेरे इलाके में। खुमाराम आपने बता तो दिया कि खुमाराम के ऐसे-ऐसे गोली लगी और उसका स्वर्गवास हो गया। गृह मंत्री महोदय, आज देश की सीमा की रक्षा करते हुए कोई जवान सीने पर गोली खाकर शहीद हो जाता है, उसको आप शहीद का दर्जा देते हो। आंतरिक सुरक्षा से लड़ते हुए, नक्सलियों से लड़ते हुए हमारे बीएफएफ, सीआरपीएफ और राजस्थान पुलिस का जवान हमें बचाने के लिये अपने प्राणों की आहूति देता है और आज तक आपने उन लोगों के लिये शहीद के दर्जे की बात कही नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारी पुलिस कोई कमजोर नहीं है, राजस्थान की पुलिस ने इसी आनंदपाल को पिछली बार पकड़ा था, सलाखों के पीछे डाला था लेकिन कुछ कमियां थीं, गड़बड़ियां थीं। आज पुलिस में भी राजनीति की तरह जातिवाद हावी हो गया। कुछ लोगों ने उसे भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ पुलिस तंत्र फेल हो गया था। अगर आपकी रिपोर्ट समय पर आ जाती जो कमेटी आपने आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में गठित की थी, उस रिपोर्ट में आपने अजमेर एसपी को जरूर इस मामले को लेकर हटाया था लेकिन आईजी अजमेर और जो भी उस समय के पुलिस अधिकारी थे, चाहे वह एडिशनल एसपी डीडवाना हो, चाहे नागौर का एडिशनल एसपी, चाहे अन्य अधिकारी हो जो लगातार इन गैंग से, इन अपराधियों के गवाह के अपहरण का मामला हो, इनमें जिन लोगों का थोड़ा-सा भी लेकुना आता है, गृह मंत्री महोदय, आपको नागौर जिले में पुलिस को ठीक करना होगा। नहीं तो रोज खुमाराम शहीद होंगे, लालाराम, ओमाराम जो सड़क पर चल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है अब तो सड़क पर चलना भी ठीक नहीं है, चल रहे हैं, कोई मार कर चला जायेगा, वह तो आपस में था, पुलिस पीछा कर रही थी और सबसे बड़ी बात कि सुबह मानसरोवर में अपराधी को पकड़ते हैं और 200-300 किलोमीटर बाद वह नागौर से 50 किलोमीटर गुढा भगवानदास तक वह जाता है, तो बीच में आपकी कहां गयी, आपके थानाधिकारी ने गाड़ी रोकी तो उनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, उस समय वह गाड़ी फायर करते, अपने

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आप गाड़ी का टायर बर्स्ट होता या रुक जाती लेकिन उन्होंने रोकी और भगा दी। अब उनकी गाड़ी की स्पीड कितनी होती है...

श्री उपाध्यक्ष: आपका विषय सिर्फ शहीद का दर्जा दिलाने तक है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, इसी पर आ रहा हूं साहब, यह शहीद इसी मामले में हुआ इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा गृह मंत्रीजी से आग्रह है कि दिल्ली में अभी पिछले दिनों एक शहीद हुआ था, एक करोड़ रुपये दिल्ली के मुख्य मंत्रीजी ने घर जाकर दिये थे, शहीद का दर्जा भी दिया और एक करोड़ रुपये उस दिल्ली के पुलिस के जवान को दिया। पैसों से बड़ा कुछ नहीं होता लेकिन एक सम्बल मिलता है। अगर आप शहीद का दर्जा दोगे तो पुलिस का लड़ने का मनोबल बढ़ेगा। अगर बच्चा खड़ा होता है अपन कह देते हैं खड़ा मत हो गिर जायेगा और कह दें कि बेटा चल दौड़ तो बच्चा जल्दी ही भागने दौड़ने लग जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यही कहना है कि इस गैंगवार को आपको राजस्थान में खतम करना है। आज राजस्थान में जवान किस दिशा की ओर जा रहा है। कोई तो आनंदपाल का फोटो मोबाइल पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगा रहा है, कोई उसके फेसबुक पर चला रहा है, कोई राजू ठेठ का लगा रहा है। अब राजू ठेठ और आनंदपाल राजस्थान के हीरो हो गये क्या? उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से फिर आग्रह करूंगा कि इस खुमाराम को आप शहीद का दर्जा दें। आपका पिछला जो जवाब था उसमें कहा कि अभी हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है। तो नियम बनाते कौन हैं? आप ही नियम बनाते हो, 163 आपकी सीट हैं और इस मामले में तो हम भी आपके साथ हो जायेंगे। पुलिस का जवान अगर खतरनाक अपराधियों से, हार्ड कोर अपराधियों से लड़ते हुए शहीद होता है, प्राण देता है तो उसे शहीद का दर्जा मिले। दूसरा व्यक्ति जो वहां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, जो दो सिविलियन लोग थे उनको भी सरकार को विशेष मुआवजा देना चाहिये और उनको शाबासी देनी चाहिये, उन गांव वालों को भी जो उन रेतीले धोरों में उन अपराधियों को ढूंढने के लिये पूरी रात पुलिस का सहयोग कर रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, नागौर में यह घटना हुई, आनंदपाल नागौर से भागा लेकिन हमने नागौर में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ने दी। हमने रैलियां की थीं सरकार पर दवाब बनाने के लिये लेकिन कभी हाई वे

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जाम करके या आपके एसपी आफिस या कलेक्ट्रेट पर ऐसा व्यवधान हमने पैदा नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी तरह हमारे लोग इन अपराधियों की गोली का शिकार होते रहेंगे, इसी तरह पुलिस के जवान अगर अपराधियों की गोली का शिकार होते रहेंगे और आप सिर्फ भाषण देकर इतिश्री कर लोगे गृह मंत्रीजी, तो फिर कौन इस राजस्थान को बचायेगा? आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, सब लोग कहते हैं कि कटारियाजी बैठे हैं चिंता की बात नहीं है। आप पुलिस का पक्ष लेते हैं वह तो ठीक है, हम भी लेते हैं लेकिन पुलिस में जो गंदगियां हैं, उन गंदगियों को भी आपको साफ करना होगा। चाहे वह एसपी स्तर की है, आईजी स्तर की है, जिन गंदगियों की वजह से हमारा जवान आज इन अपराधियों की गोली का शिकार हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का दो मिनट जवाब चाहूंगा कि इन पुलिस के जवानों की हौसला अफजाही करने के लिये आप राजस्थान की इसी विधान सभा के सत्र में एक विधेयक लेकर आएं कि जो खतरनाक अपराधियों से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा देता है, ऐसे सिपाहियों को, आर्मी के जो बार्डर पर हमारे सिपाही लड़ते हैं उनकी तरह शहीद का पूरा पैकेज और दर्जा मिलना चाहिये। उसके बाद जो सिविलियन लोग, इनके साथ हमारे पब्लिक मैन लड़ते हैं इनको भी किसी न किसी तरह, बड़े स्तर पर सरकार इनको सम्मानित करे और विशेष प्रोत्साहन योजना में इनको करें ताकि उनको भी लगे कि अपराधियों से हम पुलिस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आपकी पुलिस के पास क्या है, बुलट प्रूफ जैकेट होने चाहिये। नागौर जिले में 5 एके 45 राइफल है पूरी पुलिस के पास। हमारे कई विधायक मांगते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं आपको तो पिस्टल वाला पीएसओ दे देंगे। आप बताओ एक पीएसओ लेकर कोई विधायक डोले और अगर चार एके 47 वाले उस पर हमला कर दें तो पीएसओ पहले भाग जायेगा। हमने कई बार देखा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं आज राजस्थान में 12 विधायकों पर हमले हुए, मंत्रियों को टोल पर रोक कर मंत्रियों के साथ बदतमीजी राजस्थान में हो जाती है। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली सरकार के टाइम भी, इस सरकार के टाइम भी जब हम खुद जो जनता की बात उठाते हैं, अपराधियों के खिलाफ इस राजस्थान की विधान सभा में, इन गैंगस्टर के खिलाफ इस राजस्थान की विधान सभा में हमें बोलने के लिये जनता चुन कर भेजती है। उपाध्यक्ष महोदय, उन गैंगस्टर के खिलाफ

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हम बोलते हैं उसका परिणाम यह होता है कि यह किसी नेता को धमकी देते हैं, किसी की गाड़ी पर अटैक करवाते हैं, किसी विधायक को किसी तरह की धमकियां देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपकी बात सदन के सामने आ गयी, अब आप विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से इतना सा जवाब चाहेंगे कि इस खुमाराम को शहीद का दर्जा मिले। आनंदपाल गैंग और राजस्थान के जितने भी गैंग हैं इनको चिन्हित करके जिस जोश के साथ इस सदन में आप हमको डराते हो, राजस्थान में अब अपराधियों को डराओ, ऐसा हम चाहते हैं। आपने मुझे बोलने का टाइम दिया इसके लिये धन्यवाद। गृह मंत्रीजी, दो मिनट में अगर मेरी बात का जवाब दे दें तो ठीक लगेगा, उपाध्यक्ष महोदय, वह मेरी कांस्टीट्यूएंसी की घटना है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। जो घटना हुई है, वह हुई है। एक कांस्टेबल इस घटना में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, एक अभी भी हास्पिटल में एक तरह से संघर्षरत है। इसको कोई नकार नहीं रहा, मैं कह रहा हूं घटना हुई है। हमारे पास जो कुछ भी हथियार उपलब्ध हैं और जिस स्थान पर यह घटना हुई, उनके पास जो कुछ भी था, उन्होंने उसके आधार पर मुकाबला किया।

लेकिन उनके पास हथियार बहुत थे। रात के अंधेरे के कारण से भी गाड़ी को तो उन्होंने रोक दिया लेकिन गाड़ी से उतरकर जब वो निकल गये तो उसका पीछा करके वो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाए। उसी में इनको गोलियां लगीं और उसके कारण से एक खुमाराम मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अभी तक जो पुलिस के कानून या नियम हमारे पास उपलब्ध है, उसके अनुसार हमारे पास शहीद का दर्जा देने का कोई अभी तक प्रावधान नहीं है, क्योंकि अभी हमने 24.11.15 को ही इसके बारे में फिर विचार किया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक हमारा फैज मोहम्मद हैड कांस्टेबल भी परबतसर के अन्दर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुआ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मुझे मालूम है कि आप वहां जाओगे तो मैं पहले से लेकर आया हूं। निश्चित रूप से हमने प्रयत्न किया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

और 24.11.15 को भी राज्य कार्य के दौरान मृत पुलिस कर्मियों को शहीद का दर्जा जैसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। इस विषय पर यह कह रहे हैं कि कुचामन सिटी थाना इलाके में एनकाउंटर में मारे गए फैज मोहम्मद हैड-कांस्टेबल को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, शहीद का दर्जा नहीं। हमारी पुलिस में राष्ट्रपति पदक और जो बाकी सुविधाएं होती हैं वो हम जरूर उपलब्ध कराते हैं लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। आगे इस पर विचार करेंगे अगर बाकी प्रदेशों में भी इस प्रकार का कुछ किया हुआ है तो...। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरे क्षेत्र में दिया है, चंद्रभान को दिया है। हरीशजी मीणा साहब उस समय डी.जी. थे। आज से चार साल पहले शहीद का दर्जा दिया है। राजेन्द्रजी को मालूम है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मुझे जो जानकारी अभी तक दी है उस जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं और आप जो बात कर रहे हो, आपकी बात को मैंने नोट कर लिया है। अगर है, तो मुझे सूचना जिन्होंने गलत दी है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्रीजी ने नहीं दिया क्या? बड़ौदा में जो डकैती हुई थी, उसमें चंद्रभान को शहीद का दर्जा दिया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरे पास है कि फैज मोहम्मद को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक से जरूर सम्मानित किया है। हमारी पुलिस में इस प्रकार से वीरता से मुकाबला करते हुए जिन लोगों की मृत्यु होती है उनको सरकार ने कई प्रकार से मदद करने का प्रयास अभी हमारे प्रावधानों में है। ड्यूटी पर इस प्रकार की घटना होती है तो बीस लाख रुपये की उसकी हम सरकार की तरफ से मदद करते हैं। सामूहिक-व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्दर भी हम उनको दो लाख रुपये, एक आश्रित को नौकरी देते हैं। राजस्थान पुलिसकर्मी कल्याण न्यास से हम उनको बीस हजार रुपए देते हैं। जी.पी.एफ. राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान करते हैं। अनुग्रह – अनुदान राशि देते हैं, ग्रेच्युटी राशि देते हैं, बकाया उपार्जित अवकाश का नकदी भुगतान करते हैं और विशेष पेंशन अवार्ड के रूप में उनको देते हैं। अभी तक पुलिस के अन्दर इस प्रकार से वीरतापूर्ण काम करते हुए जिनकी मृत्यु होती है उनको अभी बने हुए नियमों के आधार पर उस परिवार को जो भी सहायता हमसे सम्भव हो सकती है, मनुष्य की भरपाई करना तो हमारे लिए

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सम्भव नहीं है, फिर भी जो कुछ भी राशि से सहयोग, ताकि उस परिवार को बल मिले। जो सुझाव उन्होंने दिया, विचार करेंगे। अगर अन्य कहीं प्रदेशों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है तो उसको भी मंगाएंगे। इतनी बहादुरी से एक साधारण कांस्टेबल होते हुए भी जिस ढंग से उन्होंने गाड़ी का पीछा किया और रोकने का प्रयत्न किया, यह ठीक था क्योंकि अंधेरा हो चुका था और उनके पास जिस प्रकार के विकल्प थे, उन्होंने 30-35 फायर किए। इन्होंने भी 18-19 फायर किए, लेकिन उसके बाद भी उनको वो पकड़ नहीं सके, यह बात सच है।

मैं सोचता हूं जिस गैंगवार के बारे में आप चिंतित हो, मैं भी चिंतित हूं, पर हम प्रयत्न कर रहे हैं। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं। जैसा मैंने उस दिन कहा था अलवर की घटना में कि निश्चित रूप से इस प्रकार से जो अपराधी भागा है और उसने गोली मारकर हत्या की है, उसे पकड़ेंगे। कुछ ईश्वर योग से भी चार दिन बाद ही सारे के सारे लोग पकड़े गये और सारे के सारे अन्दर हैं। मैं सोचता हूं इसमें भी मेरा विश्वास है, मेरा मन यह कहता है कि निश्चित रूप से गैंग आज नहीं तो कल पकड़ी जाएगी और राजस्थान से यह गैंगवार का जो खेल चल रहा है इसको जेलों के अन्दर भी रोकने की दृष्टि से जितने साधन और जितने इक्विपमेंट लगाए जा सकते हैं, लगाएंगे। आने वाले समय में आपको यह संतोष होगा कि हमने प्रयत्न किया है। 100 परसेंट तो हमने सफलता अर्जित नहीं की है, लेकिन कुछ सीमा तक हम सफलता अर्जित करेंगे।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बगरू रीको क्षेत्र में अवैध टायर फैक्ट्रीज

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले मुद्दे। श्री कैलाश वर्मा।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जन-जीवन और मानव हित से जुड़ा बगरू विधान सभा क्षेत्र का मुद्दा है। बगरू विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका के अन्दर रीको स्थित है, उसके बीच में, औद्योगिक क्षेत्र बगरू में 13 टायर प्लांट लगे हुए हैं। मैं माननीय मंत्रीजी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो 13 टायर प्लांट लगे हुए हैं, उन 13 प्लांटों की वजह से वहां का जन-जीवन, आस-पास के

(श्री कैलाश वर्मा)

एरिये के अन्दर जीव-जंतु, प्राणी का जीना बिल्कुल पूरी तरह से दुश्वार हो गया। इन 13 टायर प्लांट में रात के समय में, दिन के समय में, पूरे के पूरे ट्रक भरकर टायरों के वहां पर आते हैं और अवैध रूप से इन टायरों की कटिंग करके ऐसा ब्लास्ट रात के समय में 11 बजे बाद वहां पर करते हैं और दिन के 11 बजे बाद में जिस समय यह ब्लास्ट होता है वहां का आस-पास का क्षेत्र, अगर हम व्हाइट कपड़े पहनकर उधर से निकल जाएं तो उस दो किलोमीटर के एरिये से निकलने के बाद हमें यह पता नहीं चलता कि यह कपड़ा व्हाइट है या काला हो गया। जन-जीवन के साथ में खिलवाड़ इन टायर प्लांटों की वजह से हो रहा है। 20 जनवरी, 2013 को 'राजस्थान में पुराने टायर उगल रहे हैं काला सोना, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की मिलीभगत से रात के अंधेरे में छपते हैं हरे नोट', सरकार के खिलाफ भी कई बार...

हमारी सरकार उद्योग के सही मायनों के अन्दर चल रही है और वहां पर उद्योग के रूप में जे.सी.बी. जैसे बड़े प्लांट, शिक्षा के लिए मनिपाल विश्वविद्यालय और एक बहुत बड़ा वहां का धार्मिक स्थल जुगल दरबार है, जिसमें आये साल कम-से-कम दो से तीन लाख लोगों का वहां पर मेला भरता है और छपाई के मामले में भी बगरू प्रिंट बहुत प्रसिद्ध है। वहां पर चार-चार सरकारी स्कूल हैं, एक बहुत बड़ा निजी स्कूल है, एक स्वास्थ्य का बड़ा हास्पिटल है और पूरा नगरपालिका क्षेत्र जिस टाऊन के अन्दर बसा हुआ है, उसके चारों तरफ यह रीको अधिकृत है। हम उद्योग के खिलाफ नहीं हैं, हम फैक्ट्रियों के खिलाफ नहीं हैं, वहां पर बढ़िया कपड़े की फैक्ट्री भी चलती है, वहां पर दाल की फैक्ट्री भी चलती है, वहां आटे की फैक्ट्री भी चलती है। जब-जब बात आई हम कलक्टर साहब से भी मिले, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से भी मिले और इन्होंने समय-समय पर इन टायर प्लांटों के खिलाफ कार्यवाही भी की। टायर प्लांट के कारण से बगरू नगर व्यापार मण्डल, पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति ने वहां के एक प्रसिद्ध शिव मंदिर के बाहर धरना भी दिया। उसके बाद इन टायर प्लांटों के खिलाफ कार्यवाही भी की गयी और इस कार्यवाही के अन्दर एक बहुत बड़ी न्यूज भास्कर ग्रामीण अख़बार में लगी कि '11 टायर प्लांटों के काटे बिजली के कनेक्शन' उसमें उपाध्यक्ष महोदय मैं भी था, पूरा प्रशासन उसमें था, मगर यह जो टायर प्लांट चलते हैं, इनकी पता नहीं क्या मिलीभगत है ? क्या सांठगांठ है ? जब यह पता चलता है कि आज कोई अधिकारी इन टायर प्लांटों के खिलाफ कार्यवाही

(श्री कैलाश वर्मा)

करने जाएगा, उस दिन ये फैक्ट्री नहीं चलाते। वहां पर मिट्टी लाकर उस पूरी फैक्ट्री के अन्दर बिछा देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं 14 साल से कम उम्र के बालकों से, महिलाओं से इन टायर प्लांटों में काम करवाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन टायर प्लांटों के खिलाफ इतना मसाला मेरे पास कागजों के माध्यम से है, वहां के व्यापार मण्डल के माध्यम से, वहां की पालिका के माध्यम से, वहां की जितनी फैक्ट्रियां सुचारु रूप में संचालित हैं जो वहां के लोगों को उद्योग प्रोवाइड करवाती है, वहां के बेराजगारों को रोजगार देती है मगर इन 13 फैक्ट्रियों की वजह से वहां का पूरा उद्योग बहुत ज्यादा दूषित है।

मैं सम्माननीय मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमने कलक्टर महोदय को भी इसके बारे में अवगत करवाया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को भी इसके बारे में अवगत करवाया। सचिव महोदय को भी इसके बारे में अवगत करवाया। इन्होंने अपनी टीम भेजकर उनके ऊपर कार्यवाही भी की। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कार्यवाही नहीं हुई, मगर ऐसे टायर प्लाण्ट, यह सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। एक तरफ उद्योग के रूप में इतना बड़ा प्लाण्ट बगरू रीको के पास जेसीबी का लगा हुआ है। मगर फिर 10-15 दिन होते हैं मामला थोड़ा ठंडा होता है उसके बाद यह फिर जहर उगलना स्टार्ट कर देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सम्माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारी सरकार की उद्योग नीति को मजबूती से बढ़ावा देते हुए इन टायर प्लांटों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। जो जीवन के साथ खिलवाड़ करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, जब हम इनके खिलाफ कार्यवाही की कोई बात करते हैं तो यह सीधे बोलते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं। तो अगर ऐसा कोई घोर अपराध करके अपना जीवन यापन करें तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास वहां के पार्षदों द्वारा और वहां के जनमान्य लोगों के द्वारा, पूरे रीको के द्वारा मेरे पास लैटर आया, हम वहां पर गए। बड़े-बड़े उद्योग, शिक्षा के, बहुत से विकास कार्य के उद्‌घाटन के माध्यम से हम वहां पर जाते हैं, किसी भी अच्छे कार्य के माध्यम से वहां पर

(श्री कैलाश वर्मा)

जाते हैं तो सीधा-सीधा आरोप हमारे ऊपर आता है एमएलए और जन प्रतिनिधियों की ऐसी क्या मिलीभगत है कि यह टायर प्लाण्ट चल रहे हैं।

मेरा माननीय मंत्रीजी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने कठोर कार्यवाही पहले की थी और 13 में से 2 टायर प्लाण्ट पहले बंद हुए थे। मध्यप्रदेश, गुजरात, सभी राज्यों के अन्दर बंद हैं। बगरू रीको के अन्दर भी यह बंद हो जिससे वहां की जनता को फायदा मिले। माननीय मंत्रीजी, आप आने वाले समय में इसमें क्या कठोर कार्यवाही करेंगे, इसका जवाब चाहिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बगरू से पधारने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय उठाया है। टायर बर्निंग जितनी भी फैक्ट्री हैं, मेरे ख्याल में टायर बर्निंग से ज्यादा प्रदूषण कोई भी इंडस्ट्री नहीं फैला सकती। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में हमें बताया था कि जयपुर की आलरेडी प्रदूषण की लिमिट है उससे ज्यादा खराब हो गयी।

माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे पास जो लिस्ट है रीको इण्डस्ट्रियल एरिया बगरू के अन्दर 10 टायर बर्निंग फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्रीज यह पुराने टायरों को जलाकर कार्बन इकट्ठा करती हैं। कोई भी उद्योग है उसको पोल्यूशन बोर्ड जब एन.ओ.सी. देता है, जो ग्रीन कैटेगिरी में नहीं होते हैं, जो ओरेंज और रैड कैटेगिरी में होते हैं। पोल्यूशन बोर्ड की एन.ओ.सी. के द्वारा ही वह संचालित होती है।

मैंने इसकी इंक्वायरी की तो यह पाया कि इण्डस्ट्रियल एरिया बगरू में 10 फैक्ट्रीज अभी कार्यरत हैं, यह ओरिजनल ओनर्स नहीं हैं यह सब टीनेंट्स हैं। इन 10 के अन्दर केवल 8 को रीको, मेरे विभाग की परमीशन मिली है To sub let them, दो को नहीं मिली है वह इल्लीगल तरीके से चला रहे हैं, उनको हमने नोटिस इश्यू किए हैं। पांच फैक्ट्रीज की 29 फरवरी, 2016 को एन.ओ.सी. लैप्स हो चुकी है लेकिन उन्होंने पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वापस री-एप्लाई किया है।

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जहां तक मेरे विभाग का कंट्रोल है, यह 8 फैक्ट्रीज हैं जिनको रीको की परमीशन मिली हुई है टू सब लेट, इनकी जब सब लेट की परमीशन खतम हो जाएगी तो मेरा विभाग इनको दुबारा परमीशन नहीं देगा।

हमारे पर्यावरण मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा

(श्री गजेन्द्रसिंह)

कि हमारे जो बड़े शहर है जहां पर ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज हैं, टायर फैक्ट्रीज, कार्बन इकट्ठा करने के लिए, टायरों को जलाती हैं, उनको ऐसे एरियाज में परमीशन नहीं दिया जाए, नम्बर एक। नम्बर दो, हमें दूसरे देशों से भी मालूम करना चाहिए। इतने आटोमोबाइल्स हैं, टायर्स तो सब कबाड़ी के पास आते हैं। आज आप अपनी गाड़ी का टायर चेंज करते हो तो पुराने टायर की भी आपको कीमत मिलती है क्योंकि उसकी एक सेल वैल्यू है। वह आगे री-ट्रेडिंग में काम में आता है या जलाकर कार्बन इकट्ठा करने के काम आता है, I am sure, उपाध्यक्ष महोदय, There are many other technology. आजकल दुनिया के अन्दर एडवांस कंट्री के अन्दर ऐसे प्रोसेस होंगे जिसके अन्दर आप टायर का कार्बन भी इकट्ठा कर सकते हैं और उसमें प्रदूषण मिनिमाइज हो।

मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आप भी सख्त कार्यवाही करें, क्योंकि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा इसका मेन परव्यू आपके डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है। जहां मैंने रीको के बारे में बोला, रीको इनको सबलैट करने की परमीशन नहीं देगी। यह आश्वासन मैं माननीय सदस्य को दिलाना चाहता हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम शहीद का दर्जा नहीं दे सकते लेकिन अभी सदन चालू है हम कम से कम उसके प्रति संवेदना प्रकट कर दें जिसने वीर गति प्राप्त की है, सदन उसको श्रद्धांजलि देगा तो राजस्थान के जवानों में अच्छा संदेश जाएगा।

श्री राजकुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रीको औद्योगिक क्षेत्र बगरू में 12 टायर प्लाण्ट पायरोसिस चिह्नित हैं, उनमें से दो प्लाण्ट हटा दिये गये हैं, 10 थे उनको जब नोटिस दिया गया, बंद करने का, उनका विद्युत जल सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया तो उन्होंने अनुपालना करने का, सारी प्रक्रिया पूरी करके पुनः चालू करवाया, उनको सहमति प्रदान की। हमने फिर दुबारा जांच करवाई तो उसमें तीन अनुपालना के नियमों में नहीं मिले तो उन तीन को बंद कर दिया। वह लोग सुप्रीम कोर्ट गये तो उन्होंने भी उनको सैट असाइड कर दिया, तो वह तीनों बंद हो गए। सात की जब पुनः जांच करवाई तो वह बंद प्लाण्ट मिले उस समय, शायद उनको जानकारी मिल गयी इसलिए बंद मिले। हमने उनको नोटिस जारी किये

(श्री राजकुमार रिणवां)

हैं। 9.3.2016 को हमने उनको बंद करने के नोटिस दे दिए हैं, उनका जल और विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ललित कुमार।

बारां जिले की सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्ची के माध्यम से मैं बारां जिले के मेरे विधान सभा किशनगंज शाहबाद की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं के बारे में इस सदन में अपनी बात रखना चाहूंगा। जैसा कि सदन को और हमारे सभी माननीय सदस्यों को पता है कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत पूरे राजस्थान में जल के लिए, जल स्टोरेज के लिए, पेयजल के लिए एक बहुत बड़ी योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा अभी चालू की गयी है। पिछले बजट के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फोर वाटर कांसेप्ट के अन्दर नदियों को जोड़ने के लिए पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के, मुख्य नदियों में कैसे जोड़ा जाए, कैसे पानी का स्टोरेज किया जाए, इनका विशेष ध्यान रखते हुए इस योजना की शुरूआत की है। आगामी 29 तारीख को पेयजल और सिंचाई के अन्तर्गत विशेष चर्चा इस सदन में रखी गयी है। पर्ची के माध्यम से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद की फोरेस्ट की वजह से, कई रेवेन्यू क्षेत्र में लम्बित सिंचाई परियोजना वर्षों से पड़ी हुई है, 25-26 साल से, उनके प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सबसे पहले बिलासी मध्यम सिंचाई परियोजना, जो 1976 में बनकर तैयार हुई और इस सिंचाई परियोजना के माध्यम से लगभग 20 गांवों में वर्तमान में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था होती थी। इसमें लगभग 8 माइनरों द्वारा किसानों को सिंचाई मिलती थी। इस सिंचाई के माध्यम से टेल क्षेत्र का मेरा किशनगंज उपखण्ड मुख्यालय है, उसमें पानी नहीं पहुंचता है। उसकी लगभग 13 हजार की जनसंख्या है। उस जनसंख्या को पानी पीने के लिये भी वाटर लेवल और इसी नहर के द्वारा, इसी मध्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से पानी मिलता था। एक लालापुरा, रानी बड़ौद, कांकड़दा, ऐसे गांव हैं जिन गांवों में टेल क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंचता। मैंने मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन भी किया और अपनी बात रखी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मंत्रीजी ने और विभाग ने आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी. के

(श्री ललित कुमार)

अन्तर्गत इस प्रोजैक्ट को लिया है, 995 करोड़ की डी.पी.आर. बनाकर विभाग ने भिजवाई है। मैं यह निवेदन करुंगा कि इसको प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि रेवेन्यू क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद ऐसा विधान सभा आदिवासी सहरिया क्षेत्र है और पूरा फोरेस्ट में आता है, आदिवासी सहरिया क्षेत्र होने के कारण पूरा फोरेस्ट से भरा हुआ है। पूरे बारां जिले की चार रेंज, किशनगंज, शाहबाद में पड़ती हैं। पूरे राजस्थान की सबसे ज्यादा रेंज उसी मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। तो रेवेन्यू में जो प्रोजैक्ट आते हैं, उनको तत्परता से माननीय मंत्री महोदय और हमारे मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इनको स्वीकृति दिलायें। इसी के माध्यम से मेरे तीन सिंचाई परियोजना, जो पिछले 40 वर्षों से लम्बित हैं। एक तो मेरी हथियादह सिंचाई परियोजना, राडी लघु सिंचाई परियोजना, नेवेली लघु सिंचाई परियोजना, यह तीन सिंचाई परियोजनाएं ऐसी हैं, जो वर्तमान में फोरेस्ट के कारण और किसी न किसी कारण, आज अलग-अलग स्टेज पर लम्बित पड़ी हुई हैं। हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना में जो सर्वे करवाया गया 2004 में, और उससे पूर्व भी सर्वे हुआ 1980 में, अगर यह बनती है तो इससे 45 गांवों को बहुत बड़ा लाभ होगा। पूरे आदिवासी क्षेत्र में, रामगढ़, रेलावण, ऐसे कस्बे हैं, जहां कम से कम 8-9 हजार जनसंख्या अभी वर्तमान में निवासित है। यहां के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी वर्तमान में मंत्री महोदय को मैंने आग्रह किया तो दुबारा बी.एस.आर. 2014 के अन्तर्गत इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट बनवाया गया। लगभग 16100 लाख एन.पी.पी. सहित इसकी लागत और एस्टीमेट कोस्ट आई है। हथियादह सिंचाई परियोजना में माननीय मुख्य मंत्रीजी का 2003 से 2008 का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान, एम.पी. का कुछ क्षेत्र इसमें पड़ता है। एम.पी. और राजस्थान की अंतर-स्वीकृति की आवश्यकता है इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के अंतर-राज्यीय नियंत्रण मण्डल की भी बैठक 25.08.2005 को हुई थी। एम.पी. सरकार को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी वर्तमान सरकार आते ही 2014 में भी पत्र लिखकर भेजा है, ताकि वहां से स्वीकृति आये, तो मेरा इस सदन में यह निवेदन है कि यह फोरेस्ट के कारण इण्टर-स्टेट जो सिंचाई में अटके हुए हैं, इनको स्वीकृति दिलायें।

इसी तरह नेवेली सिंचाई परियोजना, इससे मेरे लगभग 6 गांवों को सिंचाई परियोजना का लाभ मिलेगा। इसमें बालापुरा, गेसुंआ, डिकवानी, रातई कला, बिलारी, ऐसे गांव हैं जिनमें 614 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी, परन्तु यह

(श्री ललित कुमार)

भी फोरेस्ट के कारण अटकी हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984 में इस सिंचाई परियोजना के ऊपर 18 लाख रुपये भी खर्च किये गये हैं। वेस्टवेयर भी अभी वर्तमान में बना हुआ है। परन्तु फोरेस्ट की क्लीयरेंस न होने के कारण, फोरेस्ट के अड़ंगे के कारण तीन साल बाद, 1987 में इसे रोक दिया। इस परियोजना के लिये 2001 में वापस एक पत्र लिखकर इसका एस्टीमेट बनवाया गया। इसकी लागत 199 लाख रुपये, पुनः प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। परन्तु फिर फोरेस्ट के कारण अटक गया, 2014 में वापस, अभी मंत्री महोदय ने और सरकार ने दुबारा इसकी बी.एस.आर. रेट बनवाई है। इसको भी कहीं न कहीं प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान करायें।

इसी तरह राडी लघु सिंचाई परियोजना शाहबाद तहसील के डिकवानी और बीजाखाल नदी पर प्रस्तावित है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रमुख दो-चार, जो मेरी सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके ऊपर ही ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि जो राडी सिंचाई परियोजना है, इससे पांच गांवों को, पहाड़ी, उनी, हतवाड़ी, केलवाड़ा, खीरिया, इनमें आज पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर यह राडी लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दें, बी.एस.आर. 2014 वापस तखमीना बनाकर मंगवाया गया है, इसको भी वन विभाग द्वारा स्वीकृति मिले। तीन ऐसी सिंचाई परियोजनाएं हैं। आज पूरे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की वजह से बहुत समस्याएं आती हैं। उस आदिवासी अंचल में सिंचाई और पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरह जखा मझोला लघु सिंचाई परियोजना और मेरे विधान सभा क्षेत्र में छोटा झीना तालाब देवरी और हतवाड़ी, खीरिया तालाब, ये तीन तालाब ऐसे हैं जो वैसे वहां की ग्राम पंचायतों और इर्रिगेशन द्वारा ग्राम पंचायतों को हैण्ड-ओवर किये गये हैं। इनके आस-पास जो गांव पड़ते हैं, सड़ देवरी, भीलखेड़ा, माल, गोगरा, हतवाड़ी, खीरिया, इनकी डी.पी.आर. बना कर भी विभाग द्वारा अभी भिजवाई गयी है, तो मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी से निवेदन है कि वन विभाग द्वारा, जो यह लम्बी सिंचाई परियोजनाएं हैं किशनगंज, शाहबाद की इनको स्वीकृति दिलाने की अनुशंसा करें। अभी वर्तमान में अहमदी सिंचाई परियोजना चल रही है, 30 साल पुरानी उस सिंचाई परियोजना में 2008 में वहां पर मुख्यमंत्री ने उसका भूमि पूजन किया। उसकी

(श्री ललित कुमार)

फोरेस्ट की एन.ओ.सी. 2014 में मिली। पांच साल तक उसका कोई कार्य नहीं हुआ। आज वर्तमान में दुबारा सरकार आने के बाद 2800 करोड़ रुपये सरकार ने फोरेस्ट को दिये। उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की। वह देने के बाद आज काम चल रहा है। पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मेरे एक गोपालपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये बीस करोड़ रुपये दिये।

श्री उपाध्यक्ष: आप इस पर एण्डलैसली नहीं बोल सकते। वैसे तो इस पर चार मिनट से ज्यादा का नहीं है। लेकिन आप पिछले पन्द्रह मिनट से बोल रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप कहीं समाप्ति की ओर भी नहीं हैं।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करुंगा।

मैं यह कहूंगा कि आप उस आदिवासी सहरिया क्षेत्र में वहां के गरीब, आदिवासी का जीवन स्तर ऊपर उठे, इसलिये मेरे लम्बित जो सिंचाई परियोजनाएं हैं इनको सर्वे हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयराम जाटव।

पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में अलवर आये किसानों को खातेदारी अधिकार

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्षजी, पर्ची के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे बोलने का टाइम दिया गया।

अलवर जिले में मैंने बात रखी, किसानों को गैर खातेदारी भूमि से खातेदारी राइट दिलाने के लिये। देश को आजाद हुए लगभग 69 वर्ष हो गये। जब देश का विभाजन हुआ, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो शरणार्थी के रूप में राजस्थान में आये थे, जिनमें अलवर जिले में काफी लोग थे, उनको 16-16 बीघा जमीन अलाट हुई। वह जमीन पुनर्वास के रूप में कस्टोडियन भूमि अलाट की गयी, जो हमारे यहां से पाकिस्तान में लोग चले गये थे। उस जमीन की कीमत 625 रुपया मूल और 625 रुपया उसका ब्याज, 1250 रुपये प्रति बीघा जमा कराने के बाद में गैर खातेदार को खातेदारी राइट दिया जाता था। सन् 1975-76 इमरजेंसी के टाइम तक किसानों के पास जो फसल होती थी उसकी उपज, इतनी कीमत नहीं होती थी कि 1250 रुपये जमा कराने के बाद वह खातेदारी के लिये कीमत जमा करा दें और पट्टे ले लें।

(श्री जयराम जाटव)

वह खातेदारी राइट उनको नहीं मिला और कुछ लोग उस जमीन को बेचकर बाहर चले गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी था कि पहले गैर-खातेदारी भूमि की, जमीन की रजिस्ट्री भी हो जाती थी। उस गैर-खातेदारी भूमि के ऊपर उसका कुआं था, उसमें कनेक्शन बिजली का भी मिल जाता था और जो जमीन बेचकर चले गये और जिन लोगों ने जमीन को खरीद लिया, आज वह भी धक्का खा रहे हैं। इमरजेंसी के टाइम में सन् 1975 से 77 के बीच में जो भूमि-हीन किसान थे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को तीन बीघा, चार बीघा, पांच बीघा जमीन अलाटमेंट की गयी, वह भी कस्टोडियन भूमि थी। वह सिवायचक की थी या गोचर थी, उनको भी वह जमीन अलाट हुई लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो किसान आज भी इन 69 साल के बाद में कस्टोडियन भूमि के गैर खातेदारी से खातेदारी लेने के लिए, जब जाते हैं पटवारी के पास, तहसीलदार के पास, एस.डी.ओ. के पास, जिला कलक्टर के पास तो तकलीफ इस बात की है वह कहते हैं कि सम्वत् 2012 से सम्वत् 2020 तक की जमाबंदी की नकल लाइए। हमारे भू-राजस्व विभाग अलवर में सम्वत् 2012 से सम्वत् 2020 तक का जो राजस्व रिकार्ड है वह बिलकुल फटा पड़ा है। जिला कलक्टर और एस.डी.एम. कहते हैं कि हम इसको आधार मानते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवदेन है, माननीय राजस्व मंत्रीजी बैठे हैं। पहले पुनर्वास में आती थी यह कस्टोडियन भूमि। अब पुनर्वास से लेकर राजस्व में कर दिया, इसके लिए तो आपको, मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे याद है कि पिछले वर्ष जब बजट सत्र चल रहा था तो रामहेतजी जो किशनगढ़बास के विधायक हैं, उन्होंने इस बात को उठाया था और उन्होंने भी अपनी बात को इसलिए भी उठाया था कि वहां आज भी हमको परेशानी है।

आज जब हम पर्ची लगाने के लिए जाते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा पर्ची का नम्बर आ गया और हमको भरोसा होता है कि जो विधायक इस सदन में अपनी बात रखता है, उसका कानून बनता है। उसका एक पटल पर जाकर मंत्रीजी जवाब देते हैं और उस बात को जो अधिकारी बैठे हैं, चाहे वह जिला कलक्टर हो, चाहे राजस्व में नौकरी करने वाला कोई अधिकारी हो तो यह मानेगा कि विधायक ने बात रखी है इसलिए कानून बना। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि इस तरह का

(श्री जयराम जाटव)

पिछली बार राजस्व मंत्री ने आश्वासन दिया था कि किसानों को जमीन के पट्टे दिये जाएंगे। खातेदारी राइट दिया जाएगा। कीमत जमा की जाएगी। डी.एल.सी. रेट की 25 परसेंट। डी.एल.सी. रेट की अनुसूचित जाति को 25 परसेंट, जनजाति को 25 परसेंट कीमत और सामान्य जाति के लोगों को 50 परसेंट, इन किसानों ने ऐसा बुरा क्या किया? डी.एल.सी. की रेट्स हमारे अलवर जिले में बहुत भारी हो गयीं। हाई-वे पर दिल्ली से हरियाणा होते हुए जो अलवर के लिए एक सड़क है, उसमें डी.एल.सी. की रेट बहुत है। लाखों की मतलब, 50 लाख, 60 लाख या करोड़ों की बीघा की तादाद में हो गयी और आज तक किसान गैर-खातेदारी भूमि से खातेदारी राइट के लिए घूमता है और निश्चित रूप से जब वह किसान जाता है कि मेरा कब्जा है तो पटवारी रिपोर्ट नहीं करता ढंग से।

मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी किसान हैं। माननीय मंत्रीजी जानते हैं कि किसान क्या है? मेरा माननीय राजस्व मंत्रीजी से आग्रह है कि राजस्व के जो कैम्प लगते हैं, जिला कलक्टर की अब रात्रि चौपाल लग रही है। यह व्यवस्था, छोटे-बड़े रोजमर्रा के काम तो होते होंगे लेकिन आपसे मेरी पुरज़ोर शब्दों में प्रार्थना है कि अलवर जिले का जो गैर-खातेदारी भूमि का किसान है, वह परेशान है, इसलिए राजस्व कैम्प लगाकर उनको पट्टा देने की, खातेदारी राइट दिलवाने की व्यवस्था की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चौरासी गांव, भूमि नगर विकास न्यास अलवर में चली गयी। वह कहते हैं कि पांच परसेंट राशि डी.एल.सी. का हम भी लेंगे। जो जमीन शहर में आ गयी, नगर परिषद में, जो पहले गांव थे, जिनको जमीन अलाटमेंट हुई, उसमें कमेटी नहीं बनती। विधायक के क्षेत्र में जो तहसील ग्रामीण में आते हैं, उनको विधायक भी कमेटी में ले जाता है तो तहसीलदार, विधायक, एस.डी.एम., एक मैम्बर और लेकिन, शहर में विधायक भी नहीं लिया जाता है और जो शहर के पट्टे हैं, जो शहर के गैर-खातेदार हैं उन लोगों को भी आज तक खातेदारी का राइट नहीं मिल रहा है।

इसलिए माननीय राजस्व मंत्रीजी से मेरी अपील है, मैं आपको पहली बात तो धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि चूंकि, यह जमीन कस्टोडियन की पुनर्वास में आती थी, पुनर्वास से आपने मुक्त कर दिया। अब केवल आपके पास है। आपका अधिकार है। आपने जो कागज में लिख दिया, राजस्व मंत्री,

(श्री जयराम जाटव)

यह कानून बन जाता है। आपसे प्रार्थना है कि अलवर जिले के साथ-साथ भरतपुर और है, मैंने अलवर जिले की बात रखी है। भरतपुर जिले का किसान भी परेशान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1975-1977 के बीच जो भूमिहीन थे, उनमें अनुसूचित जाति के लोग अलवर जिले में ज्यादा थे। आज तक अलवर जिले के भूमिहीन जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उनको कोई पट्टा नहीं मिल रहा है। आज वह काबिज हैं, आज भी उनका कब्जा है, कई लोगों ने जो जमीन किसी से बेचान करके खरीद ली, उनके पास एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के आधार पर यहां से पत्र जारी हो गया, एग्रीमेंट के आधार पर, कब्जे के आधार पर जो खातेदारी राइट लेना चाहता है, उनको खातेदारी देने के लिए कीमत जमा कराकर पट्टा दे दिया जाए। यह यहां से पत्र चला गया लेकिन अलवर जिले की, भरतपुर जिले की ही बात नहीं, सब जगह यही पोजिशन है। मैं सरकार पर न आरोप, मैं सत्ता पक्ष का हूं, दो साल में माननीय मंत्रीजी, अलवर जिले में दो-चार पट्टों का तो मैं कह नहीं सकता कि खातेदारी राइट मिला हो वर्ना किसान दर-दर धक्का खा रहा है। दर-दर धक्के खाता है। 69 साल के बाद में चाहे वह पुरुषार्थी के रूप में, शरणार्थी के रूप में आए हैं, वह आज भी वहीं बैठे हैं। जो उनके पास में जमीन बची थी, जो भूमिहीन थे, उस टाइम सन् 1948 और 50 के बीच में अलाटमेंट, उनको भी पट्टे नहीं मिले। यह किसान कहां जाएगा?

अब किसानों के उस गैर खातेदारी भूमि में न तो कनेक्शन होते हैं बिजली के और न वह कुएं खोद सकते हैं, न उनको बेचान की, न वह जमीन बेच सकते हैं इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यह जो गैर-खातेदारी भूमि है, इस खातेदारी राइट के लिए कीमत 1250 रुपये लेकर, डी.एल.सी. की 25 परसेंट कहां से जमा करवाएंगे? जमीन बिकती नहीं। अनुसूचित जाति, जनजाति की जमीन बिकती है 20 परसेंट में। सामान्य जाति की करोड़ों में बिकती है, उनकी बिकती है, 10 लाख में और डी.एल.सी. की रेट हो जाती है इतनी कीमत इसलिए वह खातेदारी राइट उनको मिलता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय मंत्रीजी, इसका कुछ उपचार करिए, इसमें कुछ व्यवस्था बनाइए ताकि किसान को अपनी जमीन का, जमीन तो उसकी है, अलाटमेंट उसको हुआ है, राइट उसका है, अधिकार उसका है लेकिन जब तक वह खातेदार नहीं बनेगा, तब तक उसको सारे अधिकार नहीं मिल पाएंगे।

(श्री जयराम जाटव)

आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, एक बात और रह गयी माननीय मंत्रीजी, कि अलवर जिले में टपूकड़ा और तिजारा है। वहां पर गैर-खातेदारी जमीन रीको में चली गयी। रीको में जाने के बाद में उन किसानों को जो गैर-खातेदार थे, उनको रीको की जमीन की जो कीमत, वह जो उनकी कीमत देनी पड़ती थी, वह उनको नहीं मिल रही है। टपूकड़ा और तिजारा की बात कर रहा हूं। उन किसानों के गैर-खातेदारी के नाम से रीको वाले पैसा जमा नहीं करवा रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। वर्ष 2012 में यह जो जमीन रीको ने अलाटमेंट की थी, अवाप्त की थी, उनको भी नहीं मिल रहा है। दूसरा, चौरासी गांव की मैंने बात कही थी, जमीन नगर विकास न्यास ने ले ली। सड़कें नहीं बनाते हैं। हमारी जमीन चली गयी। पानी की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। मैंने अपने नगर विकास मंत्रीजी को भी कहा है कि हमारी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह तो विषय ही दूसरा है। माननीय, आपका यह विषय ही, आप पर्ची से अलग चले गये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैं उसी विषय की बात करता हूं। जो जमीन हमारी ले ली, गैर-खातेदारी की जो जमीन चली गयी। डी.एल.सी. हम जमा कराएं ज्यादा पांच परसेंट और हमारी सड़कों की और पानी की व्यवस्था तो कराएं।

इसलिए माननीय राजस्व मंत्रीजी, आपसे यह अपील है, वह तो कर लेंगे लेकिन किसानों को आप खातेदारी राइट दिलवाने के लिए निश्चित रूप से, पिछली बार भी आपने आश्वासन दिया था, चर्चा हुई थी, आपने लैटर जारी किया यहां से जयपुर से कलक्टर, अलवर को लेकिन उसके बाद में एक भी पट्टा आज तक किसानों को नहीं मिला।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अलवर में गैर-खातेदारों को खातेदारी के अधिकार प्राप्त करने के लिए जो चिंता जाहिर की है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा कि अलवर जिले में दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 29.02.2016 तक खातेदारी अधिकार दिये गये हैं, उन प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

कस्टोडियन की है, वह है 716, सामान्य में 175, कुल 891, यह

(श्री अमराराम)

आपके यहां गैर-खातेदार को खातेदारी दी गयी है। वर्तमान में जो खातेदारी प्रकरण शेष हैं कस्टोडियन की है 12,401, सामान्य श्रेणी के 2,134 हैं, इस प्रकार कुल 14,535 हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हमने पहले जिला कलक्टर, जितने भी अपने राजस्थान के हैं, जहां-जहां भी गैर-खातेदारी की जमीन है और वर्षों से कस्टोडियन की जमीन, खास तौर से जिनके कब्जे में हैं, उनके आवेदन प्राप्त करके उनको शीघ्रातिशीघ्र ही खातेदारी हक दिया जाए और इस प्रक्रिया के तहत आपके जिले के अन्दर पिछली बार मेरे आश्वासन देने के बाद में कस्टोडियन की जमीन के लिए हमारे 716 काश्तकार भाई गैर-खातेदार थे और वर्षों से हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बना, तब से जो मुसलमान भाई पाकिस्तान चले गए और उनकी जगह वह बैठ गए, तो उन लोगों को, गैर-खातेदारों को खातेदारी दी गयी है।

हमने आपके ही नहीं, कोलोनाइजेशन एरिया में कमिश्नर को अधिकार दे दिये हैं कि जो भी हमारे कोलोनाइजेशन एरिये में गैर-खातेदार हों, उनको खातेदारी दी जाए और बाकी जितने भी हमारे जिलों के कलक्टर हैं, उनको इसलिए अधिकार दिए गए हैं कि यह प्रक्रिया जो पहले बहुत लम्बी चलती थी, जल्दी से जल्दी उनको खातेदारी दी जाए। हम स्वयं ही इस बात को मानिटरिंग कर रहे हैं कि जो भी हमारे गैर-खातेदार काश्तकार भाई हैं, उनको खातेदारी जल्दी मिले। जहां भी कोई डूब में या नदी में या जहां अब्दुल रहमान वाला केस लागू होता हो, ऐसे कोई प्रकरण हो, उसको छोड़कर जितने भी हमारे गैर-खातेदारी के जो भाई हैं, उनको खातेदारी दी जाए और हम इसमें प्रयास भी कर रहे हैं।

जहां तक आपने डी.एल.सी. रेट के बारे में चिन्ता जाहिर की कि यह डी.एल.सी. रेट बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। यह तो आप दिल्ली के नजदीक हो, औद्योगिक क्षेत्र नजदीक है, इसीलिए आपकी कीमतें तो बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी जो कस्टोडियन की जमीन के गैर-खातेदार हैं और 60 वर्षों से बैठे हैं, सिंचित जमीन के लिए हम उनका 4 हजार रुपये प्रति बीघा और असिंचित के लिए 2 हजार रुपये प्रति बीघा लेते हैं। पैनल्टी के तौर पर 2 हजार रुपये प्रति बीघा सिंचित के लेते हैं और एक हजार रुपये प्रति बीघा असिंचित के लेते हैं। हम आपकी जो चिन्ता है, कि अगर मान लो डी.एल.सी. रेट 10 लाख रुपये एक बीघा है, उस पर यदि आप शुल्क लेंगे 10 परसेंट या 20 परसेंट या 50 परसेंट

(श्री अमराराम)

लेंगे तो उसमें काश्तकार दे नहीं सकेगा। इसके बारे में मैं इसका सरलीकरण करने के लिए भी प्रयास करूंगा और यह जो पेंडिंग आपके गैर-खातेदार 14 हजार हैं, इस मई और जून के अन्दर अभियान होगा और विशेष तौर से हमारे जिला कलक्टर को हम समय-समय पर हिदायत देते रहते हैं। हम स्वयं मानिटरिंग करेंगे और जल्दी-जल्दी आने वाले समय में यह 14 हजार मुकदमें नहीं रहेंगे लेकिन मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा कि इस प्रकार के जो गैर-खातेदार काश्तकार हैं, उनके प्रार्थना पत्र अगर नहीं आएंगे और वह घर ही बैठे रहेंगे तो उनको खातेदारी देना सम्भव नहीं होगा। एक प्रक्रिया है, उसके तहत में उनको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा और जो शुल्क होगा, वह भी देना पड़ेगा, तभी खातेदारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

आबू पर्वत नगरपालिका व ओरियां पंचायत में आवासीय पट्टे

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से नगरीय विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री महोदय जी को निवेदन करना चाहूंगा, दोनों विराजमान हैं, कि आबू पर्वत पर नगरपालिका है, वहां ब्रिटिश सरकार के समय से लोग रह रहे हैं, लेकिन आवासीय पट्टे नहीं हैं। आबू पर्वत पर ओरिया पंचायत है, वह एक ही पंचायत है, वहां पर भी राजपूत और एस.टी. के लोग रह रहे हैं। वहां पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से लोग रह रहे हैं, वहां भी पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। मैं दोनों मंत्री महोदयजी से निवेदन करूंगा कि यह मूलभूत सुविधा से वंचित रहते हैं और पुष्कर, जैसलमेर, नाथद्वारा और आबू पर्वत में 16 जनवरी, 2016 से रोक भी लगी है कि आवासीय पट्टे नहीं दिए जाएं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से जो लोग निवास कर रहे हैं और वहां पर ओरिया पंचायत भी है तो कम से कम उनको आवासीय पट्टे किसी भी नियम में दिए जाएं। आबू पर्वत पर इस प्रकार की जो समस्या है और लोगों को अपेक्षा थी कि अब की बार, जब 2007-08 में पट्टे देने का प्रावधान दिया था, उसमें कारणवश प्रशासनिक गलती हो या कहीं भी कुछ हुआ, लेकिन अपनी सरकार वापस बनी नहीं, उस समय भी पट्टे दे नहीं पाये। अब फिर से लोगों को विश्वास है कि अब हमें आवासीय पट्टे दिए जाएंगे और मैं दोनों मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि मुझे अवगत करावें और आबू पर्वत पर नगर में रहने वाले और पंचायत ओरिया के

(श्री समाराम समारिया)

अन्दर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से रह रहे हैं, उन्हें किसी भी नियम में और पुरानी डी एल सी रेट के आधार पर पट्टे दिए जाएं। अगर आज की डी एल सी रेट लेंगे तो वह पट्टे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वह गरीब तबके के लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह हमें इस बात के लिए अवगत करावें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25.06.2009 को गवर्नमेंट आफ इंडिया के एनवायर्नमेंट आफ फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने माउंट आबू को ईको सेंसेटिव इलाका घोषित कर दिया था और ईको सैंसेटिव जोन घोषित करने के कारण, बिना फोरेस्ट और एनवायर्नमेंट डिपार्टमेंट के मास्टर प्लान के नोटिफाई किए बिना वह मास्टर प्लान अप्रूव नहीं माना जाता। जब तक मास्टर प्लान अप्रूव नहीं होगा तब तक उसके आधार पर कोई पट्टे नहीं दिए जा सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब 28.09.2015 को गवर्नमेंट आफ इंडिया के एनवायर्नमेंट एण्ड फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने जोनल मास्टर प्लान को नोटिफाई कर दिया है। अब पर्यावरण विभाग ने इसको 29.10.2015 को नोटिफाई कर दिया। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अभी नगरपालिका में केवल 1203 प्रकरण आवासीय पट्टों के लम्बित हैं और वह सारे के सारे प्रकरण उस वक्त के हैं, जब यह 'प्रशासन गांवों के संग, शहरों के संग' के तहत जो अभियान चला, उस अभियान के अन्दर 1203 लोगों ने पट्टों की मांग की और 2009 के अन्दर जिस प्रकार से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि माउंट आबू को ईको सेंसेटिव जोन घोषित कर दिया था, इस कारण प्रशासन शहरों के संग के अभियान के दरमियान पट्टे नहीं दिये जा सके, अब चूंकि मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिया गया है, इसलिए मैं समझता हूं स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत और नियमन के 1991 के कानून के तहत जो 1203 पट्टे अभी पैंडिंग पड़े हुए हैं, उन पट्टों को हम दे देंगे।

साथ में ओरिया गांव की आपने चर्चा की है, ओरिया गांव के आवासीय इलाके के अन्दर पट्टे देने के लिये ओरिया पंचायत खुद समर्थ है और ओरिया पंचायत के आवासीय इलाके से बाहर के पट्टे देने का काम, निश्चित रूप से यू.आई.टी. करेगा।

(14.00 बजे)

इसलिए ओरिया गांव के आवासीय इलाके में किसी ने पट्टा मांगा,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

क्योंकि अभी भी ओरिया गांव में कोई भी एप्लीकेशन पैंडिंग नहीं है लेकिन फिर भी कोई पट्टा मांगता है तो आवासीय क्षेत्र के अन्दर पंचायत पट्टा देने के लिए समर्थ है और ओरिया के आवासीय क्षेत्र से बाहर का पट्टा यू.आई.टी. देगी, जिसमें अभी कोई पैंडेंसी नहीं है।

कुल मिला कर 1203 पट्टों के लिए पैंडेंसी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कि नगरपालिका के पास में पड़े हुए हैं और मैं समझता हूं स्टेट ग्रांट एक्ट और नियमन के कानून 1991 के तहत उन पट्टों की प्रोसेसिंग अब करने की स्थिति बन गयी है, उनका प्रोसेस कर के इन नियमों के आधार पर जल्द से जल्द पट्टे जारी कर दिये जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री किशनारामजी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्रीडूंगरगढ़ में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में पिछले हफ्ते भयंकर ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में आपदा एवं सहायता विभाग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जिला कलक्टर, बीकानेर से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर जिले की तहसील डूंगरगढ़, काश्तकारों द्वारा बोई गयी फसल में ओलावृष्टि से नौ ग्राम प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त बीकानेर जिले की अन्य तहसील, बीकानेर, लूणकरणसर, कोलायत, छत्तरगढ़, पूंगल और खाजूवाला में कुल 240 गांवों में खराबा हुआ है। खराबे के आकलन के सम्बन्ध में विशेष गिरदावरी प्रक्रियाधीन है।

फसल रबी 2016 में काश्तकारों की बोई गयी फसलों में 2 मार्च से 19 मार्च, 2016 तक हुई ओलावृष्टि से 23 जिलों में 2185 गांवों में फसल खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है।

नियमित गिरदावरी 1 फरवरी से 5 मार्च में पूर्ण होने के पश्चात् ओलावृष्टि होने के कारण 28 मार्च, 2016 तक विशेष गिरदावरी करवायी जा रही है। गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् बजट उपलब्धता के अनुसार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पात्र किसानों को कृषि आदान अनुदान एवं प्रभावित क्षेत्रों में अन्य राहत गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

फसल रबी 2015, पिछली बार की, काश्तकारों की बोई गयी फसलों में फरवरी, 2015 से अप्रैल 2015 तक ओलावृष्टि से खराबा हुआ। ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी करायी, राहत पैकेज जारी किया गया। गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर रबी फसल में 50 प्रतिशत से अधिक का खराबा होने पर 29 जिलों में 8322 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया।

विभाग के पास एस.डी.आर.एफ. मद में राशि की उपलब्धता कम होने के कारण भारत सरकार को अतिरिक्त सहायता हेतु 11 हजार 886 करोड़ राशि का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उक्त ज्ञापन के पेटे 1378.13 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। प्रभावित काश्तकारों को बोई गयी फसलों के क्षेत्र में 33 प्रतिशत या उससे अधिक का नुकसान होने पर भारत सरकार ने एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स दिनांक 8.4.15, पिछली बार के अनुसार 31 जिलों में 29.53 लाख काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु काश्तकारों के खाते में 2479 करोड़ रुपये स्थानान्तरित किये।

संवत् 2021 में, उसी साल, 1099 गौशालाएं और 3336 पशु शिविरों को वर्ष 2015-16 में 171 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी।

खरीफ फसल 2015, अभी जो पिछली खराब हुई है, फसलों के पकने के समय मानसून वर्षा नहीं होने के कारण गिदरवारी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में बीस जिले प्रभावित हुए हैं, इनमें 19 जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा होने पर 14 हजार 487 ग्रामों को दिनांक 19.12.2015 को अभावग्रस्त घोषित किया जा चुका है।

एस.डी.आर.एफ. मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रभावित काश्तकारों को राहत प्रदान करने हेतु भारत सरकार को अतिरिक्त सहायता हेतु 10 हजार 537 करोड़ रुपये राशि का ज्ञापन भिजवाया गया है। उक्त ज्ञापन की राशि प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता के अनुसार कृषि आदान अनुदान और अन्य राहत गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत ही समझदार, बुद्धिजीवी मंत्री हैं लेकिन मैंने पूरे राजस्थान की नहीं पूछी, सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओलावृष्टि की पूछी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सात, आठ, नौ और दस को ओलावृष्टि से बहुत भयंकर नुकसान हुआ

(श्री किशनाराम)

जिसमें सिर्फ पांच गांव हैं। पांच गांवों में हम लोग गये और उनकी स्थिति देखी तो देखकर रोना आ गया। किसान, उनके बच्चे और उनकी महिला इस ढंग से बिलबिला रही थीं, इस ढंग से रो रही थीं कि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमने उनको आश्वासन दिया कि आपके जायजे के लिए पूरी की पूरी कोई भी टीम मंत्री महोदय को कहकर लायेंगे और आपको पूरा-पूरा मुआवजा देंगे। न तो वह बिजली बिल भरने लायक हैं, न वह कर्जा चुकाने लायक हैं।

पांच गांव ऐसे हैं जिनमें एक तो पूनरासर है, एक समदसर है, एक मणकरासर है, एक राजपुरा है और एक बिदासर है। यह पांच गांव ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे साथ अधिकारी भी थे, उन्होंने भी यह महसूस किया लेकिन वह थोड़े-से कतरा रहे थे। क्यों कतरा रहे थे कि उसका पूरा आकलन करने के लिए शायद कोई ऊपर से ऐसे आदेश थे या क्या था, वह कतरा रहे थे लेकिन उनके भी आंखों में पानी था।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इन पांच गांवों का सर्वे दुबारा करा कर उनका आकलन पूरा कर के आप इनको पूरा-पूरा मुआवजा दिलाओगे ताकि किसान बच सके, उनके बच्चे रोते न रहे, उनकी महिला रोती न रहे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त की है, निश्चित रूप से जिला कलक्टर को अपनी तरफ से इस 20 तारीख तक, जो कल निकली है, तब तक सारे आंकड़े इकट्ठा कर के 28 तारीख तक हमारे पास भेजना है। जैसे ही 28 तारीख को गिरदावरी की जो रिपोर्ट है, पांच गांव हैं, मेरे यहां नौ गांव आये हैं जिनमें खराबा हुआ है पर खराबे का परसेंटेज कितना है, वो एक अलग बात है लेकिन अगर 33 परसेंट से भी अधिक खराबा किसान का आयेगा तो निश्चित रूप से उसको आदान अनुदान में सहायता राशि जो तय है वो मिलेगी।

अगर 50 परसेंट से अधिक खराबा आया वह निश्चित रूप से 50 परसेंट से अधिक खराबे पर उसका बिजली का बिल है, उसके जो लगान है उसमें है, बाकी जो छूट सरकार देती है वो फैसला 28 तारीख की रिपोर्ट के बाद ही राजस्थान में, क्योंकि जो पिछली खरीफ की फसल में प्रारम्भिक रिपोर्ट आयी थी उसमें तो हमने 14 हजार 487 गांव कर दिये, जो उसमें खराबा है लेकिन अभी ओलावृष्टि से जो फसल नष्ट हुई है उसकी गिरदावरी की अंतिम रिपोर्ट 28 तक हमने मंगायी है, जैसे ही 28 तक रिपोर्ट आयेगी, जो काम राज्य सरकार के स्तर पर करना है वो तो हम यहां तुरन्त काम शुरू करा देंगे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
और जो हमने सरकार से पैसा मांगा और मेरे को विश्वास है, मैं स्वयं गया हूं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने जाकर के बात की है और हमारे अधिकारी लगातार जा रहे हैं, लगता है कि हमको 11 सौ और कोई 93 करोड़ रुपया स्वीकृत होने की गुंजाइश है लेकिन उसकी फाइनल मीटिंग होने के बाद ही हमको यह पैसे जारी होंगे तब जाकर के हम इंडीविजुअल किसान को जो मदद करनी है वो हम जारी करेंगे लेकिन अगर 50 परसेंट से अधिक खराबा आया है तो निश्चित रूप से जो सहायता राज्य सरकार किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में देती है वो निश्चित रूप से उनको देंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बहुत ही बुद्धिमान हैं और जो जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूं, भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का राज है क्योंकि मैं अनावश्यक कोई भी प्रश्न नहीं करता, न तारांकित करता न अतारांकित करता, कोई भी यदि समस्या होती है तो उसका समाधान आप लोगों के साथ बैठकर ही कराता हूं, चाहे विकास का हो चाहे कोई दूसरा हो।

पांच गांवों की जो दर्दनाक स्थिति है उसको देखकर भयंकर दु:ख हुआ है। उसमें साथ में आपके एम.पी. थे, एम.पी. को तो यह कहकर दाव छुड़ाना पड़ा कि, भई, आपको 120 परसेंट मुआवजा दिलायेंगे, जिससे वो राज़ी हुए। करीब 100 परसेंट खराबा उनका हुआ है। पांच ही गांव ऐसे हैं, मैं निवेदन करता हूं कि उनका सर्वे समझदार, बुद्धिजीवी और ईमानदार अधिकारी से करा कर और जितना भी बन सके, उतना देने की आप चेष्टा करो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। पिछली बार भी ओलावृष्टि में राजस्थान में बहुत भारी नुकसान हुआ, उसका भी हमने प्रयत्न कर के जो कुछ भी हमको साधन मिला, हम डिस्ट्रिब्यूशन मई में ही शुरू कर पाये थे। अब की बार भी हम 28 तारीख तक आपकी सारी सूचना लेकर के कोशिश करेंगे कि समय पर किसानों को जितनी मदद सरकार के नियमों के तहत कर सकते हैं जरूर करेंगे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा बताया, 8 तारीख को डूंगरगढ़ में ओलावृष्टि हुई और 11 तारीख को कोलायत विधान

(श्री भंवरसिंह)

सभा क्षेत्र के एक दर्जन से भी ज्यादा गांवों में ओलावृष्टि हुई। जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत की स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि यहां 47 पटवारियों के पद खाली हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ लें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे तो इस नियम में मैं अलाउ नहीं कर सकता। यह ध्यानाकर्षण भी सिर्फ डूंगरगढ़ तक सीमित था लेकिन आपको कोई प्रश्न करना हो तो आप सीधा कर लें। अगर सूचना होगी तो मंत्री महोदय रेस्पोंड करेंगे। आप प्रश्न कर लें उनसे कि क्या पूछना चाहते हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि पटवारियों के हमारे अधिकांश पद रिक्त होने की वजह से कोलायत तहसील के जो खराबे से प्रभावित गांव हैं, वहां पटवारी पहुंच नहीं पा रहे हैं और किसान के खेत में जाकर के सर्वे नहीं हो रहा है। सर्वे निष्पक्ष और प्रभावी हो और किसान को खराबे का असली जो नुकसान है वह मिल पाये, उसके लिये मैं निवेदन यही करुंगा कि जो दूसरी तहसीलें हैं जहां खराबा नहीं हुआ है, वहां के पटवारियों को कोलायत में लगाकर जो विशेष गिरदावरी की जा रही है, वह की जाये। जिससे कि कोलायत विधान सभा क्षेत्र में जो पकी हुई रबी की फसल थी, उस फसल के खराबे का नुकसान उस क्षेत्र के किसान को मिल सके। मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त करता हूं कि आपकी प्रत्येक पंचायत में मुझे कहीं से भी पटवारियों को अरेंज्ड करना पड़ेगा तो मैं कलक्टर को आज ही निर्देश दे रहा हूं। वहां जाकर के प्रत्येक किसान के खराबे को लेकर के रिपोर्ट हमारे पास 28 तक भेज दे, उसके बाद जो भी मदद हमसे सम्भव होगी, निश्चित रूप से करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विजय बंसल। श्री विजय बंसल। (अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। विशिष्ट सचिव।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा के गत सत्र एवं वर्तमान सत्र में पारित उन

(विशिष्ट सचिव)

विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 ।

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016 ।

श्री उपाध्यक्ष: अधिसूचनाएं। श्री सुरेन्द्र गोयल।

अधिसूचना

ग्रामीण विकास विभाग

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.27(263)ग्रावि/ ग्रुप-5/जीकेएन/उपापन/2015-2016 दिनांक 10 मार्च, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. रामप्रताप।

जल संसाधन विभाग

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जल संसाधन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.7(9)ओएसडी/एसडब्ल्यूआरपी/14-6 दिनांक 01 दिसम्बर, 2015, जिसके द्वारा राजस्थान रीवर बेसिन एंड वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग आथोरिटी में कतिपय क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सदस्य मनोनीत किया गया है, एवं
2. अधिसूचना संख्या: एफ.7(9)ओएसडी/एसडब्ल्यूआरपी/14-7 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015, जिसके द्वारा राजस्थान रीवर बेसिन एंड वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग रूल्स, 2015 विरचित किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री प्रहलाद गुंजल।

याचिका

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

चंबल नदी पर स्टील ब्रिज निर्माण

(1) विधान सभा क्षेत्र-कोटा (उत्तर) में रामपुरा सैटेलाइट से नदी पार भूरियाडोल मंदिर कुन्हाड़ी तक चंबल नदी पर स्टील ब्रिज निर्माण बाबत।

कोटा (उत्तर) में आधुनिक व्यावसायिक सुपर काम्प्लेक्सों का निर्माण

(2) विधान सभा क्षेत्र-कोटा (उत्तर) में आधुनिक व्यावसायिक सुपर काम्प्लेक्सों के निर्माण बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

नागौर में रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज निर्माण

(1) जिला मुख्यालय नागौर स्थित बीकानेर रोड एवं मानासर सर्किल के रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज (आरओबी) बनवाने बाबत।

नागौर के अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन एवं रेडियोलोजिस्ट का पदस्थापन

(2) जिला मुख्यालय नागौर के जे.एल.एन. अस्पताल में डिजीटल एक्सरे मशीन लगाने एवं रेडियोलोजिस्ट का पदस्थापन करने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

विधान सभा नगर विस्तार, धावास, अजमेर रोड, जयपुर में पेयजल समस्या का निराकरण

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा नगर

(श्री समाराम गरासिया)

विस्तार, धावास, अजमेर रोड, जयपुर में पेयजल की समस्या के निराकरण बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

राजगढ़ (चूरू) तहसील की उप तहसील सिद्धमुख की तहसील में क्रमोन्नति

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजगढ़ (चूरू) तहसील की उप तहसील सिद्धमुख को तहसील में क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीर सिंह।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

समदड़ी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

(1) समदड़ी तहसील मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बाबत।

सिवाना में अक्षय ऊर्जा के तहत बंजर भूमि पर सोलर प्लांट की स्थापना

(2) अक्षय ऊर्जा के तहत सिवाना क्षेत्र की बंजर पड़ी भूमि पर सोलर प्लांट लगाने बाबत।

सिवाना में आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण

(3) सिवाना क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधर।

गोकुलपुरा, कालवाड़ रोड, जयपुर स्थित 12-बी कालोनी में अवैध निर्माण

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गोकुलपुरा, कालवाड़ रोड, जयपुर स्थित 12-बी कालोनी में हो रहे अवैध निर्माणों बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबू सिंह जी।

सेखाला पंचायत समिति एवं की चाबा ग्राम पंचायत पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय सेखाला एवं पंचायत समिति शेरगढ़ की ग्राम पंचायत चाबा मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17, अनुदान की मांग। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,66,46,54,000/- (सत्तावन अरब छियासठ करोड़ छियालीस लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 29 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या 20 - आवास की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20 – आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 87,35,80,000/- (सतयासी करोड़ पैंतीस लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 20 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

मांग संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन की प्रस्तुति

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 49–स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,76,000/- (तैतीस लाख छियहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 49 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

मांग संख्या 29, 20 व 49 पर विचार

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीनों मांगों में से मैं दो मांगों पर बोलूंगा। बोलते समय मेरे सामने एक हिचक है एक तो अपने नियम हैं कि जो माननीय सदस्य बोलें, उसको माननीय मंत्री महोदय का उत्तर जरूर सुनना चाहिए। आज मुझे किसी कारणवश जाना पड़ेगा, इसलिए मैं मंत्री महोदय से तो क्षमा चाहूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा।

दूसरा मैं निवेदन यह करना चाहूंगा मैं बोलूंगा तो मुझे लगता है कि मैं जिनकी प्रशंसा करता हूं उनके थोड़ी तकलीफ हो जाती है। सही बात है तो मैं थोड़ी-थोड़ी जिनकी प्रशंसा करूंगा, थोड़ा-थोड़ा उसमें आलोचना भी करुंगा ताकि उनके नजर नहीं लगे, वह बचे रहें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदय राजपाल सिंहजी के प्रति शुरू से ही मेरा लगाव रहा है। यद्यपि यह भी सही है कि मैं उनको सबसे कम फोन करता हूं और सबसे कम काम के लिए कहता हूं लेकिन लगाव का एक कारण बहुत बड़ा स्वर्गीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत थे, वह कहते थे कि यह बहुत योग्य हैं तो मैं देख रहा हूं कि योग्यता से काम कर रहे हैं और इसलिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए कम से कम।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सभी की तरफ से दे दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभी की तरफ से दे देता हूं। सभी कह रहे हैं कि सब की तरफ से दो तो मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद दे देता हूं। मेरा दिया हुआ सबकी तरफ से माना जायेगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सभी मंत्री भी योग्य हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सबके ऊपर मैं बोला नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि हम जिस शहर में बैठे हैं, अगर वास्तव में हिन्दुस्तान में किसी शहर को प्रतीक माना जाये आदर्श रूप से, हमारे वास्तु के हिसाब से और हमारी पुरानी परम्पराओं के हिसाब से तो स्वर्गीय महाराजा जयसिंहजी ने जिस प्रकार का काम किया था वह अद् भुत काम था। वह केवल राजस्थान के इतिहास में ही नहीं, हिन्दुस्तान भर के इतिहास में अद् भुत काम था। उस जयपुर शहर में बैठकर हम स्वायत्त शासन विभाग की और आवास की मांगों पर विचार कर रहे हैं।

जयपुर के बारे में अगर पूरा जानना हो, सोचना हो तो, मैं थोड़ा स्वार्थी भी हूं, मैं अपने आपको ज्यादातर जयपुर के प्रति ही सीमित रखूंगा। एक ऐसा उदाहरण है विश्व के इतिहास में जो बहुत मुश्किल है। जयपुर की स्थापना से पहले अश्वमेघ यज्ञ किया गया। अश्वमेघ यज्ञ के लिए वृहदराज की मूर्ति की आवश्यकता थी। वृहदराज की मूर्ति केवल कांचीपुरम में थी, बैंगलूरु के पास। यह वह मूर्ति थी, जो महाराजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था जीतने के बाद में, अश्वमेघ यज्ञ और उस मूर्ति को वहां ले जाकर के रख दिया गया था। पंडितों ने कहा कि जब तक वह मूर्ति नहीं लायेंगे, तब तक अश्वमेघ यज्ञ नहीं होगा।

आपने हीदा की मोरी नाम सुना होगा, हीदा नाम के मीणा थे, वह वहां गये और वहां से मूर्ति लेकर के आये। यज्ञशाला जहां मूर्ति विराजमान है, वहां उनकी पूजा हुई वृहदराज की, वृहदराज मतलब भगवान विष्णु, उनकी पूजा हुई और उसके बाद में जयपुर शहर को प्राण-प्रतिष्ठित करके बसाया गया। हिन्दुस्तान में मूर्तियां प्रतिष्ठित होती हैं। मंदिरों में प्रतिष्ठा होती है। शहरों के रूप में अगर कोई प्रतिष्ठित होकर के शहर बसा है तो वह जयपुर बसा है और इसलिए हमको सवाई जयसिंहजी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए।

उन्होंने इस प्रकार का काम करके इस शहर को बसाया। इतना ही काम नहीं हुआ, यह जो जल महल है, इस जल महल में हिन्दुस्तान भर की सारी नदियों का और सातों समुद्रों का जल लाकर रखा गया। स्वयं महाराजा और महारानियां, वे लगातार उसमें स्नान करती थीं और 13 महीने तक यज्ञ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चला था। उस समय का हिसाब है कि 33 करोड़ रुपये इस यज्ञ में 12 महीने तक लगातार जिमाने में और सारा काम करने के बाद में यह सारा जयपुर शहर बसा इसलिए जयपुर शहर की इस बसावट को सुरक्षित रखने के लिए हमको सबसे पहला प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि जयपुर शहर बसने के बाद आज तक कभी भी विध्वंस के कगार पर नहीं पहुंचा। बहुत शहर बसे, आक्रमण हुए, टूटे, यह जयपुर उसी प्रकार खड़ा है। जयपुर का नाम ही 'जय', जयपुरी भाषा में 'जैपर' बोलते हैं, जिसकी 'जय-जय' होती है उसको जयपुर बोलते हैं। इस जयपुर में दो, तीन बात तो हमने इस बार थोड़ी कमी की। इस बार हमने जो मैट्रो बनाई, इस मैट्रो से हमारे वास्तु का नुकसान हुआ है। मैं मैट्रो का समर्थक हूं, आपको पता ही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मैट्रो के तीसरे चरण का भी समर्थक हूं लेकिन इसके अन्दर जो कुछ हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है इसलिए मैं आग्रह करूंगा आपको कि जयपुर का जो वास्तु इससे डिस्टर्ब हुआ है उसको ठीक किया जाए।

उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा कि एक बार जयपुर की चौपड़ों को गोल करने की कोशिश की। मैंने विधान सभा, जो यहां नहीं, वहां थी, उस समय उसका विरोध किया। मैंने कहा था कि जयपुर की बसावट हरेक यंत्र के आधार पर है, जयपुर की चौपड़, छोटी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ है, चाहे रामगंज की चौपड़ है उनका सबका यंत्र बना हुआ है और इन सारे यंत्रों का वर्णन 'ईश्वरी विलास' महाकाव्य में है। जिसको हम पढ़ सकते हैं तो इसके आधार पर ही जयपुर बना है। इसी प्रकार जयपुर में कई काम जान-बूझकर किये गये मिर्जा इस्माइल के टाइम पर, यह रोजगारेश्वर महादेव का मंदिर बनाया गया, इसलिए बनाया गया था कि एक दरवाजे और दूसरे दरवाजे के बीच में कोना घिरने से वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होता इसलिए उस वास्तु को ठीक करने के लिए यह रोजगारेश्वर मंदिर की विधिवत् स्थापना की गयी। उसको सरकार ठीक करे, सरकार ने कुछ ठीक करने का काम किया है और करे, यह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं मुझे तकलीफ जिस बात की हुई है कि जयपुर के बसने के बाद में कभी मंदिर यहां नहीं टूटे। औरंगजेब के शासन काल में भी नहीं टूटे, इस बार टूटे हैं। मूर्ति शास्त्र के हिसाब से प्रायश्चित के साथ उनकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता है, अगर आपको जयपुर को इसी प्रकार आगे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है तो।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर हम देखें तो गुलामी का काल रहा, कोई सा भी काल रहा हो, जयपुर में मुगलों के शासन के समय सारे हिन्दुस्तान भर के लोगों को लाए। इतिहास को दुबारा देखने की आवश्यकता है। कई बार इतिहास का चिंतन करते हैं वह कहते हैं जयपुर ने यह किया, वह किया, मैं कहता हूं कि जयपुर का इतिहास देखिए। मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक श्री गोलवलकर गुरुजी के एक वाक्य पर जो जयपुर में भाषण दिया, उन्होंने कहा कि राष्ट्र भक्ति और देश भक्ति की परिभाषाएं अलग-अलग तरीके से देखी जानी चाहिए। जयपुर के महाराजा ने हिन्दुस्तान के सारे आर्किटैक्ट्स को बुलाकर यहां पर बसाया और सारा वास्तु शास्त्र के अनुसार किया। सारे ज्योतिषियों को लाकर यहां बसाया, हिन्दुस्तान भर के ज्योतिषियों को बुलाकर बसाया, उनकी उन्होंने रक्षा की। उन्होंने सारे शास्त्रों का पोथीखाना बनाया, नारा दिया कि लूट तो मान सिंह की, राज जयपुर का, उस लूट में क्या लाए, सारे शास्त्र लाए, सारे पुराण लाए, सारे ग्रंथ लाए और जयपुर के पोथीखाना में आज तक वह हिन्दुस्तान के सारे पुराने ग्रंथ सुरक्षित हैं।

'सांगानेर को सांगो बाबो, चांदपोल को हनुमान,
आमेर की सिल्लादेवी, ल्यायो राजा मान'

गोविन्ददेवजी की प्रतिष्ठा की, सारे विग्रह जिनको टूटने का डर था उन सारे विग्रहों की जयपुर में लाकर प्रतिष्ठा की। माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि जयपुर के इतिहास को इस दृष्टिकोण से दुबारा परिमार्जित किया जाना चाहिए कि जयपुर का इस सम्पूर्ण काल खंड में एक बहुत बड़ा संस्कृति की रक्षा का योगदान रहा है जिसको नहीं भुलाया जाना चाहिए।

अब इसको आगे बढ़ाने का काम राजपाल सिंहजी करेंगे, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं गुलाबजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने पिछली बार एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था पृथ्वीराज नगर के बारे में और उसमें जवाब दिया था गुलाबजी कटारिया ने, उन्होंने कहा कि आइंदा इस विधान सभा में इस पृथ्वीराज नगर के लिए कोई प्रस्ताव लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। गुलाबजी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, राजपालसिंहजी, आपको भी देता हूं, सरकार को भी कि पृथ्वीराज नगर की इतनी बड़ी समस्या थी, उसका समाधान किया। पृथ्वीराज नगर की 26 साल से समस्या थी और पृथ्वीराजजी जिए भी 26 साल, पृथ्वीराज चौहान का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इतिहास है कि 26 साल की उम्र तक ही जिए और 26 साल की उम्र में 16 लड़ाइयां जीत कर उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था। कई बार लोग कहते हैं उम्र के हिसाब से, तो उम्र तो 26 साल की ही थी, प्रसंग इसलिए आ गया कि पृथ्वीराज नगर नाम है और 26 साल बाद ही उसकी समस्या का समाधान हुआ। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि कितना बड़ा समाधान आपने कर दिया तो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति इस नगर में जैसे प्रतापनगर में आपने महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित की है वैसे ही पृथ्वीराज नगर में पृथ्वीराजजी की मूर्ति स्थापित करके माननीय मंत्री महोदय, आप यह भी एक इतिहास बनाएं तो हमारे लिए यह भी एक बहुत बढ़िया बात होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जेडीए के अधिकारियों को, मैं किसी का नाम ले लूंगा तो उस पर मुसीबत आ जाएगी तो मैं किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता लेकिन जो-जो सड़कें पृथ्वीराज नगर में करनी थी, मैं समझता हूं कि एक आदर्श काम है। सारी सड़कें कम्पलीट हो गयीं पृथ्वीराज नगर में 80-90 परसेंट, और यह बहुत बड़ा काम है। यहां किसानों को बड़ी राहत मिली है पृथ्वीराज नगर में। भूमि के छोटे आवासीय भूमि के पट्टों को लेकर जो राहत मिली है वह 26 साल के सतत् संघर्ष के बाद प्राप्त हुई उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दो बातें उसमें अभी बाकी हैं। कुछ के लिए तो पीएचईडी डिपार्टमेंट को जेडीए ने पैसे दे दिए हैं, पानी की समस्या का समाधान करने के लिए, एक सीवरेज और पानी की समस्या का समाधान करने के लिए, दो समस्याओं का समाधान हो सकता है। जिस दिन यह दोनों समाधान हो जाएंगे उस दिन पृथ्वीराज नगर का हिस्सा जो केवल अकेले मेरे ही नहीं पड़ता, राजपालसिंहजी के हिस्से में भी आता है, तो मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजपालसिंहजी ने जो काम कर दिया उसकी तो चर्चा कम होती है और इनके गुटखे की चर्चा ज्यादा होती है। तो इनके काम की चर्चा हो यह मैं कहना चाहूंगा। इसके लिए इनको कुछ त्याग करना पड़ेगा। जिस दिन इन्होंने गुटखा छोड़ दिया उस दिन इनकी चर्चा होने लग जाएगी। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप इन पर चर्चा करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब इन पर चर्चा कर रहा हूं न।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
(व्यवधान) यह गुटखा, वह गुटखा नहीं ले रहे, यह गुटखा रजनीगंधा वाला ले रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह तो हमको भी पता है, हम तो समझ रहे थे कि आप आज शुरूआत करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीधर (खण्डेला): इसके अन्दर तुलसी भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पृथ्वीराज नगर का...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): गुटखा खाते हुए भी 26 साल ही हुए हैं इनको, पृथ्वीराज नगर की समस्या का समाधान भी 26 साल में किया और गुटखा खाते हुए भी 26 साल ही हुए हैं, आज छोड़ो इसको। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पूरा करो इस काम को भी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि पृथ्वीराजजी की मूर्ति बनाई जाए। दूसरा मैं कहूंगा कि कृषि भूमि पर जो कालोनियां बनी हुई हों उन सारी कालोनियों के भी नियमन करने के बारे में सतर्कता से काम करके जल्दी इस काम को पूरा किया जाए।

दो काम जो बचे हैं, एक टैंडर हो गया था सीवरेज का, हमारे गोवर्द्धन नगर, पृथ्वीराज नगर के पास की सारी कालोनियां, उनका सारा टैंडर हो गया था और टैंडर होने के बाद उस टैंडर को कैंसिल कर दिया। संधू साहब उस समय थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया, वह टैंडर अभी वापस जारी नहीं हुए हैं इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि वह सारा सीवरेज का जो टैंडर है उसको जारी किया जाना चाहिए। वह जारी करना बहुत जरूरी है और जो पीएचईडी को पानी के पैसे दिए हैं उसके हिसाब से पीएचईडी भी काम करे, उसमें जेडीए की कोई गलती नहीं है। जेडीए ने अपना काम पूरा किया है, मैं जेडीए के अधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा काम निर्विघ्नतापूर्वक कर दिया, अब बीच में कुछ-कुछ अपवाद तो आते हैं, वह सब जगह आते हैं, उनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि जेडीए ने बहुत बढ़िया काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा बड़ा काम जयपुर में जो हुआ है, मैंने जयपुर की पहले चर्चा की, इसलिए कि यह काम जयपुर में हुए हैं। अब मैं चर्चा कर रहा हूं कि रिंग रोड का काम जो जयुपर में हुआ है, बहुत बढ़िया

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

काम हुआ है, इसको गति देने की आवश्यकता है। यह रिंग रोड का काम मामूली काम नहीं है, जिस गति से यह काम हुआ और काम करने में दो लोग बहुत आगे रहे थे। जेडीए तो था ही, लेकिन माननीय मंत्री महोदय के दो शिष्य भी इसमें बहुत आगे रहे, एक अशोक परनामीजी ने इसमें काफी योगदान दिया, एक नाहटाजी ने भी दिया। अब इतना सशक्त मंत्री कहीं नहीं है आज, महापौर भी और पार्टी अध्यक्ष भी। दोनों आदमी राजपाल सिंहजी के इर्द-गिर्द हों फिर इतना सशक्त मंत्री कौन है दूसरा, मुझे यह समझ नहीं आया अभी तक। आज परनामी जी नहीं हैं, मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूं। मुख्यमंत्रीजी होते तो वे जरूर होते, लेकिन राजपाल सिंहजी के रहते हुए भी उनको रहना चाहिए तो यह उनको बहुत अच्छा लगता। रिंग रोड का काम जो अब गति पकड़ रहा है, आज बैंकों की भी ऋण देने की आ गयी है, मैं समझता हूं यह रिंग रोड का काम भी ठीक हो जाएगा। अगली बार जब होगी तो मैं शिखर अग्रवाल साहब को भी धन्यवाद दे दूंगा कि आपका नाम भी उन लोगों की सूची में आ रहा है जिन्होंने जयपुर के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस काम को भी गति दें।

तीसरा जो बड़ा काम हो रहा है वह बहुत ऐतिहासिक है, वह है द्रव्यवती नदी। एक 46 किलोमीटर लम्बी नदी थी, इस नदी को अमानीशाह का नाला बना दिया। अब इस नाले को वापस नदी बनाने का जो काम है, आज विश्व जल दिवस भी है, ''जलाधिनाथायै नमो नमस्ते''। जिस दिन मंत्रीजी, आप सुन लीजिए, आपके अधिकारी भी सुन रहे हैं, जिस दिन आपने द्रव्यवती नदी का काम पूरा कर दिया उस दिन आप सबका नाम इतिहास में लिखा जाएगा और जयपुर का नाम भी इतिहास में आ जाएगा, 46 किलोमीटर लम्बी इस नदी को पुनर्स्थापित कर दिया तो, परन्तु इसको पुनर्स्थापित करने से पहले आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ दृढ़ता दिखानी पड़ेगी। नाहरगढ़ की पहाड़ियों के पास का सारा इलाका इसका कैचमेंट का इलाका है, इसके आगे पहले बहुत बंधे बने हुए थे, वे बाढ़ में सारे टूटकर ध्वस्त हो गये और कब्जा हो गया। आपने जिस दिन इस काम को ठीक कर दिया, राजपालसिंहजी कह रहे हैं मैं कर सकता हूं, मैंने पूछा था इनको भी, बात करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राजपालजी से कहा मैं बोलूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बोले मुझे कोई चीज का मोह नहीं है, आप बोलिये। मैं बोल रहा हूं जिस दिन आपने मौके के हालात देख लिये और आपने तारीख तय करके इन सारे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अवरोधों को हटा दिया, जो अतिक्रमण थे उनको हटा दिया, आप प्रयत्न करके काम करेंगे, 26 किलोमीटर में आप टाउन स्क्वायर बनाएंगे, कामर्शियल पार्क बनाएंगे, कल्चर प्लाजा बनाएंगे, फैशन स्ट्रीट बनाएंगे, ईको पार्क बनाएंगे। कइयों का अर्थ मुझे समझ में नहीं आता इसलिए लिखकर लाया हूं, अंग्रेजी में लिखे हुए हैं सारे के सारे, ये सारे जब बना देंगे तो कम से कम इतना तो हो जाएगा कि पानी का प्रवाह होगा और दोनों तरफ इसके पार्क लगा रहेगा तो लंदन में जो थेम्स नदी है, वह जैसी नदी है उसका सा स्वरूप जयपुर में द्रव्यवती नदी का बन सकता है। (व्यवधान) साबरमती। चलो, मैं साबरमती का नाम ले देता हूं, वह आप करेंगे और यह हो सकता है, इसका कारण क्या है? सारी जगहों पर कब्जा कर लिया, बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है और इस कैचमेंट एरिये में पानी का संग्रह करके बांध अगर बन गये, जैसा टाटा कंसल्टैंट को दिया है और वह पूरा काम समय पर हुआ तो जयपुर में चुनाव लड़ने का ही एक बहुत बड़ा आधार द्रव्यवती नदी बनेगा। यह बहुत बड़ा काम है फिर गुलाब जी अकड़कर नहीं कह सकते कि आयड़ नदी है हमारे उदयपुर में। हम भी कह देंगे कि हमारे जयपुर में द्रव्यवती नदी है। तो आपके बराबर आ जाएंगे हुजूर हम भी। (व्यवधान) आपको तो चुनौती देने का सवाल ही नहीं है एक साथ सबको देते हैं। चुनौती देने का सवाल नहीं है, लेकिन प्रेम से बनाएंगे हम।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको बराबरी से कौन रोक रहा है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो छोटा हूं, साहब, इनसे। बराबरी मैं नहीं कर रहा इनसे। यह अगर काम होगा तो मैं समझता हूं हमारा बहुत बड़ा लाभ होगा। 1676 करोड़ रुपये की योजना है। इस योजना को अगर हम समयबद्ध तरीके से परिपूर्ण कर देंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा।

अब मैंने बड़ाई ज्यादा कर दी है इसलिए थोड़ी-सी नजर न लग जाए वैसा काम और कर देता हूं, जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या इस समय आ रही है, कोटा में भी, भवानी सिंहजी नहीं हैं इस समय, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां बंद का आयोजन किया है यूडी टैक्स के खिलाफ। अब इस टैक्स के बारे में भिन्न-भिन्न राय है। वह इसलिए है कि भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में हमने हाउस टैक्स का, लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स का और चुंगी टैक्स का विरोध किया, आक्ट्राय का। आक्ट्राय हटी, हाउस टैक्स हटा, उसके बाद यूडी टैक्स

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आया। यूडी टैक्स के बारे में जो यथार्थ स्थिति है वह यह है कि कुल 667.86 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है, 5 लाख से ज्यादा लोगों पर टैक्स है, 758 नोटिस दिये गये हैं और 336.29 करोड़ रुपये की इनको आय होनी चाहिए थी, 5 हजार से 5 लाख तक 15462 नोटिस दिये गये हैं 177 करोड़ के लिए लेकिन ईमानदारी से 156 करोड़ रुपया तो बहुत कम लोगों से लेंगे तो वसूल है। उसमें बिजली बोर्ड है, उसमें सरकार की बिल्डिंग्स हैं उनका भी टैक्स बाकी है। सरकार का जहां टैक्स बाकी है वहां आप थोड़ी-बहुत जोर-जबर्दस्ती करो। फिर टैक्स वसूली का तरीका गलत है। मैं व्यक्तिगत रूप से यूडी टैक्स के खिलाफ हूं, यूडी टैक्स समाप्त किया जाना चाहिए मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन सरकार इसको लागू करके वसूल करना चाहती है तो मैं वसूली की प्रक्रिया को ठीक करने का आग्रह करता हूं। वसूली क्या हो टैक्स की? आचार्य चाणक्य को पूछा कि टैक्स की वसूली कैसे की जाय तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे भंवरा, मधुमक्खी जाकर फूल पर बैठते हैं और फूल से रस निकाल लेते हैं और रस निकालकर वापस शहद बना देती है। उसी प्रकार से राजा को टैक्स लगाना चाहिए। फूल की शक्ल नहीं बदलती, फूल में से पराग निकाल लेते हैं। टैक्स वसूल करने का तरीका वही होना चाहिए, यह जंगली तरीका टैक्स वसूल करने का, ढोल बजाकर, उसकी सारी बदनामी करके, यह तरीका बिलकुल बंद कर देना चाहिए। जिन्होंने भी यह तरीका किया है, ठीक नहीं किया है। पैसा आप चाहते हैं आप वसूल करिए, सील कर दीजिए, कुछ भी काम करिए लेकिन किसी को बदनाम करने का तरीका और उसको अपमानित करके टैक्स वसूल करने का तरीका, मैं इसको जजिया कर की श्रेणी में मानता हूं, इस प्रकार का नहीं करना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं।

यथार्थ स्थिति क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 100 के तहत हमने 104 की धारा 1 व 2 के अन्तर्गत कुछ छूट दी थी टैक्स लगाने की। हाउस टैक्स हमने समाप्त कर दिया था, 300 वर्गगज के स्वतंत्र आवास, उस पर बने फ्लैट को मुक्त कर दिया था, 300 वर्गगज के सांस्थानिक व औद्योगिक परिसर, 300 वर्गगज से अधिक भूमि पर बने 1500 वर्गफीट तक के आवासीय फ्लैट, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 107 में छूट प्राप्त परिसम्पत्तियां, धार्मिक उपयोग की समस्त सार्वजनिक सम्पत्तियां, चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियां, विशेष आदेश द्वारा मुक्त की गयी शैक्षणिक संस्थाएं, ये सारा हमने माफ कर दिया था और 100 वर्गगज

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तक के व्यावसायिक भूखण्ड जिनमें 90 वर्गफीट तक का निर्माण हो, अधिक निर्माण होने पर कर देय होगा, इनको हमने छूट दी थी। अब इसका क्या हुआ? वास्तविक स्थिति यह है कि जयपुर के जो रिहायशी मकान हैं, उनमें परिवार रहते हैं 300 वर्ग गज में, उनमें भी एक-एक कमरा व रसोई के साथ भाई रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं और परिवार के लोगों के राशन कार्ड अलग हैं, उनकी पहचान अलग है, लेकिन क्षेत्रफल सारा वह है और उनके बाप के नाम से उस समय हुआ था इसलिए उसको उतना ही मानकर टैक्स दे रहे हैं, अलिखित बंटवारा उन सबमें हो चुका और मुखिया के नाम से जो जा रहा है यह अव्यावहारिक है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस अव्यावहारिकता को ठीक कराएं ताकि जयपुर के लोग इस हाउस टैक्स से, यूडी टैक्स से प्रताड़ित नहीं हों।

दूसरा, गृह कर समाप्त करने के बाद भी हम यूडी टैक्स को वसूल कर रहे हैं और उसकी गणना हाउस टैक्स के साथ कर रहे हैं 2004-05 से और हाउस टैक्स भी साथ-साथ वसूल कर रहे हैं, यह क्या तरीका है? आज यूडी टैक्स वसूल करिए, उसको री-डिफाइन करिए, यह सारा काम करिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि 300 गज तक के बने हुए जो मकान हैं, थोड़े-बहुत ऊपर और 900 वर्ग फीट से ज्यादा 100 वर्ग फीट में बना कंस्ट्रक्शन है उसको दुबारा दिखाइये और दुबारा दिखाकर इस काम को आप पूरा करिए। मेरा सुझाव है माननीय मंत्रीजी, राज्य सरकार टैक्स देने से पहले सभी मकानों की गणना कराए। नम्बर दो, विभागों को जिम्मेदारी दी जाय। नम्बर तीन, स्वतंत्र आवासों एवं शामलाती आवासों को इससे अलग-अलग किया जाय।

नम्बर तीन, प्राइवेट कम्पनी पर सरकार जनता को विश्वास में ले। यह सारा असेसमेंट प्राइवेट कम्पनी कर रही है तो विश्वास में लेकर काम करें और तानाशाहीपूर्ण तरीके से जो कुर्कियां की जा रही हैं, जो बदनाम किया जा रहा है, उनको व्यक्तिगत रूप से, माननीय मंत्रीजी, आप आग्रह कर इसको रोकिये और इस काम को ठीक ढंग से कराइये। यह जयपुर सहित राज्य की सारी जनता के हित में काम होगा और इसमें अन्य बातों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा विरोध में हैं, उनके समर्थन करने वाले ज्यादा विरोध में हैं, कोटा में इसके लिए बन्द भी हुआ है इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें। मैं इस बात पर इतना ही कहना चाहता हूं।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि जयपुर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

शहर में अन्य जो सैक्टर रोड्स हैं, पृथ्वीराज नगर में सैक्टर रोड के बारे में जो आ रही हैं उन सारी को तो अगर प्लाट बीच में आता है तो उसकी एवज में स्थान दे रहे हैं और वो रोड बनती जा रही है। लेकिन बाकी जो स्थान है, गृह निर्माण सहकारी समितियों ने बनाई है और वहां जो सैक्टर रोड निकाल रहे हैं उनमें जो 20-20, 30-30, 40-40 वर्ष से बने हुए मकान जा रहे हैं उन मकानों का हम मुआवजा नहीं दे रहे हैं, दूसरी जगह भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसके बजाय वह करें।

अब एक बात मंत्रीजी, मैं आपको कहूंगा कि एक बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी आप पर है। हमने चुनाव करा दिये, सारी नगरपालिका, नगर परिषदों के चुनाव करा दिये और मैं समझता हूं कि इतिहास में इतनी बड़ी जीत जो भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, किसी सरकार ने आज तक दर्ज नहीं की होगी। पर उसके साथ-साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गयी और इन संस्थाओं में जो एक भ्रष्टाचार का काकस बन रहा है उस पर जबरदस्त प्रहार करने की आवश्यकता है। मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी भी हूं और मेरी जानकारी में भी है। एक तो जन-प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दें, ये दो काम तो मैंने जयपुर में देखे हैं और जहां जाता हूं वहां मुझे शिकायत मिलती है कि सफाई कर्मचारी ठेके पर, पार्किंग वाले ठेके पर, दूसरे लोग ठेके पर, इन ठेकों पर तो ठीक है, मुझे आपत्ति नहीं है, पर आपत्ति मुझे इस बात के लिए है कि इसके लिए भ्रष्टाचार का एक काकस बन गया है। कुछ वार्ड पार्षद बहुत ईमानदार हैं लेकिन कुछ वार्ड पार्षद, इंस्पैक्टर और पूरी कमेटी बनकर 50 परसेंट पैसा तो अपनी जेब में डाल लेते हैं और यह जो लूट का अड्डा बनता जा रहा है, काकस बन रहा है इस पर प्रहार करके हमको तोड़ना पड़ेगा। यह जन-प्रतिनिधियों की जरूरत को भी कर देगी। अब जयपुर में तो सारा काम आपके ही हाथ में हैं क्योंकि जयपुर में जो हमारे पार्षद हैं, बहुत ईमानदार हैं, सारे के सारे पार्षदों को टिकट हमारे माननीय विधायकों के कहने से मिले, एक सांगानेर को छोड़कर इसलिए सारे पार्षद आपके कब्जे में हैं और सांगानेर वाले जो हैं वो खवासजी के कब्जे में है। तो खवासजी के अगर चला गया,.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): खवासजी कौन हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जयपुर में बालाबक्श खवास को कौन नहीं जानता है भाई। तो खवासजी के जो टैक्स वसूल करने गया उस अफसर का ट्रांसफर हो गया और बाकी के चुंगी लगा दी, चपटी लगा दी, ढोल बजा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिया, कुछ नहीं हुआ। इसलिए जो अपने पार्षद हैं, जो आप लोगों ने ही जिताये हैं, आपका राइट है माननीय मंत्रीजी, आपने ही तो महापौर बनाया है और आपने ही सारे पार्षद बनाये हैं, यह आपकी ही लीला है तो मैं कह रहा हूं कि इस लीला को समेटो और सांगानेर है जिसको आपने अलग ही छोड़ रखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनकी ताकत मानते हो न आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मान रहा हूं तभी तो बोल रहा हूं। मैं हो रहा हूं न। अच्छे आदमियों के सामने तो होता ही आया है। अब जो जिस प्रकार के हैं उनसे वैसा ही मैं व्यवहार करता हूं और मेरे स्वभाव के बारे में आपको बता देता हूं। यह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा है, मेरी कविता नहीं है। ओछे न सो ओछे, महा बांके हम बांके न सो, हरिचन्द नगद दामाद अभिमानी के, सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। यह अपना स्वभाव है इसलिए इनकी बड़ाई कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। इसका अर्थ तो आप समझ लेना, इसके बहुत अर्थ हैं। एक बार दुबारा कह देता हूं – ओछे न सो ओछे, महा बांके हम बांके न सो, हरिचन्द नगद दामाद अभिमानी के, सखा प्यारे कृष्ण के और गुलाम राधा रानी के। यह अपना स्वभाव है इसलिए उस हिसाब से काम कर रहा हूं मैं तो राजेन्द्रजी। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि इस यू.डी. टैक्स के बारे में माननीय मंत्रीजी, आप करें।

दूसरा, मैंने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा कि आवासन मण्डल को समाप्त किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आवासन मण्डल को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, आवासन मण्डल में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हमने आवासन मण्डल को भी समाप्त किया, हमने रोडवेज को भी समाप्त किया तो जबरदस्ती हमारे पर आरोप लगेंगे इसलिए आवासन मण्डल को सुधारने के लिए कोशिश करें। आवासन मण्डल में आने के लिए तो बहुत से लोग तैयार बैठे हैं जो सुधारने के लिए तैयार हैं, लाइन लगी हुई है आवासन मण्डल का चेयरमैन बनने के लिए तो। वो आकर सुधार देंगे जिससे आपका भी भला हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा और जनता का भी भला हो जाएगा। इसलिए आवासन मण्डल को सुधारने लायक कोई आदमी ढूंढकर आप ले आएं और आवासन मण्डल सुधर जाएगा। यह तो मैं आवासन मण्डल के बारे में कह रहा था। दूसरी बात, मैं यह कह रहा था कि जेडीए से और आवासन मण्डल.....

श्री हीरालाल (निवाई): मोहनलालजी गुप्ता नहीं हैं आज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कालीचरणजी आ गये न तो उसके बाद किसकी जरूरत है और। कुछ नहीं, आपकी जरूरत थी, आप आ गये। आवासन मण्डल और जेडीए से, यह अभी तक बहुत वर्षों से नहीं हो रहा कि यह कालोनी यहां चली गयी या यह कालोनी यहां आ गयी है। वो कहते हैं कि यह कालोनी इधर है और वो कहते हैं इधर है तो इसका एक रास्ता निकाल दीजिये कि यह कालोनी इधर है या उधर है और इन कालोनियों में जो जेडीए से हैं और जो हाउसिंग बोर्ड से हैं, जो पैसा आना है विकास के लिए वो उनमें लगा दीजिये।

मैं इतना आपको कह सकता हूं कि वर्तमान सी.ई.ओ., नगर निगम आने के बाद में नगर निगम की कुछ परिस्थितियों में सुधार हुआ है और कुछ में और सुधार करने की आवश्यकता है। सुधार करके हम नगर निगम को कुछ सशक्त भी करें और सख्त करके कालीचरण जी की तरह से एक्शन करें। एक फोन पकड़ा गया इनके पार्षद का तो तुरन्त इस्तीफा ले लिया, रिकार्ड बनाया है साहब कालीचरणजी ने। एक पार्षद के फोन की केवल खबर छप गयी तो कालीचरणजी ने कहा कि इस्तीफा दो। तो आप भी ऐसे बोल्ड बनो। जहां-जहां कमी नजर आ रही है वहां-वहां कमी को दूर करें।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आज क्या बात है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बदले-बदले से सरकार नजर आ रहे हैं आज। तो मैं दो बात कहना चाहूंगा जिसमें एक तो यह कहूंगा कि आप जवाब के समय कम से कम यह नहीं बतायें कि सांगानेर में कितने रुपये का काम हुआ है। सब पूछते हैं कितना तो मैं इनको कहता हूं कि ये नहीं बतायें कि सांगानेर में कितना काम हुआ है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह राजस्थान वो राज्य है जिसमें संविधान के संशोधनों के बाद में स्वर्गीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने पहली बार नगरपालिकाओं का कानून बनाया और कानून बनाकर लागू किया, अपन आगे रहे। अवसर आ गया है कि हमको इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, द्रव्यवती नदी, पृथ्वीराज नगर, रिंग रोड और एक बहुत बड़ी बात जो रह गयी वो कहना चाहता हूं भूमिगत तारों के लिए बार-बार यह कहा गया कि जेडीए इतना पैसा देगी और जयपुर में सारे तार भूमिगत कर दिये जाएंगे लेकिन ये तार लटकते हुए ही हैं जो भूमिगत नहीं हुए हैं। इसलिए ऊपर वाले तारों को भूमिगत करने के लिए एक योजनाबद्ध

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तरीके से आप काम करेंगे तो काम होगा। मैं समझता हूं कि सफाई का ठेका और पार्षदों को जो बार-बार बदला जाता है, इनकी सीट बदली जाती है कि दुबारा यहां पर कौन पार्षद आयेगा तो वो पार्षद अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं। वो समझता है कि इस बार जो कुछ करना है, सारा काम निपटा कर चलो क्योंकि आगे पता नहीं यह महिला की होगी या पुरुष की रहेगी या एससी की आयेगी या एसटी की आयेगी तो वह अपनी कोई जिम्मेदारी ही महसूस नहीं करता और इस कारण से इन चुनी हुई संस्थाओं में समस्या हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, भाषण तो मुझे और भी देना था, आप भी मुझे टोक नहीं रहे हैं लेकिन मैं पंचायती राज पर नहीं बोल रहा हूं, और माननीय सदस्य बोलेंगे। इसमें भी मैं केवल जयपुर तक ही सीमित रहा हूं क्योंकि आज मुझे विशेष रूप से जयपुर की बात कहनी थी दो मुद्दों को लेकर, पहला, कि जयपुर जिस शहर में अपन रह रहे हैं वो भारत का पहला ऐसा शहर है जो प्राण प्रतिष्ठित शहर है, भारत का पहला ऐसा शहर है जिसने वास्तु के आधार पर और सारी मान्यताओं के आधार पर एक बहुत बड़ा काम किया है। फिर मुझे जयपुर के उस इतिहास को भी बताने की आज आवश्यकता थी कि जिस इतिहास को जयपुर के लोग कोसते हैं वो जयपुर के परिवारों ने बहुत बड़ा काम करके हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी थाती की जयपुर में रक्षा की है और अब हमारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। इसलिए अगर ये चार काम हम कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि जयपुर का हम बहुत भला कर पाएंगे, बाकी तो ईश्वर की मर्जी है। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामना दे रहा हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बनवारी लाल सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आसन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मांग संख्या 20 आवास....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने आज हमारे उप मुख्य सचेतक के निर्देश का भी पालन किया है उपाध्यक्ष महोदय। आपने कहा था कि आपको...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मैंने पर्ची नहीं भेजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने कहा था कि पोजिटिव बोलना है, आपने कहा था ना। आपने कहा था, पोजिटिव बोलना है आज, तो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मैं निवेदन करूंगा साहब, अब माननीय सदस्य की शनि की ढैया उतर गयी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चढाई किसने थी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह शनि की ढैया चढ़ाई किसने थी, वह भी बता दो। उतारी तो आपने है लेकिन चढ़ाई किसने?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-20 आवास और मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, इन दोनों ही डिमांड्स पर आज मैं अपनी बात इस सदन के पटल पर रख रहा हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं, देश के माननीय प्रधान मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज अन्तरराष्ट्रीय जल दिवस भी है, इस अवसर पर, इस विषय पर देश के प्रधान मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना निश्चित तौर पर मेरी जिम्मेदारी है। अलवर शहर ही नहीं, पूरा राजस्थान पानी की समस्या से त्रस्त है। एनसीआर योजना में अलवर को 175 करोड़ रुपया स्ट्रेंथनिंग आफ वाटर लाइन्स के लिए मिला और 165 करोड़ रुपया 'मिशन अमृत' में जिसमें 51 करोड़ रुपया पानी के लिए और 114 करोड़ रुपया सीवरेज लाइन्स के लिए मिला तो आज यह थोड़ा सा विषय से हटकर, 175 करोड़ और 51 करोड़, 226 करोड़ रुपया पानी के लिए देश के प्रधान मंत्रीजी और राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी की ओर से अलवर का ध्यान रखा गया, इसके लिए मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं अन्तरराष्ट्रीय जल दिवस पर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज आवास की मांग है। मैं अपनी बात को प्रारम्भ करते समय याद दिलाना चाहता हूं। प्रदेश में स्थानीय निकायों के गठन का जो उद्देश्य इस देश की आजादी के समय रहा होगा, मैं समझता हूं, आज स्थानीय निकायों के गठन के उद्देश्य से ये स्थानीय निकाय भटकते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के हर व्यक्ति को घर दिलाने का, प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को तरीके से उपलब्ध कराने का और सुनियोजित तरीके से विकास करने का उद्देश्य स्थानीय निकायों के गठन का, हमारी सरकारों का रहा होगा लेकिन वर्तमान में ऐसा लगता है, कोई सा भी स्थानीय निकाय हो, किसी भी जिले का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी पंचायत और पालिका का हो, सबका एकमात्र उद्देश्य रह गया अधिक से अधिक धन कमाओ। कम से कम मुआवजे के बदले जमीनों को अवाप्त करो किसान की, खातेदार की और

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

अधिक से अधिक राशि में उनको बेचें, सभी प्रकार के नियमों का वायलेशन करके ज्यादा से ज्यादा सशक्त संस्था को बनाओ। वर्तमान में जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री 2022, जब इस देश की आजादी को 75 वर्ष होंगे, उस दिन तक देश और प्रदेश के हर व्यक्ति को घर देने का सपना देखते हैं, मैं समझता हूं, शायद प्रधान मंत्रीजी की वह सोच, वह संकल्प और माननीया मुख्य मंत्रीजी का, उसी संकल्प के अनुसार आगे चलने का इरादा ऐसा लगता है कि इन स्थानीय निकायों के माध्यम से पूरा होना मुश्किल है। लगातार जिस तरह से भूमि को अवाप्त करना और ऊंची दरों पर बेचना, जैसा अभी देश के प्रधान मंत्रीजी ने आम आदमी को आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपनी विचारधारा रखते हुए और जिस तरह से देश के रीयल एस्टेट व्यवसाय को जो हानि हुई है। जिस तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है...

(14.54 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है देश के प्रधान मंत्रीजी ने, ऐसे व्यक्तियों के लिए आवास बनाने वाले बिल्डर को, जो केवल गरीब तबके के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवास बनाये, ऐसे बिल्डर के लिए, ऐसे निवेशकर्त्ता के लिए शत-प्रतिशत आयकर की छूट देश के प्रधान मंत्रीजी ने प्रदान की है और साथ में सर्विस टैक्स की छूट भी ऐसे मकान बनाने वाले निवेशकों के लिए प्रदान की है। हमारे यूडीएच मिनिस्टर साहब यहां विराजमान हैं, चूंकि हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी स्वयं भी इस संकल्प को लेकर चल रही हैं कि हम भी प्रदेश में हर घर विहीन व्यक्ति को घर देना चाहते हैं। इसके लिए माननीय नगरीय निकाय मंत्रीजी, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार देश के प्रधान मंत्रीजी ने छोटे घर बनाने वालों के लिए, घर विहीन लोगों को घर उपलब्ध कराने के सपने के साथ, संकल्प के साथ आयकर और सर्विस टैक्स की छूट प्रदान करके इस देश के आम आदमी की चिंता की है, आप भी राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करके, छोटे घर बनाने वाले निवेशकों को सभी प्रकार की सामग्री पर लगने वाले वैट से छूट दिलाकर संकल्प को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय मंत्रीजी को कहना चाहता हूं।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

आपका आभामण्डल ही ऐसा लग रहा है साहब, क्या करें।

श्री सभापति: आभामण्डल भी लगा है, फिर ऐसा ही लगा। आगे चलिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से, वैसे तो आप आज की इस डिमांड की ओपनिंग कर चुके हो, जिस सांस्कृतिक लहजे में आपने शुरुआत की है तो अन्य वक्ताओं के लिए सामान कम छोड़ते हो लेकिन फिर भी अपनी-अपनी बात हम सबको कहनी है...

श्री सभापति: नहीं, बिलकुल बिलकुल। बोलिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को घर कैसे उपलब्ध हो। जिस तरह से रिसर्जेन्ट राजस्थान के माध्यम से अभी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एक संकल्प दोहराया और उन्होंने कहा है, राजस्थान में उद्योग लगाने वाले देशी और विदेशी निवेशक को हम सिंगल विंडो सिस्टम देंगे। जिस अधिकारी की जिम्मेदारी जिस काम की होगी, उसको इतना स्ट्रेंथन करेंगे, उसको इतना अधिकारयुक्त करेंगे कि उस व्यक्ति के पास फाइल आएगी और वह व्यक्ति उस फाइल को निपटाकर, उस उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को अपना उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह राजस्थान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप भी सिंगल विंडो सिस्टम लागू करिये। अनेक बार यह सिस्टम लागू हुआ, पर वह सिंगल विंडो से डबल हो जाती है, डबल से चार हो जाती है, चार से आठ हो जाती है, आठ से 16 हो जाती है, 16 से 32 हो जाती है। खिड़की, खिड़की, खिड़की, खिड़की हो जाती है और वह काम खिड़कियों में अटककर रह जाता है। माननीय मंत्री महोदय, आलोचनात्मक लहजे में नहीं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सवा दो वर्ष का समय हमारी इस सरकार का निकल गया और जिस तरह से पिछले पांच वर्ष में कांग्रेस की सरकार के मुखिया अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी लेकर आये थे वर्ष 2009 में। पांच-पांच लाख मकान बनाकर हम राजस्थान के एक-एक गरीब को देंगे, एक-एक घर विहीन व्यक्ति को देंगे। जगह-जगह होर्डिंग लगे, जगह-जगह बोर्ड लगे, रोजाना अख़बार छपते थे। ऐसा पहली बार हुआ और परिणाम भी ऐसा हुआ, जैसा पहली बार हुआ, भूतो न भविष्यति। आने वाले समय में भी ऐसा परिणाम कभी आने की उम्मीद मत रखिये। जैसा आपने पांच लाख, पांच लाख, पांच लाख आवास बनाने की बात की, अगर एक बिंदी

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

हटा दें और 10 का भाग लगा दें, 50,000 आवास भी आप लोग नहीं बना पाये।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह देश के प्रधान मंत्री और राजस्थान की मुख्य मंत्री अपनी इस चिंता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हम राजस्थान के हर घर विहीन व्यक्ति को घर दें। जब तक आप सिंगल विंडो सिस्टम लागू नहीं करेंगे और हमारे यहां राजस्थान में तो एक सर्विस गारंटी बिल भी लागू है। वह सर्विस गारंटी बिल कहां गया? 2001 में इसी राजस्थान विधान सभा में हमने ध्वनिमत से पारित किया था। पिछली सरकार लाई थी। बहुत सारे कानूनों को अभी हमने समाप्त करने का काम भी किया है लेकिन यह सर्विस गारंटी बिल अभी लागू है। आप ऐसी कार्यवाही जरूर करिये, जिस व्यक्ति की जिस काम को करने की जिम्मेदारी है, उस समय सीमा में अगर नहीं करें तो दण्डात्मक प्रावधान जरूर होने चाहिए। इस राजस्थान की तस्वीर को बदलने का जो विचार आपने रख रखा है, राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने रख रखा है, पूरे मंत्रिमण्डल ने और 160 विधायकों ने रख रखा है, यह मूर्तिमान होकर आमजन के सामने आना चाहिए। जब तक आप सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक इस काम की गति माननीय मंत्री महोदय, बढ़ने वाली नहीं है और सिंगल विंडो सिस्टम करके, जिस आदमी की जो ड्यूटी लगे, वह उस काम को पूरा करे। इसकी मानीटरिंग करने के लिए भी आपको कोई न कोई कमेटी बनाकर तैयार करनी पड़ेगी।

इसके साथ-साथ माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने एक और बड़ा काम किया है। अभी बजट पेश करते समय फ्लोरवाइज रजिस्ट्री होगी। बहुत बड़ी चिंता हो गयी थी राजस्थान में कैसे आम आदमी को घर मिले? लोग अपना स्वतंत्र भूखण्ड खरीदने की जगह अब फ्लैट की तरफ जाने लगे थे। छोटे से छोटे फ्लैट की तरफ जाने लगे थे लेकिन एक विसंगति है, मैं तो कहता हूं, माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आने वाले समय में अगर नगरीय निकाय की, स्वायत्त शासन विभाग की मांग आप रखते हैं तो राजस्व की मांग भी इसके साथ रखिये, वित्त की मांग भी इसके साथ रखिये क्योंकि ये सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक-दूसरे के साथ को-रिलेटेड हैं।

(15.00 बजे)

क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी में जिस तरह से फ्लोरवाइज रजिस्ट्री की दरें कम करने का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना संकल्प पूरा किया है, यह आने

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

वाले समय में आम आदमी को छोटे से छोटे चाहे वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, पटवारी है, मास्टर है, बाबू है, किसी भी श्रेणी का कर्मचारी है उनको भी कम से कम छोटा सा एक अपना आवास प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। इससे बहुत बड़ी विसंगति अभी राजस्थान में है। पिछले दिनों मैंने एक रिप्रजेंटेशन राजस्थान सरकार की ब्यूरोक्रेसी को दिया था। मैंने वर्तमान डीएलसी दरों में जो विसंगति है उसके बाबत् एक रिप्रजेंटेशन बड़े डिटेल में बनाकर राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी दिया था और वित्त विभाग के अधिकारियों को भी दिया था। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही अभी नहीं हो पाई है। मैं समझता हूं आगे भी चलकर इसको और अधिक ताकत के साथ फिर कहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ इसमें जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक गम्भीर चिंता है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से देश में 2013 में एक केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून आया था। उसके बाद राजस्थान की विधान सभा ने भी राज्य का भूमि अवाप्ति कानून बनाने की तैयारी की थी। एक सलैक्ट कमेटी का गठन भी उसके लिए हुआ था। सलैक्ट कमेटी ने बहुत लम्बी-चौड़ी मेहनत भी की थी लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कुछ विसंगतियां कहें या कुछ ऐसी टैक्निकल प्राब्लम रही होगी कि वह बिल राजस्थान की विधान सभा में नहीं आ पाया।

श्री सभापति: उसमें एक प्रोब्लम तो आप भी थे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हां, मैं भी था, साहब। मैं उसका भी जिक्र करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत नहीं होती, उस पर यहां चर्चा नहीं होती है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): नहीं करेंगे, साहब। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून, 2013 यह आज राजस्थान में भी लागू है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, माननीय मंत्रीजी, आप बहुत एक-एक विषय के जानकार हैं, विद्वान हैं। पराकाष्ठा के विद्वान हैं, इसमें भी कतई कोई संदेह नहीं है और जब घनश्याम जी आपके बारे में ऐसे सुंदर शब्दों का उपयोग कर चुके हैं तो फिर किसी भी दूसरे सदस्य को इस सदन में कोई संशय बचता नहीं है।

श्री सभापति: सर्टिफाइड बीज है क्या? प्रभु जी नहीं हैं यहां पर।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं यह निवेदन करना चाहता

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

हूं, केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून का आप पालन करवायें इस राजस्थान में। क्योंकि आज की दिनांक में अगर भूमि अवाप्ति कानून राजस्थान में कोई लागू है तो वह केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून लागू है। 1894 का भूमि अवाप्ति कानून, इस केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून के आने के बाद राजस्थान में भी समाप्त हो चुका है। लेकिन राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी इस केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून को मानने की स्थिति में नहीं है। हम बात करते हैं, हर व्यक्ति जो बोलता है, किसान की बात करता है, काश्तकार की बात करता है, खातेदार की बात करता है। लेकिन जब किसान, काश्तकार और खातेदार अपनी भूमि की अवाप्ति के बारे में राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी से अपनी अवाप्ति के कानून की बात करता है तो राजस्थान के अधिकारी बगलें झांकने लगते हैं। अभी जो कटौती प्रस्ताव हम सब सदस्यों ने दिए थे, उन कटौती प्रस्तावों को जब मैं पढ़ रहा था तो एक कटौती प्रस्ताव मेरे हाथ में आया जिसको मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। मानिक चन्दजी सुराना साहब जिनका डिवीजन नम्बर-128 है, इन्होंने 121 नम्बर पर एक कटौती प्रस्ताव दिया है। आप देखिए इसमें लिखा है, ओझा जी का बाग़ सन 1969 में अवाप्तशुदा...

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, मैं आपको कहना नहीं चाहता था, आप वरिष्ठ हैं, आप बीच में से क्यों गये हैं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं झुक कर आई थी।

श्री सभापति: झुका मत करो आप, झुकना भी बीच में से आना है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्री महोदय, 121 क्रमांक नम्बर पर दर्ज है, ओझाजी का बाग़ सन 1969 में अवाप्तशुदा भूमि को डी-एक्वायर घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए। मानिक चन्दजी सुराना साहब, जो हमारे इस सदन के सबसे उम्रदराज सदस्य हैं, वकील हैं। आपने 1969 की एक भूमि जो अवाप्तशुदा है, उसको अवाप्ति से मुक्त करने के लिए डी-एक्वायर मानने के लिए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आज सदन में नहीं है, नहीं तो मैं समझता हूं कि वो जरूर इस पर चर्चा करते। हमारा राजस्थान किस तरफ जा रहा है? 1969 की भूमि को हम आज तक भी अवाप्तशुदा मान रहे हैं? क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी कर रही है? क्या राजस्थान की सरकारें कर रही हैं? कितनी सरकारें आ गयीं और चली गयीं 1969 के बाद और अब तक अगर किसान यह गुहार लगाये, ओझाजी का बाग़ कहां होगा,

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जब सारे कटौती प्रस्तावों को पढ़ा तो बड़े आश्चर्य से मैं कहना चाहता हूं, बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि हम राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इस किसान की जमीन को कहां पहुंचाना चाहते हैं? अगर किसी किसान को अपनी बेटी की शादी करनी हो और उसकी भूमि को 1969 से आज तक अवाप्तिशुदा माना जाता हो तो मंत्रीजी, आप जवाब दे देना कि उसकी बेटी बिना शादी के अस्सी साल की होकर मरणासन्न स्थिति में आ जाएगी। क्या आज तक किसी भी व्यक्ति ने इस विषय में कभी सदन का ध्यान आकर्षित नहीं किया होगा या हमारे राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी का ध्यान नहीं गया? 1969 की भूमि, आज मैं आपसे चाहता हूं कि आप खासतौर से इसका जिक्र करे अपने जवाब में कि 1969 की भूमि को आप अवाप्तशुदा मानते हैं या अवाप्ति से मुक्त मानते हैं? केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून जो आया है, केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून मैंने ठीकसे पढ़ा है। राजस्थान में नहीं बना इसलिए यह केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून आज लागू है और यह कानून कहता है कि अगर किसी भूमि के अवाप्ति के पांच वर्ष तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया, कब्जा नहीं लिया गया It will be treated as lapsed. क्लीयर कट लिखा हुआ है लेकिन राजस्थान की आपकी ब्यूरोक्रेसी मानने को तैयार नहीं है। कौनसी धारा में विकास करेंगे आप राजस्थान का?

आप राजस्थान को घर देना चाहते हैं। माननीय प्रधान मंत्रीजी भी एक-एक घर इनको देना चाहते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इनको एक-एक घर देना चाहती हैं लेकिन आपकी ब्यूरोक्रेसी आपके साथ काम कर रही है क्या? ब्यूरोक्रेसी बिलकुल आपके साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं किसी का किसी भी तरह से आलोचक नहीं हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी यह योजना मुख्य मंत्री जन आवास योजना, प्रधान मंत्रीजी की घोषणा निश्चित रूप से अशोक गहलोतजी की 2009 की अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी बनकर रह जाएगी। उस समय भी यही स्थिति हुई थी। लोग निवेश के लिए आना चाहते थे, आकर अफोर्डेबल हाउस बनाना चाहते थे लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने सहयोग नहीं किया था, माननीय मंत्रीजी। एक दो लोग मेरी जानकारी में हैं जिन्होंने हमसे भी कहा, आप जरा कहें सरकार को, हम लोगों ने इस बात को सदन के माध्यम से भी कहा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के नान कोआपरेशन के कारण से यह योजना धूल चाट गयी। हमारे राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी जो लोक कल्याणकारी विचार रखती हैं, इनकी ये

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

योजना इसी प्रकार से धराशायी नहीं हो जाए इसके लिए आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

श्री सभापति: ये 2013 के कानून के बारे में राज्य सरकार के निर्देश तो चले गये क्या सभी जिला कलक्टरों के पास?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): नहीं गये हैं। बिलकुल नहीं गये हैं, माननीय सभापति महोदय। आज राजस्थान में अगर हम उच्च अधिकारी जो इस डिपार्टमेंट के बैठे हैं उनसे लेकर के नीचे तक के लें तो मतांतर है। मानने को तैयार नहीं हैं, बिलकुल मानने को तैयार नहीं हैं कि यह कानून आज राजस्थान में लागू है। अगर लागू है तो फिर किसी दूसरे तरह के पत्र व्यवहार की मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं बचती है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून जिस दिन से आ गया, माननीय मंत्रीजी, उस दिन से पांच वर्ष पूर्व की अवाप्ति जितनी भी हैं, पांच वर्ष के दायरे में जितनी भूमि अवाप्ति आ रही हैं, उन सब में राजस्थान की सरकार का नियम है, भूमि के बदले 25 प्रतिशत भूमि दी जाएगी। नकद मुआवजा या 25 प्रतिशत विकसित भूमि। सुराना साहब, मैंने आपके एक विषय पर अभी सदन के समक्ष एक बात रख दी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, यह नियम है, यह कानून है। वर्तमान में जो कानून उपलब्ध है राजस्थान में उसके मुताबिक पांच वर्ष से अधिक जिन भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को हो गए, मुआवजा नहीं दिया गया, कब्जा नहीं लिया गया, ऐसी भूमि को अवाप्त करके आज की तारीख में कब्जा लेना यह कानून सम्मत नहीं है। लेकिन जितने भी स्थानीय निकाय, मैं किसी एक निकाय की बात नहीं कर रहा हूं पुलिस का दस्ता लेते हैं, जेसीबी मशीनें लेते हैं और आप समझिए जैसे कोई चंबल के बीहड़ों से उतरकर फौज आ गयी हो, किसान की जमीन पर जाते हैं और रातों-रात कब्जा लेकर उस पर बोर्ड लगा देते हैं फलाना न्यास, फलाना प्राधिकरण।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य मंत्रीजी को सुझाव दे रहे हैं कि धमका रहे हैं?

श्री सभापति: आप विराजें। वे आपस में फैसला कर लेंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इस प्रकार की भूमि को, माननीय मंत्रीजी, किसी भी निकाय को, प्राधिकरण को कब्जे में लेने का

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

अधिकार नहीं है। और इसके ऊपर एक बड़ी विसंगति और है। विसंगति यह है, किसी व्यक्ति की अवाप्त भूमि की खातेदार की, किसान की भूमि अवाप्ति चाहे किसी भी उपयोग के लिए स्थानीय निकाय ने या किसी भी विभाग ने की और करने के बाद भूल गया, सम्बन्धित खातेदार या किसान वह अपने कानून अधिकार को बचाने के लिए कानून की शरण में चला गया। किसी कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाकर उसने मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़ने के बाद उस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से अपनी भूमि पर कब्जा नहीं लेने के लिए स्टे प्राप्त कर लिया किसी भी सक्षम न्यायालय से। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहता हूं, स्टे किसी भी दिन टूट गया रैगुलर सूट जारी है, इस रैगुलर सूट का निर्णय क्या होगा, उस निरन्तर चलते हुए वाद का माननीय न्यायालय क्या निर्णय देगा और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद सर्वोच्च न्यायालय तक उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि अदालत में जाए और अपनी बात कहे। जीतेगा या हारेगा, यह तो उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। उसके प्रयास पर निर्भर करेगा, लेकिन कोई भी स्थानीय निकाय, प्राधिकरण, निगम या न्यास यह कैसे तय कर लेता है कि यह व्यक्ति हारेगा ही और उसकी जमीन का कब्जा ले लेते हैं बिना मुआवजा दिये। अगर कोई रैगुलर सूट पैंडिंग है, मैं यह मानता हूं इस बात को मानते हुए कि कल न निर्णय उस न्यास और प्राधिकरण के खिलाफ भी जा सकता है और अगर न्यास और प्राधिकरण के खिलाफ निर्णय चला गया तो माननीय मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस भूमि का जबरन कब्जा करके उस न्यास और प्राधिकरण ने उसके भूखण्ड बेच दिये, उसको किसी फैक्ट्री वाले को अलाट कर दिया, किसी सार्वजनिक संस्था को अलाट कर दिया, क्या उसको पुनः वापस रीस्टोर करके उस खातेदार को जमीन उस कोर्ट के आदेश के मुताबिक देने की स्थिति में वह न्यास और प्राधिकरण हो सकते हैं?

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हम अदालतों में कहते हैं कि ना पूर्ति होने वाला नुकसान उस खातेदार को होगा इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून, 2013 को आप बिलकुल स्पष्ट कराने की कृपा करें। साथ में जिस प्रकार से वाद के चलते किसी भी रैगुलर सूट के चलते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी अवाप्ति के खिलाफ कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है। वो कहना चाहता है कि मैं इस

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

कारण से अपनी भूमि को अवाप्ति में नहीं करवाना चाहता, अवाप्ति में नहीं देना चाहता। मेरी भूमि को छोड़ दिया जाय या मुआवजा दिया जा रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरा मुआवजा नये सिरे से तय किया जाए। यह मौलिक अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता और उसके बाद उसकी बात को सुने बिना केवल स्टे टूट गया। उसकी जमीन का कब्जा ले लिया। उसको जीते जी मार दिया। मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, बलपूर्वक कब्जे को राजस्थान भर में रोकने का, यह लोक कल्याणकारी सरकार है और आप बहुत विद्वान मंत्री हैं, इसको रोकने के मेरे आवेदन पर, मेरे निवेदन पर गौर जरूर करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं बात करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, किसी व्यक्ति का, अभी जैसा मानिक चंदजी सुराना साहब के एक कटौती प्रस्ताव पर मैंने चर्चा की। 1969 की इनकी एक ये जो अवाप्तशुदा भूमि है इसको डि-एक्वायर कराना चाहते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में बहुत सारे ऐसे मामले हैं। 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 यानी 25-30 साल तक की अवाप्ति उनके सर पर लटका रखी है। कोर्ट में चल रहे थे मुकदमे। काश्तकार हार गया, किसान भी हार गया और हारने के बाद आज स्थानीय निकाय 30 हजार रुपये बीघा या 50 हजार रुपये बीघा उसकी जमीन को अवाप्त करके उसमें पचास हजार रुपये प्रति वर्गमीटर में भूखण्ड बेचे, क्या यह न्यायसंगत है? इसकी भी आप ऐसी व्यवस्था करा दीजिये। आज अगर किसी किसान की भूमि को तीस हजार रुपये वर्गमीटर में, क्योंकि तीस हजार रुपये वर्गमीटर में जब भूमि उसकी ली जा रही है, जिस टाइम तीस हजार रुपये बीघा में उसकी भूमि की अवाप्ति की प्रक्रिया की गयी थी स्थानीय निकाय के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा उस समय वो दर रही होंगी, लेकिन 30-35 साल के बाद आज उस भूमि की कीमत 50 हजार रुपये वर्गमीटर हो गयी, उस भूमि को हम जिदपूर्वक, बलपूर्वक, जेसीबी के दम पर, पुलिस के दम पर तीस हजार रुपये बीघा में अवाप्त कर लें। रातों रात सड़क बनायें, भूखण्ड बेच दें और किसान मारामारा फिरे। रोता फिरे वह खातेदार। मैं समझता हूं कि यह भी न्यायिक प्रक्रिया नहीं है।

माननीय मंत्रीजी, इसमें भी हमको निश्चित रूप से दखल करना चाहिए कि उस किसान और खातेदार को हम सामने बैठायें। स्थानीय निकाय

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

में बैठायें। स्थानीय निकाय में बैठाकर स्थानीय जन प्रतिनिधि को, विधायक को, सांसद को आप बैठाइये। नगर परिषद के अध्यक्ष को बैठाइये। किसान को, खातेदार को बैठाइये और आपके अधिकारियों की ब्यूरोक्रेसी को बैठाइये और उनके साथ संतुष्टिपूर्वक बात करके उस किसान को उचित मुआवजा वर्तमान दरों पर देकर चाहे वो पन्द्रह परसेंट ले, पच्चीस परसेंट में संतुष्ट हो, नहीं हो तो नकद मुआवजा दें। आज डीएलसी दरों पर जब वर्तमान दरों पर भूखण्ड 25 -50 हजार रुपये, 70-80 हजार रुपये मीटर बिक रहा है तो क्यों नहीं उसको वर्तमान डीएलसी दरों पर मुआवजा दे दिया जाए। वो व्यक्ति कम से कम तीस -चालीस साल तक जिस तरह से लड़ा है अदालतों में और फटेहाल हो गया। हमारे बहुत सारे साथी यहां वकील भी हैं इसलिए कोई बात मेरे कहने की मन में आ रही थी, लेकिन कहने से लगता है कि वकील समुदाय उसको बुरा मानेगा। अदालतों के चक्कर लगाते-लगाते जब कोई व्यक्ति अदालतों में मुकदमा लड़ने जाता है तो कार में जाता है और जब मुकदमे का निस्तारण होता है तो साइकिल पर आ जाता है। यह स्थिति हो जाती है। व्यापार, धंधे, खाना, कमाना सब भूल जाता है और जब उसकी जमीन भी बलपूर्वक अवाप्त कर ली जाती है तो मैं समझता हूं कि परिवार के सामने अंधेरा छा जाता है। परिवार के सामने मृत्यु जैसी स्थिति आ जाती है।

माननीय मंत्री महोदय, आप इस मामले में भी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिना उचित मुआवजा दिये, बिना वर्तमान दर पर मुआवजा दिये ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...(व्यवधान) वकील से क्या न्याय मिलेगा, अन्याय मिलेगा, यह इतिहास गवाह है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): न्यायिक प्रक्रिया में वकील के साथ ही जायेगा। मैंने आपको कहा ही क्या है?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): न्यायिक प्रक्रिया में वकील जिस तरह से रहता है, हिन्दुस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप प्लीज, आप जब बोलते हो तो मैं आपको कभी इंट्रप्ट नहीं करता हूं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): वकील तो वो हैं जो तेजाजी, भैरूंजी के भाव आते हैं और वह कहता है कि मेरे अगली चौकी आना। थका देते हैं वकील। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं कभी भी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, कोई भी बोलता हो तो कृपया मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अपने-अपने नम्बर पर सब बोलें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कोई अगर आपको बीच में टोकता है तो उसमें प्रसन्न रहिये, प्रसन्नतापूर्वक बात करिये उससे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): साहब, यह मेरे स्वभाव में है कि मैं जरा कंसंट्रेट होकर बात करता हूं।

श्री सभापति: ठीक है, इनके स्वभाव का ध्यान रखिये आप। बोलिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): ...(व्यवधान) स्वभाव को ठीक कर लो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपके लिए ही एक्सक्लूसिव है बस। (व्यवधान) आपको छूट है केवल।

श्री सभापति: माननीय सदस्य को नहीं टोकें। नहीं टोकेंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो जो अपनी पीड़ा है वो क्लीयर बता दो, मंत्रीजी सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसे घुमाकर मत बात करो, सीधी ठोको।

श्री सभापति: मैंने टोकने के लिए नहीं कहा था, न टोकें, यह कहा था।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपकी नहीं है क्या? आप नहीं हो सहमत?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीधी कहो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप सहमत नहीं हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सब सहमत हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सहमत हैं कि नहीं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसान के साथ सवा दो साल से अन्याय हो रहा है, लेकिन सीधी कहो आप तो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं तो सन् 1969 से, सवा दो साल ही हुए हैं न अभी?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, किसानों के साथ अन्याय तो विपक्ष ने किया है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं सीधे-सीधे यह कांग्रेस और भाजपा का विवाद नहीं करना चाहता हूं। मैं जो कह रहा हूं उसको समझ सको तो समझ लो। 1969 से राज आप ही कर रहे थे। हम तो पिछले दस-बारह साल से ही आये हैं और टुकड़ों में। इसलिए मेरा यह निवेदन है। (व्यवधान) मैं एक अभी थोड़ा सा विषय परिवर्तन कर रहा हूं फिर वापस आऊंगा।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, बोलो, आप बोलो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): एक स्ट्रीट वेंडर एक्ट लाये थे हम। उस स्ट्रीट वेंडर एक्ट को भी एक बार दिखवा लें, क्योंकि यह राजस्थान के उस गरीब व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक्ट है। जो एक्ट राजस्थान में फुटपाथियों के लिए, उन रेहड़ी वालों के लिए, उन ठेली वालों के लिए, उन खोखा लगाने वाले लोगों के लिए लाया गया था जो सड़क के किनारे बैठकर अपनी रोजी रोटी का उपार्जन करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। इस स्ट्रीट वेंडर एक्ट को 2011 में लाया गया था। बड़े ध्वनिमत से पारित हुआ था और आज ऐसा लगता है कि इस एक्ट का कोई अर्थ नहीं बचा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वैसे तो यह कहा जाता है कि सदन में अख़बार के माध्यम से कोई बात नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के तीन स्तंभों के साथ-साथ आज यह समाचार जगत भी चौथा स्तंभ है। मैं एक बड़ी इमोशनल बात है, बड़ी संवेदना के साथ यह बात कहना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी, यह मेरे हाथ में एक समाचार पत्र है 18 मार्च, 2016 का। दिन भर तनाव के बीच होती रही तोड़फोड़ और सीलिंग इसमें लिखा है। एक बच्चे का फोटो है। बस्ती थी जब स्कूल गया और लौटा तो मलबा मिला।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): शेम-शेम।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह कोई शेम की बात नहीं है, तथ्यात्मक बात है। जरा बाद में शेम-शेम कर लेना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): शर्म की बात है, डूब मर जाना चाहिए इस मामले में तो। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कोई बात नहीं, हमारे और आपके सबके लिए ही है। बराबर से आपके लिए भी। माननीय मंत्रीजी, जब ये

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

मकान बन रहे थे, तो यह तोड़ने वाले कहां थे? कोई लकड़ी का खोखा नहीं था। कोई चार पहियों पर चलने वाली रेहड़ी नहीं थी। कोई टैम्पो में बना हुआ घर नहीं था। पटवारी से लेकर एसडीएम और कलक्टर तक जिम्मेदारी होती है और जेडीए में छोटे से लेकर उच्च अधिकारी तक जिम्मेदारी होती है, विभाग के अंतिम अधिकारी तक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य सचेतक महोदय, आपको टोकने के लिए सभापतिजी से गुहार कर रहे हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कोई बात नहीं, आप जब कहेंगे तब तक बोलेंगे, हम एक सैकंड में बीच में बंद कर देंगे बातचीत, आप चिन्ता मत करो। कानून का पालन हमारी पहली जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, इस तरह की घटनाएं, आज जेडीए कहता है, जेडीए ने मुक्त करायी करोड़ों की बेशकीमती जमीन। बेशकीमती जमीन को मुक्त करा कर जेडीए प्रसन्न हो रहा होगा कि हमने डेढ़ सौ करोड़ की पन्द्रह हजार वर्गमीटर जमीन मुक्त करा ली। जिन लोगों के सर से आशियाने उजड़ गये, उनकी चिंता कौन करेगा। इन बच्चों के फोटो अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कोई हार्ट अटैक का मरीज हो। तो निश्चित रूप से किसी न किसी की मौत हो गयी होगी। माननीय मंत्रीजी, आप बहुत संवेदनशील हैं, इन चिंताओं को कीजिए। अवैध कालोनियों के जाल नहीं फैलें, इसकी चिंता हमको पहले करनी चाहिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विद्वान तक तो ठीक था, संवेदनशील वाला पुनर्विचार कर लेना।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह एक अख़बार अलवर का भी है, कृषि भूमि पर जब मकान बन जाते हैं तब न्यास को याद आते हैं अपने प्लान। जब तक मकान बनते रहते हैं तो प्लान क्यों नहीं याद आते? सरकार कोई-सी भी हो, चाहे वह शेम, शेम बोलने वाले हों, कल तक हम भी शेम-शेम बोलते थे यहां बैठकर, आम आदमी की चिंता होनी चाहिये। किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि पर भूखण्ड खरीदा, जाकर रजिस्ट्री भी कराता है।

श्री सभापति: संक्षिप्त कीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): रजिस्ट्री कराता है तो इंतकाल भी दर्ज होता है। इंतकाल दर्ज होने के बाद नक्शा पास कराने इसलिए नहीं जाता कि यह स्थानीय निकाय अगर कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

अपनी जमीन पर 90ए और 90बी प्रक्रिया अनुसार करा कर उस पर भूखण्ड बनाना चाहे तो कितनी जटिल प्रक्रिया हो जाती है, इसके कारण से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जाते हैं और अज्ञान के कारण से इस सारी प्रक्रिया से बचने के लिये अपने भूखण्ड को काटा, पीटा, बेचकर चल दिये। बाद में लोग पानी के लिये रोते रहते हैं, सडक के लिये रोते रहते हैं, नाली के लिये रोते रहते हैं, रोड लाइट के लिये रोते हैं। जरा-सी बरसात आ जाये तो डूब-डूब कर मरने की स्थिति आती है। राज्य सरकार का भी नुकसान होता है। अगर कोई व्यक्ति 90ए और 90बी करायेगा तो आधारभूत ढांचे को वह विकसित करके जायेगा, पानी भी देगा, सड़क भी देगा, नाली भी देगा, रोड लाइट भी देगा लेकिन अगर कोई कृषि भूमि पर भूखण्ड काट कर जायेगा तो राज्य सरकार के राजस्व का नुकसान होगा और उसके बाद राज्य सरकार को उस भूमि पर जो पैसा लगाना पड़ेगा उसका भी नुकसान होगा क्योंकि पूरा विकास करने के लिये उसके पास जनता आती है, जन प्रतिनिधियों का हाथ पकड़कर कहते हैं कि विकास कीजिए। माननीय मंत्री महोदया ऐसी योजना बनाइए एक भी कृषि भूखण्ड राज्य में 90ए और 90बी की जो प्रक्रिया लागू है उससे पास हुए बिना कोई भी व्यक्ति कृषि भूमि पर भूखण्ड काटकर बिना सुविधाओं के भाग कर जाने की स्थिति में नहीं बचेगा। आज 2-2 करोड रुपये साल का जनप्रतिनिधियों को सरकार देती है। किसी को पानी दे दो, किसी को सड़क दे दो, किसी को नाली दे दो, क्या क्या पूर्ति कर देंगे? स्थानीय निकाय कहते हैं हम क्यों दें एग्रीकल्चर के प्लाट्स को। हम जब किरण माहेश्वरी जी को कहते हैं पानी दीजिए, आप कहती हैं नान प्लान में कोई योजना नहीं है। जैसे सरकार का नियम है, आप कहती हैं। उन लोगों के लिये पानी कहां से आयेगा जिन्होंने कृषि में भूखण्ड बनाकर मकान बना लिया। सड़क कहां से आयेगी, बिजली कहां से आयेगी उनके पास।

आपकी भी कुछ कहानियां हैं, आप भी मंत्री थे ना, आपके समय के ही हैं, बहुत दुःख की बात है। पैसे खा-खाकर मास्टर प्लान 2031 को बना दिया कांग्रेस की सरकार ने। करोड़ों रुपया खा गये और अख़बार लिख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया कांकरीट का जंगल, यह आपके समय की बात है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): एक वकील साहब की एक पर्ची आई है कि माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि कोर्ट में कोई जाता है वह जाता तो कार में, और आता है साइकिल पर, वह कहते हैं कि जेडीए में कोई जाता है तो जाता वह कार में, आता है बस में।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): वकील साहब यहां हाउस की प्रोसीडिंग में पर्ची नहीं भेज सकते, माननीय सदस्य। इस हाउस की प्रोसीडिंग में किसी वकील को दखल करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर संबोधित करें और समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): करता हूं, साहब। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) नहीं अलवर की नहीं अब मैं लक्ष्मणगढ़ की बात करूंगा, कहीं नवलगढ़ की करूंगा, कहीं सीकर की करूंगा। बात अगर फूलबाग की करूंगा तो इनके अभी मिर्चियां लग जायेंगी। पोने दो सौ करोड़ रुपये की पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पौने दो सौ करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को हड़प कर बैठा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चर्चा नहीं करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा।

श्री सभापति: आप बोलिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बिना नाम लिये तो कोई आपत्ति नहीं। अलवर के पूर्व सांसद पौने दो सौ करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को हड़प कर बैठे हैं। मैंने प्रमाण सहित इसी सदन में दस्तावेज रखे हैं, आगे भी रख दूंगा, चिंता मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूर्व सांसद ने तो अलवर को बहुत कुछ दिया है। हास्पिटल दिया, पता नहीं क्या-क्या दिया और जिसका उपभोग आप और जनता कर रही है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): दिया है, दिया है। अलवर में माननीय मंत्री महोदय, कोई हाउसिंग बोर्ड की, कोई यूआईटी की 15 वर्ष से अधिक समय से योजना नहीं आई। न कोई हाउसिंग बोर्ड की आई, न यूआईटी की आई जिसके कारण से इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि अलवर का बेतरतीब अनप्लान्ड विकास हो गया, फैलाव हो गया। कहीं चार फीट नीचे जमीन है, कहीं आठ फीट नीचे जमीन है, इस तरह से आज गड्ढों में लोग रहने के लिये मजबूर हैं। जरा-सी बरसात आती तो पूरा शहर चारों तरफ लबालब नजर आता है। इसलिए इस तरह की योजनाओं को लाया जाये।

माननीय मंत्री महोदय, पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

की एक फाइल लाया हूं। अलवर में प्याज मंडी बनाने के लिये 2001 में, यह फाइल लाया हूं, प्रमाण पत्र दिये थे कच्ची बस्ती के रूप में बसे लोगों का यह सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, इनको प्रमाण पत्र जारी करके कि आपका राज्य सरकार द्वारा जो नीति निर्धारित की जायेगी उसके अनुसार इस प्रमाण पत्र के आधार पर पुनर्वास कर दिया जायेगा। माननीय मंत्री महोदय, आज तक वह सारे गरीब लोग खुले आसमान के नीचे अपना जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर हैं। इन लोगों को प्रमाण पत्र देकर प्याज मंडी बना दी गयी। प्याज मंडी चालू है लेकिन इन लोगों का पुनर्वास करने के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मेरा आपसे निवेदन है कि इन लोगों को जो करीब 70-80 की संख्या में हैं, इनका पुनर्वास करने की भी आप निश्चित रूप से योजना लायेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टों का पंजीयन, गरीब लोगों को पुरानी बस्तियों में जो पुराने मकान हैं उसको स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत रुपये दो रुपये में पट्टे देने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत कुछ लोगों को पट्टे दे दिये और जिन लोगों ने किसी भी गलती से अपने पट्टों को रजिस्टर नहीं करवाया उनसे अब डीएलसी की दर पर पट्टों को रजिस्टर करने की कीमत मांगी जा रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और 500 रुपये में जो पट्टे का पंजीयन हो रहा था पिछले दिनों ...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बस एक-दो बिन्दु हैं, समाप्त कर रहा हूं। स्टेट ग्रांट के पट्टों को भी जो वास्तविक दर है उसी के आधार पर इनका रजिस्ट्रेशन हो जाये तो इन गरीब लोगों को फायदा मिलेगा। मैं बात करना चाहता हूं स्थानीय निकायों में चाहे वह जयपुर की और जोधपुर की जेडीए हो, चाहे राजस्थान भर का कोई-सा भी स्थानीय निकाय हो, माननीय मंत्री महोदय, इनमें अधिकारियों के और कर्मचारियों के अधिकतम ठहराव की सीमा भी तय कीजिए। क्योंकि लोकल बाडीज में एक आदमी वहीं नौकरी पर लगता है और वहीं से रिटायर हो जाता है। उस 33-35 साल की नौकरी में ऐसा लगने लगता है जैसे उस स्थानीय निकाय की उसके नाम पर रजिस्ट्री हो गयी है। वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझता, किसी आम आदमी को आदमी नहीं समझता। जब तक पीछे से कोई इंटरफियरेंस नहीं आये, कोई हस्तक्षेप का दवाब नहीं आये तब तक वह व्यक्ति किसी व्यक्ति

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

का काम करने को तैयार नहीं होता और व्यवस्था सुधारने में आप खूब लगे हैं। रोजाना खबरें आती हैं, हमारे जेडीसी खूब अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन जेडीसी के अच्छा काम करते-करते भी तीन-चार लोगों की एक साथ चेन पकडी गयी, बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। मंत्री महोदय, यह समस्या केवल जयपुर की हो, ऐसा नहीं है। राजस्थान भर में वह लोग जो 20-20, 30-30 साल से एक जगह जमे हुए काम कर रहे हैं, आप उनकी कितनी भी जंग छुडाने का काम कर लीजिए, उनकी जंग इतनी गहरी लग गयी है कि छूट रही है। ऐसे लोगों का एक मात्र इंतजाम यही है उनको 300-500 किलोमीटर की दूरी नपवाइये, थोडे बहुत दिनों में उनको समझ में आयेगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर नौकरी करना कितना आरामदायक है।

सभापति महोदय का बार-बार निर्देश प्राप्त हो रहा है इसलिए मैं एक मांग रखना चाहता हूं। नगर निगम अलवर की नगर परिषद को बनाये जाने की मेरी मांग है। चूंकि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र का जो हिस्सा है उसमें अलवर शहर में यूआईटीज की जो कालोनी हैं उनको भी नगर परिषद से बाहर रख रखा है। उन सबको शामिल करते हुए और आसपास के 5-7 गांव हैं जो शहर की सीमा में आते हैं, शहर विधान सभा में आते हैं, इन सबको अगर आप शामिल कर लेंगे तो क्राइटेरिया पूरा हो जायेगा अलवर शहर को नगर परिषद को नगर निगम बनाने का। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको निश्चित रूप से करेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, अलवर में एक चूड़ी मार्केट है जिसके लिये कहा जाता है चूड़ी मार्केट एक तरफ और पूरे शहर का व्यापार एक तरफ। अलवर की शत प्रतिशत महिलाएं इस मार्केट में खरीददारी करने जाती हैं। इसमें भी चूड़ी पटरी, ठेली मजदूर यूनियन के लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया और इतना मोटा पुलिंदा दिया है कि मंत्रीजी को जरूर सौंपिए। इनसे 2001 में कियोस्क के पैसे जमा करवा लिये और पैसे जमा करवाकर अलाटमेंट कर दिया, इनको दुकान का नंबर दे दिया और 15 साल बाद आज भी ये लोग ज्ञापन देते फिर रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): चूड़ी मार्केट ठेली, पटरी यूनियन के लोग हैं, माननीय सभापति महोदय, दो-तीन मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप बैठ जायें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): दो-तीन मिनट में कर रहा हूं। आज अन्तरराष्ट्रीय जल दिवस है तो पुनः मैं अपनी बात को आपसे कहना चाह रहा हूं जितनी भी इमारतों के नक्शे पास हो रहे हैं उनमें वाटर हार्वेस्टिंग, चूंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी जल स्वावलंबन अभियान के मार्फत इस राजस्थान को स्वावलंबी बनाना चाहती हैं, सैल्फ डिपेंड बनाना चाहती हैं कि हमको दूसरी तरफ से पानी के लिये निर्भर नहीं रहना पडे। माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो योजना है, जो उनका विजन है आप सभी दो मंजिला, तीन मंजिला, पच्चीस मंजिल जितनी भी मंजिल का आप नक्शा पास करते हैं, उसको स्टैप बाई स्टैप इस तरह की व्यवस्था दीजिए कि उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान करें।

हमारे इंजीनियर, सम्बन्धित संस्था के इंजीनियर समय-समय पर स्टैप-बाई-स्टैप उसकी जांच करें कि उस व्यक्ति ने इस निर्माणशुदा बिल्डिंग में, निमार्णाधीन बिल्डिंग में, वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया कि नहीं किया?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। काफी लम्बा समय हो गया है। होली है लोगों को जाना है, बहुत काम भी हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्री महोदय, मैं अंत में एक बिन्दु के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस तरह से राजस्थान भर में मैंने अभी आंकड़े लिए थे कि इस तरह से दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जिस तरह से रजिस्ट्रेशन पूरे राजस्थान में हो रहा है। यह राजस्थान में बहुत बड़ी पार्किंग की समस्या को जन्म दे रहा है। स्थिति ऐसी हो रही है कि पांच-पांच छह-छह लाख व्हीकल एक-एक ज़िले में प्रति वर्ष रजिस्टर हो रहे हैं और जितने भी बहुमंजिला भवन हैं, चाहे वो आवासीय बन रहे हैं या कामर्शियल बन रहे हैं। इनको बनाने वाला बिल्डर जो पार्किंग शो करता है, पार्किंग पास कराता है, उस पार्किंग में आवासीय या व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे देता है और परिणाम होता है पार्किंग की समस्या।

श्री सभापति: समाप्त हुआ, माननीय सदस्य। भाषण समाप्त हुआ। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 20 – आवास, मांग संख्या 29 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, मांग संख्या 49 - स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन पर चर्चा है। मैं नगरीय विकास के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

संदर्भ में ही अपनी बात करूंगा। सभापति महोदय, आपने अपना भाषण प्रारम्भ करते समय माननीय मंत्रीजी की योग्यता को लेकर बात कही। बाद में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कही और ताईद किया कि राजस्थान की राजनीति के शीर्ष पुरुष माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने इनको योग्यतम आदमी कहा। मैं समझता हूं उसके बाद इनकी योग्यता पर किसी प्रकार का सवाल उठाने की जहमत नहीं होनी चाहिए और इनकी योग्यता माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: स्वर्गीय भैरोंसिंहजी ने जिन-जिन के लिए जो-जो कहा, वो सब बात मैं नहीं कहूंगा। बोलिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी की योग्यता का नमूना अभी नजर आया। राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान हुआ। माननीय मंत्रीजी और उनके महकमे ने, सारी टीम ने जिस प्रकार से देश और दुनिया के कोने से आने वाले निवेशकों के मन में जयपुर का सम्मान बढ़े और जयपुर केवल राजस्थान की राजधानी नहीं, विश्वस्तरीय शहरों का-सा नजर आवे, रात-दिन मेहनत करके प्रयास करके एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को और उनकी टीम को। आपने जयपुर के वास्तु के बारे में, जयपुर के नगर नियोजन के बारे में चर्चा की। माननीय सभापति महोदय, नगर नियोजन भारत में हड़प्पा-मोहन जोदड़ो की संस्कृति से प्रचलित है और जिसे आज हम जरूरत कह रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हड़प्पा और मोहन जोदड़ो के बाद में अब सरस्वती वैली सभ्यता की भी किताब आ गयी है जिसमें हड़प्पा और मोहन जोदड़ो के पहले भी भारत में नगरीय विकास था।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैंने नहीं पढ़ा उसको। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज आजादी के 68 साल बाद आबादी के बढ़ते हुए असंतुलन के कारण जो नगर नियोजन आज हमारी जरूरत बन गया, वो हमारी परम्परा रही है। और परम्परा आज और कल की नहीं, यह परम्परा हमारी सदियों पुरानी रही है और आपने अभी जिसका जिक्र किया कि जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह जी ने यहां पर टाउन प्लानर्स बुलाए, दुनिया भर के आर्कीटैक्ट को बुलाया और वास्तु के हिसाब से एक बेहतरीन शहर बनाया जो हिन्दुस्तान में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अपने आप में आज भी एक मिसाल है और मैं कहता हूं इसलिए शायद जयपुर भारत के पुराने नियोजित शहरों में से अपने आप में एक शहर है।

जब मैं बात कर रहा हूं कि आज जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए नगर नियोजन हमारी जरूरत बन गया तो मैं एक सर्वे का जिक्र जरूर करूंगा। मैगजीन ग्लोबल के अनुसार, राजस्थान की शहरी आबादी वर्ष 2031 में 33 प्रतिशत और 2045 से 2050 के बीच में लगभग में 45 प्रतिशत हो जाएगी। जरा सोचिए, माननीय मंत्री महोदय, जब आबादी इस तरीके से बढ़ेगी तो तीव्र गति से बढ़ते हुए जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर इन शहरों का नगर नियोजन अगर हमने आज ठीक तरीके से नहीं किया तो कितनी बड़ी चुनौतियां और कितनी बड़ी परेशानियां हमारे सामने आकर खड़ी होनी वाली हैं। इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। और, माननीय मंत्री महोदय, जब आपके बारे में भैरोंसिंहजी जैसे शीर्ष पुरुष से लेकर इस सदन के वरिष्ठतम और विद्वान व्यक्ति ने आपकी योग्यता को सराहा है तो आपको समझना पड़ेगा। माननीय वरिष्ठ सदस्य तो केवल जयपुर की बात करते रहे। आपकी जिम्मेदारी इस समूचे राजस्थान के नगर नियोजन को लेकर है।

आज हमारी जनसंख्या लगभग 7.40 करोड़ हो गयी। राजस्थान में शहरी जनसंख्या का अनुपात जो 1981 में 21 प्रतिशत था वो 25 प्रतिशत बढ़ गया है और इस जरूरत को हम नहीं समझ रहे। इस जरूरत को समझ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्रीजी और भारत के प्रधानमंत्रीजी ने इस जरूरत को समझते हुए तय किया कि हिन्दुस्तान में स्मार्ट सिटी की कल्पना आनी चाहिए। अमृत मिशन के तहत हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे शहरों की प्लानिंग करके नियोजित तरीके से उनका विकास किया जाना चाहिए, लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, मैं कुछ बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अमृत मिशन में 5 हजार करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। 50 प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा, 30 प्रतिशत स्टेट का हिस्सा और 20 प्रतिशत स्थानीय निकाय का हिस्सा। प्लानिंग क्या बनाई आपने? कल आपने अख़बारों में पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र के लातूर में पानी की मांग को लेकर कलक्टर को धारा 144 लगानी पड़ी। हमें आज जो प्लानिंग बनानी पड़ेगी भारत सरकार के विजन को हमारे साथ जोड़ते हुए, यह कल के जयपुर की कल्पना के आधार पर, कल के राजस्थान की कल्पना के आधार पर नहीं बनाई जा सकती है, यह 2050 के राजस्थान की कल्पना के आधार पर बनायी होगी। अधिकारियों ने बना दिया दो हजार करोड़ सीवरेज पर खर्च होगा, 828

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करोड़ पानी पर खर्च होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय इतना जानना चाहता हूं कि आज मौजूदा आबादी में जयपुर, कोटा, उदयपुर जोधपुर को पानी पहुंचाने के लिए आप 828 करोड़ रूपए में डी.पी.आर. बनाकर बता दें। जितनी-सी राशि का प्रावधान आपने किया है और सीवरेज का जो फ्लो है। दो हजार करोड़ आपने कर दिया। जब तक हम पानी घरों में नहीं पहुंचाएंगे, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, पानी के अभाव में पुराना जो सीवरेज का सिस्टम था, राजस्थान के 70 प्रतिशत जिलों में फेल हो गया।

मैं आज कोटा की बात करना चाहता हूं। कोटा में आपने जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया और जो सीवरेज का सिस्टम खड़ा किया आज उसमें ड्राइंग में ही डिफैक्ट है। आप जांच कराइए उसकी। कोटा में ढाई सौ एम.एल.डी. सीवरेज का पानी निकलता है और आपने अभी केवल 30, 20 और 55 एम.एल.डी. के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रखे हैं। ये जो प्लानिंग में डिफैक्ट है, सीवरेज की प्लानिंग को, फ्लो में सीवरेज काम करे इसके लिए हमें पहले नगर नियोजन में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अगर आप दो हजार करोड़ रूपया सीवरेज की प्लानिंग के लिए रख रहे हैं तो आठ हजार करोड़ रुपया, आज जाएं, आप योग्यतम मंत्री हैं। प्रधानमंत्रीजी का विजन है। आप तो आयोजना और प्लानिंग के मिनिस्टर भी रहे हैं। राजस्थान के बारे में आपका नजरिया केवल आज का नहीं कि आप यू.डी.एच. मिनिस्टर बन गए, इस राजस्थान के बारे में आपका वृहत् नजरिया जब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार में आप प्लानिंग मिनिस्टर थे, तब आपका था। इस नजरिये का राजस्थान को लाभ मिलना चाहिए।

भारत के प्रधानमंत्रीजी से चर्चा करें। आज मैं अकेले कोटा की बात करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, पानी पर 828 करोड़ रुपये और कह रहे हैं कि हम केवल पुराने-पुराने शहरों को इसमें कवर करेंगे। अकेले कोटा उत्तर विधान सभा क्षेत्र में, मैंने पिछले दिनों कहा, पुरानी शहर की पाइप लाइने बदलने का आप अमृत में ले रहे हो, मेंरे विधान सभा क्षेत्र में 124 कालोनियां बसी हुई हैं जिनमें आज भी पानी की पाइप लाइन नहीं है। पिछली सरकार में विकास का दावा करने वाले मंत्रीजी ने अनियोजित तरीके से जनता के धन की बरबादी की। इंसानी जरूरत है पानी, बिजली, सड़क। मेरे विधान सभा क्षेत्र की 124 कालोनियां आज भी पानी से महरूम हैं। माननीय मंत्री महोदय, इतना जानना चाहता हूं, आप एक बार राजस्थान के अपने अधिकारियों से पूछ

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लीजिए, यू.आई.टी. निगम, जे.डी.ए. के से इस राजस्थान की धरती पर कितनी ऐसी कालोनियां हैं जिनमें पाइप लाइन नहीं है। जो कालोनियां बस गयी, जिसमें निवासी रह रहे हैं उन्हें पानी, बिजली देना हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। हम अनुमान लगाएं कि हमें 2050 में किस स्तर के शहरी नियोजन की आवश्यकता है। हमारी मौजूदा व्यवस्था 2050 तक तीव्र गति से भागते हुए शहरीकरण का मुकाबला करने के लिए तैयार है? जब मैं बात करूंगा, व्यवस्था क्या है आपके पास? कलक्टर, एस.डी.एम., ए.डी.एम., गांव का प्लान बनाता है और आपके पास जेडीए में टाउन प्लानर, इंजीनियर्स, भू-योजनाओं का क्रियान्वयन, भू-नियमन, भू-उपयोग परिवर्तन, पट्टा, विलेख, जो भी काम होते हैं, अभी सांगानेर से आने वाले सम्माननीय सदस्य और, सभापति महोदय बात कर रहे थे कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंहजी ने यहां आर्किटेक्ट से बसाया है। मैं आज आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास डी.टी.पी. कितने हैं, आपके एस.टी.पी. कितने हैं, आपके पास सी.टी.पी. कितने हैं? राजस्थान की जनसंख्या और नगरों की जनसंख्या के हिसाब से आपके पास टाउन प्लानिंग का 20 प्रतिशत स्टाफ नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग। किससे करवा रहे हैं प्लानिंग। आप आर्किटैक्ट को एस.टी.पी., डी.टी.पी., सी.टी.पी. ए.टी.पी. बना रहे हैं। आप सिविल के इंजीनियर को बना रहे हैं। जयपुर में जहां से यह परम्परा कायम हुई वास्तु के आधार पर, आर्किटेक्ट के आधार पर, टाउन प्लानिंग के आधार पर, आप टाउन प्लानिंग में जिसने डिग्री की है पचासों सालों से यहां की व्यवस्था ने टाउन प्लानिंग के डिग्री धारी को ए.टी.पी. के लिए, सी.टी.पी के लिए, एस.टी.पी. के लिए योग्य नहीं माना। नगर नियोजन के लिए, क्या पुरानी परम्परा को तोड़कर एक नई व्यवस्था देंगे। नगर नियोजन में डिग्री लेकर कल का नौजवान आ रहा है उसकी परिकल्पना, उसका सोच, उसकी टैक्नीकल एजुकेशन है, वह अन्तरराष्ट्रीय पैरामीटर्स के लेवल की है। सिविल और आर्किटैक्ट के पुराने जमाने के लोगों को आप नगर नियोजन का काम सौंप रहे हैं। नई पीढ़ी नया नियोजन का, नया विजन लेकर आ रही है, जिसके पास प्लानिंग की ही डिग्री

(श्री प्रहलाद गुंजल)

है, नगर नियोजन की डिग्री है, क्या आप कंसीडर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब जवाब देंगे तो निश्चित रूप से...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतकजी आज पता नहीं मंत्रीजी से किस बात की खुन्नस निकाल रहे हैं कि ऐसे माननीय सदस्यों को बुलाया जा रहा है जो सारे ही मंत्रीजी को धमकाने वाली आवाज में सम्बोधन कर रहे हैं। तो यह सरकारी उप मुख्य सचेतकजी कौनसा बैर निकाल रहे हैं। कौनसा काम नहीं किया, वैसे ही बता देते। आज क्यों खिंचाई करवा रहे हैं आप मंत्रीजी की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन में बहस काम के लिए नहीं होती है, जनहित के लिए होती है। बोलिए। यहां जो भी माननीय सदस्य बोलते हैं वे जनहित की बात बोलते हैं और जनता के लिए बोलते हैं, यही मानकर चलना चाहिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, कहना चाहता हूं कि जब आप बोलने लगते हो तो इतने आवेश में आ जाते हो कि आपकी आवाज भी दूसरों तक नहीं पहुंच पाती है, तब तो बड़े प्रेम की भाषा होती है वह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारा तो फर्ज है आपको धमकाना, सरकार को धमकाना, लाइन पर लाना, खिंचाई करना। लेकिन आपकी तो सरकार है, आप ही क्यों धमका रहे हैं?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): धमका नहीं रहे। आपको लग रहा है कि धमका रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में टाउन प्लानिंग एक्ट लाने की चर्चा हुई। कहां है वह टाउन प्लानिंग एक्ट? आज तक नहीं आया। आपने 2015 में डवलपमेंट एंड हाउसिंग स्कीम बनाई, अरबन डवलपमेंट हाउसिंग स्कीम, क्या खामियां थीं। आज कोर्ट में चैलेंज हो गयी। इन सारी कमियों के चलते 2010 से 2012 में राजस्थान के 180 शहरों का टाउन प्लान बना, आज पैंडिग पड़ा है। 2010-12 के टाउन प्लान के आधार पर राजस्थान में 2031 तक के विकास की रूप रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैं आज माननीय मंत्री महोदय से उम्मीद करूंगा कि जब वह अपनी बात कहेंगे तो निश्चित रूप से इस पर फोकस करेंगे।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मैं कोटा से आता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं अभी जयपुर के स्वरूप को लेकर खूब चर्चा हुई लेकिन इसके दूसरे पहलू में कोई नहीं जाना चाहता। भारत के प्रधान मंत्रीजी ने नारा दिया है कि 2022 तक हम स्लम फ्री हिन्दुस्तान कर देंगे। आपको जयपुर का नक्शा पता है, आपको कोटा का नक्शा पता है, आपके अधिकारियों ने आपको कभी यह बताने का प्रयास किया? माननीय सभापति महोदय, आज कोटा की 27 प्रतिशत आबादी कोटा निगम क्षेत्र की केवल 5 प्रतिशत भूखण्ड पर निवास करती है और 73 प्रतिशत आबादी 95 प्रतिशत भूखण्ड पर आवास करती है, कच्ची बस्तियों में। आज जयपुर की 25 प्रतिशत आबादी जो कच्ची बस्तियों में रहती है वह केवल 3 प्रतिशत जमीन पर निवास करती है और 97 प्रतिशत भूखण्ड पर 75 प्रतिशत पब्लिक रहती है, यह कैसा नियोजन है? आज 3 प्रतिशत जमीन पर 25 प्रतिशत लोग रहते हैं। कोटा में 5-6 प्रतिशत जमीन पर 27 परसेंट लोग रहते हैं। 400 कच्ची बस्तियां हैं। हम नगर नियोजन की कल्पना कर रहे हैं। आने वाला कल कैसा होना चाहिए, हम फर्दर डवलपमेंट को लेकर चल रहे हैं, हमारी पुरानी प्लानिंग के अभाव में लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। जिन कच्ची बस्तियों में जाने के लिए सड़क नहीं है। आग लग जाए तो वहां पर फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं जा सकती। क्या प्रधानमंत्री जी के सपने के मुताबिक हम ईमानदारी के साथ इस बारे में विचार करना चाहते हैं। स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, स्लम फ्री भारत, क्या इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस प्लानिंग है।

मैंने दो शहरों का जिक्र किया। राजस्थान के ऐसे कितने शहर हैं जहां कि 25-25, 30-30 प्रतिशत आबादी जमीन के दो, चार, पांच प्रतिशत टुकड़े में नारकीय जीवन जी रही है। उनके पास कोई इंसानी सुविधाएं नहीं हैं। उन गलियों में चले जाओ तो आपको नाक बंद करके निकलना पड़ेगा। आपका टाउन प्लानिंग उस गरीब के बारे में, उस झुग्गी झोंपड़ी के बारे में क्या कहता है, गम्भीरतापूर्वक कभी इस बारे में सरकार ने विचार करने का प्रयास किया ?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्रीजी कह रहे हैं हम ओपन डेफिकेशन फ्री हिन्दुस्तान कर देंगे। मैं अपने कोटा शहर की लगातार तीसरी बार इस सदन में चर्चा कर रहा हूं। मैं जिस कान्स्टीटयुएंसी से चुनकर आता हूं उस कान्स्टीटयुएंसी में पुरानी परम्पराओं के अनुसार सिस्टम है। आदमी ने घर में कच्चे टीन शेड में शौच

(श्री प्रहलाद गुंजल)

किया और पानी से नाली में बहा दिया। 14 हजार 667 घर आज ऐसे हैं जिनमें पक्की लेटिरन नहीं, पानी से बहा देते हैं। मोहल्ले सड़ जाते हैं और आप उन्हें सिर्फ खुले में शौच मुक्ति के लिए 8 हजार का अनुदान दे रहे हैं। जहां पर अरबन एरिया है, मुझे पता नहीं आठ हजार में बनता है कि नहीं बनता है, मेरे कोटा शहर में आठ हजार रुपये में सैप्टिक टैंक का आधा कोना भी नहीं हो सकता। मैंने कहा 12 हजार हो गये, 4 हजार और बढ़ा दिये। मैं यह कहना चाहता हूं, पहले ही प्रोजेक्ट के ऊपर 14 हजार 667 घरों के लिए 44 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सब्मिट की।

श्री सभापति: शकुन्तलाजी कह रही थीं, आवाज धीमी करके बोलो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, अगर हम वास्तविक अर्थों में, कागजों में केवल लोक लुभावनी योजनाएं देना चाहते हैं, 8 -8 हजार रुपये, मैंने कई बार अधिकारियों की बैठक में सवाल किया।

श्री सभापति: आवाज धीमी करेंगे तो सबको आराम से सुन जाएगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आप 12 हजार रुपये दे रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आज एक बात है, नगरीय विकास की मांगों पर आवाज तीव्र गति से और तेज आ रही है।

श्री सभापति: आज मेरी धीमी थी इसलिये इनकी तेज है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी आज धीमी थी।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, 12 हजार रुपये में कोटा शहर में शौचालय नहीं बन सकता। इस बारे में अरस्तू के उस विचार को, महान दार्शनिक और विचारक का कहना निरर्थक हो जाता है कि एक आदर्श शहर अपने रहवासियों को सुरक्षा और खुशी दे। आप योग्यतम मंत्री हैं। आपको लोगों को सुरक्षा और खुशी देनी पड़ेगी। उसकी इन्सानी जरूरतों को पूरा करने के लिये सरकार को सहभागी बनना पड़ेगा। मैं मांग करता हूं कि मेरे यहां 12 हजार में शौचालय नहीं बन सकता। प्रधान मंत्रीजी का सपना अधूरा रह जायेगा। एक शहर भी अगर छूट गया, भारत का एक कोना भी छूट गया, कांग्रेसियों ने कभी संकल्प लिया कि नहीं लिया, लेकिन भारत के प्रधान मंत्रीजी ने संकल्प लिया है कि जब 2019 में हम महात्मा गांधीजी की 150वीं जयन्ती मनाएंगे तो भारत को खुले शौच से मुक्ति दे देंगे। हमें चिंता करनी चाहिये। भारत के प्रधान मंत्री के सपनों के साथ जुड़कर, मेरा शहर, आज भी जिसको शहर कहते हैं, अन्दर जाकर कभी कल्पना नहीं की कि किस तरह की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जिंदगी जी रहे हैं। प्राचीन व्यवस्था में आज भी लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं हैं। हमें इस बारे में चिंता करनी पड़ेगी।

स्वच्छता मिशन, अमानीशाह नाले को लेकर, माननीय सभापति महोदय ने भाषण करते समय कहा कि गुलाबजी कटारिया, उदयपुर से आने वाले सम्माननीय सदस्य किसी आयड़ नदी की चर्चा करते हैं, अमानीशाह नाला बन जायेगा। माननीय सभापतिजी ने कहा, हम भी चर्चा करेंगे। आपका नाम इतिहास में हो जायेगा। लेकिन मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं, जहां राजस्थान में सदा नीरा नदी, आज भी अकेली बहती है। हमारे बाद अगर माही की चर्चा करेंगे तो मैं मान लूंगा, तीसरी नदी के बारे में स्वीकार नहीं कर सकते। वह सदा नीरा नदी जो मां चमर्ण्यवती कोटा शहर के बीच में से निकलकर जा रही है, आज एन.जी.टी. की रिपोर्ट में, उसकी अप स्ट्रीम में भी पानी दूषित हो गया, डाउन स्ट्रीम में आप हाथ में पानी लेकर चुल्लू भर अंजलि भर कर पी नहीं सकते। मैंने पिछले डेढ़ साल से लगातार इस सदन में अपनी बात को रखा है। प्रधान मंत्रीजी लगातार इस कंसैप्ट पर काम कर रहे हैं। अभी अहमदाबाद में जब चाइना के राष्ट्रपति आये तो कृत्रिम दीवार पर, जो आर्टिफिशियल रिवर फ्रण्ट डवलपमेंट बनाया, उन्होंने भ्रमण किया। हम सौभाग्यशाली हैं, चम्बल रिवर फ्रण्ट पर काम होना चाहिये। इस दिशा में लगातार हम बढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से केवल इतना कहना चाहता हूं, सरकार की इच्छाशक्ति दिखनी चाहिये। यह काम होना चाहिये। यह अगर हम कछुए की चाल से केवल उदाहरण के लिये कि वह चाल कभी-कभी खरगोश की तेजी को हरा देती है। राजनीति में उद्देश्य की प्राप्ति करने में, तब तक पांच साल में सत्ताओं के परिवर्तन हो जाते हैं।

सरकार की इच्छा-शक्ति होनी चाहिये। चम्बल रिवर फ्रण्ट डवलपमेंट के मामले में नगर विकास न्यास ने टैक्निकली उसको एप्रूव कर दिया। नीरी, जो नागपुर में भारत सरकार का संस्थान है, उसको भेज दिया सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन में कि इसकी डी.पी.आर., इस प्रकार की डी.पी.आर. नीरी के माध्यम से बनाई जाए। नीरी ने सहमति दे दी है, 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चम्बल रिवर फ्रण्ट डवलपमेंट के बारे में, छह दिन तक उनकी टीम यहां रहेगी।

(श्री प्रहलाद गुंजल)
मैं समझता हूं कि अगर आपका डाइरेक्शन जायेगा, आपके सीनियर अधिकारियों का डाइरेक्शन जायेगा तो चम्बल रिवर फ्रण्ट डवलपमेंट की एक विस्तृत डी.पी.आर. बन जाए, हजारों करोड़ रुपये में होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अमानीशाह नाला, जिसको राजस्थान के लोग सीवरेज का नाला कहते हैं, हाईकोर्ट के कहने के बाद तो द्रव्यवती नदी के रूप में उसकी पहचान सामने आई। हम जब निकलकर आते थे तो जयपुर के सीवरेज का नाला मानते थे, सड़ांध के कारण। लेकिन यह चम्बल, जिसको लोग मां चमर्ण्यवती कहते हैं, जो राजस्थान के जीवन का आधार है, आधे राजस्थान का, आधे मध्य प्रदेश के जीवन का आधार है, उस मां चम्बल नदी के किनारे पर अगर आपने चम्बल रिवर फ्रण्ट डवलपमेंट का एक बेहतरीन इंटरनेशनल पैरामीटर्स का आधुनिक काम कर दिया तो आपका यहां नहीं, मेरे कोटा शहर का नाम जब विश्व में होगा तो उस योगदान के साथ सारे विश्व में आपके विजन का, आपके सहयोग का और आपके नजरिये का नाम भी गिना जायेगा। मैं आज इस अवसर पर यह उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से आप इस बारे में गम्भीरता से विचार करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, शहर बढ़ रहे हैं। हालत यहां तक हो गयी। मैं दो-तीन बात तो रखूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप धीरे बोलो, तभी अलाउ करेंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): धीरे बोल लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, आबादी बढ़ रही है।

श्री सभापति: तेज बोलने का कारण यह है कि चम्बल नदी, जिनका उन्होंने जिक्र किया है, हिन्दुस्तान में एक मात्र ऐसी नदी है जो प्रवाह के विपरीत बहती है। सारी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, चम्बल ही एक मात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सत्तापक्ष तो पूरा का पूरा ही तेज बोल रहा है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, वैसे जो तेज बोलता है वह दोगुना-तीन गुना मैटर बोल जाता है। इसलिये थोड़ा टाइम कम लेकर के भी बोल लें तो भी बात तो आ ही जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप भी सीख लो ना।

श्री सभापति: मुझे समझ में नहीं आया, या तो आप, कालू लालजी गुर्जर बोल रहे हैं बीच में, या शकुन्तलाजी इशारा कर रही हैं। प्रहलादजी गुंजल को बोलने दें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): दो-तीन इश्यू हैं। अभी पार्किंग के बारे में।

श्री सभापति: यह कोई कम्पीटिशन नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बोलने नहीं, गूंजने दो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): लोगों को घर जाना है।

श्री सभापति: हां, यह बात ठीक है। माननीय सचेतक महोदय कह रहे हैं लोगों को जाना है। तो आप जरा अपनी बात को संक्षेप में कहें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): संक्षेप में कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी पार्किंग के विषय में चर्चा हुई। पार्किंग एक गम्भीर समस्या बन गयी। यातायात का दबाव यहीं नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में है। अभी दिल्ली की सरकार ने तो यातायात के दबाव के सामने सम-विषम फार्मूला लागू कर दिया। यातायात के दबाव के सामने, आपकी जे.डी.ए. एलिवेटेड रोड, आर.ओ.बीज., लगातार डवलपमेंट के काम करती चली जा रही है। यह समस्या इतनी विकराल हो गयी कि लोगों के घरों में पार्किंग के लिये सुविधा नहीं है। आर.टी.ओ. ने तो बीच में यह सर्कुलर जारी कर दिया कि आप फोर-व्हीलर वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आर.टी.ओ. में यह शपथ पत्र जारी करेंगे कि आपके पास वाहन की पार्किंग की व्यवस्था है। ऐसे हालात में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, वह पुराने शहर, एम.आई. रोड, आज राजस्थान का व्यक्ति, इस 35 लाख के शहर में 10 लाख लोग अगर राजस्थान में आते होंगे तो वे एम.आई. रोड पर जाना चाहते हैं। मेरा कोटा शहर, जिसकी पापुलेशन 10 लाख है, जिसमें पूरे जिले या पूरे हाड़ौती सम्भाग के 3 लाख लोग रोजाना आते हैं तो वह रामपुरा और लाडपुरा में जाना चाहते हैं। आज सामाजिक जीवन में शहरों में पार्किंग इतनी बड़ी गम्भीर समस्या हो गयी कि अगर हमने हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाया, तो एक तरह से कानून व्यवस्था के लिये स्थिति खराब हो जायेगी। जब पार्किंग की मैं बात कर रहा हूं तो कई बार मैंने माननीय मंत्री महोदय, आपसे जिक्र किया है, ऐसी सरकारी संस्थाएं जो नकारा हो गयी हैं। जमीन, भूखण्ड, कोटा में नगर निगम का गाड़ीखाना है। कोटा में हिन्दू धर्मशाला है। नगर निगम का विकास भवन है,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सब्जी मण्डी है। इन सबको डिस्मेंटल करके अण्डरग्राउण्ड दो मंजिला पार्किंग बनाकर ऊपर एक मल्टी स्टोरी मार्केट बनाकर, जितना पैसा लगाएंगे उससे चार गुना आपको पैसे की आमद हो जायेगी। लेकिन पूरे शहर को, आने वाले लोगों को इससे राहत मिल जायेगी। इस दिशा में भी आपको कदम उठाने चाहिए। ये प्रयोग होते रहें। यह आप नगर निगम के भरोसे छोड़ेंगे तो नहीं होगा। आपको मैंने दो बार व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया। आपको तय करना पड़ेगा कि निगम की स्थिति तो क्या है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कभी 50 साल पहले नाले बने होंगे। आज वह नाले कहने के हैं, जाम हो गये हैं। उनमें सफाई से काम नहीं चलता। स्टेशन से आप कभी कोटा पधारेंगे बारिश में तो दस मिनट बाद आपको पता लग जायेगा, सड़कों पर पानी भर जायेगा। लेकिन वहां पर आप पूछेंगे तो आठ फुट चौड़े और दस-दस फुट गहरे नाले पचासों साल पहले बने हुए, मैं कह रहा हूं 6-7 करोड़ रुपया, पूरे के पूरे शहर के नालों को पूरी तरह से रिनोवेट करने में खर्च होगा। निगम की स्थिति नहीं है कि एक साथ सात करोड़ रुपया दे दे। यह सारा डवलपमेंट नहीं कर सकती। न्यास प्रयास कर रहा है, जे.डी.ए. प्रयास कर रही है। आप यह प्रोपर्टियां नगर विकास न्यास को ट्रांसफर कर दीजिये और कहिये आप मल्टी स्टोरी पार्किंग के साथ-साथ मल्टी स्टोरी सुपर मार्केट यहां पर खड़ा करें। मैं आपको गारण्टी के साथ कह रहा हूं। मेरे शहर की समस्या का समाधान होगा और नगर विकास न्यास और निगम की आमदनी में भी इजाफा होगा।

माननीय सभापति महोदय, दो-तीन बातें मैं कह रहा हूं। हमारी प्लानिंग का अभाव है। आप सड़क बनाते हैं, अगले दिन पी.एच.ई.डी. वाले खोद जाते हैं। आप सड़क बनाते हैं, अगले दिन आर.एस.ई.बी. वाले खोद जाते हैं। आप सड़क बनाते हैं, अगले दिन भारत संचार निगम वाले खोद जाते हैं। आजादी के 50 साल बाद हम कोई इस प्रकार का मैकेनिज्म डवलप नहीं कर पाये कि यह सारी संस्थाएं, जिनका सम्बन्ध शहर के विकास से है, पानी का, बिजली का, दूरसंचार का, ये एक नक्शे पर काम करें। क्या यह प्लानिंग का अभाव नहीं है कि हम तमाम एजेंसीज को, जो शहर में डवलपमेंट का काम कर रही हैं, एक ऐसा नक्शा उपलब्ध करा दें, जिस पर सारे के सारे लोग काम करें। नल का कनेक्शन लेना है, रोड कटिंग करनी पड़ेगी। रोड के बारे में भी मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय।

श्री सभापति: अब आप संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): हां, अब मैं संक्षिप्त ही कर रहा हूं। एक-दो इश्यू हैं, माननीय सभापति महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा।

श्री सभापति: प्रोटेक्शन तो पूरा है। बाकी माननीय सदस्यों को जाना भी है। आधा घण्टा हो गया है।

(16.00 बजे)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): रोड कटिंग के लिए दो-दो महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं और शहरों की बढ़ती हुई आबादी के लिए हम नल कनेक्शन की, रोड की बात कर रहे हैं। एस.आर., ओ.एच.एस.आर. बनाने के लिए आपके पास जमीन नहीं है। आप जो टाउन प्लानिंग कर रहे हो, पार्क रख रहे हो और बाद में पार्क बिक जाते हैं। सामुदायिक सुविधाएं रख रहे हो लेकिन अपनी टाउन प्लानिंग में एप्रूव्ड कालोनीज में जरा अधिकारियों से पूछ लो कि आपने ओ.एच.एस.आर. के लिए क्या प्रोविजन किया है? यह सारी चीजें प्लानिंग में शामिल करनी पड़ेंगी जब जाकर निश्चित रूप से और हमको शहरों के फैलाव के बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी।

माननीय मंत्री महोदय, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। दिल्ली, सवा करोड़ की पापुलेशन है, वहां का वर्ग क्षेत्रफल क्या है? 1500 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। जयपुर 35 लाख की पापुलेशन है। क्षेत्रफल क्या है? 3000 वर्ग किलोमीटर। कहां ले जाना चाहते हैं हम इस फैलाव को? कहां ले जाना चाहते हैं? हमारे पास दिल्ली जैसी ग्रीनरी नहीं है। कम वर्ग किलोमीटर में, सवा करोड़ लोग 1500 वर्ग किलोमीटर और 35 लाख लोग 3000 वर्ग किलोमीटर में, यह जो अनियोजित फैलाव हो रहा है, क्या इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए?

माननीय सभापति महोदय, यह केवल जयपुर का ही नहीं है। यह मेरे कोटा की भी तकलीफ है। यह जो तीव्र गति से बढ़ते हुए शहर हैं, उनके फैलाव को अगर हमने नहीं रोका, आपने 90 और 90-बी कर दी, आपने आर-जोन कर दिया, मास्टर प्लान में और उस आर-जोन के दायरे में गरीब किसानों की जितनी जमीन आ रही है, रियल एस्टेट के कारोबारी जा रहे हैं, किसान मिटता जा रहा है। आज शहर फैलता जा रहा है। इंवेस्टर्स इंवेस्ट करते जा रहे हैं। मकान बनाते जा रहे हैं। कहीं न कहीं हमको यह तय करना पड़ेगा कि किसान की जमीन भी बचे और कम क्षेत्रफल में विकास का दायरा बढ़े, इसके लिए आपको एफ.ए.आर. के नियमों को बदलना पड़ेगा। क्या कर रखा है आपने? मैं

(श्री प्रहलाद गुंजल)

तो कभी विदेश गया नहीं, लोग कहते हैं कि सिंगापुर में, जिसको दुनिया का बेहतरीन शहर मानते हैं, कोई एफ.ए.आर. का नियम नहीं है। मुम्बई, जो मैट्रोपोलिटन सिटी है, कोई एफ.ए.आर. का नियम नहीं है। जयपुर में यह कौन से एफ.ए.आर. का नियम है? क्या आप वन पाइंट थ्री, पांच मंजिल बनाओ, तीन मंजिल बनाओ, यह एफ.ए.आर. का जो आपने बायलाज बना रखा है, क्या इसको खतम नहीं कर सकते? आजादी के 68 साल बाद यह जो फैलाव जमीनी बढ़ता जा रहा है, इसको रोककर वर्टिकल उसके लिए, कोई बिल्डिंग बायलाज और प्लानिंग में हम ठीक तरीके से कोई बात तय नहीं कर पाए। एक ऐसा बिल्डिंग बायलाज तो लेकर आ जाओ आप।

श्री सभापतिः समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): एक-दो इश्यू हैं मेरे।

श्री सभापतिः अब भाई, बहुत लोग हैं। जाना है सबको।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। मुश्किल से पांच मिनट।

श्री सभापतिः पांच मिनट नहीं। भाई, बहुत लोगों को जाना है, अच्छा नहीं लगता।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बस पांच मिनट। बिल्डिंग बाय लाज बनाएं और ऐसे बनाएं कि जिनको, किसी को नफा-नुकसान देने के लिए साल में दो बार अधिसूचनाओं से चेंज नहीं करना पड़े। वह बिल्डिंग बाय लाज 2050 के विजन के हिसाब से बनें। बाय लाज बनते ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लोगों को लाभ देने के लिए अधिसूचनाओं से बदल जाते हैं। आप विद्वान मंत्री हैं, आपका नजरिया है और इसीलिए माननीय मंत्री महोदय, हमारी संस्थाएं इन निश्चित बायलाज के अभाव में शहरों के सुनियोजित विकास के बजाए रियल एस्टेट के व्यापार के केन्द्रों के रूप में काम करने लगी है। साख खराब है। जे.डी.ए. आज जयपुर में इतना काम कर रहा है। यू.आई.टी. कोटा में इतना काम कर रही है। दिल्ली में डी.डी.ए. के कुछ लोगों से बात हुई। वह कहते हैं कि जे.डी.ए. जिस तरीके से काम कर रही है, पैसा कहां से ला रही है? उसके बावजूद जो रेपुटेशन पर सवाल उठता है, एक फिक्स बायलाज नहीं है। एक तौर तरीका नहीं है और इसका उदाहरण इससे बड़ा क्या होगा। माननीय सभापति महोदय, कहीं न कहीं हमको कहीं कंट्रोल की पालिसी बनानी पड़ेगी। क्या हुआ पिछली बार? कहां है आपके पिछली बार के यू.डी.एच.

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्रिंसिपल सैक्रेटरी? बताओ आप सदन को। कहां है आपके मंत्रीजी? एकल पट्टा, यह इस प्रकार की वृत्तियों में हमको अगर ब्रेक लगाना है तो निश्चित हमको कहीं न कहीं, कोई न कोई ऐसा मेकेनिज्म डवलप करना पड़ेगा, ऐसा कानूनी सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा सिंगल विंडो की चर्चा अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही थी, माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इसके साथ यह भी तय करना पड़ेगा कि ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): शहर में कुछ सेना का विवाद है कालोनीज में। कुछ वन विभाग, आखिरी, साहब, आखिरी पाइंट है। वन विभाग का छोड़ दें? फोरेस्ट में बस गयीं, शहर का हिस्सा है। विधान सभा में वोट देते हैं। लोक सभा में वोट देते हैं। सेना-सिविल विवाद है। कहीं न कोई कोई इच्छा शक्ति अगर सरकार के साथ करें और...(व्यवधान)

श्री सभापतिः समाप्त हुआ, माननीय सदस्य, समाप्त हुआ।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इन समस्याओं का समाधान करें। मैं समझता हूं कि राजस्थान आपकी तरफ देख रहा है।

श्री सभापतिः धन्यवाद। समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः गुंजल साहब, बहुत बढ़िया बोले आप। श्री महेन्द्रजीत सिंहजी मालवीय। अभी सिर्फ नगर, स्वायत्त शासन की चर्चा हुई है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-49- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन पर अपनी बात रखना चाह रहा हूं।

श्री सभापतिः सबको जल्दी जाना है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय सभापति महोदय, हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो अपनी मैं आज यहां पर बात रख रहा हूं। 9894 पंचायतें हैं और 295 पंचायत समितियां और करीबन साढ़े पांच करोड़ जनता जो गांवों में निवास करती है, अभी हमारे तमाम सदस्य साहिबान ने लोकल बोडी के बारे में अपनी बात कही, मैं ग्रामों के बारे में अपनी बात कह रहा हूं।

श्री सभापतिः इसीलिए मैंने आपको पहले ही बुलवा लिया, इधर बुलाने के पहले एक।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लालजी नेहरू ने 02 अक्टूबर, 1959 में, हम राजस्थान के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि पंचायती राज की स्थापना नागौर जिले से प्रारम्भ की। आजादी के समय में किसी एक व्यक्ति से पूछ लिया गया कि क्या देश आजाद हो गया? उस व्यक्ति ने कहा कि हां, साहब, देश आजाद हो गया लेकिन पढ़ा लिखा आदमी था, उसने उसका दूसरा जवाब दिया कि देश तो आजाद हो गया लेकिन उस आजादी का फायदा मात्र दिल्ली में, मुम्बई में, कलकत्ता में, जयपुर में जो शहर है, पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको मिल रहा है। आज भी गांव हैं, ढाणियां हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, शोषित हैं, उन लोगों को आजादी का फायदा नहीं मिला और इसीलिए पंचायती राज की स्थापना हुई।

माननीय सभापति महोदय, और मुझे लम्बा अनुभव तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन 25 साल पहले मैं सरपंच था और जब पहली बार सरपंच बनकर गया तो मेरे मन में एक भावना पैदा हुई कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सरपंच, जिला प्रमुख, पंचायती राज मंत्री, आप तो सब ही रह लिए।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): कि मैं पंचायत में जा रहा हूं तो मैं बहुत काम करवा दूंगा और वहां पर जाकर देखा, माननीय सभापति महोदय, 25 साल पहले उस पंचायत में मुश्किल से कोई पैसा नहीं के बराबर आता था। हमारे सुराना साहब भी बैठे हैं और भी पुराने बैठे हुए हैं लेकिन देश की आजादी के बाद में जब देश धीरे-धीरे आर्थिक सम्पन्नता की ओर बढ़ा, प्रदेश इस तरफ बढ़ा तो नई-नई योजनाएं इस देश और प्रदेश में लागू हुई।

इस मौके पर मैं यह बात भी कहना नहीं भूल सकता कि स्वर्गीय पूर्व प्रधान मंत्री राजीवजी गांधी साहब को, 74वां संविधान संशोधन किया और देश और प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था हुई, धन की व्यवस्था हुई और राजस्थान में वह जब आए थे तब एक किसान से उन्होंने पूछ लिया कि मैं आपके विकास के लिए एक रुपया भेजता हूं तो आपके पास में कितना आता है? उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा मुश्किल से 15 पैसे। उसी वक्त देश के प्रधान मंत्रीजी के मन में ऐसी भावना पैदा हुई ...(व्यवधान) 15, 100 में से 15 पैसे। जब उस वक्त तमाम पंचायतों को सीधा पैसा पंचायतों में आना शुरू हो गया।

मैं इसी बात को थोड़ा सा अब आगे बढ़ाता हुआ क्योंकि, आप सबको जाना है, मैं समझ सकता हूं, आज जो मांग संख्या है- पंचायती राज संस्थाओं

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

की क्षतिपूर्ति और समनुदेशन, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि स्टाम्प ड्यूटी, शराब की चुंगी, खनन रॉयल्टी, प्रवेश-कर और पेट्रोलियम रॉयल्टी से आय प्राप्त होती है और 2013-14 में 307.48 करोड़ रुपया का प्रावधान किया था। माननीय सभापति महोदय, 2014-15, 2015-16 और 2016-17, यह सरकार की किताब में एक रुपया भी नहीं रखा है। एक रुपया भी नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): Shame, shame. किस बात की चर्चा करवा रहे हैं फिर?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं पहले मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि जब आपने इसमें एक रुपया भी प्रावधान नहीं किया तो इसका आज विशेष डिबेट फिर क्यों रखा? यह तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा, यह असत्य भी नहीं बोल सकता। किताब साक्षी है और सदन में बोल रहा हूं। माननीय मंत्रीजी, इस सम्बन्ध में अपनी बात कहेंगे लेकिन मैं थोड़ी-सी और इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो पैसा 2013-14 में था, उसी अनुपात में अगर यह पैसा मिलता तो अब तक पंचायतों के पास में 900 करोड़ रुपया हमको मिल जाना चाहिए था। 900 करोड़, हमको वह पैसा नहीं मिला है।

मैं योजना के बारे में भी अपनी बात कहना चाहूंगा निर्मल ग्राम योजना में 2013-14 में 778 करोड़ रुपये का प्रावधान न किया था और 2014-15 के बाद इस पैसे को घटाकर 377 करोड़ रुपया कर दिया और 2016-17 में मात्र 87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। माननीय मंत्रीजी, यह क्या कारण हैं कि इस पंचायती राज को इस तरह से आर्थिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से आप कमजोर कर रहे हैं?

राज्य वित्त आयोग के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा 2457 करोड़ रुपया, इसमें से आपने अब तक मात्र 1167 करोड़ रुपया ही पंचायतों को हस्तान्तरित किया है। मैं माननीय सभापतिजी, पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस वित्त वर्ष के मात्र 8 दिन बाकी हैं और 1290 करोड़ रुपया अभी भी इस सरकार के पास जमा है। 1290 करोड़ जमा है। मैं सभी माननीय सदस्य साहिबान से निवेदन करता हूं कि मित्रों, इस बात को हंसी-मजाक में नहीं लें। आज साढ़े पांच करोड़ जनता इस पंचायती राज के ऊपर और आज डिबेट है, उसके ऊपर अपनी आंखे टिकाकर समझ और सुन रही है कि हमारा यह पैसा आखिर में जा कहां रहा है।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

दूसरी तरफ, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका बी आर जे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा था, वह पैसा समाप्त कर दिया। राजीव गांधी सशक्तिकरण और क्षतिपूर्ति का पैसा था, उस पैसे को भी समाप्त कर दिया। राज्य वित्त का पैसा था, वह भी समाप्त कर दिया।

मैं, माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह घोषणा पत्र है और इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि जहां पर क्षेत्रीय विकास के कई सारे बोर्ड हैं, जनजाति डिपार्टमेंट है, डांग है, मेवात है, देवनारायण है, उनके लिए भी सदन में घोषणा करती हूं कुछ गैप फिलिंग के लिए, मेवात के लिए 300 करोड़, टी एस पी के लिए 100 करोड़, मगरा के लिए 300 करोड़, देवनारायण के लिए 500 करोड़ और डांग के लिए 300 करोड़। मैं, माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप वित्त विभाग की फाइल को मंगवाइए। यह पैसा बनता है 2400 करोड़, एक रुपया भी नहीं मिला, एक रुपया भी नहीं मिला। मैं यह इसलिए कह रहा हूं माननीय सभापतिजी, मैं आदिवासी हूं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां आज अकाल की स्थिति है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप लगते तो नहीं हो आदिवासी, एकदम टिपटोप हो।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आपको जलन हो रही है क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं-नहीं, मुझे तो नहीं हो रही।

श्री सभापति: आदिवासी को टिपटोप ही रहना चाहिए।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): अब तो जीने दो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप आदिवासी लगते नहीं हो।

श्री सभापति: मैं आपके घर के सामने से निकला हूं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आप पधारो साहब, स्वागत है, होली वहीं खेलेंगे, आज जा रहा हूं।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर एक हजार करोड़ उस टी.एस.पी. क्षेत्र में मिल जाता, स्कूल के कमरे बन जाते, दोनों तरफ सड़क बनी हुई है तो

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

इसमें पुलिया बन जाती, लेकिन वह पैसा नहीं मिला। आज हम मेवात की बात करें, मगरे की बात करें, देवनारायण की बात करें, डांग की बात करें, माननीय सभापति जी, पैसा नहीं मिले, सरकार जाने लेकिन कम से कम इस बोर्ड का गठन तो कर दो, ताकि जनता का कम से कम कोई देखरेख करने वाला तो मिले। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, बीच में कहना तो नहीं चाहता।

श्री सभापति: नहीं, क्या बोल रहे हैं?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मेवात योजना में जो पैसा आप बकाया छोड़कर गये हैं, उस पैसे को और 600 करोड़ रुपया, जो दो साल में आता है, उसमें से एक भी पैसा बकाया नहीं है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आप समझने की कोशिश करें माननीय सदस्य, मैं आपके फायदे की बात कह रहा हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मैं फायदे नहीं ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आप जो कह रहे हो, वह हम छोड़कर गए थे, वह तो हममें ताकत थी इसलिए हमने व्यवस्था की थी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): हमारे टाइम का पैसा...(व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय सभापति महोदय, यह बात समझ नहीं रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आप समझ नहीं रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे हैं।

श्री सभापति: विराजें। नियम यह है कि जो बोलने वाले माननीय सदस्य हैं, वह अगर आपको एक्सेप्ट करते हैं, यील्ड करते हैं तो तो आप बोल सकते हैं। लेकिन वह नहीं चाहते तो फिर आप क्यों बोलें?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय सभापतिजी, मैं माननीय सदस्य की भलाई की बात कर रहा हूं। माननीय सदस्य महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप केवल इधर देखिए। केवल इनकी भलाई नहीं करनी है, सम्पूर्ण समाज की भलाई करनी है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, जो रेगुलर बजट था, अभी कह रहे हैं माननीय सदस्य, उनको मिलना था, वह तो मिला है, लेकिन सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इसके अलावा भी मैं रुपया देना चाहती हूं, मैं उस पैसे की बात कर रहा हूं। अब आपके भलाई की बात है कि नहीं है?

माननीय सभापति महोदय, मैं नरेगा के बारे में भी अपनी बात कहना चाहूंगा। वैसे देश के प्रधान मंत्री नरेगा को यह कहते हैं कांग्रेस पार्टी का स्मारक है। मैं एक बात को सदन में ईमान धर्म से कहूंगा, असत्य नहीं बोल सकता। सभापति जी, 8 रुपये में मैंने मजदूरी की है, 14 रुपये में मैंने माही डेम में बेलदार का काम किया है। सुबह रोटी खाते थे, शाम की रोटी का इन्तजाम नहीं हुआ करता था। माननीय मंत्रीजी, मुझे आज अच्छा देखकर आपको जलन हो रही है, आप मेरे भाई हो। मैं इसीलिए अच्छा रहता हूं कि मैं अपने जीवन के पुराने दिन भी याद करता हूं।

मैं नरेगा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सरकार की तरफ से जाब कार्ड हमने बनाये हैं, वह 100 करोड़ बने हैं और यह नरेगा का जो काम है, यह चूल्हा आधारित है। एक घर के अन्दर अलग-अलग भाई अलग-अलग चूल्हा जलाकर रहते हैं तो उसको अलग-अलग जॉब कार्ड मिलना चाहिए। हमारे पुराने समय में एक करोड़ जाब कार्ड थे और आज उस जाब कार्ड से कितने लोगों को उसका फायदा हुआ, मात्र 36 लाख लोगों को फायदा हुआ है। जब आपने मुझे कहा कि आप जिला प्रमुख रहे हो, माननीय सभापति महोदय, मैं जिला प्रमुख था तो बांसवाड़ा में 3 लाख परिवार काम करते थे, डूंगरपुर में 3 लाख परिवार काम करते थे और मंत्री था तो 45 लाख परिवार काम करते थे नरेगा में।

मैं आज निवेदन कर रहा हूं हम सदन में बैठे हैं, साढ़े पांच करोड़ की जनता ने हमको एक विश्वास करके इस सदन में भेजा है। हम अपनी अन्तरात्मा से बात करें क्या दो साल से हमारे ऊपर अकाल नहीं पड़ रहा है, क्या दो साल से हमारे पर परेशानियां नहीं हो रही हैं? यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त परेशानियां हैं, सरकार की तरफ से नहीं मानते हम। इस परिस्थिति में एक जमाना, माननीय सभापति महोदय, आप बहुत पुराने हैं, आपने कई माननीय मुख्यमंत्रियों का जमाना देखा होगा। अकाल के समय में एक आदमी को काम पर लगाने के लिए तरस जाते थे। मैं धन्यवाद करता हूं उस टाइम की सरकारों का, कि नरेगा जैसी योजना लागू की और कह दिया कि संवैधानिक अधिकार

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

आपको 100 दिन का दिया जाता है, आप काम करिये और 15 दिन में अगर काम नहीं मिला तो 16वें दिन आपको घर बैठे आधा पैसा मिलेगा। यह भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का कानून बोलता है।

आज क्या हो रहा है? इसलिए प्रधान मंत्रीजी भी चाहते हैं कि नरेगा बंद हो जानी चाहिए, क्यों? बुरा नहीं लगे, यह जब तक नरेगा चलेगी तब तक गरीब का शोषण नहीं होगा और नरेगा बंद हो जाएगी तो गरीब का शोषण शुरू हो जाएगा। उद्योगपतियों का फायदा हो जाएगा। मैं सरकार में मंत्री था, मुझे कई लोग कहते थे कि मंत्रीजी, काम को बंद कर दो, हमारी मिलें बंद हो गयीं। मंत्रीजी, इस काम को बंद कर दो, हमको गेहूं काटने वाला कोई नहीं मिलता है। आज वह योजना बंद हो गयी तो जनता वापस राजस्थान में भटक रही है, लेकिन इनको काम नहीं मिलता है।

मैं नरेगाकर्मियों के बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा। उन नरेगाकर्मियों की वजह से राजस्थान का नाम हिन्दुस्तान में हुआ। करीबन 27,033 नरेगाकर्मियों को स्थायी करने के लिए हमने विज्ञप्ति निकाली और विज्ञप्ति निकालने के बाद में करीबन 7 हजार नरेगाकर्मियों को हमने भर्ती कर दिया। शेष नरेगाकर्मियों का मामला कोर्ट में विचाराधीन हो गया और सरकार उनको परमानेंट करने के लिए आगे होकर कोर्ट में गयी। आज सवा दो साल का समय हो गया, माननीय सभापति महोदय, सरकार की तरफ से कोई भी आदमी जाकर इनकी पैरवी नहीं कर रहा है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इन गरीबों के प्रति कोई भलाई की बात करती होगी।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आप परमानेंट करो या नहीं करो, हम विपक्ष में बैठे हैं, हम अपनी बात करेंगे। लेकिन उस वक्त हमने एक कानून बनाया था कि हर साल जो उनको मानदेय दे रहे हैं, उस मानदेय के अन्दर दस प्रतिशत वृद्धि करेंगे, लेकिन बेहतर से बेहतर काम करके इस नरेगा को और आगे बढ़ाएंगे। आपकी सरकार आते ही, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि इस 10 प्रतिशत को भी आपने 5 प्रतिशत कर दिया। परमानेंट नहीं किया, कोर्ट में इनको आप संरक्षण देना नहीं चाहते और आपने दस परसेंट का पांच परसेंट कर दिया।

आज हमारे चिकित्सा मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, इन्होंने अपने विभाग से एक लैटर जारी किया कि जो प्लेसमेंट एजेंसी के जरिये काम कर रहा है

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

उस व्यक्ति का भी मेडिकल विभाग के अन्दर स्थायीकरण करने के लिए, परमानेंट करने के लिए एक आर्डर निकाल दिया। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए कि पांच विभाग आपके पास ही हैं। चाहे मेडिकल हो तो आपके पास है, कृषि है तो आपके पास है, ये मंत्रीजी यहां बैठे हैं, गांव का, आई.सी.डी.एस. है तो आपके पास है गांव का, तो एक विभाग में यह दो नियम कैसे सम्भव है? तो मैं उन लोगों की, अपनी ओर से दलील देता हूं, आप सब से निवेदन करना चाहता हूं जब मेडिकल के अन्दर यह कानून बन सकता है तो पंचायती राज और नरेगा में यह कानून बनायें और कानून बनाकर उनको भी परमानेंट किया जाए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भूतपूर्व मंत्री महोदय, आप भी इस विभाग के मंत्री रहे हो, जब आप मंत्री थे तो पांचों विभाग आप चलाते थे क्या?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं बताता हूं, आप शांति रखो। अभी तो गया कहां हूं, अभी तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, माननीय मंत्रीजी, इतना जल्दी मत करो।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाह रहा हूं। पंचायती राज कमजोर तो हो ही रहा है लेकिन आपने 99 पद भी पी.ओ. के खतम कर दिये। 99 पद पी.ओ. के खतम कर दिये, आपके पास में अभी ग्राम सेवकों के चार हजार पद खाली पड़े हुए हैं, उसकी भरने की आप कार्यवाही भी नहीं कर रहे हो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, यह 99 पद समाप्त करने की बात कर रहे हैं वो भी बिलकुल मिथ्या है, किसी प्रकार का कोई पद समाप्त नहीं किया है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आपको बधाई। आपको बधाई।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य को एक निवेदन करना चाहता हूं। नरेगा के कारण इस राजस्थान के श्रमिक की वर्किंग कैपेसिटी कमजोर हुई है या नहीं हुई है, आखिर नरेगा में कहीं न कहीं वर्किंग का सुधार तो करना पड़ेगा, नरेगा बंद नहीं करना है।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। विराजिये, विराजिये। ये नहीं करेंगे, ये अपने सुझाव दे रहे हैं। मंत्रीजी को कहना है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय सभापति महोदय, ठीक है माननीय सदस्य जो अपनी बात कह रहे हैं वो कहने का अधिकार है, वो कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति: नहीं, आप बोलिये। सुधार करने का मंत्रीजी का है, बैठे हैं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, नरेगा के माध्यम से इनके वहां पर हमने रेलवे का ओवर ब्रिज बना दिया। वो बनाने की क्षमता है आज? आज अकाल की स्थिति है, एक साल में कम से कम 55 से 60 हजार हम पानी के टांके बनाते तो वहां की जनता आज पानी पी रही है, वो टांके कहां गये, वो कुए कहां गये? वो सब कहां गये?

देखो, आप सुनोगे तो ठीक है बाकी मेरा काम तो हो रहा है, जनता सुन रही है वहां पर बैठी-बैठी।

मैं इस मौके पर इसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इस नरेगा में और दिक्कत है बी.एस.आर. दर को लेकर। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो साल पूरे हुए, इन नरेगा कर्मियों को, इन विकास अधिकारियों को और सरपंच को सब को राज़ी करने के लिए एक नियम निकाल दिया 16.03.2016 को एक अधिसूचना जारी करके कह दिया कि आप बी.एस.आर. दर के ऊपर अपनी कोई भी सामग्री क्रय कर सकते हो। अब पता नहीं क्या दिक्कत आयी, वो मैं इस वक्त नहीं कह सकता, लेकिन आपने इसको भी विथड्रा कर लिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विथड्रा कर लिया?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): विथड्रा कर लिया इसको भी।

एक माननीय सदस्य: टेण्डर निकाल दिये ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): और आज स्थिति वापस गम्भीर हो गयी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बिलकुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमने आज ही सदन के पटल पर आर्डिनेंस रखा है। क्या बात करते हो आप। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा थी वो लागू की थी और बी.एस.आर. जो हमने, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, दस लाख तक की सामग्री बी.एस.आर. की तीन कोटेशन के आधार पर खरीद सकते हैं। इस प्रकार के निर्देश प्रदान कर दिये हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्रीजी, आपके डिपार्टमेंट में ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय जो भी अपना जवाब दे रहे हैं उस टाइम देते तो अच्छा रहता और मेरा समय आप कम मत करना क्योंकि जो साढ़े पांच करोड़ भाई गांवों में बैठे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): मंत्री महोदय इतना याद दिला रहे हैं कि सदन में असत्य न बोलें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मेरे खिलाफ कार्यवाही कर सकते हो आप।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। आप बीच-बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, आप बोलिये। वाद-विवाद का तरीका यह है कि कोई इन्टेलीजेंट इन्टरवेन्शन आप करना चाहें तो कर सकते हैं बाकी तो करना उचित नहीं है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन कर रहा हूं कि हमारे अशोकजी गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे।

एक माननीय सदस्य: ओ हो।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): ओ हो, क्या दस लाख मकान असत्य बोल रहा हूं। ओ हो, आपको कोई बात समझ में नहीं पड़ती?

श्री सभापति: आप मेरे को इधर सम्बोधित करें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय सभापति महोदय, अब कर तो दिये हैं। दस लाख मकान 34 सौ करोड़ रुपये का हमने हुडको से लोन लेकर उस गरीब का मकान बनाया।

श्री सभापति: आपका 25 मिनट हो गया, इधर सम्बोधित करें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): नहीं, सर, बोलने दें, प्लीज, प्लीज।

श्री सभापति: वो ठीक है पर बोलिये तो सही।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): हमारा कोई नहीं बोलेगा।

श्री सभापति: सब को बुलायेंगे, आप तो बोलिये।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं निवेदन करना चाहता हूं दस लाख मकान, आधी सरकार तो चली गयी, वो दस लाख मकान पूरे तो कर देते। आज भी वो गरीब भटक रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

एक बात मैं बहुत जोरदार तरीके से कहना चाहता हूं। मैं किसी की बुराई, किसी को कुछ नहीं, जो देश के रहे हैं वो तो देश के रहेंगे और आज हैं वो भी रहेंगे। हमने 9177 राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये, 248 हमने पंचायत समिति के सेवा केन्द्र बनाये, 33 हमने जिले के बनाये हैं, बनाये हैं हमने और पंचायती राज का सबसे बड़ा कोई सुन्दर भवन है तो वो राजीव गांधी सेवा केन्द्र था। इतनी जल्दी क्या थी कि इसका नाम बदलकर आपने अटल सेवा केन्द्र कर दिया? नहीं, क्या जल्दी थी?

अब मैं थोड़ी-सी और बात कह रहा हूं। अब पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, नई पंचायतें बनी हैं, पंचायत समितियां बनी हैं, उसका उससे बढ़िया शानदार भवन बनाओ और फिर लिखो अटल बिहारी वाजपेयी भवन, तो मजा आयेगा। फायदा क्या हुआ, मुझे कोई बात समझ में नहीं आती है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 127 हमारे जनप्रतिनिधि हैं और माननीय मुख्यमंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार आयेगी तो इनके सब के भत्ते बढ़ायेंगे, वित्त विभाग को फाइल गयी, वित्त विभाग ने टर्न डाउन कर दिया। मेरे पास आर्डर पड़ा हुआ है कि हम इनको भत्ता भी नहीं देंगे। आप देख लो।

अब स्वच्छ भारत और शौचालय के ऊपर एक बात कह रहा हूं, बहुत जोरदार बात कह रहा हूं, अभी डिबेट भी हुई थी। 24 लाख 48 हजार 113 शौचालय बना दिये और 1128 पंचायतों को ओ.डी.एफ. कर दिया। अगर 24 लाख 48 हजार 113 शौचालय को 12 हजार की दर से बनाते हो तो करीबन 29 सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है और उनका रिकार्ड यह कह रहा है कि 1480 करोड़ में हमने बना दिया, यहां भी मैं असत्य बोल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): असत्य।

श्री सभापतिः ये जितने भी +++ शब्द हैं, उनको हटा दें। असत्य।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): सारी, साहब, माफ करना।

श्री सभापतिः असत्य बोलते हैं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं यहां पर एक यह भी निवेदन कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्यः इसकी जगह क्या...(व्यवधान)

श्री सभापतिः असत्य।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): असत्य, असत्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): असत्य की जगह आपका नाम लिखवा दें क्या?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं यहां पर एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार ने अगर कोई काम नहीं किया होता तो तीन बार राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, 17 राज्यों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी राजस्थान को देखने के लिए आये थे।

अभी हमारे माननीय मंत्रीजी इस बात के लिए कह रहे थे कि पांच विभाग क्या आपके टाइम में आते थे, माननीय मंत्रीजी, जितना मुझे टिप्स पर याद है, मुझे गर्व इस बात का नहीं है टिप्स पर मुझे याद है, हरिदेव जी जोशी राजस्थान के सी.एम. हुआ करते थे, वो कहते थे कि घोड़े के ऊपर बैठने वाले आदमी की आवश्यकता थी, घोड़ा पर बैठ गये तो घोड़ा तो दौड़ेगा, अब आप कैसा घोड़ा दौड़ाते हो आप जानो, मैंने तो जोरदार दौड़ाया।

मैं निवेदन कर रहा हूं, प्लीज आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिना मतलब नहीं। विराज जाएं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): साहब, मैं निवेदन कर रहा हूं, बहुत इन्टरेस्टिंग बात कह रहा हूं। अगर हमारा मेडिकल का ए.एन.एम. या कम्पाउंडर पंचायत की बैठक में चला जाए, एग्रीकल्चर का ग्राम सेवक उस बैठक में चला जाए, स्कूल के अध्यापक वहां पर चले जाएं, सोशल जस्टिस का कोई आदमी चला जाए और पंचायत की बैठक में जाकर अपन अपने डिपार्टमेंट की बात कह दें और उस गरीब का भला हो जाए तो कम से कम पंचायत समिति तो नहीं जाना पड़े। नियम यह कहता है, माननीय मंत्रीजी, आप मुझे कह रहे हो, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने इन पांच डिपार्टमेंट की मीटिंग कब ली? अधिकारी भी सुनें, कानून यह कहता है कि पंचायत लेवल का कोई अधिकारी अगर अपने उच्च अधिकारी को लेटर लिखता है तो सीधा उच्च अधिकारी को लिखने का अधिकार नहीं है, विकास अधिकारी को लिखेगा। विकास अधिकारी सी.ई.ओ. को लिखेगा और सी.ई.ओ. को राज्य सरकार को लिखना है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पंचायती राज के माध्यम से सम्बन्धित विभाग को जायेगा, एक लैटर आपका निकला हो तो मुझे बता दो। पंचायती राज को तो चौपट कर दिया।

पेन्शन के बारे में निवेदन कर रहा हूं, हमने 45 लाख परिवारों को

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

पेन्शन दी है। आज वो गरीबड़े पेन्शन के लिए रोते फिर रहे हैं। डाकिया बढ़िया था कम से कम घर पर आ तो जाता था, बैंक जा रहे हैं कि पेन्शन नहीं है। आज पेन्शन, आप तो नहीं मानोगे, कोई बात नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं है, मत मानो आप तो। (व्यवधान) आप तो मत मानो।

श्री सभापति : (सांगानेर): समाप्त करें। संक्षिप्त करें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं एक बात और कह रहा हूं कि पंचायती राज और पंचायतों में सुचारु काम चले, गड़बड़ियां नहीं हों, उसके लिए लोकपाल की नियुक्ति हुई थी। इसको भी आप हटा रहे हैं।

सभापति महोदय, दूसरा, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आपने आठवीं पास, दसवीं पास, बारहवीं पास का कानून लगा दिया। आप लोगों को कहते और फिर कानून लागू करते तो पढ़े-लिखे लोग आते। पता नहीं सही डिग्री लाया कि गलत डिग्री लाया। आपके हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं। कितने ही लोग आज जेल में चले गए। एक चुना हुआ व्यक्ति जेल जा रहा है। उसके लिए भी आपको कोर्ट ने डायरेक्शन दिये और आपको केस वापिस लेना पड़ा।

आपने सरपंचों में भेदभाव किया। कौनसी पार्टी का कौनसा सरपंच है। किसको क्या अन्दर करना है। उसकी कार्यकर्ताओं में बदनामी हो गयी। उधर पुलिस वाला उसको खा रहा है। अधिकारी उसको डांट रहे हैं, पकड़ रहे हैं। आज बर्बाद हो गया पंचायती राज। जो महात्मा गांधीजी की कल्पना थी, वह कल्पना तो पूरी नहीं हुई।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा-सा जे जे वाई के ऊपर बोलूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है।

श्री सभापति: आप संक्षिप्त कर दें एक मिनट में।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): यह जनता जल योजना के बारे में अपनी बात कह रहा हूं।

श्री सभापति: जनता जल योजना पंचायती राज में थोड़े ही आता है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आयेगा साहब। यह हमारा काम है।

श्री सभापति: हां, बोलिये, बोलिये।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): बोलने दो, बोलने दो।

श्री सभापति: बोलो ना।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि हम उसमें अलग से बजट का प्रावधान करेंगे और गांवों में पानी पहुंचायेंगे। पूरा पैसा ही समाप्त कर दिया। इसके लिए कोई पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं, माफ करना...।

श्री सभापति: आप तो इधर सम्बोधित करिये।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय सभापति महोदय, यह जितनी भी पैसे की कटौती हुई है, आज जल दिवस है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा-पूरा पैसा ले लिया मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन में ही।

सभापति महोदय, अब इसमें मेरा एक निवेदन है कि पंचायती राज को टैंक हस्तांतरण हुए थे इर्रिगेशन के। अगर मुख्यमंत्री जी को सही में पानी का प्रबंध करना था तो यह मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन का पूरा पैसा पंचायती राज को देते, वहां मशीन लगाते और वहां खड्डा करते। उसको स्ट्रेंथिंग करते और उसको कैनाल सिस्टम करते तो वह सफल होता। लेकिन आज नहीं तो कल यह होने वाला है। यह सिस्टम ठीक नहीं होने वाला है।

आज भू-जल संरक्षण, वाटर शैड के बारे में निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): करोड़ों रुपया यहां पर पड़ा हुआ है। लेकिन करोड़ों रुपयों का कोई हिसाब-किताब नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय मंत्रीजी ने अभी कहा कि हमने कोई पद समाप्त नहीं किये हैं। माननीय मंत्रीजी, पढ़ा-लिखा आदमी हूं। पूर्व मंत्री हूं। कागज मेरे पास हैं। यह आपने पद समाप्त किये वह लैटर मेरे पास है। आप देख सकते हो। मैं टेबल कर सकता हूं। यह गलत बात नहीं हो सकती है।

श्री सभापति: आप बाद में जवाब दे देना मंत्रीजी। विराजें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): एक शब्द कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। एक ही बात मुझे कहने दो।

श्री सभापति: समाप्त हुआ माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): इस मौके पर यही निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस पंचायती राज को ठीक करो, नहीं तो इतना बुरा हाल हो जायेगा कि पूरे राजस्थान में अराजकता फैलने वाली है।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

आपके सरपंच हड़ताल में हैं। ग्राम सेवक आपके हड़ताल में हैं और पूरे पंचायती राज को आपने तहस-नहस कर दिया है। यह मैं आपसे कह रहा हूं। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद, विराजिये। श्री सुरेन्द्र पारीक।

(16.33 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)ः जे जे वाई को पैसा दे दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)ः जो पैसा दिया है ना, वह तो चुनाव में जाओगे तब पता चलेगा कि कहां दिया और कहां नहीं दिया।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)ः उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को देखते हुए झोटवाड़ा आरओबी की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य, भवानी सिंह रोड से सोडाला तक नई एलिवेटेड रोड बनाने का कार्य, प्रधान मार्ग मालवीय नगर तथा गणेश नगर मंदिर खिरणी फाटक के पास पैडेस्ट्रियन अंडर पास बनाने के कार्य, टोंक रोड पर बंबाला पुलिया, जवाहर लाल नेहरु मार्ग पर जैनपेक्ट के पास स्थित पुलिया, दिल्ली रोड एवं गलता एवं ईदगाह के बीच 2 पुलियाओं की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य तथा जगतपुरा आरओबी से गोनेर रोड तक 8 लेन सड़क के निर्माण के कार्य की घोषणा की है। साथ ही गोविन्दपुरा रोपाड़ा व मोठूका बास में मैरिज गार्डन, रिसोर्ट्स हब बनाने की जो घोषणा की है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जगतपुरा के एलिवेटेड रोड का उद्‌घाटन जब उन्होंने किया था तो उन्होंने वहां घोषणा की थी कि जयपुर शहर के सभी वार्डों में 10-10 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जायेगा। मैं माननीय मंत्रीजी को आग्रह करुंगा कि वह जो घोषणा थी, उसको शीघ्र लागू करवायें ताकि जयपुर शहर में जहां चारदीवारी में पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, उन सड़कों का निर्माण हो सके और शहर का विकास हो सके। नहीं, शहर का इनके पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः आपस में बातें नहीं।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)ः उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

चाहूंगा कुछ समस्याओं के सम्बन्ध, ज्यादा टाइम होने पर आप भी मुझे रोकेंगे। उसके लिए मैं चाहूंगा कि सीधा विषय पर ही आ जाऊं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं जयपुर की पार्किंग समस्या के सम्बन्ध में आपके जरिये माननीय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि इस समय जयपुर में जो पार्किंग की व्यवस्था है, वह बहुत ही दयनीय है। आज शहर की चारदीवारी के अन्दर तो स्थिति यह बनी हुई है कि सारी गाड़ियां सड़क के बीच में पार्क होती हैं। आने-जाने के लिए वहां चारदीवारी में जो लोग रह रहे हैं, उनका जीना भी दूभर हो रहा है।

इसके लिए मेरा निवेदन है कि पार्किंग के कुछ स्थान चिह्नित करके वहां पार्किंग के लिए जगह डवलप की जाये। जिसके लिये मेरा सुझाव है कि चौगान स्टेडियम के बाहर जो एक खुला मैदान पड़ा हुआ है, वहां एक पार्किंग बनाई जा सकती है। पुराना पीएचक्यू का जो आफिस है, उसमें भी अंडरग्राउंड पार्किंग डवलप हो सकती है। जलेब चौक में भी एक अंडर ग्राउंड पार्किंग डवलप हो सकती है। रामलीला मैदान में भी एक पार्किंग का डवलपमेंट हो सकता है। चारदीवारी में जो सड़क पर पार्किंग हो रही है, हम पार्किंग वहां डवलप कर दें उसके बाद उनको इस बात के लिए बाध्य करें कि वह अपनी पार्किंग वहां करें ताकि शहर में रहने वालों की दिक्कत कम हो जाये।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो बाजारों में पार्किंग हो रही है, उससे आने वाले ग्राहकों को भी दिक्कत हो रही है और ट्रेफिक भी जाम रहता है। इसके लिए जेडीए वहां शटल बस सिस्टम चालू करे और नि:शुल्क उन बसों को चलाये। ताकि लोग अपनी जो पार्किंग करें, वह रामनिवास बाग़ या कहीं भी खड़ी करके आ जायें, उन बसों के जरिये नि:शुल्क वहां आयें और अपना कार्य पूरा करके वापिस चले जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक जयपुर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों ने सैकड़ों कालोनियां बसा दीं। उनके आजकल नियमन की कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। जेडीए वाले कैम्प तो लगा देते हैं, लेकिन खाली उन्हीं स्कीमों का लगा रहे हैं जो डवलपर्स कोई स्कीम 90 बी में या 90 ए में कराकर लाते हैं, उनके कैम्प तो लग रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारी रिक्वेस्ट है कि आज आदरणीय मोहनलालजी गुप्ता साहब को जरूर बुलाया जाये डिमांड के ऊपर, क्योंकि जेडीए का उनको बहुत अच्छा अनुभव है। तो हम सुनना चाहते हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): सबकी तरफ से बुला दिया जाये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सब की तरफ से मोहनलालजी ही बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारी तरफ से कर दिया।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित इस बात की ओर करना चाहूंगा कि जो गृह निर्माण सहकारी समितियों ने सैकड़ों कालोनियां जयपुर में बसा दीं, उनके नियमन के लिए कोई कैम्प नहीं लग रहे हैं। अगर कैम्प जेडीए लगा भी रहा है तो केवल उन बिल्डर्स की कालोनियां जो 90 ए, 90 बी कराकर आ रहे हैं, उनके कैम्प लग रहे हैं। इससे जो सैकड़ों कालोनियों में रहने वाले लोग हैं, उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं। किसी न किसी तकनीकी कारण से पट्टे देने में कोई न कोई बाधा डालकर के उनके कैम्प रिजक्ट कर दिये जाते हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो भी तकनीकी कमियां हैं, उसको दूर करवाकर उन कालोनियों का कैम्प लगवायें ताकि वहां रहने वाले लोगों को उनके पट्टे मिल सकें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी पचासों कालोनियां हैं जो आज पूर्ण रुप से डवलप हो चुकी हैं। लेकिन पट्टे इसीलिए नहीं मिल रहे हैं कि कोई न कोई कमी उसमें निकाली गयी है।

साथ ही कुछ कच्ची बस्तियां भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी हैं, जैसे शिवाजी नगर कच्ची बस्ती, शास्त्री नगर की सबसे प्राचीन कच्ची बस्ती बसी हुई है। आज वहां सैकड़ों मकान बने हुए हैं। सड़क भी डली हुई है। सीवरेज भी है। पानी की लाइन भी सरकार ने डाल दी है। लेकिन उसका नियमन इसलिए नहीं हो रहा है कि उसके अन्दर लिखा हुआ है, पहले जो 1925 का रिकार्ड था, उसमें यह मेंशन था कि खुला मैदान था। एक लाइन उसमें लिखकर के कि खुला मैदान है, जो इतना पुराना लिखा हुआ है, इसलिए ऐसे कालोनियों का नियमन नहीं हो रहा है। ऐसी कच्ची बस्तियां हैं, जिनका नियमन इसीलिए रुका हुआ है कि उसमें कोई न कोई तकनीकी खामी है।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन तकनीकी कमियों को दूर कराकर इनके भी नियमन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जयपुर शहर में जितने भी श्मशान हैं, उन पर अतिक्रमण हो रहे हैं। अतिक्रमणों के साथ-साथ उन श्मशानों में आधारभूत सुविधाओं की भी कमी है। नगर निगम द्वारा उनके विकास के लिए न तो कोई

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

काम किया जा रहा है और न ही वहां जो अतिक्रमण हो रहे हैं, उनको हटाने के लिए कोई कार्यवाही हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां जो अतिक्रमण हैं उनको हटवाया जाये। वहां जो भी आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिये उनका निर्माण करवाया जाये। वहां सफाई की समुचित व्यवस्था करवाई जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर का जो मास्टर प्लान बना हुआ है, मास्टर प्लान में जयपुर की चारदीवारी को आवासीय घोषित किया हुआ है लेकिन वस्तुस्थिति इससे बिलकुल भिन्न है। आज जयपुर शहर की चारदीवारी में सैकड़ों कामर्शियल काम्पलेक्सेज बन गये, हजारों दुकानें बनी हुई हैं। यह सारी दुकानें और सारे कामर्शियल काम्प्लेक्स अधिकारियों की मिलीभगत से बने हुए हैं, उसका परिणाम है कि वहां न तो पार्किंग की व्यवस्था उन्होंने छोड़ी और न बाकी व्यवस्था वहां हुई।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो अपना मास्टर प्लान बना हुआ है उस मास्टर प्लान पर पुनः एक बार विचार किया जाए इसमें संशोधन की आवश्यकता हो तो वह संशोधन करे। जो कामर्शियल काम्प्लेक्स हैं और जो बन गए वह टूट तो सकते नहीं हैं इसलिए अगर उनके नियमन की कोई कार्यवाही होती है, उनको कम्पाउंड करने की कोई कार्यवाही होती है तो उसे अंजाम देकर उनसे पैसा वसूल किया जाए ताकि निगम की जो आर्थिक स्थिति खराब है और निगम पैसे के लिए जूझ रहा है, अगर इनका नियमन होगा, जो अवैध निर्माण हो गए उनका नियमन होगा तो पैसा आएगा और निगम की स्थिति सुधरेगी। इसलिए मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि ऐसी कालोनियों का भी नियमन करवाया जाए और मास्टर प्लान पर पुनः विचार किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निगम में नक्शा पास करने की जो प्रक्रिया है, क्या होता है कि निगम में नक्शा पेश होने के बाद सालों तक पास नहीं होता है। लोग नक्शा पास कराने के लिए निगम के चक्कर खाते रहते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि वह अधिकारियों से मिल बैठकर दो रुपये देकर अपना काम करवा लेते हैं और वहां अवैध निर्माण होते रहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि निगम का नक्शा पास करने की जो प्रक्रिया है उसका सरलीकरण किया जाए और इसका एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनना चाहिए कि आज नक्शा मैंने पेश किया तो एक महीने में जो भी उसकी परिणति होनी हो, यदि पास

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

होने लायक नहीं हो तो निगम वह जवाब दे, अगर कोई संशोधन होना हो तो वह सुझाव दे, नहीं तो एक महीने बाद यह मान लिया जाए कि नक्शा पेश हुआ है वह पास हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में हिंगोनिया गौशाला बनी हुई है, उसकी स्थिति के बारे में मैं आपका ध्यान आकार्षित करना चाहूंगा, आज हिंगोनिया गौशाला में एक तो भामाशाह मिलते ही बड़ी मुश्किल से हैं। वहां एक-दो भामाशाह मिले और उन्होंने वहां गायों के लिए 25 बीघा में हरी घास उगाई लेकिन वहां जो चार बोरिंग लगे हुए थे वे चारों बोरिंग खराब हैं, पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां जो अधिकारी लगे हुए हैं उनमें आपस में तालमेल की भी कमी है। इसका परिणाम है कि वहां जो हरी घास लगी हुई है उसमें पानी की पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है इससे घास सूखने लगी है, अगर इस तरह से होगा तो भामाशाह जो पैदा होते हैं, क्योंकि भामाशाह के रूप में यदि कोई सेवा के लिए आया है और उसे वहां पूरा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो दूसरे लोग भी उसको देखकर आगे नहीं आएंगे और आइंदा के लिए इस प्रकार की जो गतिविधि होगी उससे भामाशाह नहीं मिलेंगे और गौशाला का विकास नहीं होगा। वहां जो गायों की दशा है, मैं खुद भी हिंगोनिया गौशाला जाकर आया था, निश्चित रूप से जो बीमार गायों का बाड़ा है वहां पर गायों को जो चारा मिल रहा है वह तो फिर भी छान कर मिल रहा है उसके अलावा जो बची हुई गायें हैं उनको जो चारा मिल रहा है उसमें मिट्‌टी वगैरह मिली हुई है। उससे गायों के बीमार होने की स्थिति बनी हुई है और गायों की दशा बहुत खराब है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हिंगोनिया गौशाला की दशा सुधारने के लिए माननीय मंत्रीजी कोई न कोई कार्यवाही अपने हाथ में लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो ट्रीटमेंट प्लांट मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगे हुए हैं, एक तो गोविन्द नगर में लगा हुआ है, दूसरा जयसिंहपुरा खोर में बना है। यह दोनों ही ट्रीटमेंट प्लांट इस समय बंद पड़े हुए हैं। गोविन्द नगर में जो प्लांट लगा था उससे जो पानी शोधित होकर जा रहा था उसमें 2 एमएलडी पानी तो जलमहल में जा रहा था और 19 एमएलडी पानी सिंचाई विभाग द्वारा नहर के द्वारा जयसिंहपुरा और आमेर में सिंचाई के लिए जा रहा था। लेकिन यह बंद होने से शंकर नगर नाले का गंदा पानी और नागतलाई के गंदे नाले का पानी, दोनों पानी उन नालों के द्वारा जयसिंहपुरा खोर के नालों में

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

जा रहे हैं। सारे किसान वहां उसी पानी से सिंचाई कर रहे हैं जिसका परिणाम यह है कि वहां सारी गंदी सब्जियां एक तरफ सरकार उनको रोकने की व्यवस्था में लगी हुई है दूसरी तरफ वह सारी गंदी सब्जियां, शहर में आ रही हैं और लोग बीमार उससे हो रहे हैं। कलक्टर वहां बार-बार उन गंदी सब्जियों को उगाने के कारण उनकी मोटरें भी जब्त कर रहे हैं, जो खेती हो रही है वह भी उजाड़ी जा रही है। तो इन दोनों व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों व्यवस्थाओं को सुधारें।

यह जो गंदे नाले का पानी जयसिंहपुरा खोर के ट्रीटमेंट प्लांट में जाना था इसकी एक सीवर लाइन पहले आरयूआईडीपी द्वारा डाली गयी थी बीच में कहीं न कहीं उसका लिंक टूटा हुआ है। तो 1200 एमएम के पाइप जो जयसिंहपुरा खोर के ट्रीटमेंट प्लांट में जाने थे वह लाइन भी अगर इनकी पूरी हो जाए क्योंकि पिछले दो सालों से इसके लिए मैंने प्रयास किया लेकिन आज तक उसका कोई सही नतीजा सामने नहीं आया है। क्योंकि कोई न कोई अधिकारी उसमें रहे उनकी लापरवाही की वजह से वह लाइन पूरी नहीं हो रही। उसका परिणाम यह हो रहा है कि आमेर रोड पर जितनी कालोनियां बसी हुई हैं चाहे वह कैलाशपुरी हो, चाहे जगदीश कालोनी हो या कोई और कालोनी हो, उनके सारे सीवर का सिस्टम जाम हो गया है और सीवर लाइन वहां हमेशा भरी रहती तो कुछ लोगों ने जो गंदा नाला था उसमें अपनी सीवर लाइन खोल दी है और वह सारा गंदा पानी वहां से बहता हुआ जाता है। आज स्थिति यह है कि आप शंकर नगर के नाले पास से या गोविन्द नगर नाले के पास से निकलते हैं तो बदबू से सारा एरिया सड़ता रहता है। आज शंकर नगर के लोग, गोविन्द नगर के लोग इस समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं।

मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि आप इसका भी ध्यान रखकर कोई उचित कार्यवाही कराएं। (व्यवधान) बहुत है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने नहीं कहा है आपको। (व्यवधान) आसन ने नहीं कहा है।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): आज हमारे सचेतक महोदय बजा रहे हैं टेबल।

श्री उपाध्यक्ष: उनसे आपको आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो और बोल सकते हो।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है यह बोलें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मोहन लालजी गुप्ता अगर आज बोले तो पांच-सात जने सुसाइड कर लेंगे, आप देख लेना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री राम लालजी गुर्जर।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 20, मांग संख्या 29 और 49 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, सबसे पहले आपका हार्दिक आभार।

स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास के लिए वर्ष 2016-17 में 6642 और 24 लाख रुपए का जो प्रावधान किया है मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी आभार जताता हूं कि पहली बार के मुकाबले 33.57 परसेंट ज्यादा किया है, बहुत ही ज्यादा आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबको खुशी भी है कि पूरे हिन्दुस्तान के 200 स्मार्ट शहरों में से हमारे प्रधान मंत्रीजी ने जयपुर और आपके उदयपुर का चयन किया है इसके लिए माननीय प्रधान मंत्रीजी का भी हार्दिक आभार आपके माध्यम से। इस सिटी को डवलप करने के लिए वसुन्धरा राजेजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी 400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है ताकि यह स्मार्ट सिटी हकीकत में स्मार्ट सिटी बने और हकीकत में हैरिटेज सिटी, पर्यटक स्थल बने।

जैसा कि और भी विकसित करने के लिए प्रदेश के शहरों में जल वितरण, सीवरेज, ड्रेनेज आदि मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए जो 4200 करोड़ का प्रावधान किया है तो मेरी भी मांग है कि आने वाले समय में सीवरेज का कार्य, नाले का कार्य आसींद में भी और गुलाबपुरा नगरपालिका के अन्दर भी माननीय मंत्रीजी कराएं ताकि यह सुविधा का उपयोग हो सके।

वर्षों से अटकी पड़ी रिंग रोड परियोजना जो पेंडिंग थी उसकी भूमि अवाप्ति कर आपने जो पहल की है सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है, माननीय मंत्रीजी भी...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष

(श्री कालू लाल गुर्जर)
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: मांग के पारण तक हो जाए। बाद में आप और करेंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): देख लेंगे तब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग के पारण होने तक। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ठीक है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय इन मांगों के पारित होकर मंत्री महोदय के जवाब आने और मांग पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की मांगों को पारण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

राम लालजी।

मांग संख्या 29, 20 व 49 पर विचार

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): रिंग रोड निकलने के बाद यातायात का दबाव भी कम हो जाएगा जिससे आम पब्लिक को भी, बाहर वालों और यहां रहने वालों को भी फैसेलिटी मिलेगी।

जयपुर के अन्दर मैट्रो, अंडरग्राउंड पार्किंग, ओवरब्रिज, अण्डरब्रिज, मैकेनाइज्ड पार्किंग जैसी व्यवस्था हो रही है इससे भी यातायात में सुविधा होगी, इसके लिए सबको, सरकार को और माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

जयपुर व उदयपुर विश्वविख्यात हैरिटेज संरक्षण को देखने के लिए पर्यटन की मूलभूत सुविधा व प्रावधान की सरकार ने व्यवस्था की है। इसका भी धन्यवाद।

स्वायत्त शासन विभाग के नगरपालिका क्षेत्र के पैराफेरी एरिया के अन्दर जो क्षेत्र आता है उसमें सबसे मोटी समस्या यह होती है कि जमीन वगैरह का कन्वर्जन कराते हैं, कन्वर्जन के समय जो शुल्क, विकास शुल्क

(श्री राम लाल गुर्जर)

वगैरह पैराफेरी क्षेत्र की भूमि का लिया जाता है उसका वापस शुल्क पंचायतों को नहीं लौटाते हैं और वह नगरपालिका के अन्दर ही रह जाता है जबकि पंचायतें अलग हैं, वहां का सरपंच अलग है, वहां की व्यवस्था पब्लिक ने अलग दी है। उन गांवों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पंचायतों का विकास रुक जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि पंचायतों की जो राशि है कन्वर्जन, विकास शुल्क सम्बन्धी, एनओसी तक ही नगरपालिका उसमें हस्तक्षेप रखे ताकि पंचायतों का अधिकार पंचायतों के पास रहे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की आसीन्द व गुलाबपुरा नगरपालिका के अन्दर खेल स्टेडियम बनाया जाय ताकि खेल को फायदा मिले और जो खेलकूद में भाग लेने वाले हैं, सरकार तो योगासन तक करा रही है, योग के लिए भी डाक्टर लगाये हैं। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है।

आवासन मण्डल की स्थापना 24 फरवरी, 1970 को की थी। आवासन मण्डल की स्थापना इसलिए की गयी कि गरीबों को राहत मिले और जिनको रहने के लिए मकान नहीं, छप्पर नहीं, उनको मकान मिले। 60 प्रतिशत मकान कमजोर वर्ग वालों को दिये हैं। 2015 में 65 शहरों के लिए, विभिन्न आय वर्ग के 250124 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 239341 आवेदकों को दे भी दिया है, यह बहुत ही अच्छा काम है।

भूमि अवाप्ति जिन काश्तकारों से की जाती है उनको उसका मुआवजा समय पर दिया जाय और उचित मुआवजा भी दिया जाय ताकि काश्तकारों का अहित नहीं हो। शहरों में विभिन्न नामों से अपार्टमेंट बनाये जाते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाय। डबल मंजिल, ट्रिपल मंजिल, 5-10 मंजिल तक बनें वहां तक कोई तकलीफ नहीं है, इससे ज्यादा जगह भी कवर नहीं होगी और रहने वालों की समस्या मिटेगी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): ×××

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। सम्माननीय सदस्य। सम्माननीय सदस्य। आदरणीय सदस्य। आसन की बगैर अनुमति से जो कहा हुआ है वह अंकित नहीं हो।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): नगर नियोजन विभाग द्वारा जो मास्टर प्लान बनाया जाता है, नगर की योजनाओं की पूरी समीक्षा करके फिर बनाया

(श्री राम लाल गुर्जर)

जाय क्योंकि फिर उसमें संशोधन करना पड़े और आमजन से भी जानकारी की जाय कि कहां क्या फैसेलिटी उपलब्ध करायी जाय। अपन बना देते हैं उसके बाद कई तरह की अड़चनें आ जाती हैं। भली-भांति देखकर मास्टर प्लान को सही ढंग से बनाया जाय ताकि आने वाले समय में ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए मुख्य मंत्रीजी ने 15378.98 करोड़ का प्रावधान किया है इसके लिए हार्दिक आभार। मुख्य मंत्रीजी का सोच है, सबसे पहले पानी पर ज्यादा जोर है, जल स्वावलम्बन। जल स्वावलम्बन के लिए गांवों में सब जगह आम पब्लिक को यह एहसास हो गया है कि पानी अपने को रोकना है, खुद के खेत का पानी खेत में रहे और बाहर पानी बहकर चला जाता है वह बाहर नहीं जाय, क्योंकि आने वाले समय में पीने के पानी की भी समस्या हो जाएगी और जानवरों, आदमियों के लिए भारी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। समय पर बचाव के लिए इसकी तरफ सबको ध्यान देना चाहिए। जल स्वावलम्बन के लिए सरकार ने जो कार्य किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं क्योंकि टाइमली चेते हैं। जनवरी, 2016 तक इस अभियान के तहत 3318 गांवों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। सरकार ने भी इसके लिए 440 करोड़ का और प्रावधान रखा है।

नवगठित 47 पंचायत समितियों के वाहन, कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो अड़चनें थीं उन अड़चनों के लिए भी 4.90 करोड़ का जो प्रावधान किया है वह भी अच्छा है।

जैसा कि प्रधान मंत्रीजी ने स्वच्छ व स्वस्थ नारा दिया था, स्वच्छता मिशन का जो काम यहां पर चला, पूरे राजस्थान में चला, पूरे हिन्दुस्तान में चला, स्वच्छ शौचालयों की गांवों में समस्या थी, सिटी के अन्दर तो शौचालय फिर भी बनाते थे। मोदीजी का भी सपना है कि 2019 तक भारत शौचालययुक्त हो। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने तो यह सपना 2018 तक ही सोचा है कि 2018 तक यह लक्ष्य पूरा करना है। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने एक योजना और चालू की। स्वच्छ ग्राम योजना की शुरूआत की है जिसके लिए 125 करोड़ का बजट रखा है।

राज्य में कई आंगनबाड़ी ऐसे थे जो किराये के भवनों में चलते थे। किराये के भवनों की वजह से काफी अड़चनें आ रही थीं, लेकिन इसके लिए भी 2 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है

(श्री राम लाल गुर्जर)

इससे काफी कुछ राहत मिलेगी। जैसा मुख्य मंत्रीजी का सपना है कि गांवों का भी विकास हो, गांवों के लिए अग्निशमन वाहन नगरपालिका को ही उपलब्ध कराते थे, गांवों के लिए बड़ी समस्या थी, लेकिन इस बार गांवों के लिए भी 15 हजार से ऊपर की आबादी पर अनुदान पर अग्निशमन वाहन की उपलब्धता की, इसके लिए आभार क्योंकि गांवों में विशेषकर समस्या आती है।

गांवों में पंचायतों द्वारा भी विशेष कैम्प लगाकर पट्टे वगैरह, जन्म-मृत्यु, राशनकार्ड जारी करना, पेंशन सम्बन्धी, व्यक्तिगत योजनाओं का सम्बन्धित कार्य मौके पर ही संपादित करने के लिए हर पंचायत मुख्यालय पर शिविर आयोजित करने का सोच किया है यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं पंचायती राज मंत्रीजी से भी आग्रह कर रहा हूं कि गांवों में हकीकत में ग्रान्ट एक्ट के अन्दर जो पट्टे दिये जाते हैं, पट्टे अभी तक पंचायतें पूरा नहीं दे पाती हैं, उसके खातिर लोग भी परेशान रहते हैं। इसलिए सब जगह आपकी तरफ से पत्र वगैरह जारी करके ग्रान्ट एक्ट के पट्टे काश्तकारों को मिल जायं, गांव के भाइयों को मिल जायं तो कम से कम उनके मन में यह भावना नहीं रहे।

इसके अलावा गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में भी विद्यालय, चिकित्सा संस्थानों, श्मशान घाट, कब्रिस्तान के जो कार्य हैं उनमें भी 842 कार्य पूर्ण किये हैं और आगे के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा है। आजीविका के तहत भी गत दो वर्षों में 38447 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 2 लाख 50 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम के तहत 90 परसेंट महिला, जो लाभार्थी हैं वे एससी, एसटी, ओबीसी की हैं। इसमें 74 परसेंट स्वयं सहायता समूह इसके अन्दर आता है। बीपीएल के अन्दर जो चयनित महिला थी, भामाशाह कार्ड वगैरह बनाये उसमें पहले मुख्य मंत्रीजी ने 1000-1000 करके 2000 रुपये एक खाते में भेजे। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2000 का लक्ष्य बनाया कि 2000 एक ही बार में, एक ही साथ बैंकों में दे देंगे तो इससे काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पब्लिक के जो भी छोटी-मोटी राशि काम आये तो ठीक है।

(17.00 बजे)

अब तक कुल 26 लाख पात्र महिलाओं में से 16 लाख 48 हजार महिलाओं के खाते में राशि हस्तान्तरित की गयी और 2016-17 में यह लक्ष्य 5 लाख 74 हजार का है। भामाशाह योजना के अन्तर्गत राशि हस्तान्तरण

(श्री राम लाल गुर्जर)

करने हेतु 15 हजार ई-मित्र के पाइंट भी स्थापित किये हैं। आगे बैंक के माध्यम से सुलभ सुविधा पहुंचाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 389 ब्रांचें खोली जा चुकी हैं और आगामी वर्ष में 500 नई ब्रांचें खोली जाएंगी जिससे 2016-17 में आने वाले अनुदान वगैरह, काश्तकारों को ब्याज, सब्सिडी, जमीन का जो भी मूल्य है वो मिलने में आसानी रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए आभार।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोपाल कृष्ण।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन लाल गुप्ता साहब को सत्ता पक्ष समय नहीं दे रहा तो हम हमारा दे दें। इतने सीनियर मैम्बर की इतनी बड़ी बेइज्जती कि इनको समय नहीं मिले तो हमारा समय दे देंगे अगर आप इजाजत दें तो।

श्री उपाध्यक्ष: अभी आपका समय आया नहीं है, उसका इंतजार करो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके पास समय है कहां, पहले ही खतम हो गया।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): समय समाप्त हो चुका है। आपके पास समय है ही नहीं तो क्या दोगे।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों की सहमति हो तो फिर गुप्ताजी को बुलाकर आज की कार्यवाही करें।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन सामने लिखा हुआ है, ''one who does not speak or one who speaks falsely does involve himself in the equal sin", यह सिन वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। पाप किस बात का अगर नहीं बोलूं तो, लेकिन अब वहां लिख दिया कि पाप है तो पाप को छिपाने के लिए, रोकने के लिए बोलना पड़ रहा है। नहीं तो नहीं बोलते, यह भी बात है। आपने मौका भी दे दिया। थोड़ा बोलना चाहिए क्योंकि Brevity is the soul of wit. Now, what is wit? Wit is 'what is off said but never so well expressed.' लेकिन अब थोड़ी-सी बात कहने के लिए कहनी तो बहुत कहनी पड़ेगी।

इस बजट के अन्दर जो प्रोविजन्स किये हैं वो भी बहुत अच्छे किये हैं। अब अगर सामने वाले यह समझें कि हम ही अच्छा बजट देते हैं तो यह

(श्री गोपाल कृष्ण)

मानकर चलिये कि अब तक जितना भी नगरीय विकास के लिए बजट हुआ है उनमें सबसे ज्यादा बजट अबकी बार ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप यह कहना चाहो कि नहीं, आपका बजट ठीक नहीं है तो सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा राशि अगर दी गयी है तो अबकी बार ही दी गयी है, इससे पहले नहीं दी गयी। आपके बजट के अन्दर कई दफे मैंने यह देखा कि एक बात लिख दी, दूसरे साल उसी पैरा में उसी पेज पर वो की वो बात रिपीट कर दी पर यहां पर वो बात रिपीट नहीं हो रही बल्कि कुछ बढ़कर हुआ है। जैसे 33.57 प्रतिशत ज्यादा राशि दी है पिछले बजट से और 6 हजार 742 करोड़ 24 लाख रुपये टोटल प्रावधान इसका किया है। इसके अलावा जयपुर और उदयपुर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने में 400 करोड़ का प्रावधान किया है तो 400 करोड़ कम पड़ते हैं मेरा ऐसा ख्याल है माननीय मंत्रीजी। देखिये, प्रदेश के 37 शहरों के अन्दर तो 4 हजार 200 करोड़ रुपये दिये हैं और उन शहरों में बीकानेर का नाम आपने नहीं दिया है तो कृपा करके आप उसमें बीकानेर का नाम भी जोड़िये तो हमारा भी थोड़ा भला हो जाए। आप तो वहां जाकर आये हैं, आपने देखा है कि अभी भी बीकानेर पहले जैसा ही लग रहा है, कुछ ज्यादा उसमें फर्क नहीं आ रहा है, आप अगर थोड़ी कोशिश करेंगे तो कुछ और प्रावधान इसके अन्दर कीजिये।

बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा आदि शहरों के लिए सीवरेज परियोजना का किया है। सीवरेज बीकानेर के अन्दर भी पूरी नहीं हो रही है। बहुत बरसों से अटकी पड़ी है और वह क्यों अटकी पड़ी है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। पैसे नहीं दे रहे इसलिए सीवरेज बनाने वाले बना नहीं रहे हैं और यह भी बात हो रही है।

जयपुर के लिए तो आपने बहुत किये हैं। वाई-फाई हाट-स्पाट, वीडियो सर्विलांस, एंट्री, एग्जिट पाइंट पर वीडियो सर्विलांस, बीआरटीएस कोरिडोर में वाई-फाई लगाया है और कई जगह आर.ओ.बी. के लिए कहा है। यह तो पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी और जो पैसा लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो जयपुर के इर्द-गिर्द ही लगा है। अभी आप खुद यहां पर बैठे हो तो जयपुर पर ही लगेगा, ऐसा लगता है और हम लोगों का तो नम्बर कब आयेगा क्योंकि बीकानेर दूर बहुत पड़ रहा है न इसलिए, लेकिन क्या करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो वापस कांग्रेस में आ जाओ पहले वाली जगह ही। पैसा नहीं लगेगा बीकानेर में इस राज में।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): डोटासराजी साहब, थ्हे बीच-बीच मैं म्हारै डोटा क्यों मारो हो, ऐसे मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं, समझे न आप। म्हारै तो समझ में कोनी आई कि थ्हे डोटासरा कियां हो। मैंने देखा कि ऐसा होगा कि कई तरह से होता है कि इंग्लिश के सर होते हैं, जैसे किशोर सर, मतलब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो ये हैं डोटासर, तब मैंने यह देखा कि शायद ये डोटा मारने वाले, सिखाने वाले सर हैं, ऐसा तो नहीं है। और अभी एक डोटा मेरे पर भी मारा, तो डोटासरजी साहब, मेरी तरफ डोटा थोड़ा कम मारना, बाकी तो मारते रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आपकी लोग तारीफ बहुत करते हैं और खूब तारीफ की। मैं भी करना चाहता था लेकिन इतने शब्द बोल गये कि मेरे पास अब कोई शब्द हैं नहीं कि आपके लिए क्या बोलूं। इतने बढ़िया, इतने इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान, लिट्रेट, कौन-कौन से शब्दों को आपके साथ में जोड़ा जाए यह मेरी समझ में नहीं आया। तो एक ही बात कह देता हूं – ''यूं तो दुनिया में हैं सुखनवर बहुत अच्छे पर गालिब का है अंदाजे बयां और। तो आपका कुछ अंदाजे बयां ही कुछ और है, अलग ढंग से आप बात करते हैं, अलग ढंग से बोलते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): किनको समर्पित किया है यह शेर आपने?

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): अब ये साहब तिरछी नजरों से देख रहे हैं...

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): आपकी इतनी तारीफ कर दी, अब तो बीकानेर के लिए कुछ करना।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आप अगर कहें तो इनको एक शेर सुना दूं तिरछी नजर वाला। 'तिरछी नजरों से ना देखो आशिक-ऐ-दिलगिर को, कैसे तीरंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को।'

बीकानेर यूआईटी के बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं। बीकानेर की यूआईटी में जहां कालोनीज बसी हैं वहां करोड़ों रुपये नीलामी के आपको मिल जाते हैं, लीज मनी मिल जाती है, इजाजत तामीर आदि से भी कुछ आय होती है लेकिन विकास कार्य उसी के अनुरूप नहीं होते। स्कीम से ज्यादा नान स्कीम पर पैसा खर्च होता है। हमारे कहने से, पब्लिक रिप्रजेंटेटिव के कहने से बहुत ही कम काम होता है, होता नहीं है और बड़ी मुश्किल है। ये प्रभारी मंत्रीजी यहां हैं, इनको पूछ लो कि एक सड़क बनाने के लिए साल भर लग गया। युनुस खानजी आपके पास में बैठे हैं, इनकी मेहरबानी समझो या

(श्री गोपाल कृष्ण)

अपनी माननीय मुख्य मंत्रीजी की कि जो वहां पर अभी 26 जनवरी को पधारीं और उसके कारण से युनुस खानजी भी दयालु तभी हुए, नहीं तो नहीं होते, मेरा ऐसा खयाल है। इन्होंने उस समय काफी कुछ लगाया और वो सड़कें बन गईं जिनका साल-दो साल से हम इंतजार कर रहे थे। बीकानेर में तो यह पीडब्ल्यूडी की एक भी सड़क नहीं बनाते हैं और ये कहते हैं कि यह इसके अन्दर है ही नहीं। तो न तो निगम आपका पैसा देता है, न यूआईटी पैसा देती है बीकानेर शहर के अन्दर। मेरा सारा का सारा क्षेत्र शहर के अन्दर आता है, नगर निगम के अन्दर आता है और नगर निगम के पास पैसा नहीं है इसलिए न तो सड़कें नगर निगम बना सकता है और न ही यूआईटी बनाती है। तो कम से कम आप कृपा करके यूआईटी की तरफ से जो यूआईटी का एरिया है उस जगह तो बनायें ना। जो यूआईटी का एरिया है उस जगह भी यूआईटी नहीं बनाती और कहते हैं कि यह तो बीकानेर शहर है। अगर शहर है तो कौनसा गुनाह हो गया? शहर होने से कई स्कीमें जो गांवों में हैं वो नहीं हैं। न यूआईटी काम करता और न ही नगर निगम काम करता है।

खैर, मैं तो आपको निवेदन यही करता हूं कि खुद की बसायी कालोनी के अन्दर भी आप देख लीजिये कि सड़क, नाली, रोड लाइटें, कुछ नहीं बन रही हैं। नालियां वगैरह बनाते नहीं हैं जिससे पानी बिखर कर चारों तरफ चलता है, गन्दा पानी सबके पांवों के लगता है फिर घरों के अन्दर जाता है और उससे बीमारियां फैलती हैं। इसलिए कोई भी सड़क बनायें तो निश्चित रूप से आपका नक्शा नालियों के साथ में बनना बहुत जरूरी है। नालियां अगर नहीं बनाओगे तो सारी की सारी सड़कें जल्दी टूट जाएंगी और गन्दा पानी होगा तो घर के अन्दर लोग-बाग़ पांवों से गन्दगी लेकर जाएंगे। अगर नक्शा पास आप करो तो उसमें मैं समझता हूं कि कम से कम एक बात का खयाल रखना जरूरी है कि आजकल जो अपन जल स्वावलम्बन की बात करते हैं तो घर के अन्दर एक कुण्ड जरूर होना चाहिए। ऐसा नक्शा पास करें, उसके बिना पास नहीं करें। आप जल इकट्ठा करें जरूर। निश्चित रूप से जल कुंड हो, ऐसे नक्शे पास करने चाहिए। मेरा ऐसा आपको यह निवेदन है। वैसे नगर विकास न्यास की तरफ से कालोनी के अन्दर जो सार्वजनिक पार्क है, वह पार्क तो आपने देखे हैं। वहां पर चारों तरफ गंदगी-गंदगी ही पड़ी है। ऐसे ही ये खराब हैं, उनको ठीक करवाइये। चारदीवारी टूट जाती है। आवारा पशु उसके अन्दर चले जाते हैं। वह पहले भी मैंने निवेदन किया था कि जानवरों का जमावड़ा

(श्री गोपाल कृष्ण)

होता है। सीवर लाइन तो नहीं हो रही है, यह मैंने आपसे निवेदन कर ही दिया।

अब न्यास के अन्दर कई बैठकों के अन्दर कई निविदाएं वगैरह पास तो हो जाती हैं लेकिन कई साल के बाद भी उनकी क्रियान्विति नहीं होती है और आर्डर देने के बाद में कभी-कभी वह निरस्त भी कर देते हैं। पहले तो यह होता है कि कई अर्से बाद तक तो आप पास करते हैं, लोगों को उम्मीद हो जाती है, उसके बाद में वह उसको निरस्त कर देते हैं तो गालियां हमको पड़ती है। सारे के सारे लोग कहते हैं कि ये देखो, आप ऐसे आदमी हो, ऐसे रिप्रजेंटेटिव हो, आपका कोई असर नहीं है और ये अभी निरस्त कर दी। तो बड़ी हालत खस्ता रहती है इस कारण से। पब्लिक रिप्रजेंटेटिव की कोई इज्जत रहे, ऐसा काम जरूर होना चाहिए। यह नहीं हो कि कोई काम निरस्त कर दें।

कांग्रेस के राज में ये बैठे हैं। कांग्रेसजी, जरा सुनिये। इन्होंने मुझे यह कहा था कि जब तुम बोलो ना, तो मैं हूं तब बोला करो। क्योंकि पिछली बार मैंने कुछ कोई बात कह दी थी कि ये हमारे रामेश्वरजी हैं। जो यूं खड़े होकर बोलते हो यूं हाथ-पांव हिलाकर के, ये जवान आदमी हैं, मेरे से तो इसलिए हाथ-पांव हिलते नहीं हैं, +++ अब इससे वे चिढ़ गये। चिढ़ने की कोई बात नहीं है और फिर बोलते हैं तो देखो, अधिकतर जब वह बोलते हैं तो +++ असत्य बोलते हैं। यह बात पक्की है। असत्य को असत्य कहते हैं ना तो नाराज हो जाते हैं।

अब बात बड़ी जबरदस्त है। क्यों साहब, आपको याद है ना? मैंने कहा तो आपने कहा कि डिग्गी पर तीन लाख की जगह डेढ़ लाख रुपये कर दिया। मैंने कहा, आप गलत बोलते हो, असत्य है लेकिन आपने कहा, नहीं-नहीं। मैंने कहा, 2.45 लाख रुपये है, ढाई लाख रुपये है तो आपने कहा कि आपको क्या मालूम, आप तो कचौरी बेचने वाले आदमी हो। अब यह है कि आप असत्य भी बोल रहे हो और मुझे कचौरी बेचने वाला भी कह दिया। समझे साहब, और उस पर भी नाराज हो रहे हैं, जब मैंने उस रोज कहा कि यह कैसा बोलते हैं? ''मेरा मुंह, मेरी जुबां, मुझ पर किसी का जोर क्या, शिकवा है बेजा, बेजा है तो बेजा ही सही।'' इनका तो ऐसा है साहब। ये परवाह थोड़े ही करते हैं किसी के बोलने की और मर्जी आये, जैसा बोलते हैं।

अभी एक रोज बीच में किसी से कह दिया, +++ ये पार्लियामेंट्री बात है क्या साहब? +++ यह कहा है इन्होंने। अब और कोई दूसरा कह देता ना तो ये जल्दी से इसका विरोध कर देते।

(श्री गोपाल कृष्ण)

पट्टे जो हैं, उन्होंने नगर विकास न्यास के अन्दर, इतने गलत दिये हैं हजारों-हजारों पट्टे, उसकी हालत यह हुई कि उसमें एसीबी की रेड पड़ गयी और वह उठाकर ले गये। अब जिनको लोन लेना है, घर बनाना है, वह घर भी नहीं बना सकते। जो असली लोग हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा जल्दी कीजिये और ये एसीबी वाला काम निपटाकर, असली पट्टे जिन्होंने लिये हैं, कम से कम उनको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कालोनी बसाने वालों के साथ में नगर विकास न्यास बाह्य विकास के लिए पैसा ले लेते हैं लेकिन बाह्य विकास कुछ भी नहीं होता। आप बता दीजिये अगर होता हो तो। करते नहीं हैं एक टका ही। मैंने यह एक दफा पूछ भी लिया। आपके सैक्रेटरी साहब अभी ये हैं, वे नहीं, वे दूसरे थे। उन्होंने कहा, नहीं हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो यह कौनसा जवाब हुआ? यह तो बड़ी दादागीरी है कि पैसे भी ले लो और बाह्य विकास करो नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके रहते हुए नहीं होगा, ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है। यह आप थोड़ा सा ऐसा कोई आर्डर निकालें कि बाह्य विकास के लिए जो पैसे लिये जायें, उसे वास्तव में बाह्य विकास में काम में लिया जाये। कम से कम यह होना चाहिए।

डीएलसी की रेट के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। डीएलसी की रेट एक साल में कितनी दफा बढ़ाओगे? एक दफा या दो दफा या तीन दफा? साहब, ऐसा है, डीएलसी की रेट जैसे ही होती है ना, उसमें डवलपमेंट चार्जेज आपके ले लेते हैं। विकास के पैसे आप लेते हो, इसलिए डीएलसी की रेट इन्डाइरेक्टली आपसे भी सम्बन्धित है, मैं यह कहता हूं। यह देखिये, डीएलसी की रेट के लिए एक दफा तो बहुत पहले मीटिंग हो गयी। हमने कहा, अभी अप्रैल के अन्दर यहां बढ़ा दी गयी थी, इसलिए आप अभी नहीं बढ़ा सकते हो। वह मीटिंग तो उन्होंने नहीं की। फिर अभी 12 फरवरी को मीटिंग की और उन्होंने दाम बढ़ा दिये। उसका रेट बढ़ा दिया। हमने कहा, एक दफा साल खतम होने दो और अप्रैल में उसको लागू करो। It should be applied in April लेकिन उन्होंने साहब, यह कर दिया कि 12 फरवरी को मीटिंग की और 15 फरवरी से उसको लागू कर दिया। अब आप देखिये, यह कोई बात हुई। ऐसा है, यह वित्त का मामला है और वित्त के अन्दर आप भी शामिल हैं इसलिए इसको आप भी देखिये। इस ढंग की कोई बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि पैसा अल्टीमेटली जनता का है। फिर एक नोटिफिकेशन आपने निकाला कि 31 तारीख तक अगर किसी दिन मीटिंग नहीं की तो 10 परसेंट वैसे ही बढ़

(श्री गोपाल कृष्ण)

जायेंगे। जब अपने बजट के अन्दर घोषणा कर दी कि डीएलसी की रेट नहीं बढ़ेगी तो फिर इस ढंग का नोटिफिकेशन निकालना, यह तो ठीक नहीं है वैसे, उचित नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मीटिंग हो चाहे नहीं हो, यह गलती किसी दूसरे लोगों की नहीं है जिस पर यह 10 परसेंट लगता है, इसलिए इसको यह नहीं लगना चाहिए।

नगर निगम के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपसे करूंगा। मुख्य बाजारों के अन्दर अतिक्रमण इतना ज्यादा हो गया है, सड़क, फुटपाथ। फुटपाथ के बाद सड़क। उस पर अतिक्रमण। फिर मोटरबाइक्स वगैरह लगा देते हैं तो रास्ते छोटे हो गये। रास्ते छोटे हो गये, चलना मुश्किल हो गया और इसको न तो नगर निगम हटाता है, न यूआईटी वाले हटाते हैं, अतिक्रमण को हटाते नहीं है। दूसरा, इसके अन्दर यह है कि जो भी माल बनते हैं, होटल बनते हैं या कोई बड़ी धर्मशाला बनती है तो उसके लिए कोई नक्शा पास नहीं होता है। बिना नक्शा पास हुए ही वह बनाते रहते हैं। न तो पार्किंग की व्यवस्था है। पार्किंग की व्यवस्था उनके अन्दर नहीं है और बालकनी और निकाल लेते हैं। इस ढंग से नाजायज वाले तो बना लो और छोटा आदमी अगर कोई घर बनायेगा ना तो उसको दूसरे दिन ही तोड़ देंगे। बड़े वालों को कभी नहीं तोड़ेंगे। इसका थोड़ा सा खयाल रखना चाहिए। बड़े लोगों को, सबको एक साथ होना चाहिए। नगर निगम के अन्दर एक दुविधा तो हुई थी कि नगर निगम बाई-लाज बना सकती है कि नहीं बना सकती है? इस पर तो आपके डाइरेक्टर साहब ने एक दफा तो कह दिया, जब यूआईटी के अन्दर नियम बने हुए हैं तो आप अपने आप क्यों बनाते हो? यह 1.10.2015 को आपके डाइरेक्टर साहब की चिट्ठी वहां पहुंची, 1.10.2015 से लेकर 2.2.2016 तक जब उन्होंने बाद में क्लियरेंस दी। यह देखिये और यह संविधान में संशोधन किया है चैप्टर 9(ए) के अन्दर, 74वां संविधान संशोधन है उसका और उसके द्वारा आपके आर्टिकल 243-डब्ल्यू और जिसमें शिड्यूल-12 में एक लिस्ट पूरी दी हुई है कि इन-इनके लिए आप बाई-लॉज बना सकते हो और नम्बर (2) के अनुसार Regulation of Land use and construction of Buildings, Section 340, Rajasthan Municipalities Act, 2009 के अनुसार बाई-लाज बनाने की पावर हैं। उस पावर के साथ में झंझट यह हुआ, तब तक यह 1.10.2015 से 2.2.2016 तक सारा काम हैल्ड-अप होता रहा। तो इस ढंग की दुविधा, आपस के अन्दर किस ढंग से हुई?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इनसे थोड़ा सा निवेदन यह करना

(श्री गोपाल कृष्ण)

चाहता हूं कि मैं भी कभी म्युनिसिपल कौंसिल का चेयरमैन रहा हुआ हूं। उस समय सारे आफिस का कस्टोडियन चेयरमैन हुआ करता था। अभी आयुक्त होते हैं। आयुक्त और मेयर की अगर नहीं बन रही है ना तो यह बड़ी मुश्किल होती है। इसको थोड़ा देखिये। मेयर को कुछ पावरफुल बनाइये। पब्लिक रिप्रजेंटेटिव को कमजोर मत बनाइये और इस कारण से कभी-कभी ऐसा आपस में झगड़ा होता है तो वह काम कभी पूरा नहीं होता और उसमें कन्फ्यूज्ड रहता है। कन्फ्यूज्ड इस ढंग से है, हैल्ड-अप रहता है काम, काम नहीं हो सकता है। यह ठीक है या यह ठीक है, ये ठीक कर सकते हैं। इनके पावर है, नहीं पावर है। मेयर कहता है, मेरे पास पावर है। ये इस ढंग की बात होती है तो मैं यह कहता हूं, मेरा निवेदन यह है कि पब्लिक रिप्रजेंटेटिव को मजबूत करना जरूरी होता है। (व्यवधान) निगम एक निर्वाचित संस्था है तथा इसको संविधान के द्वारा यह बनाने की शक्तियां दी हुई हैं। यातायात की समस्या भी...

श्री उपाध्यक्ष: 20 मिनट हो गये हैं आपको। तीन मिनट में आप कनक्लूड करिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): यातायात की समस्या भी आपसे रिलेटेड है नगर निगम और इसके लिए।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं। कोई व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): ठीक है साहब। आपने मुझे टाइम दिया और मैंने कुछ निवेदन किया तो मंत्री महोदय उसका खयाल रखेंगे और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने इनके बीच में नहीं बोला है लेकिन एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्य ने वृद्धावस्था के कारण से कुछ ऐसे शब्द कह दिए हैं जो असंसदीय हैं। नेता महोदय के लिए यह कह दिया कि वो +++ तो वो शब्द हटाए जाएं। क्योंकि ये असंसदीय हैं, आपको कहूं क्या +++ वो भी असंसदीय है।

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रकार के कोई शब्द हों तो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ हाथ पैर हिला दे, नेता महोदय के लिए अगर ये कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनसे तो सहमति है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नेता प्रतिपक्ष ने इनको कचौरी बेचने वाला कह दिया। छोटू मोटू जोशी, उपाध्यक्ष महोदय, आपने नाम सुना होगा। आज माननीय सदस्य को कचौरी बेचने वाला बता दिया तो वह भी असंसदीय हो गया ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं बेच रहे हैं क्या? कह दो, नहीं बेच रहे हैं।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): नहीं, तो ये हाथ पांव नहीं हिलाते हैं क्या? यही मैंने कहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उन वाली होटल उन्हीं के नाम करवा दो ना ...(व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): इसमें क्या बुरा कह दिया? देखिए, डैरोगेटरी या डिफेमेटरी कोई बात नहीं कही है। न तो डैरोगेटरी या डिफेमेटरी कोई बात नहीं कही गयी है। हाथ पांव हिलाने के कह दिया तो इसमें क्या खराब है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सुनिए, राठौड़ साहब। ये मेरे आदरणीय हैं, बुजुर्ग हमारे नेता हैं। मैंने उस दिन यह कहा था। मैंने कहा, गोपालजी, आपको डिग्गी के बारे में पता नहीं है। आपको रसगुल्ले और कचौरी का पता हो सकता है, मैंने यह कहा। आपने जो कहा कि आप जाकर के कचौरी बेचो, मैंने यह नहीं कहा था और यदि मैंने ऐसा कहा है ...(व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): नहीं, नहीं, मुझे क्यों नहीं पता, आप यह बताइए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आज ये राजस्थान की शान हैं, इनके रसगुल्ले और इनकी कचौरी पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, यह गर्व की बात है। ये तो गर्व से कहते हैं, कचौरी बेचता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): गर्व की बात है तो उसमें कहां दिक्कत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आज, उपाध्यक्ष महोदय, एक गली में बैठा है कचौरी बेचने वाला।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मेरे को डिग्गी के बारे में क्यों नहीं पता और आप कचौरी बेचने वाला कहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, मेरे को भले ही कह दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक गली के नुक्कड़ पर बैठा कचौरी बेचने वाला, वह अपनी मेहनत से कमाकर खाता है। आपने राजस्थान के हज़ारों कचौरी बेचने वालों का अपमान किया है। आपने उनकी आत्मा पर चोट की है। आप जाओगे ना अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जब पूछेंगे वो। अपने शब्द वापिस लीजिए आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो असंसदीय हैं उनको, उपाध्यक्ष महोदय, आप हटा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे भी मैं आप सबसे निवेदन कर दूं, ऐसा कोई शब्द जो असंसदीय है या मर्यादित नहीं है वो अपलिखित हो जाता है अपने आप। श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहेदिल से आपका शुक्रगुजार हूं आपने मुझे आज थोड़ा-सा पहले बोलने का समय प्रदान किया, बहुत धन्यवाद देता हूं। आज एक संयोग ऐसा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आज शहरी मंत्री महोदय, और ग्रामीण विकास मंत्री महोदय, शहर के मालिक और गांव के मालिक ऐसा गंगा जमना का संगम है...

श्री उपाध्यक्ष: उनका ग्रामीण विकास का सिर्फ कम्पनसेशन तक ही सीमित है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ठीक बात है, बिलकुल। हर तरीके की चर्चा ग्रामीण विकास पर पहले हो चुकी है। लेकिन संगम में शायद दोनों ही मंत्री महोदय इस वक्त, अब एक तो पधार गये हैं तो इस पर बात कहने के लिए मेरे को यह सुअवसर मिला है। मैं आज उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। मेरे कई साथियों ने मुझे एक सलाह और दी है। उन्होंने यह कहा कि आप बड़े ग़ुस्से में बोलते हैं तो मैं आज निवेदन करता हूं कि मैं ग़ुस्से में नहीं बोलता हूं। मैं भावुक हो जाता हूं उन पीड़ाओं को लेकर के जिन्हें मैं उठाना चाहता हूं और आज उतनी उत्तेजना भी नहीं लाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे आज शुरूआत ठीक-ठाक हो गयी थी इस बहस की।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, मैं रिंग रोड की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं उस पर बहुत लम्बी चर्चा कर चुका हूं। मैं लैंड एक्विजिशन के बारे में बहुत विस्तार से बोल चुका हूं, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि समय

(श्री नवीन पिलानिया)

सीमित है लेकिन मेरे यहां 50 ग्राम पंचायतें हैं, 193 गांव हैं, 43 पंचायतें जेडीए रीजन में आती हैं और तकरीबन 155-160 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र के जेडीए रीजन में आते हैं। जब जेडीए रीजन में आये तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी गो-चर, जितनी चरागाह, जितनी सिवायचक भूमि थी इन गांवों की और इन पंचायतों की वो समस्त जेडीए के अधिकार में आ गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 2001 से लेकर 2011 की जो डिकेडल ग्रोथ रेट आई जयपुर जिले की वह सम्पूर्ण 25 के लगभग थी और ग्रामीण की जो आई वह 18.65 थी। मेरे पास केवल मेरी तहसील का अलग से आंकड़ा नहीं था इसलिए वह मैं बोल नहीं सकता। इसी तरीके से अगर देखें 1991 से लेकर 2011 तक का अगर हम दो डिकेड्स की बात करें तो तकरीबन-तकरीबन 37-38 परसेंट ग्रामीण आबादी में विस्तार हो गया है। अब दुविधा यह है कि हमारे गांव जो जेडीए में आ गए उनके पास आबादी भूमि जो बीस साल पहले अलाट हुई थी, बीस साल में कोई आबादी विस्तार नहीं हुआ, किसी भी गांव को एक बीघा जमीन भी आबादी विस्तार के लिए नहीं दी गयी है बीस साल में। यह तो मैं 2011 तक की बता रहा हूं और आज 2016 चल रहा है, 25 years have passed. स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल निवेदन करना चाहता हूं इस बात को समझिएगा कि आप किसी भी तरीके से किसी भी गांव में सड़क पहुंचा सकते हैं। आप किसी भी गांव में बिजली ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। आपको पानी लाना है आप बीसलपुर से ला सकते हैं, आप यमुना से ला सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जहां जमीन का सवाल है जमीन आप पैदा नहीं कर सकते। वो एक लिमिटेड रिसोर्स है वह खतम हो गया, जो आबादी थी, 25 साल से अलाटमेंट नहीं हुआ। अब परिस्थिति यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो 37 परसेंट से ज्यादा ग्रामीण आबादी बढ़ी हैं वो रहेगी तो सही ना? रह तो रही है और वह गोचर और चरागाह में रह रही है। कोई तरीका ही नहीं है उनके पास।

अब ग्रामीण मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, शहरी मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, मैंने पिछले दफा भी निवेदन किया था इसका कोई न कोई तो हल निकलेगा। अभी अलवर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत भावुकता में अख़बार के दृश्य दिखाये थे, जो तोड़ दिए गए मकान, अन-आथोराइज थे या जो भी थे। हमारा दुर्भाग्य तो यह है कि ऐसे दृश्य जयपुर महानगर के तो सुर्खियों में आ जाते हैं लेकिन मेरे गांव में जब जाकर के

(श्री नवीन पिलानिया)

गोचर से उनके मकानों को तोड़ा जाता है, पचास-पचास साल से वो रह रहे हैं। राशन कार्ड उनके पास हैं, बिजली के कनेक्शन उनके पास हैं, वोटर आईडी उनके पास हैं, सब कुछ उनके पास हैं, भामाशाह बना हुआ है तो वो कभी सुर्खियों में नहीं आते हैं। उनका कसूर बताइए? आप एक दफा आबादी विस्तार के लिए जमीन तो दीजिएगा। पंचायत उनको पट्टे देगी उसके बाद में अगर कोई गोचर सिवाय चक चरागाह पर अतिक्रमण करे तो मैं साथ चलता हूं पहले तोड़ो। उनको मौका ही नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई तरीका ही नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर के विनती करता हूं, मैं इनसे आपके विभाग को दिलाने की बात कर रहा हूं। लेकिन कोई तरीका तो निकलेगा। जो जेडीए का एक्ट है, उपाध्यक्ष महोदय, जेडीए एक्ट 1992 शिड्यूल-। में समस्त गांव दिए हुए हैं, शिड्यूल-। जैसे ही खतम होता है उसके बाद में ये पंक्ति दी हुई है ''उक्त क्षेत्रों में उपलब्ध राजकीय भूमि में से 70 प्रतिशत भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण को, 20 प्रतिशत भूमि राजस्थान आवासन मण्डल को तथा शेष 30 प्रतिशत भूमि अन्य राजकीय प्रयोजनार्थ के लिए भविष्य हेतु आरक्षित रखी जाएगी।''

जेडीए का है। जो शेष बची हुई, चली गयी जेडीए में, उक्त क्षेत्र, इससे ऊपर गांव हैं शिड्यूल में लिखे हुए मेरे गांव मैं तो सिर्फ इतना सा निवेदन करता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, ये जो तीस प्रतिशत भूमि अन्य राजकीय प्रयोजनार्थ भविष्य हेतु आरक्षित की जायेगी, इसमें से जो पंचायतों को आबादी विस्तार के लिए भूमि देनी जरूरी है वो राजकीय प्रयोजनार्थ। मेरे यहां माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे एक स्थिति और पैदा हो गयी है कि किसी भी डवलपमेंट वर्क के लिए चाहे एमपी लैंड का हो, चाहे एमएलए लैंड का हो, क्योंकि किसी भी गांव के लिए हम कोई भी डवलपमेंट वर्क दें, भूमि नहीं है। There is no land available. आबादी लैंड तो खतम हो गयी है बाकी लैंड के लिए जेडीए की एनओसी चाहिए।

सरकारी पैसा है, एमपी लैंड का पैसा है, एमएलए लैंड का पैसा है वो चाहे सामुदायिक भवन के लिए हो, सभा भवन के लिए हो, स्कूल की चारदीवारी के लिए हो, श्मशान की चारदीवारी के लिए, अभी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत मैंने बीडीओ साहब से चर्चा की, मैंने एईएन साहब से चर्चा की कि मैं यह चाहता हूं कि मेरे इलाके में आने वाले समय में

(श्री नवीन पिलानिया)

पेयजल की विकट समस्या होने वाली है because water level is going. तो मैंने कहा कि मैं एमएलए फंड से कई गांवों में जहां समस्या है वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अण्डर ग्राउंड टांके बनवाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि साहब, ठीक है आप कर तो सकते हो। मैंने कहा कि मैं पैसा दे सकता हूं, बिलकुल दे सकते हो, लेकिन आप बनाओगे कहां। बनाना तो आपको गोचर या चरागाह में पड़ेगा, वो हम अलाउ नहीं कर सकते। उसके लिए केवल एनओसी चाहिए, माननीय मंत्री महोदय, वो जमीन अलाट नहीं कर रहे हैं आप। आज एमपी लैंड, एमएलए लैंड से एक सामुदायिक भवन बनना है वो हम बना नहीं सकते। मेरे पास पैंडिंग है अभी। ताजा आंकड़ा है माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय, ये तो केवल आठ काम बता रहा हूं जो 36 लाख 50 हजार के हैं। आमेर कांस्टीट्यूएन्सी है और वो 2013 से अभी तक पैंडिंग है, क्योंकि एनओसी नहीं मिल सकती, तो कम से कम इतना तो गौर करें कि उसमें आप जमीन आबंटन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पंचायत को बनाना हो, चाहे एमएलए लैंड से बनाना हो, चाहे एमपी लैंड से बनाना हो atleast JDA should issue an NOC for that work. वो सरकारी जमीन है सरकार का पैसा उस योजना में लग रहा है वर्ना तो हम कुछ भी नहीं कर पायेंगे, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप माननीय मंत्री महोदय, दो साल के मेरे आमेर के आंकड़े उठाकर के देखियेगा, पंचायती राज विभाग में कितने काम हुए आपको उससे पता लगेगा। तो मेरा यह निवेदन है क्योंकि इस फोरम पर अगर मैं नहीं उठा पाऊंगा, पिछले साल भी मैंने उठाया, दो साल तो हमारे निकल गये, कुछ न कुछ तो हल निकलना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में दूसरा बार-बार जिक्र आया है स्वयं मुख्यमंत्री महोदया जिक्र कर चुकी हैं, खेल मंत्री महोदय ने अभी कुछ दिन पहले जिक्र किया था खेल मैदान। हर पंचायत में हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए खेल मैदान हो। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आप एनओसी नहीं दें, जब तक आप जमीन अलाट नहीं करें। इसी तरीके से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौशाला, इतनी जबरदस्त समस्या है हर पंचायत पर एक गौशाला होनी आवश्यक है। गोचर में से वो गायों के लिए थी वो पुश्तैनी तौर पर वह जमीन pasture land for cattle. उसके लिए आपको एनओसी देने में पांच बीघा, दस बीघा हर पंचायत को क्या परेशानी आ रही है? वो तो सरकार के पास ही है, लेकिन कम से कम यह तो करें कि हर

(श्री नवीन पिलानिया)

पंचायत में गौशाला बन जाए। अभी एक उदाहरण देता हूं माननीय मंत्री महोदय, रोजदा पंचायत है मेरे यहां, आपने मूर्तिनगर बनाया, सौ-डेढ़ सौ बीघा में आपने मूर्तिनगर बना दिया। पुरानी गौशाला लाखों रुपये गांव वालों के लगे हुए हैं, बनी हुई पड़ी है, चल रही है। जेडीए में एप्लाई कर दिया, एनओसी नहीं मिल सकती। कम से कम एनओसी दीजिये जिससे माननीय मंत्रीजी, उनके चारे की व्यवस्था हो जाएगी। जब तक वो जमीन नहीं हो तब तक वो कुछ कर नहीं सकते। यह स्थिति मेरी हर पंचायत में है, बड़ा दु:ख का विषय है और इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। आज तो संयोग मैं बता रहा हूं ऐसा गंगा-जमना का संयोग नहीं हो सकता जब दोनों मंत्री बैठे हुए हैं और मेरी तो दोनों से गुजारिश है कि इसका कुछ हल जरूर निकालियेगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप मेरे से क्या चाहते हैं?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं यह चाहता हूं कि मेरी जो पंचायतें हैं जिन 43 पंचायतों का मैंने जिक्र किया है वहां सरपंच भी हैं और वार्ड पंच भी हैं उनके पास एक इंच जमीन बची हुई नहीं है, माननीय मंत्री महोदय। अभी भी अगर आप इस बात को समझ नहीं पाये हैं, आबादी की जमीन आपके अण्डर आती है और जो डवलपमेंट के काम करने हैं, मैंने तो एक उदाहरण ही दिया था। यही बोल रहा हूं कि बनाये कहां, जब तक एनओसी नहीं मिलेगी जेडीए से, मेरे यहां विचित्र स्थिति है वो बता रहा हूं बाकी की जो पंचायतें जेडीए में नहीं आयी हुई हैं, सात जो बच गयी हैं उनमें यह समस्या नहीं है, उसको समझने की कोशिश करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले साल एक जिक्र किया था। मैं उसकी गहराई में बिलकुल नहीं जाऊंगा पिछले साल मैं विस्तार से उठा चुका था। मैंने मेरे इलाके अचरोल में जो गोल्फ कोर्स की बात बताई थी, पिछली दफा मैंने सारा खुलासा कर दिया था और मैंने चिन्ता जाहिर की थी उस वक्त। मुझे बड़ा अचम्भा है इस वक्त यह स्थिति है कि दिल्ली रोड पर जिस गोल्फ कोर्स के सपने को जेडीए और सरकार की बड़ी शिद्दत से तैयार किया गया था उसे पीपीपी मोड पर चलाने के लिए आर्थिक शर्तों में बार-बार शिथिलता दी जा रही है। हद तो अब हो गयी है जब तीसरी दफा, जरा सुनियेगा ध्यान से, हद तो अब हो गयी है जब तीसरी दफे सरकार ने बड़ी रियायत देते हुए सौ करोड़ रुपये तक की रियायत, हण्ड्रेड करोड़ की रियायत

(श्री नवीन पिलानिया)

for a project. क्या बोल सकता हूं मैं, जरूरत क्या पड़ रही है उसको करने की? मैं तो सिर्फ इतना सा ही निवेदन कर रहा हूं, I am just concluding but ये हालात हैं मेरे यहां। मेरे यहां एकान्त विहार स्कीम आप लाये। सब खाली पड़ा हुआ है, There is no one. कुछ है ही नहीं उसमें और सौ करोड़ की रियायत देना किसी प्रोजेक्ट के लिए, इससे अच्छा तो वह पड़ी रह जाएगी, सरकार की जमीन है सरकार के पास तो पड़ी हुई है वर्ना इस गोल्फ के खेल में खेल हो जाएगा और ओने-पोने दामों में यह चली जाएगी।

मैं कन्क्लूड करने से पहले सिर्फ इतना सा और सिर्फ एक मिनट के लिए मैं माननीय पंचायती राज महोदय, मेरे क्षेत्र का सिर्फ उदाहरण ही दे रहा हूं और किसी चीज पर नहीं जा रहा हूं। मेरे यहां एमपी और एमएलए लैड के मार्च, 2014 से पहले की जो ए.एस. निकली हुई थी, 123 काम 4 करोड़ 48 लाख 90 हजार की, दो साल गुजर जाने के बाद में भी उनकी एफ.एस. नहीं निकली हैं, आप चैक करवाइयेगा। इमेजिन करिये 2 years have passed. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना सा आपको एक और उदाहरण देता हूं कि सरकार कहां चल रही है और धरातल पर क्या हो रहा है। मैंने पेन्शन के आंकड़े, विधान सभा में प्रश्न लगाया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर में वृद्धावस्था पेन्शन कितनी दी जा रही है। जवाब आया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा इंट्रेस्टिंग जवाब। मेरे यहां फीगर आया 18005 और उसकी जो सूची आयी उसमें 22 गांवों में जीरो पेन्शन। मतलब 22 गांवों में एक भी वृद्ध व्यक्ति नहीं है, 55 साल से बड़ी स्त्री और 58 साल से बुजुर्ग आदमी नहीं है 22 गांवों में जीरो, 11 गांवों में केवल एक। मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूं मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं। इन सब चीजों में कुछ थोड़ा बहुत सुधार करने की जरूरत है और कृपा करके मेरी किसी बात को अन्यथा नहीं लें। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस ओर लाना चाहता था। मेरी जो समस्या थी वो बताना चाहता था। बहुत मेहरबानी आपने जो मुझे समय प्रदान किया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पब्बाराम।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि जयपुर और आसपास के क्षेत्र में यह दर्द का समन्दर हिलोरे ले रहा है और सीमा पर रहने हम लोगों को कोई दर्द ही ना हो, हमारा समय भी सीमा पर आता है उस समय में भी कटौती हो जाती है और हम हमारी अभिव्यक्ति भी

(श्री पब्बाराम)
नहीं दे पाते। महोदय, आप उदार बनें, आप कृपया मुझे भी 20-25 मिनट का समय दे देना, मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: कितना समय चाहिये आपको 20 या 25 ?

श्री पब्बाराम (फलौदी): 20 से 25 और आप कहेंगे उसी समय मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, अब से आपको 20 मिनट दिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 29 और 49 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, 2 अक्टूबर, 1959 से पूर्व जो पंचायतों की व्यवस्था थी वह विकेन्द्रीकृत सत्ता नहीं थी। जैसे गांव का सरपंच हुआ करता था वैसे ही तहसील का सरपंच हुआ करता था और तहसील भी बहुत बड़ी-बड़ी होती थी, पांच-पांच पंचायत समितियां समा जाती इतनी बड़ी, यानी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं था, आम लोगों तक सत्ता नहीं पहुंची इसी सोच के साथ तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में पंचायती राज की स्थापना की। हम भाग्यशाली हैं कि यह राजस्थान से ही शुरू हुआ। उसके बाद नागौर जहां पर पंडित नेहरू ने एक स्वप्न देखा था कि आम लोगों तक यह सत्ता पहुंचे, उन्हीं की पार्टी के लोग उनकी भावना के अनुरूप काम नहीं कर पाये और उसी नागौर जिले से उनका एक भी सदस्य विधान सभा में नहीं आ पाया। समझ सकते हो कि सम्माननीय, उनके सपनों के ऊपर यह पार्टी कितनी सही उतर पाई है, इसका पता चलता है। इसी बात को लेकर सम्माननीय भैरोंसिंहजी हमारे पूर्व मुख्य मंत्री ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण को, पंचायती राज की आत्मा को समझा। उन्होंने सर्वहारा वर्ग तक यह शक्ति और ताकत पहुंचाने का प्रयास किया और उन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया, जैसे एससी को, एसटी को रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। उन वर्गों तक यह सत्ता पहुंची और वार्ड पंच स्तर तक पहुंची। हमारी सम्माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने, साक्षरता, साक्षरता कर रहे थे परन्तु कुछ इंसपाइरेशन हम दे नहीं पा रहे थे, इंसपाइरेशन देने के लिये हमारे जन प्रतिनिधियों के लिये दसवीं और आठवीं पास का जो निर्णय लिया, इसमें मेरे कांग्रेस के साथी बहुत घोर विरोध कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि अनपढ़ता के अन्दर ही उनका वोट बैंक है और इसलिए यह विरोध भी कर रहे थे। इससे एक इंसपाइरेशन मिलेगा लोगों को शिक्षा हासिल करने का।

(श्री पब्बाराम)

सम्माननीय नरेन्द्रजी मोदी हमारे प्रधान मंत्रीजी ने स्वच्छ भारत मिशन किया, उसको देखते हुए हर चयनित प्रतिनिधि है उसके शौचालय भी होना चाहिये, यह दिया ताकि लोगों को इंसपाइरेशन मिले। पंचायती राज के बारे में ज्यादा चर्चा हो चुकी है, मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, मैं नगरीय विकास पर बात करूंगा। परन्तु मेरी दो मांगे हैं कि जो दोनों पुनर्गठन किये वह दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुए हैं और नई पंचायत समितियां जो अभी बनी हैं, तत्कालीन पंचायती राज मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में, वसुंधराजी के निर्देशानुसार दो-दो बार प्रयास करके पंचायत समिति और पंचायतों का पुनर्गठन किया है। इसमें पंचायत समिति का भवन और वाहन की स्थिति ठीक नहीं है, भवन बिलकुल नहीं है, कृपया भवन के लिये और वाहन के लिये बजट जारी करायें। इसी प्रकार से नई पंचायतों के भवनों के लिये भी बजट जारी करायें, ऐसा मेरा माननीय पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन है।

अब मैं मेरे उस शहर की तरफ आता हूं जहां से मैं चुन कर आता हूं फलौदी शहर। तपते थार के बीच वह शहर विद्यमान है जहां पर 50 से 55 डिग्री का तापमान रहता है। सर्दियों में इतनी ठिठुरन होती है, हाड़ कंपाऊ सर्दी, आपको पता है कि फलौदी और चूरू में सबसे कम तापमान माइनस डिग्री में चला जाता है। जब अकाल पड़ता है सात वर्षों में पांच हमारे बहुत भयंकर अकाल पड़ते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में विद्यमान शहर। ऐसा शहर जो 1915 में नगरपालिका बना। इतने कितने शहर होंगे जो 1915 में नगर पालिका बने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर और फलौदी शहर एक साथ में गजट नोटिफिकेशन के द्वारा नगरपालिकाएं बनाई गयीं 1915 में। उस समय हमारा शहर बहुत समृद्ध हुआ करता था और उसकी गवाही वहां पर कलात्मक हवेलियां और जो अच्छे-अच्छे मकान हैं, वह अभी दे रहे हैं। इसका कारण था कि व्यापार का केन्द्र फलौदी हुआ करता था। कारण यह है कि सिंध प्रांत से हुआ करता था, वह जोधपुर से भी समृद्ध हुआ करता था परन्तु कालांतर में वहां पर 10-15 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हुए जिनका नाम लूंगा तो ज्यादा समय होगा। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले भी इस शहर में अनेक हुए जिसमें अंतिम गोपालदास पुरोहित। उन्होंने अभी देवलोक गमन किया, वह हमारे अंतिम स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वप्न देखा था कि इस देश के आजाद होने के बाद भारत का भविष्य कैसा होगा और इस शहर का वजूद कैसा रहेगा, शहर के बारे में उन्होंने कल्पना की थी। परन्तु देश

(श्री पब्बाराम)

के विभाजन की लकीरें खिंचने के साथ-साथ हमारे फलौदी के भाग्य में काली लकीर खिंच गयी और जो सिंध प्रांत से हमारा व्यापार होता था वह व्यापार पुनः भारत से होने लगा। विभाजन के साथ में न सिर्फ भारत को नुकसान हुआ परन्तु फलौदी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वह यह हुआ कि व्यापार का केन्द्र जोधपुर हो गया। जोधपुर आज महानगर बन गया, एक साथ में नगरपालिका बने हुए, दूसरा बड़ा महानगर और फलौदी वहां पर अपने अस्तित्व से संघर्ष कर रहा है। इसमें क्या हमारा दायित्व नहीं है कि जिन नगरपालिकाओं ने सौ वर्ष पूरे कर लिये उनके लिये कोई विशेष पैकेज करके उनके विकास की कोई योजना बनाई जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अनेक शक्तिपीठ स्थापित हैं। इसके बीचोंबीच लठियालजी का मंदिर है, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी बहुत आस्था रखती है और जब कभी वहां जाती हैं वहां पर दर्शन करने जाती हैं। उसी प्रकार से पास में लोक देवता समरसता के प्रतीक बाबा रामदेवजी का मंदिर स्थित है, रामदेवरा। पूरा का पूरा फलौदी उसका प्रवेश द्वार है और लगभग प्रतिवर्ष 30 लाख लोग वहां से गुजर के जाते हैं। जांबोजी का तीर्थ स्थल है, वहां पर भी प्रतिवर्ष 10 लाख लोग आते हैं, दो मेले लगते हैं। इसी प्रकार पाबूजी का स्थान भी वहां है, लोक देवता पाबूजी जिन्होंने गायों के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मां करणीजी का जन्म स्थल भी वहां है। इसी प्रकार से हडबू जी का स्थान भी वहां पर है। चारों तरफ शक्ति पीठ हैं और वहां पर खूब तीर्थ यात्री आते हैं। शहर में से जब निकलते हैं तो सीवरेज का पड़ा पानी तालाब की तरह पड़ा पानी जब दुर्गंध मारता है तो लोग अपने नाक पर रूमाल रखकर आगे निकल जाते हैं। उस शहर के पास में दुनिया में साइबेरिया से डोमिशियल क्रेन जो भारतवर्ष में आते हैं, हजारों मील दूरी तय करके जैसे उनके दिमाग में कोई कम्पास लगा हो सीधा खीचन ही आकर उतरते हैं। खीचन के आसपास में 5-7 तालाब हैं, सिस्टर पौंड है, वहां पर जाकर अपना डेरा डालते हैं।

और शाम को जिस समय वो उड़ते हैं तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां... आपने देखा होगा कुरजां को उड़ता तीर का आकार बना देते हैं। कभी गोलाकार आकार बना देते हैं। शाम के समय इस प्रकार मनोहारी दृश्य बनता है, वो कुरजां पक्षी आकाश में कलरव करते हैं

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कौनसी डिमांड पर चर्चा चल रही है? कौनसी डिमांड पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं थोड़ा बता दें, ज्ञानवर्धन के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): इसकी महता प्रकट करते हुए मैं मेरी मांग रखना चाहता हूं माननीय डोटासराजी। यानी कि इस तरह से दृश्य प्रस्तुत होता है और उस दृश्य के बीच में जब वो पक्षी फलौदी शहर की तरफ उड़ान भरते हैं तो प्रदूषित हवा के कारण वहां से कन्नी काटकर दूर भाग जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे खयाल में दोनों सीनियर मंत्री आपस में चर्चा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक बार और कहिए जोर से।

श्री पब्बाराम (फलौदी): हम सीमा पर रहने वाले लोग हैं कौन सुनता है इनकी बात? सदन भी कम ही सुनता है, माननीय मंत्रीजी भी कम ही सुनते हैं। आप भी पधारे थे वहां पर और पधारे थे सौ साल पूरे होने के बाद में। शताब्दी समारोह मनाने के लिए गये थे। आपके सामने हमने दर्द अभिव्यक्त किया था कि पूर्व सरकार ने हमेशा अपनी अंतिम इच्छाएं व्यक्त की हैं और अंतिम इच्छा के तहत उन्होंने सीवरेज की भी स्वीकृति प्रदान की थी। हमेशा अंतिम इच्छा है और उस अंतिम इच्छा से हम भी प्रभावित हुए हैं। ठेकों के अन्दर कुछ घोटाला हुआ तो इसके चलते वो ठेके निरस्त किए गए। बाद में केन्द्र ने वो सीवरेज स्कीम ही बंद कर दी और हमारा शहर सीवरेज प्लांट से वंचित रह गया।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब यह पूरा का पूरा फलौदी इतने महत्व का शहर है, यह गंदे पानी के समुद्र के ऊपर तैर रहा है। माननीय मंत्री महोदय, अगर दो फुट जमीन खोदोगे तो नीचे गंदा पानी, दुर्गंध मारता पानी मिलेगा। आप कभी अन्दर जाकर देखिए कि क्या हालत है इसकी? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी कोई एक योजना आई हुई है, जिसमें पचास हजार से अधिक की आबादी वाले शहर को कोई प्लान के तहत आप ले रहे हैं और उसके अन्दर सीवरेज प्लान दे रहे हैं। परन्तु हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमारे शहर की जब जनगणना हुई उस समय आबादी 49 हजार 908 थी यानी 92 की संख्या के खेल में यह फलौदी हार रहा है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सिर्फ 92 की कमी के कारण 50 हजार की संख्या में नहीं आ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रेस से भी तो पास करते हैं। छात्र अगर फेल होने की स्थिति में होता है कुछ ग्रेस

(श्री पब्बाराम)

नंबर देते हैं, 50 हजार में अगर 92 जोड़कर यहां से प्रस्तावित करके केन्द्र से अगर सीवरेज प्लान के लिए मंगवा लें तो बड़ी मेहरबानी होगी और यह सीवरेज वहां की बहुत बड़ी आवश्यकता है माननीय महोदय।

वहां पर सोलर हब है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर हब वहां है लाखों, करोड़ों का निवेश हो रहा है। वहां पर दो-दो नेशनल हाइवेज हैं, वहां पर दो-दो मेगा हाइवेज हैं, वहां पर रेलवे का जंक्शन है। इस तरह इतनी महत्व की जगह है और जहां पर अनेकों-लाखों लोग हैं, उसको वहां की आबादी से मत जोड़िए। जहां पर तीर्थ यात्री आते हैं, लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। इस स्थिति को देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें यह सीवरेज लाइन की सौगात दीजिए। माननीय मंत्री महोदय, आप पधारे हैं और वहां पधाकर, सौ वर्ष के शताब्दी समारोह में जाकर आप कुछ देकर नहीं आए। कुछ न कुछ कच्ची बस्तियों को ही दे जाते तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप हमको कम-से-कम इस बजट के दौरान हमारी कच्ची बस्तियों को ठीक करने के लिए, उसके लिए कोई योजना बनाकर कुछ देंगे और इस सीवरेज को आप स्वीकृति प्रदान करायेंगे। इसी प्रकार से एक बात मैं पूरी कहकर... मेरे खयाल से मैं 20 मिनट से ज्यादा नहीं बोल नहीं पाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे तो अभी आपके पास पांच मिनट और हैं।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अच्छा पांच मिनट और हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज सीवरेज लेकर ही छोड़ना...(व्यवधान)

श्री पब्बाराम (फलौदी): हां। इसलिए जरूरी है यहां पर सीवरेज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो पर्यटन से जुड़े हुए हो, होटलिंग का व्यवसाय है। ऐसी जगह जो कुरजां स्थल है, वहां पर लोग आना-जाना चाहते हैं। बाहर के लोग भी आते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पब्बारामजी थोड़ी कुरजां साहब के यहां के भेज दो ना।

श्री पब्बाराम (फलौदी): आप वैसे ही ज्यादा बोलते हैं और मुझे भी डिस्टर्ब करते हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो वैल में आ जाओ।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि आपका

(श्री पब्बाराम)

विषय नहीं परन्तु माननीय वसुंधराजी ने अपने पूर्व के कार्यकाल के अन्दर इस शहर में मां लठिहार की परम भक्त होने के नाते अनेक सौगातें दी थीं। मां लठिहारजी के मंदिर जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने उस समय 2007-08 में पचास लाख दिए थे। वहीं पर राव हमीर के किले के जीर्णोद्धार के लिए उस समय पचास लाख रुपए दिए थे और उसके बाद में तीन सौ लाख झीलों के निर्माण में कुरजों के आने के लिए, मनोरम स्थल बनाने के लिए दिए थे और आप वहां पर जब गए हैं और वहां पर कुछ देकर नहीं आए तो मैं इस शेखोजी के उत्तराधिकारी से निवेदन करता हूं कि जब आप गए हैं तो कम-से-कम कुछ-न-कुछ घोषणा इस बजट के अन्दर फलौदी नगरपालिका के लिए कर दीजिए। यह मेरा आग्रह है।

मैं एक बात कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा। क्योंकि मैं एक अनुशासित सिपाही रहा हूं। इसलिए मैं 20 मिनट में पूरी बात कर लूंगा। पानी के लिए, हालांकि, विषय माननीय जलदाय मंत्रीजी का है परन्तु जब हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने इतनी सौगातें पिछली बार में दीं, यहां पर 2016 की आबादी के अनुरूप ही पानी वितरण की स्थिति है और आए दिन गंदे पानी के वितरण की खबर अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। एक डी.पी.आर. बनाकर 13.61 करोड़ का भेजा गया है। उसमें एक अतिरिक्त फिल्टर प्लांट, एक एस.आर. और पाइपलाइन के रिनोवेशन के लिए यह डी.पी.आर. बनकर आपके पास आई है।

माननीय मंत्रीजी ऊपर से तो ऐसा लगता है जब आप मुस्करा के देखती हैं तो मैं समझता हूं कि आप सब कुछ सैंक्शन कर देंगी। परन्तु जब कभी भी जाता हूं तो आप अपने मुंह से कहती हैं कि इसके अन्दर यह कटौती करो। जिस समय आप कटौती की बात करती हैं वो छुरी की तरह मेरे पेट के अन्दर लगती है माननीय मंत्री महोदय। कृपया उस पानी वाली साढ़े तेरह करोड़ की, उसको तो स्वीकृत कर दीजिए। मां लठिहार का आशीर्वाद आपको मिलेगा, नहीं कोप भाजन भी बनना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको स्वीकृत कर दीजिए। यह आपका विषय है, इनका विषय नहीं है परन्तु शहर से सम्बन्धित था इसलिए मैंने साथ में कह दिया।

इसके बाद में मैं माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि कम-से-कम जब आप पधारे ही हैं तो अगली बार जब हम जाएं तो...। माननीय मंत्री महोदय बड़े उदारमना हैं, इस शहर के लिए यह करेंगे, वो करेंगे। हम लोगों ने उनको अपने स्वप्न बताए माननीय मंत्री महोदय, उन सपनों का

(श्री पब्बाराम)

क्या होगा? आपकी इस इमेज का, जिस प्रकार गुण का बखान सभी कर रहे थे, उसका क्या होगा, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का क्या होगा, उनके दर्द को भी अपने अन्दर समेटो और शिव की तरह उनको गले में उतारकर उसके लिए मंत्री महोदय कुछ कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आग्रह करूंगा कि मैंने जो बातें कही हैं उनके ऊपर मंत्री महोदय और सरकार पूर्ण रूप से गौर फरमाएगी। माननीय आसन पर विराजमान, इतने वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं और अपनी वाणी के धनी हैं, आपसे भी संरक्षण चाहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा माननीय मंत्री महोदय करेंगे। आप अवश्य फरमाएंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

(18.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंहजी। एक बात मैं माननीय सदस्यों को, सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सदस्य बोल रहे हैं वह शायद इस बात से, पंचायती राज की आज मांग है वह सिर्फ मुआवजे और असाइनमेंट तक सीमित है। पंचायती राज सम्पूर्ण, वर्ना आप देखो तो 33 लाख का बजट थोड़े ही होता है। पंचायती राज में आप कम से कम उस विषय तक ही सीमित रहें। नगर विकास का आपका पूरा है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जो समय देंगे मैं उसी में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मेरी समय की बात नहीं है, मांग की बात है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मांग के विषय से हटकर नहीं बोलूंगा। आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज की स्थापना 1959 में तत्कालीन राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नागौर में की गयी थी, उसमें काफी कमियां पंचायती राज के गठन में रही थीं। एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. जातियों को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। 1995 में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब और पंचायती राज मंत्री आदरणीय नाथूसिंहजी गुर्जर साहब के द्वारा इन सभी जातियों को राजस्थान के अन्दर आरक्षण देने का आदेश लागू किया, उसके बाद सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिला। शिक्षा में सुधार करने के लिए हमारे राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय वसुन्धराजी और पंचायती राज मंत्री

(श्री शंकर सिंह)

महोदय आदरणीय सुरेन्द्रजी गोयल साहब ने बहुत अच्छा पंचायती राज के अन्दर सुधार किया है। उसके लिए मैं मेरी तरफ से इनको बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा सुधार किया है, जो अनपढ़ चुनकर आ रहे थे उन पर रोक लगाने के लिए आठवीं और दसवीं क्लास का प्रावधान लागू किया।

माननीय पंचायती मंत्री महोदय से थोड़ा सा निवेदन है कि पिछली गांधीवादी सरकार ने वर्ष 2008-09 के अन्दर, जो अपने आपको गांधीवादी कह रहे थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कार्यकाल में मैं भी था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन सरपंचों की उन्होंने दुबारा और तीसरी-तीसरी बार जांचें करवाईं। जांच के अन्दर बदले की भावना से आदरणीय तत्कालीन पंचायती राज मंत्री, आदरणीय डोटासरा जी आप बात को सुनिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन का समय क्यों जाया कर रहे हो, यह बात ही नहीं है, यह डिमांड ही नहीं है। आप तो जिला बनाओ ब्यावर को, ब्यावर को जिला बनाओ, नहीं बनाएं तो वैल में आ जाओ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जिला तो हमारी सरकार बनाएगी, आप नहीं बना सके। मैं बता रहा हूं कि बदले की भावना से काम किया था। तत्कालीन मंत्री आदरणीय भरत सिंहजी थे, उन्होंने बदले की भावना से काम किया। नरेगा का भुगतान जो 2008 और 2009 से हमारा था, भाजपा सरकार के टाइम में, आज भी वह सरपंच उस सरकार को कोस रहे हैं। जो आज उसकी हालत वार्ड पंच के रूप में हुई है। कितना राजनीति का लालच पड़ा है, मंत्री नहीं तो मैं सरपंच बन जाऊं, प्रधान बन जाऊं, कुछ तो बन जाऊं, नहीं तो वार्ड पंच ही बन जाऊं, वह बने हैं। जांचें करवाईं, जांचें बदले की भावना से, ग्राम पंचायत मालोता की बैर के अन्दर, निर्दोष सरपंच गणपत सिंह और हमारे एईएन भगदा राम प्रजापत, ग्राम सेवक, असत्य जाल में फंसाकर, आज सारे गवाह उनके पक्ष में हैं उसके बावजूद भी उनको बदले की भावना से सात साल से जेल में डाल रखा है। उनका भुगतान आज तक भी नहीं हुआ। इसलिए उन तत्कालीन सरकार के मंत्रियों को इस बात की बद्दुआ लगी है उनके बच्चों की तरफ से कि उनको असत्य फंसाया गया। उसमें सुधार की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पंचायत समिति जवाजा में विकास अधिकारी, जेईएन, एईएन के पद खाली पड़े हुए हैं

(श्री शंकर सिंह)

उनको भरने की आप कृपा करेंगे। मेरा निवेदन है कि निश्चित तौर पर आप उसमें सुधार करेंगे।

स्वायत्त शासन विभाग में हमारे मंत्री महोदय आदरणीय शेखावत साहब, बहुत ही भले और निष्पक्ष, सच्ची बात को कहने वाले और ईमानदार व्यक्ति को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने जब से नगर परिषद के इस स्वायत्त शासन विभाग को संभाला है निष्पक्षता से, कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि मैं मंत्री से आर्डर करवाकर ले आऊंगा। सच्चा होगा तो ही आर्डर होगा नहीं तो नहीं होगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके अपने विभाग के अन्दर ऐसे-ऐसे अधिकारी विराजमान हैं, डीएलबी के अन्दर, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा ब्यावर नगर परिषद के अन्दर रोड़ के ऊपर अतिक्रमण के रूप में जो भवन बनाए जाते हैं, 15 फीट एक ही व्यक्ति ने आगे रोड पर बना दिया। उसको नगर परिषद ने सीज किया और सीज करने के बाद उसका आर्डर यहां जयपुर भेज दिया। वह सम्बन्धित अतिक्रमी जाकर नगर परिषद से कौनसा आदेश पारित करवाना है, यहां पर अतिरिक्त निदेशक बैठी हुई हैं, संजीताजी विश्नोई के द्वारा हैंड टू हैंड आर्डर लेकर, 16 तारीख को उसका खोलने का आर्डर किया और 17 तारीख को आकर नगर परिषद को आकर धमकी दे रहे हैं, या तो आप खोल देना नहीं तो 17 तारीख को मैं खोल दूंगा। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बिठाए गए ऐसे अधिकारियों में सुधार की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं उस ओर दिलाना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी को डीएलबी से मुक्त करके और किसी कार्यालय में लगाएं। अतिक्रमी ने अतिक्रमण किया था उसको पहले भी सीज किया, उसको खोलने के लिए अतिक्रमी ने कहा, सौ रुपये के स्टाम्प पर उसने लिखकर दिया कि अवैध निर्माण है, आप सीज खोल दो मैं इसको अवैध को हटा लूंगा। हटाने की बजाय उसने पूरा करके यहां डीएलबी में आकर किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिगड़ते हुए हालात पर निश्चित तौर पर आप सहयोग करेंगे। लिखित में यह सारी मैंने रिपोर्ट आदरणीय निदेशक महोदय को भी दे दी है और आदरणीय महोदय के पास परसों जो दिया था वह का वह आपसे निवेदन है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। नगर परिषद ने जिस अवैध निर्माण को हटाने के लिए किया है, इनके आदेश को निरस्त फरमाया जाए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं।

(श्री शंकर सिंह)

नगर परिषद के अन्दर वर्तमान में एईएन, जेईएन और एलडीसी के पद रिक्त हैं उसमें भी आप भरने के लिए सहयोग करवाएंगे। आप कहें तो मैं आपको यह नगर परिषद का, जो भवन पहले भी सीज किया था, ऐसे भवन अतिक्रमियों को रोकने के लिए सुधार की आवश्यकता है। दूसरों के भी हौंसले बुलंद होते हैं। अतिक्रमियों के रूप में काफी लोगों की बाढ़ आई हुई है। डीएलबी से इस बात से हमें मुक्ति दिलाई जाए, यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। नगर परिषद के द्वारा और यह होने के बाद भ्रष्टाचारी जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं उनको आप तुरन्त रिलीव करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आवासन मण्डल में विधायकों को भवन अलाट किए जाते हैं उस अलाटमेंट के अन्दर प्लिंथ लेवल तक एरिया अलाट करके जिन विधायकों को दिया जा रहा है, उसके अन्दर प्लिंथ लेवल तक एक लाख रुपये का भी खर्चा उस समय नहीं आया होगा लेकिन तत्कालीन आवासन मण्डल के अध्यक्ष मोरदिया जी थे उनके कार्यकाल में ऐसे भवनों का निर्माण किया गया वह आज भी जर्जर अवस्था में है। एक लाख रुपये का भी उस निर्माण में खर्चा नहीं लगेगा। विधायकों के सात-सात लाख रुपये उसमें जोड़कर काटे जा रहे हैं। कई जगह पर दस-दस लाख रुपये भी जोड़कर काटे जा रहे हैं। मैं सच्चाई से परे नहीं हटता हूं। आदरणीय डोटासराजी, सच्चाई है उसमें सुधार की आवश्यकता है। आप भी उस समय थे, मैं भी था लेकिन उस समय आपकी सरकार के अन्दर मोरदियाजी थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य जो कह रहे हैं इसमें हमारे अध्यक्षजी का कोई रोल नहीं था, अधिकारियों ने ही गड़बड़ की होगी, उनके खिलाफ बताओ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): तो मुख्य मंत्रीजी ने किया होगा, किसने किया है, हम तो यह जानते हैं कि उसका दंड हमें क्यों मिले। उन विधायकों से क्यों अवैध वसूली हो रही है, उनमें तो कम से कम सुधार किया जाए।

आज एक लाख रुपये भी उसमें खर्च नहीं हो सकते, उसमें 8-8 और 10-10 लाख रुपये उनसे वसूले जा रहे हैं, उसके ऊपर भी सुधार की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं यह हमारे मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। निश्चित ही, पंचायती राज के अन्दर जितना सुधार हमारी इस सरकार में हुआ है, ऐसा कहीं

(श्री शंकर सिंह)

भी नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिये, यह सारा कांट्रेक्ट पूर्ववर्ती सरकार का था, आज हमारे इतने मंत्री हैं, सारे ईमानदार के रूप में हमारी सरकार का संचालन कर रहे हैं। यहां राजस्थान से लगाकर दिल्ली तक ऐसा कोई विषय और ऐसा कोई मंत्री नहीं मिलेगा, जिसके अन्दर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। मैं उनकी बहुत-बहुत तारीफ करता हुआ, हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय और हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी सरकार का सफल संचालन हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकार के टाइम से अभी तक भी जमानत नहीं हुई है। तीन-तीन, चार-चार तो अभी भी जेल में बैठे हुए हैं, मुकदमे पता नहीं कितनों के ऊपर लग रहे थे। उस दिन हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय के सामने कह रहे थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब, आपकी सरकार ने ऐसा किया है। माननीय गृह मंत्री महोदय उस टाइम आपको चिट्ठा खोल करके नामों की गिनती कराने लगे तो धीरे-धीरे इधर से ही कह रहे थे कि अब तो बंद करवा दो। आगे किसी का नाम और आ जायेगा। ऐसा काम हमारी सरकार में कभी नहीं हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि हमारी सरकार के अन्दर जितने जो कार्य अभी हुए हैं, मैं वर्तमान सरकार के सभी मंत्रियों को और सरकार को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मांग संख्या 20, 29 और 49 पर आज सदन में चर्चा हो रही है। मैं बिना किसी भूमिका के सीधी-सीधी अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं और कुछ विकास कार्य सम्माननीय मंत्री महोदय द्वारा, मुख्य मंत्री महोदया द्वारा करवाये गये उसके बारे में अवगत करवाना चाहूंगी। क्योंकि कोटा की बहुत सारी समस्याएं उधर से भी आ गयीं और मुझे लगता है सदन के पटल पर वे आ चुकी हैं, इसलिये ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए अपनी बात पर आती हूं।

मैं सदन में बताना चाहूंगी कि विगत तीन वर्ष पूर्व कोटा शहर की कुछ कालोनियों के अन्दर, जैसे अजय आहूजा नगर है, रंगबाड़ी कालोनी है, और भी हैं, मैं मानती हूं कोटा शहर की पूरी कालोनियों का यह मामला होना

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

चाहिये। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत जो मकान गरीब लोगों के लिये बनाये गये, बी.पी.एल. के व्यक्तियों के लिये बनाये गये, उन महिलाओं ने, आप देखिये ब्याज से पैसे लेकर मकान बनाये लेकिन नगर निगम द्वारा आज तक उनकी तीसरी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, यह बहुत ही विचारणीय बिन्दु है। मैं कहना चाहूंगी कि इस ओर सम्माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देते हुए उन महिलाओं को, जो बी.पी.एल. परिवार हैं, उनको मुआवजा दिलाया जाये तो यह बहुत बड़ा उपकार हम लोगों पर करेंगे। क्योंकि रोज-रोज वे लोग नगर निगम में चक्कर काट रहे हैं। हम लोगों के पास में चक्कर काट रहे हैं।

मैं वैसे तो रामगंजमण्डी से विधायक हूं लेकिन कोटा शहर की 16 कालोनियां मेरे विधान सभा क्षेत्र की, नगर निगम में भी आती हैं। मैं बड़े दु:ख के साथ कहना चाहती हूं कि इतने वर्षो बाद आज भी मूलभूत सुविधा वहां की कालोनियों को नहीं मिल पा रही है। अगर हम उन कालोनियों में जायें तो न पीने को पानी है, न सीवरेज का कोई सिस्टम है, न सड़कें हैं, न बिजली है। किसी भी तरह की कोई सुविधा उन कालोनियों में आज तक नहीं मिल पाई। जैसे कि नगरपालिका रामगंजमण्डी हमारी है, वहां पर भी अगर हम लोग देखें तो ई.ओ. की पोस्ट खाली है, एक जे.ईएन. को चार्ज दे रखा है। जो हमारे सफाई इंस्पैक्टर हैं, वे देखिये, साहब, शराब पी-पी कर इतना उत्पात मचाते हैं कि सफाई की इतनी अव्यवस्था बिलकुल पूरी रामगंजमण्डी में कचरा, इतना गलियों में पड़ा हुआ रहता है कि आये दिन हम लोगों को जनता की सुननी पड़ती है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय से कि इन रिक्त पड़े पदों को भरा जाये और जिन लोगों की काम करने की मंशा नहीं है उनको वहां से हटाया जाये। यह भी मैं आपसे मांग करना चाहती हूं।

मैं एक बात और रखना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं महंगाई कितनी बढ़ रही है। हम कल्पना करें कि मात्र 70 हजार में हमारे मुख्य मंत्री आवास योजना में एक मकान बन जाये, यह कतई सम्भव नहीं है। मैं कहती हूं कि इस राशि को भी बढ़ाकर अगर हम डेढ़ लाख तक करेंगे तो गरीब का कम से कम एक कमरा और उसके साथ के साथ हम शौचालय भी बनायें तो यह बहुत अच्छी स्कीम हो सकती है।

वैसे तो फिर जैसा कि मंत्रीजी द्वारा अवगत कराया गया कि हमारा जो पंचायती राज संस्थाओं का मुआवजा है इसके ऊपर हमें बोलना है, समनुदेशन पर, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा करना चाहेंगे थोड़ी-थोड़ी कि हमारी बहुत

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सारी ऐसी कालोनियां हैं, जिन कालोनियों में जो हमारी विस्थापित कालोनियां हैं, अगर उनमें आवासीय स्कीम बनाकर हम लोग उनको आवास के लिये मकान बनाकर देते हैं तो मैं मानती हूं हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें, चाहे हमारे नगर-निगम का एरिया है उसमें देखें। क्योंकि ताकली बांध जब से हमारा बना, तब से लेकर उन गांवों को हमने विस्थापित किया, आज तक वे लोग दर-दर की ठोकरें खाते हुए इधर -उधर भटक रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूं कि उनके लिये भी आवासीय योजना बनाकर देंगे तो उनकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। मैं बताना चाहूंगी कि रामगंजमण्डी नगर के अन्दर वर्षों पहले हाऊसिंग बोर्ड द्वारा एक स्कीम के अन्तर्गत बहुत सारे मकान बनाये गये थे। लेकिन आज तक वे मकान अधूरे पड़े हुए हैं, उस ओर भी माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी। मैं मांग करती हूं कि हमारी जो सुकेत पंचायत है, उसे नगरपालिका का दर्जा दिया जाये। वहां के जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं, जो जनता है, उन लोगों की इस तरह की मांग है, तो इसको भी मैं यहां रखना चाहूंगी।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो पैराफेरी एरिया के अन्तर्गत क्षेत्र है, चाहे नगरपालिका के नजदीक का एरिया हो, चाहे नगर निगम के नजदीक का एरिया हो, वहां पर भी अगर कुछ काम हम लोग करवाएंगे तो उन लोगों को फायदा मिल सकता है। क्योंकि हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि पैराफेरी एरिया में आने के बाद उन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। अगर विकास कार्य होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी।

मैं सम्माननीय मंत्री महोदय को अवगत करवाना चाहती हूं कि कोटा शैक्षणिक नगरी है, जहां पर आल-इंडिया से इतने स्टूडेंट्स पढ़ने के लिये आते हैं लेकिन जो वहां की सीवरेज लाइन की स्थिति है, वह आपको भी हम लोगों ने अवगत करवाया है, दुबारा अवगत करवाना चाहती हूं कि जो मेरी 16 कालोनियां हैं उनमें पूरी की पूरी कालोनियों में सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये सीवरेज लाइन वहां पर डाली जाये। हमारे वार्ड नम्बर 4, 5, 24 और 25, ये जो वार्ड हैं इन वार्डों में तो इतनी अव्यवस्था कि बारिश में महिलाओं और बच्चों की ऐसी हालत हो जाती है कि 4-4 घण्टे तक पूरे मकानों में पानी भर जाता है, खासकर इस ओर भी मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहती हूं।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कोटा शहर के नजदीक का जो हमारा क्षेत्र नगर निगम में आया है, कुछ दिनों पूर्व, दीपावली से 5 दिन पहले मैं खुद वहां पर गयी, हास्पिटल की बिल्डिंग के लिये मैं खुद शिलान्यास करके आई। आप देखिये 15 दिन के अन्दर पूरी जगह पर मकान बन गये। मैं बताना चाहती हूं, माननीय मंत्रीजी को ऐसी जगह भी सुरक्षित नहीं है, अगर उसे भी हम अतिक्रमण से नहीं रोक सकते तो मैं मानती हूं, यह बहुत बड़ा जनता का नुकसान है। मैं यहां पर आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि जल्दी से जल्दी उस हास्पिटल की जगह को भी मुक्त करवाया जाये तो वहां की जनता को, जो गरीब जनता है उसे फायदा मिलेगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो हमारी उडिया बस्ती, अजय आहूजा नगर कालोनी है, जिसे तलवंडी से विस्थापित किया और विस्थापित करने के बाद उन लोगों को बिना बताये, जिस तरह से उनसे साइन करवाकर उन्हें मकान अलाट कर दिये गये, जो लोग रोज झाड़ू-पौंछे का काम करते हैं, लाखों के कर्जे के नीचे उन्हें कर्जदार बना दिया गया, बैंकों से लोन दिला दिया गया, उन लोगों को आज भी मालूम नहीं है कि उन्हें बैंक से लोन दिया गया है, कुछ लोगों के साइन भी नहीं हैं। मैं माननीय मंत्रीजी को अवगत करवाना चाहती हूं कि उन लोगों के ऊपर कृपा करें और कैसे न कैसे करके उनका जो कर्जा है, माननीय मंत्रीजी, मेरी बात को सुन रहे हों तो मैं निवेदन करती हूं कि जो हमारी अजय आहूजा नगर उड़िया बस्ती है, उसके जो मकान हैं, उन लोगों को बिना बताये उनको लोन पास करवा दिया गया, आज वे किश्तें नहीं चुका पा रहे। उनका कर्जा माफ करने के लिये अगर सरकार कोई मन बनायेगी या कोई स्कीम के तहत उन्हें माफ करेगी तो मैं मानती हूं उन गरीब लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान सरकार का रहेगा।

रोज कोटा के हर नेता के घर पर वह लोग सवेरे दस बजे जाकर दस्तक देते हैं और वह इतने टेंशन में हैं कि कुछ लोगों की तो मृत्यु भी हो चुकी है।

मैं कहना चाहूंगी कि जो मकान बने हुए हैं, जो लोग वंचित रह गये, जिनका सर्वे लिस्ट में नाम है, उन्हें भी तुरन्त मकान दिया जाए और कुछ लोगों को आबंटन-पत्र देने के बाद भी उन लोगों से आबंटन-पत्र वापस ले लिये गये, ऐसे लोगों को भी दुबारा मकान का कब्जा दें तो मैं मानती हूं कि बहुत अच्छा काम उन लोगों के लिए होगा।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कोटा शहर में मेरे एरिये की जितनी भी कालोनीज हैं और मैं तो कहूंगी पूरे कोटा शहर की यह समस्या है कि प्रोपर्टी डीलर्स ने या किसी ने भी लिये हो, इतने प्लाट ले-लेकर, खाली भूखंड छोड़ रखे हैं। बारिश में इतना पानी भरता है। इतने जानवर और इतनी गंदगी उन प्लाटों में रहती है कि जनता परेशान है। आस-पास के लोग परेशान रहते हैं। कभी-कभार तो ज्यादा गहराई होने की वजह से बच्चे भी उसमें डूब जाते हैं, जैसे विनोबा भावे नगर में हुआ और बच्चों की मृत्यु भी हो चुकी है तो मेरा निवेदन है कि सरकार मन बनाकर, माननीय मंत्रीजी, ऐसे भूखंडों को निरस्त करवाने का काम भी अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

मैं आपको अवगत करवाना चाहती हूं कि कोटा शहर में अल्प, मध्यम, उच्च आय वर्ग के जो परिवार हैं, उन्हें राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा आवासीय कालोनी बनाकर कुछ मकान अगर देंगे तो उन गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं।

मैं कहना चाहती हूं यू.आई.टी. और आवासन मंडल की जो नव-सृजित कालोनियां हैं हमारी उनमें अभी तक भी पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दस हजार लीटर की एक टंकी बनाकर क्योंकि, आज भी यह स्थिति है वहां पर कि टैंकर लगाए जाएं और जैसे वन विभाग में जो हमारी कालोनियां बसी हुई हैं, चाहे आंवली-रोझड़ी हो, चाहे नया-गांव हो, वैसे तो कहने को वन विभाग है क्योंकि बस 150 पुराने वह गांव हैं, आज उन गांवों की यह हालत है कि वन विभाग में बसे होने की वजह से न तो पीने के पानी की सुविधा हम लोग कर सकते हैं और न बिजली का कनेक्शन उनको मिल रहा है। अगर, हम ट्यूबवैल भी लगवायें विधायक कोष से तो उस ट्यूबवैल को किससे चलाएं, बिजली के बिना? यह हालत उन लोगों की हो रही है। सम्माननीय मंत्री महोदय, मन बनाकर उन वन विभाग की कालोनियों को भी भू-रूपांतरण करवाकर, एक मिनट

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

का समय दें, साहब, एक मिनट का। भू-रूपांतरण करवाकर उन कालोनियों में अगर मूलभूत सुविधा देते हैं तो मैं मानती हूं कि वहां की जनता बहुत बड़ा उपकार आपका मानेगी। खासकर हमें प्राब्लम है कि नया-गांव से लेकर रोझड़ी और नया-गांव से लेकर आंवली, यह जो हमारी रोड्स हैं और हमारा जो गणेश नगर है, खड़े गणेशजी चौराहे से लेकर धर्मपुरा, यहां तक अगर हम डिवाइडर-युक्त डबल लेन रोड बनाएंगे तो वहां एक्सीडेंट कम होंगे क्योंकि गांव के इतने

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

लोग रात को भी आते हैं और रोड के नाम पर आज की तारीख में मैं मानती हूं कि बिलकुल कहने का रोड है, कुछ भी नहीं बचा। वहां पर यह रोड निर्माण भी हमें करवाना चाहिए।

हमारे नगर-निगम के अन्दर बहुत सारी कालोनियां आज भी ऐसी हैं, चाहे हरिओम नगर, लुहार बस्ती हो, चाहे रंगबाड़ी हो और चाहे रोटेदा हो, चाहे सोगरिया हो, कोटा की यह बहुत सारी कालोनियों में भी हम लोग पट्टे उन लोगों को देंगे तो उन लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं।

मैं निवेदन करती हूं कि जो हमारा पूरा कोटा शहर है, आज की तारीख में जितने भी आवारा पशु हैं, यह हालत कोटा की हो गयी कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं तो इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। किस तरह से चाहे हम गौ-शाला में हमारी गायों को रक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु भेजें या जिस तरह से भी व्यवस्था बनाई जाए, इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान दें।

हरिओम नगर के अन्दर जो नाला है, जिसकी लम्बाई भी इतनी ज्यादा है और गहराई भी बहुत ज्यादा है। कभी-कभार तो उसकी सफाई भी नहीं हो पाती है और आज की तारीख में पूरा वह ब्लाक है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि उसकी सफाई करवाकर उसको तुड़वाकर नया निर्माण उसका करवाया जाए और अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा काम होगा माननीय मंत्रीजी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस आधे मिनट में मैं मेरी बात को समाप्त करती हूं। स्टेडियम अगर हमारे यहां पर बनेगा रामगंजमण्डी में तो यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों की रहेगी क्योंकि न तो एक भी पार्क वहां पर बना हुआ है रामगंजमण्डी में और पूरी जो 16 कालोनियां हमारी हैं, स्वामी विवेकानंद नगर, हाउसिंग बोर्ड की कालोनी है, उसमें 12 सेक्टर हैं और 45 पार्क होंगे, वर्तमान स्थिति यह है कि 5 पार्क भी डवलप नहीं है। इतना अतिक्रमण वहां पर कर रखा है और बिलकुल ऐसा पानी भरा हुआ रहता है किसी पार्क में तो। इस तरह की अव्यवस्था वहां पर है तो इस ओर भी माननीय मंत्री महोदयजी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी और मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो किसान हैं हमारे कोटा शहर के आस-पास के, जिन लोगों की जमीन वर्षों से वहां पर है, वह खेती कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग खातेदारी का अधिकारी दें, उनके बारे में भी सरकार चिंता करे।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हमारे विधायक कोष और सांसद कोष का जो पैसा है, अगर हम लोग नगर-निगम को वर्क एजेंसी बनाते हैं, आप देखिए कि छह-छह महीने तक हमारा पैसा खर्च नहीं होता। एक ट्यूबवैल लगाने के लिए भी तीन-तीन, चार-चार महीने हो गये, अभी तक वह ट्यूबवैल्स नहीं लग पा रहे हैं। मैं तो कहूंगी कि पंचायतों की भी यही हालत है। अगर पंचायत में भी ट्यूबवैल हम लोग देते हैं, विगत पांच वर्ष में हम लोगों ने एक हैंडपम्प भी नहीं लगाया क्योंकि भू-जल वैज्ञानिक की रिपोर्ट नहीं मिलती थी। फिर जिलाधीश महोदय की रिपोर्ट चाहिए और आज भी यही हालात बने हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर ऐसा ट्यूबवैल अगर हम लोग लगा सकें और हैंडपम्प भी जल्दी से जल्दी लग जाए, चाहे नगर निगम लगाए या चाहे नगरपालिका वर्क एजेंसी हो, चाहे पंचायत हमारी वर्क एजेंसी हो, अगर यह काम जल्दी करेंगे तो वहां की जनता को पीने का पानी हम लोग मुहैया करवा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात, साहब, मैं बिलकुल मेरी बात को समाप्त कर रही हूं। मैंने कुछ भी नहीं बोला। पंचायती राज के ऊपर तो कुछ भी नहीं बोला साहब, फिर भी मैं मेरी बात को समाप्त करती हूं।

जिन विधायकों ने 2003 से लेकर 2008 तक आवेदन किया था मकानों के लिए, मैं निवेदन करती हूं कि उन लोगों को भी मकान दिये जाएं क्योंकि उनसे नए, बाद वालों को मकान मिल चुके हैं और उन लोगों को नहीं मिले तो उनको भी अगर हम लोग देंगे तो बहुत अच्छा काम उन लोगों के लिए होगा, यह सभी पूर्व विधायकों की मांग थी।

मैं मेरी बात को अधूरी छोड़कर अपना स्थान ग्रहण करती हूं। बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अभी भी आपकी अधूरी ही रही क्या यह?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): पंचायती राज पर कुछ नहीं बोला मैंने।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवारामजी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-20, 29 और 49 पर आज चर्चा हो रही है और सबसे पहले नगरीय विकास पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। जिस तरह से शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, 25 परसेंट आबादी शहरों में है और दिनों-दिन शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से शहरों के हालात दिनों-दिन खराब होते जा रहे हैं, आपके बारे में तो सभी प्रशंसा कर रहे थे कि मजबूत हो, ईमानदार हो पर काम करने की भी आपकी क्षमता है, इसमें कोई दो-राय नहीं। निकायों की जो हालात है, उसके बारे में मंत्रीजी, आपको ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे तब ही वह हालात सुधरेंगे।

आज जयपुर शहर की हम बात करें और मेरे से पूर्व सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य घनश्यामजी तिवाड़ी साहब भी कह रहे थे, मैट्रो की चर्चा चली और कई और भी माननीय सदस्यगण कह रहे थे कि मैट्रो, यह ठीक नहीं है, ज्यादा खर्चा हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली में एक दिन अगर मैट्रो बंद हो जाती है तो दिल्ली शहर की हालात क्या होती है और पूरा दिल्ली जाम हो जाता है। आज अपन कह रहे हैं कि वायबल नहीं है, यात्री कम आ रहे हैं, आज से दस साल बाद जयपुर शहर के हालात क्या होंगे? किस तरह से ट्रैफिक बढ़ेगा और फिर किस तरह से अपन उसको कंट्रोल करेंगे, इसकी आज से ही तैयारी करेंगे, जब आज यह मैट्रो जो शुरू हुई है, इसको लगातार शुरू किए रखेंगे तो दस साल में जाकर यह मैट्रो बन पाएगी और यह जो मैट्रो की सुविधा है, आने वाले दिनों में यह कहेंगे कि इतना अच्छा काम हुआ। बम्बई का उदाहरण देख लो कि एक दिन भी अगर ट्रेन्स बंद हो जाएं तो पूरी बम्बई जाम हो जाती है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैट्रो का कार्य बंद नहीं करें, आगे जारी रखें तो यह पूरी राजधानी के और हम सबके हित में है।

शहरी निकायों की बात करें तो मंत्रीजी, इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि कोई आम आदमी, गरीब आदमी, बड़े आदमी तो क्या है कि पैसे का लेन-देन करके काम अपना निकलवा लेते हैं पर गरीब आदमी अगर कोई छोटी-मोटी मकान की इजाजत हो, जन्म-मृत्यु का प्रमाण पत्र भी लेना चाहे तो समय पर उसको नहीं मिलता है। बगैर पैसे नहीं मिलता है, यह सच अपने को समझना पड़ेगा और इस पर हमको निर्णय लेना पड़ेगा। आज जगह-जगह आप देखो अतिक्रमण की भरमार हो रही है। चारों तरफ भू-माफिया अतिक्रमण कर रहे हैं और उसमें अधिकारियों की मिलीभगत है।

बात कहीं की भी करें, किसी भी शहर की करें। जयपुर में जे.डी.ए. की बात करें तो दिनों-दिन भ्रष्टाचार की बात आ रही है। हमारे बाड़मेर की बात

(श्री मेवाराम जैन)

करें तो मुझे तो बात करने में ही शर्म आती है ऐसी हालत है कि वहां अभी कई तो मुकदमे हुए, 5-6 बाबू तो जेल में गए, कमिश्नर फरार है। फाइलें गायब हैं और इस तरह से अन्धाधुन्ध नियमन जो किये थे, अब वह खुल रहे हैं। आज की तारीख में नगरपालिका में ऐसी स्थिति बनी है कि नगरपालिका के अन्दर अब न तो कोई काम होता है और न कोई काम करने के लिये नगर पालिका में जा रहा है। हालात इस तरह के बन रहे हैं। चारों ही तरफ सरकारी जमीन, जिस पर भू-माफिया कब्जे कर रहे हैं। श्मशान की जमीन पर पट्टे काट दिये, वन विभाग की भूमि पर पट्टे दे दिये, शहर के अन्दर पहाड़ है, उस पर पट्टे दे दिये, नाड़ी के आगोर में पट्टे दे दिये, टाउनशिप जमीन, उस पर कब्जे कर रातों-रात पट्टे दे दिये। इस तरह से जमीनों पर यह जो अतिक्रमण हो रहे हैं, अगर इनको नहीं रोकेंगे तो आने वाले दिनों में नगर पालिका के पास न तो कोई जमीन बचेगी और न आय का कोई स्रोत रहेगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर जगह की बात हो, जहां भी अतिक्रमण हो रहे हैं, इनको रोका जाए। किस तरह से हम शहर को ठीक करें, किस तरह से सड़कें आज बन रही हैं, दूसरे ही दिन या तो सीवर लाइन वाले तोड़ देते हैं या बिजली विभाग वाले तोड़ देते हैं या पाइप लाइन डालने वाले तोड़ देते हैं। किसी तरह का कोई प्लानिंग से काम नहीं हो रहा है और इसके कारण से जनता की गाढ़ी कमाई का धन इन सड़कों में फालतू का वेस्टेज हो रहा है इसलिए मैं चाहूंगा कि यह प्लानिंग से काम हो। एक बार सड़क बन गयी और एक महीने बाद वह सड़क टूट जाती है तो कितना नुकसान होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह जो मास्टर प्लान है, इसको लागू करें। साथ ही कोई भी कार्य हो तो उसकी मानीटरिंग हो, अच्छे अधिकारी लगें। भले ही पैच का काम हो, सड़क का पैच करो, वह 15-20 दिन से ज्यादा नहीं टिकता है और एक महीने पहले ही वह उखड़ जाता है। एक बरसात हो गयी तो पूरी सड़कें साफ हो जाती हैं।

बाड़मेर में मैं सीवर लाइन की बात करूंगा। अभी मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने बाड़मेर शहर को सीवरेज में शामिल भी किया है फोर्थ फेज में। बाड़मेर शहर तीन भागों में सीवरेज में बंटा हुआ था। दो भाग सैंक्शन हो गए और काम शुरू है। तीसरा, जो मेन बीच का भाग था, उसकी सैंक्शन ही नहीं हुई और अधूरा ही पड़ा है। न सैंक्शन हुई और जब तक उसकी स्वीकृति

(श्री मेवाराम जैन)

नहीं होगी, हालांकि इसमें आपने पैसे दिए, शायद इसमें वह भाग स्वीकृत हो जाएगा, वह स्वीकृत होगा तब ही बाकी वाले फेज पर जो करोड़ों रुपये खर्च हुए, वह कामयाब होंगे और वह सीवरेज तक पहुंच पाएंगे, जहां ट्रीटमेंट प्लांट बना है उससे सीवरेज का पानी बाहर जाएगा इसलिए मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि थर्ड फेज स्वीकृत करावें ताकि पूरे शहर का जो सिस्टम है, वह ठीक हो सके।

आज पूरे शहर में बुरा हाल है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का पूरा पानी रोड पर बह रहा है। सीवरेज बनाते हैं और पाइप डालते हैं, पी एच ई डी पाइप लाइन डालती है, पाइप लाइनें इतनी टूटी हुई हैं कि पानी रोडों पर बह रहा है और पानी का वाटर लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है, आज डेढ़-दो फीट पर ही पानी है। अंडर ग्राउंड में पानी भर चुका है। कलक्टर बंगला आप देखो, एक फीट खोदो तो उसमें पानी है और कलक्टर साहब के बंगले के यहां चारों तरफ दिन में पानी रहता है, यह हालात बाड़मेर शहर के हैं। इसको कैसे अपन ठीक करें, यह आप देखें।

सफाई व्यवस्था के लिए कहना चाहूंगा कि अभी हर जगह चरमराई हुई है। आवारा पशुओं की समस्या है। जगह-जगह कांजी हाउस अपने को नगर परिषद में बनाना पड़ेगा। आवारा सांड जो गांव वाले छोड़ देते हैं शहर के अदंर, फिर उनको न तो कोई चारा खिलाता है और इसके कारण पूरे शहर के अन्दर से आदमी का निकलना मुश्किल हो जाता है इसलिए हर नगरपालिका में इस तरह के कांजी हाउस पशुओं के लिए खोले जाएं।

कच्ची बस्तियों में लोग दिनों-दिन बस रहे हैं। उनका विकास कैसे हो, प्लानिंग से सीवरेज हो, नालियां हों और पानी की समस्या किस तरह से दूर हो।

इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि शहरी आवास योजना जो लागू हो गयी थी, किसी को एक किश्त मिल गयी, किसी को दो किश्त मिल गयी और आपकी यह सरकार आने के तत्काल बाद उसको बंद कर दिया। अब किसी के एक किश्त ली हुई है, नींव तक भरा हुआ है तो वहीं पड़ा है। सैकण्ड किश्त दी हुई है, लेण्टर तक भरा हुआ है, तो वही पड़ा है और छत भरी पड़ी हुई है, तो काम वहीं पड़ा है। कम से कम जिनको स्वीकृत किये हैं, उनको तो पूरा करावें ताकि उसका उपयोग हो सके।

(श्री मेवाराम जैन)

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर शहर के बीचों-बीच एक रेलवे का क्रोसिंग है, अंडर ब्रिज बन सकता है। उसमें नगरपालिका आधे पैसे और एम एल ए फण्ड से मैं दे दूंगा, करीबन दो-ढाई करोड़ रुपये खर्च होंगे। पूरा बाड़मेर दो भागों में बंट जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको आप स्वीकृत करावें ताकि बाड़मेर की इस समस्या का समाधान हो सके।

बाड़मेर में नेशनल हाईवे–15 और 112, दो हाइवे शहर के बीचों-बीच से निकलते हैं और बाई-पास की आवश्यकता है। पहले इसका सर्वे भी हुआ था। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इनका बाई-पास बन जाए ताकि शहर के बीच में दो हाइवे निकलें, इतना ट्रैफिक जाम रहता है तो उससे निजात मिल सके।

मैं नगरीय निकाय के मामले में तो यही कहूंगा मंत्रीजी, आप इसमें ठोस निर्णय लें। जहां भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जिस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं, इनको किस तरह से रोकें और नगरपालिका की सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचे। शहर का विकास टाउन प्लानर से नक्शा बनवाकर व्यवस्थित तरीके से अपन करें, ताकि फालतू के पैसे भी नहीं जाएं। यह सारी बातें करके शहरों का विकास करें। आज गांव वाले भी शहरों में जा रहे हैं तो सभी उम्मीद रखते हैं कि हमारा शहर साफ-सुथरा हो, अच्छा हो तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर तो मैं यही कहूंगा कि शहरों के विकास में मंत्रीजी ज्यादा इंटरेस्ट लेकर इसको करावें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवास के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गरीब को कैसे आवास मिले, यह सरकार ने अभी घोषणा की। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने भी चाहा कि गरीब, जिनके पास झोंपड़ी नहीं है, हमने पूर्व में अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में 10 लाख मकान बनाने की घोषणा की और बनाये भी। बाकी इंदिरा आवास है, अन्य योजना है, अफोर्डेबल हाउसिंग योजना, जो शुरू की थी, वह भी अभी तक नहीं आई है, अखबारों में भी पढ़ा। मुख्य मंत्रीजी नागौर और इधर पहुंचीं, निरीक्षण भी किया। हमने तो ऐसा सुना है कि हाउसिंग बोर्ड को बंद ही किया जा रहा है। अगर हाउसिंग बोर्ड को बंद करोगे तो हमारे गरीब को छत मिले यह कैसे आप पूरी कर सकोगे। मैं तो यही कहूंगा कि जो क्वालिटी खराब है, उसकी भले ही जांच कराओ और आने वाले दिनों में अच्छी क्वालिटी के मकान बनें।

(श्री मेवाराम जैन)

इस मौके पर हमारे बाड़मेर का भी इश्यू है। बाड़मेर जिला मुख्यालय है जहां तेल, लिग्नाइट, गैस के भंडार हैं और जिला मुख्यालय पर पांच-छह साल से ही, मैं हमेशा विधान सभा में यही बात रख रहा हूं कि उसमें जमीन भी करीब-करीब अलाट हो चुकी है पर अभी तक कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। लोगों ने दस साल पहले जिनके पास मकान नहीं थे, उन्होंने आवेदन फार्म भी जमा करा रखे हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड का यह काम शीघ्र शुरू करावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज पर दो मिनट बोलूंगा साहब। मैं पंचायती राज विभाग पर ज्यादा न कहकर थोड़ा-सा ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: पंचायती राज का वैसे डिमांड पंचायती राज की नहीं है, सिर्फ कम्पनसेशन पर और असाइनमेंट पर है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कम्पनसेशन पर ही बात कहूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम्पनसेशन की बात करें तो... (व्यवधान)

सूचना

कैथून में आतिशबाजी फैक्ट्री में आग से मौतें

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराजें। हां बताएं।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): मेरे कैथून में आतिशबाजी की फैक्ट्री में आग लग गयी, जिसमें सात आदमी मर चुके। इस फैक्ट्री में पूर्व में भी दो बार इस प्रकार के हादसे हुए हैं, जिसमें चार-चार, पांच-पांच आदमी मरे हैं। इसको विभाग थोड़ा सीरियस ले।

मांग संख्या 29, 20 व 49 पर विचार

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): इसमें मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रायल्टी की बात चली कि स्टाम्प ड्यूटी से, माइनिंग से, तेल से जिस तरह से रायल्टी आती है और मेरे खयाल से बाड़मेर में हमारे तो

(श्री मेवाराम जैन)

तेल के भण्डार हैं, उससे रायल्टी आ रही है, लिग्नाइट के भण्डार हैं उससे रायल्टी आ रही है, गैस है, जिप्सम है, अन्य कई तरह के खनिज हैं और उससे राजस्थान सरकार को रायल्टी मिलती है तो मैं इसमें चाहूंगा कि रायल्टी का हिस्सा हमारे इन गांवों के विकास में लगना चाहिए।

अभी मेरे से पूर्व हमारे पूर्व मंत्रीजी ने सारी बातें बतायीं कि किस तरह से पंचायती राज को कमजोर किया जा रहा है। हर तरह से, बजट के हिसाब से देखो तो पंचायती राज का बजट चारों तरफ का पहले से कम किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाएं कमजोर कैसे हो रही हैं, पंचायती राज के पास पांच विभाग थे पांचों ही विभाग में पंचायती राज का प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, इनके पास किसी तरह का कोई पावर नहीं। पंचायत समिति के अन्दर कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग, ग्राम सेवक हो, बाबू हो तो कम से कम प्रधान और विकास अधिकारी करे, उनको पावर नहीं। जिले के अन्दर इनके लेवल का पांचों विभाग में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करे, तो उनको पावर नहीं। पंचायती राज को हर तरह से बिलकुल ही पंगु किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस पंचायती राज को आप कमजोर कम करो। अगर पंचायती राज की कड़ी कमजोर होगी तो आने वाले दिनों में आप खुद कमजोर होंगे।

मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से द्वेषता की भावना में यह जो काम किया जा रहा है, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग का हो, चाहे अब राजीव गांधी सेवा केन्द्र की ही बात करें। ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में और जिला स्तर पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र बने और उसके बाद में नई पंचायत समितियां भी बनीं, पंचायतें भी बनीं। अगर उस जगह नये भवन बनाकर उनका नाम अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटलजी के नाम से कर देते तो किसी को कोई एतराज नहीं था, आपने स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम को बदलकर और उसको अटल सेवा केन्द्र किया। खैर, हम तो इसमें ज्यादा क्या कहेंगे, पर थोड़ा सा विचार तो करना चाहिए कि हम कुछ बनाकर, एक ईंट लगाकर फिर तो नाम चेंज करते, सिर्फ आपने कलर लगाकर नाम चेंज कर दिया। कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए था।

आज भामाशाह कार्ड और राशन कार्ड जो बने हैं उस पर भी मुख्य मंत्रीजी का फोटो और चुनाव चिन्ह निशान, कम से कम अभी तो ढाई साल है, यह सरकार आयेगी, नहीं आयेगी, क्या वापस आने पर दोबारा नये बनाये जायेंगे? तो इस तरह की राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से राजनीति हो रही है, सार्वजनिक काम है।

(श्री मेवाराम जैन)

आज पंचायती राज मंत्री बैठे हैं, पुनर्गठन हुआ, खैर पुनर्गठन में जिस तरह से कर दिया, मैं एक उदाहरण लेकर मंत्रीजी के पास गया कि आपने अभी थोड़े दिन पहले पंचायत समिति का और पंचायतों का पुनर्गठन किया, रामसर कुआ ग्राम पंचायत बनी, उसका मुख्यालय रामसर कुआ रखा जहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल, पास में आंगनबाड़ी केन्द्र, उसके पास में सोसाइटी गोदाम, अब उसको ले जाकर छह किलोमीटर दूर घोनरी नाड़ी उसका पंचायत हैटक्वार्टर, उसका मुख्यालय बना रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जब आपने पंचायत बनायी उस समय में मुख्यालय वहीं बना देते न घोनरी नाड़ी आपको करना ही था तो। मुख्यालय अभी एक साल पहले तो आपने रामसर कुआ किया, अब उसको चेंजकर के आप दूसरी जगह करते हों तो यह जनता के साथ धोखा ही है। इस तरह की राजनीति करना मेरे खयाल से ठीक नहीं है। और अगर चेंज करना था तो आप पहले कर लेते।

एक माननीय सदस्य: जिसकी चलती है सब करते हैं वो।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): नहीं, चलाओ, पंचायत आपने बनायी है न, आप चेंज करते उस समय उसी पंचायत का नाम भी यही लिख देते, उसमें हमारी तो चल रही नहीं थी। आपको उस जगह का नाम भी यही कर देना था। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, आपके कहे अनुसार आपके सामने मैंने बात करके इसका निस्तारण किया कि नहीं किया?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): निस्तारण हो, जब उस जगह हो तब निस्तारण हो। आपने कहा देख लेना, देख लेने की बात नहीं, ठोस निर्णय है। आपने ही किये, आपके आर्डर से रामसर कुआ पंचायत मुख्यालय हुआ, अब उसको ही चेंज आपके अधिकारी करे चाहे कोई भी करे, तो उससे पहले उस पंचायत का नाम ही घोनरी नाडी रखना था। मैंने भी कहा था कि घोनरी नाडी रखो, तो नहीं, रामसर कुआ करेंगे। आपने किया और अब उसको आप ही चेंज कर रहे हो, तो यह थोड़ा जनता में अच्छा मैसेज नहीं जायेगा बाकी आपके जितनी करनी है वो करो।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली। ...(व्यवधान) सोच रहे हैं।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 20, 29 और 49 पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज अन्तरराष्ट्रीय जल दिवस पर है उस पर मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में जल संसाधन में एकरूपता आये और जनता के द्वारा यह कार्य किया जाए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मांग संख्या 20 के बारे में मैं जोधपुर की कुछ समस्याओं को आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। जोधपुर में बहुत भीड़भाड़ हो गयी है, हर समय जाम लगता है। सोजती गेट शनीचर मन्दिर से हाई कोर्ट तक जाने के लिए लोगों को आधा-आधा घंटा रुकना पड़ता है, यहां एलिवेटेड फ्लाई ओवर बनाया जाए जो आखलिया के चौराहे से लेकर महामन्दिर तक बन जाए तो आने वाले 50 वर्षो तक जोधपुर की जनता आपको याद रखेगी। यह हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था हमारी पूरी कोर कमेटी ने और उन्होंने कहा था मैं इस पर देखूंगी परन्तु बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमें गम्भीरता से विचार किया जाए।

दूसरी बात, रोटरी चौराहे पर जो फ्लाई ओवर बन रहा है, उसका कार्य बहुत मंद गति से चल रहा है और ठेकेदार कहता है अगर मुझे पैसा समय पर मिले तो मैं इसको आने वाले छह महीने में पूरा कर सकता हूं। यह एक बहुत बड़ी सुविधा जोधपुर की आधी जनता के लिए हो जायेगी।

सूरसागर में करीब बीस बीघा करोड़ों की जमीन एक दीपेन माथुर ने अतिक्रमण कर के अपने कब्जे में ली, अधिकारियों से मिलीभगत कर के जे.डी.ए. से उनके पट्टे भी दिलवा दिये और उन लोगों को, जिनके वहां पर स्थान थे उनको अन्यत्र इधर-उधर घूमना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि उनको एवज में कहीं जमीन दे दी जाए ताकि वो लोग वापस बस सकें। खसरा नम्बर 209, 210, 212 और 213 पूरा अतिक्रमण हुआ हुआ है। करोड़ों की जमीन है जो पाश कालोनी में सूरसागर में आयी हुई है, उस पर अतिक्रमण हो गये हैं, उसको खाली कराया जाए और उन स्थानों को नीलाम कर के लोगों को आबंटित किया जाए।

झालामंड एरिया में कई नई कालोनियों में सीवर लाइन और सड़क की अव्यवस्था है, उसको ठीक करायी जाए।

झालामंड एरिया एवं मधुवन में के.के. कालोनी और ओम कालोनी में

(श्री कैलाश भंसाली)

पट्टे जारी नहीं हुए हैं। आधे पट्टे 2004 में हमारी पूर्ववर्ती सरकार, वसुन्धराजी ने जारी कर दिये थे परन्तु बाकी पट्टे अभी नहीं हुए हैं। वो लोग बहुत चक्कर काट रहे हैं, जयपुर भी आये थे और मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा में यह कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी मैं इन सब लोगों को पट्टे दिलवा दूंगी। उनकी बड़ी भारी मांग है और मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि उनको पट्टे जल्दी से जल्दी दिये जाएं ताकि वे सब लोग बैंक का लोन वगैरह लेकर अपने मकानों को पूरा बना सकें।

शहर में एक भी बड़ा कन्वेन्शन हाल नहीं है। टाउन हाल है जयनारायण व्यास हाल, उसमें 650 की सीटिंग है, मेरा निवेदन है कम से कम 25 सौ लोगों के बैठने का एक कन्वेन्शन हाल बनाया जाए और विवेक विहार में इसकी जमीन रखी हुई है, शीघ्र घोषणा कर के उसका कार्य प्रारम्भ किया जाए।

झालामंड एरिया, जिसमें दो लाख लोगों की पापुलेशन है उसमें एक टाउन हाल 500 सीट का बनाया जावे।

शहर में सूअर और आवारा पशुओं की भरमार रहती है, उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। विशेषकर गायों के लिए चारे की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था पूरी की जाए। नांदड़ी में जो गोशाला है उसमें पशु थियेटर भी लगाया जाए ताकि जानवरों का इलाज भी हो सके।

जोधपुर में सैकड़ों अतिक्रमण ऐसे हुए हैं, जेडीए ने या नगर निगम ने प्लाट अलाट किए, उन पर लोगों ने अतिक्रमण करके वहां पर अपने पक्के मकान अधिकारियों की मिलीभगत से बना लिये हैं। उनके अतिक्रमण हटाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़े-बड़े मकान बन गये हैं। उनकी एवज में उनको, मुझे ध्यान है कि एक लोढ़ा साहब का प्लाट है, वह 2004 से बराबर चक्कर काट रहे हैं उनको एवज में प्लाट नहीं मिला है, वह दिलाया जाये।

काक्स कुटीर में अतिक्रमण से वहां एक नई कच्ची बस्ती बस गयी। शास्त्री नगर की पाश कालोनी है। उसमें एक नई कच्ची बस्ती बस गयी उस अतिक्रमण को हटाकर के खाली कराया जाये। वह इतनी महंगी जमीन है, जिसका मुझे याद है कि 2006 में 1 लाख 51 हजार रुपये प्रति स्कवायर यार्ड से नीलामी हुई थी। वैसी नीलामी करेंगे तो अभी वह नगर निगम के एरिये में आती है, उनको बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। हमारे यहां नगर निगम कंगाल है।

(श्री कैलाश भंसाली)

कोई काम नहीं कर सकता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जेडीए की अब हालत ठीक हुई है तो जेडीए और वह दोनों मिलकर के यह काम पूरा करें।

एलईडी लाइट्स काफी कालोनियों में अभी नहीं लगी हैं। कई धार्मिक और सामाजिक स्थानों पर भी एलईडी लाइट्स की मांग है। जेडीए से मेरा निवेदन है मंत्री महोदय की मार्फत कि यह सब किया जाये।

हमारा मास्टर प्लान यहां भेजा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाये ताकि समुचित विकास जोधपुर विकास प्राधिकरण कर सके।

मथुरादास माथुर हास्पिटल में एक भूखंड है, जिसके नगर निगम ने पट्टे जारी कर दिये हैं। मेरा कहना है कि वह पट्टे रद्द किये जायें और उस जमीन को हास्पिटल के पास दी जाये। क्योंकि जिस प्रकार से हास्पिटल का विकास हो रहा है, हमारे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने स्वयं ने कहा था कि यह जगह बहुत कीमती है, उसके पट्टे कैंसिल किये जायें।

जोधपुर के समुचित विकास के लिये मैं मुख्य मंत्रीजी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एवं यूडीएच मिनिस्टर को धन्यवाद दूंगा कि उनकी दखलंदाजी के बाद जोधपुर की सड़कें अब अच्छी हो गयी हैं और हम चलने लायक हो गये हैं। सारे शहर में इस बात की तारीफ हो रही है कि इतनी अच्छी सड़कों का निर्माण करवाया है गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण कराया है, सीमेंट की सड़कें बनी हैं, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

जोधपुर में सब तरह से विकास हो रहा है। लेकिन ट्रैफिक की सुव्यवस्था नहीं है उसका कारण है कि हमारी पेरेलल रोड चलती है, सोजती गेट के बाजू में नई सड़क से वहां फोर लाइन रोड बना दी जाये तो आधा ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो जायेगा। इसी तरह से महामंदिर और भदासिया के बीच में भी इसी तरह से फोर लाइन बना दी जाये जो महा मंदिर स्टेशन से लेकर के भदासिया तक चलेगी।

जो सबसे बड़ी बात है, वह है हमारे जोधपुर का समुचित विकास हो। उसके लिए सरकार प्रयत्नशील रहे। हमारा एक चार्टर हमने कोर कमेटी में 9 सदस्यों ने मिलकर राज्य सरकार को भेजा है। उस पर गौर फरमाया जाये और वह सब चीजें जोधपुर को उपलब्ध कराई जायें ताकि जोधपुर का समुचित विकास हो सके। वैसे अमृत योजना में जोधपुर आया है परंतु उसका जब तक फायदा नहीं होगा, तब तक इस तरह का हमारा मास्टर प्लान स्वीकृत नहीं

(श्री कैलाश भंसाली)

होगा। रिंग रोड का कार्य भी, जो घोषणा कर दी है सरकार ने, वह जल्दी से प्रारम्भ किया जाये।

मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि जोधपुर का रेलवे स्टेशन आज चाहता है कि एक ऐसी पार्किंग की जगह बने, जसवंत सराय में जो जगह है, उस जगह पर पार्किंग प्लेस बनाया जा सकता है। एसी मार्केट और काम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। नगर निगम या जेडीए को काफी इनकम हो जायेगी और शहर के बीच में एक उम्दा काम हो जायेगा।

इसी तरह से गांधी मैदान में अंडर ग्राउंड पार्किंग का काम चल रहा है। उसको थोड़ा जल्दी किया जाये। काफी समय हो गया है, मेरे खयाल से डेढ़ साल हो गया है। लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। उसको आगे बढ़ाया जाये और पूरा पैसा देकर उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये।

पंचायती राज मंत्री जी से नहीं है क्योंकि मेरे यहां इस तरह के मामले नहीं हैं। लेकिन कुछ मामले पड़े हुए हैं उनको किया जाये। मेरे एरिये में बासनी में गांव लगते हैं। वहां पर कई लोगों की मुआवजे की राशि बाकी है, उनको दिलाई जाये।

इसके साथ ही साथ पंचायत राज शिक्षा का भी देखती है। बहुत सारी एकल महिलाएं, विधवा और परित्यक्ता 8-8, 10-10 साल से गांवों में हैं। उनको गृह जिले में वापस लाया जाये ताकि वह आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

यही बात मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति में जो बहुत सारे केसेज फर्जी डिग्री से, मैट्रिक के सर्टिफिकेट देकर के पंच या सरपंच बन गये हैं, उनके मामले जल्दी से निपटाये जायें ताकि न्याय मिल सके। हमारी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया कि शिक्षा के साथ पंचायत को जोड़ा है, इसका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं।

मुझे याद है कि मैं जब बहुत छोटा था, तब नागौर में पंचायती राज शुरू हुआ था और 'डे' वहां के सांसद थे। वह जवाहर लाल नेहरू जी को उसमें लाये थे। इतना बड़ा कार्यक्रम था और मेरे खयाल से लाखों लोग आये थे सारे राजस्थान से। पंचायती राज का शुभारम्भ नागौर से हुआ था। उसकी आज भी आवश्यकता है। कुछ लोगों ने नागौर के बारे में बातें रखी हैं, उस पर विशेष ध्यान दें। पंचायत राज का जो नक्शा है उसको और सुदृढ़ करें ताकि ज्यादा विकास राजस्थान का हो सके।

(श्री कैलाश भंसाली)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विद्याशंकर नन्दवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 49 पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समुदेशन के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के बाद गठित पहली सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप बनाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लाक स्तर पर और जिला स्तर पर सरकार काम करे, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, इस भाव के साथ ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषदों का गठन किया गया।

इसी क्रम में हमारे राजस्थान में 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लालजी नेहरू की उपस्थिति में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ हुआ। मैं यहां कहना चाहूंगा कि यह तो सही है कि पंचायती राज व्यवस्था आजादी के बाद जिस स्वरूप में बनी, लेकिन इसके पहले भी इस व्यवस्था के प्रमाण वैदिक काल में भी मिल रहे हैं। ब्रिटिश शासनकाल में 1882 में तत्कालीन वायसराय लार्ड रीपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया था। लेकिन वह सफल नहीं हो सका। ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय स्वायत्त संस्थान की स्थिति पर जांच करने तथा उनके सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए 1882 तथा 1907 में एक शाही आयोग का गठन किया। इस आयोग ने स्वायत्तशासी संस्थाओं के विकास पर बल दिया। जिसके कारण 1920 में संयुक्त पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाये गये।

स्वतंत्र भारत में भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। इसके बाद संविधान के 73 वें संशोधन के प्रावधानों के तहत समूचे भारत में इस पंचायती राज व्यवस्था को एक स्वरूप प्रदान किया गया।

इसी क्रम में राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत द्वारा संविधान की धारा 73 के अनुरूप इसी विधान सभा में बिल लाकर राजस्थान में भी त्रिपक्षीय पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया। जिसके

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

तहत 5 वर्ष में पंचायती राज व्यवस्थाओं में चुनाव हों। पंचायती राज चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था हो। महिलाओं को सशक्त और अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को पंचायती राज में अपना स्थान मिले इसके प्रयास किये गये।

(19.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 2 अक्टूबर, 2010 को 73वें संशोधन के तहत 5 विभाग-प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं महिला बाल विकास, पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए। संविधान के 73वें संशोधन में जहां 29 विभाग पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने थे वहीं राजस्थान में 5 विभाग इस व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए। पिछली सरकार ने इन 5 विभागों को पंचायती राज संस्थाओं को दिया लेकिन इन 5 विभागों के फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज पंचायती राज संस्थाओं को दी जानी थी वह केवल मात्र औपचारिकता ही बनी रही। काफी बड़े प्रयासों के बाद भी पंचायतीराज के प्रतिनिधियों को इस सारी व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थीं, वे व्यवस्थाएं नहीं मिल पाईं, यह सारा विषय प्रशासन और सत्ता के बीच में उलझ कर रह गया और आज यह व्यवस्था जहां की तहां बनी हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व्यवस्था पर इसके अतिरिक्त और प्रयास किया गया। पंचायतों की नियमित 5, 12, 20 और 27 को बैठकें हों, तारीखें तय की गईं। स्थान सभी सरकारी व्यवस्था को पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर और जिला स्तर पर, इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि वहां पर सम्बन्धित अधिकारी पंचायती राज व्यवस्थाओं में अपनी भूमिका निभा सकें। लेकिन वह सारी व्यवस्था भी कुछ समय बाद ही औपचारिकता बन कर रह गयी। पंचायतों में ग्राम सचिवालय की व्यवस्था की गयी जिसके अन्तर्गत पंचायतों में शिकायत पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका, सब चीजों की व्यवस्था की गई। लेकिन वह व्यवस्था भी लम्बी नहीं चल पाई। सरकार पंचायतों को मजबूत करने के लिए अलग-अलग बिल भी लाई, राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम, 2011, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 लेकिन ये सब बिल जिस प्रकार से राजस्थान की विधान सभा ने पास किए, उसके बाद समाज में उसका

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

जो स्थान बनना चाहिए था, लोगों में उसकी जो प्रमुख भूमिका बननी चाहिए थी, वह न के बराबर रहकर केवल एक औपचारिकता ही बन कर रह गयी।

इन सारी व्यवस्थाओं में समयबद्ध काम करने के लिए, काम नहीं करने पर दंड की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं तय की गईं लेकिन ये सब बातें औचित्यहीन ही बनकर रह गईं। मैं माननीय मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजेजी का यहां आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि राजस्थान में पंचायतों में स्वच्छता और शिक्षा के लिए बिल लाया गया जिसके तहत पंचायती राज की व्यवस्था के चुनाव भी हुए। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था में जब शिक्षित व्यक्ति चुनाव जीतकर आए और मुख्य मंत्रीजी ने जो सुराज की कल्पना, गांवों में गंदगी दूर करने, शिक्षित लोगों की पंचायती राज व्यवस्था हो, इसके लिए किया, वह सारा मूर्त रूप आज प्रदेश में स्थित है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार पंचायतों को साफ सुथरा बनाने के लिए एक अभिनव योजना 'गौरव पथ' के रूप में प्रारम्भ की जिसके परिणामस्वरूप आज गांवों में साफ सुथरी सफाई की स्थिति बनती है। शौचालयों के लिए भी जहां पूर्व में कम राशि दी जाती थी आज उस राशि को बढ़ाकर 12 हजार रुपया किया गया, यह मानसिकता प्रदर्शित करता है।

ग्रामीण विकास की योजनाओं में गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने कुल 2940.42 करोड़ रुपए प्राप्त कर 3939.80 करोड़ रुपए खर्च कर बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में जहां पहले 2 लाख रुपए दिए जाते थे उसे बढ़ाकर गरीब किसान और गांव के लोगों को संबल प्रदान करने के लिए 3 लाख रुपए किया गया। जहां माह दिसम्बर, 2013 से माह दिसम्बर, 2014 तक मनरेगा योजना में 695.27 करोड़ रुपए व्यय कर 724.5 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, वहीं 2014-15 में 36.85 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान कर 1685.46 लाख मानव दिवस सृजित किए गए व 3252.76 करोड़ रुपए व्यय किया गया।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु 2011 की जनगणना के आधार पर कुल 47 पंचायत समितियां नव सृजित, 64 पंचायत समितियां पुनर्गठित, 723 ग्राम पंचायतें नव सृजित और 1423 ग्राम पंचायतें पुनर्गठित किए जाने की अधिसूचना दिनाक 5.11.2014 को जारी कर एक अभिनव कार्य राजस्थान की वर्तमान सरकार द्वारा किया गया है।

मनरेगा योजना में समय पर मजदूर को उसकी मजदूरी का भुगतान

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

हो, मजदूर की फीडिंग का कार्य पंचायत समिति स्तर पर नहीं करके यह यदि पंचायत स्तर पर किया जाए तो इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा ई-पंचायत का कंसैप्ट राजस्थान में लाया गया, जिससे ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर, इंटरनेट, ईमेल आदि सुविधाएं बढ़ाई जाएं एवं पंचायतों में शिक्षित बेरोजगार लोगों को इन कार्यक्रमों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं।

राजस्थान में सीमित जल संसाधन होने के कारण कृषि उत्पादन पूर्णतः मानसून पर निर्भर रहता है। प्रदेश की 90 प्रतिशत से अधिक कृषि योग्य भूमि वर्षा जल पर निर्भर होती है। बारिश के दिनों में अधिकांश पानी व्यर्थ बह जाता है जिससे उसका समुचित उपयोग नहीं होता। इससे भू जल स्तर गिरता है और समुचित कृषि कार्य के लिए जो प्रयास होने चाहिए वे नहीं होते हैं। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जल स्वावलम्बन योजना महाराष्ट्र के अनुभवी लोगों को साथ लेकर प्रारम्भ की गई, जिसके सार्थक परिणाम राजस्थान में सभी के सामने आने वाले हैं।

मैं माननीय पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक छोटे-से राज्य केरल ने पंचायती राज व्यवस्था पर अपना जो स्वरूप स्थापित किया है, राजस्थान को भी उससे सीख लेते हुए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में पहल करनी चाहिए। पंचायतों को सशक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना में 5 लाख तक की स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे। इसी प्रकार पंचायत समितियों को 10 लाख रुपए और जिला परिषद को 15 लाख रुपए की स्वीकृति के अधिकार दिए जाने हैं। माननीय प्रधान मंत्रीजी द्वारा गांवों में अधिक से अधिक विकास हो, इसके लिए 14वें वित्त आयोग में 13वें वित्त आयोग के मुकाबले 292 लाख करोड़ रुपए की राशि पंचायतों को दी गयी है।

श्रमिकों को समय पर भुगतान हो, इसके लिए उनके खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था की है। मैं माननीय पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसी तरह ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र बनाने के लिए ग्राम सेवक, कनिष्ठ लिपिक पदों पर भर्ती की जाए एवं इसमें बड़ी बाधा बने हुए उनके अनुभव की, इसमें प्रोपर ट्रेनिंग कराई जाए।

मैं माननीय पंचायती राज मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां हमने बजट निर्धारण करने के लिए जिला स्तर पर आयोजना समितियों का गठन किया है वे आयोजना समितियां बजट जब पास करती हैं उसके समय ही उनको पूरा का पूरा फोकस किया जाता है, इसमें भी हम केरल के माडल पर सारी व्यवस्थाएं लागू करें तो आयोजना समितियों का महत्व बढ़ेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अपनी बात को थोड़ी-सी बात कहते हुए विराम दूंगा। पंचायतीराज एक्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों में जो कर लेने के प्रावधान हैं, उनको भी हमें गम्भीरता से लेना चाहिए। ग्राम पंचायतों को विकास में भी राशि प्राप्त होती है उसकी प्रदेश स्तर से त्रिपक्षीय समीक्षा होनी चाहिए। राशि अंतिम समय पर ही खर्च करने का दबाव जो बनता है जिसके कारण से अनियमितताएं होती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खेमाराम। ...(व्यवधान) वैसे, मंत्री महोदय, आपका जो विभाग है उस पर चर्चा हो रही है पूरी, जबकि मांग आज आपकी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि मांग संख्या 49 जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा, आपने सबको निर्देश भी दिए थे कि आप मुआवजा और समनुदेशन के बारे में ही बोलें परन्तु सभी माननीय सदस्यों के ग्रामीण विकास और पंचायतीराज की व्यवस्था के बारे में जो भी इश्यूज आए हैं, उन सबके बारे में चर्चा की है तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और आपको अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 20, 29 पर मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने हमारे बीदासर में नई पंचायत समिति का गठन किया है उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वहां पंचायत समिति बन गयी, लेकिन भवन नहीं बना। भवन के लिए दानदाता ने 4 बीघा जमीन आज से 3-4 महीने पहले दान कर दी और सारी प्रक्रिया उनकी पूर्ण हो गयी, लेकिन अभी जिला परिषद से उसकी कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है। मैं

(श्री खेमाराम)

चाहूंगा, इसकी जल्दी से जल्दी स्वीकृति दिलाकर उस भवन का कार्य कराया जाय।

इसके साथ-साथ विशेष तौर से हमारे पंचायत समिति सुजानगढ़ में बीडीओ की पोस्ट खाली है। हमारे जेईएन नहीं है, हमारे ग्राम सेवकों की बहुत ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हैं। एक-एक ग्राम सेवक के पास 3-3, 4-4 पंचायतों का भार है। मैं चाहूंगा, आप उनको भी शीघ्र से शीघ्र भरने की व्यवस्था कराएं।

हमारे वहां अभी कुछ शौचालय वगैरह बने थे, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। 4-4 महीने हो गये शौचालय बने हुए, मैं चाहूंगा, आप निर्देशित करें कि उनका भुगतान शीघ्र हो। गरीब व्यक्ति जिन्होंने 12 हजार रुपये के शौचालय के लिए आवेदन किया था, उनके शौचालय नहीं बन रहे हैं।

एक विशेष तौर से पंचायतों में नरेगा के माध्यम से सीसी सड़क बन रही है वह सीसी सड़क सिर्फ 12 फुट चौड़ी बन रही है और वहां रास्ते 20 फुट या 18 फुट के हैं, बाकी जमीन खाली पड़ी रहती है। गांव के लोग या तो उस सड़क को बनाने नहीं देते हैं और बन जाती है तो उसके आगे उनका एनक्रोचमेंट हो जाता है। मेरा निवेदन है कि इसमें भी ऐसा कोई संशोधन करके जो नरेगा में रोड 12 फुट की है, उसको 18 या 20 फुट कराने की कृपा करें ताकि वहां अवैध अतिक्रमण नहीं हो।

विशेष तौर से वहां गांवों में सिवाय चक, जोहड़ पायतन, इस तरह की जो जमीनें हैं वहां पर लोगों ने अभी कब्जे करने चालू किये हैं या पहले से किये हुए हैं। अगर ये चलते रहेंगे और आप उनको नहीं हटाएंगे, वे भवन बना लेंगे, उसके बाद तोड़-फोड़ करेंगे। अभी से ऐसा कोई निर्देश जारी करें कि इस तरह के वहां अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए विशेष तौर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सुजानगढ़ नगर परिषद को अमृत योजना के अन्दर लेकर 210 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके माध्यम से वहां ड्रेनेज, सीवरेज, सौंदर्यकरण के जो कार्य होंगे, इसकी डीपीआर बनाने के आपने आदेशित कर दिया है। मैं चाहूंगा कि इसका कार्य शीघ्र से शीघ्र हो और उसके प्रदेश स्तर से उसकी मानिटरिंग हो। नहीं तो क्या होता है कि इस कार्य में कई तरह की कमियां रह जाती हैं, उसके बाद में जो पानी की

(श्री खेमाराम)

निकासी है या इसका जो सिस्टम है वह फेल हो जाता है और इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी वह कार्य सही नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कार्य की ओर आप विशेष तौर से ध्यान दें।

हमारे यहां कई तरह के, मैंने पहले भी पर्ची के माध्यम से उठाया था, अवैध भवनों के निर्माण कार्य हो रहे हैं और जिस ढंग से हो रहे हैं, उसके लिए आपने कमेटी का गठन किया है उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस तरह के लोग जो इस ढंग से वहां अवैध निर्माण कर लेते हैं और आप फिर उसको तोड़ने की कार्यवाही करते हैं तो उससे वहां गलत मैसेज जाते हैं। मेरा कहना है कि इसको रोकने के लिए विशेष तौर से वहां जो अधिशासी अधिकारी होता है या नगर परिषद का आयुक्त होता है, उसकी जिम्मेदारी आप फिक्स करिए कि किसके कार्यकाल में ये अवैध निर्माण हुए। प्रश्न के जवाब में मुझे बताया गया कि अवैध निर्माण की हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं आयी। इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन गईं, 6-6 मंजिल के काम्प्लेक्स बन गये, लेकिन उनके पास शिकायत ही नहीं आयी? इस तरह के जवाब देकर अपनी इतिश्री कर लेते हैं। जिनके कार्यकाल में वे भवन बने हैं, अवैध निर्माण हुए हैं तो उसके ऊपर भी आप एक जिम्मेदारी तय करिए ताकि इस तरह का आगे निर्माण कार्य न हो।

पत्रावलियों की बात करें तो जो लोग नगरपालिका में, नगर परिषद में भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए जाते हैं तो उनको वे अधिकारी इस तरह से उलझा देते हैं कि वह स्वीकृति उनको मिलती ही नहीं है और वे कह देते हैं कि आप तो बना लो, मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा। यह बैठा हूं, देख लूंगा, इस आधार पर वे बिल्डिंग्स बन गयीं। अब आप यह आदेश करने जा रहे हैं कि वे बिल्डिंग अवैध बनी हैं, उनको हम तोड़ेंगे। जो भी नया अधिशासी अधिकारी या आयुक्त आता है, वह आते ही देखता है कि ये भवन कौन-कौनसे बने हुए हैं। उनको बुला लेते हैं कि आपने भवन अवैध बनाया है। अवैध बनाये हुए 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन उन्होंने उस भवन का नियमन नहीं कराया, उस जमीन का कन्वर्जन नहीं कराया और उसके कारण से बार-बार जो भी अधिकारी आते हैं उनको टॉर्चर करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के जो भी भवन निर्माण होते हैं, शुरुआत में आप उसको रोककर ऐसा कार्य करें ताकि वहां इस तरह की स्थिति नहीं हो।

(श्री खेमाराम)

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे सुजानगढ़ में केवल 70 वर्ग मीटर जमीन के ऊपर एक बहुमंजिला इमारत खड़ी हो गयी और वह भी एनएच 65 के ऊपर। बस स्टैण्ड के पास नगरपालिका में पहले आवासीय पट्टा बनाने का आवेदन किया। उसको आवासीय पट्टा मिल गया। उसके बाद उसने कामर्शियल कराने के लिए आवेदन दिया। उसने वह भवन तैयार कर लिया। भवन ही तैयार नहीं उसके ऊपर उन्होंने बीयर बार का लाइसेंस ले लिया। नगरपालिका से उस जमीन का न तो कन्वर्जन कराया और न ही उस जमीन पर किसी तरह की परमिशन ली गयी। आवासीय भवन के लिए उन्होंने आवेदन किया, उस आवेदन के बाद में नगरपालिका से सांठ-गांठ करके जिस ढंग से कार्य किया है, यह एक उदाहरण है। टाउन प्लानर, बीकानेर ने भी उनको लिखा कि यह जो निर्माण कार्य हुआ है, यह गलत हुआ है। उसमें न तो सैटबैक छोड़ा हुआ है, न जल की सुविधा की गयी है, न पार्किंग है। मैन एनएच 65 के ऊपर उस बीयर बार की वजह से वहां इतने एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वे एनएच 65 पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। ऐसे कामों के लिए पहले तो आप ध्यान ही नहीं देते और जब मैंने सवाल किया तो आपका जवाब आया कि हमारे पास उसकी कोई शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई। इस ढंग के जो कार्य हो रहे हैं, मेरा निवेदन है कि ऐसे कार्यों को आप निश्चित रूप से रुकाएं। दूसरा, उन्होंने इसी का नियमन कराने के लिए उस भवन के भू-प्रयोग परिवर्तन के लिए पैसे ले लिये, प्रथम व द्वितीय तल के लिए पैसे ले लिये, लीज मनी की राशि ले ली, सैटबैक के लिए राशि ले ली और छज्जा वगैरह बनाने के लिए उस भवन की राशि जमा कर ली। जमा करने के बाद जब नगरपालिका के दूसरे आयुक्त आये और उन्होंने कहा तो उसकी आड़ लेकर वे कोर्ट में चले गये। अब वे कह रहे हैं कि हमारा यह मामला तो कोर्ट में चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है, नगरपालिका के इन अधिकारियों के द्वारा इस तरह के जो कृत्य किये जाते हैं उन पर आप थोड़ी सख्ती करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के अवैध काम हो रहे हैं उन पर अंकुश लगेगा।

आज विशेष तौर से सुजानगढ़ के अन्दर जो गोचर जमीन है, जोहड़ पायतन है, वह पैराफेरी बैल्ट में आ गया। उसमें भी लोगों ने जिस ढंग से हाथ लगा, उस पर कब्जा कर लिया। हमारे अधिकांश गिनाणियां थीं, सुजानगढ़ में 5 गिनाणियां थीं, आज आपको एक गिनाणी मिलेगी, बाकी सारी गिनाणियों पर कब्जे हो गये। वहां भवन बन गये हैं और भूमाफिया कब्जा करके बेच रहे

(श्री खेमाराम)

हैं। उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। इस ढंग के ये कार्य करते रहेंगे तो फिर दूसरे देखते रहेंगे। मेरा निवेदन है कि ऐसे कार्य हो रहे हैं उन पर आप अंकुश लगाएंगे। जो गिनाणियों पर कब्जे हो रहे हैं, उनकी भी आप शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था करें ताकि इस तरह के आगे और कोई कब्जे नहीं हों।

हमारे इतने सारे विवाह स्थल बने हुए हैं, वे रोड के ऊपर बने हुए हैं। वे सारी गंदगी रोड पर डाल देते हैं और सुबह वहां निकलते हैं तो हालत खराब हो जाती है। सारे मोहल्लेवासी कह रहे हैं कि हमारे इतनी बदबू कर दी। उनके लिए भी अलग से कोई ऐसा प्रावधान करें ताकि इस तरह के कार्य न हों।

मैं विशेष तौर से जो अमृत योजना है इसके लिए आप डीपीआर तैयार करा रहे हैं उसके लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने सौंदर्यकरण का भी लिया है, उसमें आपने कहा है कि तालाब का इतना शानदार लुक देंगे कि लोग दूर-दूर से देखने को आएंगे। निश्चित रूप से हम चाहेंगे जैसा आपने कहा है वैसा ही करेंगे, लेकिन इसकी मोनिटरिंग सही ढंग से नहीं करेंगे तो इस कार्य में कई तरह की शंकाएं पैदा होंगी। अभी सुजानगढ़ में जिस ढंग से कार्य हो रहे हैं, हमारे सफाई की व्यवस्था है। नगरपालिका ने ठेके पर देने के बावजूद भी अभी हालत खराब है। इसकी प्रक्रिया को इस ढंग से आप तय करें कि आने वाले समय में सही ढंग से वहां सफाई की व्यवस्था हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रताप लाल।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे मांग संख्या 49 पंचायती राज पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। वैसे पंचायती राज की सारी बातें सब ने कह दी हैं लेकिन फिर भी मैं कुछ बात रखना चाहता हूं।

आजादी के बाद में 2 अक्टूबर, 1959 को हमारे ही प्रदेश के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की गयी थी। इसके बाद में 18 साल तक हमारे इस पंचायती राज की किसी ने सुध नहीं ली। आपातकाल लगा उसके बाद में सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री बने, उस दौरान गांवों की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। मैं आपको बताता हूं कि उस टाइम में काम के बदले अनाज योजना, अन्त्योदय योजना, इस प्रकार की कई योजनाएं शुरू कीं। जो आज पूरे भारत में बीपीएल

(श्री प्रताप लाल भील)

योजना है वो भैरोंसिंहजी शेखावत के द्वारा ही शुरू की गयी। उसके बाद में पंचायतों का पुनर्गठन, 1977 से 1980 तक भैरोंसिंहजी शेखावत साहब की सरकार रही, फिर वापस....

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, यह पंचायती राज की मांग नहीं है।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): इसमें दिया है, थोड़ा बोल दूंगा मैं।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे तो सारे ही विभाग के बारे में बोल दो। मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी को कह दूंगा, बाकी सबका ये जवाब दे देंगे।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): इसमें दिया है न।

श्री उपाध्यक्ष: मैं, सचेतक महोदय, आपको निवेदन कर रहा हूं कि जिन सदस्यों को आप बुलवाते हैं उनको यह तो पता होना चाहिए कि आज की मांग कौनसी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फेल हो गये उप मुख्य सचेतक।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा ही बोलूंगा।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ये कांग्रेस के सचेतकजी को चांस मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: वो तो आपके सदस्य भी बोले हैं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इनके पूर्व मंत्रीजी बोले हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दोनों सदस्य विषय पर बोले हैं और कल बात हुई थी कि कम सदस्य बोलें लेकिन इनकी तो कोई तैयारी ही नहीं है और मोहन लालजी गुप्ता साहब को सुनने के लिए बैठे हैं हम।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): इनके मंत्रीजी बोले हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके मंत्रीजी किस पर बोले हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको एक दफे जरूर मौका देना, हमारा धैर्य जवाब दे रहा है कि आप बुलायेंगे या नहीं बुलायेंगे।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): महेन्द्रजीत सिंहजी मालवीया पूरे के पूरे पंचायती राज पर बोले हैं। आपके महेन्द्रजीत सिंहजी मालवीया किस पर बोले हैं?

श्री उपाध्यक्ष: आसन को इस बात का एतराज नहीं है कि आप इन विषय पर बोलें। आसन तो सिर्फ यह जानना चाह रहा था कि आपको मालूम है क्या कि आज कौनसी मांग है क्योंकि पारित मुझे आप ही से करवानी है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन को तय करना है कि जिस प्रकार मांग संख्या 49 है, जब आसन को पता है कि मांग संख्या 49 में देवस्थान के लिए 33 लाख और 74 हजार का बजट है, एक हजार का बजट खनिज के लिए है, एक हजार का बजट उसके.....

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक हजार रुपये का ही है क्या?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक हजार, ओनली एक हजार वाणिज्य कर का। मेरे इस विभाग का बजट ही नहीं है और न किसी प्रकार की कोई.....

श्री उपाध्यक्ष: टोटल डिमाण्ड ही 33 लाख 76 हजार की है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पूरी डिमांड 33 लाख 76 हजार की है जिसमें 33 लाख 74 हजार रुपये तो सिर्फ देवस्थान विभाग के हैं और एक हजार खनिज के हैं और एक हजार वाणिज्य कर के हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब सबने कटौती प्रस्ताव 100 रुपये के इस पर लगाये हैं और बोल गये पता नहीं कहां-कहां।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब यह तो विधान सभा को तय करना है, हमें क्या पता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति में यह सारा बिजनस तय होता है। उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता सहित सभी लोग उपस्थित थे और इस मांग के पीछे मन्तव्य सबका यही था कि ग्रामीण विकास के बारे में मोटे-मोटे तौर पर माननीय सदस्य अपनी बात कह देंगे। वैसे भी, उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि विषय जब सदन के सामने आता है तो एक तरह से सदन की सम्पत्ति हो जाता है और सदन के अन्दर सभी, उसका वाइडर स्कोप भी हो जाता है। इसलिए आपने अलाऊ.....

श्री उपाध्यक्ष: वो अगर आप मुझे पहले स्मरण करा देते तो आपकी डिमांड के साथ में विधि पर भी चर्चा करा देता।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आज ज्ञान का अर्जन हुआ, विषय का अर्जन हुआ, ज्ञान का अर्जन हुआ। इस डिमांड के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं कार्य सलाहकार समिति में विराजते हैं, आपकी अनुमति से हमने यह सब किया है।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे कुछ बातें मैं आसन और इस सदन के रिकार्ड पर नहीं लाना चाहता हूं पर मैं अब बीएसी में आऊंगा तब मैं बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी, जी, उपाध्यक्ष महोदय। वैसे तो आप तो सर्वशक्तिशाली हैं उपाध्यक्ष महोदय, पर आपकी अनुमति से सब हुआ है इसलिए बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आपके पास में पूरा व्यापक पंचायती राज है और पूरा समय है। आप सम्पूर्ण समय का इस्तेमाल करते हुए.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन को नाराज करना मेरा मन्तव्य नहीं रहा।

श्री उपाध्यक्ष: आसन कभी आपसे नाराज हो सकता है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वो मैं जानता हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सबसे पहले प्रतिपक्ष के महेन्द्रजीत सिंहजी मालवीया ने पूरा गुरु गोलवलकर योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, पूरा मगरा, डांग, मेवात और पंचायतों का पुनर्गठन, शिक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, जनता जल योजना, सबके बारे में डिस्कशन किया है तो उस समय तो किसी ने कुछ कहा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका ज्ञानवर्द्धन किया है महेन्द्रजीतजी मालवीया ने कि इस विभाग में क्या है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, मेरा ज्ञानवर्द्धन करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास जो मेरा ज्ञान है वो ही मेरे लिए सफिशिएंट है, मुझे किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, इसलिए कि विस्तृत रूप से मंत्रीजी इस पर जानकारी ले लें कि कहां क्या इस डिपार्टमेंट में कमी चल रही है और वो ज्ञानवर्द्धन किया है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मुझे डिपार्टमेंट का पता है।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे एक बात समझाने की कोशिश करिये, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, कि आपको भेजा तो जाए ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए और आप हिस्ट्री पढ़ा आओ तो उसका क्या करें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब तक तो माननीय सदस्य अपनी बात ही पूरी कर देते।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1992-93 में जब भैरोंसिंहजी शेखावत साहब की सरकार थी, मेरा तो विषय यही है, मेरे वहां तो नगरपालिका है ही नहीं, पंचायती राज है तो पंचायती राज पर ही तो बोलेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ है कि आपके प्रति जो धारणा थी, उस धारणा में पूरा परिवर्तन हुआ है। आपके बारे में मैं मानता था, राजेन्द्रजी मानते थे कि आसन बहुत कड़क है पर आज पहली बार मालूम पड़ा आसन इतना विनम्र है।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय, यह समय-समय का फेर है।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज का जब भी मांग पत्र आयेगा उस टाइम पर मैं बोलूंगा, धन्यवाद, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप वैसे बोल लें कोई दिक्कत नहीं, सबने बोला है तो। आप नाराज तो नहीं हुए न आसन से? बोलो आप जितना।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): मेरा तो थोड़ा निवेदन यह था कि पंचायती राज में मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है उसमें सरकार आपके द्वार में माननीय गुलाबजी भाईसाहब पधारे थे और हम प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर तक पहुंचे थे। तब वहां पर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आया था और आपके सामने वहां के लोगों ने स्टाम्प पर लिखकर दिया कि मेरा नरेगा का पैसा खा गये, इन्दिरा आवास का पैसा खा गये, सी.एम. आवास का पैसा खा गये। जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया और लगभग 10 मेरी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें लाखों-करोड़ों रुपये का घोटाला है। दो-तीन ग्राम पंचायतों के सरपंच जेल में भी गये हैं। आपको पूरा विषय ध्यान में है और उसकी जांच चल रही है पर उसमें थोड़ी शिथिलता आ रही है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए।

(श्री प्रताप लाल भील)

उसके अलावा मेरा निवेदन यह था कि सन् 2002 में बीपीएल का जो सर्वे हुआ था उस समय कुछ ग्राम पंचायतों में या तो जिसने सर्वे किया उसने ध्यान नहीं दिया या आपसी कोई मतभेद था जिससे ऐसे बहुत सारे लोग बीपीएल से वंचित रह गये। वैसे यह भारत सरकार का मैटर है, फिर भी मैं राजस्थान सरकार से यह निवेदन करूंगा कि बीपीएल से जो वंचित रह गये उनका भारत सरकार से कह कर उनका बीपीएल सर्वे कराया जाए।

इसके अलावा जो विधायक मद है उसमें यह है कि अभी किसी गांव को सामुदायिक भवन वगैरह देते हैं तो यह बताते हैं कि पहले सामुदायिक भवन यहां दे रखा है। एक गांव में अलग-अलग मजरे-ढाणी हैं तो उनको अलग-अलग सामुदायिक भवन देने चाहिए और वो दे नहीं पाते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें थोड़ी छूट की आवश्यकता है तो छूट दी जाए। बाकी पंचायती राज का जब भी मांग पत्र आयेगा उसमें बोलने का मौका मिलेगा। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 29 और 49 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवासन मंत्री महोदय का इस आवासन मण्डल पर ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं। आवासन मण्डल का गठन 1970 में इस आशय को ध्यान में रखते हुए हुआ कि सामान्य जन को उच्च क्वालिटी के आवास उपलब्ध किये जायेंगे किंतु अफसोस का विषय है कि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान आवासन मण्डल ऐसी संस्था है- जिसके सभी कर्मचारी करोड़पति हो गये क्योंकि आबंटन करने में, इसमें भूमि की खरीद में इनके कमीशन का जो तरीका है, उससे आम जन को तो कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आवासन मण्डल में विराजमान सभी अधिकारी-कर्मचारियों का भला जरूर हुआ है। आवासन मण्डल में बिना किसी पूर्व योजना के पंजीयन से हजारों मकानों का निर्माण कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है। आवासन मण्डल में अधिकारियों को सिर्फ वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति चाहिए ताकि पूरा अपना कमीशन का कार्यक्रम हो जाये और इस सरकारी सम्पत्ति का वह पूर्णतः दुरुपयोग कर सकें।

आज के दिन राजस्थान आवासन मण्डल राज्य की जनता के लिए

(श्री मनोज कुमार)

एक सफेद हाथी साबित हो चुका है। मैं नमूने के तौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1999 में आवास विकास संस्थान में अवसायन कर लेनदारी और देनदारियों के हिसाब के लिए अवसायन समिति का गठन किया गया था और उसका मात्र छह महीने का समय था। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। 17 वर्ष पूर्ण हो गये, 18वें वर्ष में वह कमेटी आज भी कार्यरत है। जिसको इस राजस्थान की जनता का 2,523 लाख रुपये की लेनदारी रिकवर करनी थी, लेकिन 17 साल में मात्र 297.38 लाख रुपये रिकवर किये हैं। इस समय में उन 80 कर्मचारियों और अधिकारियों को भुगतान उनकी सैलेरी में, भत्तों में और उनकी व्यवस्था में 367.84 लाख रुपये खर्च हुए हैं जिससे राजस्थान की जनता का रिकवरी के दौरान कम से कम 100 लाख रुपये का नुकसान इस राजस्थान को रिकवरी करने के नाम से और अधिक हो गया। ऐसी स्थिति में आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि इस राजस्थान आवासन मण्डल का भला हो सकता है। इन आवासन मण्डल के अधिकारियों द्वारा एक-एक कर्मचारियों का 1979 में पंजीकरण कराया था। नगरीय आवासन मण्डल के आपके कराये गये पंजीयन के कागजों के लिए दर-दर लोग घूम रहे हैं। आवासन मण्डल उन्हें टरका रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय सदन में यह आश्वासन दें कि वर्ष 1979 के पंजीयनकर्मियों को स्वतंत्र आवास आप कम से कम पाँच महीने में, छह महीने में, एक साल में देने का निर्धारण कर देंगे।

दूसरा, यह कहना चाहता हूं कि अवसायन समिति का गठन किया था, जिसको 18 वर्ष हो गये और जो राशि रिकवर की है, उससे अधिक राशि उन पर खर्च हो गयी, उसको आप कब तक समाप्त कर देंगे ताकि इस राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका के बारे में मैं कहना चाहता हूं, हमारे अभी सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अवगत कराया है कि नगरपालिका के ईओ और चेयरमैन दोनों जिस तरीके से मिलकर अपनी मनमर्जी से, जिसको चाहे उसको निर्माण करने दे रहे। जिसको चाहे उसको इजाजत दे रहे हैं, जिसको ना चाहे उसको नहीं दे रहे हैं और बार-बार शिकायत करने के बाद भी अगर उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ माननीय मंत्री महोदय, गम्भीरता से आप जांच कराकर कार्यवाही करने की कोशिश करें।

(श्री मनोज कुमार)

नगरपालिका के द्वारा पट्टा जारी कर दिया जाता है, उसकी अपील कलेक्ट्री में होती है। उसका निस्तारण कलेक्टर के होने के बाद अगर डीएलबी में फाइल आ जाती है तो या तो उस फाइल का निस्तारण लम्बे समय तक नहीं होता। अगर होता है तो कहीं न कहीं अपने सिस्टम में आपकी राशि तय करने के बाद उसका निस्तारण होता है। माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि डीएलबी में जो भी नगरपालिका की पट्टों की फाइल आये, उसका समय निर्धारित करें कि इतने समय में वह फाइल का निस्तारण कर दे। महीने, दो महीने, छह महीने।

इसी तरह से नगरपालिका द्वारा 245 के नोटिस लोगों को दिये जाते हैं और 245 के नोटिस देने के बाद नगरपालिका के ईओ और चेयरमैन तय करते हैं कि इसमें कोई हमारे को राशि अगर मिल गयी तो तो ठीक है, उसका निस्तारण कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि जिस-जिस नगरपालिका में 245 के नोटिस जिस उद्देश्य के लिए दिया गया, अगर उसका निस्तारण उसी उद्देश्य में नहीं होता है, ईओ और चेयरमैन मिलकर गलत काम करते हैं तो उन नोटिसों की जांच कराई जाए कि उनको नोटिस क्यों दिया गया था और जिस कारण से नोटिस दिया गया था तो उसी कारण से उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं होता है तो उनकी आप जांच करायें। मैं विशेषकर मेरी राजगढ़ नगरपालिका के लिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि जितने भी 245 के नोटिस दिये गये हैं, उन सबकी जांच करायें कि आपने किस उद्देश्य के लिए नोटिस दिया था? उसका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम करायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कस्टोडियन लैंड नगरपालिका क्षेत्र में पड़ी है, उस कस्टोडियन लैंड का कहीं भी जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, कोई भी नगरपालिका उनको अतिक्रमणमुक्त नहीं करना चाहती। लोग इंतजार करते हैं कि कभी भी प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेगा और हम उस कस्टोडियन भूमि को नियमित कराने का काम करेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं, करोड़ों की सम्पत्ति नगरपालिका क्षेत्र में कस्टोडियन भूमि जो सरकारी भूमि है, पहले से जानकारी है, उसके बाद भी उनके अतिक्रमण नहीं हटाये जाते। इसलिए कहना चाहता हूं कि इस अतिक्रमण को हटाकर इस सरकारी सम्पत्ति को बचाने का काम करे।

(श्री मनोज कुमार)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय और अनुबन्ध नियम, 1974 के तहत नगरपालिका में 25 लाख तक का कार्य करने की जो चेयरमैन के पावर की बात कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय, मेरे से एक दिन पहले भी चर्चा हुई थी, उसमें भी आपने जवाब दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय और अनुबन्ध नियम, 1974 के नियम 14(1) से लेकर नियम (11), नियम (14), नियम (16) और नियम (81) के अधीन उन शक्तियों की एक भी व्यक्ति पालना नहीं करते, ना तो निविदा का पूर्णतः पालन करते हैं, ना ही उनकी 20,000 से अधिक और 10 लाख रुपये तक की राशि का टेण्डर की विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, वह विज्ञप्ति जारी करते हैं। ना ही उपनिदेशक क्षेत्रीय से उसका अनुमोदन कराते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, मेरे नगरपालिका क्षेत्र में तो आप कम से कम इस नियम की पूरी जांच करा लें कि जितने कार्य उसने 25 लाख के अपने अधिकार क्षेत्र में किये हैं, इन नियमों का तो उसने पालन किया कि नहीं किया? इसकी आप कमेटी बनाकर जांच कराने का काम करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ कृषि भूमि में, और कोई दूसरी भूमि नहीं बची है, आज प्रोपर्टी डीलर्स ने कृषि भूमि में कालोनिया काट दीं, उनका नियमन नहीं हुआ, वहां बिना नियमन की भूमि पड़ी है। जो लोग बस गये, वहां निवास कर रहे हैं और निवास करने के बाद उनको सरकारी सुविधा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन सबके लिए कोई न कोई व्यवस्था की जाये कि बिजली का कनेक्शन मिल जाये, पानी की वहां लाइन डल जाये और वह सरकारी सुविधा का लाभ ले सकें। इकरारनामा के माध्यम से जिन्होंने भूमि खरीदी है या उनकी वहीं रजिस्ट्री हो गयी, उनको सरकारी जो भी योजना आती है, उसका उनको भी लाभ मिले। ऐसा कहीं न कहीं, या नहीं तो पंचायत या नगरपालिका को उनको भूमि काटने से पहले रोकना चाहिए, उसमें निर्माण करने से पहले रोका जाये जिससे कि वहां बसने वाले लोगों को लाभ मिल सके।

विशेषकर मैं मांग करना चाहूंगा, माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने तो बजट में पंचायतों को भी अग्निशमन देने की बात की है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नगरपालिका है और उसमें भी अग्निशमन यंत्र नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, हमारे ऊपर यह तो बहुत बड़ी कृपा कर दीजिये कि पूरी तहसील में कम से कम एक अग्निशमन यंत्र हो

(श्री मनोज कुमार)

जाये जिससे मेरी पूरी राजगढ़ की जनता को लाभ मिल सके। सीवर लाइन की स्वीकृति के लिए निवेदन करना चाह रहा हूं और सरकारी जितनी भी सम्पत्ति पड़ी है, उन सम्पत्ति का एक रजिस्टर बनाकर उस पूरी सम्पत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले। वहां सरकार उनका बोर्ड लगाये जिससे सरकारी भूमि, अतिक्रमण से वंचित रह जाए।

साथ ही साथ शौचालय की बात आ रही थी। इसमें भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि 12,000 की राशि है, यह वास्तव में बहुत कम राशि है। 12,000 से शौचालय का निर्माण नहीं हो पाता है। इसके साथ ही साथ जो कृषि भूमि में बस गये लोग या जो अतिक्रमण में बसे हुए हैं, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मूल रूप से इसका उद्देश्य यह था कि अगर शौचालय बन जाये तो खुले से शौच मुक्त करना है। उसमें एक शायद बैरीकेड्स जो आपका लगा हुआ है कि गोचर में नहीं बनेगा, अतिक्रमण भूमि में नहीं बनेगा, कृषि भूमि में नहीं बनेगा, शौचालय की कम से कम आप सभी जगह की परमिशन दे दें। क्योंकि आपका मूल उद्देश्य यह है कि खुले में कोई शौच नहीं करें। इसलिए इसकी राशि बढ़ाई जाए और सबको इसकी अनुमति दी जाए। मुख्य मंत्री आवास योजना जिसमें यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने बंद कर दी, लेकिन जिन लोगों को एक-एक किश्त मिल गयी, दो किश्त मिल गयी उनकी जो शेष बची राशि है उनको पूरा भुगतान करके इसका लाभ दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने वैसे पहले रोक तो दिया लेकिन इसमें चर्चा में आया है तो मैं भी मेरी ग्राम पंचायतों की जो छोटी-सी मांग है वह माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। एक तो मेरे राजगढ़ तहसील में हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। माननीय पूर्व पंचायतीराज मंत्री गुलाब चन्दजी कटारिया विराजमान हैं। मेरे राजगढ़ में दूसरी पंचायत समिति सारी तरीके से गाइडलाइन में थी। ढाई लाख की आबादी, 56 ग्राम पंचायत हैं लेकिन मंत्रियों की उप समिति द्वारा एक निर्णय लिया गया कि राजगढ़ की पंचायत समिति का मुख्यालय दोनों का राजगढ़ होना हम उचित नहीं समझते। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे राजगढ़ में कलेक्टर का, एसडीएम का, कमिश्नर का और हमारी तरफ से जो मांग रखी गई, हमारा मुख्यालय का राजगढ़ में कहीं दूसरा नाम नहीं था। हम पंचायत समिति सिद्धमुख में मांग रहे थे तो आप लोगों ने सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के कारण हमारी इस पंचायत

(श्री मनोज कुमार)

समिति को नियमों में होते हुए भी वंचित रखा। इसलिए जब भी आपको मौका मिले हमारी इस पंचायत समिति को आप पूरा गौर से हमारे ऊपर ध्यान दें। हमारी पंचायत समिति का गठन करें जिससे राजगढ़ की जनता को इसका लाभ मिल सके और राजगढ़ की जनता आपकी मुख्य मंत्री का गुणगान कर सके।

आबादी की क्षेत्र की जो बात आई, माननीय मंत्री महोदय, बड़ी गंभीरता का विषय है। पूरे राजस्थान के हालात हैं कि जहां भी ग्राम पंचायतें हैं वर्तमान में बसने के लिए सिवाय, गोचर के या कृषि भूमि के अलावा दूसरा कोई संसाधन किसी भी गांव में नहीं बचा है। इसलिए आप इस आबादी क्षेत्र के विस्तार के लिए कहीं न कहीं आपके कैबिनेट में या माननीय मुख्य मंत्री महोदय से विचार करके पूरी राजस्थान की जनता को आबादी क्षेत्र का विस्तार कर लाभ देने का काम करें।

इसके साथ ही राजगढ़ पंचायत समिति का एक विशेष उदाहरण बताना चाहूंगा। आपके शौचालय निर्माण में पंचायत का पैसा लगता है, पंचायत में टेण्डर होते हैं, पंचायत की बीएसआर रेट पहले से तय है। उसके बाद मेरी राजगढ़ पंचायत समिति में पूरी राजगढ़ तहसील का टेण्डर दे रखा है सिर्फ दो संस्थाओं को। ऐसा कहीं पर भी राजस्थान में नहीं होगा जब पंचायत का पैसा पंचायत को लगा। लेकिन मेरे राजगढ़ में ऐसा कर रखा है कि दो ही व्यक्तियों को पूरी तहसील का टेण्डर देखा है। इसके साथ ही मैं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहता हूं कि आपकी मंशा ओडीएफ की है तो ग्रामीण क्षेत्र की तीस प्रतिशत जनता गोचर और कृषि भूमि में बस गयी और आप ओडीएफ करना चाहते हैं। आपकी मंशा यही है तो आप इनको भी शामिल करें और इन लोगों को भी इसका लाभ देने का काम करें।

इसके साथ ही साथ बीपीएल परिवारों को आपका मैसेज जा रहा है दो-दो हजार रुपए आपके खाते आ गए। वो लोग ढूंढ रहे हैं कि खाते में पैसा नहीं है। उसके बाद आपका कोई अधिकारी यह बताने वाला नहीं है कहीं भी पूरे राजस्थान में कि आपके ये दो हजार रुपए आपका मैसेज आ गया, इसका समाधान कौन करेगा, इसकी व्यवस्था भी करें। जिनके पास मैसेज आ जाए और खाते में पैसा नहीं आए तो उसके लिए कौन अवगत कराएगा, इसके बारे में भी पूरी आप जानकारी करके इसकी व्यवस्था करें।

(श्री मनोज कुमार)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय। गांव में पंचायतीराज एक्ट में आपके प्रावधान है। आप जिन आवारा पशुओं की बात करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन आवारा पशुओं के लिए आपके पंचायतीराज एक्ट में कांजी हाउस की व्यवस्था है और उसका पंचायत संचालन करती है। लेकिन पूरे राजस्थान में कहीं पर भी आपने कांजी हाउस शुरू नहीं कर रखे हैं। इसलिए आप पंचायतों में कांजी हाउस शुरू करके इन आवारा पशुओं को रोकने का काम करें।

अटल सेवा केन्द्र जिनका नाम तो आपने बदल दिया और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का भी यह विचार है कि अटल सेवा केन्द्र खुले रहने चाहिए। अगर खुले रहे तो जनता को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन आप कभी भी निरीक्षण करवा लेना पूरे राजस्थान में, जहां से आप निकलते हैं पंचायतीराज मंत्री महोदय, अटल सेवा केन्द्र आपके बंद रहते हैं। वहां न अधिकारी रहते हैं और न ही कोई उसको खोलता है। इसलिए इनकी भी आप व्यवस्था करायें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत। जय भीम, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास और आवासन मांग संख्या 20 और 29 की बहस में मुझे शामिल होने के लिए आपने जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज का युग तो स्मार्ट सिटीज का है। राजस्थान में दस बड़े क़स्बे दौड़ में हैं कि हम स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल हैं और स्मार्ट सिटी दो छांटे गए हैं। जिसमें अख़बारों में आया कि 400 करोड़ का विनियोजन होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्मार्ट सिटी का पक्षधर नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि जो हमारी नगरपालिकाएं हैं चाहे चौथे श्रेणी की हैं, चाहे तीसरी श्रेणी की है, द्वितीय श्रेणी की हैं, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नगर निगमों की स्थिति तो अलग है पर नगरपालिका, नगर परिषदों को आप 400 करोड़ की व्यवस्था यदि स्मार्ट सिटी के लिए करते हैं तो 10 करोड़ की व्यवस्था उस आबादी को देखकर 10 करोड़ का मेरा मतलब है कि बची हुई नगरपालिकाओं को 10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष, उसमें भी आप कुछ आबादी का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

स्लैब लगा सकते हैं, उनको उपलब्ध करायें। आप अब नहीं कह सकते कि हमारे पास साधन नहीं है। यदि विद्युत कम्पनियों के 60 हजार करोड़ के घाटे के लिए बाण्ड भेजे जा सकते हैं और रुपया उधार लिया जा सकता है तो फिर हमारी नगरपालिकाओं के स्वास्थ्य के सुधार के लिए भी 1500-1800 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ले लिया जाए तीन सालों में तो क्या हर्ज है? वह कर्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट 9.9 से 10 या 10.50 परसेंट हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होना ही नहीं है। हमने सीमा रेखा तो तोड़ ही दी है साढ़े तीन की। अब जब टूट गयी है और 9.9 पर चली गयी तो फिर दिक्कत क्या है? हमारी नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को मारने का, वित्तीय साधनों को उपलब्ध न कराने का कोई औचित्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जेडीए की बड़ी चर्चा है। माननीय सदस्य जो आमेर से आते हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो भी गांव हैं जेडीए की सूची में परिशिष्ट-1 में उनकी गो-चरण बेच दी गयी। मैं तो राजस्व मंत्रीजी भी बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ जेडीए की लिस्ट में नाम आने से सारा रेवेन्यू रिकार्ड समाप्त हो जाएगा और क्या गो-चर जिसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसको बेचने का अधिकार जेडीए को हो जाएगा? मेरी जहां तक जानकारी है यह काम कांग्रेस राज में होता रहा, अपने राज में हो रहा है और रोकने वाला कोई नहीं है। यह जेडीए तो बहुत बड़ा सफेद हाथी है और जेडीए के वित्तीय साधन गोचर बेचकर आ रहे हैं तो किसकी हिम्मत है कि वो कहे नहीं साहब गोचर मत बेचो? अरे साहब, आबादी के विस्तार के लिए तो रो रहे हैं कि साहब आबादी का तो विस्तार कर दीजिए। वो तीस परसेंट जो भी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। मैं ध्यान आकर्षित करने के लिए एक निवेदन कर रहा हूं कि इस पर भी कुछ चिंतन मनन करें। ये गोचर बेचने का काम आज हम जयपुर में कर रहे हैं तो कल सारे राजस्थान में उसका रास्ता खुल जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन मेरे क्षेत्र के लिए करना है। मैं मानता हूं कि ग्राम पंचायत का विकास होने के बाद नगरपालिका बननी आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में उपाध्यक्ष महोदय, नापासर है और नापासर में 13 मई, 2015 को राजस्थान हाईकोर्ट की डी.बी. ने रिट पिटीशन नम्बर-10491/2009 में एक फैसला किया। भाजपा सरकार में फैसला यह है, मेरे हाथ में है और मैं माननीय मंत्रीजी को तो भेज चुका हूं। फैसला यह है कि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

एक बार आपने यदि किसी शहर को नगरपालिका घोषित कर दिया तो राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वापिस उसको ग्राम पंचायत बना दें। मैं मेरी बात नहीं कहूंगा जो हाईकोर्ट ने और हाईकोर्ट की डी.बी. जिसमें चीफ जस्टिस ने प्रिसाइड किया था, जो कहा है वह पढ़ देता हूं।

मैं उसका हिन्दी तर्जुमा पढ़ रहा हूं, ताकि समय बचे। 'राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजस्थान म्यूनिसिपलटीज एक्ट, 2009 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार नगरपालिका घोषित करने की विज्ञप्ति को वापस लिया जा सके या यह नगरपालिका को डी-नोटिफाई किया जा सके और उसे पुनः ग्राम पंचायत में कांस्टीट्यूट और रीकांस्टीट्यूट किया जा सके।' ये सारे शब्द माननीय हाइकोर्ट की शब्दावली के हैं जो अंग्रेजी में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय वसुन्धराजी ने ही नापासर घोषित किया था 2008 में। वर्तमान माननीय मंत्री ही उस वक्त ग्राम पंचायत के मंत्री थे। लूणकरणसर, नापासर, खाजूवाला, ये तीन नगरपालिकाएं घोषित की गयी थीं। जब कांग्रेस आयी, हमने तो अगस्त, 2008 में घोषित की और उन्होंने आने के तेरह महीने बाद यानी सितम्बर, 2009 में उसको वापस डी-नोटिफाई करके ग्राम पंचायत बना दिया। यह तो नापासर के एक भंवरलाल मूंदड़ा हैं नागरिक, उनकी हिम्मत थी कि 2009 में उन्होंने उसको चैलेंज किया। फैसला 2015 में हुआ और मुझे यह भी कहते हुए खुशी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस फैसले को रूटीन में तो सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है, कोई भी निर्णय हो, कितना ही विवेक संगत हो, अपील करो, पर आदरणीय, वर्तमान नगर नियोजन मंत्रीजी के नेतृत्व के कारण इस फैसले में नो अपील का निर्णय हुआ। जब नो अपील का निर्णय हो गया तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बहुत संक्षेप में यही कहना है माननीय मंत्रीजी को कि अब नापासर को जिसका डीबी का फैसला है और सरकार का नो अपील का फैसला है, कब घोषित कर रहे हैं? कम से कम आज तो करिये, 13 मई और अब में तो 11 महीने हो गये माननीय मंत्री महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लूणकरणसर जो मेरे क्षेत्र में है और खाजूवाला जो 2008 तक मेरे ही क्षेत्र में था, हमने ही इन तीनों ग्राम पंचायतों को नगरपालिका बनाने की बराबर मांग की थी और

(श्री मानिक चन्द सुराना)
माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको स्वीकार किया। मैं खाजूवाला का तो अभी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे क्षेत्र में नहीं है, पर लूणकरणसर मेरे क्षेत्र में है, नापासर मेरे क्षेत्र में है। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इन दोनों को, नापासर को तो तत्काल किया जाए और इसको भी आप फैसले को एग्जामिन करा लें। यदि ग्राम पंचायत घोषित होने के बाद वापस ग्राम पंचायत नहीं बन सकती तो यह जरूरी नहीं है कि कोई आदमी लूणकरणसर का जाए और रिट करे और फिर कोई फैसला लाये। वो फैसला हो चुका है और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस फैसले की क्रियान्विति...।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): खाजूवाला भी जोड़ लो, साहब, इसमें। ...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): खाजूवाला के माननीय विधायक और पार्लियामेंट्री सैकेट्री साहब कह रहे हैं कि जोड़ो तो निश्चित रूप से, मैं हिचक रहा था कि क्या पता आपका क्या दृष्टिकोण हो, लेकिन आपका भी दृष्टिकोण वो ही है कि खाजूवाला को बनाया जाए तो मेरा निवेदन होगा कि इन तीनों ही को नगरपालिका घोषित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बीकानेर में जो जमीनें अवाप्त की जा रही हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। शिवबाड़ी की एक बहुत बड़ी योजना 571. कुछ हैक्टेयर, 2009 में जब कांग्रेस सरकार थी, घोषित हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा-6 का नोटिफिकेशन 9.12.2010 को निकला। 571.37 हैक्टेयर आपने अवाप्त किया है 6 में। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखिये 2010 के बाद 6 साल हो गये। लैप्स नहीं हुआ। आपके अवार्ड तीन टुकडों में हुए। पहला टुकड़ा 4.10.2013 को हुआ। सैकिंड अवार्ड 28.11.2013 को हुआ। तीसरा अवार्ड 24.12.2014 को हुआ। अवार्ड क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? कि बीस परसेंट जमीन तो आवासीय और पांच परसेंट जमीन उनको व्यावसायिक देनी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करूंगा कि अपना तो कुछ पैसा लग ही नहीं रहा है। अपन तो डवलप्ड लैंड और डवलप तो आपको कालोनीज को करना ही है। डवलप्ड लैंड जब दे रहे हैं, तो मैं मंत्रीजी का ध्यान और सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि कोई पूछने वाला है क्या कि 24.12.2014 से ये ब्यूरोक्रेसी ने जब इनके पास सारे डाक्यूमेंट आ गये तो क्यों लगा दिया इतना समय? जिसकी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जमीनें ली हैं वो तो कुछ कर नहीं सकता और हम जो लेने वाले हैं, सरकार जो लेने वाली है वो अपने निर्णय पर डिले करे। मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री महोदय को भूमि अवाप्ति के सारे कानूनों की खूब जानकारी है। मैं अर्ज करूंगा कि अनेक बार 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आप इस शिवबाड़ी में जो मूल बात है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस सैक्टर में किसको जमीन देनी है, यह भी डिटेल में आपके अवार्ड में आ चुका है और उस पर पहले कुछ विवाद था फिर सब विवाद खतम हो गये और सारा समझौता हो चुका है समझौता समिति में। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण को माननीय मंत्री महोदय, तत्काल इस पर निर्णय करें। सारा रिकार्ड माननीय मंत्री जी के पास है और आवश्यकता होगी तो मैं सारा रिकार्ड जो मेरे पास है, डेटवाइज सब अवार्ड हैं, मैं आपको प्रस्तुत भी कर दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक कट मोशन इस बात का रखा है कि ओझा जी का बाग़, टोंक रोड पर पांच बीघा बारह बिस्वा जिसका अवार्ड 25.3.1969 का है। उस अवार्ड के बारे में कहना चाहूंगा कि वो अवार्ड था चार हजार रुपये बीघे का। लोग सिविल कोर्ट में गये। वो चार हजार रुपये बीघे का अवार्ड यानी जो एक रुपये सवा पांच आना एक पैसे का अवार्ड था पर स्क्वायर यार्ड, उसे सिविल कोर्ट ने बीस कर दिया। 1990 में अवार्ड आ गया। मैंने एक अतारांकित और अंत:सत्र प्रश्न पूछा और सरकार ने जो कहा, यानी नगरीय विकास विभाग ने जो कहा वह मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। ये दो डेट्स मैंने आपको दे दी हैं कि 24.12.1990 में सिविल कोर्ट का अवार्ड हो गया। मैंने उनको पूछा कि आपने किन-किन को मुआवजा दिया? तो आपके यहां से आ रहा है, माननीय मंत्री महोदय, यह प्रश्न संख्या नोट करें। प्रश्न संख्या है 14वीं विधान सभा के 20 जनवरी, 2016 को अतारांकित प्रश्न संख्या-370 और एक अंत:सत्र प्रश्न संख्या 11/6944 एक का जवाब 20 जनवरी को और एक का जवाब 21 जनवरी, 2016 को और उनमें दोनों में यह माना गया कि 1982 में कोई चैक कोर्ट के आर्डर से 95,813 रुपये का कोर्ट को भेजा गया था और उसके बाद में आज तक कोई मुआवजा किसी भी व्यक्ति को हमारे रिकार्ड के अनुसार देना साबित नहीं है। यह भी कहा गया कि जो पर्सन इंट्रेस्टेड हैं, किसी ने हमको भूमि का कब्जा नहीं दिया। दो ही तो बेसिक फैक्टर हैं कि कब्जा दिया कि नहीं दिया, मुआवजा दिया कि नहीं दिया। मेरा निवेदन है क्योंकि टाइम का कांस्ट्रेंट है कि आप इन दोनों सवालों में आपके जवाब को देख लें

(श्री मानिक चन्द सुराना)

और जब आपने न तो कब्जा लिया और न आपने पेमेंट किया और भूमि फिर भी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम है तो लैंड एक्वीजिशन आफिसर तो उन जमीनों को जेडीए को ट्रांसफर करने का अधिकारी नहीं है। हितधारी ही पर्सन इंट्रेस्टेड जिसको कहते हैं लैंड एक्वीजिशन एक्ट में चाहे किरायेदार है, चाहे मालिक है, चाहे एग्रीमेंट होल्डर है वो ही उस जमीन का कब्जा देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह भूमि शुरू में मधुसूदनजी ओझा की थी। उनके परिवार की भूमि है और मधुसूदन ओझा वो थे जिनको जयपुर के महाराजा ने बिहार से बहुत बड़े ज्योतिषविद और बहुत बड़े वेदान्त के ज्ञाता और पण्डित होने के कारण बुलाया। उन्हीं मधुसूदन जी ओझा के ग्रंथों का जयपुर में आदरणीय कुलिशजी ने खूब उपयोग किया और उसके बाद में उनके पुत्र जो अभी पत्रिका के मालिक हैं, वो भी उन्हीं ग्रंथों के आधार पर आज पाण्डित्यपूर्ण भाषण वेदों पर और उपनिषदों पर दे रहे हैं। उन पण्डित जनों जिनकी ये भूमियां थीं, उन्हीं परिवार की यह भूमि है, रिकार्डेड भूमि है, खातेदारी भूमि है...मैं सिर्फ सैक्शन 24 आपको कोट करुंगा नये

(20.00 बजे)

लैंड एक्वीजिशन एक्ट का, मैं आपका ध्यान 24 (2) की तरफ आकर्षित करता हूं, 24(2), Notwithstanding anything contained in sub section (1). सैक्शन 1 में कुछ भी कहा हो इसके बावजूद, in case of land acquisition proceedings initiated under the Land Acquisition Act, 1894, where an award under the said Section 11 has been made five years or more prior to the commencement of this Act. यह एक्ट 1.1.2014 को आया, अवार्ड 1969 को हो गया, सिविल कोर्ट में अवार्ड 1990 में हो गया। इन्होंने 24 में कहा है कि, but the physical possession of the land has not been taken or the compensation has not been paid, the said proceedings shall be deemed to have lapsed.

मैं यही निवेदन कर रहा हूं हिन्दुस्तान के संविधान में लिखा है कि कम्पनसेशन दिये बिना कोई अवाप्ति नहीं हो सकती तो संविधान के उस प्रावधान को, भूमि अवाप्ति के कानून की धारा 24 (2) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय थोड़ा कड़ा जरूर है माननीय मंत्रीजी, 20 रुपये गज में, आज आप उसे अवाप्त करें यह एक्वीजिशन लैप्स हो गया है, आज आप अवाप्त करें लाख रुपये की कीमत है और मैं निवेदन करता हूं आप इसमें जांच करें कि जेडीए ने इस जमीन में जो बने हैं वह सब 1969 के बाद बने हैं। कैसे मकान बनने दिये, मैं आज नहीं कहता कि उनको तोड़ा जाये लेकिन

(श्री मानिक चन्द सुराना)
एक तरफ आप सोते रहें, मकान बनते रहें, भूमि अवाप्त भी है, जेडीए के नाम भी है और चलता रहे। कई तो पूर्व विधायकों के मकान वहां पर है, वह कांग्रेस के हैं।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आखिर तो कानून की पालना, अलवर से आने वाले माननीय बनवारी लालजी सिंघल ने जो मुद्दा उठाया वह मैं भी किसी कमरे में सुन रहा था और उनकी बात सुनकर मैं भी तत्काल सदन में आया। मैं निवेदन करना चाहता हूं आखिर तो रूल आफ ला की पालना, लैंड एक्वीजिशन एक्ट की पालना, कानून को मान्यता देना राज्य सरकार का काम है।

मेरा निवेदन होगा कि इस 24 (2) के नीचे और जो रूलिंग सुप्रिम कोर्ट ने 24(2) पर दी है, माननीय मंत्री महोदय, मैं रूलिंग नहीं पढ़ूंगा, आपकी इजाजत हो तो मैं इसकी कापी माननीय मंत्रीजी को दे देता हूं। इसका साइटेशन पूरे सदन की जानकारी के लिये बता देता हूं। 2014 तीन सुप्रिम कोर्ट केसेज 183 और इसको प्रिसाइड श्री आर.एम. लोढा, लार्जर बैंच का फैसला है कि यदि आपने रुपया नहीं दिया, आफर नहीं किया या कोर्ट में भी जमा नहीं कराया, इसमें ना रुपया कोर्ट में जमा है, न किसी को आफर हुआ है और 2-3 को हो भी गया हो तो उससे 45 आदमियों के जो हक हैं, वह नहीं मारे जा सकते। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ओझाजी के बाग़, को खसरा नंबर 478, 79, 80 को डिएक्वायर करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अंत में सिर्फ मेरे शहर बीकानेर की स्थिति, मेरा क्षेत्र तो नहीं है पर मेरा निवास है, मेरा पुश्तैनी निवास है। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कभी बीकानेर पधारे होंगे, बीकानेर शहर की स्थिति देख कर मुझे भी रोना आता है। मैं 1954 से वहां पर वकालत कर रहा हूं और 1954 से 1968 तक निरन्तर वकालत की है, जो रेल फाटकों की स्थिति उस वक्त थी, वही आज है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य भंसालीजी कह रहे थे कि हमको जोधपुर में एलिवेटेड रोड चाहिये सोजती गेट से हाई कोर्ट तक। जबकि बीच में कोई रेल फाटक नहीं है। उनकी भी बनाइये पर उनसे पहले हमारी बनाइये एलिवेटेड रोड। माननीय यातायात मंत्रीजी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब इसकी सूत्र रूप में नीतिगत रूप से तो कुछ कह चुके हैं लेकिन आप नगरीय विकास के मंत्री हैं, बीकानेर शहर का विकास बिना एलिवेटेड रोड के हो ही नहीं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सकता और वह शहर जब तक रेल फाटक हैं, हमारे यहां तीन फ्लाई ओवर है, यह चौथा फ्लाई ओवर इस शहर का गुणात्मक परिवर्तन करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप शहर में चाहे 110 करोड़ लगे, चाहे 120 करोड़ लगे, एलिवेटेड रोड की आज जनजीवन की प्रबल मांग है। तकनीकी विश्व विद्यालय के बाद एलिवेटेड रोड की मांग थी, तकनीकी विश्वविद्यालय की मांग मुख्य मंत्री जी ने पूरी की है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी कुछ ऐसा करें जिससे एलिवेटेड रोड की मांग चाहे मुख्य मंत्रीजी घोषित करें, पर वह मांग बीकानेर की जनता की स्वीकार हो। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मोहन लालजी गुप्ता बोलना चाहेंगे क्या?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया और पूछा कि आप बोलना चाहेंगे, उसके लिये मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। मेरे दल के मुख्य सचेतक महोदय ने भी मुझे समय दिया, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक महोदय ने भी मुझे समर्थन दिया, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। राजपाल सिंहजी ने भी आग्रह किया ...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप धन्यवाद विकेन्द्रीकरण मत करो, धन्यवाद तो किसी एक को ही दो आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): प्लीज, आपने मुझ से पूछा ..

श्री उपाध्यक्ष: मैंने कहा कि धन्यवाद का विकेन्द्रीकरण मत करो इसका तो केन्द्रीकरण ही रहने दो। आप आसन को ही दे दो धन्यवाद, बाकियों का कोई लेना देना नहीं है इसमें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय ने इनको आग्रह किया है, यह कह रहे हैं मंत्री महोदय ने मुझे आग्रह किया कि आप बोलें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मंत्री महोदय ने तो आग्रह इसलिए किया कि इनके विजन से कुछ दृष्टि उनको मिल जायेगी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इन सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हुआ मैं दो लाइन में अपनी बात कहूंगा और फिर अपनी बात खतम करुंगा क्योंकि होली का समय है ...(व्यवधान) सब सदस्यों को बाहर जाना है और विधान सभा के कर्मचारी, अधिकारी सब लोग बैठे हुए भी हैं, वे भी सब

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

बातें हो गईं। मैं केवल एक ही बात कहूंगा जेडीए काम अच्छा कर रहा है, करता रहे। नगर निगम को काम में आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। होली की सबको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंहजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मोहन लालजी, आज आप दब गये, मंत्री जी से दब गये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दोनों मांगों पर जिस प्रकार की विस्तृत चर्चा सदन में माननीय सदस्यों ने की उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उस चर्चा में जितने भी बिन्दु आये हैं या कटमोशन के माध्यम से जितने भी प्रस्ताव आये हैं उन प्रस्तावों का जवाब उन्हें मिलेगा। साथ में जिस प्रकार से आज चीजों को उन्होंने मेरे सामने रखा है, मेरी जानकारी में लाये हैं उनसे निश्चित रूप से समाधान की दिशा में मुझे सहायता मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास के अपनी एक डायनामिक्स है और इसी के आधार पर आप सब जानते हैं कि 1951 में देश की जनसंख्या का केवल 17.29 प्रतिशत जनसंख्या शहरी हुआ करती थी। आज 2016 के आते आते लगभग 34 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दुस्तान की शहरी है। यही स्थिति राजस्थान की है, राजस्थान में 1951 में केवल 14 प्रतिशत आबादी शहरी हुआ करती थी, आज 2016 में लगभग 27 प्रतिशत आबादी राजस्थान की शहरी है। राजस्थान की जीडीपी का लगभग 50 प्रतिशत शहरों से आता है। शहरीकरण पूरी दुनिया में ग्रोथ का इंजन माना जाता है। धीरे-धीरे जीडीपी में रूरल इकोनोमी का शेयर घट रहा है, अरबन इकोनोमी का शेयर बढ़ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अरबन इकोनोमी के शेयर के बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है। इसका मतलब यह हुआ कि जब देश विकसित होता है, जब प्रदेश विकसित होता है उसके विकास के पीछे ग्रोथ का मेजर इंजन जो काम कर रहा है वह अरबनाइजेशन है। शहरों में जनसंख्या की वृद्धि केवल जनसंख्या की वृद्धि से नहीं होती, माइग्रेशन बहुत है और पूरी दुनिया में लोग कहते हैं, Higher the urbanization, higher the economic growth, higher the prosperity.

यह प्रोसपैरेटी केवल शहरों तक सीमित नहीं होती। शहरों की प्रोसपैरेटी से देश को प्रोसपैरेटी मिलती है, प्रदेश को प्रोसपैरेटी मिलती है और प्रदेश को

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जब प्रोसपैरेटी मिलती है तो प्रदेश के पास में उतना संसाधन हाथ में होता है कि उस संसाधन के माध्यम से गांव का विकास भी करता है। यानी शहरी विकास की अवधारणा केवल शहरों में ही नहीं टिकी। अगर हम देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए संसाधन का इन्फ्यूजन अगर हम रूरल इकोनोमी में करना चाहते हैं। अगर हम रिसोर्सेज एबडेंस में अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो अरबन इकोनोमी जो डवलप हो रही है, उस अरबन इकोनोमी की जो इकोनोमिक एक्टिविटी डवलप हो रही है, उस इकोनोमिक एक्टिविटी का फ्रूट माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश को मिलता है।

एक जमाना हुआ करता था जब सिविलाइजेशन नदियों के किनारे पनपा करती थी। बड़े-बड़े शहर भी नदियों के किनारे हुआ करते थे। आज के 50-60 साल पहले जब शहरों का नेटवर्क दुनिया में फैलने लगा तो शहरीकरण सड़कों के आसपास सीमित होने लगा। ह्यूमन सैटलमेंट भी वहीं बढ़ने लगा, अरबन एक्टिविटी भी बढ़ने लगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर अब दुनिया बदल रही है। जैसा कि मैंने कहा अरबनाइजेशन के डायनेमिक्स बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं, उसके डाइमेंशन बदल रहे हैं, उसके नोशंस बदल रहे हैं, उसका कनसैप्ट बदल रहा है और ग्लोबलाइजेशन के बाद तो अरबनाइजेशन को गति और ज्यादा तेज मिली। इसलिए आप देख रहे हैं लगातार शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और जनसंख्या के दबाव के कारण शहरों में कई प्रकार तब्दीलियां आई हैं, जिन तब्दीलियों की हम अपेक्षा नहीं रखते। एनक्रोचमेंट्स, जिनकी आज बहुत चर्चा हुई, अतिक्रमण- इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, स्लम डवलपमेंट, इंट्रोसिटी कंजेस्शन इंट्रा सिटी कनजेक्शन, एनवायर्नमेंट हैजाड्र्स पैदा हो रहे हैं। इको इम्बैलेंसेज पैदा हो रहे हैं। Lack of public awareness है, Lack of public service delivery है, Lack of urban sector infra-structure है।

अब एक तरफ शहरीकरण हमारी जरूरत है, एक तरफ शहरीकरण विकास का एक विजन है। दूसरी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण अपने आप में एक चुनौती है, अपने आप में एक समस्या है। चुनौती एक तरफ है, समस्या एक तरफ है, लेकिन अबंडेंट अपार्च्युनिटीज के दरवाजे अभी खोले नहीं। क्योंकि urbanization is the gateway of prosperity अब इन चैलेंज को मीटआउट करते समय, इन चैलेंजेज के साथ कम्बेट करते समय, इन चैलेंजेज

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

को कम्बेट करते हुए, इस अपार्च्युनिटी का मैक्सिमम इस्तेमाल हम कैसे कर लें, यह हम पर निर्भर करता है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इकोनोमी में ट्रासफोर्मेशन चाहते हैं, अगर आप हिंदुस्तान और प्रदेश के ह्यूमन रिर्सोस का ट्रासफोर्मेशन चाहते हैं, अगर आप आवाम के ह्यूमन को ह्यूमन कैपीटल में तब्दील करना चाहते हैं। अगर उसको अपार्च्युनिटी देना चाहते हैं, अगर उसकी एफिसिएंसी के अन्दर मल्टीप्लेयर का रोल प्ले करना चाहते हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें अरबनाइजेशन की प्राब्लम का सोल्यूशन करना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया भर में लोग कहते हैं कि "Cities have the powers to construct the civilizations and destruct the civilizations." अब कौनसा सा सिटी सिविलाइजेशन को कंस्ट्रक्ट करेगा और कौनसा सिटी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रक्ट करेगा। हमें चूज करना है उस अरबनाइजेशन को, उन सिटीज को जो सिविलाइजेशन को रि-डिफाइन करेगा। जो सिविलाइजेशन को रिवाइव करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम अरबन चैलेंजेज को मीटआउट करना चाहते हैं तो हमें अरबन गवर्ननेंस, अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर, अरबन सर्विस डिलीवरी, इन तीनों की कनफ्लयूएंस चाहिएगा। तीनों का बैलेंस सैमबेलैंस चाहिएगा। प्लांड इनक्ल्यूसिव डवलपमेंट प्रोसेस को इनवाल्व करने की जरूरत है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं जयपुर आया था, राजेंद्रजी राठौड़ जी जब जयपुर पधारे होंगे। तब शहरों का मतलब होता था सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, पानी हो, कुछ स्कूल हो, कुछ कालेज हो, अच्छा हो कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए। सिटी का मतलब केवल सिटी हुआ करता था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दुनिया भर में नए-नए काम चल रहे हैं। रेजिडेंस सिटीज, इंटेलीजेंट सिटीज, डिजीटल सिटीज, आर्गेनिक सिटीज, ग्रीन सिटीज, वाइब्रेंट सिटीज, फंक्शनल सिटीज, फ्यूचर सिटीज और अगर इन सबको एक जगह मिला दें तो उसका रूप बनता है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी जहां गवर्ननेंस, टैक्नोलाजी एंड सोसायटी तीनों का मिलन होता है और एफिसिएंट मिलन, अगर हम यह कर पाएंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो हम एक ऐसी रिवोल्यूशन पैदा करेंगे अरबन सैक्टर में, जिसके माध्यम से हम स्मार्ट इकोनामी को डवलप कर सकते हैं, स्मार्ट मोबिलिटी को डवलप कर सकते हैं, स्मार्ट एनवायर्नमेंट को तय कर सकते हैं। स्मार्ट कनेक्टिविटी और स्मार्ट कम्युनिकेशन को तय कर सकते हैं।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम स्मार्ट गवर्ननेंस डवलप करना चाहते हैं। स्मार्ट सिटीजन भी डवलप करना चाहते हैं तो जिस प्रकार की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी के रूप में की है, यह गेम चैंजर है। यह अरबनाइजेशन के नए डायमेंशंस को जोड़ने वाला और अरबनाइजेशन के होने से होने वाले फायदे को मल्टीप्लाई करने वाला कांसेप्ट है। यह एम्पलायमेंट को जनरेट करने वाला, कनविनियंस पैदा करने वाला, एफिसियंसी पैदा करने वाला, क्वालिटी आफ लाइफ को इम्प्रूव करने वाला, पीस आफ लाइफ को इम्प्रूव करने वाला, हैप्पीनैस के इंडेक्स को इम्प्रूव करने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी का जो कांसेप्ट आया है, यह देश के अरबनाइजेशन की तकदीर को भी बदल सकता है, उसकी तस्वीर को भी बदल सकता है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के विजन को, जिन्होंने हिंदुस्तान के बदलते हुए अरबनाइजेशन और अरबनाइजेशन की ग्रोथ की पोटेंशियल के कारण देश को आगे बढ़ाने की क्षमता को देखते हुए, एक सही समय पर निर्णय लिया कि हिंदुस्तान के सौ शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप विकसित किया जाएगा। ये सौ स्मार्ट सिटी कौनसे होंगे? यह कोई पार्टी के आधार पर तय नहीं करने थे, यह कोई भाई-भतीजे के आधार पर तय नहीं करने थे। किस राज्य में किसका राज है इसके आधार पर तय नहीं होना चाहिए। इसके लिए हैल्थी काम्पीटेटिवनैस, सरटेन पैरामीटर्स और मुझे कहते हुए खुशी और संतुष्टि है कि हिंदुस्तान के सौ शहरों में राजस्थान के चार शहरों का नाम शामिल है। इन सौ शहरों के प्रथम चरण के अन्दर दो शहरों का नाम आया। हमें चार शहर सौ में मिलेंगे। पहले चरण के बीस शहरों में चार में से दो हमें मिल गये। यानी हमारी सक्सेस रेट 50 परसेंट रही और यह 50 परसेंट की सक्सेस रेट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सक्सेस रेट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर तो सौ शहरों के चुनाव में तीसरे नंबर पर आया है और राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो शहर इसमें पिछड़ गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष मैं डिमांड पर चर्चा कर रहा था तब मैंने बताया था कि जोधपुर के 'जोडा' की हालत क्या है? जोधपुर के नगर निगम की हालत क्या है? दोनों की कमर कैसे टूटी हुई है। 'जोडा' हजारों-करोड़ के कर्जे के तले दबा हुआ है, जोधपुर नगर निगम की भी यही हालत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि हजारों-करोड़ रूपए के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दायित्वों के तले 'जोडा' को दबाने के बावजूद, नगर निगम को दबाने के बावजूद जोधपुर स्मार्ट सिटी के काम्पीटिशन पर खड़ा नहीं उतरता। उस पैसे का मिस-मैनेजमेंट किस प्रकार से हुआ? इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नेचुरल रूप से राजस्थान के अन्दर जब एक से दो या तीन सिटीज को चूज करने की बात आई तो जोधपुर का नाम आफिशियली आना चाहिए था। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर पिछड़ गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब चार सिटी हमारे यहां के आए हैं। दो सिटी का चयन अभी हुआ है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने चार सौ करोड़ रुपये का इस साल स्मार्ट सिटी के लिए प्रोविजन रखा है।

अभी सुन रहा था आप कहते हो कि आप स्मार्ट सिटी के समर्थक नहीं है, लेकिन अरबनाइजेशन के समर्थक हैं। नापासर की पंचायत नगरपालिका बननी चाहिए, लूणकरणसर की पंचायत नगरपालिका बननी चाहिए, खाजूवाला की पंचायत नगर पालिका बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं अरबनाइजेशन का मतलब ग्रोथ है। आप जानते हैं अरबनाइजेशन के फ्रूट्स क्या हैं? उनका फल क्या है? फल कितना मीठा है? इसलिए मांग तो करेंगे नगरपालिका बनाने की, लेकिन स्मार्ट सिटी का विरोध करेंगे। मैं इतना कहूंगा उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, विरोध नहीं किया। आप गलत मत समझो। मैंने सिर्फ यह कहा कि उनको स्मार्ट बनाइये पर दस करोड़ उनको भी दीजिए, दूसरी नगर पालिकाओं को।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अच्छी बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिशा में मानिक चंदजी सुराना सोच रहे हैं, सरकार भी सोच रही है। इसलिए जब अरबन गवर्ननेंस की बात करते हैं तो हम केवल राजस्थान में स्मार्ट सिटी या अमृत सिटी की बात नहीं कर रहे। राजस्थान की 188 की 188 नगर पालिकाओं के अन्दर स्मार्ट राज के माध्यम से हम ई-गवर्ननेंस, राजस्थान के आम नगर पालिका तक पहुंचाना चाहते हैं और आने वाले समय में जिस प्रकार का दृष्टिकोण, जिस प्रकार की दृष्टि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री की है उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो रास्ता दिल्ली में शुरू हुआ है स्मार्ट सिटी के माध्यम से, अटल के माध्यम से, बाकी कार्यक्रमों के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माध्यम से, धीरे-धीरे पंचायतें भी स्मार्ट पंचायत में किस प्रकार से बदल जाएं इसकी चिंता यह सरकार करेंगी, मैं उम्मीद करता हूं।

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इन चारों शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का काम, काम करने के कल्चर पर डिपेंड होता है। आज पूरे सदन में चर्चा हुई सरकार के काम करने की। सरकार के काम का यह ढर्रा रातों-रात नहीं हुआ। यह एनक्रोचमेंट रातों-रात नहीं हुए हैं। यह कैंसिरियस ग्रोथ हुई है यह मेल डवलपमेंट हुआ है, यह रातों-रात चमत्कार से उछला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जब सरकार के काम करने का ढर्रा 50-60 साल में गिरता चला गया, हम स्मार्ट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। बाकी नार्मल गवर्नेंस क्या, गवर्नेंस तो वैसे ही स्मार्ट होनी चाहिए। जो स्मार्ट नहीं है वह गवर्नेंस नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार सोचने को मजबूर होना पड़ा कि हमें कारपोरेट ढंग से किसी काम को करना, प्रोफेशनल ढंग से काम करना, सरकारी काम करने के ढर्रे से बेहतर है। दिल्ली की सरकार ने भी कहा और हमने भी कहा कि इसके लिए एसपीपी का गठन होना चाहिए। एसपीपी का गठन कम्पनी एक्ट के तहत होना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खुशी है हमने राजस्थान के स्मार्ट सिटी मिशन के लिए एसपीपी का गठन करके, कम्पनियों के रूप में गठन कर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी तो हमारे चार बनेंगी। हिन्दुस्तान में सौ बनेगे। लेकिन अरबनाइजेशन की गति तो तेज है। उसकी डिमांड भी तेज है, नीड भी तेज है। स्मार्ट सिटी के बाद पीछे दूसरी लाइन में खड़े हुए लोग है वह उतना ही स्मार्ट बनना चाहते हैं उनको इम्प्रोमाइज कैसे करें, रिजोल्यूट कैसे करें एम्पावर कैसे करें उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर को ऐलीवेट कैसे करें यह चिंता भी हमारी साथ की साथ रही और इसीलिए हम एक लाख से ज्यादा बड़ी आबादी के शहरों के लिए अमृत योजना लाए।

मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान के 29 शहरों का अमृत योजना के तहत चयन हुआ है। हमने दिल्ली की सरकार को लिखा है कि 29 शहरों के चयन के साथ-साथ सरदारशहर, मकराना, बाड़मेर और बांसवाड़ा के शहरों को भी शामिल किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में केन्द्र की सरकार हमें बहुत पाजिटिव रेस्पोंड करेगी और इन शहरों में से भी किसी शहर को शायद हम अमृत योजना में शामिल करा पाएंगे।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस अमृत योजना के तहत हर शहर को 160 करोड़ रूपया मिला है। इस प्रकार से 29 शहरों की बात करें, इन चार शहरों में कोई शहर नहीं भी जुडे तो भी अगले चार सालों में इस योजना के तहत राजस्थान के प्रदेश को 4 हजार 640 करोड़ रुपये मिलेगे।

जिन रिफोर्म्स की चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं, कई दिनों से सुन रहे हैं, अगर उन रिफोर्म्स को हमने इम्पलीमेंट कर दिया तो इन 4 हजार 640 करोड़ के साथ-साथ हमें रिफोर्म इम्पलीमेंटेशन के लिए 464 करोड़ रुपये और मिलेगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार से मजबूत किया जाता है चाहे सीवरेज के रूप में, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में, चाहे ग्रीन स्पेस के रूप में। किस प्रकार से शहर को मल्टी डायमेंशनल डवलप किया जा सकता है उसी तर्ज पर, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर, थोड़ा मार्डन इनफिरियर हो सकता है कि शायद छोटे होंगे, मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें जो काम करना था हमने वह काम कर लिया। हमने स्टेट लेवल टैक्नीकल कमेटी बना दी है, स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है। हमारा स्टेट एनुअल प्लांट एप्रूव हो गया है तथा हमको अमृत मिशन में 919 करोड़ रुपये सैंक्शन भी हो गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सबको ध्यान होगा जिस प्रकार मैं आज इस अमृत योजना की चर्चा कर रहा हूं, वैसे आपके राज में मनमोहन सिंहजी भी यह योजना लेकर आए थे, जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन एक अच्छी योजना थी। मुझे यह स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है कि जेएनयूआरएम एक प्रोग्रेसिव योजना थी। उसका फायदा कई प्रदेशों ने उठाया, गुजरात, महाराष्ट्र ने उठाया, आन्ध्र ने उठाया। हम तो दिल्ली के बहुत नजदीक थे। राज था हमारा, उनका भी राज उन्हीं का, उसी पार्टी का, हमारा राज भी। 50 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट में हम कितना पैसा ले पाए, हम प्रोजेक्ट नहीं बेच पाए, हमें पांच साल में केवल 541 करोड़ रुपये मिले। छोटे शहरों के लिए भी एक योजना लाए थे यूआईडीएसएसएम उसमें भी 541 करोड़, 514 करोड़ रुपये , ऐसे कुछ लेकर आए थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 24 सौ करोड़ के प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने शुरू किए थे। आपने सवा दो साल में बिलकुल एक रुपये का काम नहीं किया। वह पूरे के पूरे 24 सौ करोड़ रुपये के सैंक्शन करके, टेंडर हो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

गये, वर्क आर्डर हो गये और समीक्षा के नाम पर बंद कर दिया उसका भी तो बताओ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): फाइनेंशियल मैंनेजमेंट तो करोगे तब ना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है आज लोग सीवरेज के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम छोटे-छोटे शहरों में जाते हैं लोग कहते हैं सीवरेज होना चाहिए। डोटासराजी, आपको याद होगा 1998 से पहले जयपुर के लोग भी सीवरेज के बारे में नहीं जाना करते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के गवर्नर के निवास के सामने से भी सीवरेज नहीं जाया करती थी। जयपुर के छोटे से इलाके में जिसे हिज हाईनेस ने बनाया था वहां एक सीवरेज की लाइन हुआ करती थी। हमने राजस्थान की जनता को सीवरेज का पाठ पढ़ाया, सीवरेज का नाम बताया और काम किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा, आरयूआईडीपी, जिस बात की हम चर्चा करते हैं, यह आरयूआईडीपी कांग्रेस की पैदाइश नहीं है। 1998 में जब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब का राज था तब हमने देखा जयपुर घुसने में और चौमू घुसने में पता नहीं लगता कि जयपुर में घुस रहे हो या चौमूं में घुस रहे हो। अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिलकुल सफाचट काम था। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा राज आपने किया, राजस्थान में सबसे ज्यादा राज आपने किया। अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर नाम होता क्या है, थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था कि अरबन डवलपमेंट के डाइमेंशनल की डाइनेमिक स्थिति तेज है। इतनी वेरीएबल है, वह बदलती रहती है लेकिन आपके यहां तो वह स्टेटिक रही। 47 से लेकर भैरोंसिंह शेखावतजी के 1998 तक के राज में वही स्टेटिक रही। जयपुर जैसे शहर में केवल दो आरओबी हुआ करते थे। एक अजमेर रोड़ की पुलिया और एक टोंक रोड की पुलिया। जब जयपुर की हालत यह थी तो राजस्थान की हालत के बारे में चर्चा करने की जरूरत क्या है।

हमने पहली बार सोचा कि राजस्थान के पास पानी नहीं है। राजस्थान हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बाद हमारे पास केवल एक प्रतिशत पानी है। हमारा 2/3 एरिया या तो एरिड है या सेमी एरिड है। हम खेती में एक स्तर से आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा टेरिन रोकता है, टोपोग्राफी रोकती है, पानी का कंसेप्ट रोकता है। चूंकि अबेंडेंस में पानी नहीं केवल एक पेरेनीयल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रीवर है उसका नाम है चम्बल। कोटा में किसी जमाने में इण्डस्ट्रियलाइजेशन शुरू ही इसलिए हुआ करता था कि चम्बल वहां थी। इण्डस्ट्रिलाइजेशन, ट्रेडिशनल इण्डस्ट्रिलाइजेशन के भी पोटेंशन राजस्थान में बहुत ज्यादा नहीं था। राजस्थान का विकास कैसे करें? जब तक अरबन सैक्टर्स के अन्दर ग्रोस पैदा नहीं करेंगे तब तक राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। जब तक टयूरिज्म में विकास नहीं हो सकता, अरबर सैक्टर में डवलपमेंट नहीं हो सकता। राजस्थान विकास की नई ऊंचाईयों पर नहीं पहुंच सकता, यह समझ कब पहली बार पैदा हुई? यह माननीय भैरोसिंह शेखावत साहब की सरकार में पैदा हुई। उसी कारण आरयूआईडीपी फेज वन के अन्दर हमने काम शुरू किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस जमाने के अन्दर हमारी योजना थी फेज वन, फेज टू, 2008 में हमने फिर शुरू किया फेज टू, जो 1790 करोड़ की योजना थी लेकिन यहां पर 2008 आरयूआईडीपी फेज टू को भी हम ही लाए। हम लाए और लाकर चले गए, आपके हाथ में आ गयी। अब अनाड़ी के हाथ में कोई हाई टैक्नोलोजी, हाई टेक ओरिंटेड प्रोजेक्ट आ जाए तो उसका हश्र क्या होता है, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 15 शहरों के लिए योजना थी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): स्मार्ट सिटी में जो जोधपुर का हश्र हुआ वही राजस्थान का होने वाला था।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 15 शहरों की योजना को टुकडे-टुकड़े में बांटकर 109 पैकेजेज में कर दिया। एसटीपी कोई और बना रहा है, ट्रंक कोई और बना रहा है, लैटरल कोई और बना रहा है। एक का काम पूरा हो गया, दो का काम पूरा हो गया, तीन का काम पूरा हो गया, चौथे का काम पूरा नहीं हुआ, प्रोजेक्ट चालू नहीं हो पाया। सड़कें खुद गईं, पड़ी रहीं, टाइम ज्यादा हो गया। क्वालिटी पूअर हुई, क्योंकि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का प्रोपर मैकेनिज्म नहीं था। पूरे पांच साल तक आपने उसको रगड़ा और रगड़ने के बाद हमारे पास आया तो 109 पैकेज जो हम काम कर रहे थे, उन पैकेज पर बिलकुल टाइम से आगे चल रहे थे, डिलेड। हम 70 पैकेज को पूरा कर चुके हैं। उनके 28 पैकेज को जून, 2016 में पूरा कर देंगे और बाकी 11 पैकेज को 2016 के दिसम्बर में पूरा कर देंगे।

आपने जो नासूर पैदा किये थे हम उन नासूरों की स्टिचिंग कर रहे

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हैं। आर.यू.आई.डी.पी. का फेज 3 भी हमारे टाइम में शुरू हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर.यू.आई.डी.पी. फेज थर्ड है, 2160 करोड़ का। इसमें चार शहरों को हम ले रहे हैं, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज है, इसमें टोंक को ले रहे हैं, पाली को ले रहे हैं, झुंझुनूं को ले रहे हैं, श्रीगंगानगर को ले रहे हैं, हनुमानगढ़ को ले रहे हैं, अलवर को ले रहे हैं, भीलवाड़ा को ले रहे हैं। यहां हम इसको टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं बांटेंगे। हम सिंगल काण्ट्रेक्ट देंगे। जिससे लादूराम-बोदूराम नहीं आयें, लार्सन एण्ड टुबो जैसी कम्पनियां आयें। प्रोफेशनल कम्पनियां आएं। प्रोफेशनल ढंग से काम करें, टाइम से काम करें। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिये काम करें। उनका अपना नाम है, नाम को बचाने के लिये काम करें। उनके पास टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके पास एफिशिएंसी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि जिन दो शहरों की बिडिंग हम कर चुके हैं वहां हिन्दुस्तान के जाने-माने और हिन्दुस्तान से बाहर के जाने-माने प्लेयर्स ने बिडिंग में भाग लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने तय किया है कि हम सिंगल काण्ट्रेक्ट करेंगे और दस साल का ओ. एण्ड एम. भी उनको देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड पार्टी क्वालिटी, थर्ड पार्टी दो तरह से हम टैकल कर रहे हैं। वह भी किससे, एस.जी.एस., राइस, टाटा, ए.बी.सी., ऐसी कम्पनियों से।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले रोड तोड़ दिया करते थे। राजेन्द्रजी रोज मुझसे नाराज होते हैं। काम आपका, नाराजगी मुझे भुगतनी पड़ती है। मैं अभी चित्तौड़ गया। लोगों ने मुझे दिखाया कि यह देखो, साहब, यह पूरी रोड है। यह आधी कट गई। आधी को ही रिस्टोर कर रहे हैं। आर.यू.डी.आई.पी. ने कहा कि हमने तोड़ी ही आधी है। जब आपने आधी तोड़ी तो बची हुई आधी पर पूरा ट्रेफिक चला ना। वह भी टूट गयी। अब रोड तो बनाओगे आप जहां ट्रेंच काटी है, जहां ट्रेंच है आपकी। जितनी सड़क टूटी रही, तब तक यह पूरा लोड सड़क का आधे हिस्से पर रहा, पूरी सड़क बर्बाद हो गयी। हमने कहा, नहीं, रोड तो हम रिस्टोर करेंगे पूरी की पूरी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बड़े-बड़े काण्ट्रेक्ट हम देते हैं, दो प्रकार की बिडिंग होती है, टेक्निकल बिडिंग, फाइनेंशियल बिडिंग। इसीलिये जे.वी. करते हैं लोग। किसी के पास पैसा हो सकता है, किसी के पास ज्ञान हो सकता है। ज्ञान वाला पैसे वाले से मिल लिया। मिल कर उसने जे.वी. लगाई, जे.वी. में उसको काण्ट्रेक्ट मिल गया। ज्ञान वाले ने अपना ज्ञान का पैसा लिया

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

और रवाना हो गया। अब बिना ज्ञान के पैसे वाला लगातार काम करेगा तो आर.यू.डी.आई.पी. फेज-2 जैसा ही हश्र होगा। इसलिये हमने कहा यह जे.वी.ए. का काण्ट्रेक्ट मिलने के बाद उसे एक कम्पनी बनानी पड़ेगी। हम रिंग रोड में भुगत रहे हैं। रिंग रोड में 2011 में आपने जिस कम्पनी से काण्ट्रेक्ट किया, उसमें इसके कारण से जो तकलीफ है, वह तकलीफ इसी प्रकार की है। हमने कहा जे.वी.ए. के बाद, जो लोग जे.वी.ए. कर रहे हैं वे कम्पनी में कन्वर्ट करेंगे। कम्पनी के अन्दर जो इक्विटी का पार्टिसिपेशन होगा उसको वह जब तक प्रोजेक्ट पूरा होगा, उस इक्विटी को वे डाइल्यूट नहीं कर सकते। वह कोई भाग नहीं सकता। कोई बैक-आउट नहीं कर सकता। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसमें नो डाइल्यूटिंग आफ इक्विटी का प्रोविजन रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर.यू.आई.डी.पी. फेज-3 के अन्दर हम पानी का काम भी कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। सच बात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि धीरे-धीरे पानी का काम हमारे माथे ही पड़ रहा है। जो काम पी.एच.ई.डी. का होना चाहिये था, उन्हीं का है। यह धीरे-धीरे हमारे माथे डाला जा रहा है। धीरे-धीरे हम भी चाहते हैं कि डल जाए तो ठीक ही है। क्योंकि जिस प्रकार से आज नेटवर्क राजस्थान के अन्दर पी.एच.ई.डी. का है, वहां पर 40 प्रतिशत से कम नान रेवेन्यू वाटर लॉसेज नहीं हैं। इन्पुट और आउटपुट में बड़ा मेजर गैप है। हम पानी की सप्लाई ज्यादा करते हैं और पानी कंजूमर को मिलता है कम, और 40-40 प्रतिशत तक। ऐसे प्रदेश में जहां एक प्रतिशत पानी हो। जहां केवल एक नदी पेरेनीयल हो, यह गम्भीर है। इसीलिये हमने कहा कि इस बार हम आर.यू.आई.डी.पी. के तहत जितने भी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट करेंगे, वहां पर नान रेवेन्यू वाटर लासेज को 40 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत पर लायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह रामधुनी से तो होता नहीं है, कम करना। इसलिये लेटेस्ट टैक्नालोजी के साथ में हमने दोस्ती की। चाहे एस.टी.पी. हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट हो, हम स्काडा टेक्निक पर आये। सुपरवाइजरी कण्ट्रोलिंग डाटा है, उस सिस्टम का इस्तेमाल किया। यह दुनिया का वन आफ द मोस्ट माडर्न सिस्टम है मानिटरिंग का। इसी के माध्यम से हम कई चीजों को एक साथ, एक स्कीम को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसी के साथ हमने वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का इस्तेमाल किया।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं जहां-जहां, पानी की बड़ी सी टंकी बनेगी। टंकी से पानी जायेगा। लोग कह रहे हैं प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। टेल-एण्ड पर पानी नहीं आ रहा है। दुनिया के कई देशों में अगर आप जाएंगे तो पानी तो उनके भी घरों में पहुंचता है लेकिन वाटर एण्ड टेंक नहीं मिलेंगे आपको। यह हमारे यहां मिलते हैं। इसलिये हमने कहा कि हम इसको पम्प से लिफ्ट करेंगे और इसलिये वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के साथ हम इस पानी के नेटवर्क को डवलप करेंगे।

ऐसे ही आप देखेंगे, एस.टी.पी.। हम एस.टी.पी. में नई टैक्नोलोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वह है एस.बी.आर. टैक्नोलोजी। आपने देखा होगा, मेरी कांस्टीट्ऐंसी में एक एस.टी.पी. आपने बनाया। चार किलोमीटर दूर से पता लग जाता है जे.डी.ए. ने बनाया है, यह एस.टी.पी. आने वाला है। दुर्गंध, पानी के प्रोसेसिंग का नाम-नाम है, प्रोसेसिंग नहीं है। यह नई टैक्नोलोजी बदली, जहां आप प्लाण्ट के अन्दर चले जाएं लेकिन आपको बदबू नहीं आयेगी। हम लोगों ने एस.टी.पी. उसी टैक्नोलोजी पर बनानी शुरू की है।

इस आर.यू.आई.डी.पी. फेज-3 के साथ, आर.यू.आई.डी.पी. के दो प्रकार के लोन हैं, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। मैंने इसलिये आपसे चर्चा की प्रोजेक्ट लोन की। हमने दो ट्रेंचेंज, अगर हम रिफार्म्स को इम्पलीमेंट करते हैं तो हमें दो ट्रेंचेज प्रोग्राम लोन के मिलेंगे। 860 करोड़, 860 करोड़, यह 1720 करोड़ हैं।

अब आप बात कर रहे थे कि हमने कई प्रोजेक्ट रोक दिये। आपने इतनी अफरा-तफरी में क्यों बनाये थे, रातों-रात, कहां भाग रहे थे?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पता था इनको।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप जानते हैं, क्यों? डी.पी.आर. ऐसे नहीं बनती। कुछ समय पहले चर्चा कर रहा था कि सरकार के काम और कोरपोरेट्स के काम में अंतर क्या है। पोलिटिक्स में भी एथिक्स होनी चाहिये। पोलिटिक्स केवल राज पाने का खेल नहीं है। पोलिटिक्स तो रेस्पांसिबिलिटी का दूसरा नाम है। जो रेस्पांसिबल ढंग से राज करना चाहता है, वह उस प्रकार का पाप नहीं कर सकता, डोटासराजी, जिस प्रकार का पाप आपकी सरकार ने किया था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, सरकार ने कोई पाप नहीं किया। जनता के हित के लिये योजनाएं थीं। आपने राजनीतिक चश्में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

से उसको रोकने का काम किया कि अगर काम चालू हो जायेगा तो कांग्रेस की सरकार को श्रेय जायेगा। आपने श्रेय लेने के लिये हमारे प्रोजेक्ट्स को सवा दो साल रोका है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भगवान की कृपा से मुझे श्रेय मिलने का मेरी जन्म पत्री में योग है। इसलिये श्रेय के लिये मुझे मोहताज होने की जरूरत नहीं है।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के जिन सौ फुल डी.पी.आर्स. को आपने दिल्ली में पेश किया था, स्कीम के खतम होने के बावजूद मैंने उनको परश्यू किया। राजकुमारजी आज यहां नहीं हैं। मुझे कहते हुए फख्र है इस बात का कि यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. की योजनाएं, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के खतम होने के बावजूद राजस्थान में 25 योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा स्टेट की फंडिंग से मैंने 6 योजनाएं शुरू करवाई हैं, सिविल्स की।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हम आर.यू.आई.डी.पी. फेज-4 को लेकर आये हैं। जिसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में की है, 37 सिटीज, छोटे शहर, जो अमृत से कवर नहीं होंगे। लेकिन उनकी भी अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्यास उतनी ही गहरी है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक-दो का नाम बताएं। डीडवाना है उसमें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पढ़ करके नाम बताएं। डीडवाना नाम है, राज़ी हो जाएं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पड़ौसी हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पड़ौसी का फायदा कभी-कभी मिलता है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लक्ष्मणगढ़ भी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लक्ष्मणगढ़ भी दूर नहीं। शेखावाटी को फायदा मिला है, इनको। बोले ही नहीं भले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल आप सब जानते हैं एल.ई.डी.,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

बच्चा-बच्चा जानता है, एल.ई.डी. टी.वी., यह होता क्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाईट इमिटिंग डायड्स। यह इल्यूमिनेशन की दुनिया में नया नाम है, सबसे माडर्न नाम है। दुनिया के सारे विकसित देश स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम में इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ देश कर भी रहे हैं। मुझे कहते हुए बड़ा संतोष है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की 188 की 188 नगर पालिकाओं की सड़कों में एल.ई.डी. लाइट की चमक लाने का मन किसी ने बनाया है तो हमने बनाया। हिंदुस्तान में पहला कोई प्रदेश था तो वह राजस्थान प्रदेश था जिसने ई.एस.एस.एल नाम की एक कम्पनी के साथ में एम.ओ.यू. किया और यह तय किया कि राजस्थान की सारी नगरपालिकाओं की 20 लाख लाइटों को हम एल.ई.डी. में तबदील कर देंगे। केवल चमक के लिए नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल ताली बजवाने के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी को सेव करने के लिए। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, रादर देन मोर प्रोड्यूस, क्योंकि एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बाद ट्रांसमिशन लोसेज, थैफ्ट, जब डेढ़ यूनिट बिजली बनाता हूं तो एक यूनिट पहुंचती है। एक भी पहुंच जाए तो भगवान की कृपा है और यहां तो एक यूनिट बचाता हूं तो एक यूनिट पूरी जेब में रहती है। इसलिए केवल यह बैटर इल्यूमिनेशन सिस्टम ही नहीं है, यह एनर्जी सेविंग की हमारी जो सोशल रेस्पांसिबिलिटी है, उसके तहत राजस्थान हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बना, जिसने एक रुपया जेब से खर्च किये बिना 1500 करोड़ रुपये की लाइटें राजस्थान के गरीब शहरों की, सड़कों पर लगाने का काम, इसका कांट्रेक्ट किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जिस मॉडल को हमने इवॉल्व किया, जिस माडल को हमारे साथ में ई.एस.एस.एल. ने एक्सेप्ट किया, आज पूरे हिंदुस्तान के प्रदेश उसी माडल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तीन लाख रोड लाइट्स लगा चुके हैं और आठ नगर निकायों में हमारा काम पूरा हो चुका है, दस नगर निकायों में काम चल रहा है। आने वाले दो साल में राजस्थान के अन्दर 20 लाख से ज्यादा लाइटें हम 188 की 188 नगरपालिकाओं में लगा देंगे। हमने एम.ओ.यू. कर लिया है कम्पनी के साथ में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन की लोग बात कर रहे थे। अभी आप कह रहे थे कि कृषि वाली

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जमीन पर है, एनक्रोच वाली जमीन पर लगता नहीं है। गांवों का तो मुझे पता नहीं, माननीय मंत्रीजी बताएंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार का कोई बेरियर शायद शहरों में नहीं है।

एक माननीय सदस्य गुंजल साहब कह रहे थे कि 12 हजार रुपये में शौचालय नहीं बनता। अब प्रधान मंत्रीजी की सोच को धन्यवाद दे रहे थे, विजन को धन्यवाद दे रहे थे, मैं भी धन्यवाद दे रहा हूं कि वह शौचालय बनाने के लिए ओ.डी.एफ. सिटी बनाने के लिए, ओ.डी.एफ. पंचायत बनाने के लिए 4 हजार रुपये प्रति शौचालय दे रहे हैं। पर, मैं वसुन्धराजी को भी धन्यवाद दे रहा हूं जो 8 हजार रुपये प्रति शौचालय दे रहे हैं और यह शौचालय बनाने का खर्चा नहीं है, माननीय गुंजल साहब, इंसेंटिव है। हमारे पास जो फोकट का खाने का मन बन गया है, जो हमारी कल्चर बन गयी है, किस तरह से देश को रसातल की ओर ले जा रही है? दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं हुआ करती। मोहनजी के घर जाऊं और मोहनजी कचौरी खिला दें तो इनकी कृपा से कचौरी मेरे लिए फ्री हो गयी, कचौरी फ्री नहीं है। किसी न किसी को उसकी कीमत चुकानी होती है और विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। विकास सरकार, समाज के विकसित होने की मंशा के अन्दर कंट्रिब्यूटरी हो सकती है, कैटेलिस्ट हो सकती है। 12 हजार रुपये शौचालय के लिए इंसेंटिव के रूप में देने के बाद भी शौचालय नहीं बने, हो नहीं सकता। बन रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 1 लाख 42 हजार से ज्यादा एप्लीकेशंस वैरिफाइड कीं और 1 लाख 6 हजार की हमने सेंक्शंस इश्यू कर दीं। ऐसे ही 190 कम्यूनिटी टायलेट्स हमने सेंक्शन कर दिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि केवल शौचालय बनाने से काम नहीं चलेगा। शौचालय हमारी जरूरत है, सोशल रेस्पांसिबिलिटी भी है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी हमारी रेस्पांसिबिलिटी है लेकिन हमें हिंदुस्तान को स्वच्छ रखना है, हिंदुस्तान को स्वस्थ रखना है और इसीलिए मोदीजी ने शौचालययुक्त पंचायतें और नगरपालिकाएं बनाने का मन रखा है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब यह सवाल खड़ा किया कि 12 हजार में शौचालय नहीं बन सकता तो मैंने साथ में यह भी बात कही कि अगर 12 हजार इंसेंटिव है तो फोकट में नहीं दे रहे

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कि आप ले जाइए और इसकी कचौरी खाइए। शौचालय बनाने के उपयोग के लिए दे रहे हैं तो मैंने यह कहा है कि आप अधिकारियों को पाबंद करिए कि जिसको आप दे रहे हैं, पूरा शौचालय बनाने की कीमत, पहले वह बना लें और उसके बाद 12 हजार एडजस्ट करें। शपथ-पत्र दें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बाद में देते हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। पचास परसेंट पैसा फोकट में ही जा रहा है कचौरी में। उपयोग ही नहीं हो पा रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं-नहीं, हो रहा है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आपके यहां हो रहा होगा, हमारे यहां पर नहीं हो रहा है। राकी इलाका है, वहां पर 12 हजार रुपये में बन ही नहीं सकता। अब कितने लोगों से शपथ-पत्र लिये? अगर 28 हजार में एक शौचालय बनता है तो 16 हजार का या 18 हजार का पहले इंवेस्ट आप करेंगे, उसके बाद यह गवर्नमेंट की एड मिलेगी। कितने लोगों के इसके शपथ-पत्र मिले?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जब 4600 में बन रहा था तो तब कैसे बन रहा था? पहले 4600 में ही बन रहा था। अब तो 12 हजार दे रहे हैं तो भी कम है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों में एक अलग ढंग की साइकोलाजी हममें और उनमें पैदा करने की कोशिश की है, हो भी गयी। लेकिन, उसकी मैं चर्चा कर रहा था कि हर आदमी टकाटक-टकाटक सरकार की ओर देखता है कि मुझे मुफ्त में क्या मिल सकता है और दूसरा लेक आफ ट्रस्ट, विश्वास की कमी। सरकारें किसकी होती हैं? सरकारें बनाता कौन है? सरकार का सरताज कौन है? इस सरकार का सरताज वही है जिसके पास शौचालय अभी नहीं है। उस पर अविश्वास? उससे एफिडेविट? कौनसी डेमोक्रेसी? कौनसा लोकतंत्र? कौनसा नेतृत्व? कौनसी संवेदनशीलता?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे लिए यह एक मिशन है। हमारे लिए यह पाइअस काम है। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है और हमें शर्म है इस बात की कि हिंदुस्तान की आजादी के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

67 साल बाद भी हिंदुस्तान में इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जिनके पास अपना शौचालय नहीं है। उसके साथ का-आपरेट करते हुए, उसकी समस्या को समझते हुए, उसकी तकलीफ को समझते हुए, किस प्रकार से हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान की पंचायतें और नगर-निगम को हम शौचालययुक्त बना सकें, इस दिशा में हमने सोचना है और इस दिशा में काम भी करना है। इसलिए मनोविज्ञान को ही बदलना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि शौचालयों के अलावा हिंदुस्तान को स्वच्छ हिंदुस्तान में कैसे तबदील करें, हिंदुस्तान को स्वस्थ हिंदुस्तान में कैसे तबदील करें, मैंने गयी बार भी विधान सभा में बोलते हुए कहा था कि हमारा हिंदुस्तान का आदमी 66-67 साल की उम्र के साथ भगवान को प्यारा क्यों हो जाता है? स्विट्जरलैंड का आदमी 87 साल तक क्यों जीता है? मैं तो अपना नाम भी यहां पर गोविंद रखता हूं, सवा-मनी करता हूं और 64 साल की उम्र में गोविंद को प्यारा हो जाता हूं। मेरे आदमी ने ऐसा क्या पाप किया कि वह स्विट्जरलैंड के आदमी की तरह 87 साल तक नहीं जी सकता? क्या उसे मैं हैल्थ नहीं दे सकता, हाइजिन नहीं दे सकता? क्या हैल्थ और हाइजिन देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? हम हैल्थ भी देंगे और हाइजिन भी देंगे इसलिए यह स्वच्छ भारत मिशन रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जब कालेज में पढ़ता था तब से डोर टू डोर कलेक्शन की बातें सुन रहा हूं। ऐसे कलेक्शन होगा, ऐसे सेग्रगेशन होगा, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऐसे प्रोसेसिंग होगा और ऐसे डिस्पोजल होगा। सुनते-सुनते मंत्री बन गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन डोर टू डोर कलेक्शन सही नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। मुश्किल काम है। चुनौतीपूर्ण काम है। माइंड-सैट की बात है गुंजल साहब, इस माइंड सैट को बदलना आसान नहीं है। योजनाएं लाना आसान है और योजनाओं पर संसाधन उपलब्ध करवाना भी आसन है लेकिन उस मानसिकता को बदलना है और नया मन पैदा करना है। नया कमिटमेंट पैदा करना है। नई रेस्पांसिबिलिटी की फीलिंग पैदा करना है। यह ह्यूमन ट्रांसफोर्मेशन का काम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आसान नहीं है। इसीलिए डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और राजस्थान के तकरीबन साढ़े पाँच हजार, 5247 वार्ड्स में से 1400 से ज्यादा वार्ड्स में हमने काम करना शुरू किया है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मैं विश्वास दिलवाता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी इस दिशा में हम कोई भी कोताही बरतेंगे नहीं। काम मुश्किल है, आम-आवाम से जुड़ा हुआ है। उसमें कई और भी तकलीफ हैं, कई लोग चाहते हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो। कई लोगों की जेबें भरती हैं तो वह अपनी जेबों को खाली नहीं करना चाहते। एक तरफ लोगों का मनोविज्ञान है, लोगों की मानसिकता है, उससे लड़ाई लड़नी है और दूसरी तरफ उन लोगों से लड़ाई लड़नी है, जिनके जेबों में यह खजाना जाता है। लेकिन, हम लड़ाई लड़ेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तबदीली लाना हमारी जिम्मेदारी है, हम लाएंगे। हम न केवल डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, बल्कि 6400 टन कचरा जो राजस्थान में हर दिन पैदा होता है, उसका कलेक्शन भी करेंगे, सेग्रगेशन भी करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे, प्रोसेसिंग भी करेंगे और डिस्पोजल भी करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पांच स्थानों पर आठ नगर निकायों के लिए प्रोसेसिंग प्लांट का एल ए ओ जारी कर दिया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा के लिए 1300 टन वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए बिडिंग आमंत्रित कर ली हैं। 42 निकायों के 26 जगहों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने वाले हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम उम्मीद करते हैं, कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार 6400 टन में से 4 हजार टन कचरे की प्रोसेसिंग की क्षमता राजस्थान में पैदा हो जाए। अब उसके लिये सबका समर्थन मांग रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने कहा किसी चीज को ट्रांसफोर्म करना, तब्दीली करना केवल सरकार के भरोसे नहीं होता है। किसी राजनीतिक पार्टी के भरोसे भी नहीं हो सकता। कोई सरकार यह नहीं कर सकती। जब तक उसके अन्दर कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं होगा, कलेक्टिव थ्रस्ट नहीं होगा और कलेक्टिव मन नहीं होगा और मन भी वो, जिसमें मैल नहीं हो, गुंजल साहब, तब तक यह बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। लोगों की 67 साल की उम्र को 87 साल तक पहुंचाना, कोई छोटा काम नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी कोशिश में राजेन्द्र राठौड़जी तो लगे हुए हैं राजस्थान में। किस प्रकार से इस हैल्थ को हाईजीन के साथ जोड़ें जिससे हैल्थ की हमारी कोस्ट कम हो और हैल्थ न हाईजीन मिलकर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि हो।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिस्पोजल के साथ हमने सेनेटिव लैण्ड फिल का काम भी शुरू कर दिया है, इसका निर्माण 12 जगह शुरू कर दिया, बाकी शहरों में निविदाएं प्रक्रियाधीन है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य आवासों की बड़ी चिन्ता कर रहे थे, चिन्ता की बात है। शौचालय नहीं होना, आवास नहीं होना, आप तो चिन्ता हमेशा ही करते हैं। कोई नई चिन्ता तो है नहीं मोहनजी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे थोड़ा-सा इंटरफियरेंस करने की इजाजत दे दें। अगर आपकी इजाजत हो, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, दार्शनिक अंदाज में, वास्तविक अंदाज में, शायद यह जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर की सड़कों पर माननीय मंत्री महोदय दौरा कर लें तो सड़क पर खड्ढ़े, ऊपर बंदर, पीछे गायें और सामने कुत्ते भौंकते नजर आएंगे। एक मिनट, प्लीज, मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सारा गुड़ गोबर कर दिया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): प्लीज, कृपा करके शहर की सड़कों के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी बोल रही थीं, पर छोड़ूंगी नहीं, मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने रविवार को बाड़मेर में अपने तीन दिवसीय दौरे का समापन इस चेतावनी के साथ किया कि जा रही हूं, पर यह मत समझना कि छोड़ दूंगी। मुझे बाड़मेर में गंदगी देखकर बहुत बुरा लगा है। यहां नगर परिषद भी काम कर रही है क्या? अधिकारियों की बैठक में कलक्टर को आड़े हाथों लिया। यह 26.10 का है।

मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाषण अच्छा देने से, योजनाएं अच्छी बना लेने से नीचे के, आप थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, प्लीज एक्ट लोकली, थैंक्यू मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जयपुर के प्रथम महापौर और प्रथम नागरिक को भुगत चुका हूं। और केवल मैंने ही नहीं भुगता है, जयपुर की जनता ने भुगता है। मुझे याद है मोहनजी, आपके मेयर का टाइम। आपको भी याद होना चाहिए मेरा काम।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कालीचरणजी हंस रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, कालीचरणजी हंस रहे हैं, जानते हैं कालीचरणजी। अपनी शेखी में कुछ बातें कहना कुछ अलग बात हो सकती हैं। आपके महापौर के काल में अगर स्वच्छ

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

भारत अभियान चलाए बिना स्वच्छता की ओर जयपुर चला होता नारे के अलावा, तो 2016 के अन्दर यह हालत किसी को देखने को नहीं मिलती। मैं इस बारे में कोई लम्बी-चौड़ी चर्चा नहीं करना चाहता। इस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपने अच्छी बातें कही हैं और योजना भी अच्छी बनाई है।

श्री उपाध्यक्ष: देखिए, माननीय सदस्य, वैसे तो किसी भी मंत्री के वक्तव्य के बीच में किसी का टोकना या व्यवधान करना मर्यादित नहीं है और आसन की गरिमा को भी आप ध्यान में रखिये। अगर मैं आपको इजाजत दे रहा हूं तो मैं कोई सकारात्मक अगर आपकी प्रतिक्रिया आती तो दे रहा हूं। मैं यहां वाद-विवाद कराने के लिए नहीं दे रहा हूं। Now I will not allow anyone to speak. मंत्री महोदय, आप बोलिये and you don’t have to sit down for anyone now.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं कह रहा हूं कि सकारात्मक बात यह है, अगर मंत्री महोदय, शहर का दौरा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: प्लीज सिट डाउन सर।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सुनिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप बिराज जाइए। सुनिये किसको? आप बिराज जाइये। सिट डाउन।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अगर आपका गुस्सा शांत हो गया तो मैं दो मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मेरा गुस्सा अब इनके वक्तव्य तक शांत नहीं होगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अफोर्डेबल हाउस की चर्चा कर रहा था। लेकिन इसके पहले मैं यह बात भी कहना चाहता हूं मुझे खुशी है इस बात की जयपुर, जिसका पहले बहुत नीचे स्थान था, अब यह सफाई के मामले में हिन्दुस्तान के 476 क्लास वन सिटीज के अन्दर 29वीं पोजीशन पर आ गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले जब मैं स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा कर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रहा था तो कह रहा था किसी सरकार के भरोसे, किसी मेयर के भरोसे यह काम नहीं हो सकता। कुछ पार्षदों के भरोसे भी नहीं हो सकता। राजस्थान की सात करोड़ से ज्यादा जनसंख्या कचरा करे और मुट्ठी भर लोग उसकी सफाई कर लिये होते तो पूर्व महापौर ने भी कर लिया होगा। यह एक बड़ी चुनौती है और हम सबके लिए चुनौती है। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होगा, इस बड़ी चुनौती को हम पूरा नहीं कर सकते।

मुझे यह भी खुशी है कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी इस बारे में संवेदनशील है और किसी भी चीज को स्वीकार करके उसको सही करने की दिशा के अन्दर बड़ा पोजिटिव अंदाज होता है। इसीलिए मुख्य मंत्रीजी कह देती हैं वर्ना मुख्य मंत्रीजी का यह कहना, इस कहने से क्या-क्या लोग कह सकते हैं, उन्हें पता है, पर फिर भी काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोग क्या कह सकते हैं, यह कम महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हम सबका काम है और जब तक हम सबका काम मानकर नहीं चलेंगे तो फिर लार्जर टार्गेट को हम पूरा नहीं कर पाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्वच्छ भारत अभियान, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सारा डवलपमेंट हम करना चाहते हैं। जी डी पी बढ़ना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अरबनाइजेशन ग्रोथ का इंजन है। इसीलिए मैं बार-बार निवेदन करता हूं कि ग्रोथ किसके लिए? हमें क्या वह ग्रोथ चाहिए जो इंडिया की ग्रोथ हो, लेकिन इंडियन की ग्रोथ नहीं हो? क्या फ्यूडल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं सोसायटी के अंदर? क्या वह हिन्दुस्तान के अन्दर दो हिन्दुस्तान पैदा करना चाहते हैं? एक तरफ बिलेनियर्स बढ़ रहे हैं, मिलेनियर्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ उन लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनके सिर पर छाया नहीं है, जिनके सिर पर छत नहीं है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार, जिसने किया भले ही नहीं होगा, लेकिन 2009 में इन्होंने सोचा कि हम पांच लाख मकान बनाएंगे। इस दिशा में, सही दिशा में सोच थी और सोच जब तक मन में पैदा नहीं होगी तो काम पूरा हो नहीं सकता। यह अलग बात है कि उस पांच लाख की घोषणा करने के पीछे जितना जो आत्मबल लगना चाहिए था, जितना कमिटमेंट का फोर्स लगना चाहिए था, उसमें शायद कमी रही। और इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मोहन लाल जी गुप्ता साहब ही उस समय भी हम लोगों को डिस्टर्ब करते थे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): डिस्टर्ब मत हुआ करो आप।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2009 से लेकर दिसम्बर, 2013 तक गयी सरकार केवल 26073 लोगों को ही अफोर्डेबल हाउस का कब्जा दे पायी थी। मैं आरोप नहीं लगा रहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस सोच के लिये साधुवाद देना चाहता हूं कि पहली बार पांच लाख मकान बनाने का मन तो आया। उस गरीब की याद तो आयी और हमने 2 साल 4 महीने में अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी के अन्दर 52,528 लोगों को मकान बनाकर दिये। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अफोर्डेबल हाउसिंग ई डब्ल्यू एस के हाउसिंग और कच्ची बस्ती के हाउसिंग में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लगभग-लगभग 19-20 फर्क है। नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। इन 52,528 मकानों के अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को भी 28,605 मकानों का कब्जा दिया है। लेकिन हम जानते थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो 2009 की पालिसी थी, उसमें कुछ कमियां रह गयी थीं और जैसा मैंने कहा किसी भी चीज को ठीक करना सतत प्रक्रिया है, इसमें आरोप लगाने की बात नहीं है। इसमें कुछ और करेक्शन करने की जरूरत थी, उनको इम्प्रूवाइज करने की जरूरत थी, उसको आग्मेंट करने की जरूरत थी। दुनिया में रीयल सैक्टर में जो चेंजेज हो रहे हैं, उन चेंजेज के साथ योजना बनाएं, ऐसी योजना की जरूरत थी। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ध्यान के साथ में, बड़ी संवेदनशीलता के साथ में इस योजना को बनाने में व्यक्तिगत इंटरेस्ट लिया।

(21.00 बजे)

और हमने 26 जनवरी, 2015 को मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा की। उपाध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि राजस्थान के अन्दर 2022 तक आठ से दस लाख मकानों की ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. कैटेगिरी के मकानों की कमी है, हमें इसे पूरा करना है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत वेरियस प्रोविजंस दिये हैं, वेरियस परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हमने पैदा किये हैं जिनके आधार पर हम लार्जर पार्टिसिपेशन

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लोगों का इस सैक्टर में करा पाये हैं और वो भी तब जब जानते हैं कि अभी पूरी दूनिया में मंदी है और मंदी में रियल सैक्टर के अन्दर तो सचमुच मंदी है इस मंदी को तोड़ते हुए गरीब तक मकान पहुंचाना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी चुनौती है इसलिए हमने 26 जनवरी, 2015 को मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा की और घोषणा के कितने महीने बाद, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, छह महीने भी पूरे नहीं हुए और इन छह महीने में हमने 21 हजार मकानों की स्वीकृति जारी कर दी है और 186 करोड़ रुपये के केन्द्र सरकार के अनुदान की राशि हमें स्वीकृत हो गयी है।

यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 हजार मकानों हेतु सरकारी जमीन पर योजना तैयार कर हमने निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं और 10 हजार जो निजी खातेदारों की भूमि पर मकान बनेंगे, उनकों हमने स्वीकृति दे दी है इन छह महीने से कम समय में और 20 हजार मकान, वहां पर जे.डी.ए. के आठ हजार भूखण्ड सहित हमने चिह्नित किये हैं जो हम इन वीकर सैक्शनों, एल.आई.जी. ग्रुप के लोगों को मकान बनाने के लिए देंगे।

मुझे खुशी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग की जरूरत नहीं है। यह कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग का खेल नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान और आम आदमी को मकान देना है। इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, इसमें कोई श्रेय लेने की बात भी नहीं है, किसी से श्रेय छीनने की बात भी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। इसमें हिन्दुस्तान का ऐसा कौनसा आदमी है जो चाहता है कि हिन्दुस्तान की आम अवाम को मकान नहीं मिले? हिन्दुस्तान का ऐसा कौनसा आदमी है जो यह चाहता हो कि हिन्दुस्तान के आदमी स्वच्छ नहीं, हिन्दुस्तान स्वच्छ नहीं रहे, यहां पर हाइजीन नहीं हो, हैल्थ नहीं मिले? यह मुद्दा राजनीति का नहीं हो सकता, यह कंसेंसस के मुद्दे होने चाहिए और यह कंसेंसस का दूसरा नाम ही जेनुइन डेमोक्रेसी है। सेगमेन्टेशन, डिवीजन, डिवाइसिवनेस इस देश का भला नहीं कर सकते हैं, और देश टकटकी बांध कर देखता है आपकी ओर। आपको जनप्रतिनिधि बना कर उसे अफसोस भी होता है आपके कृत्यों पर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने गयी बार चर्चा की थी फाइनेंसेज की और कहा था कि पूरे प्रदेश की अरबन डवलपमेंट ऑथोरिटीज की फाइनैंशियल पोजिशन बहुत नाजुक थी। जोधपुर जैसे शहर में 17

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

सौ, 18 सौ करोड़ रुपये का दायित्व था जोडा (JODA) पर। यही हालचाल वेरियस यू.आई.टीज., के थे, यही नगर निगमों की हालत थी। हम इन हालातों का रोना रो कर के जनता के काम से बच नहीं सकते, हम बचेंगे नहीं।

अभी रिसर्जेंट राजस्थान हुआ था, बाहर के लोग आये थे और जयपुर की सफाई की बड़ाई भी की, जयपुर के काम की बड़ाई भी की। कुछ लोगों ने तो यहां पढ़ा और भूल गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं न केवल इनकी बल्कि हमारी लोकल बॉडीज की तो हम रोज देखते हैं हालत खराब है पैसों के मामले में, सारी लोकल जो भी नगरपालिकाएं हैं हमेशा पैसे के लिए कहती हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और सच है। लोकल बॉडीज की तरफ जितना ध्यान हमें देना चाहिए था, जितना फिस्कल इन्फ्यूजन होना चाहिए था उतना हम नहीं दे पाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं 2012-13 में स्थानीय निकायों का राजस्थान में खर्चा था केवल 2737 करोड़ रुपये, मुझे खुशी है यह कहते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 2016-17 में राजस्थान के स्थानीय निकायों का खर्चा होगा 98 प्रतिशत बढ़ कर, लगभग डबल होकर के 5421 करोड़ रुपया।

मैं इसमें लम्बा-चौड़ा जाना नहीं चाहता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं आगे बढ़ने के लिए हम सब की जिम्मेदारी कहीं न कहीं है। लेकिन मैं साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जे.डी.ए. की बड़ी चर्चा हुई है। यह भी सही है कि आपके राज में इसी विधान सभा में जयपुर डाकू ऑथोरिटी मैंने ही कहा था, पर डाकूओं की नाक में नकेल डालने का काम भी हम ही कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि जे.डी.ए. की उस जमाने में जबकि रियल एस्टेट रातों-रात बढ़ रहा था सैंसेक्स की तरह तब जे.डी.ए. की टोटल इन्कम थी 3439 करोड़ रुपये पूरे पांच साल में। अभी हमारी सरकार को आये हुए दो साल चार महीने हुए हैं और दो साल चार महीने में इनकी पांच साल की इन्कम को एक्सीड करते हुए हम पहुंचते हैं 4120 करोड़ रुपये। और यही कहानी एक्सपेंडीचर की है। इसीलिए देख रहे हैं आज हम बड़े-बड़े काम हाथ में लेने का काम कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिंग रोड़ की चर्चा हुई, रिंग रोड़ अपना एम्बिशिअस प्रोजेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले राज के अन्दर हमने इसकी परिकल्पना की थी और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने इस

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

परिकल्पना को आगे बढ़ाया। इसीलिए आपने सेनजोस नाम की कम्पनी के साथ में 24 जून, 2011 को एग्रीमेंट किया जिसके आधार पर अपाइंटी डेट से 21 महीने में उन्हें यह काम पूरा करना था और 28 साल तक टोल के माध्यम से अपने पैसे को रिकवर करना था।

मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आपने परिकल्पना को आगे बढ़ाया, उसमें आपके कोई राजनीति मन में नहीं आयी। आपने अच्छे प्रोजेक्ट को, अच्छे प्रोजेक्ट की सोच को आगे बढ़ाया लेकिन आप एक धोखा खा गये। मैं आरोप नहीं लगा रहा। जिस जे.वी. की थोडी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था आर.यू.आई.डी.पी. के रेफरेंस में कि लोगों का गठबन्धन बनता कैसे है, गठबन्धन टूटता कैसे है, कन्सोर्टियम के साथ में फाइनेंसेज के ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं, उसका जो ध्यान रखना चाहिए, हम नहीं रख पाये। मैं इसमें बदनीयती की बात नहीं कर रहा, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हमें गलतियों से सीखना चाहिए और इसी का परिणाम है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमने 2011 के अन्दर 24 जून को को उनसे ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कई माननीय सदस्य तो गलतियों से भी नहीं सीखते, उनका क्या करें? यह भी बताओ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कई माननीय सदस्य तो गलतियां कर के भी नहीं सीखते, उनके बारे में भी बताओ, उनका क्या इलाज करें?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एग्रीमेंट तो कर लिया, कांट्रेक्ट तो कर लिया लेकिन दिसम्बर, 2013 तक इस जमीन का कब्जा नहीं ले पाये। आपने अपने मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को भी किसानों के बीच भेजा, कोशिश की लेकिन किन्हीं-किन्हीं कारणों से कब्जा नहीं ले पाये, किसानों को समझा नहीं पाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की जमीन का कब्जा लेने के बाद भी कई ऐसे काम थे, एन्वायर्नमेंट से क्लीयरेंस लेनी पड़ती है, फोरेस्ट से बात करनी पड़ती है, फोरेस्ट से जमीन एक्सचेंज की भी बात करनी पड़ती है,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

बहुत लम्बा कम्बरसम प्रोसेस है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने सितम्बर 2014 तक भूमि का कब्जा लिया, लोगों को आरक्षण पत्र दिये, आबंटन पत्र दिये, निर्माण का मुआवजा दिया और कन्सेशनर को 2014 में हमने जमीन दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा की रिंग रोड़ की जो परियोजना आप लोगों ने बनाई थी उसमें कुछ कमी रह गयी थी। पेडेस्ट्रियन के रास्ते जितने होने चाहिए थे वो नहीं थे, अण्डर पासेज जितने होने चाहिए थे नहीं थे, हमने उसके अन्दर 14 नये पेडेस्ट्रियन अण्डर पास तो तीन व्हीक्यूलर अण्डर पासेज को जोड़ा और उसके बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने क्लोवर लीफ, क्लोवर मतलब लोंग, लोंग के ऊपर होता है लोंग का सिर, वो क्लोवर, उसके जैसा क्लोवर लीफ, तो क्लोवर लीफ की डिजाइन इस प्रकार की बनी हुई थी उसमें जमीन ज्यादा आ रही थी। उसमें था कि जमीन कम से कम इस्तेमाल करते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर से कैसे डवलप कर सकते हैं, हम सब की चिंता का विषय है। हमने क्लोवर लीफ की डिजाइन में तब्दीली कराई। इन अण्डर पासेज को जोड़ा, पेडेस्ट्रियन पासेज को जोड़ा, एन्वायर्नमेंट की क्लीयरेंस ली, आर.ओ.बी. की डिजाइंस की एप्रूवल रेलवे से ली। यह सब करने के बावजूद कब्जा देने के बाद अपाइंटी डेट तय होने के बाद जैसा कि मैंने कहा था मौलिक रूप से जो एग्रीमेंट हमारा उस कम्पनी से हुआ था उसमें कमी रह गयी और उसी कमी का परिणाम है कि रिंग रोड़ के काम को जितनी गति मिलनी चाहिए थी वो गति नहीं मिल पायी। एक पार्टनर ने उस फाइनेंसेज को डाइवर्ट किया शायद, बैंक से पैसा उठाया, पैसा कहां गया समझ में कम आया, दूसरे पार्टनर को तकलीफ हुई, पार्टनरों में झगड़ा हो गया। पार्टनरों में झगड़ा हुआ, बैंक पीछे हटने लगे, हमारी शर्तों पर शर्तें टूटती गयीं, हमने उन्हें टर्मिनेशन का लैटर दे दिया, लेकिन मुझे खुशी है इन सब चिंताओं के बाद अब सब चीजों को हमने ठीक कर लिया, दुरुस्त कर लिया है। हमने सारे बैंकों से बात की और सारे बैंक उनको लोन देने को तैयार, उनको पैसा देने को तैयार, उनको इंस्टालमेंट देने को तैयार हैं और मैं उम्मीद करता हूं इन सारे इम्पेडिमेंट्स पर जीतते हुए, इन पर पार पाते हुए हम जल्दी से जल्दी रिंग रोड़ की हमारी इस महत्वाकांक्षी योजना को समय पर पूरा करने के लिए पूरा जोर लगायेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दूसरी, आजकल बहुत चर्चा है पूरे हिन्दुस्तान में कई जगह पर लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान में भी लोग बात कर रहे हैं। पक्ष-विपक्ष के, दोनों पक्ष के लोग मोटे तौर पर इस बात पर खुश हैं कि जिस द्रव्यवती नदी को लोग अमानीशाह के नाले के रूप में जानने लग गये, यह लाइन ऑफ गारबेज थी। जैसा मैं एसटीपी के लिए भी कह रहा था कि 4 किलोमीटर दूर से पता लगता था कि कोई एसटीपी है, वैसे ही इस अमानीशाह के नाले के इर्द-गिर्द से निकलने से पता लग जाता था कि हम ऐसे कोई नर्क के इलाके में जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी कम्पनी टाटा कंसलटेंसी के साथ हमने यह काम लिया है पूरी नदी को रिजोवनेट करने के लिए। हम न केवल नदी को रिजोवनेट करेंगे, न केवल साबरमती की तर्ज पर फ्रंट हम बनायेंगे, वह सारी एक्टिविटीज करेंगे जिसकी चर्चा सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे। हम 75 हैक्टेयर जमीन को री-क्लेम करेंगे और जयपुर के हार्ट में वाटर बॉडी के किनारे पर 75 हैक्टेयर जमीन को री-क्लेम करना, उसमें से अगर 50 हैक्टेयर जमीन भी हमने बेच दी और इस वैल्यू एडीशन के साथ में बेच दी तो सब लोगों का, अधिकारियों का मानना है कि टू थर्ड कॉस्ट तो हम उसी से निकाल लेंगे। मेरा तो यह मानना है कि अगर ढंग से बेचान किया तो पूरी कॉस्ट उसी से निकल जायेगी।

यह न केवल भू-जल बढ़ायेगा, वाटर बॉडीज की, चैक डैम की, फॉल स्ट्रक्चर की मैं लंबी-चौड़ी चर्चा नहीं करना चाहता। आप अखबारों में पढ़ते होंगे। लेकिन इसके माध्यम से शहर का भू-जल बढ़ेगा और खास तौर से उस इलाके को जो डार्क जोन में चला गया है, पोल्यूटेड पानी से छूट मिलेगी और इस गारबेज को हम विड्थ में बदल देंगे। अमानीशाह के नाले के पास घूमने के बाद लोग कहते थे सिटी ऑफ हैल, इसको हम सिटी ऑफ हैवन में तब्दील कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना को हम समय पर पूरा करेंगे और जिस प्रकार की योजना की कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसको हम समय में पूरा कर देंगे तो यह जयपुर के माथे का चांद होगा। आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1990 में पहली बार विधायक बना। मेरे विधायक बनने से पहले एक नासूर पैदा हो गया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एक बात मंत्री जी के सामने एड करना चाहूंगा कि यह द्रव्यवती की जो योजना है। वह बहुत ही अच्छी योजना है। जेडीए ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। राज्य सरकार ने इसमें स्वीकृति दी है, भ्रष्टाचार विहीन 1600 करोड़ रुपये की योजना जो आपने दी है, वह बहुत अच्छी है। मैं बोलने वाला था। अब बोल रहा हूं, ऑन रिकार्ड। टाटा कंसलटेंसी के द्वारा मैंने जेडीए के अधिकारियों से सुना है नीचे से लेकर के ऊपर तक, कोई पैसा नहीं दिया गया और समय पर यह योजना पूरी होगी। बहुत-बहुत बधाई है।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे मैं सदन से एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि In next ten minutes, I would be sitting here for five hours. Please keep that in mind.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): I will take care of it. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं 3-4 चीजों पर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं क्योंकि यह चीजें विधान सभा में कई बार, सालों तक गूंजती रही हैं।

जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे विधायक बनने से पहले उस इलाके में नासूर पैदा हो गया था पृथ्वीराज नगर नाम का। लैंड एक्वीजिशन की बात आमेर से आने वाले माननीय सदस्य, पिलानिया साहब कह रहे थे। हम कई बार लैंड एक्वीजेशन कर नहीं पाते। कई एक्वीजिशन एट्रोसिटी भी लगता है और इसीलिए मैं आमेर से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि हम डवलपमेंट के प्रोसेस में किसी को डिप्राइव नहीं करना चाहते। एक्वीजिशन उसको कहीं न कहीं डिप्राइव करता है।

हम डवलपमेंट के प्रोसेस में उसको शागिर्द क्यों नहीं बना सकते। डवलपमेंट समाज की जरूरत है। उसकी भी जरूरत है। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा हूं कि द्रव्यवती के किनारे की वह री-क्लेम जमीन अभी वर्तमान दर से महंगी होगी क्योंकि वैल्यू एडीशन हो जायेगा। ऐसे ही उसको पार्टनरिंग करके वैल्यू एडिशन के अन्दर प्रोस्पैरिटी हम पैदा करते हैं, हम वह चैनल क्यों नहीं बनायें। इसीलिए आज पूरी दुनिया भर के अन्दर एक बहुत, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे मेरे ख्याल से लैंड पूलिंग का कांसेप्ट है। इस लैंड पूलिंग के प्रोसेस के अन्दर उस आदमी को जो किसान है, जो लैंड होल्डर है, उसको स्टेक होल्डर में कैसे तबदील करें। डवलपमेंट के फ्रूट का मजा उसे भी आना चाहिए। इसलिए हम सदन के अन्दर बहुत जल्दी ही लैंड पूलिंग एक्ट भी लेकर आने वाले हैं। लैंड पूलिंग एक्ट के बाद में हमारी प्रोसपैरिटी, हमारी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्रोग्रेस, हमारी ग्रोथ, हमारे डवलपमेंट के अन्दर वह आदमी शागिर्द बनेगा, जिसको शागिर्द बहुत पहले बन जाना चाहिए था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पृथ्वीराज नगर की योजना, मैंने कहा सरकार जानती थी कि एक्वायर नहीं कर पायेगी। करती रही, लगी रही, लगी रही, लोग मकान बनाते गये। कैसे मकान बनाते गये वह उनको पता है। यह कोई बीजेपी के राज और कांग्रेस के राज की बात नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज नगर की समस्या रोज उलझती गयी। हर कोई आया और उसको उलझाकर के चला गया। समस्या थी, कॉम्पलैक्स हुई, कंपाउंड हुई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस तरह से 26-27 साल पुरानी समस्या का समाधान एक स्ट्रोक में किया है।

हमने लोगों को कहा कि हमने कई जगह कॉलोनियों को रेगुलराइज किया है। लेकिन हमने पट्टे का एक्सचेंज किया है। सोसायटी का पट्टा, साथ में कुछ पैसे मुझे दे दे और जेडीए का पट्टा ले घर जा, डवलपमेंट की हमारी कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा जोर मारेगा तो कह देंगे कि जितना दिया उससे ज्यादा ले लिया।

हमने कहा कि पृथ्वीराज नगर में यह कहानी रिपीट नहीं होनी चाहिए। यह एक्सचेंज ऑफ पट्टा नहीं होना चाहिए। यह केवल प्रामिस ऑफ डवलपमेंट भी नहीं होना चाहिए। प्रामिस डवलपमेंट डिलीवर होना चाहिए। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने पृथ्वीराज नगर के अन्दर 22 हजार लोगों को पट्टा दिया है। आने वाले 3 साल में 2 हजार करोड़ रुपया खर्च करके हम सड़क, पानी, ड्रेनेज, सीवरेज, बिजली और ब्यूटीफिकेशन भी इसमें करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गयी बार विधान सभा सत्र में कहा था कि हम 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रेवेन्यू जेडीए में जनरेट करेंगे और यह तब जब रियल एस्टेट सैक्टर कई सालों के अपने निम्नतम स्तर पर है। उसके बावजूद मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अभी, मैं ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो चीजों के बारे में ध्यानाकर्षित करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। एक तो एनसीआर जिसके बारे में मैंने गत बार भी चर्चा की थी। हमारे दो सिटीज कैपिटल काउंटर मैग्नेट सिटीज हैं कोटा और जयपुर, एनसीआर में जाने के कई नुकसान हैं। लेकिन हम चले गये, नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन एनसीआर में जाने के जो फायदे हैं वह हम नहीं ले

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पाये। हरियाणा ने ले लिया, यूपी ने लिया और दिल्ली ने लिया। लेकिन जैसे जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन का फायदा नहीं ले पाये, उसी प्रकार से हम इसमें फायदा नहीं ले पाये। मैं बोलता रहा, विधान सभा में कहता रहा। शायद मैं कह रहा था इसलिए उपयुक्त नहीं लगा होगा।

लेकिन हमने जयपुर को काउंटर मैग्नेट सिटी मानते हुए एनसीआर के अन्दर प्लानिंग बोर्ड में 3200-3300 करोड़ रुपये की ड्रेनेज और सीवरेज की योजनाएं भेजीं। हम द्रव्यवती में भी उनका कांट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं। यहां तक कि हम कोटा में भी कुछ परियोजनाओं में एनसीआर का हिस्सा लेना चाहते हैं। जो गलती आपके राज में की, जैसे संसाधन मिल रहे थे, उन संसाधनों का जनता के हित में इस्तेमाल करने के बजाय, अरबनाइजेशन के द्वारा इकानोमिक एक्टिविटी पैदा करने की बजाय, हमने दूर रहना सोचा।

मैं समझता हूं कि इस बार पैसे आने के बाद जयपुर के अन्दर जहां 60 परसेंट सीवरेज का कवरेज है, वह 90 परसेंट सीवरेज के कवरेज में तब्दील हो जायेगा। मैंने गयी बार कहा था कि राजस्थान के अन्दर जयपुर जैसे शहर के अन्दर भी ड्रेनेज का मास्टर प्लान नहीं है। जब राजधानी में ड्रेनेज का मास्टर प्लान नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे-छोटे शहरों की बिसात क्या होगी। कई शहरों में मोबेलिटी के प्लान नहीं थे। जयपुर में एक मोबेलिटी का प्लान बनाया वह भी किसी परपज के साथ। हमने कहा कि इसको रिव्यू करो। बाकी की जगह मोबेलिटी प्लान बनाओ। एक-दो सिटीज के अन्दर भरतपुर में टैंडर आमंत्रित हो गये हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सभी डिवीजनल हैडक्वार्टर्स का मोबेलिटी प्लान राजस्थान में तैयार हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने सभी जगह के मास्टर प्लान बना दिये हैं केवल एक को छोड़कर, जल्दी ही भीलवाड़ा में लागू कर देंगे, 5-7 शहरों के मास्टर प्लान का होराइजन-ईयर आ गया है।

मास्टर प्लान तो तैयार करते रहे हैं, पर मास्टर प्लान का कोई असली अर्थ नहीं है यदि हम सैक्टर प्लान नहीं बनाते हैं तो। हम मास्टर प्लान बनाकर कई तब्दीलियां कर देंगे, हम सैक्टर प्लान नहीं बनाते, इससे मास्टर प्लान का जमकर वायलेशन हुआ। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने जयपुर समेत कई शहरों में सैक्टर प्लान बनाने का काम शुरू कर दिया है। आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि मास्टर प्लान के अन्दर प्रोपर सारे

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

सैक्टर प्लान हम बना पाएंगे इससे मास्टर प्लान का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और जनता को मास्टर प्लान के बारे में जानकारी ज्यादा अच्छे ढंग से मिल पाए इसकी चिंता करने के साथ हम काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा की गयी यूडी टैक्स की। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वे यूडी टैक्स का विरोध करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था चीजें फ्री नहीं मिलती और जब हम इन्क्ल्यूसिव डवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम क्रोस सब्सिडी क्यों लेते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अमीर है, जो दे सकता है उसकी कमजोर के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, प्रोपर्टी टैक्स का कंसेप्ट भी है, जो समर्थ है, वह अपना कुछ हिस्सा दे उसके लिए जो असमर्थ है। कितना हिस्सा दे अरबन प्रोपर्टी के नाम पर कई कई शहरों, कई कई प्रदेशों में तो अरबन टैक्स कहते हैं, कई जगह यूडी टैक्स कहते हैं। चूंकि सबका फार्मूला थोड़ा-थोड़ा अलग है इसलिए मालूम करना मुश्किल है कि कौनसा अच्छा फार्मूला है और कौनसा खराब फार्मूला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 13वें वित्त आयोग ने इन वेरियस फार्मूले में अंतर होने के कारण नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस से स्टडी कराई और पूछा कि यूडी टैक्स से प्रोपर्टी टैक्स कितना होना चाहिए? परंतु वेरीयस फार्मूले से मालूम करना मुश्किल है तो उन्होंने दो तरीके निकाले एक तो पर कैपिटा टैक्स और दूसरा उस सिटी की जीडीपी के अन्दर उस टैक्स का हिस्सा कितना है? What is the percentage of that UD Tax of property tax in GDP of city? Other is in absolute terms, what is that tax per capita collection? 37 शहरों की स्टडी कराई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर सबसे पीछे आया, ग्रेटर बोम्बे सबसे ज्यादा आगे आया। ऑल इंडिया का एवरेज आया 400 और कुछ रुपए, मैं भूल रहा हूं। जयपुर का आया 88 रुपए पर कैपिटा इनकम, जब बात आई कि सिटी की जीडीपी में कितना शेयर है तो जयपुर का सबसे आखिरी में नम्बर आया .019 परसेंट। जबकि दुनिया के अरबन इकोनोमिस्ट कहते हैं I should be around 2 per cent. जबकि यहां .019 परसेंट, अब यह .019 परसेंट टैक्स करने में भी एट्रोसिटी लगे, अन्याय लगे, जहां हिन्दुस्तान का एवरेज पौने पाँच सौ के आसपास हो, ग्रेटर बोम्बे में यह 1450 के आसपास हो, वहां 88 रुपए भी पिंच पैदा करे और चाहते हैं डवलपमेंट। चाहते हैं कम्पेरिजन बोम्बे से, हैदराबाद से, बैंग्लोर से, अहमदाबाद से, युनुसजी सिंगापुर की बात करते हैं। इस समय मैं इतना कहना चाहता हूं कि करदाता,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, वह देता है और जो देता है उसके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, कानून का कोई प्रोविजन असम्मान पैदा नहीं करता, व्यवहार असम्मान पैदा कर सकता है। लेकिन टैक्स कलक्शन के खिलाफ लामबंदी की जाए, इसे पोलिटिकल इश्यू बनाया जाए, पोलिटिकल माइलेज लेने का इश्यू बनाया जाए तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह राजधर्म का पालन नहीं होगा। हमारी कुल मौलिक बातों पर कंशेसस होनी चाहिए, अगर ईमानदारी से चाहते हैं समाज को आगे ले जाना, देश को आगे ले जाना, देशवासियों को आगे ले जाना, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं यूडी टैक्स के बारे में कोई धारणाएं हो चाहे गलत हों पर यूडी टैक्स की जरूरत है, यह टाइम की जरूरत है, यूडी टैक्स जयपुर में सबसे कम यूडी टैक्स है।

अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैट्रो बहुत जोरदार चीज है। सही बात है चीज जोरदार है, आपने अंदाजा लगाया था कि यह 48 करोड़ रुपए का 9 महीने में फायदा देगी, आपको लगा था कि बोक्स रेवेन्यू आएगी 68 करोड़ रुपए की और नोन बोक्स, फेयर बोक्स रेवेन्यू आएगी 6.8 करोड़ रुपए और खर्चा आएगा 26.61 करोड़। आपको लगा कि 1 लाख 21 हजार लोग राइडर बनेंगे। राइडर बने .28 थाउजेंड, 1 लाख 28 हजार की बजाय केवल 21 हजार। रिजल्ट क्या हुआ 9 महीने में 48 करोड़ का आपरेशनल लोस, ऑपरेशनल लोस। मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर लोस को कैलकुलेट करूंगा तो फिर अंदाजा मत लगाइए और इसीलिए मैंने गयी बार विधान सभा में कहा कि यह बन चुका है, बन गया है और जब बन गया तो पैसा लग गया और पैसा लगा तो किसका लगा? उसी गरीब का जो बीड़ी सुलगाते समय जो टैक्स देता है उस बीड़ी पीने वाले का, उस रिक्शे वाले का। उसका पैसा 2 हजार 23 करोड़ रुपए लग चुका तो हमने सोचा कि इसको कैसे वायबल बनाएं, इसको इकोनोमी स्केल पर कैसे एक्सपेंड करें इसलिए हमने वन बी, 1 हजार 126 करोड़ रुपए का काम किया, थोड़ा सही हो जाए और इसीलिए हम इसके एक्सटेंशन को भी प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट से एग्जामिन करवाना चाहते हैं ताकि कम से कम ऑपरेशनल लोसेज कैसे हो। मैंने पहले भी इसी विधान सभा में कहा था कि फेज टू का रास्ता है वह फेज वन का रास्ता होना चाहिए। इसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मुख्य मंत्री प्रदेश का होता है, मुझे अच्छा लगा जब डोटासराजी एक दिन कह

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रहे थे कि मुख्य मंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, मुख्य मंत्री प्रदेश का होता है, उसे बीजेपी और कांग्रेस के झगड़ों में नहीं बांटा जा सकता और मुख्य मंत्री है उसका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, सद्‌भाव के साथ काम करते हुए अगर गलती हो भी जाए तो स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, अगर आदरणीय मोहनलालजी गुप्ता माफी मांग ले तो छोड़ दोगे क्या? ...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने तो बिना माफी छोड़ा था।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैंने ऐसा क्या गुनाह किया सच बोल कर, सच बोलकर क्या गुनाह किया है? ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माफी मांग लो तो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): काहे की माफी मांग लें? सही बात कही है और मुख्य मंत्रीजी को कोट करके कही है, आप डिनाई करेंगे मुख्य मंत्रीजी की बात को ...(व्यवधान) जो बात सही है कि द्रव्यवती नदी में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इतना बढ़िया काम हुआ है, सही कहेंगे। ...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्हीक्यूलर ट्रेफिक के कंजेस्शन को मिनिमाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर यह वाइबल लगा, अगर यह फिजीबल लगा तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में काम करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैट्रो की जो गलती हमसे हुई उस गलती को हम कितना दुरुस्त कर पाएं इसकी कोशिश करें, इसकी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, लम्बी चौड़ी बात करके और कई इश्यू पर बात करना चाहता हूं, पर कल होली है और कुछ माननीय सदस्य गांव जाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देने से पहले कहना चाहता हूं, ...(व्यवधान) अब घोषणाएं कोई नहीं करूंगा। ...(व्यवधान) आपके लिए तो घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है हुकुम, आप अन्नदाता हो। ...(व्यवधान) ये तो बड़े काकाजी हैं, कान पकड़ कर कभी करवा लें। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, हम यह सब जानते हैं, मैं बार-बार कह रहा हूं कि इकोनोमिक रिसेशन के बावजूद राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड स्टेट होने के बावजूद, 1 परसेंट से कम

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पानी होने के बावजूद राजस्थान हिन्दुस्तान ही नहीं, हिन्दुस्तान से बाहर भी सबसे अच्छे लूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टीनेशन के रूप में उभरा है। रियल एस्टेट में मंदी के बावजूद 68 एमओयू रिसर्जेंट राजस्थान में हुए 25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के और 21 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के वह प्रोजेक्ट भी हमारे साथ में है जो छोटे होने के कारण हमने एमओयू में तब्दील नहीं कराये, बल्कि 21 हजार करोड़ रुपया है। जिन स्मार्ट सिटी की, जिन अमृत की, टीएफसी की चर्चा मैं कर रहा था उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले चार सालों में हम राजस्थान के अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर के सैक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए का इंक्लूजन करेंगे, हम अरबनाइजेशन के डाइमेंशंस को बदलना चाहते हैं, लोसेज को बदलना चाहते हैं, उसके कंसेस को बदलना चाहते हैं, हम अरबनाइजेशन को राजस्थान के भाग्य में तब्दील करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा राजेन्द्रजी भाई साहब ने कहा है, कुछ घोषणाएं करने की लेकिन मैं निश्चित रूप से कई घोषणाएं लेकर चल रहा था लम्बी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है, मैं सोचता हूं कि कई घोषणाएं करने को है, आपको पता है। मानिकजी भाई साहब जरूर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कोर्ट का डिसीजन है, मैं जरूर यह कहता हूं कि नापासर को जल्दी ही नगरपालिका के रूप में बनाने की घोषणा करता हूं।

और लूणकरणसर जैसी कई आपने बात की तो मैं कहना चाहता हूं कि 1986 में एक मुखर्जी कमेटी बनी थी और उस मुखर्जी कमेटी ने उस वक्त कई नगरपालिकाएं थीं, 86 नगरपालिकाओं को समाप्त करने की रिकमंडेशन दी। जिसके आधार पर 24 नगरपालिकाओं को 1989 में कांग्रेस राज ने समाप्त कर दिया। उनमें से कुछ नगरपालिकाएं दुबारा बन गयी हैं, कुछ कोर्ट के स्टे से बन गयी, कुछ ड्यूकोर्स में बन गयी। बची हुई नगरपालिकाओं को हम एग्जामिन कराएंगे और और भी कई पंचायतों को एग्जामिन कराएंगे उसमें आपके नापासर को भी कर लेंगे, आपके खाजूवाला को भी कर लेंगे, लूणकरणसर को भी कर लेंगे। इन सबको एग्जामिन करने के बाद जहां-जहां नगरपालिकाएं बनने की संभावना होगी जोगाराम जी, वहां नगरपालिका भी बना लेंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी प्रकार की घोषणाएं मुख्यमंत्रीजी ने की और जितनी चर्चाएं मैंने की है सभी अपने आपमें घोषणाएं हैं अमृत सिटी, इसमें कई काम होने हैं। बाकी कई छोटी-मोटी घोषणाएं हैं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जिनकी मैं चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि राजस्थान के इतिहास के अन्दर आने वाले 4-5 साल अरबन डवलपमेंट के अन्दर नया इतिहास लिखेंगे। इसी के साथ में आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 20 और मांग संख्या 29 (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एक मिनट। एक छोटी सी बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात है, छोटी सी घोषणा है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): When the House is in my possession, then anybody who is interrupting, should have my permission.

श्री उपाध्यक्ष: Absolutely. Till the Chair intervenes, no-one will be allowed.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 20 और 29 को सदन खुशी-खुशी के साथ पारित करे, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे मंत्री महोदय, you have a very sharp memory, I am sure, but in case it deceives you, I just want to remind you that I also have a small little nagarpalika somewhere.

श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, हम सब लोगों की इच्छा है, निवेदन कर रहे हैं कि माननीय मंत्री महोदय का, वैसे इनकी पूरी तैयारी है, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे टेबल कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: I have no objection. I can still sit here for another two hours, in case you like. अगर आप जितना कंफर्टेबल फील करें उतना करें। मैं एक चीज का स्पष्टीकरण दे दूं (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा ...

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक चीज का स्पष्टीकरण दे दूं। मंत्री महोदय, आप अपने वक्तव्य के बाद में मांग ही पारित कराएंगे। मैं इसलिए यह स्पष्टीकरण देता हूं क्योंकि आपने यह बात रेज की थी कि मांग संख्या 49 प्रीवियसली भी, आपसे पहले जो पंचायती राज मंत्री थे, यह पिछले से पिछले टर्म में भी आयी थी और यह पंचायती राज का, क्योंकि आपका जो मैन हैड 3604 वह पंचायती

(श्री उपाध्यक्ष)

राज का ही है। पंचायती राज मंत्री ही इन मांगों को पारित कराता है। इसलिए बेसिकली विधान सभा सैक्रेटेरियट से कोई गलती नहीं हुई है। It is part of the budgetary process and it is mentioned in the Budget book under your Head.

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आज सदन में पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में करीब 12 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। उनमें से 8 सदस्यों ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सम्बन्ध में क्वश्चन किये और चर्चा में अपनी तरफ से बात रखने की कोशिश की। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब 31 माननीय सदस्यों ने 55 कट मोशंस दिये, उनका जवाब भी मैं 48 घंटे में उनके पास पहुंचा दूंगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे 75 परसेंट जनता जुड़ी हुई है, 75 परसेंट जन-प्रतिनिधि पंचायती राज के जो वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद तक करीब सवा लाख होते हैं वे इस विभाग से डाइरेक्ट जुड़े हुए हैं और राजस्थान के जो 44 हजार गांवों के विकास में 15380 करोड़ रुपये साल के उसकी आधारभूत संरचना को खड़ा करने में सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि राजस्थान में जबसे सरकारें बनती आयी हैं, 2 अक्टूबर, 1959 को जबसे पंचायती राज की स्थापना हुई है तबसे सरकारें ग्रामीण विकास की आधारभूत संरचना खड़ी करने का काम कर रही है। चाहे सेनिटेशन की हो, चाहे मेडिकल हैल्थ की हो, चाहे रूरल कनेक्टिवटी की हो, चाहे एनर्जी की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे पेयजल की हो सभी सरकारें अपने-अपने हिसाब से फण्ड के अनुसार करती आयी हैं। परन्तु जनसंख्या वाला एक ऐसा मामला है कि जो-जो भी समस्याओं का निदान करते हैं और ज्यों-ज्यों जनसंख्या का विस्तार होता है त्यों-त्यों प्रोब्लम वापस नये सिरे से क्रिएट हो जाती है और वापस कोई न कोई डिमाण्ड आ जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रोब्लम सोल्व करना सरकार का दायित्व और कर्तव्य है। सरकार जब तक गांवों का भला नहीं करेगी, अपन कहते हैं गांवों में कि गांव खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। उस कल्पना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 दिसम्बर, 2013 को जब सत्ता संभाली उस समय उनका विजन था कि मैं किस प्रकार से गांव को मजबूत करूं, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करूं और गांव की किस प्रकार से ऐसी व्यवस्था करूं जिससे जन-

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

प्रतिनिधि और जनता मिलकर गांव के काम करें और गांव में आधारभूत संरचना खड़ी करके ऐसा काम करे जिससे आने वाले समय में लगे कि गांव का विकास हुआ है। उस कल्पना को लेकर माननीय मुख्यमंत्रीजी ने ज्यों ही सत्ता संभाली सबसे पहले उन्होंने कहा, नवाचार करने का काम किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अन्दर पंचायतें बड़ी-बड़ी हैं, पंचायत समितियां बड़ी-बड़ी हैं, क्यों न इनको छोटा किया जाय जिससे कि विकास करने में आसानी हो।

मेरे से पूर्व तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद जी कटारिया का मैं आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं इन्होंने टाइम शिड्यूल से प्रोग्राम बनाकर ऐसी व्यवस्था की कि कलक्टर को अधिकृत करके लोगों से एप्लीकेशन काल करना, जन-प्रतिनिधियों से टाई-अप करना, उनका प्रकाशन करना और उनसे सुझाव लेना, सबसे सुझाव लेकर विदिन सिक्स मंथ्स पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया। पंचायतों का पुनर्गठन करके 723 नई पंचायतें बनायीं और 47 नई पंचायत समितियां बनायीं जिससे नये आयाम स्थापित होंगे। राजस्थान के अन्दर 9894 पंचायतें बनीं, 295 पंचायत समितियां बनीं और 33 जिला परिषद हैं। पहला सबसे इंपोर्टेंट काम यह किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंचायतों का पुनर्गठन हो गया, विदिन सिक्स मंथ्स चुनाव होंगे। चुनाव के पहले इस प्रकार का काम करें कि जन-प्रतिनिधि पढ़े-लिखे आएं। उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा जन-प्रतिनिधि पढ़े-लिखे आने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन करके इस प्रकार की व्यवस्था की कि शिक्षा की अनिवार्यता को लागू किया। अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच के लिए पांचवीं पास और अनुसूचित क्षेत्र के अलावा सरपंच के लिए आठवीं पास, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए दसवीं पास योग्यता का निर्धारण किया। मुझे खुशी है इस प्रकार की अनिवार्यता लागू करने से राजस्थान के अन्दर जो भी जन-प्रतिनिधि चुनकर आये उसमें 65 प्रतिशत युवा जीतकर आये और युवा जीतने के साथ-साथ ऐसे प्रोफेशनल डिग्रीधारी, स्नातक, स्नातकोत्तर जीतकर आये जिससे पंचायतों में नया आयाम स्थापित होगा, पंचायतों में विकास के आयाम स्थापित होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन शिक्षा की अनिवार्यता लागू करने के बाद में ज्यों ही इनको पता लगा तो उन लोगों ने

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

कई रिट कीं, कई एसएलपी कीं, कई प्रकार के दावे किये और सब खारिज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस प्रगतिशील कदम को सराहा और उचित माना। मुझे आज कहते हुए खुशी है पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान पहला स्टेट है जिसने शिक्षा की अनिवार्यता को लागू करके पंचायतों के चुनाव कराये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जिस प्रकार माननीय यूडीएच मंत्रीजी ने कहा स्वच्छता अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए इस प्रकार की अनिवार्यता लागू की। हमने कानून बनाकर, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन किया कि पंचायती राज का जो चुनाव लड़ेगा उसको इस प्रकार का एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैंने अपने घर में शौचालय का निर्माण कर लिया है और मेरे घर के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की अनिवार्यता लागू करके एक ऐतिहासिक काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पंचायतों की निजी आय किस प्रकार से बढ़े तो हमने सोचा कि 69 साल की आजादी के बाद में भी आबादी भूमि का कन्वर्जन नहीं हो रहा था, न उप विभाजन हो रहा था और न ही पुनर्गठन हो रहा था तो उनके निर्देश पर इसको कानून बनाकर हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की कि पंचायतों की जो आबादी भूमि है उसका कन्वर्जन हो सके, उसका उप विभाजन हो सके, उसका पुनर्गठन हो सके जिससे कि पंचायतों की निजी आय भी बढ़ेगी और जो पट्टा लेने वाला है वो भी बैंकों से लोन लेकर अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता है। इससे गांव से शहरों की तरफ पलायन रुकेगा इस प्रकार व्यवस्था करने की भी कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि इस प्रकार की कानून में व्यवस्था करके यह किया है।

इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन का सपना है इसके बारे में भी मैं दो मिनट जिक्र करना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 2019 तक पूरे हिन्दुस्तान को ओडीएफ करने की घोषणा की उसकी तर्ज पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें निर्देश दिया कि अपने को एक साल पहले 2018 तक ओडीएफ करना है। मैं इस सदन को खुशी से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे जो 2012 में बेस-लाइन सर्वे हुआ था राजस्थान की पापुलेशन का, परिवारों का जिसमें 1 करोड़ 15 लाख परिवार थे और उन परिवारों में से 84 लाख परिवार जो

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

शौचालय विहीन थे उन शौचालय विहीन परिवारों में शौचालय बनाने का हमने बीड़ा उठाया। मुझे सदन में कहते हुए खुशी है कि 2012 के बाद में एक साल तक कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने 3 लाख शौचालयों का निर्माण किया और हमने दो साल में 27 लाख शौचालयों का निर्माण कराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उसमें बीकानेर ग्रामीण जिले को ओडीएफ किया, 1670 पंचायतों को ओडीएफ किया। इस प्रकार से यह काम करके हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और स्वच्छ भारत के प्रति जागरूक होकर हमने काम किया है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा हमने इस साल 26 लाख और अगले साल 28 लाख का टार्गेट पूरा करके 2018 तक जो मुख्य मंत्री जी का सपना है कि राजस्थान को ओडीएफ करना है तो हम ओडीएफ करके चैन लेंगे और पूरे राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन के रूप में कामयाब करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम जल स्वावलम्बन अभियान है। इस जल स्वावलम्बन अभियान के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें निर्देश दिया कि किस प्रकार से पानी की एक-एक बूंद, गांव की गांव में, घर की घर में और खेत की खेत में बचे इस प्रकार की योजना बनाकर आप लोग मेरा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इस प्रोगाम को लागू करो। तो सबसे पहले अधिकारियों को महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना भेजा, वहां से सर्वे करवाकर, वहां एक्सपर्ट से सलाह-मशविरा करके, वहां की डीपीआर देखकर के यहां आये और आकर हम लोगों ने इस प्रकार का प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिये। निर्देश देने के बाद में सब अधिकारियों ने वहां जाकर के गांवों में डीपीआर बनाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को कहते हुए खुशी है कि आज 1 लाख 10 हजार की डीपीआर बनी उनमें से 84 हजार कामों की स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। उनमें से 43 हजार काम शुरू हो गये हैं और 12 हजार काम पूरे भी हो गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने हमें निर्देश दिया कि इस प्रोग्राम को सरकारी प्रोग्राम ही नहीं रखा जाए, इस प्रोग्राम में जनता का इन्वॉल्वमेंट, जन-प्रतिनिधियों को इन्वॉल्वमेंट, धर्मावलम्बियों का इन्वॉल्वमेंट, प्रवासी राजस्थानियों का इन्वॉल्वमेंट, एनआरआई का इन्वॉल्वमेंट और उद्योगपतियों का इन्वॉल्वमेंट लेकर इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे कि

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

आने वाले समय में जो हमारा सपना है वो सपना साकार हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल हमने 3529 गांवों में काम हाथ में लिये हैं। आने वाले तीन सालों में 21 हजार गांवों में ये काम हाथ में लेकर पानी के मामले में किस प्रकार स्वावलम्बी बन सकें इस प्रकार का फोकस करके हम आगे चल रहे हैं और आने वाले समय में पानी के मामले में स्वावलम्बी बनेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि आज राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान के 10 परसेंट भू-भाग पर बसा हुआ है और पानी की मात्रा 1.16 परसेंट है। इस प्रकार 295 ब्लॉक में से 235 ब्लॉक डार्कजोन घोषित हो चुके हैं और ऐसी स्थिति के अन्दर पानी को बचाना अपने राजस्थान के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं तो सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसमें जो माननीय मुख्य मंत्री जी का सपना है उस सपने को साकार करने के लिए आप लोग जुड़ें और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे आने वाले समय में ये 21 हजार गांव पानी के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें इस प्रकार की सोच लेकर चलने के लिए आप लोगों से निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जनता जल योजना के बारे में यहां पर जिक्र किया गया तो मैं जनता जल योजना के बारे में निवेदन करूंगा कि 2011 में तत्कालीन सरकार की कैबिनेट द्वारा फैसला लिया गया था कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो जिलों में इसको लागू किया जाए। पर, इन्होंने दो जिलों में नहीं करके 6523 गांवों में जनता जल योजना को लागू कर दिया। इसमें न तो कोई पैसा दिया, न किसी प्रकार की अधिकारी/कर्मचारी की टीम दी और ऐसे ही पंचायतों को सुपुर्द कर दिया। आज कई स्कीमें धराशायी हो गयी हैं, कई स्कीमों से लोग आज परेशान हैं, उनको पीने का पानी मिल नहीं रहा है, बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा है, ऐसी व्यवस्था की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सत्ता संभालते ही 129 करोड़ रुपये से इस जनता जल योजना को सुदृढ़ करने का काम किया और इस साल के बजट में भी 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला लेकर के इस प्रकार की व्यवस्था की है कि यह जो जनता जल स्कीम है इसमें जितने भी अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत होगी वो पीएचईडी विभाग डेपुटेशन पर इनको देगा। इसके अलावा जो बिजली का बिल होगा वो राज्य वित्त आयोग के मद में से डायरेक्ट पैसा काटकर सरपंचों

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

को, पंचायतों का सुपुर्द करने का काम करेंगे। इस प्रकार से जनता जल योजना को कामयाब करने की हमने कोशिश की है। इस साल 1500 जनता जल योजना के सुदृढ़ीकरण का काम हुआ है और अगले साल में 1000 गांवों को लेकर इसको सुदृढ़ करने का काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10-15 मिनट का काम है। मैं निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी नरेगा के बारे में भी यहां पर जिक्र किया गया। मैं उसके बारे में निवेदन करूं कि हमने इस साल 21 करोड़ मानव दिवस सृजित किये हैं और 43 लाख परिवारों को रोजगार देने का काम किया है जिसमें से सवा तीन लाख परिवारों ने सौ दिन का रोजगार पूरा किया है। जिन सवा तीन लाख परिवारों ने सौ दिन पूरे कर लिये हैं उन लोगों को हम कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का काम भी करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तालाब और बावड़ियां बहुत खुद गईं क्योंकि 2008 से यह स्कीम चल रही है तो हमने इसमें कहा व्यक्तिगत काम के ऊपर जोर देकर करें जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि होगी और आने वाले समय में वो कामयाब होंगे। इसमें व्यक्तिगत लाभ के काम के लिए जो एस.सी., एस.टी. का व्यक्ति है, जो घुमंतू जाति का व्यक्ति है, जो लघु और सीमांत काश्तकार है, जो बीपीएल है, परिवार की मुखिया विधवा है या परिवार का मुखिया विकलांग है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए खेत के अन्दर खेत तलाई बनाने के लिए, खेत के अन्दर फार्म पोण्ड बनाने के लिए, खेत के अन्दर आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए मेड़बंदी, खाई फेंसिंग करने के लिए, थोर फेंसिंग करने के लिए, सूखे पत्थर की दीवार करने के लिए यह व्यवस्था की और इसमें जो पहले 2 लाख रुपये थे उनको बढ़ाकर तीन लाख रुपये किये और तीन लाख रुपये करके व्यक्तिगत लाभ योजना का लाभ लेने के उनको प्रेरित किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आज फलदार पौधे लगाने के लिए भी हमने उनको प्रेरित किया है। फलदार पौधे लगाकर चार साल बाद वो इन्कम प्राप्त करेंगे। नरेगा का जो मुख्य मकसद है लोगों को रोजगार देने का और असैट्स क्रियेट करने का, वो मकसद हमारा पूरा होगा और महात्मा गांधी नरेगा योजना में हम कामयाब होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्रिटिकल एरिया है, सेमी क्रिटिकल एरिया है, अतिदोहन क्षेत्र है और जहां पर डार्कजोन है वहां पर कुआ खोदने की अनुमति नहीं थी तो हमने तीन समूह बनाकर या तीन से अधिक समूह बनाकर अगर कोई कुआ खोदना चाहता है तो उसको भी हमने अनुमत किया

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

है, उस श्रेणी में लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक एकड़ जमीन चिह्नित करके उसके अन्दर अन्नपूर्णा भण्डार.....

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, एक लाइन। मंत्री महोदय अच्छा भाषण बोल रहे हैं, मैं एक लाइन बोलूं। डिस्टर्ब नहीं करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कण कीड़ी मण कुंजरा, इजगर पड़ी उजार, उत्तर सुण्यां बड़ा-बड़ा पर दाता देवणहार, दाता देवणहार, आप सब नै होली की फुंवार मुबारक हो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वाह शकुन्तला जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, कोई मुकाबला नहीं आपका राष्ट्रवादी ताकतों का। मेरे पास इनको जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): राष्ट्रवादी ताकतें तो इधर हैं उधर नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वो ही राष्ट्रवादी ताकत ही हैं। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हमने अन्नपूर्णा भण्डार बनाने के लिए 25 लाख तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्दर, जिसमें से 5 लाख एसएफसी, टीएफसी से कन्वर्ट करके व्यवस्था करें जिससे 100 मैट्रिक टन का 50X40 का भव्य गोदाम बने और जिस प्रकार गांवों में अटल सेवा केन्द्र बने हैं उनकी तर्ज पर यह बनाने का काम भी किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की मुख्य मंत्री स्वच्छता अभियान की, जो महात्मा गांधी नरेगा योजना से पैसा खर्च होगा। उसके साथ में 220 करोड़ रुपये हमने स्टेट फण्ड से देकर इस प्रकार की व्यवस्था की है कि 150 परिवार के ऊपर दो आदमी लगाकर गांव के अन्दर सफाई हो और 100-100 दिन उनको देकर आने वाले समय में पूरे 9,894 पंचायतें हैं, उन सबके अन्दर ऐसी व्यवस्था करें जिससे स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस आये। इस प्रकार का काम भी हाथ में लिया है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ ही तीन-चार स्कीमें और हैं जैसे खेल के मैदान का है, उसके अन्दर 150 करोड़ दिया। आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए 140 करोड़ दिया। ये स्टेट फण्ड का है। मुक्तिधाम योजना के अन्दर 100 करोड़ रुपये दिया है। ये स्टेट का फण्ड होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार पिछले बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 50 करोड़ रुपये दिये, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्दर 60-40 का रेशो मेन्टेन करते हुए सामग्री के मद में परिसम्पत्ति निर्माण निधि की घोषणा की थी। वह हमने इस बार मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना और सांसद आदर्श ग्राम पंचायत योजना, उसके अन्दर लागू करके परिसम्पत्तियों के निर्माण करने का काम किया है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अब हो गया, ठीक है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट इनका जवाब तो दे दूं मैं। (व्यवधान) एक मिनट की बात है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। मंत्री महोदय, आप आसन की तरफ देखिये और अपना वक्तव्य जारी रखिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप कम्फर्टेबल हो ना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है। घंटे पाँच हो गये उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक बात निवेदन करूं, पहली बार मुझे यह आभास हो रहा है कि मैं कम्फर्टेबल हूं या नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, बहुतों को चिंता हो रही है। यह अपने आपमें एक सुखद परिवर्तन है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी चिंता पूरे सदन को है। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुरु गोलवलकर योजना में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले साल बजट में 100 करोड़ रुपये दिये थे और इस साल भी 100 करोड़ रुपये दिये हैं। गत पाँच वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने गुरु गोलवलकर

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

योजना में 159 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की और उसमें 1,190 काम करवाये। हमने 170 करोड़ रुपये खर्च करके 2,381 काम किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा भूतपूर्व मंत्रीजी ने कहा कि डांग क्षेत्र में कुछ नहीं किया। इन्होंने पाँच वर्ष के कार्यकाल में 77 करोड़ रुपये खर्च करके 1,396 परिसम्पत्तियों का निर्माण किया और हमने दो सालों में 125 करोड़ रुपये खर्च करके 1,771 परिसम्पत्तियों का निर्माण किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मगरा विकास क्षेत्र में इन्होंने 67 करोड़ रुपये खर्च करके 1,061 काम करवाये। हमने दो साल में ही 113 करोड़ रुपये खर्च करके 2,043 काम करवाये।

इसी प्रकार मेवात क्षेत्र के अन्दर 84 करोड़ रुपये इन्होंने पाँच साल में खर्च किये और 1,261 सम्पत्तियों का निर्माण किया, हमने दो साल में 135 करोड़ रुपये खर्च करके 1,403 काम करवाने का काम किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जिसके अन्दर इन्होंने गत सरकार के शुरुआती दो वर्ष में 200 करोड़ रुपये व्यय करके 24,377 कार्य करवाये हैं। हमने इन दो वर्षों में 379 करोड़ रुपये खर्च करके 2,169 कामों को पूरा करवाये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं 13वें और 14वें वित्त आयोग की बात करूंगा। गत सरकार के कार्यकाल में 12वें वित्त आयोग का एंडिंग वर्ष और 13वें वित्त आयोग के चार वर्ष, इन्होंने पाँच वर्ष के अन्दर 3,118 करोड़ रुपये खर्च किये। हमने दो वर्ष के अन्दर ही 2,514 करोड़ रुपये खर्च किये और आगामी तीन वर्षों में 9,871 करोड़ जोड़कर, 12,345 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य वित्त आयोग में इन्होंने पाँच वर्ष के कार्यकाल में 3,310 करोड़ रुपये खर्च किये, हमने दो वर्ष में 4,530 करोड़ रुपये खर्च किये और तीन वर्षों में 7,300 करोड़ जोड़कर, 11,900 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान राज्य वित्त आयोग ने किया है। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या-49 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: और किसी को बोलना है क्या? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: मोहन लाल जी रह गये, साहब। मोहन लालजी रह गये। (व्यवधान)

मांग संख्या 20 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 87,35,80,000/-(सत्यासी करोड़ पैंतीस लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 29 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,66,46,54,000/-(सत्तावन अरब छियासठ करोड़ छियालीस लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 49 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,76,000/-(तैतीस लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.57 बजे, सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

रूपवास व बयाना क्षेत्र में बन्द खानों की रवन्ना बुक जारी करने पर कार्यवाही

334. श्री बच्चू सिंह (बयाना) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रूपवास एवं बयाना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बन्द खानों के लिए भी रवन्ना बुक जारी कर दी है? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं, कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास द्वारा सामान्यतया खनन कार्य चालू होने बाबत आश्वस्त होने पर रवन्ना जारी किये जाते हैं। खनन पट्टे की शर्तों की पालना करते हुए नियमानुसार रवन्ना जारी कर खनिज का निर्गमन सुनिश्चित करना पट्टेधारी की जिम्मेदारी है। यदि पट्टेधारी रवन्नाओं का दुरूपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

प्रश्न संख्या-335

(स्थगित)

छबडा में पेयजल समस्याग्रस्त गांव

336. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र छबडा के कौन-कौन से गांवों में वर्तमान में पेयजल की समस्या है? सरकार द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु गत 2 वर्षों में कौन-कौनसी योजना के अन्तर्गत क्या-क्या प्रयास किए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र, छबड़ा में दो शहर क्रमश: छबड़ा एवं छीपाबड़ौद तथा पंचायत समिति, छबड़ा एवं छीपाबड़ौद के 364 आबाद ग्राम सम्मिलित हैं। इन 364 ग्रामों में से 4 ग्राम पाईप्ड जल योजना, 16 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना, 16 ग्राम जनता जल योजना एवं 328 ग्राम हैण्डपम्प योजना से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है परन्तु, आगामी ग्रीष्मकाल में पंचायत समिति, छबड़ा के 16 ग्राम/मजरों एवं पंचायत समिति, छीपाबड़ौद के 18 ग्राम/मजरों में विद्यमान जल स्रोतों के सूख जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से पेयजल परिवहन कराया जाना प्रस्तावित है। विधान सभा क्षेत्र की विद्यमान पेयजल व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट-अ पर, पंचायत समिति, छीपाबड़ौद एवं छबड़ा के समस्याग्रस्त ग्राम/मजरों में प्रस्तावित पेयजल परिवहन का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 (माह फरवरी, 2016 तक) में क्रमशः स्वीकृत 80 एवं 30, इस प्रकार कुल 110 योजना/कार्यों हेतु राशि रुपये 253.07 लाख की स्वीकृति जारी की गई। इस स्वीकृति अन्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। वर्षवार/योजनावार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ की मगरा क्षेत्र में आने वाली पंचायतों में विकास कार्य

337. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 2 वर्षों में मगरा विकास योजना के अन्तर्गत जिला चित्तौड़गढ़ में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में क्या-क्या विकास कार्य स्वीकृत किये गये एवं क्या-क्या कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं? विधानसभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायतें क्रमशः सादी, पाल, अभयपुर, विजयपुर, केलझर, अमरपुरा व उदपुरा पंचायतें जो कि घाटा/मगरा क्षेत्र में आती हैं, को अब तक मगरा विकास योजना से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की उक्त पंचायतों को मगरा विकास योजना से जोड़कर क्षेत्रीय विकास कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 2 वर्षों में मगरा विकास योजना के अन्तर्गत जिला चित्तौड़गढ़ की विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेडा में पंचायत समिति निम्बाहेडा की 6 ग्राम पंचायतों यथा कनेरा, बांगेडाघाटा, बडावली, सरसी, मैलाना एवं निम्बोदा में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत/प्रस्तावित कार्यों का वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधानसभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ में पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायतें क्रमशः सादी, पाल, अभयपुर, विजयपुर, केलझर, अमरपुरा व उदपुरा पंचायतों को अभी तक मगरा विकास योजना में जोड़ा नहीं गया है। मगरा क्षेत्र का चिन्हीकरण निर्धारित मानदण्डों के आधार पर कराये गये सर्वे एवं तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा लिये निर्णय के अनुसार किया जाता है। मापदण्डों का विवरण निम्नानुसार है-

1 परम्परागत क्षेत्र जो मगरा के नाम से जाना जाता है जिसमें रावत एवं मेहरात/कथाट समुदाय के लोग निवास करते हैं।

2 चयनित क्षेत्र की 50 प्रतिशत से कम भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए।

3 चयन हेतु इकाई सर्वप्रथम पंचायत समिति एवं इसके बाद गांव होगी। चयनित गांव (I) क्लस्टर की फॉर्म में (II) मगरा क्षेत्र का भाग हो एवं (III) कलस्टर न्यूनतम 10000 की आबादी का होना चाहिये।

उक्त ग्राम पंचायतों को निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करने के कारण मगरा क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था।

(3) अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर के गांवों में ग्रामीण बस सेवा का संचालन

338. श्रीमती अनीता (नगर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार गोविन्दगढ़ से वाया सीकरी-कैथवाड़ा-पसोपा-डीग वाया भरतपुर तक ग्रामीण बस सेवा संचालन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण

(श्रीमती अनीता)

बस सेवा चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में उक्त मार्ग पर निगम की ग्रामीण परिवहन सेवा की मिडी बस भरतपुर से डीग-पसोपा-कैथवाडा-सीकरी तक संचालित है जिसका विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण गोविन्दगढ से भरतपुर तक वाया सीकरी-कैथवाडा-पसोपा-डीग ग्रामीण बस सेवा के संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में निगम सेवा से जुडे हुए नगर विधान सभा क्षेत्र में संचालित निगम ग्रामीण बसों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र नगर में संचालित उक्त वाहनों के अतिरिक्त ग्रामीण बस सेवा के अन्य वाहनों के संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में छात्र-छात्राओं की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान

339. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में छात्र-छात्राओं को किस-किस स्तर पर कितनी-कितनी राशि की छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है?

(2) जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु कुल कितनी राशि एवं अन्य प्रकार की सहायता स्वीकृत की गई? उसमें से कितनी राशि का भुगतन अब तक छात्र-छात्राओं को कर दिया गया है?

(3) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में स्वीकृत छात्रवृत्तियों का भुगतान अभी तक शेष है? यदि हां, तो क्यों और किन-किन छात्रों का? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 से दिसम्बर 2015 तक स्वीकृत एवं भुगतान की गई राशि का वर्षवार एवं वर्गवार विवरण परिशिष्ट-ब पर सलंग्न है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछ्ड़ा वर्ग एवं अन्य पिछ्ड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत पांच वर्षो (वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक) में स्वीकृत छात्रवृत्तियों का भुगतान विधार्थियों को नही किया गया कि संख्या एवं नही किये जाने के कारण सहित विवरण वर्षवार, वर्गवार एवं जिलेवार परिशिष्ट-स पर सलंग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में राशन डीलरों द्वारा राशन सामग्री वितरण पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था

340. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) व **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा राशन डीलरों के राशन सामग्री वितरण पर प्रभावी मॉनिटरिंग करने हेतु क्या व्यवस्था हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा राशन डीलरों को कम्प्यूटर संचालित मशीनों द्वारा राशन सामग्री वितरण करने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कम्प्यूटर संचालित मशीनों का व्यय किसके द्वारा वहन किया जायेगा व क्या उक्त मशीनों के संचालन हेतु राशन डीलरों को अलग से कोई भत्ता या मानदेय स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राशन सामग्री का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा वितरण कब से प्रारम्भ किया जाना था तथा वर्तमान में कहां-कहां डीलरों द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा वितरण किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिन क्षेत्रों में ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा वितरण नहीं किया जा रहा है, उक्त क्षेत्रों में विलम्ब के क्या कारण हैं?सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त सुविधा कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती गोलमा)

(6) सरकार द्वारा राशन डीलरों को कम्प्यूटर संचालित मशीनें देने का चयन किस आधार पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खण्ड 'क'-राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन किया जा रहा है तथा उचित मूल्य दुकानों पर POS (Point of sale) मशीन उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मशीन द्वारा लाभार्थी/उपभोक्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन कर राशन सामग्री का वितरण कराये जाने की योजना है, जिससे पात्र व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को राशन सामग्री का वितरण नहीं हो। इससे पारदर्शिता के साथ वितरण व्यवस्था पर प्रभावी मानीटरिंग हो सकेगी।

इसके साथ ही जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर सर्तकता समितियों का गठन किया गया है। प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा भी समय-समय पर उचित मूल्य दुकानों की जांच/निरीक्षण किया जाता है। उचित मूल्य दुकानों पर शतप्रतिशत राशन सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक माह की 10 तारीख से 24 तारीख तक उपभोक्ता पखवाड़ा चलाया जाकर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है, ताकि पात्र लाभार्थी को इसका लाभ मिल सके।

(2) खण्ड 'ख'- जी, हां। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 27.07.2015 को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) खण्ड 'ग'- POS (Point of sale) मशीन उचित मूल्य दुकानदार को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। POS मशीन स्थापित करने वाले डीलर को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा देय वितरण कमीशन के अतिरिक्त 0.17 रुपये प्रति किलोग्राम अतिरिक्त कमीशन देय होगा। इसमें से 0.10 रुपये प्रति किलोग्राम POS मशीन की कीमत वसूल होने तक राज्य सरकार समायोजित करेगी एवं शेष 0.07 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान अतिरिक्त कमीशन के रूप में डीलर को किया जायेगा। POS मशीन की वास्तविक कीमत वसूल होने के पश्चात् उचित मूल्य दुकानदारों को अतिरिक्त कमीशन की सम्पूर्ण राशि 0.17 रुपये प्रति किलोग्राम देय होगी।

(4) खण्ड 'घ'- राज्य की उचित मूल्य दुकानों पर राशन सामग्री का ऑनलाईन सॉफटवेयर द्वारा वितरण तीन चरणों में PoS मशीन द्वारा दिनांक

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

01.08.2015 से प्रारम्भ किया गया है। प्रथम चरण में चयनित आठ जिलों, द्वितीय चरण में सात जिलों तथा तृतीय चरण में शेष 18 जिलों में PoS मशीनें स्थापित की जा रही है। जिन उचित मूल्य दुकानों पर PoS मशीनें स्थापित की जा चुकी है, वहां राशन सामग्री वितरण PoS मशीनों के माध्यम से प्रारम्भ किया जा चुका है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) खण्ड 'ड़'- उक्त कार्य चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है तथा आज दिनांक तक कुल 18040 उचित मूल्य दुकानों पर पोश मशीनें स्थापित की जा चुकी है। शेष मशीनें यथाशीध्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(6) खण्ड 'च'- राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से उचित मूल्य दुकानों पर पोस मशीनों का वितरण किया जा रहा है। POS (Point of sale) मशीन पूरे राज्य में ही लागू की जा रही है। प्रथम चरण में आठ जिलों (अजमेर, सीकर, झुन्झुनू, धौलपुर, बांरा, झालावाड, टोंक एवं बून्दी) में, द्वितीय चरण में सात जिलों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर एवं अलवर) में तथा तृतीय चरण में शेष जिलों में POS (Point of sale) मशीन स्थापित की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार हेतु ऋण सुविधा

341. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंजीकृत बेरोजगार युवकों को 20 लाख रुपये के रोजगार हेतु सरकार की गारंटी पर 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है?

(2) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने पंजीकृत बेरोजगार युवकों को उक्तानुसार ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) सुराज संकल्प घोषणा पत्र में पंजीकृत बेरोजगार युवकों को 20 लाख रुपये के रोजगार हेतु सरकार की गारंटी पर 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी।

(2) सुराज संकल्प घोषणाओं की अनुपालना में भामाशाह रोजगार सृजन

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

योजना दिनांक 13.12.2015 से लागू की गई है। उक्त योजना के तहत वर्ष 2015-16 में 14 मार्च 2016 तक कुल 1898 पंजीकृत बेरोजगारों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। विवरण परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में गृह निर्माण समितियों द्वारा बसाई गई कालोनियों का नियमन

342. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर एवं जिले में वर्तमान में कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। उक्त से कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों ने कब तक का आडिट करवा लिया है? शेष का ओडिट न करवाने का क्या कारण है। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इनमें से कई गृह निर्माण सहकारी समितियों की पुरानी तिथियों में आबंटन पत्र (पट्टे) जारी करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1999 से गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवासीय योजनाएं बनाने पर सरकार द्वारा रोक लगायी गयी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वर्ष 1999 में लगायी गई रोक के बाद भी गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा पुरानी तिथियों में बसाई गई कालोनियां को नियमन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर शहर में 163 व जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में 15 तद्नुसार जयपुर जिले में कुल 178 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। जयपुर जिले की पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों की ओडिट की

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

अद्यतन सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। ओडिट नहीं कराने का मुख्य कारण गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम-2013 की धारा 54 में वर्णित अपने दायित्व के अनुसार ओडिटर नियुक्त कर ऑडिट नहीं करवाना रहा है। आडिट से शेष गृह निर्माण सहकारी समितियों की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां, सहकारिता विभाग में कतिपय गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा पुरानी तिथियों में आबंटन पत्र (पट्टे) जारी करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 ए एवं परिशिष्ट-3 बी पर संलग्न है। नगरीय विकास विभाग से प्राप्त शिकायतों की प्रति परिशिष्ट-3 सी पर संलग्न है।

(3) नगरीय विकास विभाग से प्राप्त सूचनानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 में धारा-90 ए के पश्चात् धारा-90बी अध्यादेश दिनांक 17.09.99 के द्वारा संशोधित कर जोड़ा गया था। संशोधन के अनुसार परिपत्र दिनांक 10.07.1999 जारी किया गया है, जिसके अनुसार कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों को नियमित करने के लिय यह आवश्यक था कि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा पट्टा दिनांक 17.06.99 से पूर्व का हो, उन्हीं कालोनियों का नियमन किया गया है। परिपत्र दिनांक 10-07-1999 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) नगरीय विकास विभाग से प्राप्त सूचनानुसार गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बसायी गई कालोनियों के नियमन के लिये पट्टे की दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की होनी निर्धारित की गई थी। इस दिनांक 17.06.99 के पश्चात् गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा पूर्व की तिथियों में पट्टे जारी कर बसायी जाने वाली कालोनियों के नियमन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां-अटरू में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

343. श्री रामपाल (बारां-अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के विभिन्न कस्बों/गांवों में गत तीन वर्षों में पेयजल की कितनी योजनाऐं स्वीकृत कर कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कहां-कहां करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधानसभा क्षेत्र के अनेक कस्बों/गांवों में पेयजल की कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बों/गांवों में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, बारां-अटरू में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 की अवधि में राशि रुपये 773.83 लाख की स्वीकृत 229 योजना/कार्यों पर माह फरवरी, 2016 तक रुपये 568.00 लाख की राशि व्यय की गई है।

इन स्वीकृत कार्यों में से 208 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 21 कार्य शेष हैं। शेष 21 कार्यों में से 16 कार्य हैण्डपम्प निर्माण एवं 5 कार्य सौर उर्जा आधारित सिंगल फेज नलकूप निर्माण के हैं। उक्त 16 हैण्डपम्पों के निर्माण स्थल तक बड़ी रिग मशीन की पहुंच नहीं होने के कारण इनका निर्माण छोटी (पोर्टेबल) रिग मशीन से कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है एवं इनका कार्य माह जून, 2016 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। शेष 5 सौर उर्जा आधारित सिंगल फेज नलकूपों के निर्माण हेतु दिनांक 19 फरवरी, 2016 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, कोटा द्वारा जारी कार्यादेश अनुसार कार्य 12 माह में पूर्ण किया जाना है। कुल स्वीकृत 229 योजनाओं का वर्षवार/योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, बारां-अटरू में एक शहर बारां एवं 183 आबाद ग्राम सम्मिलित हैं। इन 183 ग्रामों में से 4 ग्राम पाईप्ड जल योजना, 9 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना, 6 ग्राम जनता जल योजना एवं 164 ग्राम हैण्डपम्प योजना से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

विधान सभा क्षेत्र, बारां-अटरू के अटरू-शेरगढ़ क्षेत्र की भू-गर्भीय संरचना पथरीली होने के कारण ग्रीष्मकाल में क्षेत्र के जल स्त्रोतों की जल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)
आवक क्षमता अप्रत्याशित रूप से कम हो जाने के फलस्वरूप ग्रामों में प्रतिवर्ष पेयजल परिवहन करना पड़ता है।

पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु 27 ग्रामों के लिए सतही स्त्रोत आधारित अटरू-शेरगढ़ वृहद् पेयजल परियोजना अनुमानित लागत रुपये 89.69 करोड़ की तकनीकी क्लीयरेन्स विभाग की तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 01.03.2016 को जारी की गई है। इसके अतिरिक्त अटरू-खेड़लीगंज (राशि रुपये 16.23 करोड़), गाम मौठपुर (राशि रुपये 2.50 करोड़), ग्राम बडौरा (राशि रुपये 3.21 करोड़) एवं मंडोला (राशि रुपये 3.74 करोड़) की योजनाओं के तैयार किये गये प्रस्ताव तकनीकी परीक्षण में हैं। परीक्षण में सही पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जायेगा।

बारां शहर हेतु अनुमानित लागत रुपये 65.10 करोड़ की अमृत योजना में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं निविदा प्रपत्र बनाने हेतु जारी कार्यादेश दिनांक 10.11.2015 अन्तर्गत सलाहकार फर्म द्वारा माह मार्च, 2016 तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है तथा इसके प्राप्त होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

बारां शहर की नगर परिषद सीमा में सम्मिलित 11 ग्रामों की पेयजल आपूर्ति हेतु राशि रुपये 24.99 करोड़ की योजना के प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, कोटा के स्तर पर तकनीकी परीक्षण में हैं। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गोबर गैस संयंत्र लगाने पर देय अनुदान

344. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में गोबर गैस संयंत्र लगाने हेतु क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गोबर गैस संयंत्र लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कितना व किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश की गौशालाओं में गोबर गैस संयंत्र लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2013-14 के माध्यम से राज्य में 25 हजार बायोगैस प्लांट लगाने की घोषणा की गई थी, जिस क्रम में दिशा-निर्देश दिनांक 29.01.2015 को जारी किये गये (दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न)।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में बजट प्रावधान नहीं होने से वर्तमान में गौबर गैस संयंत्र लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

(3) प्रदेश की गौशालाओं में गोबर गैस संयंत्र लगाने हेतु योजना के दिशा-निर्देश दिनांक 29.01.2015 के बिन्दु संख्या 5.2.2 में अधिकतम 52,000 रुपये अनुदान राशि देने का प्रावधान किया हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर से देव सोमनाथ तक सड़क का चौड़ाईकरण

345. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर से देव सोमनाथ वाया माथुगामडा सड़क की भौतिक स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार डूंगरपुर से देव सोमनाथ सड़क का सुदृढीकरण एवं चौडाईकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर से देव सोमनाथ वाया माथुगामडा सड़क की कुल लम्बाई 32.00 किमी. है जिसमें डामर सड़क 5.50 मीटर चौड़ाई की 1.00 किमी. (0/0 से 1/0) 3.00 मीटर चौड़ाई की 20 किमी. (1/0 से 7/0 , 15/0 से 26/0, 29/0 से 32/0) व 3.75 मीटर चौड़ाई की 11.00 किमी. (7/0 से 15/0 एवं 26/0 से 29/0) है।

उक्त सड़क पर 5.00 किमी. (0/0 से 5/0) क्षतिग्रस्त है, जिसमें पेच रिपेयर का कार्य कर दिया गया है। शेष 27.00 किमी. लम्बाई में सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

(2) यह सड़क प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देव सोमनाथ मन्दिर को जिला

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क हैं। इस सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण करना सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

जालौर जिले में छात्रावासों को आवंटित सामग्री

346. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले के छात्रावासों में अनावर्तक सामग्री की खरीद की जा रही है? हां, तो वर्ष 2009 से जनवरी, 2016 तक किस-किस प्रकार की सामग्री की किस-किस फर्म से खरीद की गई और क्या उस सामग्री का आबंटन छात्रावासों को किया गया? यदि हां, तो छात्रावासवार आबंटित सामग्री की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खरीद की गई सामग्री उपयुक्ता एवं गुणवत्ता पूर्ण क्रय की गई है? यदि हां, तो सामग्री का मूल्यांकन किस के द्वारा किया गया। पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कार्यालय जालौर द्वारा वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 तक अनावर्तक सामान क्रय किया गया है। अनावर्तक सामग्री में वर्ष 2009-10 में आलमारी, टेबल, कम्प्यूटर टेबल, कुर्सी खण्डेलवाल एन्टरप्राइजेज, जयपुर वर्ष 2010-11 में गद्दे, पलंग, तकिया (कॉटन) राजस्थान राज्य बनुकर संघ लिमिटेड, जयपुर से तथा पलंग मैसर्स अमित ट्रैडर्स जोधपुर से वर्ष 2011-12 में तकिया कवर एवं दरी पट्टी राजस्थान राज्य बनुकर संघ लिमिटेड, जयपुर तथा राजस्थान स्टेट हैण्डलूम जयपुर से वर्ष 2012-13 में गद्दे दरी पट्टी बैडशीट, कम्बल न्यूजीलैण्ड एवं तकिया (कॉटन) राजस्थान राज्य बनुकर संघ लिमिटेड, जयपुर से वर्ष 2013-14 में गद्दे तकिया (कॉटन) राजस्थान राज्य बनुकर संघ लिमिटेड, जयपुर से व पलंग मैसर्स अमित ट्रैडर्स जोधपुर से वर्ष 2014-15 में गद्दे तकिया (कॉटन) तकिया कवर कम्बल न्यूजीलैण्ड बेडशीट, फर्श दरी, खेश रंगीन, तथा दरी पट्टी, राजस्थान राज्य बनुकर संघ लिमिटेड, जयपुर से क्रय किया गया है। मार्च 2015 के पश्चात् किसी भी प्रकार का अनावर्तक सामान क्रय नही किया है। क्रय किये गये सामानों कों छात्रावासों में आबंटित किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जिला कार्यालय जालौर द्वारा क्रय किये गये अनावर्तक सामान का

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)
मूल्यांकन एवं उसकी गुणवत्ता की जांच जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में बी.पी.एल. परिवारों को आबंटित गैस कनेक्शन

347. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में करौली जिले में कितने बी.पी.एल. परिवारों को गैस कनेक्शन दिये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित जनसंख्या के आधार पर केरोसीन तेल, गेंहू, चीनी व अन्य खाद्य पदार्थों की डीलरों द्वारा सप्लाई दी जा रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत के डीलरों द्वारा मिलीभगत कर अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध गेहूं व केरोसीन का ज्यादा आबंटन करा लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इस भ्रष्टाचार में लिप्त डी.एस.ओ. के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खण्ड 'क'- वर्तमान में करौली जिले में 19815 बी.पी.एल. परिवारों को गैस कनेक्शन दिये गये है। एजेन्सीवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) खण्ड 'ख'- करौली जिले में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति से प्राप्त खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूची अनुसार अन्त्योदय परिवारों को 35किलो प्रति परिवार प्रतिमाह एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को 05 किलो प्रति यूनिट प्रतिमाह गेहूं, बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को चीनी यूनिट अनुसार 650 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह एवं गैस कनेक्शनों की प्राप्त सूचना अनुसार कुल राशनकार्डों में से गैस कनेक्शनधारी राशनकार्डों की संख्या कम करके शेष राशनकार्डो पर 04 लीटर केरोसीन प्रति राशनकार्ड की सप्लाई दी जा रही है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) खण्ड 'ग'- यह सही नहीं है कि जिले में ग्राम पंचायत के डीलरों द्वारा मिलीभगत कर अधिकारियों द्वारा नियम विरूद्ध गेहूं व केरोसीन का ज्यादा आबंटन करा लिया जाता है। करौली जिले में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति से प्राप्त खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूची अनुसार अन्त्योदय परिवारों को 35किलो प्रति परिवार प्रतिमाह एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को 05 किलो प्रति यूनिट प्रतिमाह गेहूं, बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को चीनी यूनिट अनुसार 650 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह एवं गैस कनेक्शनों की प्राप्त सूचना अनुसार कुल राशनकार्डों में से गैस कनेक्शनधारी राशनकार्डों की संख्या कम करके शेष राशनकार्डों पर 04 लीटर केरोसीन प्रति राशनकार्ड का आबंटन किया जाता है।

(4) खण्ड 'घ'- जिला रसद अधिकारी, करौली के विरूद्ध यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो जांच करवाकर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-348

(स्थगित)

प्रदेश में आदिवासी किसानों को कब्जा काश्त की भूमि के पट्टे जारी करने की योजना

349. श्री नवनीत लाल (घाटोल) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि प्रदेश में आदिवासी किसान परम्परागत रूप से वन भूमि पर खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं? यदि हां, तो वन भूमि पर खेती करने वाले उक्त आदिवासी किसानों पर दण्ड व पैनल्टी नहीं लगाकर उन्हें स्थायी रूप से खेती करने व पट्टा देने के केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये है? यदि हां, तो क्या बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में वर्ष 2005 के पूर्व कब्जा काश्त की भूमि के पट्टे दिये गये हैं? तहसील व पटवार मण्डलवार मय किसानों के नाम के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 लागू होने से वन भूमि पर खेती करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी किसानों को दिनांक 13.12.2005 से पूर्व के वन भूमि पर समस्त अतिक्रमणों को अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियमित कर वन अधिकार पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है।

जिला बांसवाड़ा व जिला प्रतापगढ़ में जारी व अधिकार पत्रों का तहसील व पटवार मण्डलवार किसानों के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-''ए'' से ''सी'' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोतर

पाली जिले में ग्राम झाला की चौकी से कलालिया तक सड़क निर्माण

444. श्रीमती अनीता (नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के ग्राम कानुजा की सड़क (झाला की चौकी से कानुजा, कलालिया तक) का निर्माण कौन-कौनसे वर्षों में किस-किस ठेकेदार द्वारा करवाया गया एवं इसमें कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क का निर्माण कार्य करवाने हेतु सहायक अभियन्ता खण्ड-वर से कितना तखमीना प्राप्त हुआ तथा अब तक सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त खण्ड के सहायक अभियन्ता के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विभागीय पांच-पांच योजना के अन्तर्गत झाला की चौकी से कानुजा, कलालिया तक सड़क निर्माण की योजना भिजवाई गई है?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क का भौतिक सत्यापन करवाकर निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त खण्ड के सहायक अभियन्ता के द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय कानुजा से ओमप्रकाश हरिजन के मकान तक सरकार को गत 5 वर्षो में कितनी बार तखमीना भिजवाया गया तथा सरकार द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले के ग्राम कानुजा की सड़क (झाला की चौकी से कानूजा, कलालिया तक) की कुल लम्बाई 20 किमी. है, जिसका निर्माण वर्ष 1991-92 से वर्ष 2005-06 तक विभिन्न चरणों में हुआ, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) उक्त सड़क के निर्माण हेतु सहायक अभियन्ता द्वारा समय-समय पर तखमीना (एस्टीमेंट) भिजवाये गये। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के लिये राशि रु. 300.00 लाख व नवीनीकरण के लिये रु. 104.00 लाख का तकमीना प्रस्तुत किया गया था, सड़क की स्वीकृति सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(3) जी नहीं। वर्तमान में विभाग में ऐसी कोई योजना लागू नहीं है।

(4) इस सड़क के किमी. (0/0 से 1/0) एक किमी. लम्बाई ग्रामीण गौरव पथ के अन्तर्गत राशि रु. 42.5 लाख स्वीकृत है। वर्तमान में यह कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इस सड़क के किमी. 1/0 से 20/0 तक 19 किमी. लम्बाई की सड़क नोन पेचेबल लम्बाई है जिसके निर्माण के लिये अनुमानित लागत राशि रु. 380.00 लाख की अवश्यकता होगी। जिसकी स्वीकृति सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता द्वारा की जायेगी।

(5) राजकीय माध्यमिक विद्यालय कानुजा से ओमप्रकाश हरिजन के मकान तक सड़क का निर्माण किया जाना ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में आता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान में किसी भी योजना में यह सड़क बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(6) उक्त सड़क के निर्माण की स्वीकृति सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहरथाना के ग्रामों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने की योजना

445. श्री कंवर लाल (मनोहरथाना) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधानसभा क्षेत्र मनोहरथाना में कौन-कौन से गांव राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम/ग्रामीण बस सेवा सें जुडे हैं तथा कौन-कौन से गांव वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा की वंचित ग्राम पंचायतों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन/ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम/ग्रामीण बस सेवा से जुडे हुये गांवों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है एवं वंचित गांवों की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना की वंचित ग्राम पंचायतों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम/ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खण्डेला में निगम की बन्द बसों का पुनः संचालन

446. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक किन-किन मार्गों पर कब-कब नई बसें शुरू की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कौन-कौन सी बसों को कब से और किस कारण से बन्द किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बन्द की गई बसों को पुनः शुरू करने व नई बसों के संचालन का विचार रखती है? यदि हां, तो किन मार्गों पर तथा कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक शुरू की गई नई बसों के मार्ग का विवरण निम्नानुसार है :-

1	खण्डेला से कांवट वाया बासडी, पीपललोदा का बास, भादवाडी
2	श्रीमाधोपुर से सीकर वाया कांसरडा
3	श्रीमाधोपुर से दादिया वाया रींगस

(2) उक्त अवधि में आय कम आने के कारण श्रीमाधोपुर से सीकर वाया जाजोद मार्ग की (एक वाहन) को अगस्त, 2015 से बंद किया गया है जिनकी आय का विवरण निम्नानुसार है :-

(परिवहन मंत्री)

माह	आय प्रति कि.मी. (रु. में)
जून-2014	15.23
जुलाई-2014	15.23
अगस्त-2014	15.57
सितम्बर-2014	14.72
अक्टूबर-2014	14.57
नवम्बर-2014	15.64
दिसम्बर-2014	16.76
जनवरी-2015	16.77
फरवरी-2015	18.14
मार्च-2015	16.09
अप्रैल-2015	17.93
मई-2015	18.73
जून-2015	19.03
जुलाई-2015	15.11

(3) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त बंद की गई बसों एवं अतिरिक्त नई बसों का संचालन शुरू करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

देवलेन (हिण्डौन) ग्राम पंचायत के निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य की जांच

447. श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन की ग्राम पंचायत देवलेन में देवनारायण योजना के तहत बनाये जा रहे आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृति की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण नहीं किया जा रहा है तथा संवेदक द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के ग्राम पंचायत देवलेन में देवनारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु राशि रु. 967.00 लाख की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की गई। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के मापदण्डानुसार, गुणवत्तापूर्वक ही किया जा रहा है। कार्य के लिए उपयोग में ली जा रही सामग्री की जांच साईड के कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड करौली द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। कार्य में किसी भी प्रकार की घटिया सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज-शाहबाद की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

448. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधानसभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में गत दो वर्षों में कौन-कौनसी सड़कें कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत की गईं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधानसभा क्षेत्र में चालू व आगामी वित्त वर्ष में नई सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़कें मरम्मत किये जाने योग्य हैं? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) किशनगंज-शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में 44 सड़क कार्य स्वीकृत किये गये जिनकी लम्बाई 163.02 किमी. व स्वीकृत लागत राशि रु. 6602.27 लाख है। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) किशनगंज-शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नई सड़कों के निर्माण हेतु मिसिंग लिंक योजना के अन्तर्गत 3 सड़कें

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जिनकी लम्बाई 10.78 किमी. एवं स्वीकृत राशि रु. 540.00 लाख है। जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 की स्वीकृतियां सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(3) किशनगंज-शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में मरम्मत करने योग्य 16 सड़कें हैं, जिनकी लम्बाई 123.50 किमी. है, जिनका विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। इनकी मरम्मत का कार्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर से पिण्डवाड़ा फोर लेन सड़क का अपूर्ण कार्य होने पर भी टोल वसूली

449. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर से पिण्डवाड़ा एनएच-14 फोर लेन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो फोर लेन की स्वीकृति कब हुई थी व यह निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होना था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य करवाने से सम्बन्धित विभाग द्वारा नियम या मानदण्ड बनवाये गये? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य बनाए गए नियम व मानदण्ड के अनुसार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है उक्त फोर लेन के अन्तर्गत आने वाले चण्डावल, बांसिया, मोहरा, सोजत नगरपालिका शहर, निम्बली नाडी (सोजत शहर) के सर्विस रोड का कार्य अब तक भी अधूरा है? यदि हां, तो क्यों व इसे अब कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

(4) क्या सरकार द्वारा इस कार्य को करने वाली फर्मों व एजेन्सियों को समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर नोटिस दिये गये?

(5) क्या यह भी सही है कि फोर लेन निर्माण का कार्य अधूरा होने के उपरान्त भी आम नागरिकों से टोल की वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि उक्त फोर लेन के आस-पास के क्षेत्र या

(श्रीमती संजना आगरी)

तहसील में निवास करने वाले स्थानीय नागरिकों से लोकल टोल की वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार स्थानीय नागरिकों को टोल से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ब्यावर से पिण्डवाड़ा एनएच-14 चार लेन सड़क का निर्माण कार्य भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा करवाया जा रहा है। भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त उत्तर (परिशिष्ट-1) के अनुसार बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:-

जी हां। ब्यावर-पाली-पिण्डवाड़ा खण्ड एन.एच.-14 की चार लेन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रियायत अनुबन्ध (Consession Agreement) दिनांक 22.08.2011 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय, नई दिल्ली व रियायतग्राही (Concessionaire) मैसर्स एल. एण्ड टी.बी.पी.पी. टोल-वे लिमिटेड, चैन्नई के मध्य सम्पादित हुआ। रियायत अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार परियोजना को क्रियान्वयन रियायतग्राही के स्तर पर, स्वतंत्र इंजीनिर (Independent Engineer) की देख-रेख में किया गया है। परियोजना पर चार लेन का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार कुल निर्माण अवधि 910 दिवस परियोजना की प्रारम्भ तिथि (Appointed Date) 19.12.2011 से होकर, पूर्णता तिथि 15.06.2014 है (परिशिष्ट-1 का अनुसंलग्नक-1)

(2) जी हां। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सम्पादित रियायत अनुबन्ध की अनुसूची घ (Schedule-D) में प्रावधानों (नियम व मापदण्ड) का उल्लेख किया गया है। उक्त परियोजना का क्रियान्वयन सम्पादित अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुरूप रियायतग्राही के स्तर पर स्वतंत्र इंजीनियर की देख-रेख में किया गया है (परिशिष्ट-1 का अनुसंलग्नक-2)

(3) जी हां। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सम्पादित रियायत अनुबन्ध की अनुसूची 'ख' (Schedule-B) के अनुसार, रायपुर से बागावास (विधानसभा सोजत का क्षेत्र) के मध्य प्रस्तावित सर्विस/स्लीपरोड़ का निर्माण कार्य सोजत व बागावास में प्रगतिरत है। अनुबन्ध के अनुसार शेष प्रस्तावित स्थानों पर अनुबन्ध के अनुसार सर्विस/स्लीप रोड़ का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। रियायत अनुबन्ध में ग्राम चण्डावल, बासिया व मोहरा में सर्विस रोड़ के निर्माण का प्रावधान नहीं है (परिशिष्ट-1 का अनुसंलग्नक-3)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) जी नहीं। इस परियोजना का क्रियान्वयन निर्माण, वित्त, प्रचालन एवं स्थानान्तरण (टोल) के आधार पर NHDP Phase-III के अन्तर्गत किया गया है, जिसकी रियायत अवधि अनुबन्ध के अनुसार 23 वर्ष है। रियायत अवधि की गणना नियुक्ति तिथि से मानी गई है। परियोजना पर चार लेन निर्माण पूर्ण होने पर अनुबन्ध के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रोविजनल पूर्णता प्रमाण पत्र (Provisional of Certificate of Completion) दिनांक 11.06.2015 को जारी किया गया। परियोजना का क्रियान्वयन अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण नहीं हुआ है। स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा परियोजना को पूर्ण करने में अब तक हुई देरी के कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा परियोजना की पूर्णता में हुई देरी के लिए रियायतग्राही के सीमा तक दोषी पाये जाने पर अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार वांछित कार्यवाही की जायेगी।

(5) इस परियोजना का व्यवसायिक प्रचलन (Commercial Operation) स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा दिनांक 11.06.2015 को जारी किये गये प्रोविजनल पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर, रियायतग्राही के स्तर पर प्रारम्भ किया गया है। परियोजना का व्यवसायिक प्रचलन अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार प्रारम्भ किया गया है। अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार परियोजना की कुल लम्बाई का कम से कम 75 प्रतिशत भाग पूर्ण करने पर स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा रियायतग्राही के निवेदन पर जारी किये गये प्रोविजनल पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यवसायिक प्रचलन उस भाग के लिये प्रारम्भ किया जा सकता है। (परिशिष्ट-1 का अनुसंलग्नक-4)।

(6) इस परियोजना के सम्पादित रियायत अनुबन्ध के प्रावधानों व राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहरण) नियम, संशोधित नियम, 2010 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहरण) संशोधित नियम, 2011 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित दरों पर टोल फीस संग्रहित की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहरण) नियम, 2008 के नियम 9 (3) के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट पथ कर प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करता है एवं गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत यांत्रिक यान का स्वामी है और उस प्रकार उसका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन इत्यादि पर यात्रा करने के लिए

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

करता है, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कैलेण्डर मास एक सौ पचास रुपये और नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से पुनरीक्षित आधार पर फीस के संदाय पर ऐसे पास में विनिर्दिष्ट पथ कर प्लाजा पार करने के लिए उसे अधिकृत करने वाला पास प्राप्त कर सकेगा। परियोजना के रियायतग्राही द्वारा नियमों के अनुसार ही विनिर्दिष्ट टोल प्लाजा से 20 किमी. की दूरी के अन्तर्गत निवास करने वालों से निर्धारित अनुमोदित शुल्क संग्रहित की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मानकसर (करनपुर) ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन

450. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति करनपुर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत निर्माण कार्यों की वर्ष 2013 में जिला परिषद, श्रीगंगानगर को भिजवाई गई मासिक प्रगति रिपोर्ट की वास्तविक स्थिति की जांच अथवा भौतिक सत्यापन किया गया है? यदि हां, तो कब एवं किस स्तर पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत 13 एफ.एफ., मानकसर, पं.स. श्रीकरनपुर, जिला गंगानगर द्वारा वर्ष 2013 में विभिन्न योजनाओं के तहत करवाये गये निर्माण कार्यों की भिजवाई गई मासिक प्रगति रिपोर्ट की जाँच अथवा भौतिक सत्यापन किया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? जाँच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक को दिनांक 13 जून, 2013 को तत्कालीन सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट व विकास अधिकारी की अभिशंषा पर जिस रिपोर्ट के आधार पर निलम्बित किया गया है। क्या उस रिपोर्ट की वर्ष 2013 के निर्माण कार्यों की मासिक प्रगति की रिपोर्ट से मिलान कर जाँच की गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है तत्कालीन विकास अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा रंजिशवश ग्राम सेवक को निलम्बित करने के लिए अलग रिपोर्ट तैयार कर जिला परिषद, श्रीगंगानगर भिजवाई गई थी? यदि हां, तो क्यों? निलम्बन रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नरेन्द्र नागर)

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जाँच कर रंजिशवश निलम्बित कर्मचारी को बहाल कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, पंचायत समिति करनपुर द्वारा जिला परिषद को वर्ष 2013 में भिजवाई गई पूर्ण मासिक प्रगति रिपोर्ट की वास्तविक स्थिति की जांच नहीं कराई गई है, अपितु पंचायत समिति करणपुर की ग्राम पंचायत 13 एफएफ (मानकसर) द्वारा विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत निर्माण कार्यो की वर्ष 2013 में पंचायत समिति करणपुर को भिजवाई गई मासिक प्रगति रिपोर्ट की वास्तविक स्थिति की जांच अथवा भौतिक सत्यापन किया गया है। उक्त सत्यापन विकास अधिकारी के आदेश दिनांक 20.5.2013 की पालना में तत्कालीन सहायक अभियन्ता पंचायत समिति द्वारा प्रगति रिपोर्ट में अंकित कार्यों का सत्यापन किया जाकर दिनांक 31.5.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

(2) जी हां, ग्राम पंचायत 13 एफएफ, मानकसर पंचायत समिति करणपुर जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2013 में विभिन्न योजनाओं के तहत करवाये गये निर्माण कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट में अंकित प्रगति की जांच एवं भौतिक सत्यापन हेतु विकास अधिकारी करणपुर द्वारा पत्र दिनांक 20.5.2013 के द्वारा सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति को आदेशित किया गया। विकास अधिकारी के आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

सहायक अभियन्ता पंचायत समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां, विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 18.05.2013 को किये गये निरीक्षण में ग्राम पंचायत द्वारा बिना कार्य कराये राशि रू. 28.16 लाख आहरित करना पाया गया।

तत्कालीन सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 31.05.2013 व विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 12.06.2013 (परिशिष्ट-3) के आधार पर तत्कालीन ग्राम सेवक को दिनांक 13.06.2013 को निलम्बित किया गया है। निलम्बन की कार्यवाही मासिक प्रगति रिपोर्ट में अंकित प्रगति एवं सहायक अभियन्ता द्वारा मौके पर पाई गई स्थिति (मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के उपरान्त भी इनके पेटे व्यय दर्शाने) के आधार पर मिलान करने के उपरान्त कार्यवाही की गई है।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) जी नहीं, तत्कालीन विकास अधिकारी व सहायक अभियन्ता द्वारा एक ही रिपोर्ट भिजवाई गई है। तत्कालीन ग्राम सेवक श्री इन्द्रजीत सिंह के निलम्बन आदेश दिनांक 13.6.2013 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) जी नहीं, प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रा.जा.स. 128/2013 एवं अ.स. 217/2014 द्वारा प्रकरण विचाराधीन है। जांच कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीतोड़ (बामनवास) ग्राम पंचायत में घटिया निर्माण कार्यों की जांच

451. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत सीतोड़ पं.स. बामनवास को फरवरी, 2015 से जनवरी, 2016 तक कितनी राशि किस-किस योजना में आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत सीतोड पं.स. बामनवास जिला स. माधोपुर द्वारा फरवरी, 2015 से जनवरी, 2016 तक कौन-कौनसी योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि के कार्य कहां-कहां पर करवाये गये? करवाये गये कार्य पूर्ण हैं या अपूर्ण? पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सीतोड़ द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री काम में लेने के कारण उक्त निर्माण जगह-जगह से क्षतिग्रस्त तथा टूट-फूट गये हैं? यदि नहीं, तो किस अधिकारी की देखरेख में उक्त कार्य पूर्ण हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ग्राम पंचायत सीतोड़ द्वारा फरवरी, 2015 से अब तक करवाये गये कार्यों में काम में ली गई सामग्री की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत सीतोड पं.स. बामनवास में फरवरी, 2015 से जनवरी, 2016 तक आबंटित की गई राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) ग्राम पंचायत सीतोड, पं.स. बामनवास जिला स.माधोपुर द्वारा फरवरी 2015 से जनवरी, 2016 तक करवाये गये कार्यों का योजनावार, राशिवार, स्थानवार एवं पूर्ण/अपूर्ण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-2 पर अंकित पूर्ण कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये है।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत सीतोड़ द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री उपयोग में नहीं ली गई है। स्वीकृत कार्य श्री रामचरण बैरवा, कनिष्ठ अभियन्ता की देख-रेख में पूर्ण करवाये गये हैं।

(4) जी हां। विभागीय आदेश दिनांक 17.09.2014 के अनुसार जिन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जारी की गई है, उन कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्रों की जांच सहायक अभियन्ता द्वारा करने का प्रावधान है। अत: परिशिष्ट-2 में अंकित कार्यों की सहायक अभियन्ता पंचायत समिति के स्तर से जांच कराई जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण

452. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वच्छता अभियान में शौचालय निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में ग्राम पंचायत गिरड़िया, भोजपुर, तस्वारिया बांसा एवं फूलियाकलां का प्रथम चरण में चयन किया गया है? यदि हां, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत का कब, किस-किस आधार पर किस प्रक्रिया के अन्तर्गत किन-किन शर्तों पर चयन किया गया? चयन किये गये आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शौचालय निर्माण के लिए समय-समय पर निर्माण के लिए दिये जाने वाले धन को देने के नियम एवं उपनियम बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त चारों पंचायतों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र व पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं और पूरा भुगतान भी किया जा चुका है, जबकि सभी शौचालय अभी अधूरे हैं और किसी उपयोग में नहीं आ रहे हैं? यदि हां,

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

तो क्या सरकार इसकी जांच कर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में ग्राम पंचायत गिरडिया, भोजपुर, तस्वारिया बांसा का जिला स्वच्छता मिशन भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक जिस्वमि/भील./1334-1340 दिनांक 18.08.2015 द्वारा चयन किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत फूलियाकलां का चयन नही किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी हां, शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि के भुगतान के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं सम्बन्धित बिन्दुओं की प्रति परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त चारों ग्राम पंचायतों से कुल 1222 शौचालय के पूर्ण निर्माण उपरान्त प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर भुगतान किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है

क्रं. स.	ग्राम पंचायत	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	भुगतान किया गया
1	गिरडिया	46	46
2	भोजपुर	723	723
3	तस्वारिया बांसा	309	309
4	फूलियाकलां	144	144
कुल योग		**1222**	**1222**

अधूरे एवं अपूर्ण निर्मित शौचालयों का भुगतान नही किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरगोठ (सीकर) ग्राम पंचायत में अवैध पट्‌टे जारी करने पर कार्यवाही

453. श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम पंचायत सरगोठ के ग्राम परसरामपुरा के खसरा

(श्री हीरा लाल दरांगी)

नं. 341 में जारी अवैध पट्टे सं. 23, 24 एवं 25 जिला कलेक्टर सीकर व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के पश्चात् उक्त पट्टों की आड़ में किए गए अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि कोई सरकारी कार्मिक यदि 15 दिवस तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है? यदि हां, तो पंचायत समिति पावटा के पंचायत प्रसार अधिकारी जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 से 28 अक्टूबर, 2015 तक न्यायिक हिरासत में रहे, उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गैर मुमकिन श्मशान भूमि में नियमानुसार राजकीय भवनों का निर्माण किया जाना उचित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत सरगोठ में अटल सेवा केन्द्र बनाये जाने के दोषी सरपंच एवं पंचायत सचिव से व्यय राशि की वसूली करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत सरगोठ के खसरा न. 341 में जारी अवैध पट्टे सं. 23, 24 एवं 25 में अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा रहा है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान होने पर अतिक्रमण हटाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम, 13(1) के प्रावधानानुसार कोई सरकारी कर्मचारी, जो किसी फौजदारी आरोप या अन्यथा, अड़तालीस घण्टे से अधिक समय के लिये अभिरक्षा में रखा गया है, तो वह गिरफ्तारी की तारीख से निलम्बित किया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद यादव, तत्कालीन ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सरगोठ, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति पावटा, जिला जयपुर के दिनांक 14.10.2015 से 28.10.2015 तक न्यायिक हिरासत में रहने पर पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक 1193 दिनांक 15.03.2015 द्वारा श्री यादव को गिरफ्तारी दिनांक 14.10.2015 से निलम्बित किया गया है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत सरगोठ की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि का उपयोग शमशान भूमि के रूप में नहीं हो रहा है। इस भूमि पर अटल सेवा केन्द्र के निर्माण से पूर्व पटवार भवन, नलकूप, पीएचईडी का भवन व भूमि के उत्तरी हिस्से में 33 केवी ग्रिड सबस्टेशन बना हुआ है। प्रकरण की जांच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जायल में नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

454. डॉ. मंजू बाघमार (जायल) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में गत 2 वर्षों में नरेगा के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए? उक्त कार्यो में से कितने कार्य चालू हैं तथा कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में गत 2 वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत, प्रगतिरत तथा पूर्ण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है तथा ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनता जल योजना के बकाया बिजली के बिलों के भुगतान हेतु पंचायतों को अतिरिक्त बजट आबंटन

455. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा बजट घोषणाओं में जनता जल योजनाओं को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपने की बात की गई है? यदि हां, तो अब तक कितनी जनता जल योजनाओं को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंप दिया गया?

(2) प्रदेश में जनता जल योजनाओं के कितनी राशि के बिजली के बिल बकाया है? क्या सरकार जनता जल योजनाओं के बिजली के बिल भरने हेतु पंचायतों को अतिरिक्त बजट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(3) क्या सरकार पूर्व की भांति जनता जल योजनाओं को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जनता जल योजनाओं को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को सौंपने के क्रम में कोई बजट घोषणा नहीं की गई है एवं ना ही कोई योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को हस्तान्तरित की गई है।

(2) जनता जल योजनाओं के राशि रुपये 83.65 करोड़ के बिजली के बिल बकाया है।

राज्य वित्त आयोग पंचम की अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर जारी दिशा निर्देश क्रमांक 8103 दिनांक 14.12.2015 के अनुसार ग्राम पंचायतों को प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग मूलभूत एवं विकासशील कार्यों पर व्यय करना अनुमत है। पेयजल व्यवस्था मूलभूत आवश्यकता है।

14 वें वित्त आयोग मद में प्राप्त अनुदान राशि के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 7007 दिनांक 20.10.2015 के अनुसार ग्राम पंचायतों को प्राप्त अनुदान का उपयोग मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु बल दिया गया है। इस प्रकार प्राप्त अनुदान राशि से जनता जल योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव किया जा सकता है। अतः पृथक से राशि दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) जी नहीं। जनता जल योजनाओं का हस्तान्तरित जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के क्रम में यह योजनाएं ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की गई है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त अनुदान राशि से जनता जल योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव स्थानीय स्तर पर ही तत्परता से किया जा सकता है।

जनता जल योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को कार्मिक भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न संख्या-456

(स्थगित)

जमवारामगढ़ के गांवों में लगाये गये आर.ओ. प्लांट

457. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में आर.ओ. प्लांट लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधानसभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में किस-किस ग्राम पंचायत में कहां-कहां आर.ओ. प्लांट लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधानसभा क्षेत्र में उक्त आर.ओ. प्लांट लगे हुए कितने-कितने नलकूप/हैण्डपम्प वर्तमान में पूरी तरह से सूख गए है? क्या सरकार इनको गहरा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए नए ट्यूबवैल/हैण्डपम्प स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर द्वारा आर.ओ. संयन्त्रों के निर्माण हेतु ग्रामों के चयन एवं स्थानीय भू-जल की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 20.4.2015 के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न दिशा-निर्देश दिये गये हैं:-

(अ) ग्राम/ढाणी की वर्तमान आबादी 750 व्यक्तियों से अधिक हो।

(ब) स्थानीय भू-जल में टी.डी.एस. की मात्रा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर, फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर एवं नाईट्रेट की मात्रा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो।

परिपत्र दिनांक 20.4.2015 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। आर.ओ. संयंत्र लगाने के द्वितीय चरण के मापदण्डों में शिथिलता देते हुए टी.डी.एस. की मात्रा 1500 मिलीग्राम प्रति लीटर स्वीकार्य किया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, जमवारामगढ़ में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि में ग्राम पंचायत, लालवास के ग्राम लालवास एवं ग्राम पंचायत, भावनी के ग्राम पावटा में स्वीकृत 2 आर.ओ. संयन्त्रों का कार्य माह अगस्त, 2014 में पूर्ण किया गया है एवं ये संयन्त्र वर्तमान में क्रियाशील हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) उपरोक्तानुसार स्थापित दोनों आर.ओ. संयन्त्रों के नलकूप वर्तमान में क्रियाशील हैं एवं किसी भी हैण्डपम्प पर आर.ओ. संयन्त्र नहीं लगाया गया है।

(4) जी हां। माह जनवरी, 2014 से फरवरी, 2016 की अवधि में विधान सभा क्षेत्र, जमवारामगढ़ में स्वीकृत 30 नलकूपों में से 20 नलकूपों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष 10 का कार्य प्रगति पर है जिसे माह मई, 2016 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। इसी अवधि में स्वीकृत किये गये 41 हैण्डपम्पों में से 29 हैण्डपम्पों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, 1 हैण्डपम्प वेधन के दौरान असफल हो गया है एवं शेष 11 हैण्डपम्पों का कार्य प्रगति पर है जिसे माह अप्रेल, 2016 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर में भू-जल स्तर बढ़ने की समस्या का निदान

458. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में भू-जल स्तर के लगातार बढ़ने की समस्या दिनों-दिन बढ़ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार योजना बनाकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के परिसर में स्थित बड़े बगीचों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को पानी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस तरह व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि जोधपुर शहर में भूजल स्तर लगातार बढ़ने की समस्या दिनों-दिन बढ़ रही है। जय नारायण विश्व विद्यालय परिसर के स्थित बड़े बगीचों को पानी देने हेतु कोई भी प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में इस दोहित पानी में से 20 एम एल डी पानी सुरपुरा बांध में दिया जाने की प्रक्रिया ए एफ डी योजना के तहत विचाराधीन है।

प्रदेश में उपभोक्ताओं से वसूली जा रही पेयजल की दरें

459. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(1) सरकार द्वारा घरेलू पेयजल उपभोक्ताओं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए नई दरें कब से लागू की गई है व नई दरें लागू करने का मुख्य कारण क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर जिले में घरेलू, वाणिज्यिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं के 15 एम.एम, 25 एम.एम., 50 एम.एम, 80एम.एम व 150 एम.एम के कनेक्शनों की संख्या कितनी है? उक्त से पूर्व में वसूल की जा रही दर व नई प्रस्तावित दर का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) |विभागीय अधिसूचना दिनांक 05.11.2015 द्वारा पेयजल एवं पेयजल से जुडी अन्य सेवाओं की दरों में दिनांक 01.11.2015 से वृद्धि की गई है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राज्य जल नीति-2010, राष्ट्रीय जल नीति-2012 तथा तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में कम से कम संधारण एवं संचालन के व्यय की वसूली को वांछनीय बताया है। अतः पेयजल दरों की समीक्षा कर इन्हें तर्कसंगत बनाया गया है।

(2) बीकानेर जिले की विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को 15 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर साईज के कुल 1,70,570 जल सम्बन्ध जारी किये गये हैं। श्रेणीवार/साईजवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पेयजल की पुरानी एवं नई दरों सम्बन्धी तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सपोटरा में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

460. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 के मध्य कितने नये नलकूप एवं हैण्डपम्प कहां-कहां स्थापित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 के मध्य कितनी नवीन पेयजल योजनाएं स्वीकृत एवं कितनी पूर्ण की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 के मध्य कितने नवीन क्षेत्रों को पेयजल पाइप लाइनों से जोड़ा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, सपोटरा में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु माह जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 की अवधि में 10 थ्री-फेज नलकूप एवं 74 सिंगल फेज नलकूप तथा 90 हैण्डपम्पों का निर्माण एवं स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया।

स्थानवार वांछित विवरण क्रमशः परिशिष्ट-अ, ब एवं स पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, सपोटरा में माह जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 की अवधि में उपरोक्तानुसार 4 संवर्धन योजनाओं अन्तर्गत 4 थ्री-फेज नलकूप, 27 सिंगल फेज नलकूप एवं 9 हैण्डपम्पों के निर्माण की स्वीकृति जारी हुई। इसके अतिरिक्त इस अवधि में 2 संवर्धन जल योजनाओं एवं 5 सोलर सिंगल फेज नलकूपों के निर्माण की भी स्वीकृति जारी की गई है।

इन स्वीकृतियों के विरूद्ध समस्त 4 थ्री-फेज नलकूप मय संवर्धन योजना एवं समस्त 27 सिंगल फेज नलकूप, 5 हैण्डपम्प एवं 1 संवर्धन जल योजना के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष रहे 4 हैण्डपम्पों में से तहसील सपोटरा के दो प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक में एक-एक हैण्डपम्प ग्राम पंचायत द्वारा स्थापित किये जाने के कारण इनका निर्माण विभाग द्वारा अब नहीं किया जाना है।

इस प्रकार शेष एक संवर्धन योजना एवं 2 हैण्डपम्पों का निर्माण माह अप्रैल, 2016 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। 5 सोलर सिंगल फेज नलकूपों के निर्माण एवं स्थापना के कार्य हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र, सपोटरा की पंचायत समिति, सपोटरा के हैण्डपम्प योजनाओं से पूर्व में लाभान्वित 2 ग्राम एवं 1 ढाणी तथा पंचायत समिति, मण्डरायल के हैण्डपम्प योजनाओं से पूर्व में लाभान्वित 2 ग्राम, इस प्रकार कुल 4 ग्रामों एवं 1 ढाणी हेतु स्वीकृत परिवर्तित दो जल योजनाओं के कार्य क्रमशः माह मार्च, 2014 एवं अक्टूबर, 2015 में पूर्ण किये जाकर इन

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)
ग्राम एवं ढाणियों को इन जल योजनाओं से पाइप लाइनों द्वारा जोड़ दिया गया है। विवरण परिशिष्ट- य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के मदरसा बोर्ड में कार्मिकों की नियुक्ति की कार्य योजना

461. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में मदरसा बोर्ड द्वारा वर्ष 2003 से दिसम्बर, 2015 तक कितने चरणों में एवं कितने पदों की भर्तियां निकाली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में मदरसा बोर्ड द्वारा की गई भर्तीयों में कितने स्थायी एवं अस्थाई तथा संविदाकर्मी के रूप में पद स्वीकृत किये गये हैं तथा उक्त कार्मिकों के पदस्थापन के बाद कितने एवं कहां कहां के कार्मिकों के पदस्थापन स्थान परिवर्तन किये गये व किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में मदरसा बोर्ड द्वारा छठे चरण (VIth phase) की भर्ती में पात्र चयनित अभ्यर्थियों का अनुबंध मदरसा बोर्ड से है या मदरसा प्रबन्धन समितियों से? क्या सरकार पूर्व की भांति मदरसा बोर्ड से अनुबंध करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मदरसा बोर्ड द्वारा 2003 से अब तक तीन चरणों में मदरसा शिक्षा सहयोगियों की भर्तियां निकाली गई थी। तीन चरणों में कुल 11226 पदों की भर्तियां निकाली गई थी जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	चरण	वर्ष	पदो की संख्या		महायोग
			उर्दू शिक्षा सहयोगी	कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी	
1	चतुर्थ	2008	1400	-	1400
2	पंचम	2010	3500	500	4000
3	छठा	2013	3326	2500	5826
	कुल योग		8226	3000	11226

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

चतुर्थ एवं पंचम चरण की भर्तियां जिलेवार नहीं निकाली गई है। केवल छठे चरण की भर्ती जिलेवार निकाली गई है जिसका विवरण परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(2) मदरसा बोर्ड द्वारा की गई मदरसा शिक्षा सहयोगियों की भर्तियों में स्थायी पद स्वीकृत नहीं है। सभी पद संविदा कर्मी के रूप में कुल 11226 पद स्वीकृत है। जिसमें से 7797 पदों के लिए चयन किया गया है। इनमें से 697 कार्मिकों के पदस्थापन स्थान परिवर्तन किए गये है-सूची परिशिष्ट-बी पर संलग्न है। पदस्थापन स्थान में परिवर्तन की कोई नीति निर्धारित नहीं है क्योंकि सभी पद संविदा आधारित है। संविदा कर्मियों के स्थान परिवर्तन तत्कालीन आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किये गये थे।

(3) राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा छठे चरण की भर्ती में पात्र चयनित अभ्यर्थियों का अनुबंध मदरसा प्रबंधन समितियों से है। जी नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा प्रकरण संख्या 2006 (4) एस0सी0सी0 कर्नाटक राज्य सरकार बनाम उमादेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2006 की अनुपालना में वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(4) वित्त/नियम/2011 दिनांक 20.04.2011 के अनुसार राज्य सरकार/मदरसा बोर्ड द्वारा संविदा पर पद आपूरित नहीं किए जा सकते हैं। पूर्वानुसार मदरसा बोर्ड द्वारा शिक्षा सहयोगियों से अनुबंध करने से उक्त निर्णय की अवहेलना होती है। अत: मदरसा शिक्षा सहयोगी संविदा आधार पर कार्यरत होने के कारण मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा शिक्षा सहयोगियों का पूर्वानुसार अनुबंध नहीं किया जा सकता।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रेवदर में सामाजिक सुरक्षा योजना के लम्बित प्रकरण

462. श्री जगसी राम (रेवदर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वंचित व विशेष पिछड़ा वर्ग को सामाजिक न्याय व सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित योजनाओं का रेवदर विधानसभा क्षेत्र के सम्बन्धित वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगसी राम)

(2) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में गत दो वर्षों से लम्बित प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, वंचित व विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाएं रेवदर विधानसभा क्षेत्र में भी सुचारू रूप से संचालित हो रही है तथा इन योजनाओं से सम्बन्धित वर्ग के व्यक्तियों को पात्रता एवं योजना के मापदण्ड अनुसार लाभान्वित किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं में वर्ष 2015-16 में लाभान्वित किये गये व्यक्तियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधानसभा क्षेत्र रेवदर में गत दो वर्षों (2013-14 एवं 2014-15) में पालनहार योजनान्तर्गत 5 आवेदन पत्र अध्ययनरत प्रमाण पत्र के अभाव में लम्बित है। उक्त आवेदकों से अध्ययन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर पात्रतानुसार स्वीकृति जारी कर भुगतान कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लम्बित आवेदन

463. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान सरकार के गठन के बाद से अब तक विधानसभा क्षेत्र सूरसागर के वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन के कितने आवेदन कब-कब प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने आवेदकों को पेंशन जारी कर दी गई और कितने आवेदन लंबित है? लंबित रहे प्रकरणों का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) लंबित आवेदनों को कब तक पेंशन जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में सरकार के गठन के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सूरसागर में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

योग्यजन पेंशन योजनाओं में वर्षवार प्राप्त पेंशन आवेदनों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन
2014-15	290	250	80
2015-16	35	222	22

(2) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन योजनाओं में स्वीकृत आवेदनों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन
2014-15	272	228	62
2015-16	26	196	16

कोई आवेदन लम्बित नहीं है एवं शेष पेंशन आवेदन नियमानुसार पूर्ण नहीं होने के कारण निरस्त कर दिये गये है।

(3) वर्तमान में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

बाड़मेर जिले में पंजीकृत मदरसे

464. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में कितने मदरसे पंजीकृत हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत मदरसों में कितने छात्र, किस-किस कक्षा में तालिम हासिल कर रहे हैं? मदरसावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मदरसे किस-किस तिथि को पंजीकृत हुए तथा किस-किस दिनांक से प्रारम्भ हुए? मदरसावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मदरसों में सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जा रही हैं एवं किस-किस स्तर के कर्मचारी लगे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त पंजीकृत किस-किस मदरसे के लिए पर्याप्त भवन उपलब्ध नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

(6) जिले में नये मदरसे पंजीकृत कर प्रारम्भ करने हेतु किस-किस स्थान के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में 336 मदरसें पंजीकृत हैं जिनकी सूची परिशिष्ट ''ए'' पर संलग्न हैं।

(2) मदरसों में अध्ययनरत छात्रों की मदरसेवार सूची परिशिष्ट ''ए'' पर संलग्न है।

(3) जिले के पंजीकृत मदरसों की पंजीयन तिथि परिशिष्ट ''ए'' पर संलग्न सूची के कालम संख्या 5 में अंकित की गई हैं। मदरसा प्रारम्भ होने की तिथि संधारित नहीं है।

(4) उक्त मदरसों मे सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, मिड डे मील, बैठने के लिए दरी पट्टी शिक्षण साम्रगी तथा कम्प्यूटर आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। इन मदरसों में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संविदा पर शिक्षा सहयोगी लगाए गए है जिनके द्वारा आधुनिक शिक्षा (अंग्रेजी विज्ञान एवं गणित) प्रदान की जाती है। सूची परिशिष्ट ''बी'' पर संलग्न है।

(5) मदरसों का पंजीयन मदरसें के पास उपलब्ध भवन के आधार पर ही किया जाता है। अतः पंजीकृत मदरसों के भवन हैं।

(6) सम्बन्धित कमेटियों द्वारा चाहे जाने पर ही उनके द्वारा संचालित मदरसों का पंजीयन राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा किया जाता है। बाड़मेर जिले के मदरसा इस्लामियां दारूल कुरान पुराना गागरिया रामसर बाड़मेर के पंजीयन हेतु प्रस्ताव मदरसा बोर्ड स्तर पर विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़ी (धौलपुर) में अन्नपूर्णा भण्डार खोलने की योजना

465. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्राण्ड वस्तुयें उचित दर पर उपलब्ध करवाने हेतु अन्नपूर्णा भण्डार योजना आरम्भ की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के मुख्यालय बाड़ी में किसी भी उचित मूल्य दुकान के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की

(श्री गिर्राज सिंह)

मल्टीब्राण्ड वस्तुयें उचित दर पर उपलब्ध करवाने हेतु अन्नपूर्णा भण्डार योजना आरम्भ नहीं की गई है?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय बाड़ी में उचित मूल्य दुकान के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्राण्ड वस्तुयें उचित दर पर उपलब्ध करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी मुख्यालय पर अन्नपूर्णा भण्डार योजना के तहत निम्न 05 उचित मूल्य दुकानों का पूर्व में चयन किया जा चुका है। उक्त दुकानों पर उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्राण्ड वस्तुऐं उचित दर पर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। बाड़ी मुख्यालय पर निम्न उचित मूल्य दुकानों का अन्नपूर्णा भण्डार योजना के तहत चयन किया गया है:-

1. बाड़ी सहकारी उपभोक्ता भण्डार, बाड़ी
वार्ड संख्या 05
2. श्री शिवशंकर वैश्य, वार्ड संख्या 04
3. श्री राहुल समाधिया, वार्ड संख्या 18
4. श्री विजय सिंह, वार्ड संख्या 07
5. श्री रामेश्वर, वार्ड संख्या 15

(3) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र बाड़ी मुख्यालय पर अन्नपूर्णा भण्डार योजना के तहत 05 उचित मूल्य दुकानों का पूर्व में चयन किया जा चुका है, जिन पर उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्राण्ड वस्तुऐं उचित दर पर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है।

उदयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आबंटित खाद्य सामग्री

466. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है? यदि हां, तो कब से?

(श्री फूलसिंह मीणा)

(2) जिला उदयपुर में गत दो वर्षो में कितने लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं आबंटित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. के अलावा पात्र परिवारों को खाद्य सामग्री आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में दिनांक 02 अक्टूबर, 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है।

(2) उदयपुर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत प्रतिमाह लाभान्वित किये जा रहे व्यक्तियों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1	वर्ष 2013-13 (अक्टूबर,2013 से)	3003064
2	वर्ष 2014-15	2330498
3	वर्ष 2015-16	2044088

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. परिवारों के अलावा 21 श्रेणियों के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 19.02.2016 की प्रति **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तिजारा में संचालित गैस एजेन्सियां

467. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा में वर्तमान में कौन-कौनसी गैस एजेन्सियां संचालित है तथा उक्त गैस एजेन्सियों के पास कितने घरेलू व व्यावसायिक गैस कनेक्शन चालू हालत में है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

(2) क्या यह सही है कि उक्त गैस एजेन्सियों के पास उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण समय पर उपभोक्ताओं को गैस वितरण नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका समाधान करने का विचार रखती है? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार विधान सभा क्षेत्र तिजारा में वर्तमान में 05 गैस एजेन्सियां संचालित हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	नाम एजेन्सी	कम्पनी का नाम	घरेलू गैस कनेक्शन (तिजारा एरिया)	व्यावसायिक गैस कनेक्शन (तिजारा एरिया)
1	मैसर्स राजोरिया गैस सर्विस, तिजारा	बी.पी.सी.	9100	20
2	मैसर्स प्रसन्ना गैस सर्विस, अलवर	बी.पी.सी.	4500	10
3	मैसर्स अलवर गैसेस, अलवर	बी.पी.सी.	4000	0
4	मैसर्स माडर्न गैस सर्विस, अलवर	बी.पी.सी.	0	0
5	मैसर्स रोशन भारत गैस ग्रामीण वितरक, जयरोली	बी.पी.सी.	150	1

वर्तमान में मैसर्स माडर्न गैस सर्विस, अलवर के ग्राहकों को राजोरिया गैस सर्विस, तिजारा में हस्तान्तरित किया गया है।

(2) जी, नहीं। भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बी.पी.सी.) से प्राप्त सूचना अनुसार तिजारा में किसी भी प्रकार की रिफिल सप्लाई की समस्या नहीं है तथा उपभोक्ताओं को समय पर गैस वितरण हो रही है। नए कनेक्शन भी दिये जा रहे है।

प्रदेश में किसानों को कम ब्याज दर पर खेतीबाड़ी हेतु ऋण उपलब्ध कराने की योजना

468. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को एक प्रतिशत की दर से खेतीबाड़ी हेतु ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी?

(2) प्रदेश में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है? वर्षवार लाभान्वित किसानों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सुराज संकल्प यात्रा में एक प्रतिशत की दर पर खेतीबाड़ी हेतु ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। राज्य में खेतीबाड़ी हेतु अल्पकालीन फसली ऋण का नियमित रूप से चुकारा करने वाले कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(2) वर्ष 2014-15 में 2921626 कृषकों को एवं वर्ष 2015-16 में 2594333 कृषकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ब्याज सहायता राशि का पुनर्भरण

469. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से ब्याज सहायता राशि का समय पर पुनर्भरण प्राप्त नहीं होने से इन बैंकों को भारी हानि हो रही है? यदि हां, तो केन्द्रीय सहकारी बैंकों में इन मदों में कितनी-कितनी राशि कितने समय से बकाया है तथा इस पर होने वाली हानि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्ति योग्य ब्याज का बैंकों को समय पर पुनर्भरण करने के लिए कोई रिवाल्विंग फण्ड बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। केन्द्र व राज्य सरकार से अप्राप्त राशि का बैंकवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

पुनर्भरण राशि समय पर प्राप्त न होने से बैंकों को होने वाली नोशनल हानि का विवरण परिशिष्ट-3 व परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं। नियत समयावधि पर ऋण की अदायगी किये जाने के उपरांत ही कृषकों को ब्याज सहायता का लाभ दिया जाता है एवं बैंकों द्वारा प्रदत्त ब्याज सहायता राशि के विरुद्ध प्रस्तुत दावों का पुनर्भरण केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हाडौती सम्भाग में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में हुए गबन की जांच

470. श्री रामपाल (बारां-अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हाड़ौती सम्भाग में गत पांच वर्षों में कौन-कौनसी ग्राम सेवा सहकारी समिति में गबन/ भ्रष्टाचार के मामले उजागर/ प्रकाशित हुए हैं? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त सम्भाग में अब तक प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर कितनी समितियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हाड़ौती नाम से कोई राजस्व सम्भाग नहीं है।

(2) बिन्दु संख्या 2 का उत्तर बिन्दु संख्या 1 के उत्तर मे निहित है।

रणथम्भौर अभयारण्य (सवाई माधोपुर) में बाघों के लिंगानुपात में अन्तर

471. डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाघों की जनसंख्या में लिंगानुपात का अन्तर बढ़ रहा हैं? यदि हां, तो सामान्यत: नर/मादा में कितना अन्तर होना चाहिए? राजस्थान के रणथम्भौर में कितने बाघ व कितनी बाघिनें हैं और पिछले 10

(डा. किरोडी लाल मीणा)

वर्षो में यह अन्तर घटा है या बढ़ा हैं? देश में अन्य वन उपखण्डों में बाघों में ऐसा लिंगानुपात बढ़ रहा है या घट रहा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। रणथम्भौर में वर्ष 2015 की गणना के अनुसार 21 बाघ व 21 बाघिन है।

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में गत 10 वर्षों में बाघों का लिंगानुपात औसतन घटा बढा नहीं है।

अन्य राज्यों के/उपखण्डों/बाघ परियोजना क्षेत्रों में बाघों के लिंगानुपात बढ़ने या घटने सम्बन्धी आंकड़ें विभाग में उपलब्ध नहीं हैं।

झुझार्डी (मारवाड जंक्शन) में लगे क्रेशर से हो रहे प्रदूषण पर कार्यवाही

472. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन के झुझार्डी ग्राम में लगे हुए क्रेशर के कारण मनुष्यों एवम जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें भी प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त ग्राम में चिन्हित स्टोन क्रेशर मैसर्स शिवशक्ति एन्टरप्राइजेज द्वारा संचालन सम्मति हेतु आवेदन नहीं किये जाने एवं उपयुक्त वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था नहीं अपनाये जाने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 (अ) के अन्तर्गत इस उद्योग को बंद किये जाने एवं विद्युत आपूर्ति सम्बन्ध विच्छेद हेतु निर्देश दिनांक 23.02.2016 को जारी किये गये एवं दिनांक 24.02.2016 को इकाई का डी.जी. सैट एवं जॉ क्रेशर सील किया गया।

(2) राज्य सरकार को गत दो वर्षो में इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

झुन्झुनूं जिले में अवैध खनन रोकने की कार्य योजना

473. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनूं) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झुन्झुनूं जिले में अवैध खनन के प्रकरण सरकार के सामने आयें हैं? यदि हां, तो किन-किन स्थानों में कब-कब से, किन-किन खनिजों का व कितनी-कितनी मात्रा में अवैध खनन का कार्य हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकार से होने वाले अवैध खनन से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है? यदि हां, तो किन-किन खानों से कितनी कितनी राजस्व हानि हुई? गत 3 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के अवैध खनन से प्रदेश का खनिज पड़ोसी राज्य हरियाणा व पंजाब में अवैध रूप से जा रहा है? यदि हां, तो इससे सरकार को रायल्टी का कितना नुकसान हुआ है तथा अवैध रूप से जाने वाले खनिजों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला झुन्झुनू में अवैध खनन के मामले सामने आये हैं, जिसके विरुद्ध विभागीय अधिकारियों व तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही की गई है। जिला झुन्झुनू में विगत 3 वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं विभाग द्वारा अवैध खनन से होने वाले राजस्व नुकसान को रोकने के लिए नियमित रूप से चैकिंग की जाती है तथा अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48 के तहत कार्यवाही की जाती है। विगत 3 वर्षों में अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर बनाये गये अवैध खनन के प्रकरण एवं वसूल राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में अकित है।

(3) विभाग द्वारा अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध लगातार चैकिंग व निगरानी रखी जाती है फिर भी पड़ौसी प्रदेश हरियाणा व पंजाब की सीमा काफी लम्बी होने से अवैध खनिज निर्गमन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय-समय पर आकस्मिक चैकिंग तथा संयुक्त विभागीय अभियान चलाए जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आ रहे गांवों का विस्थापन

474. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आ रहे गांवों के विस्थापन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गांवों को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही अधिग्रहित कर लिया गया हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों को बसाने का मुख्य कारण इन गांवो का विस्थापन नहीं होना हैं?

(4) क्या सरकार बाघों को टाइगर रिजर्व में बसाने के लिये वन क्षेत्र में आने वाले गांवो का विस्थापन करने का विचार रखती हैं, यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के Critical Tiger Habitat (CTH) एरिया में 16 ग्राम आते हैं, जिनमें 14 ग्राम विस्थापन हेतु प्रस्तावित हैं। जिनका प्रारम्भिक सर्वे करवाया गया है। इन 14 गावों में 1589 परिवार निवास करते है। इस वर्ष 2 ग्राम लक्ष्मीपुरा एवं खरली बावडी का रिलोकेशन प्लान राशि रु. 135 लाख का कैम्पा मद में स्वीकृत हुआ है। जिसकी प्रति परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में आने वाले 3 ग्राम लक्ष्मीपुरा, खरली बावड़ी एवं रूपपुरा के अधिकार इस शर्त के साथ अधिग्रहित किये गये है कि वन विभाग इनको मुआवजा देगा। यह तीनों ग्राम मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के CTH एरिया में भी आते हैं। शेष गांवो के अधिकार अभी अधिग्रहित नहीं किये गये हैं।

(3) मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों को अभी तक नहीं बसाने का एक मुख्य कारण गावों का विस्थापन नहीं होना भी है।

(4) जी हां। चूंकि विस्थापन स्वैच्छिक है, इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना

475. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य मंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत अब तक प्रदेश के कुल कितने बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो अब तक प्रदेश में कितने कौशल केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कितने युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार से जोड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को आसान ऋण या रोजगार उपलब्ध करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP) के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत दिनांक 13-12-13 से 31-01-16 तक 75001 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के 48041 तथा शहरी क्षेत्रों के 26960 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

(2) जी हां। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये विभिन्न योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना का कार्य निरंतर किया जा रहा है। वर्तमान में विभिन्न योजनान्तर्गत 266 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। संचालित कौशल विकास केन्द्रों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 13-12-13 से 31-01-16 तक विभिन्न योजनान्तर्गत कुल 43744 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार तथा 1406 प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया गया है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(4) कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को आसान ऋण या रोजगार उपलब्ध करवाने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा बजट 2016-2017 में बिन्दु सं. 193 पर घोषणा की गई है।

कौशल नियोजन एवं उदमिता विभाग के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुद्रा ऋण योजना में ऋण प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित बैंको से लिंक करवाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमाधोपुर (सीकर) में आई.टी.आई. की स्थापना

476. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा श्रीमाधोपुर में आई. टी. आई. खोलने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

(2) क्या सरकार आगामी सत्र में उक्त आई. टी. आई. खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के बिन्दु संख्या 342.0.0 के अनुसार श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आई.टी.आई. खोले जाने की घोषणा की गई है। भूमि आबंटित हो गई है। राज्य सरकार को वित्तीय स्वीकृति हेतु दिनांक 21.11.2015 को पत्र प्रेषित किया गया है। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(2) नहीं, आबंटित भूमि पर भवन निमार्ण पूर्ण होने पर सम्बन्धन कार्य होने के पश्चात् आई.टी.आई. में प्रवेश कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्य योजना

477. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कितने औद्योगिक, वाणिज्यिक, खनन एवं अन्य संस्थान दिनांक 31 जनवरी, 2016 तक पंजीकृत हैं तथा उक्त संस्थानों में कितने व्यक्ति बतौर श्रमिक नियोजित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धीरज गुर्जर)

(2) उक्त पंजीकृत संस्थानों के नियमित निरीक्षण के सम्बन्ध में सरकार के क्या प्रावधान हैं? श्रम निरीक्षकों के कितने पद स्वीकृत एवं कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में श्रम निरीक्षकों द्वारा गत 2 वर्षों में कितनी इकाइयों का निरीक्षण किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि औद्योगिक एवं खनिज इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सैफ्टी इक्युप्मेंट प्रदान नहीं किये जा रहे हैं व न ही श्रमिकों की डस्ट एलर्जी तथा स्वास्थ्य की नियमित जांच कराई जा रही हैं, श्रमिकों को मालिकों द्वारा हाजरी कार्ड जारी नहीं किये जा रहे हैं, उन्हें वेतन पर्चियां जारी नहीं की जा रही हैं, न ही उन्हें नियोजक संस्थानों द्वारा कोई आई.डी. प्रूफ जारी किये जा रहे हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या कार्य योजना हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि वर्तमान में लगभग सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुल चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में कार्यरत सभी श्रमिकों को महाराष्ट्र राज्य की भांति उनके सेवा लाभों का भुगतान उनके बैंक खातों के जरिये कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) दिनांक 31.1.2016 तक राजस्थान कारखाना अधिनियम 1948 के तहत 10434 कारखाने पंजीकृत हैं जिनमें 703715 श्रमिक नियोजित हैं। जिलेवार सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

श्रम विभाग में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों सहित "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 63 अनुसूचित नियोजनों के संस्थानों की संख्या 534564 तथा नियोजित कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या 1475360 है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। खनन से सम्बन्धित संस्थानों का पंजीयन श्रम विभाग में नहीं किया जाता है।

(2) उक्त पंजीकृत कारखानों के नियमित निरीक्षण के सम्बन्ध में विभाग के प्रावधान/अधिसूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

कारखानों के अतिरिक्त अन्य संस्थानों के निरीक्षणों के लिए विभिन्न अधिनियमों में श्रम निरीक्षकों को निरीक्षक अधिसूचित किया हुआ है जो नियमित रूप से निरीक्षण कार्य करते हैं। श्रम विभाग में श्रम निरीक्षकों के कुल 188 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 35 कार्यरत हैं एवं 153 रिक्त हैं।

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

(3) श्रम निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2013-14 में 19122 निरीक्षण, वर्ष 2014-15 में 17262 निरीक्षण तथा वर्ष 2015-16 में जनवरी, 2016 तक 11195 निरीक्षण किये गये। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"द" पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं। न्यूनतम मजदूरी की निर्धारित दर से कम भुगतान करने की शिकायत श्रम विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी श्रम कानून के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

कारखाना प्रबन्धनों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार विनिर्माण प्रक्रिया की प्रकृति के अनुरूप श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किये जाते हैं तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच भी करवाई जाती है। विभागीय निरीक्षकों के द्वारा कारखानों के निरीक्षण के दौरान विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसार आवश्यकता ज्ञात होने पर श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु कारखाना प्रबन्धन को निर्देश भी दिये जाते हैं। विभागीय कारखाना निरीक्षक (मेडीकल) द्वारा समय-समय पर कारखानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच कर व्यवसायजनित बीमारियों का पता लगाया जाता है। कारखाना प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को वेतन पर्चियां जारी की जाती हैं जिनमें हाजरी के अनुरूप वेतन का विवरण होता है। चार माह पूर्व कारखाना अधिनियम, 1948 में 2.11.2015 को संशोधन कर श्रमिकों को पहचान पत्र देने का प्रावधान जोड़ा गया है। कारखाना प्रबन्धकों को उक्त प्रावधान की पालना हेतु जागरूक किया जा रहा है।

(5) नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते खोलने का कार्य श्रम विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

कोटकासिम को जिले का दर्जा देने की मांग

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम को जिला बनाया जाना तहसील तिजारा, भिवाड़ी, मुण्डावर, किशनगढ़बास, नीमराणा, कोटकासिम एवं उपतहसील टपूकड़ा, हरसौली, खैरथल आदि क्षेत्र के लोगों के लिये अति महत्वपूर्ण है। उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम पर उपखण्ड स्तरीय व पंचायत समिति स्तरीय, सभी राजकीय कार्यालय स्थित हैं। उपखण्ड कोटकासिम औद्योगिक क्षेत्र खुशकेड़ा, भिवाड़ी, चौपानकी, नीमराणा एवं हरियाणा राज्य के औद्योगिक क्षेत्र धारुहेड़ा व बावल आदि की सीमाओं से भी जुड़ा हुआ है एवं उक्त सभी क्षेत्र उपखण्ड कोटकासिम से लगभग 35 किलोमीटर के परिक्षेत्र में आते हैं। उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है जो सीधा जयपुर को दिल्ली से जोड़ता है। उपखण्ड कोटकासिम में जल्द ही हवाई अड्डे का निर्माण होना है। तहसील भिवाड़ी, तिजारा, मुण्डावर, नीमराणा, कोटकासिम, किशनगढ़बास व उप तहसील हरसौली, खैरथल एवं टपूकड़ा आदि क्षेत्रों की सीमा उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। उपखण्ड कोटकासिम का क्षेत्र हरियाणा राज्य के जिला रेवाड़ी की सीमा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। जिला अलवर मुख्यालय से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और जिला मुख्यालय पर आवागमन के साधन भी अपर्याप्त हैं। उपखण्ड क्षेत्र कोटकासिम व आसपास का क्षेत्र ग्रामीण परिवेश का है। उपखण्ड कोटकासिम व आस-पास का क्षेत्र हरियाणा राज्य की सीमा क्षेत्र से लगा होने के बावजूद भी काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से भी उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम को जिला बनाया जाना अति उपयुक्त है।

अत: मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि तहसील तिजारा, भिवाड़ी, मुण्डावर, नीमराणा, बहरोड़, किशनगढ़बास व उप तहसील खैरथल, हरसौली एवं टपूकड़ा आदि के क्षेत्रों को मिलाकर उपखण्ड मुख्यालय कोटकासिम को जिला बनाया जावे, जिससे कि उक्त क्षेत्रों के ग्रामीणों को जिला स्तरीय कार्यों को करवाने में आसानी होगी और सम्पूर्ण का क्षेत्र का विकास भी होगा।

रामहेत सिंह यादव
(किशनगढ़ बास)

बीकानेर जिले को अकालग्रस्त घोषित किया जाना

बीकानेर जिले का अधिकांश क्षेत्र एक फसली है और यहां की कृषि बरसात पर आधारित है। यहां के किसान बारिश होते ही फसल खरीफ की काश्त करते हैं। उक्त फसल पूर्णतया: बरसात पर ही निर्भर रहती है। उक्त क्षेत्र में अगर अच्छी बरसात हो जाती है, तो फसल पक जाती है, परन्तु उक्त क्षेत्र में बरसात कम होती है। अधिकतर भूमि रेगिस्तानी होने के कारण इस क्षेत्र में फसल खराब होने की सम्भावना अधिक रहती है।

इस बार फसल खरीफ 2072 में बीकानेर जिले में पहले तो एक बार बरसात हुई और बरसात होते ही क्षेत्र के किसानों ने फसल खरीफ का बिजान कर दिया इसके बाद क्षेत्र में कहीं भी आवश्यकता अनुसार बरसात नहीं हुई और फसल पकाव से पूर्व ही नष्ट होने लग गयी और जब गश्त गिरदावरी का समय आया तो राज्य के पटवारियों ने हड़ताल कर दी और अतिरिक्त कार्यभार वाले पटवार मण्डलों का अभिलेख तहसील कार्यालयों में जमा करवा दिया इसका सरकार पर कोई खास असर नहीं हुआ, पर इसका सर्वाधिक असर और नुकसान बीकानेर जिले के किसानों को हुआ क्योंकि पूरे जिले में गश्त गिरदावरी नहीं हुई। जिला कार्यालय के अधिकारियों द्वारा बंद कमरों में बैठकर गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर भेज दी, जबकि किसान खेत में बैठकर अपनी खराब फसल दिखाने व गिरदावरी करवाने का इंतजार करता रहा, पर उसकी फसल देखने कोई नहीं आया।

सबसे बुरा हाल जिले की श्री कोलायत तहसील के किसानों का हुआ क्योंकि कोलायत तहसील जिसका क्षेत्रफल 797174 हैक्टेयर है। उक्त समस्त क्षेत्र में 22 पटवारी ही कार्यरत हैं, और गिरदावरी का समय एक माह निर्धारित है तो 22 पटवारी इतने बड़े क्षेत्र में गिरदावरी कैसे कर सकते थे। फिर गिरदावरी कार्यक्रम को बीच में छोड़कर पटवारी हड़ताल पर चले गए तो फिर इस क्षेत्र के हर खेत की गिरदावरी कैसे हुई यह समझ से परे है, पर जिले के अधिकारियों ने किसानों की फसल का बिना मौका जांच किए रिपोर्ट भेज दी और कह दिया सब फसलें पक चुकी हैं, क्षेत्र में कोई भी फसल खराब नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक खेत में खड़ी फसल की जांच करने कौन-कौन कब-कब गया इतने बड़े क्षेत्र में इतने कम समय में पटवारियों की हड़ताल के चलते कैसे गिरदावरी की और किस आधार पर उन्होंने बताया कि फसलें खराब नहीं हुई और पकी हैं। सिर्फ उनसे यह स्पष्ट करवा दें और अगर फसलों का मौका जांच नहीं किया तो फसल खराब थी तो गलत रिपोर्ट क्यों दी।

इससे न तो सरकारी कार्मिकों व अधिकारियों को कोई नुकसान हुआ है और न ही राज्य के राजस्व को क्षति पहुंची है। नुकसान उस किसान को हुआ है जिसकी फसल खराब हो गयी और उस फसल को देखने कोई सरकारी कारिन्दा नहीं आया।

अत: मेरा सरकार से मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि ऐसा कृत्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे और किसान को उसकी फसल का मुआवजा दिलवाया जाए।

भंवरसिंह
(कोलायत)

गुलाबपुरा (आसींद) में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना

आसींद विधानसभा क्षेत्र के गुलाबपुरा नगरपालिका क्षेत्र में राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी, स्कूल (छात्रों का) नहीं है। शिक्षा की कमी रहती है, गुलाबपुरा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है यहां के छात्रों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता है व सभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। यहां पर छात्राओं का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से एवं गांधी शिक्षण संस्थान है गुलाबपुरा के आस-पास के क्षेत्र के यहां पढ़ना चाहते हैं। गुलाबपुरा के भी आम छात्र पढ़ना चाहते है एवं गुलाबपुरा की आमजन की मांग है कि यहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुले जिससे शिक्षा की कमी दूर हो सके तथा यहां पर छात्रों का राजकीय महाविद्यालय भी नहीं है। यहां के छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिये अन्यत्र 50-60 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है। जिससे गड़ियों से सदैव एक्सीडेन्ट का खतरा बना रहता है। गुलाबपुरा उपखण्ड कार्यालय है।

अत: जनहित में शिक्षा की दृष्टि से राजकीय महाविद्यालय भी खोलने का सरकार आदेश प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि आम छात्र-छात्राओं को शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़े।

रामलाल गुर्जर
(आसींद)

प्रदेश में विद्यार्थी मित्रों का नियमितीकरण

मैं आपका ध्यान राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में अनुबन्ध पर अतिथि अध्यापक के रूप में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों को विधायक सहायक के रूप में नियमित करने की ओर दिलाना चाहूंगा। 13 दिसम्बर 2014 को विद्यालय सहायक पद से विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने की घोषणा भी राजस्थान सरकार द्वारा की गयी थी तथा आवेदन भी करवाए गये थे लेकिन किन्हीं कारणों से यह भर्ती न्यायालय में अटक गयी। सरकारी विद्यालयों में रिक्त पदों पर अल्प मानदेय में बहुत लम्बे समय तक विद्यार्थी मित्रों ने काम किया है। सरकार को अतिशीघ्र विद्यालयों में विद्यालय

सहायक का पद सृजित कर नियुक्ति देनी चाहिये जिससे कि इनको आंदोलन जैसा कदम न उठाना पड़े व जल्द से जल्द इनको विद्यालय से जोड़ने का कार्य करना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिये। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी विद्यार्थी मित्रों को विद्यालय सहायक नहीं बनाया गया है। वर्तमान में लगभग 24163 विद्यार्थी मित्र इस वजह से बेरोजगार हैं, सरकार द्वारा इस समस्या का स्थाई समाधान किया जावे ताकि इन बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

अभिषेक मटोरिया

(नोहर)

सांगोद में दायीं मुख्य नहर से पानी की उपलब्धता

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्ध नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले में स्थित चम्बल सिंचाई परियोजना मध्यप्रदेश व राजस्थान की साझा योजना है। जिसमें 3.2 मिलियन हैक्टेयर फुट पानी को दोनों राज्यों द्वारा 14 लाख हैक्टेयर सिंचाई के लिए उपयोग हेतु प्रावधान रखा गया था। जिसमें प्रत्येक राज्य द्वारा 7 लाख एकड़ (2.8 लाख हैक्टेयर) क्षेत्र में भूमि सिंचित की जानी थी, लेकिन वर्तमान में राजस्थान राज्य द्वारा फ्लो में मात्र 5.68 लाख एकड़ (2.29 लाख हैक्टेयर) में सिंचाई क्षमता बनाई गयी है, जबकि सिंचाई गहनता राजस्थान राज्य में 76 प्रतिशत बढ़ाई गयी। जिसके बावजूद 2,03,360 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता आंकी है।

अत: वर्तमान में राजस्थान के हिस्से के उपयोग में 80 हजार हैक्टेयर का गैप है। जबकि राज्य सरकार द्वारा लिफ्ट सिंचाई हेतु भी 0.36 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित हेतु प्रस्ताव बनाया गया था, जिसमें 21 ब्लाक बनाये गये थे। इनमें से 8 ब्लॉकों पर लिफ्ट स्कीम बनाई गयी जिसमें 15633 हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है।

दांयी मुख्य नहर की मूल परियोजना में लिफ्ट सिंचाई हेतु 36000 हैक्टेयर भूमि सिंचित करने का प्रावधान रखा गया था। जिसमें से वर्तमान में 8 लिफ्ट परियोजना के माध्यम से परियोजना क्षेत्र में 15638 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है, एवं किशनपुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना एवं बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से 3838 हैक्टेयर भूमि दायीं मुख्य नहर से लिफ्ट योजना के माध्यम से सिंचाई की जा रही है। उसके उपरांत भी दांयी मुख्य नहर से मूल परियोजना में किये गये प्रावधान के अनुसार लिफ्ट योजना द्वारा 16529 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करना अभी शेष है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड दीगोद के कई ग्रामों में भू-जल स्तर नीचे होने के कारण सिंचाई का कोई अन्य विकल्प नहीं है। जिससे क्षेत्र के किसान ठीक तरह

से फसल नहीं कर पाते हैं एवं जिससे किसानों की स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही है। वर्तमान में ग्राम पंचायत भाण्डाहेड़ा, रेलगांव, चोमामालियान, पोलाई, सीमिलया के गांवों सहित कई गांव असिंचित होने के कारण गांवों के लोग आस लगाये बैठे हैं कि हमारे हक का पानी हमें कब नसीब होगा। यदि दांयी मुख्य नहर से किशनपुरा, बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की तरह ही ब्लाक 1. चाररहेड़ी, 2. पोलाई, 3. देवपुरा, 4. ढाबा, 5. चारचौमा व 6. राजगढ़ लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई जावे तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों की भूमि सिंचित होगी और किसानों के घरों में खुशहाली आयेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए एक बार पुन: निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र के किसानों की सिंचाई सम्बन्धी बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए दांयी मुख्य नहर के ब्लाक 1,2,3,4,5 व 6 लिफ्ट परियोजना के लिए सर्वे का बजट स्वीकृत कराते हुए लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्वीकृत की जाए।

हीरालाल नागर

(सांगोद)

जमवारामगढ़ के ग्रामों में जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जमवारामगढ़ अभयारण्य ब्लाक डिगोता-61 व रेन्ज रायसर को सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र में सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थिति अधिकांश गांवों की जमीनों पर सरकार द्वारा रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वन मंत्रीजी एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसा कि सर्वविदित है मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ का काफी बड़ा एरिया वन क्षेत्र में आता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम नीमला, हींगवाला, नाभावाला, काली-बरकड़ी, खानिया, बस्सी, डिगोता, कीलचपुरी, रायवाला, नेतावाला, राम्यावाला, सानकोटड़ा व ग्राम पंचायत थली के ग्राम थली, गुवाड़ा व रासावाला क्षेत्रों को सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र में सम्मिलित करने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है। इस सम्बन्ध में उक्त सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा तथा वहां की स्थानीय आम जनता द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है।

इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ स्थित विठलपुर, सुरेठी

बिशनपुरा, केलनवास, गोपालगढ़, नवपुरा, भिवास, घाटी घनश्यामपुरा, साहू, साहू शीरा, जमवाघाट, रासावाला, बस्सी, काली बरकड़ी, डगोता, काणीखोर, दांतली, पावटा, महंगी, गुढा-हरूका, बामनवाटी, महंगौर, नांगल तेजसिंह, रायसर, रामजीखुरा, कुशलपुरा, डारोलाई, चैनपुरा, नीम्बी, रायपुर, घोरेठ खरहड़ व लोठीपुरा पावटा इत्यादि गांवों में सरकार द्वारा उनकी जमीनों पर पूर्णतया रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गयी है तथा क्षेत्र के 50 गांवों में आंशिक रूप से उनकी जमीनों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गयी है। इस कारण से उक्त सभी गांवों की जनता में भारी रोष व्याप्त हो गया है। रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटाने के लिए आये दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं तथा भविष्य में जन आंदोलन और तेज होने की संभावना है।

इस सम्बन्ध में सरकार से मेरी मांग है कि उक्त सभी क्षेत्रों को सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र को हटाया जाए और इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र के जिन गांवों में जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है उन गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोके को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता में आक्रोश नहीं फैल सके एवं उनको राहत मिल सके।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय वन मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जनहित में उक्त दोनों प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनका निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र करने की कृपा करें।

जगदीश नारायण

(जमवारामगढ़)

गोगुन्दा की उप तहसील सायरा की तहसील में क्रमोन्नति

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की उप तहसील सायरा जिला उदयपुर मेवाड़ रियासत के समय से तहसील थी। आजादी के बाद में उक्त तहसील को गोगुन्दा स्थानान्तरित कर दिया गया। उसके बाद माननीया वसुन्धराजी के पूर्व कार्यकाल में यहां पर नई उप तहसील खोली गयी। वर्तमान में माननीया वसुन्धराजी के राज में पंचायत राज पुर्नगठन में सायरा में नई पंचायत समिति गठित की गयी हैं। इस उप तहसील सायरा में वर्तमान में पुलिस थाना, सार्वजनिक निर्माण विभाग का उपखंड कार्यालय, क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय, ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय संचालित है। सायरा में नई बनी पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतें आती हैं जो अधिकतर आदिवासी व जनजाति बहुल पंचायतें हैं। उक्त उप तहसील सायरा में 2 करोड़ रुपये की लागत से मानचित्रानुसार तहसील स्तर का भवन निर्माणाधीन है।

अत: राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार से निवेदन हैं कि उप तहसील सायरा जिला उदयपुर को तहसील में क्रमोन्नत किया जावे।

प्रताप लाल भील

(गोगुन्दा)

बहरोड़ की क्षतिग्रस्त सड़कें

मेरे विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में टूटी हुई सड़कों को ठीक करवाया जाये। ये सड़के निम्न हैं :—

1. नांगली बलिहार से हरियाणा बोर्डर सड़क, 2. मांढक-कुण्ड सड़क से नानगवास गिगलाणा होते हुए रायसराणा सड़क, 3. बसई से खोहर, 4. अलवर रोड़ से किर्तनसिंहपुरा तक, 5. एन.एच. 08 से ढुढारिया होते हुए गण्डाला सड़क, 6. अलवर रोड से अजमेरीपुर सड़क, 7. एन.एच. 8 से कालेज होते हुए मोमनपुर तलवाड़ सड़क, 8. खोहर रोड़ से डवाणी सड़क, 9. नारनौल सड़क से अन्नतपुरा सड़क, 10. नारनौल सड़क से महाराजावास होते हुए कोहराणा सड़क, 11. नारनौल सड़क से नांगलखोडिया सड़क, 12. नारनौल सड़क से रामसिंह पुरा सड़क, 13. ए/आर से कल्याणपुरा सड़क, 14. एन.एच. 08 से कांकरदोपा सड़क, 15. सीसी सड़क निर्माण जटगावंडा गांव में सड़क, 16. ए/आर से नालपुर सड़क 17. ए/आर से मावड़ी सड़क, 18. दोसोद से बंथला सड़क, 19. तसींग रोड से खरखड़ा सड़क, 20. ए/आर से रामचन्द्रपुरा सड़क, 21. खोहर से दोसोद सड़क 22. नंगली से सातों मोड, 23. ए/आर से विजयसिंहपुरा, 24. माजरी से निहालपुरा सड़क, 25. एन.एच.-8 से पहाड़ी वाया मोहम्मदपुर।

इन सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। इनमें गहरे-गहरे गड्ढे बने हुए है। जब भी कोई वाहन गुजरता है तो धूल के गुब्बारे उड़ते हैं। कोई भी वाहन 5 या 10 किलोमीटर प्रति घण्टा की रफ्तार से चलते हैं। आम आदमी गड्ढ़ों की वजह से पैदल भी नहीं चल सकता। आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती है। धूल उड़ने से आम आदमी व राहगीरों को अस्थमा जैसी असाध्य बीमारी होने का डर रहता है। इन उपरोक्त सड़कों को तुरंत प्रभाव से ठीक कराया जावे।

अत: मैं माननीय महोदयजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर आम जनता को राहत पहुंचावें।

डा. जसवन्त सिंह यादव

(बहरोड़)

बाड़मेर में लिग्नाइट परियोजना के अन्तर्गत अवाप्त भूमि का मुआवजा

मैं आपका ध्यान अत्यन्त जनहित के मुद्दे पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बाड़मेर में शिवकर कुड़ला लिग्नाट परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 26.6.2012 को जारी की गयी।

महोदय, शिवकर कुड़ला लिग्नाइट की भूमि जो बाड़मेर शहर के बिलकुल नजदीक है, उतरलाई एयरफोर्स के निकट है। किसानों ने इसका विरोध भी किया लेकिन फिर भी सरकार द्वारा दिनांक 10.7.2015 को अवाप्ति का फाइनल अवार्ड जारी कर दिया गया।

महोदय, अवार्ड जारी किये को आठ महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गयी है। चूंकि सरकार द्वारा किसानों के भारी विरोध के बावजूद इस जमीन को अवाप्त किया गया, अब जबकि अवार्ड जारी हुए को कई महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या सरकार अभी भी उक्त जमीन नहीं लेना चाहती है, अगर लेना चाहती है तो किसानों को भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर अवाप्ति क्षेत्र का किसान भारी समस्या से गुजर रहा है। जब तक सरकार इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करती है उक्त क्षेत्र में विकास के कोई कार्य स्वीकृत नहीं हो रहे हैं।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार शिवकर, कुड़ला लिग्नाइट परियोजना की भूमि अवाप्ति का भुगतान करे अथवा उक्त जमीन को अवाप्ति से मुक्त करे, स्थिति स्पष्ट करे। किसानों में इसको लेकर भारी रोष है।

मेवाराम जैन

(बाड़मेर)

नसीराबाद के बेघर गाड़िया लुहार परिवार

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 9.1.2013 द्वारा ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद के खसरा नं. 5662 रकबा 1.464 हैक्टेयर किस्म बा. 03 भूमि ग्राम पंचायत देराठू के प्रस्ताव सहित 120 बेघर गाड़िया लुहार के परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा तैयार लेआउट प्लान अनुसार बसाने हेतु ग्राम पंचायत देराठू के पक्ष में आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षण का अनुशंसा से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा ग्राम पंचायत देराठू के तैयार किये गये लेआउट प्लान अनुसार 120 बेघर गाड़िया लुहार के परिवारों को बसाने के लिए अनुशंसा से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद के खसरा नं.

5662 रकबा 1.464 हैक्टेयर किस्म बा 03 भूमि 120 बेघर गाड़िया लुहार के परिवारों को बसाने के लिए आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत देराठू के पक्ष में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 92 के प्रावधानानुसार आरक्षित करने के एतद् द्वारा आदेश प्रदान किये गये।

जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उक्त भूमि आरक्षित किये जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत देराठू द्वारा दिनांक 6.5.2013 को 86 परिवारों को आबादी भूमि का रियायती 10.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर पर आबंटित कर दी गयी थी। तत्पश्चात 86 परिवार आबंटित भूमि पर कब्जा लेने गये लेकिन प्रशासन द्वारा इन्हें आज दिनांक तक कब्जा नहीं दिया गया।

मेरा आपसे निवेदन है कि इन 120 बेघर गाड़िया लुहार के परिवारों को कब्जा दिलवाने की कार्यवाही कर अनुगृहीत करावें।

रामनारायण

(नसीराबाद)

अलवर में हनुमान सर्किल से बगड़ तिराहे तक फोरलेन सड़क की मांग

अलवर में हनुमान सर्किल से बगड तिराहे तक की कुल दूरी 12 किमी. है। अलवर से रामगढ़ मेवात (हरियाणा), भरतपुर, मथुरा जाने वाले सभी वाहन इसी रास्ते से जाते हैं। अलवर का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र एम.आई.ए. जाने के लिए भी यह ही एक मात्र मार्ग है। इस 12 कि.मी. के दोनों और कई आवासीय कालोनियां भी बस रही हैं। ऐसी स्थिति में इस सड़क पर यातायात दबाव अत्यधिक है, साथ ही प्रतिदिन इस सड़क पर 2-3 खतरनाक दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिससे जान-माल की हानि हो रही है।

वर्तमान में यह सड़क Two lane है। अत: बढ़ते हुए यातायात दबाव व दुर्घटनाओं से निजात दिलाने के लिए इस सड़क का 4 लेन होना बहुत ही आवश्यक है।

ज्ञानदेव आहूजा

(रामगढ़)

बूंदी राजकीय चिकित्सालय में रिक्त पद

मेरे विधान सभा क्षेत्र बून्दी में बून्दी जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय में विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के पद रिक्त होने से जिले भर से आने वाले रोगियों व तीमारदारों को काफी परेशानी होती है। वर्तमान में राजकीय चिकित्सालय बून्दी में वरिष्ठ विशेषज्ञों के 6 पद रिक्त हैं, जिनमें ईएनटी, स्त्री रोग, पैथोलोजी, रेडियोलाजी, शल्य, मेडिकल के पद हैं। इसी तरह कनिष्ठ विशेषज्ञों के 9 पद रिक्त हैं, जिनमें मेडिसन में 3 पद, मनोरोग, ईएनटी, चर्म व रति अस्थि व पैथोलाजी

के पद हैं। चिकित्सालय में नर्स ग्रेड द्वितीय के 19 व लैब टेक्निशियन के 9 पद रिक्त हैं तथा अन्य स्टाफ के कई पद रिक्त हैं।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि सामान्य चिकित्सालय में सीटी स्केन मशीन पिछले 2 वर्षो से उपलब्ध है, परन्तु रेडियोलोजिस्ट का पद रिक्त होने से जिला मुख्यालय का अस्पताल होने पर भी रोगियों को कोटा जाना पड़ता है। स्त्री रोग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में वरिष्ठ विशेषज्ञ नहीं होने से महिला रोगियों को काफी समस्या हो रही है तथा उपचार के लिये बाहर जाना पड़ रहा है। पैथोलाजी विभाग में वरिष्ठ व कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद रिक्त होने से जांचों के लिये कोटा या अन्यत्र रैफर किया जा रहा है।

जिला अस्पताल में इतने पद रिक्त होने से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं तथा असुविधाओं से आमजन काफी त्रस्त है तथा आमजन में काफी रोष है।

यह अत्यन्त संवेदनशील व आमजन से जुड़ा मुद्दा है, अतः यदि जिला चिकित्सालय के इन अतिरिक्त महत्वपूर्ण पदों पर अतिशीघ्र भर्ती कर दी जाती है तो मरीजों व तामीरदारों को काफी सुविधा होगी तथा अनावश्यक खर्च व समय की बचत होगी।

अशोक डोगरा

(बूंदी)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-29 मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

1 विधान सभा क्षेत्र सांचौर की नगर पालिका सांचौर में नई पाइप लाइन नहीं डालने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

2 विधान सभा क्षेत्र महुवा में नगर पालिका खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

3 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत बालेसर सता को नगर पालिका का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में नवीन सड़कों के विचाराधीन प्रस्तावों को स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5 जोधपुर शहर में स्थित कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

6 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के नगरपालिका क्षेत्र में पेरा-फेरी के अन्तर्गत आने वाले गांवो को नगरपालिका क्षेत्र में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज की व्यवस्था में सुधार नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

8 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नगरपालिका क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन एवं निस्तारण नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

9 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के नगरपालिका क्षेत्र में गांधी बस स्टैण्ड पर अतिक्रमण होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

10 विधान सभा क्षेत्र वैर की नगरपालिका वैर व भुसावर में सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

11 विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में भीण्डर को तृतीय श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

12 विधान सभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ की नगरपालिका का मास्टर प्लान पुन: बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) :

13 विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के नगरपालिका आबू पर्वत में आवासीय पट्टों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

14 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में नगरपालिका बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में टाउन प्लानिंग तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

16 ब्यावर शहर में सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

17 विधान सभा क्षेत्र मावली की यू.आई.टी. के पेरिफेरी क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

18 विधान सभा क्षेत्र मावली में फतेहनगर सनवाड़ नगरपालिका में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

19 नगर विकास न्यास अलवर द्वारा ग्राम तुलेड़ा में मुख्य सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20 नगर विकास न्यास अलवर द्वारा ग्राम गन्नासा में सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

21 विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में पायलट प्रोजक्ट के तौर पर प्रस्तावित 4667 शौचालयों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

22 कोटा शहर के नगर निगम सीमा क्षेत्र में पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण नालों की सफाई एवं मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

23 विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में वाल्मीकि सामुदायिक भवन से हजीरा दरगाह के मध्य बेशकीमती सरकारी भूमि पर व पुराने जे.पी. मार्केट में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा आधुनिक व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

24 विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में सामुदायिक केन्द्र एवं पार्किंग स्थल के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

25 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के नगर निगम क्षेत्र में बने मकानों के पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

26 कोटा शहर में आवारा जानवरों के सड़कों-गलियों में विचरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

27 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी नगर पालिका एवं नगर निगम कोटा के वार्ड नं. 4, 5, 24, 25 में गरीब जनता हेतु सुलभ शौचालयों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी नगरपालिका एवं कोटा नगर निगम के वार्ड नं. 24, 25, 4, 5 में बिजली बचत हेतु एल.ई.डी. लाइट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

29 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की नगरपालिका खेतड़ी में नाला निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

30 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की नगरपालिका खेतड़ी में रिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

31 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की नगरपालिका खेतड़ी में भोपालगढ़ जाने वाले रास्ते की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

32 गंगापुरसिटी नगर परिषद में **XEN** का पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

33 माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के फलस्वरूप चालू कुशाल लेन के कार्य हेतु द्वितीय किश्त जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

34 प्रदेश के मुख्य नगर नियोजन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

35 जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते भू-जल स्तर की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

36 जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में सफाई की पुख्ता व सुव्यवस्था करने, बिजली की लाइनों को भूमिगत करने व सड़कों की खस्ता हालत को ठीक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

37 जोधपुर नगर निगम व जोधपुर विकास प्राधिकरण की माली हालत को सुधारने, विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने एवं एक ही स्थान पर लम्बे समय से जमे कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

38 ग्राम पंचायत कुड़ी भगतासनी, सांगरिया व तनावड़ा, जिला जोधपुर को नगरपालिका घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

39 विधान सभा क्षेत्र लूणी में नगर निगम जोधपुर क्षेत्र से लगती ग्राम पंचायतों की आवासीय कालोनियों को पूर्ण विकसित करने हेतु नगर निगम क्षेत्र जोधपुर में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

40 नगर परिषद भिवाड़ी एवं नगरपालिका तिजारा के क्षतिग्रस्त भवनों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मंगलराम (कठूमर) :

41 विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) में सीवरेज लाइन बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

42 जोधपुर शहर के प्राचीन, ऐतिहासिक एवं जन आस्था के प्रतीक कुओं, तालाबों एवं बावड़ियों के वर्षा जल संरक्षण स्थलों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43 जोधपुर के माचिया सफारी पार्क से संलग्न कायलाना पहाड़ियों और अखेराज तालाब क्षेत्र की पहाड़ियों को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44 जोधपुर में जालोरी गेट एवं पावटा पर नये फ्लाईओवर निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के भूतेश्वर वनखण्ड को सिटी पार्क के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के अति प्राचीन जन आस्था केन्द्र गंगलाव तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनूं) :

47 झुन्झुनूं शहर में बन्द पड़े सीवरेज के कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

48 मास्टर प्लान वर्ष 2011 से बांध के गायब होने के समय वर्ष 2001 से वर्ष 2013 तक उक्त क्षेत्र में गरीबों द्वारा खरीदे गये भूखण्ड मालिकों को नगर विकास न्यास द्वारा नोटिस जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

49 सोजत नगरपालिका की बढ़ती आबादी से फैल रही गंदगी को रोकने के लिये सीवरेज लाइन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा) :

50 राज्य की नगरीय विकास नीति में बहुमंजिला आवासीय योजनाओं को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

51 राज्य के नगरीय निकायों की योजनाओं को व्यवहारिक एवं विकासात्मक बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

52 नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) को नगर सुधार न्यास में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53 किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर अजमेर विकास प्राधिकरण का जोन कार्यालय स्थापित कर उपायुक्त सहित सभी कार्मिकों को किशनगढ़ में ही बिठाकर आमजन की ADA सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54 किशनगढ़ (अजमेर) शहरी क्षेत्र की वर्ष 2007 से स्वीकृत सीवरेज योजना के अपूर्ण कार्य से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

55 किशनगढ़ (अजमेर) नगरीय क्षेत्र में स्थित विभिन्न पार्कों, नवीन सामुदायिक भवनों, गुंदोलाव झील पर सौन्दर्यीकरण एवं घाटों के निर्माण और खेल स्टेडियम इन्द्रानगर में जिम निर्माण एवं मझेला रोड पर स्थित कम्यूनिटी पार्क में आडीटोरियम निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) :

56 छबड़ा शहर का मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

57 अलवर जिले में नगर विकास न्यास की आवासीय योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58 नगर विकास न्यास भिवाड़ी में नवीन कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की **U.I.T.** भिवाड़ी में ग्राम-माजरीकलां, गंडाला, कालीयाहोड़ा, बीधाना, चादीचांना, भीटेड़ा, रोडवाल, मिल्कपुर, खातनखेड़ा, बुढवाल, नागल खाडिया को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर) :

60 विधान सभा क्षेत्र तारानगर शहर में वर्षा जल भराव के निकासी की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

61 नगर विकास न्यास भिवाड़ी में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

62 विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिवाना को नगरपालिका घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63 नगर परिषद बालोतरा द्वारा अवाप्त की गई भूमि को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64 बालोतरा नगर परिषद द्वारा सीवरेज लाइन डालने पर क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65 नगर परिषद बालोतरा की नई आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

66 घड़साना को नगर पालिका बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

67 बीकानेर में **U.I.T.** द्वारा सैकड़ों भूखण्डों को गलत तरीके से आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

68 बीकानेर के मुरलीधर व्यास नगर में **U.I.T.** एवं **RUIDP** द्वारा सीवरेज कार्य अधूरे रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

69 बीकानेर **U.I.T.** में पट्टों की **NOC** से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

70 बीकानेर में नगर आयोजन विभाग द्वारा लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

71 **UIT** भरतपुर द्वारा काफी समय से भूमि रूपान्तरण के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

72 ओमजी सिटी भरतपुर में विकास कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

73 **UIT** भरतपुर में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) :

74 जालौर शहर में पत्रकार कालोनी में पत्रकारों को भूखण्ड आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

75 जालौर शहर में सिटी पार्क खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76 जालोर शहर में सीवरेज का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

77 जोधपुर शहर का मास्टर प्लान शीघ्र मंजूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

78 रानीखुर्द नगरपालिका में अग्निशमन गाड़ी (फायर ब्रिगेड) की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

79 जैसलमेर शहर में बरसाती पानी की निकासी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

80 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर शहर के पास गढ़ीसर झील की सफाई, मरम्मत व कच्चा 4 मीटर रास्ता बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81 जैसलमेर शहर में बढ़ती हुई आबादी व यातायात की भीड़ को देखते हुए शहर में ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82 जैसलमेर शहर में सीवरेज एवं सड़क व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

83 नगर परिषद सुजानगढ़ का नया कार्यालय भवन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84 नगर परिषद सुजानगढ़ व बीदासर नगरपालिका के टाउन प्लान में संशोधन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

85 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के कस्बा खैरथल व किशनगढ़ बास के आबादी क्षेत्र में विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) :

86 स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

87 बीकानेर नगर निगम के शिव वैली में नगर निगम बीकानेर की गौशाला भूमि के कब्जे हटवा कर गौशाला बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

88 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में पानी निकासी के लिये पक्की नालियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी)

89 नगरपालिका क्षेत्र फलौदी में सीवरेज लाइन डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

90 आबू रोड नगरपालिका की पैरीफेरी के गांव नगर पालिका को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91 नगरपालिका क्षेत्र आबू रोड में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, एक्सटेंशन नवीन एरिया में जन सुविधाएं सड़क, रोड़ लाइट लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

92 विधान सभा क्षेत्र चौरासी सीमलवाड़ा में टाउन प्लानिंग की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

93 सूरतगढ़ नगरपालिका की भूमि पर बसे लोगों को पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94 सूरतगढ़ नगरपालिका द्वारा आवासीय योजना मन्जूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

95 नगरपालिका बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित सूर्यसागर तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96 नगरपालिका बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में खेल मैदान पर स्टेडियम बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97 नगरपालिका बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित ललित सागर तालाब की मरम्मत एवं उसका सौन्दर्यीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

98 भीलवाड़ा जिले के सैनिक बाहुल्य क्षेत्र जहाजपुर तथा कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पब्लिक पार्कों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

100 विधान सभा क्षेत्र सांगोद की खेराई बीड़ में पार्क विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101 विधान सभा क्षेत्र सांगोद की नगरपालिका सांगोद में सीवरेज वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102 विधान सभा क्षेत्र सांगोद की नगर पालिका सांगोद को आर.यू.डी.पी. योजना में शामिल कर आधारभूत विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103 विधान सभा क्षेत्र सांगोद की नगरपालिका सांगोद के लिये प्रशासनिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104 विधान सभा क्षेत्र सांगोद की नगरपालिका सांगोद में शादी समारोह व अन्य गतिविधियों हेतु सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

105 विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित गोविंदनगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को आरम्भ करवाने एवं शंकर नगर व नागतलाई नाले में बह रहे गंदे पानी को 1200 एम.एम. लाइन द्वारा जयसिंहपुरा खोर के ट्रीटमेंट प्लांट में पहुचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106 वर्ष 2003 में बापू कच्ची बस्ती, विद्याधर नगर के निवासियों का पुनर्वास करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मिशन बसेरा के तहत 10 रुपये प्रतिदिन की आसान किश्तों पर मीणा पालड़ी एवं गोविंदपुरा सांगानेर जयपुर में ''मिशन बसेरा'' के तहत 5000 बाम्बे क्वाटर्स बना कर

अधिकांश कच्ची बस्ती वासियों को आवास आबंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

107 विधान सभा क्षेत्र हवामहल में सीवर लाइन को मकानों तक पहुंचाने एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी, इन्द्रपुरी एवं वार्ड संख्या 83, 84, 88 एवं 89 में नई सीवर लाइनें डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108 विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित राजामल का तालाब, कंवरनगर आदि कालोनियों को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जोरावर सिंह गेट तक रास्ता बनाकर जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109 विधान सभा क्षेत्र हवामहल के वार्ड नं. 83 में स्थित मीणापाडा, बारहमोरी कालोनी को माउण्ट रोड से जोड़ने हेतु पुल का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

110 करौली जिले के उपखण्ड मुख्यालय पर खेल स्टेडियम तथा सामुदायिक भवनों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) :

111 नगर परिषद बांसवाड़ा में रहने वाले किसानों को खातेदारी अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा की नगर परिषद बांसवाड़ा में सीवरेज लाइनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा की नगर परिषद बांसवाड़ा में पट्टा आबंटन का अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115 बांसवाड़ा नगर परिषद में कागदी नदी के सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

116 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की नगर परिषद डूंगरपुर को अनुदान (मुआवजा) उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117 डूंगरपुर नगर परिषद में टाऊन हाल का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद) :

118 आसीन्द नगर पालिका क्षेत्र हेतु खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119 विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के गुलाबपुरा नगर में खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

120 दिनांक 13 मई, 2015 द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटीशन उनवानी ''भंवर लाल मूंधड़ा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में डी.बी. द्वारा दिये गये निर्णय के सिद्धान्त द्वारा ग्राम पंचायत, लूणकरणसर को नगर पालिका घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121 ''ओझाजी का बाग'' सन् 1969 में अवाप्तशुदा भूमि को डि-एक्वायर घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122 दिनांक 13 मई, 2015 को राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायत, नापासर को नगरपालिका घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123 बीकानेर शहर में 43 बार रेल फाटकों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के समाधान हेतु एलिवेटेड रोड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

124 नगरपालिका क्षेत्र भादरा में सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

125 नगरपालिका भादरा में सफाई कर्मियों की कमी को देखते हुए सफाई कर्मचारियों की पर्याप्त भर्ती करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

126 विधान सभा क्षेत्र भादरा में सरकार द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के अनुरूप भादरा शहर में सीवरेज निर्माण कार्यों में हुई भारी अनियमितताओं की जांच किसी थर्ड पार्टी से करवाने के के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

127 नगरपालिका क्षेत्र भादरा में गन्दे पानी व बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था को दुरूस्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

128 नगरपालिका क्षेत्र भादरा में डमसागर पानी निकासी योजना को शीघ्र सम्पूर्ण करके वार्ड की पानी निकासी समस्या को दुरूस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर) :

129 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर को दिल्ली से 200 किमी. सीमा में होते हुए भी **NCR** का लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

130 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विशेष पिछड़ा वर्ग बाहुल्य होते हुए भी देव नारायण बोर्ड में न जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

131 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के मास्टर प्लान के अनुरूप नगर आयोजना न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

132 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की नगरपालिका विराटनगर में वर्षों पूर्व बिछाई गई पाइप लाइन बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

133 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की नगरपालिका विराटनगर का स्वयं का भवन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

134 कोटा शहर के नगर निगम के प्रत्येक वार्डों में सामुदायिक भवनों का निर्माण एवं सार्वजनिक पार्क विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135 कोटा शहर के मास्टर प्लान में बून्दी जिले में लगने वाले गांवों को कोटा में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136 कोटा जिले के इटावा कस्बे के विकास के लिये औद्योगिक इकाइयों को रियायती दर पर भूखण्ड आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137 कोटा जिले की नवगठित नगरपालिका इटावा के कस्बे का सौन्दर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण व सामुदायिक भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138 कोटा शहर के कुन्हाड़ी क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा अनुमोदित कालोनी कमला उद्यान में पेयजल लाइन, सड़कें व नालियां बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

139 नगर निगम, जयपुर के क्षेत्र चार दीवारी में अवैध कॉम्पलेक्स बनने, चौगान में अवैध पशु डेयरी का संचालन, शहर के आवारा पशुओं को

नहीं पकड़ने तथा गलियों में एल.ई.डी. लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

140 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़नें, सतर्कता शाखा में अवैध अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर कब्जे की घटनाओं की शिकायतें होने के बाद कार्यवाही नहीं करने तथा गुर्जर की थड़ी पर बन रहे अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स पर कोई कार्यवाही न करने तथा विधान सभा नगर धावास अजमेर रोड पर 30 फीट की सड़क पर बनाये गये फ्लेटों पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

141 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा रिसर्जेन्ट राजस्थान के समय जनपथ, जवाहर लाल नेहरू मार्ग व अन्य स्थानों पर जोधपुर पत्थर के नाम पर लगाये गये लाल पत्थरों की जांच करवाने व करोड़ों रुपये के घटिया काम करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

142 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में सुभाष नगर पुलिया के ढ़हने की जांच न करवाने, नक्शे के विपरीत बन रहे बहुमंजिला आवासों पर कार्यवाही नहीं करने तथा जगन्नाथपुरी की बेशकीमती भूमि को जे.डी.ए. अधिकारियों द्वारा फर्जी नियमन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

143 नगर निगम, जयपुर के हवामहल पश्चिम जोन में जयलाल मुंशी का रास्ता, बगरूवालों के रास्ते में बिना अनुमति के 4G मोबाइल टावर लगाने, जनगणना 2011 व सामाजिक-आर्थिक जनगणना के प्रगणकों का बकाया मानदेय न देने तथा नक्शे पास करने हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निस्तारण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

144 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल कस्बे को विकास परियोजना में शामिल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

145 जयपुर जिले की सांभर, फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल नगरपालिकाओं में वेतन चुकाने की समस्या से निपटने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

146 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल एवं सांभर नगरपालिका के नये भवन निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

147 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की फुलेरा, किशनगढ़-रेनवाल एवं सांभर नगरपालिकाओं में उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

148 जयपुर शहर में सीकर रोड स्थित विजयबाड़ी पथ नं. 7 के मुख्य मार्ग पर खेतान चौराहे से भवानी निकेतन विवाह स्थल मोड़ तक अतिक्रमण नहीं हटाने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई) :

149 विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड मुख्यालय निवाई में सीवरेज लाइन डलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

150 नगर पालिका द्वारा पेरिफेरी पंचायतों का विकास कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) :

151 श्रीगंगानगर की विभिन्न बसी हुई आवासीय कालोनियों में वर्तमान बसावट के अनुरूप नक्शे स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

152 नगरपालिका केकड़ी में विभिन्न सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153 नगरपालिका केकड़ी में जयपुर रोड से कृषि मण्डी तक व अजमेर रोड पर डिवाइडर बनाकर सजावट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154 सरवाड़ नगरपालिका में विकास कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) :

155 जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन ग्राम पंचायतों में आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

156 जयपुर विकास प्राधिकरण में आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला के लिए भूमि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

157 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ शेखावटी कस्बे में सीवरेज लाइन डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

158 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में चल रही सीवरेज परियोजना पूर्ण नहीं होने व निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नही रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

159 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के फतेहपुर कस्बे व रामगढ़ में आवासीय कालोनी विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

160 सीकर जिला मुख्यालय पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161 फतेहपुर में नवीन बस स्टैण्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

162 नगरपालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) को दुर्घटनाग्रस्त अग्निशमन वाहन के स्थान पर दूसरा बड़ा अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163 नगरपालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) में सीवरेज लाइन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोड़ाभीम) :

164 करौली जिले के उपखण्ड मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165 करौली जिले के उपखण्ड मुख्यालयों पर फूड पार्कों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू) :

166 विधान सभा क्षेत्र बगरू के वार्ड 45 से 51 में सड़क निर्माण व रोड लाइट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167 विधान सभा क्षेत्र बगरू के वार्ड 45 से 51 में श्मशान भूमियों व मोक्षधाम का संधारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168 विधान सभा क्षेत्र बगरू के वार्ड 45 से 51 में सार्वजनिक पार्कों के सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169 विधान सभा क्षेत्र बगरू के वार्ड 45 से 51 में बसी कालोनियों का जयपुर विकास प्राधिकरण से नियमन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

170 प्रदेश के नगरीय इकाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

171 विधान सभा क्षेत्र खींवसर के शहरी क्षेत्रों में नक्शे के विपरीत बिल्डरों द्वारा किए गए निर्माण की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172 नगर परिषद नागौर व नागौर की अन्य निकायों में व्यावसायिक दुकानों व कार्यालयों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

173 जिला मुख्यालय नागौर में पार्कों का संरक्षण करने एवं नये पार्क स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174 प्रदेश के शहरी क्षेत्रों मे मास्टर प्लान को बार-बार बदलने व निजी लोगों को लाभ पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 20 – आवास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-20 मुख्य शीर्षक आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

1 हाउसिंग-बोर्ड द्वारा सांचौर में जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

2 मुख्य मंत्री आवास योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

3 बारां जिले के किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में बनाये गये सहरिया आवासों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

4 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बी.पी.एल. परिवार को मुख्य मंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

5 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के नगरपालिका क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

6 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नि:शक्तजन कमजोर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सरकार की योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे अवासों में वर्षा जल को संग्रहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अन्त्योदय परिवार एवं आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्गों के लोगों को आवास योजना का लाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में मुख्य मंत्री एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों का लाभार्थियों को भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

10 विधान सभा क्षेत्र वैर में सरकारी आवासों के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग) :

11 विधान सभा क्षेत्र डग के भवानीमण्डी में मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में BPL एवं APL के लिए आवास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

12 विधान सभा क्षेत्र भीम में मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले आवास की राशि को 70,000/- से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

13 विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व्यक्तियों को आवास दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

14 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में हाउसिंग बोर्ड स्थापित करके फ्लैट्स बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

15 ब्यावर क्षेत्र में मुख्य मंत्री जन आवास योजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

16 विधान सभा क्षेत्र मावली के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, असहाय, विकलांग व्यक्तियों का सर्वे कराकर उन्हें आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

17 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में BPL एवं APL परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

18 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में भवनविहीन गरीब व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में हाउसिंग बोर्ड के आवास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

20 बून्दी शहर में आवासन मण्डल की नई कालोनी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

21 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में विस्थापित उड़िया बस्ती के आवास आबंटन में गड़बड़ी, पुनर्वास में मिले मकानों का कर्जा माफ करने एवं खाली पड़े मकान वंचितों को आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22 कोटा शहर में आबंटित खाली पड़े प्लाटों में तय समय में नियमानुसार मकान निर्माण नहीं करने व आबंटन निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के खनन क्षेत्र में रह रहे मजदूर, बेघर लोगों के आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24 कोटा शहर में अल्प, मध्य एवं उच्च आय वर्ग के परिवारों के आवास हेतु राजस्थान आवासन मण्डल कोटा को भूमि आबंटित कर आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कोटा नगर निगम के वार्ड-4 व 5 में स्थित नगर विकास न्यास, कोटा के खाते में दर्ज हजारों बीघा सिवाय चक भूमि को आवासों के निर्माण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल कोटा को आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

26 गंगापुरसिटी में हाउसिंग बोर्ड की बन्द पड़ी स्कीम को तुरन्त शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (सीकर) :

27 सीकर जिले के आवास विहीन समस्त BPL, SC, ST के निर्धन व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

28 मुख्य मंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना में जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में किस्तों का भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

29 राजस्थान आवासन मण्डल की कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में जिस भूमि का कब्जा पिछले 20 वर्षों से राजस्थान आवासन मण्डल को प्राप्त नहीं हुआ है, उस भूमि को आवासन मण्डल द्वारा मुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

30 राजस्थान प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत निर्मित फ्लेट्स/मकानों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

31 विधान सभा क्षेत्र लूणी में निवास करने वाले आवासविहीन परिवारों को सस्ता-सुन्दर व टिकाऊ आवास उपलब्ध कराने एवं राजस्थान आवासन मण्डल की कैरू योजना को शीघ्र लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32 आवासन मण्डल, जोधपुर की कुड़ी-भगतासनी आवासीय योजना के सभी सैक्टरों को नगर निगम, जोधपुर को हस्तानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

33 विधान सभा क्षेत्र घाटोल में इन्द्रा आवासों की बकाया रकम का भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

34 निम्बाहेड़ा में आवासन मण्डल द्वारा घरोंदा योजना के अन्तर्गत नये आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35 राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अटल नगर निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ में आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36 निम्बाहेड़ा में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासविहीन लोगों के लिए नई आवासीय कालोनी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

37 जोधपुर शहर में आवासन मण्डल की नवसृजित कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

38 विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन कर नियमित कालोनियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

39 मुख्य मंत्री जन आवास योजना की गति अपेक्षानुरूप धीमी होने से प्रतीक्षारत एवं आवास प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले आमजन में व्याप्त निराशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा) :

40 करौली में आवासन मण्डल की नवीन कालोनी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41 राज्य में खानाबदोश जातियों के लिए एक अल्प आय वर्ग आवासीय योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

42 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) शहरी क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कालोनी में विभिन्न चरणों में निर्मित कालोनियों में रहने वाले आवासीय वाशिन्दों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से एक नवीन श्रमिक कालोनी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) आवासीय कालोनी विकसित नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

45 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) आवासीय योजनाओं में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित सहायक अभियंता कार्यालय हाउसिंग बोर्ड में कनिष्ठ अभियंताओं, मंत्रालयिक कर्मचारियों के मापदण्डानुसार पदों की स्वीकृति जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) :

47 विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में गरीब BPL परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

48 विधान सभा क्षेत्र कपासन में गरीब व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

49 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50 अलवर जिले में गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में आवासीय योजना शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52 अलवर जिले में आवासीय योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में आवासन मण्डल द्वारा आवासीय भूमि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

54 विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में गरीब मजदूरों के आवास की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

55 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में आवासविहीन लोगों को आवास उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में आवासन मण्डल की स्कीम न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

57 प्रदेश में आवास की नई नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58 विधान सभा क्षेत्र सिवाना के BPL परिवारों को इन्दिरा आवास योजना में आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

59 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुक्ताप्रसाद नगर में आवासन मण्डल द्वारा विकास कार्य नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) :

60 जालौर शहर में हाउसिंग बोर्ड आवासीय कालोनी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

61 विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में आवासीय योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

62 विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में सामान्य श्रेणी के गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों को इन्दिरा आवास योजना में आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

63 जैसलमेर शहर में नई आवासीय कालोनी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

64 जैसलमेर शहर में मुख्य मंत्री आवास सहायता की I व II किश्त के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

65 विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सस्ते आवास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

66 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के कस्बा खैरथल एवं किशनगढ़ बास में हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय कालोनियां बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनूं) :

67 विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में गरीब लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68 राजस्थान आवासन मण्डल के आवासों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

69 भोपालगढ़ मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड की कालोनी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

70 राजस्थान आवासन मण्डल कार्यालय को जैसलमेर से फलौदी स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

71 राजस्थान विशेष आवास योजना के तहत वर्ष 2012-13 में बीकानेर जिले से जयपुर भेजे गए पात्र आवेदकों को आवास राशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72 शिवबाड़ी आवासीय योजना आवासन मण्डल बीकानेर के अन्तर्गत आने वाले किसानों की अवाप्त भूमि का मुआवजा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73 चौदहवीं विधान सभा के विधायकों को आरक्षित दर पर जयपुर व राज्य के अन्य शहरों में आवासन मण्डल के द्वारा भूखण्ड आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74 दक्षिण विस्तार योजना, मुक्ताप्रसाद नगर योजना सहित बीकानेर शहर की आवासन मण्डल की कालोनियों में क्षतिग्रस्त सड़कों, सीवरेज की बदहाल स्थिति के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75 शिवबाड़ी आवासीय योजना बीकानेर को शीघ्र चालू कर स्थानीय नागरिकों को आवासीय मकान व भूखण्ड आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

76 सूरतगढ़ शहर में आवासन मण्डल द्वारा अधिगृहित 350 बीघा भूमि पर आवास निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

77 राज्य के जनजाति क्षेत्रों में गरीब तबके के व्यक्तियों के लिये आवासीय योजना आरम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में इन्दिरा आवास एवं मुख्य मंत्री आवास योजना की बकाया किश्तों के भुगतान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79 जिला डूंगरपुर नगरपालिका सागवाड़ा में हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवास निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80 नगर परिषद डूंगरपुर में मकान विहीन बी.पी.एल. परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81 नगर परिषद डूंगरपुर में नई आवासीय कालोनियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

82 आवासन मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये भिवाड़ी में पंजीकरण किया था, जो सामान्य पंजीकरण में परिवर्तन अभी तक नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

83 राजस्थान आवास विकास संस्थान के अवसायन के लिये अवसायन समिति द्वारा 17 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् भी समस्त देनदारियों व लेनदारियों का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

84 आवासन मण्डल में बिना किसी पूर्व योजना के मकानों के निर्माण के लिये सभी अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नही किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

85 राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बिना किसी योजना व बुकिंग के हजारों आवास बना दिये जो अभी तक जीर्ण-शीर्ण हालत में है। इससे करोड़ों रुपयों की राशि खर्च होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

86 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजना बनाकर आवास निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

87 विधान सभा क्षेत्र सांगोद के नगरपालिका सांगोद में आवासन मण्डल की नई कालोनी विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88 कोटा शहर में राजस्थान आवासन मण्डल की नई कालोनी विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

89 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में आवासन मण्डल द्वारा किये जा रहे घटिया निर्माणों पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

90 अलवर नगर विकास न्यास द्वारा लालसिंह जूडो क्लब को आबंटित जमीन पर मेहता नर्सिंग होम एवं चौबारी रेस्टोरेंट खुलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गौतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

91 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में हाऊसिंग बोर्ड के आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

92 प्रदेश में राजस्थान आवासन मण्डल की कालोनियों में मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने तथा मध्यम एवं अल्प आय वर्ग के लिये आवासीय योजनाऐं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93 कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में इन्दिरा एवं मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना में लाभार्थियों द्वारा राशि के दुरूपयोग को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94 विधान सभा क्षेत्र कोटा जिले के पीपल्दा में राजस्थान आवासन मण्डल को आबंटित/अधिग्रहित की गई भूमि पर आवासीय योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू) :

95 विधान सभा क्षेत्र बगरू में आवासन मण्डल की कालोनियों में सड़कों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96 विधान सभा क्षेत्र बगरू में आवासन मण्डल के सार्वजनिक पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं पार्कों में पानी हेतु बोरिंग की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97 विधान सभा क्षेत्र बगरू में वार्ड-47 व 49 में सामुदायिक केन्द्रों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98 विधान सभा क्षेत्र बगरू में वार्ड 49 में आवासन मण्डल कालोनी के ग्राम-खातीपुरा, बन्ध्या व कुन्दनपुरा में विकास कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99 विधान सभा क्षेत्र बगरू में वार्ड-47 व 49 में आवासन मण्डल की कालोनियों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) :

100 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में आवासीय कालोनियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में मकान विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में इन्दिरा एवं मुख्य मंत्री आवास योजना

की द्वितीय व तृतीय किश्तों का भुगतान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में जनजाति क्षेत्र के ए.पी.एल. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को आवास हेतु पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

104 उप खण्ड मुख्यालय बायतू पर आवासीय कालोनी विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

105 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में जिला मुख्यालय पर सभी वर्गों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के उप खण्ड मुख्यालय बिछीवाड़ा में आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के डूंगरपुर नगर क्षेत्र में वर्षो से निवास कर रहे लोगों को आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद) :

108 आसीन्द नगरपालिका के आसीन्द में आवासन मण्डल द्वारा आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

109 हाऊसिंग बोर्ड, टोंक के सेक्टर नं. 1 में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु जमीन आबंटन करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

110 आवासन मण्डल टोंक की कालोनी को नगर परिषद टोंक में हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

111 आवासन मण्डल टोंक में पानी, बिजली, सड़कें, चिकित्सा आदि की समुचित सुविधाऐं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

112 राजस्थान आवासन मण्डल टोंक का मुख्यालय जयपुर के स्थान पर टोंक में स्थापित/स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

113 आवासन मण्डल टोंक में सामुदायिक भवन के रख-रखाव में समुचित सुविधाऐं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

114 कोटा जिले में आवासन मण्डल की कालोनियों को नगर निगम को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

115 कोटा जिले में आवासन मण्डल के रिक्त आवासों को वरियता के अनुसार आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर) :

116 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पावटा के पास खेलना में आवासन मण्डल द्वारा आरक्षित भूमि पर वर्षों बाद भी कालोनी विकसित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

117 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में नई आवासीय कालोनियों में आधारभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

118 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में आवासन मण्डल द्वारा स्कीम न काटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

119 राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर में आवासों के घटिया निर्माण, लाटरी में भ्रष्टाचार की शिकायतें तथा मण्डल में मकान महंगें होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

120 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में आवासन मण्डल की कालोनी विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (आसपुर) :

121 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में इन्दिरा एवं मुख्य मंत्री आवास योजना की बकाया राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

122 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में जनजाति परिवारों को आवास का लाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123 विधान सभा क्षेत्र आसपुर के जनजाति क्षेत्र में आवास की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

124 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में इन्दिरा एवं मुख्य मंत्री आवास योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

125 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में इन्दिरा एवं मुख्य मंत्री आवास योजना की राशि दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में स्टेट BPL एवं APL अन्त्योदय योजना के पात्र व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

127 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के सरवाड़ में आवासीय कालोनी के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में गरीबों के लिये सस्ती दर पर आवासीय कालोनी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में मुख्य मंत्री आवास योजना को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

130 राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा गरीबों के लिये सस्ते आवास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

131 सीकर हाउसिंग बोर्ड के शिवसिंहपुरा में बने फ्लैट्स में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

132 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में आवास विहीन लोगों को आवास देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

133 फतेहपुर व रामगढ़ शेखावाटी में हाऊसिंग बोर्ड की नवीन योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134 हाउसिंग बोर्ड की योजना में वर्षा जल संग्रहण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

135 राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा निर्मित आवासों की गुणवत्ता व मापदण्डों के अनुसार नहीं होने से उपभोक्ताओं के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136 राजस्थान आवासन मण्डल में आवास निर्माण में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच करवाकर आवासों की लागत कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

137 प्रदेश में निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

138 प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हाऊसिंग बोर्ड आवासीय क्षेत्र का विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

139 प्रदेश में आवासन मण्डल के मकानों में गुणवत्ता की समय-समय पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

140 विधान सभा क्षेत्र खींवसर में बालवा रोड स्थित बी.आर. अम्बेडकर आवासीय योजना में हुई अनियमितता की जांच करने एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

141 नागौर जिला मुख्यालय पर आवासीय फ्लेट योजना की शुरूआत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 49-मुख्य शीर्षक स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

1 जिला परिषद जोधपुर को वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करायी गई धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

2 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की प्रत्येक ग्राम पंचायत को वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करायी गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर नहीं देने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

3 विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में नवगठित पंचायत समिति बीदासर को वाहन, कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं कराने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

4 उदयपुर की पंचायतों का विकास नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

5 विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जवाजा पंचायत समिति मुख्यालय को तहसील मुख्यालय नहीं बनाने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

6 प्रदेश की ग्राम पंचायतों में समस्त योजनाओं के द्वारा होने वाले विकास कार्यों को सार्वजनिक निर्माण विभाग की भांति गारन्टी योजना के माध्यम से नहीं कराने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

7 प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल एवं सफाई व्यवस्था नहीं होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

8 प्रदेश की ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

9 प्रदेश की ग्राम पंचायतों में श्मशान घाटों एवं कब्रिस्तानों का विकास नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

10 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ग्राम पंचायतों के विकास कार्य हेतु अनुदान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

11 पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

12 ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का समय पर निष्पक्ष एजेन्सी द्वारा अंकेक्षण नहीं करवाने, पूर्व में लम्बित शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं करने के बावजूद भी देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

13 प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा विकास के कार्य की बी.एस.आर. को सार्वजनिक निर्माण विभाग के समकक्ष कर एकरूपता लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

14 समस्त ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था नहीं होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

15 विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित ग्राम पंचायत पाल व अन्य ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के अनुपात में समय पर अनुदान राशि नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

16 विधान सभा क्षेत्र घाटोल में गांव गनोड़ा को पंचायत समिति का दर्जा नहीं देने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

17 विधान सभा क्षेत्र घाटोल की ग्राम पंचायतों में शौचालयों के निर्माण का भुगतान नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

18 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी की सभी शेष ग्राम पंचायतों में किसान सेवा केन्द्र नहीं बनाने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

19 प्रदेश की ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करवाई गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय-सीमा में नहीं देने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

20 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की मरूस्थलीय ग्राम पंचायतों को विकास के लिए अतिरिक्त अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा) :

21 पंचायतीराज संस्थाओं को और अधिक शक्तियां देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

22 पंचायतीराज संस्थाओं को अधिक वितीय अधिकार देकर शक्तिशाली बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

23 ग्राम पंचायतों को टी.एफ.सी. व एस.एफ.सी. सहित अन्य मदों में दिये जाने वाली राशि के अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

24 ग्राम पंचायतों में गन्दे पानी की निकासी हेतु उचित प्रबन्धन नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

25 प्रदेश में पंचायतीराज विभाग में संविदा पर रखे गये कम्प्यूटर आपरेटरों को नियमित नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

26 प्रदेश की पंचायतों में बिजली के रख-रखाव नहीं रखने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

27 विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पंचायत समितियों में रिक्त पदों को नहीं भरने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

28 प्रदेश में पंचायतों का पूर्णतया विकास नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

29 राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

30 प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री जय नारायण पूनिया (तारानगर) :

31 विधान सभा क्षेत्र तारानगर की ग्राम पंचायतों में पानी की निकासी नहीं होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

32 विधान सभा क्षेत्र चौरासी की पंचायत समिति चिखली, झौथरी, सीमलवाड़ा में शौचालय के भुगतान नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

33 प्रदेश की पंचायतों में साफ-सफाई नहीं से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

34 विधान सभा क्षेत्र चौरासी की ग्राम पंचायत चाडौली, झलाय में वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के उपयोग एवं अंकेक्षण के आक्षेपों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

35 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पंचायत समिति कोटड़ी में नवीन सभागार निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

36 विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पंचायतों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

37 कार्यालय पंचायत समिति भादरा का नया भवन निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

38 विधान सभा क्षेत्र भादरा में पंचायत समितियों को S.F.C.-V[th] एवं F.F.C. योजनान्तर्गत दी जाने वाली राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

39 कोटा जिले में वर्ष 2015-16 में पंचायतीराज संस्थाओं को दिये गये अनुदान पर चर्चा के लिये।

40 ग्राम पंचायत इटावा से नगर पालिका इटावा में हस्तान्तरित कार्मिकों को समायोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर) :

41 प्रदेश की पंचायतों में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

42 प्रदेश में पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के लिये अधिकार नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

43 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में आने वाली चारागाह एवं सवाई चक/गैर मुमकिन भूमि होने पर भी पंचायत का उपयोग करने का अधिकार न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

44 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की ग्राम पंचायत जवानपुरा को 30 वर्ष की लीज पर प्राप्त परिवहन सेवा केन्द्र का किराया देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई) :

45 विधान सभा क्षेत्र निवाई में उप खण्ड मुख्यालय पीपलू (टोंक) में अलग से नव पंचायत समिति सृजित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

46 नव सृजित पंचायतों के भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47 पंचायत समिति खैरवाड़ा ऋषभदेव, सेमारी में पर्याप्त कर्मचारी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

48 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में ग्राम सचिवों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

49 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में ब्लाक सड़कों का निर्माण बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

50 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में पंचायतीराज से बनने वाली सी.सी. रोड की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

51 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की पंचायतों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

52 पंचायतीराज संस्थाओं को राज्य प्रवर्तित योजना में अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53 विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पंचायतीराज संस्थाओं को स्टाफ व भवन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू) :

54 विधान सभा क्षेत्र बगरू में नई ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक भवनों की भूमि आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55 विधान सभा क्षेत्र बगरू में नवसृजित ग्राम पंचायतों के श्मशान भूमियों के आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।